गुरूवार, 8 मई, 1997

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(भाग I)

(ग्यारहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

विषय-सूची

[एकादश माला, खंड 14, चौथा सत्र (भाग-चार) 1997/1919 (शक)]

अंक 6, गुरुवार 8 मई 1997/18 वैशाख, 19191 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
	*तारांकित प्रश्न संख्या 461, 462, 464 और 465	1-23
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
	*तारांकित प्रश्न संख्या 463 और 466 से 480	23-54
	अतारांकित प्रश्न संख्या 5158 से 5387	54-259
सभापटल पर रखे गए पत्र		259-263
संविधान (अनुसूचित जनजातियां (आदेश) संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—समय बढ़ाया जाना		263-264
सरकारी कर्मचारियों को बिना बारी के आवास के आबंटन को नियमित किए जाने के बारे में		269-292
नियम 377 के अधीन मामले		293-295
(एक)	गुजरात के राजकोट जिले में जैतपुर और उपलेटा तहसीलों को रोजगार आश्वासन योजना में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता — डॉ. बल्लभ भाई कठीरिया	293
(दो)	श्री गंगानगर जिले में रिसाव (सीपेज) की समस्या के समाधान के लिए राजस्थान सरकार को विशेष अनुदान दिए जाने की आवश्यकता — श्री निहाल चन्द चौहान	293
(तीन)	देश की रक्षा के लिए हाइड्रोजन बम का परीक्षण किए जाने की आवश्यकता — श्री अमर पाल सिंह	293
(चार)	निजामाबाद, आन्ध्र प्रदेश में उच्च शक्ति का दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता — श्री जी.ए. चरण रेड्डी	294
(पांच)	बिहार के औरंगाबाद जिले में अम्बा और बारुन में एस.टी.डी. सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता — श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह	294
(छः)	पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर रेलवे फाटक पर उपरिपुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता — श्री सुनील खान	295
(सात)	यात्रियों की सुरक्षा के लिए बांद्रा रेलवे टर्मिनल को जाने वाले संपर्क मार्ग की हालत में सुधार किए जाने की आवश्यकता — श्री मधुकर सरपोतदार	295

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय **कालम**

वित्त विधेयक, 1997 295-420

श्री सी. नारायण स्वामी 296-297

श्री सुभाष चन्द्र 297-301

श्री ए.सी. जोस 301-307

श्री सुरेश प्रभु 307-313

श्री एन.एस.वी. चित्यन 313-316

श्री इलियास आज़मी 316-319

श्री जार्ज फर्नान्डीज 319-336

श्री मेजर सिंह उबोक 336-342

श्री बनवारी लाल पुरोहित 342-351

श्री सनत मेहता 351-361

श्री बृज भूषण तिवारी 361-363

श्री वी.वी. राघवन 364-365

लेफ्टीनेंट जनरल (सेवानिवृत) प्रकाश मणि त्रिपाठी 366-368

श्री एम. कमालुद्दीन अहमद 368-370

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन 371-372

श्री पी. कोदंड रमैया 372-375

श्री चमन लाल गुप्त 375-379

डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी 380-382

श्री बीर सिंह महतो 382

श्री भक्त चरण दास 382-384

श्री श्याम बिहारी मिश्र 384-388

श्री उदय सिंहराव गायकवाड़ 388-391

श्री बची सिंह रावत "बचदा" 391-395

प्रो. पी.जे. कुरियन 395-396

श्री विजय कुमार खंडेलवाल 396-400

श्री पी. नामग्याल 400-407

वैद्य दाऊ दयाल जोशी 408-411

श्री सत्य पाल जैन 411-416

श्री के. परसुरामन 416-417

श्री सुकदेव पासवान 417-420

लोक सभा

गुरुवार, 8 मई, 1997/18 वैशाख 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाहन 11.02 बजे समवेत हुई

[**कर्नल राव राम सिंह** *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

उपमंडलीय मुख्यालयों में टेलीफोन

***461. श्री दिनेश चन्द्र यादव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपमंडलीय मुख्यालयों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(ख) उपर्युक्त नीति किस तारीख से कार्यान्वित की गई है;

(ग) बिहार में जिला-वार ऐसे कितने उप-मंडलीय मुख्यालय हैं जहां अभी तक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है; और

(घ) इन मुख्यालयों में टेलीफोन सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की सम्भावना है ?

[अनुवाद]

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के उद्देश्यों में, 1.4.1995 तक उप मंडल मुख्यालयों में एस॰ टी॰ डी॰ संपर्कता (कनेक्टिविटी) की व्यवस्था करना शामिल है। अब तक की स्थिति के अनुसार, 1206 उप मंडल मुख्यालयों में से, 1146 को एस॰ टी॰ डी॰ संपर्कता प्रदान की जा चुकी है।

(ग) बिहार के सभी उप मंडल मुख्यालयों को टेलीफोन सुविधा और एस॰ टी॰ डी॰ संपर्कता प्रदान की जा चुकी है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री दिनेश चन्द्र यादव : सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का तो स्वरूप ही बदल गया है। मैंने जो प्रश्न किया था, वह प्रश्न स्पष्ट है। उसको सचिवालय से मंगाकर देखा जा सकता है। मेरा प्रश्न है कि प्रखंड मुख्यालय को टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की सरकार की क्या नीति है। लेकिन इसका जो जवाब आया है वह उपमंडलीय मुख्यालय के लिए है। इसलिए मेरे प्रश्न का तो स्वरूप ही बदल गया है। इसलिए सभापति जी हमें आपके माध्यम से मंत्री जी से उसका जवाब चाहिए कि हमारे ब्लॉक लेवल में टेलीफोन एक्सचेंज होना चाहिए। मेरा प्रश्न हिंदी में बिल्कुल स्पष्ट पूछा गया है।

सभापति महोदय : ब्लॉक लेवल नहीं, आपने सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर के बारे में पूछा है।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : सभापति महोदय, यह सही नहीं है, हमारा जो प्रश्न है आप उसको मंगाकर देख सकते हैं।

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बलिया) : सभापति महोदय, लगता है कि अनुवाद गलत हो गया है।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : अनुवाद गलत हो गया है। जबकि मेरा प्रश्न है कि प्रखंड मुख्यालय में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की सरकार की क्या नीति है ?

सभापति महोदय : यादव जी, मैं चैक करा लूंगा। लेकिन अब जो सवाल हाउस के सामने है वह सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर से संबंधित है।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : सभापति महोदय, वह तो मेरा प्रश्न ही नहीं है।

सभापति महोदय : अगर मंत्री जी ब्लॉक लेवल के बारे में कुछ बता सकते हैं तो कृपा करके बताएं।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने ब्लॉक लेवल पर जानकारी मांगी है। अनुवाद में गलती है या नहीं, वह निर्णय तो आप करेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे पास ब्लॉक लेवल की जानकारी नहीं है।

सभापति महोदय : आप बराए-मेहरबानी मैम्बर साहेबान के पास भिजवा दें।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : सभापति महोदय, मैं भिजवा दूंगा।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : सभापति जी, मेरे प्रश्न का क्या हुआ?

सभापति महोदय : अगर आपने ब्लॉक लेवल से संबंधित सवाल भेजा है तो मैं लोक सभा सचिवालय की क्वैश्चन ब्रांच से चैक करूंगा। इस वक्त मंत्री जी के पास ब्लॉक लेवल की इन्फॉर्मेशन नहीं है। वे आपके पास पत्र के जरिए ब्लॉक लेवल की इन्फॉर्मेशन भेज देंगे।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या मेरा प्रश्न स्थगित नहीं हो सकता? मैं आपसे न्याय चाहता हूं।

सभापति महोदय : आपको न्याय अवश्य मिलेगा। मंत्री जी ब्लाक लेवल की स्थिति आपको लिखित रूप से भेज देंगे। अब आप सैकेंड सप्लीमेंटरी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : मेरी रिक्वैस्ट है कि मेरे प्रश्न को स्थगित कर दिया जाए क्योंकि इस तरह सप्लीमेंटरी पूछने का मेरा चांस खत्म हो रहा है।

सभापति महोदय : नहीं, आपका चांस खत्म नहीं होता। जो

आपने इन्फॉर्मेशन मांगी है, वह लिखित रूप में आपके पास भेज दी जाएगी।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : लिखित जवाब आने पर मैं कोई सप्लीमेंटरी नहीं पूछ सकता। हमारा हक तो खत्म हो रहा है।

सभापति महोदय : उसे मैं लोक सभा सचिवालय से चैक कर लूंगा कि आपने जो सवाल भेजा था क्या वह ब्लाक लेवल से संबंधित था या डिवीजनल लेवल से संबंधित था।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : अगर ब्लॉक लेवल से संबंधित हो तो मुझे फिर से चांस दिया जाए।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : यह अनुवाद का मुद्दा है कि अनुवाद गलत हुआ या सही, इस पर आपको फैसला लेना है।

सभापति महोदय : उसे मैं देखूंगा कि कहां गलती हुई है। अब आप ने सैकेंड सप्लीमेंटरी पूछना है तो पूछिए।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : जब मेरे मूल प्रश्न का उत्तर नहीं आया तो मैं सैकेंड सप्लीमेंटरी क्या पूछूं। अगर गलती हुई है तो क्या मुझे नैक्स्ट टाइम चान्स दिया जाएगा।

सभापति महोदय: अगर कहीं गलती हुई है तो मैं स्पीकर साहब की नौलेज में लाऊंगा।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : पंचायती स्तर पर क्या हुआ है ?. ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने गम्भीर मामला उठाया है। हालांकि आपने कह दिया कि लोक सभा सचिवालय से चैक करके आप देखेंगे कि क्या हो सकता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार की ब्लॉक लेवल पर एक्सचेंज स्थापित करने तथा एस॰ टी॰ डी॰ सुविधा देने के संबंध में क्या नीति है। क्या सरकार ब्लॉक लेवल पर एस॰ टी॰ डी॰ फैसिलीटी के साथ एक्सचेंज बनाने का विचार रखती है ? यदि ऐसी कोई योजना है तो बिहार के तमाम प्रखंड मुख्यालयों में कब तक एस॰ टी॰ डी॰ की सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा में व्यवस्था बनाए रखें और कृपा करके मंत्री जी को प्रश्न का उत्तर देने का अवसर दें।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : पूरे देश में 1206 सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर्स हैं,...*(व्यवधान)* जिनमें से 1146 में एस॰ टी॰ डी॰ फैसिलीटी है और पूरी टेलीफोन सहूलियतें मुहैया हैं। बिहार के सभी सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर्स में...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया व्यवधान न डालें और मंत्री जी को उत्तर देने का मौका दीजिए।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : आप पहले मुझे बुनियाद बनाने दो। बिहार के सभी सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर्स में एस॰ टी॰ डी॰ की सहूलियत है लेकिन अभी ब्लॉक की पॉलिसी बनी नहीं है, जिसे कुछ देर में बनाने की तैयारी कर रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रो॰ जितेन्द्र नाथ दास : महोदय, सरकार ने विभिन्न स्थानों पर अनेक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि हमारे सौ टेलीफोन स्टेशनों में से पन्द्रह ने अभी काम करना शुरू नहीं किया है और यदि यह बात सच है तो क्या सरकार का कार्यक्रम इन्हें चालू करने का है।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का कार्यक्रम टेलीफोन सेवाओं में सुधार करके उपभोक्ताओं की सुविधाओं में वृद्धि करने का है, यदि हां तो वह कार्यक्रम क्या है ?

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : मूल प्रश्न बिहार से संबंधित है जबकि माननीय सदस्य ने बिहार से हटकर सवाल पूछा है।

[अनुवाद]

प्रो॰ जितेन्द्र नाथ दास : महोदय, बिहार राज्य में भी बहुत से एक्सचेंज हैं। मंत्री जी को उनके बारे में बताने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : मैं आपके प्रश्न का फिर भी जवाब दे रहा हूं। आपने 15 परसेंट नॉन-ऑपरेशन वाली जो बात कही है, कहीं-कहीं हमारे टेलीफोन एक्सचेंज में ज्यादा खराबी है लेकिन हमने फैसला लिया है और आने वाली पंच वर्षीय योजना में सबसे अहम मुद्दा हमने टेलीफोन सर्विसेज रखा है जिसमें क्वालिटी को इम्प्रूव करके, पूरे देश में हर जगह जहां टेलीफोन सहूलियतें हैं, एक किलोमीटर के अंदर ऐसी सहूलियतें देने की योजना है, जिसे मुकम्मिल किया जा रहा है।

श्री लालमुनी चौबे : सभापति महोदय, मेरा प्रश्न क्वश्चन के मूल से है जिसके बारे में मंत्री जी ने कहा है कि अनुवाद की गलती है। मुझे जहां तक ठीक-ठीक याद है, श्री दिनेश चन्द्र जी ने हिन्दी में प्रश्न पूछा होगा। अगर यह लोक सभा सचिवालय के अनुवाद सैक्शन की गलती है जिससे क्वश्चन का स्वरूप ही बदल गया है, तो ऐसे अनुवादकों के खिलाफ, जो हिन्दी का अनुवाद अंग्रेजी में न कर सकें, तमिल में न कर सकें, कन्नड़ में न कर सकें, मलयालम में न कर सकें, क्या कार्रवाई होगी ?

मूलत: सवाल यह है कि सैक्रेट्रिएट की गलती से अनुवाद गलत हो गया, यह मंत्री जी ने भी कहा है और आपने भी कहा है, तो यह सदन की प्रोप्रायटी का क्वश्चन हो जाता है। हम लोगों को इस प्रश्न का जवाब कैसे मिलेगा, हम लोग इसके बारे में कैसे जानेंगे और हम

लोग जो सवाल पूछते हैं, उन सवालों का क्या होगा ? इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी अनुवाद की गलतियां कितनी होंगी और कब तक होती रहेंगी ?

सभापति महोदय : गलतियां आगे कितनी होंगी और कब तक होती रहेंगी, इसका जवाब तो आप किसी ज्योतिषी से मांग सकते हैं, मैं तो जवाब नहीं दे सकता।

श्री लालमुनी चौबे : सभापति जी, मंत्री जी ने यह कहा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : देखिए, लालमुनी जी, मैंने कह दिया है कि अगर कोई गलती हुई है, हालांकि अभी यह एस्टाब्लिश नहीं हुआ है कि कोई गलती हुई है, लोक सभा के क्वश्चन ब्रांच से उसको चैक किया जाएगा। उनके पास ब्लॉक लेवल तक की इस बारे में जानकारी पहुंच जाएगी।

डॉ॰ रामकृष्ण कुसमरिया : सभापति महोदय, यह तो ऐसी ही गलती हुई ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री॰ पी॰ आर॰ दासमुंशी : सभापति महोदय, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के गरीब से गरीब को और पंचायती राज प्रणाली नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश के लोगों को मूलभूत बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं और संविधान के अन्तर्गत अब पंचायती राज प्रणाली अच्छी तरह स्थापित हो चुकी है, क्या सरकार नीतिगत मामले के रूप में इस बात पर विचार करेगी कि नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के भीतर देश की सभी पंचायतों को ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सही प्रबंधन के लिए सीधे बातचीत करने के लिए उन्हें टेलीफोन से जोड़ दिया जाए ताकि निचले तबके को भी लाभ मिल सके ? क्या इस सुझाव पर नौवीं योजना दस्तावेज के अन्तर्गत नीति के रूप में विचार किया जाएगा ?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : जी हां, सरकार ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन संबंधी नीति को पहले ही अंतिम रूप दे चुकी है जिसके अनुसार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी गांवों को एस॰ टी॰ डी॰ सुविधा के साथ-साथ टेलीफोन सेवा से जोड़ दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, सरकार का जवाब है कि बिहार के सभी सब-डिवीजनल मुख्यालय टेलीफोन से जोड़ दिए गए हैं, मगर जोड़ने से काम नहीं चलेगा। वे टेलीफोन काम करें, वह टेलीफोन एक्सचेंज काम करे, यह भी सरकार को देखना होगा। जहां तक मेरा प्रश्न है, सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र बिहार में एक सेखपुरा टेलीफोन एक्सचेंज है, पहले यहां दिल्ली से वहां बात हो जाती थी, लेकिन अब दिल्ली से वहां बात नहीं हो पाती है। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जो भी टेलीफोन सब-डिवीजन में हैं, क्या वे सही काम कर रहे हैं, कारगर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, इसके बारे में सरकार को जानकारी है या नहीं और वे सब ठीक और कारगर तरीके से काम करें इसके बारे में सरकार क्या कर रही है ? जो टेलीफोन एक्सचेंज गड़बड़ हैं, या खराब हैं, उनको भी अतिशीघ्र ठीक करवाने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?

सभापति महोदय : रमेन्द्र कुमार जी, इसका जवाब आ चुका है। मंत्री जी ने कहा है कि सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को ठीक करने की पूरी कोशिश की जाएगी।

श्री रमेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, कोशिश का मतलब नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि कब तक ठीक होंगे, सरकार को इसके बारे में बताना चाहिए।

सभापति महोदय : अगला प्रश्न, श्री नीतीश कुमार।

रेलवे द्वारा माल भाड़ा दरों में वृद्धि

***462. श्री नीतीश कुमार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 अप्रैल, 1997 के "दि बिजेनस स्टैन्डर्ड" में "रेलवेज हाइक फ्रेट रेट्स फॉर एसेन्शियल आइटम्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 1 अप्रैल, 1997 से खाद्यान्न, दलहन, खाद्य तेलों, नमक आदि जैसी अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के मालभाड़े में वृद्धि की गई है; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक अनिवार्य उपभोक्ता वस्तु के मालभाड़े में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है और इससे कुल कितनी अतिरिक्त वार्षिक आय प्राप्त होने की संभावना है ?

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सभापति जी, हमने यह सवाल पूछा था कि 8 अप्रैल को बिजनेस स्टैंडर्ड में एक खबर छपी थी कि

[अनुवाद]

रेलवेज हाइक फ्रेट रेट्स फॉर एसेंसियल आईटम्स और इसमें यह कहा था कि

[अनुवाद]

"रेलवे ने, रेलमंत्री श्री राम विलास पासवान के रेल बजट भाषण में दिए गए इस स्पष्ट आश्वासन के बावजूद कि आवश्यक वस्तुओं के मालभाड़े में वृद्धि नहीं की जाएगी, एक अप्रैल से आवश्यक वस्तुओं के माल भाड़े की दरों में 12 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। यह वृद्धि अनाज, दाल, तेल, नमक प्याज, आलू, चीनी, वनस्पति गुड़ और चारा जैसी सभी आवश्यक वस्तुओं पर लागू होगी।"

[हिन्दी]

इसमें छपा था और मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसके हिसाब से उन्होंने बी पार्ट में "नो सर" दिया है। इसका मतलब यह है कि इनके हिसाब से यह खबर गलत छपी है। खासकर मैं जानना चाहता हूं कि अगर इक्नोमिक न्यूज पेपर में यह खबर आई तो इसके बारे में सरकार की तरफ से कोई खंडन प्रकाशित किया गया है या नहीं। अगर नहीं किया तो खंडन प्रकाशित करना चाहिए था क्योंकि इसको लेकर पूरे देश में यह खबर फैल गई कि भाषण कुछ होता है और काम उसके उल्टा होता है।

सभापति महोदय : उनको जवाब देने का मौका दीजिए।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : 7-8 अप्रैल को यह न्यूज छपी थी और 9 अप्रैल को रेलवे बोर्ड की तरफ से प्रेस नोट पर खंडन चला गया था।

श्री नीतीश कुमार : सभापति जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बजट भाषण में इन बातों का उल्लेख होता है कि किस चीज का भाड़ा बढ़ाया जाएगा और किस चीज का नहीं बढ़ाया जाएगा। रेल भाड़ा, यात्री भाड़ा, माल भाड़ा आदि के संबंध में बजट स्पीच में उल्लेख होता है और वह एक अप्रैल से लागू हो जाता है। यह परम्परा भी 1 अप्रैल से लागू होने की है।

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि बजट भाषण में चूंकि इन बातों का उल्लेख होता है तो बजट की पूर्ण स्वीकृति के पहले जब इस सदन द्वारा डिमांडस पूरे तौर पर स्वीकृत कर दी जाती हैं तो उसके पहले भाड़ा क्यों बढ़ाया जाता है ? हम मंत्री जी यह जानना चाहते हैं कि इस परम्परा को बदलकर बजट पारित होने के बाद भाड़ा बढ़ाने की परम्परा क्यों नहीं शुरू की जा सकती।

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, असल में यह मामला कई बार इस सदन में उठा है। पहले जब स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी थी तो आम तौर पर 28 फरवरी को बजट पेश हुआ करता था और 3-4 दिन पहले रेलवे बजट आ जाया करता था। नतीजा यह होता था कि मार्च के महीने में बजट पास हो जाता था। कभी भी यह प्राब्लम नहीं उठी कि 1 अप्रैल से लागू न हो। लेकिन जब से स्टैंडिंग कमेटी बनी है और जब स्टैंडिंग कमेटी के पास सारा मामला जाता है तो स्वाभाविक है कि उसमें कुछ दिक्कतें पैदा होनी शुरू हुई हैं। जहां तक पहली अप्रैल से भाड़ा बढ़ाने का सवाल है। इस सदन में कई बार यह मामला उठा और सर्वप्रथम 1974 में उठा। 1974 में जब यह मामला उठा तो उस समय यह रूलिंग दी गई थी कि यह कोई टेक्सेस नहीं है। हम किसी भाड़े में वृद्धि करते हैं जैसे टेलीफोन के भाड़े में वृद्धि है तो वह हो जाती है। कोल में है तो वह हो जाती है। स्टील का है तो जब जरूरत होती है तब बढ़ा दिया जाता है। एयर-फेयर जब होता है तो बढ़ा दिया जाता है। हालांकि रेलवे में इस तरह की कोई परम्परा हुई हो। कभी हुई होगी तो वह अलग बात है। लेकिन जब हम बढ़ाते हैं तो हम हाउस को सूचित करने का काम करते हैं कि हम यह कर रहे हैं।

1974 में इसी संबंध में जब मामला उठा था तो डिप्टी स्पीकर ने इसी सदन में साफ तौर पर कहा था

[अनुवाद]

"मैं इसे दूसरे ढंग से कहना चाहूंगा। यह रेल मंत्री की सहृदयता है कि उन्होंने ही पहल की और यहां तक कि यात्री किराए और माल भाड़े में वृद्धि करने संबंधी मामलों में विचारों को पूछा।

[अनुवाद]

मुझे आशंका है कि समाज को दी जा रही जिन कतिपय सेवाओं में यात्री किराए और माल भाड़े की वृद्धि की सिफारिश की गई है वे उचित हैं। इसलिए हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना है। वे कतिपय मांगों के मामले में ही उचित हैं। इसलिए मैं पुनः यह कहना चाहूंगा कि आपका यहां आना आपकी सहृदयता है।"

[हिन्दी]

लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वह कर्टसी हम जारी रखें और सदन को इसकी जानकारी देते हैं।

श्री नीतीश कुमार : अभी आपने स्टैंडिंग कमेटी की चर्चा की है और आपने खुद कहा है कि जब स्टैंडिंग कमेटी नहीं थी तो ऐसी दिक्कत नहीं थी। बजट आमतौर पर पास होता था लेकिन जब उसके बाद बजट पारित होता है तो उस हालत में क्या आप इस पर विचार करेंगे कि आगे बजट पारित होने के बाद कोई एक डेट निर्धारित हो। उस दिन से भाड़ा लागू हो।

श्री राम विलास पासवान : 1 अप्रैल से हमारी डेट निर्धारित है। 1 अप्रैल से ही भाड़ा बढ़ता है।

[अनुवाद]

श्री वी. के गड़वी : महोदय, यह अच्छा है कि खाद्यान्नों के भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की गई है। परन्तु रेलवे ने एक बहुत ही गलत पद्धति अपना रखी है। पंजाब के किसान सरकारी खरीद मूल्य पर गेहूं नहीं बेच रहे हैं क्योंकि वे इसे अपर्याप्त समझते हैं। इसलिए अपना गेहूं निजी व्यापारियों को बेच रहे हैं। अब किसानों को अपना गेहूं जबरन मूल्य पर बेचने के लिए दबाव डालने हेतु रेलवे ने निजी व्यापारियों को पंजाब से देश के अन्य भागों में गेहूं को ले जाने के लिए बैगनों के आबंटन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह रेलवे द्वारा किया गया अन्याय है। क्या इस संबंध में रेल मंत्री स्थिति को स्पष्ट करेंगे ? मुझे मालूम नहीं है कि देश के अन्य लोग रेलवे परिवहन के माध्यम से पंजाब से गेहूं प्राप्त करने से क्यों वंचित हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें सड़क मार्ग से गेहूं मंगाना बहुत महंगा पड़ता है।

सभापति महोदय : ठीक है आपका प्रश्न स्पष्ट है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, यह मेन प्रश्न से हटकर है लेकिन मैं यह सूचना माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

सभापति महोदय : उनका सवाल यह है कि क्या आपने ऐसी कोई डायरैक्शन दी है कि पंजाब से वीट एक्सपोर्ट करने के लिए अभी वैगन्स की ऐवेलेबिलिटी कम की जाएगी।

श्री राम विलास पासवान : इस तरह का स्पैसीफिक किसी स्टेट के संबंध में नहीं है। हम प्रैफर करते हैं क्योंकि पूरा रैक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में रेलवे को सहूलियत होती है और फायदा भी होता है। यदि अलग-अलग वैगन को पार्टवाइज़ करते हैं तो उसमें दिक्कत होती है।

[अनुवाद]

श्री बी॰ के॰ गढ़वी : आपने उन्हें रैक्स तक देना बंद कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मेरी जानकारी में पंजाब या हरियाणा किसी खास प्रान्त के लिए इस तरह के कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : यह सच है कि विश्व में हमारे माल भाड़े की दर सर्वाधिक है। जिसके कारण माल यातायात का धीरे-धीरे रेल परिवहन से सड़क परिवहन को अपनाना है।

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, हमारे सामने यह प्रौबल्म है कि हमारे पास डैडीकेटेड लाइन नहीं है। हमारे पास एक ही लाइन है और जब रेलवे स्टेशन आता है तो वहां हम 4-5 लाइन पैसेंजर की फैसीलिटी के लिए जोड़ देते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उनका सवाल यह था कि चूंकि रेलवे के फ्रेट रेट्स बहुत हाई हैं इसलिए ट्रेडर्स रेल के बजाए रोड ट्रांसपोर्ट से अपना माल भेज रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : ऐसी कोई बात नहीं है।

[अनुवाद]

श्री बसु देव आचार्य : महोदय, उन्होंने उत्तर नहीं दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि हमारे माल भाड़े की दर विश्व में सर्वाधिक है। यह एक विशिष्ट प्रश्न है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फ्रेट रेट्स हाई नहीं हैं।

श्री राम विलास पासवान : यदि माननीय सदस्य पूरी कंट्री के कमपैरीज़न की डिमांड करेंगे तो मैं उनको दे दूंगा, सभा के पटल पर करेंगे तो वहां रख दूंगा। लेकिन फ्रेट रेट्स के कारण डिमांड में कमी आई हो या हमारे पास उसके मुताबिक रैक नहीं हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।

कुमारी ममता बनर्जी : सभापति महोदय, रेल मंत्री जी ने जिस प्रश्न का उत्तर नहीं बताया, उनके पास वह सूचना जरूर है कि हमारे रेलवे में हाइक का सबसे हाईऐस्ट रेट हैं। लेकिन उन्होंने नहीं बताया।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य रेल संबंधी स्थायी समिति के सभापति हैं। वह वास्तविकता जानते हैं। मंत्री महोदय ने उत्तर को टाल दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या रेल मंत्रालय एक बार फिर माल भाड़े में वृद्धि करने जा रहा है। मंत्री महोदय पहले ही यह कह चुके हैं कि यहां तक कि वे रेल बजट के पास होने के बाद भी माल भाड़े की दरों में वृद्धि कर सकते हैं। उन्होंने तत्संबंधी विषय पर वर्ष 1974 में तत्कालीन उपाध्यक्ष के विनिर्णय का उल्लेख किया है। वे पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों और रेलभाड़े में वृद्धि करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री सभा को यह आश्वासन दें कि वे आने वाले वर्ष में आवश्यक वस्तुओं के माल भाड़े में वृद्धि नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप आगे आने वाले समय के कितनी देर के लिए उनसे आश्वासन चाहती हैं, अगले छः महीने या दो साल तक।

कुमारी ममता बनर्जी : 1997 से 1998 तक के लिए चाहती हूं।

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, श्री बसुदेव आचार्य स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं इसलिए मैं चैलेंज तो नहीं कर सकता लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि आपने जो कहा कि वर्ल्ड में सबसे हाईऐस्ट रेट है, वह नहीं है। यह तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं लेकिन कितने नम्बर पर है, वह मैं बाद में बता दूंगा।

दूसरी बात, ममता बनर्जी जी ने कहा, उनका प्रश्न था कि एक अप्रैल को दाम क्यों बढ़ गया। उसके जवाब में मैंने कहा कि यह है। मैंने यह नहीं कहा कि ऐसा बार-बार होगा और जहां तक रेलवे मिनिस्ट्री का सवाल है, अगले बजट के पहले फेयर रेट को बढ़ाने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मान्यवर, इस देश में लाखों छोटे-छोटे व्यापारी हैं, छोटे-छोटे उद्योग हैं। अब तक यह होता था कि एक उद्योगपति अपना एक वैगन का माल बनाता था, वैगन का इंडैंट रेलवे को करता था, उसको वैगन मिलता था और उसका व्यापार चलता था। अब रेलवे ने यह नीति की है कि जिनको एक रैक कम से कम पचासों वैगन का चाहिए, पहले उसको देंगे। एक व्यापारी यदि पंजाब से गेहूं खरीदकर दिल्ली लाना चाहे तो तीन लाख रुपए जमा करके एक वैगन भरता है, अपना व्यापार करता है। अब एक रैक भरने के लिए दो ढाई करोड़ रुपया होना चाहिए, इसका मतलब जो बड़े-बड़े व्यापारी हैं, उनको यह सरकार परोक्ष रूप में मदद कर रही है। छोटे व्यापारियों को, छोटे उद्योगों को बर्बाद कर रही है, इसका देश की इकोनोमी पर बहुत बड़ा असर हो रहा है। माननीय रेल मंत्री जी, क्या पूरी आपकी सरकार की नीति हो गई कि बड़े-बड़े कैपिटलिस्ट लोगों की मदद करना और गरीबों को टोटली इग्नोर करना ? आपको छोटे-छोटे उद्योगपतियों को, छोटे-छोटे

व्यापारियों को पैरों पर खड़ा करना चाहिए, यह सरकार की नीति होनी चाहिए। आप नीति में बदलाव करिए, आप मेरी इस बात पर गम्भीरता से विचार करेंगे क्या ?

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, यह कहावत है कि 'तेते पैर पसारिए, जाती लम्बी सौर', हम उतने ही पैर पसारेंगे, जितनी हमारे पास में चादर होगी। चादर हमारे पास में इतनी है कि एफ॰ सी॰ आई॰ का रैक जो होता है, एफ॰ सी॰ आई॰ जो हमको मांग करता है, उसको हम टॉप प्रायरटी पर रखते हैं। उसके बाद यदि पूरे रैक की डिमाण्ड आती है तो उसको देते हैं। उसके बाद यदि बच जाता है तो हम वैगन के हिसाब से भी चलते हैं। मेरे पास में एफ॰ सी॰ आई॰ से जो डिमांड आती है, हम उसी डिमांड को फुलफिल करने में लगे हुए हैं। और क्या कठिनाई थी, मैंने अपने रेल बजट के भाषण में बतलाई थी।

श्री दत्ता मेघे : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जहां विदर्भ, महाराष्ट्र या नांदेड़ का भाग है, जहां सन्तरे और केले के लिए सब्सिडी मिलती थी, वहां पूरा रैक आप देते थे। अभी जो बनवारी लाल जी ने कहा, वह बात सही है कि पूरा रैक नहीं जाता। काश्तकार लोग अपनी पैदावार मंडी में रखते हैं और जो बड़े लोग हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनको मिलता है तो यह जो सब्सिडी आप देते थे, सन्तरे के जो काश्तकार लोग थे, उनका माल दिल्ली आता है, आप लोगों को अच्छा सन्तरा नागपुर के लोग विदर्भ से देते हैं तो यह सब बन्द हो गया। सब्सिडी वगैरह का मामला बन्द हो गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह प्रश्न से संबंधित नहीं है। प्रश्न आवश्यक वस्तुओं के माल भाड़े में वृद्धि से संबंधित है।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : मैं यह पूछना चाहता हूं कि सन्तरे और केले के लिए जो सब्सिडी महाराष्ट्र में मिलती थी, रेलवे से जो सब्सिडी मिलती थी, वह देंगे या बन्द कर देंगे ? आपने बन्द कर दी, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं।

सभापति महोदय : अगर आपके पास जवाब है तो दीजिए।

श्री राम विलास पासवान : हमारे पास में जो एशेंसियल कमोडिटीज़ की लिस्ट है, वह लिस्ट हमने बजट भाषण में बतला दी है, उनके ऊपर छूट जारी है।

इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया को हानि

+

***464. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**

श्री इलियास आजमी :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया को गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष के दौरान अब तक कितनी हानि हुई है;

(ख) इस हानि के क्या कारण हैं और किन-किन वायुमार्गों पर हानि हो रही है;

(ग) क्या ये एअरलाइनें फिजूल खर्च कर रही हैं, और विमानों का संचालन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) से (घ) एक विवरण पत्र सदन के पटल पर रखा है।

(क) ***विवरण***

वर्ष	निवल लाभ/ (हानि)	
	एयर इंडिया	इंडियन एयरलाइन्स (करोड़ रुपयों में)
1993-94	201.90	(258.46)
1994-95	40.80	(188.73)
1995-96	(271.84)	(109.98)
1996-97	(280.00)	(24.00)
	(अनुमानित)	(अनुमानित)

(ख) नए विमानों पर ब्याज तथा मूल्यह्रास होने के कारण व्यय में वृद्धि, प्रतिस्पर्धा और प्रचालन लागत में वृद्धि होने से आय में कमी, अवतरण, हैंडलिंग और दिक्चालनात्मक प्रभारों में वृद्धि, अभियंताओं द्वारा आन्दोलन, रुपए का अवमूल्यन आदि कारणों से एयर इंडिया को हानि हुई। एअर इंडिया को यूरोपीय महाद्वीप, कनाडा, यू॰ के॰, यू॰ एस॰ ए॰, इजराइल, पूर्वी अफ्रीका, हांग-कांग, जापान को अपने प्रचालनों तथा यू॰ एस॰ ए॰ और सिंगापुर को मालवाही प्रचालनों में घाटा होता रहा है।

ए-320 विमान के बेड़े को ग्राउण्ड करने, ट्रंक मार्गों पर निजी विमान-कम्पनियों के आ जाने, विमानचालकों के नौकरी छोड़ जाने और मुद्रा विनिमय दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव प्रचालन लागतों में वृद्धि आदि के कारण इंडियन एयरलाइन्स को घाटा होता रहा है। पूर्वोत्तर भारत, जम्मू और कश्मीर, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के स्टेशनों तथा दक्षिण के कुछ स्टेशनों को जोड़ने वाले मार्गों पर इंडियन एयरलाइन्स को घाटा होता रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति महोदय, हमारे सवाल का जवाब जो लिखित जवाब में हमें मिला है, उसमें 1993-94 में तकरीबन 201.9 करोड़ रुपए का घाटा एयर इंडिया को हुआ। 1994-95 में घाटा 40.8 करोड़ का हुआ। फिर 1995-96 में दोबारा बढ़कर के

271 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया और 1996-97 में एयर इंडिया को 280 करोड़ का घाटा आया, तो यह जो जम्प है कि 201 करोड़ से नीचे गया 40 करोड़ रुपए और फिर 270 करोड़ रुपए पर आया ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : फातमी साहब, पाइंटिड सवाल पूछिए।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : मैं पाइंटिड सवाल कर रहा हूं। इसमें इन्होंने जो वजह बताई है, मैं जानना चाहता हूं कि जो वजूहात इन्होंने घाटे की दी हैं, क्या यह सही नहीं कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के अंदर स्टाफ की केपेसिटी ज्यादा है ? इसी तरह से हमारे पास जिस तरह के एयरक्राफ्ट्स होने चाहिए जैसे मीडियम केपेसिटी लांग रेंज एयर क्राफ्ट होना चाहिए, वह नहीं है, इसी तरह से 50 सीटर छोटे प्लेन, जो इंडियन एयरलाइंस के पास होने चाहिए, वे भी नहीं है, ऐसे ही लांग रूट्स पर एयर इंडिया की फ्लाइट जो बाहर जाती हैं उसमें सुविधाओं की भी कमी है। इसके अलावा हमारे हवाई जहाज ऐसे रूट्स पर चल रहे हैं जिसमें हमें नुकसान हो रहा है। क्या मंत्री महोदय इनका भी जवाब देना पसंद करेंगे ?

श्री सी. एम. इब्राहीम : माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, हालांकि बड़ा लम्बा प्रश्न है।

सभापति महोदय : प्रश्न इतना है कि आपके इक्वीप्मेंट में कमी की ओर इंगित किया है।

[अनुवाद]

क्या आप सही विमान प्राप्त करने की दिशा में कोई प्रावधान करने जा रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री सी. एम. इब्राहीम : जहां तक एयर इंडिया का सवाल है, आप देखें, 280 करोड़ रुपए का जो एस्टीमेट है, वह आखिरी है। इंडियन एयरलाइंस का 1993-94 में 258 करोड़ रुपए का लॉस था, 1994-95 में 188 करोड़ रुपए का लॉस था, 1995-96 में 109 करोड़ रुपए का लॉस था और 1996-97 में सिर्फ 24 करोड़ रुपए का लॉस रह गया। मुझे इस बात को कहते हुए खुशी हो रही है कि आने वाले साल में चाहे एयर इंडिया हो या इंडियन एयरलाइंस हो, ये घाटे में नहीं रहेंगी। हम इसको जरूर फायदे में लाएंगे, इस बात का मैं आश्वासन दे रहा हूं।

श्री पी. नामग्याल : सुनते ही आ रहे हैं।

श्री सी. एम. इब्राहीम : सुनते ही नहीं, देखिएगा भी। इस क्वार्टर में 1996-97 में 134 करोड़ रुपए का लॉस था, फिर यह 83 करोड़ तक आ गया और फिर 69 करोड़ रुपए तक आ गया। यह काम एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों के सहयोग से और जो दिशा सरकार तथा मंत्रालय ने दिखाई है, उससे सम्भव हुआ है। हम इस घाटे को और कम करेंगे। जहां एम. सी. एल. आर. का सवाल है, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के बोर्ड को सूचना दी है कि इसे जल्दी से जल्दी फैसला लेकर खरीदें। अगर मैं ज्यादा जल्दी दिखाऊं तो बाहर गलत मैसेज जाएगा। मैं सदन में पहले भी कह चुका हूं और फिर कहना चाहता हूं कि हमने बोर्ड को फुली एम्पावर्ड किया है। चाहे 15 मीटर की बात हो, चाहे एम. सी. एल. आर. की बात हो। जहां तक रूट्स की बात है, तो हमें फैसला करना होगा कि एयर इंडिया की जो फ्लाइट्स ऐसे रूट पर आपरेट की जा रही हैं जहां घाटा होता है उसको चलाना है या नहीं, या जहां फायदा मिल रहा है, वहीं चलाना है। इस बात को मैं केबिनेट के सामने ले जा रहा हूं। उसमें इस पर फैसला लिया जाएगा कि हम जो लॉस सेक्टर है वहां जहाज चलाएं या प्राफिट सेक्टर में ही चलाएं। मैं सदन को इतना आश्वासन देना चाहता हूं जब से मैंने विभाग सम्भाला है, घाटे में कमी आई है और हम नफे की तरफ जा रहे हैं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : हिन्दुस्तान के अंदर और बाहर एक बड़ी वजह रही है कि हम लोग जो जी. एस. ए. देते हैं, उसमें पुराने लोग हैं, या पुराने लोग लिए हुए हैं, वे ठीक से काम नहीं कर रहे। क्या मंत्री जी उनको बदलेंगे और विदेशों में जहां जी. एस. ए. की जरूरत है, वहां देंगे ? एक वजह और है कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में भ्रष्टाचार भी बहुत है। एयर इंडिया में कैरीब जैट एयरक्राफ्ट रेंटल पर लिया गया था उसकी जांच सी. बी. आई. को दी गई, उसमें आगे क्या कार्यवाही हुई, यह मंत्री जी बताने की कृपा करें ?

श्री सी. एम. इब्राहीम : जहां तक जी. एस. ए. का सवाल है, छः महीने पहले सारी दुनिया के जी. एस. ए. को बुलाकर एक मीटिंग पहली बार दिल्ली में हमने की थी और उसमें स्पष्ट कहा गया कि फरवरी, मार्च में हम पूरी जी. एस. ए. के परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे। जो भी जी. एस. ए. इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाएगा, उसको तुरंत हम निकालने का काम करेंगे। इसलिए मैंने कल ही अपने मंत्रालय के विभाग से आदेश दिया है कि सेक्रेटरी लेवल पर इसका फौरन रिव्यू किया जाए और जो जी. एस. ए. परफॉरमेंस ठीक नहीं दिखाएगा, उनको बदल दिया जाए। इतना ही नहीं किसी देश में जी. एस. ए. एपॉइंट करते समय उसकी 500 कि. मी. या 1000 कि. मी. के लिए एक लिमिटेशन रखें। सारे बड़े देशों के लिए सिर्फ जी. एस. ए. कोप-अप नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस बारे में भी सोच रहे हैं। जहां तक कैरीअर जैट का इंक्वायरी का कहा है, पिछले दो साल से इंक्वायरी चल रही है। मुझे आशा है कि जल्द से जल्द इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाएगी तो उस पर एक्शन लिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मेरे पास एक बहुत ही सकारात्मक सुझाव है।

सभापति महोदय : यह प्रश्न काल है। यह समय सुझाव देने का नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने की अनुमति दें। मेरा प्रश्न है कि क्या वे मेरे सुझाव से सहमत हो सकते हैं ? मेरा सुझाव अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उड़ानों में हो रहे घाटे से संबंधित है। मेरा प्रस्ताव है कि या तो आप घाटे को कम करें या लाभ कमाएं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जाने

वाली उड़ानों में क्षमता से कम यात्री जाते हैं। यदि किसी विमान की क्षमता सौ से अधिक या समझ लीजिए कि 137 है तो वे 90 से ज्यादा यात्री नहीं ले जाएंगे क्योंकि उस विमान को समुद्र के ऊपर से जाना होता है और बीच में ईंधन लेना संभव नहीं होता। उनमें धरती के ऊपर से उड़ान भरने के स्थान पर समुद्र के ऊपर से उड़ान भरने में ज्यादा ईंधन लगता है। मेरा सुझाव यह है कि जब आप क्षमता से कम यात्री ले जाते हैं तो आप क्यों नहीं एक एक्जीक्यूटिव क्लास शुरू कर देते जिसका अर्थ ही कम यात्री हैं ? आजकल बहुत से विदेशी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जाने लगे हैं। इसलिए आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जाने वाली उड़ानों में एक्जीक्यूटिव क्लास शुरू कर देनी चाहिए जिससे आप अपना घाटा कम कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम : माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया है। मैं इसे इंडियन एअर लाइंस के पास भेज दूंगा।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन : सभापति जी, मंत्री जी ने अपने जवाब में जो घाटे के कारण बताए हैं, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि कुछ रूट्स पर एअरलाइंस की फ्लाइट चल रही थी। वह घाटे में चल रही थी। उनमें से एक लाइन जम्मू एवं कश्मीर के बारे में भी इन्होंने लिखा है। जम्मू वाली फ्लाइट जो चंडीगढ़ होकर जाती थी और यह काफी समय से बंद पड़ी है। इसके अंदर अगर पैसेंजर कम होते थे तो टाइमिंग्स ठीक न होने के कारण पैसेंजर्स कम होते थे। वहां के बहुत सारे लोगों ने मंत्री जी के पास डिमाण्ड भेजी है कि अगर इसके टाइमिंग्स ठीक किए जाएं तो बहुत भारी तादाद में वहां पैसेंजर्स मिल सकते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि आपने जो घाटे के कारण दिए हैं, इस घाटे को पूरा करने के लिए आपका मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है और क्या इस संबंध में कोई हाई पॉवर कमेटी जिसमें सभी राजनैतिक दलों के अलग-अलग सांसद शामिल हों, उनको आप एक साथ बिठाकर इसके बारे में विचार-विमर्श करना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो व्यावहारिक रूप से ठीक नहीं हैं। यदि लोगों के कुछ सुझाव मान लिए जाएं, खास तौर से रूट्स और टाइमिंग्स के बारे में तो उससे भी एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स का काफी घाटा कम हो सकता है। क्या इसके बारे में आप कुछ इसको एग्जामिन करना चाहेंगे ?

श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम : जहां तक नॉर्थ-ईस्टर्न इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार और कुछ ऐसे विभाग दक्षिण में हैं जिनके बारे में याद नहीं है, क्योंकि प्लेन चलाए बिना तो हम रह नहीं सकते। इंडियन एयरलाइन्स का सोशल ऑब्लीगेशन है कि यह भारत देश की एयरलाइन्स है। चाहे जितना भी लॉस क्यों न हो, इस देश के नागरिकों को सहूलियतें देने का सबसे बड़ा फर्ज इंडियन एयरलाइन्स पर है। इसलिए इस काम से हम पीछे नहीं हटेंगे। जहां तक घाटे का संबंध है, घाटा कितना कम किया जाए, टिकट बढ़ाना होगा। नॉर्थ ईस्टर्न का एक्सीपेंडीचर जब पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर का और अगर उस प्रकार से टिकट का चार्ज हम लगाना शुरू कर दें तो कोई पैसेंजर नहीं आएगा। चाहे कितना भी घाटा क्यों न हो, वहां के लोगों की सुविधाओं के लिए यह जरूर रखेंगे और जो ट्रंक रूट्स हैं, जहां पर ज्यादा फायदा मिल रहा है, उस मुनाफे को उस घाटे में संतुलन करने की हम कोशिश कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री पिनाकी मिश्र : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि घाटा उठाने वाले और घाटा न उठाने वाले सेक्टरों के बीच विभिन्न विकल्पों की तुलना कर रहे हैं। यह झांसा देने की हद है। उनके उत्तर में यह कहा गया है कि जब एअर इंडिया यूरोपीय महाद्वीप, कनाडा, यू॰ के॰, अमरीका, इजराईल, पूर्वी अफ्रीका, हांगकांग और जापान को उड़ान संचालित करने में घाटा उठा रहा है तो फिर क्या बचा ? मेरी समझ में नहीं आता कि वे किस प्रकार के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं।

ऐसा लगता है कि एअर इंडिया को सभी संभावित मार्गों पर घाटा हो रहा है। तो जब वे यह कहते हैं कि वे इसे मंत्रीमंडल के समक्ष रखेंगे तो इसका अर्थ यह है कि कतिपय हवाई मार्ग फायदे वाले हैं और कतिपय मार्ग घाटे वाले हैं। लगता है कि एअर इंडिया के लिए सभी मार्ग घाटे वाले हैं। इस संबंध में वे वस्तुस्थिति से अवगत क्यों नहीं कराते हैं कि विश्वभर में पूरा नागर विमानन उद्योग इस बात को जानता है कि छः से आठ सप्ताह के बीच एअर इंडिया ने हमेशा अपने दो विमानों की सेवाएं अतिविशिष्ट यात्रियों तक ही सीमित कर रखी है। मैं यह तो नहीं कहता कि अतिविशिष्ट व्यक्तियों की यात्रा महत्वपूर्ण नहीं होती है। माननीय राष्ट्रपति जी को बाहर जाना होता है, और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बाहर जाना पड़ता है तो फिर एअर इंडिया को छः से आठ सप्ताह का घाटा क्यों उठाना पड़ता है ? वह वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं कर लेता है। एअर इंडिया सदैव अपने गले में फंदा क्यों डाले रहता है ? वे और विमान क्यों नहीं खरीद लेते ?

श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम : महोदय, माननीय सदस्य का पहला प्रश्न तो यह है कि घाटा क्यों होता है। यदि मैं एअर इंडिया के प्रबंध निदेशक से तत्संबंधी जानकारी माननीय संसद सदस्य को भेजने के लिए कहूं तो वे इसे भेज देंगे। इतना ही नहीं मैं तो यह चाहता हूं कि उठाए जा रहे घाटे की जानकारी परामर्शदात्री समिति के भी कुछ संसद सदस्यों को भेज दी जाए। हमने हिसाब लगाया है कि कुछ मार्गों पर वास्तव में घाटा हो रहा है। अन्य देशों के लिए उड़ानों के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि 500 लोगों वाली केवल हमारी ही उड़ाने हैं जो प्रत्येक निर्धारित उड़ान भरती है।

[हिन्दी]

28 जहाज के लिए 25 हजार आदमी हैं। ये तो हमें दहेज में मिले हुए हैं। हम इनको तो निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि सोशल ओब्लिगेशन है। यह सोशल ओब्लिगेशन हम देख रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

खाड़ी देशों के मार्ग फायदे मंद हैं। हमारा मास्को वाला मार्ग भी लाभप्रद है। जकार्ता जाने वाला हवाई मार्ग भी लाभकारी है। तो इन तीन रूटों से क्या होता है, जबकि यूरोपीय और अन्य देशों के लिए हवाई मार्ग भी हैं जो घाटे वाले हैं। इसलिए मैंने एअर इंडिया बोर्ड से उन देशों का पता लगाने के लिए कहा है जिनसे उन्हें घाटा हो

रहा है। क्या हमें उस देश के लिए विमान चलाना चाहिए या वाणिज्यिक दृष्टि से हमें इसे बंद कर देना चाहिए ?

अत: मैं इसे मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

श्री पिनाकी मिश्र : मंत्री महोदय, क्या आप यूरोप और अमरीका जाने वाली उड़ानों को रोक सकते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप यूरोप और अमरीका जाने वाली उड़ानों को रद्द नहीं कर सकते हैं। ऐसा करना संभव नहीं है। मेरे कहने का अर्थ है कि आप जापान, यूरोप और अमरीका की उड़ानों को कैसे बंद कर सकते हैं ? यह तो एक असाधारण सुझाव है। इसका अर्थ तो यह निकला कि आप केवल खाड़ी के देशों और जकार्ता के लिए ही उड़ान भरेंगे। यह उत्तर सुनकर मैं आश्चर्य में पड़ गया हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब हम अगले प्रश्न पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस प्रश्न से संबंधित पहले ही हमारे पास चार अनुपूरक प्रश्न आ चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : महोदय, मैं विलय की बात कहना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : तो यह अंतिम अनुपूरक प्रश्न है। जी हां, भूतपूर्व वायु सेना अधिकारी श्री राजेश पायलट को एक मौका दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट : सभापति महोदय, मर्जर की बात बहुत दिनों से चल रही है। आर्ग्युमेंट्स दिए जाते हैं कि आपरेशनल लॉसेस को कट करने के लिए, कम करने के लिए, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के मर्जर की बहुत जरूरत है। जो भी हमारे साथी यहां मंत्री महोदय के रूप में रहे हैं, सभी ने इसको प्रायोरिटी दी है। मैं यह जानना चाहता हूं, मर्जर में क्या प्रोग्रेस है और क्या कारण है कि मर्जर नहीं हो पा रहा है ? दोनों जगहों पर टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन होने से आपरेशनल कॉस्ट बढ़ रही है और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बढ़ रही है। अगर मर्जर होता है, तो इसमें कमी आती है। मैं इस बारे में सरकार का विचार जानना चाहता हूं ?

दूसरी बात मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, बोर्ड्स में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के प्रोफेशनल्स को कितनी अहमियत देते हैं और साथ ही बोर्ड्स में कितने रिटायर्ड पायलट्स, कितने इंजीनियर्स, कितने एयर-ट्रैफिक कन्ट्रोलर्स तथा कितने आपरेशनल्स ट्रेड पीपल हैं,

[अनुवाद]

आपको कौन राह दिखा सकता है ?

यदि बोर्ड में आप राजनीतिज्ञों को रखते हैं या अपने लोगों को रखते हैं तो कौन है जो यह नहीं जानता कि विमान कैसे उड़ता है, वे बोर्ड को कैसे गाइड कर सकते हैं ? क्या बोर्ड द्वारा कार्यान्वयन के लिए दिए गए मार्ग निर्देश आपके पास हैं ?

तीसरी बात मंत्री जी ने यह कही है कि उन्होंने प्रत्येक विभाग में लाभ कमाया है।

[हिन्दी]

ये वही विभाग लेते हैं, जिनमें फायदा होता है। घाटे के विभाग नहीं लेते हैं। इन्फार्मेशन ब्रॉड कास्टिंग और सिविल एविएशन जैसे विभाग लेते हैं, ये पावर सैक्टर का विभाग लें और उसमें फायदा दिखाएं। प्रधान मंत्री जी से कहें कि वे इनको पावर सैक्टर का विभाग और सर्फेस ट्रांसपोर्ट का विभाग दें।

श्री सी. एम. इब्राहीम : सभापति महोदय, जहां तक मर्जर का प्रश्न है, आपको जानकर खुशी होगी कि इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के मर्जर के लिए चेयरमैन और एम. डी. का मर्जर तो जरूर किया है।

पहले चेयरमैन अलग होता था, एम. डी. अलग होता था। आज एम. डी. और चेयरमैन एक ही आदमी को बनाया। इससे कम से कम 31 लाख रुपए साल के बच रहे हैं और इससे ज्यादा समय बच रहा है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : 30 लाख रुपए बच गए।

[अनुवाद]

क्या आपके कहने का अर्थ यह है कि दो पदों का विलय करके आपने 30 लाख रुपए की बचत की है ?

श्री सी. एम. इब्राहीम : जो मैंने आपको बताया है वह मोटे तौर पर बताया है।

[हिन्दी]

मैं यह एक रफ एस्टीमेट कह रहा हूं कि इतना ही है। मैं पूरा निश्चित एस्टीमेट नहीं कह सकता, लेकिन काफी पैसा बचा है। *...(व्यवधान)* दूसरी बात यह है कि जो बोर्ड कांस्टीट्यूट किया है *... (व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : यह मर्जर कब करोगे ?

[अनुवाद]

श्री सी. एम. इब्राहीम : मैं इस समय मर्जर के बारे में आपको निश्चित रूप से नहीं बता सकता। लेकिन विचार यह है कि जहां तक बोर्ड तथा विभाग का सवाल है

[हिन्दी]

ये दोनों विभाग 25-25 हजार कर्मचारियों के विभाग हैं। इसको एक ही डिसीजन में एट ए टाइम मर्जर करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन हम उस स्टेप्स में उस तरफ जा रहे हैं। हमने कदम उठाया है।

[अनुवाद]

पहली बार मुझे एक बहुत ही अच्छा प्रबंध निदेशक मिला है जिसे मैंने अध्यक्ष बनाया है। अब वह अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं।

[हिन्दी]

इसलिए आप देख रहे हैं कि 1993 में जो 250 पर आठ करोड़

का लॉस था वह 1997 में 24 करोड़ है और मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इस साल या अगले साल में

[अनुवाद]

यह लाभ की ओर अग्रसर होगा।

बोर्ड के गठन के बारे में आपको यह बताना है कि हमने उसमें किसी राजनीतिज्ञ को मनोनीत नहीं किया है। निचले स्तर से आई सिफारिशों के आधार पर हमने एअर इंडिया और इंडियन एअर लाइंस बोर्डों का गठन किया है।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, यह बहुत ही स्पेसिफिक प्रश्न था कि क्या बोर्ड में कोई तकनीकी विशेषज्ञ, विमान चालक या कोई इंजीनियर भी है ? क्या बोर्ड में कोई तकनीकी विशेषज्ञ भी है ?

श्री सी. एम. इब्राहीम : उसमें पर्यटन और होटल उद्योग के व्यवसायी हैं। हिन्दुस्तान एअरोनोटिक्स लिमिटेड के श्री शर्मा जी बोर्ड के चेयरमेन हैं।

श्री राजेश पायलट : क्या एक विशेष अतिथि के रूप में ?

श्री सी. एम. इब्राहीम : नहीं, वह बोर्ड के सदस्य हैं। विशेष अतिथि के रूप में हम तीन अनिवासी भारतीयों को लेना चाहते थे परन्तु ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी मैंने एअर इंडिया और इंडियन एअर लाइन्स के बोर्डों को अपने-अपने कम्पनी संबंधी कानूनों में ऐसा प्रावधान करने के लिए कहा है ताकि वे बोर्ड में अनिवासी भारतीयों को बुला सकें।

श्री राजेश पायलट : आप बोर्ड में वरिष्ठ पायलटों और वरिष्ठ इंजीनियरों को क्यों नहीं रखते ? वे आपका मार्ग दर्शन करेंगे।

सभापति महोदय : ऐसा लगता है कि अनेक सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं परन्तु समय इसकी इजाजत नहीं देता। यदि वे चाहें तो कोई एक सदस्य आधे घंटे की चर्चा की मांग कर सकता है और उसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध कर दूंगा।

अब अगले प्रश्न पर आइए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इस आधे घंटे की चर्चा का क्रम बारहवां होगा और इस पर चर्चा नहीं हो पाएगी।

सभापति महोदय : यह भी संभव है। इसे अगले सत्र में उठाया जा सकता है।

[हिन्दी]

पंचायतों को एस. टी. डी. सुविधा दिया जाना

***465. श्री बची सिंह रावत "बचदा"** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना देश की सभी पंचायतों में एस. टी. डी. सुविधा उपलब्ध कराने की है ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में अब तक कितने गांवों में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) देश की सभी पंचायतों में एस. टी. डी. सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है ?

[अनुवाद]

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) सरकार की ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वी. पी. टी.) पर, जहां कहीं प्रशासनिक तथा तकनीकी रूप से व्यवहार्य है, एस. टी. डी. सुविधा प्रदान करने की योजना है।

(ख) आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

(ग) सरकार की यह योजना है कि जिन एक्सचेंजों से ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन कार्य कर रहे हैं उन सभी एक्सचेंजों को नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक एस. टी. डी. सुविधा प्रदान कर दी जाए।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : माननीय सभापति जी, मेरे द्वारा विशेष रूप से जो स्पेसिफिक प्रश्न पूछा गया था वह देश के और विशेष रूप से देश के पहाड़ी क्षेत्रों में पंचायतों में एस. टी. डी. सेवा के बारे में पूछा गया था। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह केवल ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वी. पी. टी.), और उसी में केवल एस. टी. डी. सुविधा के बारे में कहा गया है। लेकिन पूछा यह गया था कि क्या देश भर की सारी पंचायतों के बारे में एस. टी. डी. सुविधा उपलब्ध कराने की कोई योजना है तो इस प्रश्न का स्पेसिफिक उत्तर नहीं आया है। मेरा विशेष रूप से यह कहना है, जहां इन्होंने अपने उत्तर में यह दिया है कि जिन एक्सचेंजों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन काम कर रहे हैं वहां नौवीं पंचवर्षीय योजना तक एस. टी. डी. सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। मैंने विशेष रूप से जो पहाड़ी क्षेत्र का उल्लेख किया था उसमें भी उत्तराखंड का क्षेत्र है। उसमें स्थिति यह है कि कोई भी एक्सचेंज ग्रामीण क्षेत्र में सही ढंग से काम नहीं कर रहा है।

और जितनी भी टेलीफोन की लाइनें हैं वे सारी की सारी अस्त-व्यस्त अवस्था में हैं। मेरा सप्लीमेंटरी यह है कि क्या जो एग्जिस्टिंग टेलीफोन एक्सचेंज हैं जिनके लिए आप कहते हैं कि एस. टी. डी. सुविधा देंगे, वे तथा जो उनका इन्फ्रास्ट्रक्चर है क्या उसको केन्द्र की सरकार ठीक कराने की विशेष योजना बनाएगी ?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : मैंने पहले भी अर्ज किया है कि सरकार का सभी पंचायतों को टेलीफोन सुविधा से जोड़ने का निर्णय है।

सभापति महोदय : यह टेलीफोन सुविधा की बात नहीं कर रहे हैं, ये एस. टी. डी. की बात कर रहे हैं।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक जितने भी एक्सचेंजिज शहरों और गांवों में होंगे, हम सभी को एस. टी. डी. सुविधा देंगे।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : माननीय मंत्री जी ने जहां यह कह दिया कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक हम सुविधा देंगे

तो 1996-97 तक जो एक्सचेंज काम कर रहे हैं उनमें यह एस॰ टी॰ डी॰ की सुविधा देंगे या नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक जितने एक्सचेंज बनेंगे उनमें भी यह सुविधा उपलब्ध कराएंगे। उनमें कितना वित्तीय प्रबंधन धनराशि का माननीय मंत्री जी करेंगे, इसका भी उत्तर देने की कृपा करें।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : देश में 3 लाख 37 हजार अन-कवर्ड गांव हैं। हमारा फैसला 2 लाख 39 हजार देहातों को टेलीफोन और एस॰ टी॰ डी॰ देने का है। राशि का जहां तक संबंध है तो जितनी राशि की जरूरत होगी, उसका बंदोबस्त हो जाएगा।

श्री नवल किशोर राय : अभी गांव और पंचायतों को सार्वजकि टेलीफोन देने की बात मंत्री जी ने कही है। मैं बिहार के सीतामढ़ी से आता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी "मार" सिस्टम का टेलीफोन जो पंचायत या गांव में सार्वजनिक रूप में लगा हुआ है काम नहीं कर रहा है। पूरा सदन इस बात की जानकारी हासिल कर सकता है। जितने भी "मार" टॉवर लगे हैं वे केवल टॉवर हैं उनसे बात आप नहीं कर सकते हैं। आप दिल्ली से देश की किसी भी पंचायत से बात करके देख सकते हैं, इस समय देश में कहीं भी बात नहीं हो रही है, केवल "मार" सिस्टम का टॉवर लगा हुआ है। सभापति जी, आपके माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि मंत्री जी केवल फिगर्स ही देते रहेंगे या इस विषय में कुछ करेंगे भी।

सभापति महोदय : आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है, इसे लम्बा मत करो।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : माननीय सदस्य शायद किसी तल्ख तजूर्बे की बिना पर ऐसा कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ठीक है। आप बैठ जाइए। प्रो॰ चन्दूमाजरा जी कृपा करके बैठ जाइए;

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : मुझे बात कहने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप उनको बोलने का मौका दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए॰ सी॰ जोश : महोदय, वह संबंधित मंत्री नहीं हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया उन्हें उत्तर देने का मौका दीजिए। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

प्रो॰ रासा सिंह रावत : सभी ग्राम पंचायतों के टेलीफोन खराब पड़े हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : मुझे बहुत जरूरी बात कहनी है। इसलिए मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री कनौजिया जी कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : बेनी प्रसाद वर्मा जी अनुपस्थित हैं। चूंकि इस प्रश्न पर हल्ला होना था, इसलिए इनके गले में फंदा लटका गए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : आप मेरी बात तो सुनिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपको बोलने का मौका देने वाला था।

(व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : आप मेरी अर्ज सुनिए। मैं बहुत जरूरी बात कहने जा रहा हूं। दो मुद्दों पर माननीय सदस्य उत्तेजित हुए। चूंकि एक-एक सदस्य के दिल में गांव के लिए दर्द और प्यार है। इसलिए वे गांवों के बारे में उत्तेजित हुए ...*(व्यवधान)* मुझे बात कहने दीजिए। चूंकि माननीय सदस्यों के दिल में गांव के लोगों के प्रति मोहब्बत है। इसलिए वे उत्तेजित हो गए। दूसरी बात यह है कि जो टेलीफोन लगे हैं, चूंकि वे खराब रहते हैं, इसलिए माननीय सदस्य उत्तेजित हुए। ... *(व्यवधान)* अब मेरी बात भी सुनिए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री कनौजिया जी कृपया शान्त रहें, आप कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : कनोजिया जी, अगर आप मेरी जगह हों और इस तरह शोर हो तो क्या आप जवाब दे सकेंगे ? मुझे जवाब देने दीजिए। ...*(व्यवधान)* मैं ऐसा जवाब दूंगा जिसे सुनकर आप खुश होंगे। ...*(व्यवधान)* अब तो मेरी बात सुनिए। सभापति महोदय, सदन में इस मामले को लेकर बहुत गम्भीरता दिखाई गई है। हमने इस बारे में चार कदम एकदम उठाए जिससे ये टेलीफोन काम करें, उनमें गड़बड़ न हो, फौरन संदेश पहुंचे और उसमें तेजी आए। ...*(व्यवधान)* आप मुझे बोलने नहीं देते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बेनी प्रसाद जी नहीं हैं। मैं भी तो मंत्री हूं। मैं इसका जवाब दे रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री सनत मेहता : हमने यह कभी नहीं कहा कि आप मंत्री नहीं हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा में व्यवस्था होनी चाहिए। मंत्रिमण्डल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। संचार मंत्री ने श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया

को उत्तर देने के लिए प्राधिकृत किया है। हमें उन्हें उत्तर देने का मौका देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : समय हो रहा है। आप मेरी बात सुन लीजिए। आपने आम खाने हैं या पेड़ गिनने हैं। ...*(व्यवधान)* आप मुझे बोलने दीजिए। पहला, हमने चार गुना चैकिंग बढ़ा दी है। दूसरा, हमने कम्प्यूटर के जरिए फॉल्टी यूनिट्स के रिपेयर को तेज किया है। तीसरा, हमने मॉनिटरिंग सिस्टम को तेज किया है। चौथा, हमने नए रिपेयर सैंटर्स खोले हैं। इससे काम में तेजी आएगी। ...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

मोबाइल टेलीफोन सुविधाएं

***463. श्री आर. एल. पी. वर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे शहरों की राज्य-वार संख्या कितनी है, जहां "मोबाइल टेलीफोन" सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि "मोबाइल कम्पनियां" विभिन्न स्थानों पर अपने उपभोक्ताओं से अधिक धन वसूल कर रही हैं, और

(ग) विभिन्न राज्यों और शहरों में मोबाइल फोनों की दरों में कितना अन्तर है और इसका आधार क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) देश के जिन शहरों में लाइसेंस-धारक कंपनियों द्वारा प्रदान की गई सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रचालित है, उनकी संख्या विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) सरकार ने सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लिए, विवरण-II में यथा-उल्लिखित अधिकतम टैरिफ निर्धारित किया है। सेवा प्रदाताओं को अनुमति दी गई है कि वे उपभोक्तओं से अधिकतम टैरिफ से कम टैरिफ वसूल कर सकते हैं। वसूल किया गया वास्तविक टैरिफ, प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप, स्थान-स्थान पर और कंपनी-दर-कंपनी भिन्न हो सकता है।

विवरण-I

जिन शहरों में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा उपलब्ध है-राज्यवार

क्र. सं.	राज्य	जिन शहरों के लिए अनंतिम स्वीकृति दी गई है
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद, गुण्टूर और विजयवाड़ा
2.	गुजरात	अहमदाबाद और गांधीनगर
3.	हरियाणा	सोनीपत, पानीपत, करनाल, अम्बाला और यमुना नगर
4.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
5.	कर्नाटक	बंगलौर
6.	केरल	कोचीन, कोझिकोडे, त्रिचूर और तिरूअनंतपुरम्
7.	मध्य प्रदेश	इंदौर
8.	महाराष्ट्र	पुणे, नागपुर, नासिक, अहमदनगर, मुंबई और कल्याण
9.	तमिलनाडु	कोयंबटूर, चेन्नई मराईमलाई नगर मिंबूर और महाबलीपुरम्
10.	उत्तर प्रदेश	कानपुर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, नोएडा, मुरादाबाद, और रामपुर
11.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	दिल्ली
12.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता

विवरण-II

सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लिए अधिकतम टैरिफ

टैरिफ

1. सेवा के लिए मासिक किराया - 156/-रू. प्रति माह
2. प्रतिभूति जमा राशि - 3000/-रू.
3. संस्थापना प्रभार - 1200/-रू.
4. **कॉल प्रभार :**

4.1 मोबाइल उपभोक्ता द्वारा की जाने वाली कॉलों के लिए :-

एयर टाइम प्रभार 10 सैकण्ड प्रति यूनिट कॉल की दर से तथा स्थानीय, एस. टी. डी. और आई. एस. डी. कॉलों के लिए स्थिर नेटवर्क हेतु यथा लागू कॉल प्रभार। एक ही सेल्यूलर सेवा क्षेत्र के भीतर मोबाइल से मोबाइल को किए गए कॉलों के लिए केवल एयर टाइम प्रभार वसूल किए जाएंगे।

4.2 मोबाइल उपभोक्ता को आने वाली कॉलों के लिए :

एयर टाइम प्रभार 10 सैकण्ड प्रति यूनिट कॉल के लिए वसूल किया जाएगा। यदि मोबाइल उपभोक्ता आने वाले कॉल को 5 सैकण्ड के भीतर खत्म कर लेता है, तो उससे कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा।

5. टैरिफ संबंधी टिप्पणियां :

5.1 मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए कॉल अवधि एयर टाइम आधार पर होगी।

5.2 इस एयर टाइम यूनिट कॉल का प्रभार दूरसंचार विभाग के स्थिर नेटवर्क के अधिकतम स्लैब (इस समय 1.40 रू. प्रति यूनिट) पर लागू यूनिट दर से लिया जाएगा। सभी कॉलों के लिए यूनिट दर उपर्युक्तानुसार ही लागू होंगी और किसी प्रकार की टेलीस्कोपिक दरें नहीं हैं।

5.3 व्यस्तम घंटों के दौरान एयर टाइम के लिए कॉल प्रभार की निर्धारित

दरें वे होंगी जो ऊपर पैरा 4 में निर्धारित दरों के दोगुने से अनधिक हों। व्यस्ततम घंटे प्रति दिन अधिकतम 4 घटों तक सीमित होंगे। व्यस्ततम घंटे और इन घंटों के दौरान एयर टाइम कॉल प्रभार लाइसेंस-धारक द्वारा दूरसंचार प्राधिकारी के परामर्श से तय किए जा सकते हैं।

5.4 रविवार और 3 राष्ट्रीय अवकाशों (15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्तूबर) के दौरान एयर टाइम हेतु कॉल प्रभार ऊपर पैरा 4 में निर्धारित दरों का आधा होगा।

5.5 मोबाइल उपभोक्ता से स्थिर नेटवर्क को किए जाने वाले कॉलों के लिए लाइसेंसधारक मोबाइल उपभोक्ता से कॉल के समय और दिन के अनुसार दूरसंचार प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दरों पर प्रभार वसूल करेगा। ऐसी कॉलों के लिए यूनिट दर, दूरसंचार विभाग के स्थिर नेटवर्क की अधिकतम स्लैब दर (इस समय 1.40 रुपए) होगी। सभी कॉलों के लिए यूनिट दर उपर्युक्तानुसार लागू होंगी और कोई टेलीस्कोपिक दरें नहीं हैं।

5.6 एयर टाइम में कोई नि:शुल्क कॉलें नहीं हैं।

5.7 स्थिर नेटवर्क से मोबाइल को की जाने वाली कॉलों के लिए, मोबाइल उपभोक्ता से एयर टाइम वसूल किया जाएगा और दूरसंचार विभाग, सेल्यूलर प्रचालक को कोई अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करेगा। एयर टाइम प्रभार सेल्यूलर प्रचालक द्वारा वसूल किए जाएंगे।

5.8 मोबाइल से मोबाइल कॉल के लिए, कॉल करने वाली और कॉल प्राप्त करने वाली दोनों पार्टियों से प्रभार लिया जाएगा।

6. सभी प्रकार की टैरिफ वृद्धि हेतु दूरसंचार प्राधिकारी और/अथवा इसके उत्तराधिकारी का पूर्व अनुमोदन लेना होगा।

7. किराए में उपभोक्ता के टर्मिनल उपकरण (मोबाइल हैंड-सैट) की लागत शामिल नहीं है। उपभोक्ता को स्वतंत्रता है कि वह अपना टर्मिनल उपकरण किसी भी स्रोत से खरीदे।

[अनुवाद]

दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी इक्विटी

***466. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने दूरसंचार क्षेत्र में परियोजनाओं के निर्माण के लिए 50% तक विदेशी इक्विटी की स्वत: स्वीकृति प्रदान करने की पेशकश की है;

(ख) क्या दूरसंचार क्षेत्र में निजी उद्यमियों को शामिल करने की इजाजत दिए जाने के बाद भारत में दूरसंचार क्षेत्र में अधिकतम 49% विदेशी इक्विटी की भी अनुमति दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या दूरसंचार परियोजनाओं में विदेशी निवेश आमंत्रित करते समय सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि परियोजनाओं के निर्माण के लिए आपेक्षित सम्पूर्ण पूंजीगत समान के आयात की भी अनुमति प्रदान की जाएगी जिसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी;

(घ) क्या दूरसंचार उपकरणों पर सीमा शुल्क को भी, जो वर्ष 1992 में 95 प्रतिशत था, कम करके वर्ष 1996 में 40 प्रतिशत कर दिया गया है, और

(ङ) उन विदेशी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें भारत के साथ दूरसंचार समझौता करने की अनुमति दी गई है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) सरकार ने दूरसंचार के क्षेत्र में विनिर्माण परियोजनाओं में 51% तक विदेशी इक्विटी के स्वत: अनुमोदन की अनुमति दे दी है।

(ख) सरकार ने इस समय बुनियादी टेलीफोन, सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन, रेडियो पेजिंग, वी-सैट और पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विसेज में अधिकतम 49% की विदेशी इक्विटी की अनुमति दी है निम्नलिखित मूल्यवर्धित सेवाओं के संबंध में 51% की विदेशी इक्विटी की अनुमति है :-

- इलेक्ट्रानिक मेल
- वायस मेल
- आन लाइन इन्फारमेशन तथा डाटा बेज रिट्राईबल
- आन लाइन इनफारमेशन और अथवा डाटा प्रोसेसिंग
- संवर्धित/मूल्यवर्धित फेसिमाइल सेवाएं जिनमें स्टोर और फारवर्ड स्टोर और रिट्राइव शामिल है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी हां, दूरसंचार उपकरणों के संबंध में बुनियादी सीमा शुल्क 1992 में 95% था जिसे 1996 में घटाकर 40% कर दिया गया है।

(ङ) दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण और दूरसंचार सेवाओं का प्रावधान करने वाली भारतीय कम्पनियों के साथ जिन प्रमुख विदेशी कम्पनियों को करार करने के लिए अनुमति दी गई थी, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

प्रमुख विदेशी कंपनियों की सूची जिन्हें भारतीय कंपनियों के साथ करार करने की अनुमति प्रदान की गई है।

क. दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र

क्र॰ स॰	विदेशी कंपनी		उपस्कर
1	2		3
1.	क्रोन ए॰ जी॰ जर्मनी	—	मुख्य वितरण फ्रेम उत्पाद
2.	डी॰ एस॰ सी॰ कम्यूनिक ए/एस॰, डेनमार्क	—	संचारण

1	2		3
3.	एन० ई० सी० कार्पोरेशन, जापान	—	स्विचिंग संचारण
4.	सैमसंग इलेक्ट्रोनिक्स कं० लि० कोरिया	—	स्विचिंग, ई० पी० ए० बी० एक्स० फैक्स, संचारण
5.	एरिक्सन, स्वीडन	—	स्विचिंग
6.	केसियो टेलीकॉम लि०, जापान	—	पेजर
7.	ए० एफ० सी० हारेस मल्टीमीडिया कॉम (पी) लि०, मारीशस	—	संचारण
8.	फुजिकुरा लि०, जापान	—	टेलीकॉम केबल्स
9.	अल्काटेल-सी० आई० टी०, फ्रास	—	स्विचिंग
10.	सीमेन्स एजी, जर्मनी	—	स्विचिंग, संचारण
11.	सिमोको इंटरनेशनल लि०, यू० के०	—	रेड़ियो ट्रंकिंग
12.	हिटाची केबल लि०, जापान	—	टेलीकॉम केबल्स
13.	लूसेन्ट टेक्नॉलाजीस आई० एन० टी० एल०, यू० एस० ए०	—	स्विचिंग, संचारण
14.	फुजित्सु लि० जापान	—	स्विचिंग, संचारण
15.	मोटोरोला रंक, यू० एस० ए०	—	पेजर, संचारण, रेडियो ट्रंकिंग

ख. दूरसंचार सेवा क्षेत्र

क्र० स०	विदेशी कंपनी		सेवा
1	2		3
1.	टेल्स्ट्रा कार्पोरेशन लि०, आस्ट्रेलिया	—	सेल्यूलर मोबाइल
2.	बेल कनाडा इंटरनेशनल इंका, कनाडा	—	सेल्यूलर मोबाइल
3.	फ्रांस टेलीकॉम, फ्रांस	—	रेडियो पेजिंग सेल्यूलर मोबाइल
4.	फर्स्ट पेसिफिक कंपनी लि०, हांगकांग	—	सेल्यूलर मोबाइल
5.	हचीसन टेलीकम्यूनिकेशन्स, हांगकांग	—	सेल्यूलर मोबाइल रेडियो पेजिंग
6.	ए० बी० सी० कंम्यूनिकेशन्स लि०, हांगकांग	—	रेडियो पेजिंग
7.	बेजेक, इजराइल	—	सेल्यूलर मोबाइल बुनियादी दूरसंचार
8.	स्टेट इंटरनेशनल एस० पी० ए०, इटली	—	सेल्यूलर मोबाइल
9.	इटोचू कार्पोरेशन, जापान	—	रेडियो पेजिंग सेल्यूलर मोबाईल बुनियादी दूरसंचार
10.	कोरिया टेलीकॉम लि०, कोरिया	—	रेडियो पेजिंग
11.	कोरिया मोबाइल टेलीकॉम कार्पो : कोरिया	—	रेडियो पेजिंग
12.	मिलीकाम इंटरनेशनल एस० ए० लक्समबर्ग	—	सेल्यूलर मोबाइल
13.	टेलीकॉम मलेशिया बी० एच० डी० मलेशिया	—	सेल्यूलर मोबाइल
14.	टेली सिस्टम लि०, मलेशिया	—	रेडियो पेजिंग
15.	ए० टी० एण्ड टी० सेल्यूलर प्राइवेट लि०, मारीसस	—	सेल्यूलर मोबाइल
16.	मोटरोला इंडिया नेटवर्क्स लि० मारीसस	—	सेल्यूलर मोबाइल
17.	डिस्टाकम कम्यूनिकेसन्स (इंडिया) लि०, मारीसस	—	सेल्यूलर मोबाइल

1	2		3
18.	बेल अटलांटिक आफशोर मारीसस लि॰ मारीसस	—	बुनियादी दूरसंचार
19.	यू॰ एस॰ वेस्ट सेल्यूलर इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी, मारीसस	—	सेल्यूलर मोबाइल
20.	नैनेक्स इन्टरनेशनल इण्डिया लि॰, मारीसस	—	सेल्यूलर मोबाइल बुनियादी दूरसंचार
21.	ई॰ एम॰ टेल लि॰, मारीसस	—	सेल्यूलर मोबाइल
22.	बेल कनाडा इन्टरनेशनल इंक मारीसस	—	सेल्यूलर मोबाइल
23.	सी॰ सी॰ आई॰ आई॰ (मारीसस) इंक मारीसस	—	सेल्यूलर मोबाइल
24.	स्विस टेलीकॉम पी॰ टी॰ टी॰, स्विटजरलैण्ड	—	सेल्यूलर मोबाइल
25.	स्टेट इन्टरनेशनल नीदरलैण्ड्स, नीदरलैण्ड	—	सेल्यूलर मोबाइल, बुनियादी दूरसंचार
26.	पी॰ टी॰ टी॰ टेलीकॉम, बी॰ वी॰ नीदरलैण्ड	—	रेडियो पेजिंग
27.	निझोल्ट टेलीकम्यूनिकेशस बी॰ वी॰ नीदरलैण्ड	—	वायस मेल
28.	बी॰ टी॰ (नीदरलैण्ड्स) होल्डिंग्स बीवी	—	वी॰ एस॰ ए॰ टी॰
29.	फिलीपीन्स वायलेस इंक फिलीपीन्स	—	सेल्यूलर मोबाइल
30.	ई॰ जी॰ काल कम्यूनिकेशन्स लि॰ फिलीपाइन	—	रेडियो पेजिंग
31.	मारकोनी, पुर्तगाल	—	वी॰ एस॰ ए॰ टी॰
32.	सिंगापुर टेलीकाम इन्टरनेशनल पी॰ टी॰ ई॰ लि॰ सिंगापुर	—	सेल्यूलर मोबाइल
33.	टेलिया इन्टरनेशनल स्वीडन	—	सेल्यूलर मोबाइल रेडियो पेजिंग
34.	जसमिन इन्टरनेशनल पब्लिक कम्पनी लि॰ थाईलैण्ड	—	सेल्यूलर मोबाइल
35.	शाइन वत्रा इन्टरनेशनल पब्लिक कम्पनी लि॰ थाइलैण्ड	—	सेल्यूलर मोबाइल
36.	एयरटच इन्टरनेशनल, यू॰ एस॰ ए॰	—	सेल्यूलर मोबाइल
37.	आलटेल, यू॰ एस॰ ए॰	—	बेसिक टेलीकॉम
38.	स्प्रिन्ट, यू॰ एस॰ ए॰	—	ई॰ मेल
39.	बेलसाउथ इन्टरनेशनल (एशिया/ पैशिफिक) इन्क, यू॰ एस॰ ए॰	—	सेल्यूलर मोबाइल
40.	एल॰ सी॰ सी॰, इन्क, यू॰ एस॰ ए॰	—	सेल्यूलर मोबाइल

[हिन्दी]

पालम में नए टर्मिनलों का निर्माण

***467. श्री जय प्रकाश अग्रवाल :**

श्री कृष्ण लाल शर्मा:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विमान यात्रियों और विमानों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में पालम हवाई अड्डे पर कुछ और नए टर्मिनलों का निर्माण करने संबंधी कोई प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है; और

(घ) इन टर्मिनलों पर खर्च होने वाली संभावित धनराशि का ब्यौरा क्या है और इन टर्मिनलों के कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 715 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के अन्तर्राष्ट्रीय यात्री टर्मिनल 2 बी के निर्माण हेतु एक साध्यता रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और परियोजना को पूरा होने में कार्य सौंपे जाने की तारीख से 36 माह का समय लगेगा। उक्त प्रस्ताव के संबंध में लोक निवेश बोर्ड तथा मंत्रिमंडल से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

वायुपत्तनों का निजीकरण करने के लिए विदेशी इक्विटी

***468. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**

डॉ. एम. जगन्नाथ :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय निर्मित परिचालन अंतरण सिद्धांत पर विमान पत्तनों का निजीकरण करने के लिए शत-प्रतिशत विदेशी इक्विटी की अनुमति देने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रणाली को वायु परिवहन सेवा में भी शुरू करने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां। इस विषयक एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) तत्संबंधी तौर तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अपूर्ण रेल परियोजनाएं

***469. डॉ. रमेश चन्द्र तोमर :**

श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 100 करोड़ रुपए से अधिक वाली रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें लक्षित समय-सीमा में पूरा नहीं किया जा सका है तथा इनमें से प्रत्येक परियोजना को पूरा किए जाने संबंधी लक्षित तिथि संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) अपनी लक्षित समय-सीमा में पूरी न हो पाने वाली परियोजनाओं पर आने वाली अधिक लागत का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली उन परियोजनाओं की सूची जिनकी लागत में वृद्धि हो गई है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	लागत		लक्ष्य		मौजूदा स्थिति
		मूल	प्रत्याशित	मूल	संशोधित	
1	2	3	4	5	6	7
नई लाइन						
1.	जोगीघोपा गुवाहाटी	427	635	6/96	12/98	यह कार्य प्रगति पर है। विलंब दो पायों को स्थापित करने में तकनीकी समस्याओं के कारण हुआ है। जोगीघोपा-गोलपाडा के लिए लक्ष्य-दिसंबर, 97 और शेष के लिए दिसंबर, 98 है।
2.	तालचेर-संबलपुर	220	337	12/95	12/97	तालचेर-अंगुल और संबलपुर-माणेश्वर खंड को पूरा कर गया है, शेष कार्य प्रगति पर है। 97-98 के भीतर किए जाने का लक्ष्य है।
3.	जम्मू-उधमपुर	195	327	3/97	12/99	जम्मू-वजलता खंड पूरा कर लिया है। शेष भाग में प्रगति पर है और दिसंबर, 99 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। यहां पर विलंब, कानून और व्यवस्थापीठ तथा ठेकों में समस्याओं के कारण हुआ है।

1	2	3	4	5	6	7
4.	गुना-ईटावा	158	256	निर्धारित नहीं	03/02	कार्य प्रगति पर है। गुना-खजूरी एवं पणिहार-सनिचरा कर दिया गया है। खजूरी एवं सनिचरा-भिंड के लिए लक्ष्य दिसम्बर, 98 है।
5.	गोधरा-इंदौर देवास मकसी	297	297	निर्धारित नहीं	नहीं	देवास-मकसी खंड पर कार्य प्रगति पर है और दिसंबर, 99 तक पूरा कर लिया जाएगा।
आमान परिवर्तन						
6.	गुंटूर-गुंतकल-कल्लूरू	216	367	12/98	12/98	नांदियाल-गुंतकल को 31.3.97 को पूरा कर लिया गया। शेष खंड को 31-12-98 तक पूरा किया जाएगा।
7.	मुदखेड-आदिलाबाद	108	110	12/95	3/98	इस कार्य को "बोल्ट" के अंतर्गत आरंभ किया गया है और अब मार्च, 98 तक पूरा कर लिए जाने की आशा है।
8.	सिकंदराबाद-द्रोणाचलम एवं सिकंदराबाद-बोलाराम	217	283	12/96	12/97	कार्य प्रगति पर है। सिकंदराबाद-बोलारम और सिकंदराबाद-महबूबनगर पहले हो पूरा कर लिए गए हैं और शेष का लक्ष्य दिसंबर, 97 है।
9.	हॉसपेट-हुबली-गोवा	408	522	12/96	03/97	इस कार्य को पूरा कर लिया गया है।
10.	गोंदिया-चंदाफोर्ट	159	215	12/96	3/98	गोंदिया से नागबीर, 131 कि॰ मी॰ को पहले ही पूरा कर लिया गया है। शेष भाग के लिए लक्ष्य मार्च, 98 है।
11.	मद्रास-त्रिची	200	300	निर्धारित नहीं	3/98	कार्य की प्रगति संतोषजनक है और 31. 3. 98 का लक्ष्य है।
12.	फुलेरा-मारवाड़-अहमदाबाद	280	540	3/96	3/97	इस कार्य को पूरा कर लिया गया है। साबरमती और अहमदाबाद यार्ड में अवशिष्ट कार्य प्रगति पर हैं।
13.	राजकोट-वेरावल	100	153	03/96 (प्रस्तावित)	12/99	गिर जंगल के निकट लाइन को मोड़ देने के लिए किए जाने वाले सर्वेक्षण के कारण यह काम रुका हुआ था। अब इस कार्य को शुरू कर दिया गया है।
14.	अरसीकेरे-मैंगलोर	186	219	06/97	12/93	अरसीकेरे-हसन खंड पूरा हो चुका है तथा 20.8.96 को चालू किया जा चुका है।
दोहरीकरण						
15.	सोननगर-मुगलसराय	139	230	3/94	12/98	कार्य अच्छे तरीके से चल रहा है। 05 ब्लाक खंड पूरे हो चुके हैं तथा 1997-98 में 04 और पूरे हो जाएंगे। पूरे काम को समाप्त करने का लक्ष्य दिसंबर, 98 निर्धारित किया गया है।
16.	कुप्पम-व्हाइटफील्ड	108	105	4/97	तय नहीं	कुप्पम से व्हाइटफील्ड के बीच का काम हाथ में लिया गया था तथा भावी वर्षों में पूरा हो जाएगा।
17.	अधिकल्प तथा निर्माण दमदम-टालीगंज	140.30	1640.00	दिसंबर 1978	मार्च 1998	27.9.95 को यातायात के लिए लाइन खोल दी गई तथा थोड़ा सा बचा हुआ काम प्रगति पर है।
18.	थाणे कोक पर पुल सहित मानखुर्द से	132.15	440.87	-यथोक्त-	-यथोक्त-	16.6.93 को चरणों में लाइन यातायात के लिए खोल दी गई। शेष काम प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6	7
	बेलापुर तक रेलवे लाइन का विस्तार तथा बंदरगाह शाखा पर आनुषंगिक सुविधाएं					
19.	मद्रास बीच से लुज तक एम॰ आर॰ टी॰ एस लाइन का निर्माण	108	259	03/94	6/97 (5.05 कि॰ मी॰)	16.11.95 से मद्रास-बीच-चेपक चरणों में परिचालित है।
रेल विद्युतीकरण						
20.	बोकारो-बरसुआ	195	-	3/97	12/98	ठेकेदार की विफलता के कारण।
21.	सीतारामपुर-मुगलसराय	287	-	3/98	12/99	-यथोक्त-

[अनुवाद]

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के कार्यकारी अधिकारियों का पलायन

***470. प्रो॰ अजित कुमार मेहता :** क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के अधिकांश कार्यकारी अधिकारियों ने कम्पनी के खर्चे पर प्रशिक्षण प्राप्त करके इस संयंत्र को छोड़ दिया है जिसके परिणामस्वरूप संयंत्र के विस्तार कार्यक्रम को धक्का लगा है;

(ख) यदि हां, तो कितने कार्यकारी अधिकारी अब तक दुर्गापुर इस्पात संयंत्र छोड चुके हैं;

(ग) इन कार्यकारी अधिकारियों द्वारा पलायन के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (घ) कम्पनी के खर्च पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अधिकांश कार्यपालकों ने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी॰ एस॰ पी॰) नहीं छोड़ा है। तथापि, 1992-93 से जब दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में आधुनिकीकरण के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्य शुरू हुआ, तब से 2046 कार्यपालकों को प्रशिक्षण दिया गया है जिनमें से 73 कार्यपालकों ने (31.03.1997 तक) कम्पनी छोड़ी है। कम्पनी छोड़ने के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ व्यक्तिगत कारण, अन्य संगठनों में जाना आदि कारण शामिल हैं। इसके कारण दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के विस्तार कार्यक्रमों को कोई धक्का नहीं लगा है।

[हिन्दी]

पर्यटन उद्योग और व्यापार बोर्ड की स्थापना

***471. श्री राजेकशर सिंह :** क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग, के कार्य बल (टास्क फोर्स) द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन उद्योग और व्यापार बोर्ड की स्थापना करने का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा कब तक कार्यवाही किए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): (क) से (ग) सरकार ने पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय नीति के एक अंग के रूप में पर्यटन उद्योग और व्यापार का एक बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है। पर्यटन मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे तथा इसके सदस्यों में भिन्न-भिन्न केन्द्रीय विभागों के सचिव, विभिन्न उद्योग संगठनों, के प्रतिनिधि तथा अन्य व्यावसायिक शामिल होंगे।

विमान यातायात नियंत्रकों (ए॰ टी॰ सी॰) की हड़ताल

***472. श्री प्रभु दयाल कठेरिया :**

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विमान यातायात नियंत्रण (ए॰ टी॰ सी॰) के कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई थी जिससे हजारों विमान यात्रियों को बड़ी असुविधा हुई;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा हड़ताल करने के क्या कारण थे;

(ग) इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण देश को कितनी हानि हुई;

(घ) क्या सरकार ने भविष्य में ऐसी हड़तालों को रोकने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) हड़ताल विमान यातायात नियंत्रण से संबंधित एक अधिकारी के निलंबन के परिणामतः की गई थी, जिसे एअर मिस्त्र की एक घटना के लिए जिम्मेदार समझा गया था।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण —3.67 करोड़ रुपए
इंडियन एयरलाइन्स —15.70 करोड़ रुपए

(घ) और (ङ) भविष्य में इस प्रकार की संभाव्यताओं से निपटाने के लिए एक आकस्मिकता योजना तैयार की गई है। योजना में सिविल तथा सैनिक विमान यातायात नियंत्रकों के मध्य निकट का समन्वय शामिल है। भारतीय वायु सेना तथा नौ सेना के विमान यातायात नियंत्रकों को सिविल विमान यातायात कार्यविधियों से परिचित करने का एक कार्यक्रम भी है, ताकि जब कभी आवश्यक हो रक्षा कार्मिकों की सहायता से विमान यातायात सेवाएं निष्पादित की जा सकें।

विश्व में पर्यटन को प्रोत्साहन

***473. श्री महेश कुमार एम॰ कनोडिया :**

श्री पवन दीवान :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में नब्बे के दशक के उत्तरार्ध में पर्यटन में वृद्धि की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है जो यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं कि पर्यटन में इस वृद्धि का भारत को इष्टतम लाभ मिले;

(ग) क्या भारत की प्राचीन संस्कृति और धर्म स्थलों के प्रति पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी विशेष योजना पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (घ) विश्व पर्यटन संगठन (डब्ल्यू टी ओ) द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार, विश्व पर्यटक यातायात में 1995 से 2000 तक लगभग 3.1% की दर से वृद्धि होने की संभावना है और 2000 ए॰ डी॰ तक पर्यटक आगमनों के 661 मिलियन तक पहुंचने की आशा है।

संभावित वृद्धि से भारत के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु बनाई गई स्कीमों/परियोजनाओं में शामिल हैं :- आधारिक संरचना और विशेष पर्यटन क्षेत्रों का एकीकृत विकास, प्राइवेट सेक्टर को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन, प्रचार और विपणन प्रयासों को सुदृढ़ करना अनुसंधान और कम्प्यूटरीकरण आदि। सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन का संवर्धन करने के लिए शुरू की गई विशेष योजनाओं में स्मारकों का सौन्दर्यीकरण और उनके इर्द-गिर्द के क्षेत्रों का भू-दृश्यांकन करना, तीर्थ केन्द्रों का विकास, ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन और स्मारकों पर प्रकाश पुंज व्यवस्था करना आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

सेंसर बोर्ड

***474. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्मों को सेंसर करते समय क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) सेंसर बोर्ड के सदस्यों के ब्यौरे सहित वर्तमान बोर्ड के सदस्यों की पात्रता, सेवाशर्तें तथा कार्यकाल संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फिल्मों तथा अन्य कार्यक्रमों के प्रसारण की स्वीकृति प्रदान करने के लिए नियम/दिशा निर्देश निर्धारित हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5 ख (1) में निर्धारित, फिल्मों के प्रमाणीकरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, किसी फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु तब तक प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाएगा जब तक कि प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी की राय में संबंधित फिल्म या उसका कोई हिस्सा भारत की संप्रभुता एवं अखण्डता, देश की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्री संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता संबंधी हितों के विरुद्ध हो अथवा उसमें चरित्र हनन या न्यायालय की अवमानना निहित हो अथवा उससे किसी अपराध को करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलने की संभावना हो। इन प्रावधानों के आधार पर, केंन्द्रीय सरकार ने फिल्मों के प्रमाणीकरण के लिए केंन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। इनकी एक प्रतिलिपि विवरण-I के रूप में संलग्न है।

केन्द्रीय बोर्ड के अलावा, प्रत्येक क्षेत्रीय केन्द्र के स्तर पर सलाहकार पैनल भी गठित किए गए हैं। फिल्मों की जांच समितियों द्वारा की जाती है। प्रारंभ में, फिल्म की जांच समिति द्वारा की जाती है जिसमें सलाहकार पैनल के सदस्य को शामिल किया जाता है। यदि जांच समिति की सिफारिश आवेदक या अध्यक्ष को स्वीकार्य नहीं होती है तो संबंधित फिल्म को एक पुनरीक्षा समिति को भेजा जाता है। पुनरीक्षा समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष अथवा केन्द्रीय बोर्ड के सदस्य द्वारा की जाती है और इसमें बोर्ड या इसके सलाहकार पैनल के सदस्य शामिल होते हैं।

(ख) बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा 25 सदस्य होते हैं। वर्तमान सदस्यों को दिनांक 7.3.96 से नियुक्त किया गया था। सदस्यों के नाम एवं अन्य ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति हेतु अपनाए जा रहे मानदण्ड यह हैं कि वे सामाजिक विज्ञान, विधि, शिक्षण, साहित्य, कला, संस्कृति आदि जैसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होने चाहिए जो केंन्द्रीय सरकार की राय में जनता पर फिल्मों के प्रभाव के बारे में निर्णय करने में सक्षम हों। सदस्यों की कार्य अवधि तीन वर्ष है।

(ग) और (घ) सरकार ने चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा-9 के अंतर्गत, सभी दूरदर्शन कार्यक्रमों को इस शर्त के अधीन प्रमाणन संबंधी प्रावधानों से छूट दी है कि प्रसारण हेतु कार्यक्रमों को स्वीकृत करते समय महानिदेशक, दूरदर्शन अथवा संबंधित निदेशक, दूरदर्शन केंद्र सरकार द्वारा जारी फिल्म प्रमाणन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे।

तथापि, दूरदर्शन केवल उन्हीं फिल्मों को प्रसारित करता है जिन्हें बोर्ड द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु प्रमाणित किया जाता है। इसके अलावा, दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली सभी फीचर फिल्मों को परिवार द्वारा देखे जाने हेतु उनकी उपयुक्तता के बारे में निर्णय करने के उद्देश्य से एक पूर्वदर्शन समिति, जिसमें अन्यों के साथ-साथ कम से कम एक महिला सदस्य शामिल होती है, द्वारा उनका पूर्वदर्शन किया जाता है और किसी अवांछित दृश्य आदि को प्रसारण से पहले हटा दिया जाता है। दूरदर्शन प्रसारण से पहले सभी कार्यक्रमों का पूर्वदर्शन करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके कार्यक्रम इसकी कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता के अनुरूप हों और परिवार द्वारा देखने योग्य हों।

विवरण-I

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसम्बर, 91

अधिसूचना

सा॰ का॰ नि॰ 836 (ई)-केन्द्रीय सरकार, चलचित्र अधिनियम 1952 (1952 का 37) की धारा 5 ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 9 (अ) तारीख 7 जनवरी, 1978 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निदेश देती है कि फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन को मंजूरी देने के लिए फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड के निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्त होंगे :-

1. फिल्म प्रमाणीकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि:

(क) फिल्म माध्यम समाज के मूल्यों और मानकों के प्रति उत्तरदायी और संवदेनशील बना रहे;

(ख) कलात्मक अभिव्यक्ति और सृजनात्मक स्वतंत्रता पर असम्यक रूप से रोक न लगाई जाए;

(ग) प्रमाणन-व्यवस्था सामाजिक परिवर्तन के प्रति उत्तरदायी हों;

(घ) फिल्म माध्यम स्वच्छ और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करें; और

(ङ) यथा संभव फिल्म सौंदर्य की दृष्टि के महत्वपूर्ण और चलचित्र की दृष्टि से अच्छे स्तर की हो।

2. उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुसरण में फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि :-

(i) हिंसा जैसी समाज विरोधी क्रियाएं उत्कृष्ट या न्यायोचित न ठहराई जाएं;

(ii) अपराधियों की कार्यप्रणाली, अन्य दृश्य या शब्द जिनसे कोई अपराध का करना उदीप्त होने की संभावना हो, चित्रित न की जाए;

(iii) ऐसे दृश्य न दिखाए जाएं जिनमें :-

(क) बच्चों को हिंसा का शिकार या अपराधकर्ता के रूप में, अथवा हिंसा के बलात दर्शक के रूप में शरीफ होते दिखाया गया हो या बच्चों का किसी प्रकार दुरुपयोग किया गया हो;

(ख) शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया हो अथवा उनका मजाक उड़ाया गया हो; और

(ग) पशुओं के प्रति क्रूरता या उनके दुरुपयोग के दृश्य अनावश्यक रूप से न दिखाए जाएं।

(iv) मूलत : मनोरंजन प्रदान करने के लिए हिंसा, क्रूरता और आतंक के निरर्थक या वर्जनीय दृश्य और ऐसे दृश्य न दिखाए जाएं जिनसे लोग संवेदनहीन या अमानवीय हो सकते हों;

(xviii) ऐसे दृश्य या शब्द नहीं प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिससे किसी व्यष्टि या व्याष्टि निकाय या न्यायालय की मानहानी या अवमानना होती हो;

व्याख्या : ऐसे दृश्य जिनसे नियमों के प्रति घृणा, अपमान या उपेक्षा पैदा हो या जो न्यायालय की प्रतिष्ठा पर आघात करें न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत आएंगे।

(xix) संप्रतीक और नाम का (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 (1950 का 12) के उपबंधों के अनुरूप से अन्यथा राष्ट्रीय चिन्ह और प्रतीक न दिखाए जाएं।

3. फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि :-

(i) फिल्म का मूल्यांकन उसके समग्र प्रभाव को दृष्टि में रखकर किया गया है; और

(ii) उस फिल्म पर उस काल, देश की तत्कालीन मर्यादाओं और फिल्म से संबंधित लोगों को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया है परन्तु फिल्म दर्शकों की नैतिकता को भ्रष्ट न करती हो।

4. ऐसी फिल्में, जो उपर्युक्त मापदंडों पर खरी उतरती हों, किन्तु अवयस्कों को दिखाए जाने के लिए अनुपयुक्त हों, केवल व्यस्क दर्शकों को प्रदर्शित करने के लिए प्रमाणित की जाएंगी।

5. (1) निर्बाध सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करते समय बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि फिल्म परिवार के साथ देखने योग्य है अर्थात् फिल्म ऐसी होनी चाहिए जिसे परिवार के सभी सदस्य जिसमें बालक हैं, के साथ बैठकर देखा जा सकता हो।

(2) फिल्म के स्वरूप, विषयवस्तु और उद्देश्य को देखते हुए यदि बोर्ड का यह मत हो कि माता-पिता/अभिभावकों को सावधान करना जरूरी है कि क्या बारह वर्ष से कम आयु के बच्चे को यह फिल्म दिखाई जाए तो निर्बाध सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रमाणीकरण करते समय इस आशय का पृष्ठांकन किया जाएगा।

(3) यदि फिल्म के स्वरूप, विषय-वस्तु और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड का यह मत हो कि फिल्म का प्रदर्शन किसी व्यवसाय विशेष के सदस्यों या किसी वर्ग विशेष के व्यक्तियों तक सीमित रखा जाना चाहिए तो फिल्म सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्ट दर्शकों तक सीमित रखने के लिए प्रमाणित की जाएगी।

6. बोर्ड फिल्मों के शीर्षकों को बड़े ध्यान से जांच करके सुनिश्चित करेगा कि ये शीर्षक उत्तेजक, अश्लील, आक्रामक अथवा उपर्युक्त मापदंडों में से किसी मापदण्ड या उल्लंघन न करते हों।

(5) वे दृश्य न दिखाए जाएं जिनमें मद्यपान को उचित ठहराया गया हो या उसका गुणगान किया गया हो;

(6) नशीली दवाओं के सेवन को उचित ठहराने वाले या उनका गुणगान करने वाले दृश्य न दिखाए जाएं;

(7) अशिष्टता, अश्लीलता और दुराचारिता द्वारा मानवीय संवेदनाओं को चोट न पहुंचाई जाए;

(8) दो अर्थों वाले शब्द न रखे जाएं जिनसे नीच प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता हो;

(9) महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार के तिरस्कारपूर्ण या उन्हें बदनाम करने वाले दृश्य न दिखाए जाएं;

(10) महिलाओं के साथ लैंगिक हिंसा जैसे बलात्संग की कोशिश, बलात्संग अथवा किसी अन्य प्रकार का उत्पीड़न या इसी किस्म के दृश्यों से बचा जाना चाहिए तथा यदि कोई ऐसी घटना विषय के लिए प्रासंगिक हो तो ऐसे दृश्यों को कम से कम रखा जाना चाहिए और उन्हें विस्तार से नहीं दिखाना चाहिए;

(11) काम-विकृतियां दिखाने वाले दृश्यों से बचा जाना चाहिए। यदि विषयवस्तु के लिए ऐसे दृश्य दिखाना संगत हो तो इन्हें कम से कम रखा जाना चाहिए और इन्हें विस्तार से नहीं दिखाया जाना चाहिए;

(12) जातिगत, धार्मिक या अन्य समूहों के लिए अवमाननापूर्ण दृश्य प्रदर्शित या शब्द प्रयुक्त नहीं किए जाने चाहिए;

(13) साम्प्रदायिक, रूढ़िवादी, अवैज्ञानिक या राष्ट्रविरोधी प्रवृत्तियों को दिखाने वाले दृश्यों या शब्दों को प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

(14) भारत की प्रभुसत्ता और अखण्डता पर संदेह व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए;

(15) ऐसे दृश्य प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए जिनसे देश की सुरक्षा जोखिम या खतरे में पड़ सकती हो।

(16) विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों में मनोमालिन्य नहीं आना चाहिए;

(17) कानून व्यवस्था खतरे में नहीं पड़नी चाहिए;

पाद टिप्पणी :- भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (2) तारीख 7.1.78 में का॰ आ॰ 9 (अ) के रूप में प्रकाशित तारीख 7.1.78 की अधिसूचना संख्या 5/5/77-एफ॰ (सी)

जिसका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया।

(1) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (2) तारीख 17.2.79 में का॰ आ॰ 618 के रूप में प्रकाशित तारीख 27.1.79 की अधिसूचना संख्या 5/5/77-एफ॰ (सी)

(2) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (2) तारीख 7.5.83 में का॰ आ॰ 356 (अ) के रूप में प्रकाशित तारीख 7.5.83 की अधिसूचना संख्या 805/2/83-एफ॰ (सी)

(3) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (2) तारीख 9.9.89 में का॰ आ॰ संख्या 2179 के रूप में प्रकाशित तारीख 11.8.89 की अधिसूचना संख्या 805/4/89-एफ॰ (सी)

(फाइल संख्या 805/1/90-एफ॰ (सी)

ह॰/-

(एस॰ लक्ष्मीनारायणन)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

फोन : 383857

विवरण-II

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्य

नाम	व्यवसाय
1	2
अध्यक्ष- श्री शक्ति सामंत	फिल्म निर्माता तथा निर्देशक
सदस्य	
1. श्रीमती सरोजा देवी	सिनेमा कलाकार
2. श्रीमती हेमलता रमेश	फिल्म निर्माता तथा वितरक
3. श्रीमती जी॰ के॰ कुट्टी	फिल्म निर्माता तथा वितरक
4. श्री दीपक बिसाक	पत्रकार
5. सुश्री मैत्रेयी साहा	फिल्म निर्माता
6. श्री रमाकान्त रथ	लेखक
7. श्रीमती प्रतिभा रे	शिक्षा में रीडर
8. श्री सुखबीर सिंह पंवार	व्यापार
9. सुश्री सुभा राजन ताम्पी	प्रबंध कार्यपालक
10. श्री हरमोहन बारदोलोई	व्यापार
11. श्रीमती शारदा अशोक वर्धन	सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी एवं लेखक
12. श्री तरलाप्ती कुटुम्बा राव	पत्रकार
13. श्री टी॰ वी॰ नारायण	समाज सेवा
14. श्री सुभा सोमू	व्यापार
15. सुश्री शिवशंकरी	लेखक
16. श्रीमती मीनू राठौर	गृहणी
17. श्रीमती जयसुधा कपूर	सिनेमा कलाकार
18. श्री एस॰ वी॰ रामानाथन	व्यापार
19. श्रीमती सुधा वी॰ जोशी	सामाजिक कार्यकर्ता
20. श्रीमती पुष्पा भारती	पत्रकार
21. श्री किरण शांताराम	फिल्म निर्माता
22. श्री विनय कुमार सिन्हा	फिल्म निर्माता
23. श्रीमती मेघा पाटिल	वास्तुकार
24. प्रोफेसर सुलोचना नायर	प्रोफेसर (सेवानिवृत्त)
25. श्री पी॰ भास्करन	व्यापार

[हिन्दी]

रेलवे में अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां

***475. डॉ॰ राम लखन सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मृतक व्यक्तियों के निकट संबंधियों को रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) रेलवे के विभिन्न जोनों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के लंबित पड़े मामलों की संख्या क्या है;

(ग) दस वर्ष या इससे भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी मृतक व्यक्तियों के निकट संबंधियों की नियुक्ति न किए गए मामलों की संख्या कितनी है;

(घ) ऐसी नियुक्तियों में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) मृतक व्यक्तियों के निकट संबंधियों को सरकार द्वारा कब तक रोजगार दे दिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) रेल कर्मचारियों के आश्रितों को निम्नलिखित किस्म के मामलों में प्राथमिकता के आधार पर रेलों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने पर विचार किया जाता है :-

(i) जिनकी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है या जो स्थायी रूप से अपंग हो जाते हैं।

(ii) जो ड्यूटी समाप्त करने के बाद रेल दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप सेवा में रहते मारे जाते हैं और

(iii) जो सेवा में रहते मारे जाते हैं या चिकित्सा की दृष्टि से अक्षम/अयोग्य हो जाते हैं परन्तु ऐसी नियुक्ति आश्रितों की अर्हता और उपयुक्तता तथा पदों की उपलब्धता और मौजूदा नियमों के विभिन्न प्रावधानों के अध्यधीन होती है।

(ख) और (ग) रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने में विलंब विभिन्न कारणों से होता है जैसे आश्रितों का अवयस्क होना, न्यायालयों में मामलों का लंबित होना और उपयुक्त रिक्तियों की अनुपलब्धता।

क्षेत्रीय रेल प्रशासनों को अनुदेश दिए गए हैं कि इस प्रयोजनार्थ निर्धारित दिशा-निर्देशों के भीतर अर्हक व्यक्तियों को अनुकंपा के आधार पर यथा शीघ्र नियुक्ति देने के सभी संभव प्रयास किए जाएं।

बहरहाल, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करना कठिन है क्योंकि यह उपयुक्त रिक्तियों की उपलब्धता, अर्हक आश्रितों की उपलब्धता आदि जैसे कारकों पर निर्भर करता है।

रेलवे भूमि का अतिक्रमण

***476. श्री के॰ सी॰ कोंडय्या :**

डॉ॰ बलिराम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न राज्यों में रेलवे की कई करोड़ रुपए मूल्य की भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो अनुमानत: कितने एकड़ रेलवे भूमि पर अतिक्रमण किया गया है; उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अतिक्रमणकारियों को हटाने और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) अतिक्रमणाधीन रेलवे भूमि के क्षेत्र के संबंध में सूचना राज्यवार नहीं रखी जाती है। अपितु क्षेत्रीय रेलवे-वार रखी जाती है क्योंकि रेलवे जोन एक से अधिक राज्यों में फैले होते हैं।

ब्यौरा निम्नानुसार है :—

	रेलवे	अतिक्रमणाधीन क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1.	मध्य	64
2.	पूर्व	85
3.	उत्तर	900
4.	पूर्वोत्तर	115
5.	पू॰ सी॰	304
6.	दक्षिण	83
7.	दक्षिण मध्य	84
8.	दक्षिण पूर्व	715
9.	पश्चिम	107
	जोड़	2457

(ग) रेलवे की भूमि से अतिक्रमणों को हटाना एक सतत प्रक्रिया है। नए अतिक्रमणों को रोकने के लिए रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाते हैं। जैसे ही नए अतिक्रमण नोटिस में आते हैं, उन्हें हटा दिया जाता है। पुराने अतिक्रमणों के संबंध में उन्हें हटाने के लिए सिविल पुलिस की सहायता से सरकारी परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत कार्यवाई की जाती है।

रेलवे भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए भेद्य खंडों में चारदीवारी का निर्माण किया जाता है तथा बाड़ लगाई जाती है। शीघ्र बढ़ने वाले कटिदार वृक्षों सहित उपयुक्त वृक्ष/झाड़ियां रोपी जाती हैं।

[हिन्दी]

रेल दुर्घटनाएं

***477. श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :**

श्री शिवराज सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1996 और अप्रैल, 1997 के दौरान हुई रेल दुर्घटनाओं की जोनवार संख्या कितनी है;

(ख) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं;

(ग) इन दुर्घटनाओं में हताहतों की संख्या और भारतीय रेल को हुई कुल क्षति का जोनवार ब्यौरा क्या है;

(घ) तोड़-फोड़ के कारण हुई दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है;

(ङ) दुर्घटना के शिकार लोगों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए अथवा किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) 1.6.96 से 30.4.97 तक की अवधि के दौरान हुई परिणाम गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या, उनमें हुए हताहतों तथा रेल सम्पत्ति को हुई क्षति की लागत से संबंधित सूचना निम्नानुसार है :—

रेलवे	दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	घायल हुए व्यक्तियों की संख्या	रेल सम्पत्ति को हुई क्षति की लागत (लाख रुपयों में)
मध्य	57	34	131	768.08
पूर्व	27	24	72	760.23
उत्तर	51	27	38	440.34
पूर्वोत्तर	16	23	12	11.44
पूर्वोत्तर सीमा	17	34	69	127.18
दक्षिण	37	9	18	577.26
दक्षिण मध्य	32	44	40	713.36
दक्षिण पूर्व	61	12	47	823.28
पश्चिम	33	10	48	118.50
मैट्रो	2	-	-	12.50
कोंकण	3	-	-	20.10
जोड़	336	217	475	4372.27

नोट : (1) आंकड़े अनंतिम हैं।

(2) क्षति की लागत से संबंधित आंकड़े जून 1996 से मार्च 1997 तक की अवधि से संबंधित हैं।

दुर्घटनाओं के मुख्य कारण मानवीय चूक, उपस्करों की खराबी, तोड़-फोड़ और आकस्मिक कारक हैं।

(घ) 14.

(ङ) दुर्घटनाओं के तत्काल बाद, मारे गए और घायल व्यक्तियों के आश्रितों को 11.65 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया था। 58 दावे प्राप्त हुए हैं जिनमें से 6.51 लाख रुपए की राशि के 6 दावों का निपटान किया गया है। शेष मामलों में दावों का निपटान, रेल दावा अधिकरण से डिग्री प्राप्त हो जाने के बाद किया जाएगा।

(च) सुरक्षा में सुधार लाने और दुर्घटनाओं की रोकथाम करने के लिए किए गए कुछ उपाय निम्नानुसार हैं :—

(एक) ट्रंक मार्गों और अन्य महत्वपूर्ण मुख्य लाइनों पर रेलपथ परिपथन के काम में तेजी लाई गई है।

(दो) दुर्घटनाओं में मानवीय भूल की संभावनाओं को कम करने के लिए, सिगनलिंग सर्किटरी में आशोधन किया जा रहा है।

(तीन) मुंबई उपनगरीय खंडों पर चलती गाड़ी के ड्राइवर को खतरे के सिगनलों के बारे में अग्रिम चेतावनी देने के लिए, सहायक चेतावनी प्रणाली शुरू कर दी गई है।

(चार) रेलपथ के अनुरक्षण के लिए, टाईटेम्पिंग और गिट्टी छनाई मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है।

(पांच) रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन संबंधी विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए, परिष्कृत रेलपथ अभिलेखी यान, दोलनलेखी यान और सुवाह्य त्वरणमापियों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(छः) कई डिपुओं में सवारी और माल डिब्बों के अनुरक्षण की सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है और उन्हें अपग्रेड किया गया है।

(सात) धुरों को कोल्ड ब्रेकेज के मामलों की रोकथाम के लिए धुरों में दोषों का पता लगाने के लिए नेमी ओवरहॉल में अल्ट्रासॉनिक टेस्टिंग उपस्कर लगाए गए हैं।

(आठ) बिना चौकीदार वाले समपारों पर सीटी बोर्डों/गतिरोधकों और सड़क चिह्नों की व्यवस्था की गई है और ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार किया गया है।

(नौ) सड़क उपयोगकर्ताओं को यह समझाने के लिए कि रेलपथ को सुरक्षित ढंग से कैसे पार करना है, दृश्य-श्रव्य प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

(दस) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील तथा विस्फोटक सामग्री ले जाने पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(ग्यारह) ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन के काम में लगे कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है। इसमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों का उपयोग भी शामिल हैं।

(बारह) विनिर्दिष्ट समयान्तरालों पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है।

(तेरह) गाड़ी परिचालन के काम में लगे कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही हैं और जिनमें कोई कमी पाई जाती है, उन्हें क्रैश प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

(चौदह) कर्मचारियों में संरक्षा की भावना पैदा करने के लिए, समय-समय पर संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

[अनुवाद]

राज्य सरकारों द्वारा पर्यटन स्थलों की पहचान

***478. श्री हरिन पाठक :** क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने विकास हेतु पर्यटन स्थलों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो पहचान किए गए ऐसे पर्यटन स्थलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार ऐसे पर्यटन स्थलों के विकास हेतु अनुदान देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): (क) से (घ) पर्यटक स्थलों की पहचान करना और विकास करना एक सतत् प्रक्रिया है तथा मुख्यतया यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। पर्यटन के विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता उनसे प्राप्त विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों पर उनकी पारस्परिक प्राथमिकताओं और प्रतिवर्ष धन की उपलब्धता के आधार पर मुहैया की जाती है।

[हिन्दी]

अलाभप्रद रेल लाइनें

***479. जस्टिस गुमान मल लोढा :**

श्री नवल किशोर राय :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऐसी अनेक अलाभप्रद रेल लाइनें हैं, जिन पर रेलगाड़ियां चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उन रेल लाइनों के नाम क्या हैं और उनकी वजह से कुल कितना वार्षिक घाटा हो रहा है;

(ग) क्या सरकार ने इन रेल लाइनों के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए कुल वित्तीय घाटे का अनुमान लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो कुल कितना घाटा हुआ है और इस वित्तीय घाटे की रोकथाम हेतु सरकार की भावी योजना क्या है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) सूची दशनि वाला विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) (i) गत तीन वर्षों के दौरान अलाभप्रद शाखा लाइनों तथा नई लाइनों द्वारा उठाया गया कुल घाटा निम्नानुसार है :—

1993-94	—	190.76 करोड़ रुपए
1994-95	—	220.77 करोड़ रुपए
1995-96	—	225.67 करोड़ रुपए

(ii) भावी घाटे को रोकने के लिए योजना—इस वित्तीय घाटे को रोकने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय की पहले से ही उन लाइनों को, जहां सड़क की वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध है या विकसित की जा सकती है, बन्द करने की योजना है। इसके अलावा, इन लाइनों से होने वाले घाटे को कम करने के लिए पहले से ही कई उपाए किए गए हैं। ये इस प्रकार हैं :—

(क) कर्मचारियों में कटौती : इसे निम्न प्रकार से किया गया है :—

(i) स्टेशनों का ग्रेड घटाकर ठेकेदार द्वारा परिचालित हाल्टों में बदलना।

(ii) "केवल एक ही इंजन" प्रणाली की शुरुआत जिससे खंड पर किसी भी समय केवल एक ही गाड़ी हो सकती हैं। इससे ब्लॉक संचालन की आवश्यकता का निवारण हो जाता है और इस प्रकार कम कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है।

(iii) गाड़ियों को केवल दिन के समय चलाने, रविवार तथा अन्य छुट्टियों को गाड़ी रद्द रखने आदि सहित गाड़ी सेवाओं में कटौती।

(iv) खंड पर चल रही गाड़ी में ही सवार टिकट जांचकर्ता/बुकिंग क्लर्कों द्वारा यात्रियों को टिकट जारी किया जाना।

(ख) अवसंरचना में निम्नलिखित के जरिए कटौती :

(i) साइडिंगों को उखाड़ना।

(ii) सिगनल उपस्करों को उखाड़ना।

तथापि, इन उपायों के बावजूद इन लाइनों के अर्थक्षम होने की संभावना बहुत कम है क्योंकि इन लाइनों पर यातायात का घनत्व अत्यधिक कम है।

विवरण

शाखा लाइनों के नाम और 1995-96 के दौरान उनकी वार्षिक हानि

क्रम सं.	शाखा लाइन का नाम	हानि की राशि (हजार रुपयों में)
1	2	3
1.	ऐट-कोंच (14 कि॰ मी॰)	75,30
2.	ग्वालियर-शिवपुर कलां (200 कि॰ मी॰)	2,54,44
3.	ग्वालियर-भिंड (84 कि॰ मी॰)	44,42
4.	धोलपुर-तांतपुर-सिरमूत्रा (89 कि॰ मी॰)	88,88
5.	नेरल-माथेरन (21 कि॰ मी॰)	3,79,80
6.	पचौरा-जामनेर (56 कि॰ मी॰)	50,06
7.	करजत-खोपौली	80,59
8.	मिरज-खुर्डुवाडी-लातूर (327 कि॰ मी॰)	4,36,60
9.	दौंड-बारामती (44 कि॰ मी॰)	2,45,22
10.	दीवा-रोहा (103 कि॰ मी॰)	2,05,43
11.	भीमगढ़-पलासथाली (27 कि॰ मी॰)	20,65
12.	बारासात-हसनाबाद (53 कि॰ मी॰)	1,60,57
13.	शांतिपुर-नवद्वीपघाट (27.5 कि॰ मी॰)	66,51
14.	वर्धमान-कटवा (53 कि॰ मी॰)	70,55
15.	भागलपुर-मंडार हिल (50 कि॰ मी॰)	33,89
16.	बरुईपुर-लक्ष्मीकांतपुर (37 कि॰ मी॰)	1,21,62
17.	जमालपुर-मुंगेर (10 कि॰ मी॰)	34,21
18.	सोनारपुर-कैनिंग (29 कि॰ मी॰)	82,54
19.	दिलदारनगर-तारीघाट (19 कि॰ मी॰)	11,51
20.	कल्याणी-कल्याणी सीमांता (4 कि॰ मी॰)	40,77
21.	बटाला-कादियां (19 कि॰ मी॰)	1,02,80
22.	गढ़ी हरसरु-फरूखनगर (11 कि॰ मी॰)	22,56
23.	वेरका-डेराबाबा नानक (45 कि॰ मी॰)	4,73,61
24.	समदड़ी-मुनाबाव (248 कि॰ मी॰)	5,20,74
25.	कालका-शिमला (97 कि॰ मी॰)	5,95,12
26.	राजा-का-साहसपुर-संभल हातिमा सराय (20 कि॰ मी॰)	1,28
27.	फगवाड़ा-जैजों दोआबा (36 कि॰ मी॰)	2,23,20
28.	रानीवाडा-भीलडी (71 कि॰ मी॰)	3,08,37
29.	रत्तनगढ़-सरदारशहर (43 कि॰ मी॰)	49,13
30.	दलमऊ-दरियापुर (25 कि॰ मी॰)	28,25
31.	मेड़ता रोड-मेड़ता सिटी (15 कि॰ मी॰)	23,83
32.	रोहतक-भिवानी (49 कि॰ मी॰)	1,53,16
33.	गोहाना-पानीपत (39 कि॰ मी॰)	75,30 (नई लाइन)
34.	रोहतक-गोहाना (32 कि॰ मी॰)	52,16
35.	लालगढ़-श्रीकोलायत जी	1,00,48
36.	राय-का-बाग-पोकराव (192 कि॰ मी॰)	5,46,60
37.	शामली-सहारनपुर	2,44,35
38.	दिल्ली-शाहदरा-शामली	23,89
39.	अमृतसर-अटारी	18,07
40.	बनमंखी-बिहारीगंज (27 कि॰ मी॰)	1,17,59
41.	सकरी-जय नगर (70 कि॰ मी॰)	2,43,34
42.	नरकटियागंज-भीखनथोड़ी (47 कि॰ मी॰)	1,18,44
43.	नरकटियागंज-बगहा (56 कि॰ मी॰)	1,63,16
44.	कप्तानगंज-छितौनी (64 कि॰ मी॰)	99,54
45.	इंदारा-दोहरीघाट (40 कि॰ मी॰)	81,40
46.	आनंद नगर-नौतनवा (49 कि॰ मी॰)	1,41,38
47.	गैंसरी-जरवा (20 कि॰ मी॰)	50,88
48.	मथुरा-वृंदाबन (14 कि॰ मी॰)	29,72
49.	मंघाना-ब्रह्मावर्त (9 कि॰ मी॰)	25,20
50.	थानाबीहपुर-महादेवपुर घाट (26 कि॰ मी॰)	40,33
51.	झंझारपुर-लौकहा बाज़ार	1,78,74
52.	न्यू जलपाईगुड़ी-दार्जिलिंग (88 कि॰ मी॰)	2,96,39
53.	कटिहार-मनिहारीघाट (36 कि॰ मी॰)	3,23,61
54.	कटिहार-जोगबनी (108 कि॰ मी॰)	8,30,92
55.	ओल्ड-मालदा-सिंघाबाद (24 कि॰ मी॰)	1,89,84
56.	बरसोई-राधिकापुर (53 कि॰ मी॰)	4,00,20
57.	अलीपुरद्वार-न्यू गीतालदह बामनहार (71 कि॰ मी॰)	2,66,47
58.	रंगापाडा-नॉर्थ-तेज़पुर (27 कि॰ मी॰)	1,08,72
59.	न्यू मल-दोमोहनी (37 कि॰ मी॰)	1,26,75
60.	फकीराग्राम-धुबरी (65 कि॰ मी॰)	2,20,23
61.	करीमगंज-महिशासन (10 कि॰ मी॰)	65,38
62.	बराएग्राम-दुलावचेरा (29 कि॰ मी॰)	1,68,51
63.	सिमलगुड़ी-नगीनीमाड़ा (14 कि॰ मी॰)	4,19
64.	मरियानी-जोरहाट नियामती (18 कि॰ मी॰)	39,48
65.	मकुम-दानगरी (30 कि॰ मी॰)	44,17

1	2	3
66.	सिमालुगिरि-मोरनहाट (54 कि॰ मी॰)	65,84
67.	चापरमुख-सिलघाट (81 कि॰ मी॰)	1,85,85
68.	कटखल-लालाबाज़ार (36 कि॰ मी॰)	1,41,13
69.	शोराणूर-नीलाम्बूर (66 कि॰ मी॰)	56,86
70.	तिरुतुराईपूंडी-कोडीक्कराई (46 कि॰ मी॰)	34,25
71.	मुट्टुपालयम-उदागामंडलम (46 कि॰ मी॰)	1,49,05
72.	मदुरै-बोंदीनायाकनूर (90 कि॰ मी॰)	63,31
73.	बेंगलूरु सिटी-येलाहंका-बंगारपेट (163 कि॰ मी॰)	4,80
74.	तिरुनेलवेली-तिरुचंदूर (62 कि॰ मी॰)	75,30
75.	सागराजबागुरु-तालगुप्पा (16 कि॰ मी॰)	68,94
76.	विषुपुरम-पोंडिचेरी (38 कि॰ मी॰)	54,93
77.	बंगारापेट-मरिकुप्पम (16 कि॰ मी॰)	1,95,10
78.	हसन-मंगलौर	5,05,26
79.	वालाजाह रोड-रानीपेट (6 कि॰ मी॰)	6,31
80.	नांजनगुड-चामराज नगर (35 कि॰ मी॰)	24,44
81.	हॉस्पेट-कोट्टूर (69 कि॰ मी॰)	27,02
82.	जनकमपेट-बोधन (20 कि॰ मी॰)	16,69
83.	गुंडा रोड-स्वामीहल्ली (40 कि॰ मी॰)	19,06
84.	अलनावार-अंबेवाडी (31 कि॰ मी॰)	8,29
85.	गुडीवाडा-मचिलीपट्टनम (40 कि॰ मी॰)	73,05
86.	मुदखेड-आदिलाबाद (162 कि॰ मी॰)	1,12,79
87.	भीमावरम-नरसापुर	26,17
88.	नवापाडा-गुनुपुर (90 कि॰ मी॰)	1,90,38
89.	पुरुलिया-कोटशिला और रांची-लोहारदगा (104 कि॰ मी॰)	2,46,56
90.	रायपुर-धमतरी (89 कि॰ मी॰)	3,66,92
91.	सतपुड़ा-रेलें (1007 कि॰ मी॰)	29,18,40
92.	टाटा-बदामपहाड़ (99 कि॰ मी॰)	24,74
93.	कन्हन-रामटेक (24 कि॰ मी॰)	22,55
94.	खुर्दा रोड-पुरी (43 कि॰ मी॰)	1,17,41
95.	रूपसा-तालबंध (88.7 कि॰ मी॰)	1,33,78
96.	जाखापुरा-दैतारी (33.43 कि॰ मी॰)	5,79,08
97.	बिल्लीमोरा-वाघई	72,26
98.	छुचापुडा-तनखाला	15,48
99.	चोरैंडा-मोतीकोरल	9,71
100.	सामनी-दहेज	19,53
101.	गोधरा-लुनावाडा	21,29
102.	बड़ोच-जंबुसर-कवि	57,57
103.	चोटा उदयपुर-जंबुसर	97,74
104.	चांदेड-मलसर	73,87
105.	नाडियाड-कपडवंज	24,42
106.	नाडियाड-भद्रान	23,13
107.	गांधीधाम-न्यू कांडला	1,74,53
108.	मालवी जंक्शन-बडी सदरी	2,73,04
109.	सिहोर-पालिताना	55,95
110.	मेहसाणा-तंरगा हिल	22,04
111.	हिम्मत नगर-खेड ब्रह्म	41,53
112.	बोरवीवडतल-स्वामीनारायण	37,09
113.	आनंद-खंभात	1,26,34
114.	फतेहपुर-चुरू (43.28 कि॰ मी॰)	44,56
115.	उदयपुर-हिम्मत नगर	2,34,21
नई लाइनें		
116.	लक्ष्मीकांतपुर-कुलपी	5,20,00
117.	धर्मनगर-कुमारघाट	8,04,00
118.	लालाबाज़ार-बैराबी	7,05,00
119.	सिलचर-जिरीबम	6,54,00
120.	बालीपाडा-भालुकपोंग	3,55,00
121.	अमगुरी-तुली	1,69,00
122.	संतरागाछी-बड़गछिया	4,61,00
123.	तुपकाडीह-तलगड़िया	4,98,00
124.	त्रिचुर-गुरुवायूर	20,00

[अनुवाद]

सोने का उत्पादन/खपत

***480. श्री अन्नासाहिब एम॰ के॰ पाटिल** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत 3 वर्षों के दौरान सोने का अनुमानित उत्पादन और खपत कितनी रही और इसकी मात्रा तथा मूल्य कितना था और इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि/कमी हुई;

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में वर्ष 1997-98 में इसका उत्पादन लक्ष्य कितना था तथा चालू/नई परियोजनाओं में किए गए अतिरिक्त निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सोने की खानों में निजी/विदेशी भागीदारी की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो प्राप्त/स्वीकृत प्रस्तावों सहित इसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण द्वारा पता लगाए गए सोने के नए भंडारों तथा इन भंडारों की खुदाई के खनन के लिए किए गए प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में स्वर्ण का अनुमानित उत्पाद उसकी मात्रा, मूल्य और प्रतिशत वृद्धि/गिरावट के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं :—

वर्ष	सोने का उत्पादन		
	मात्रा (कि॰ ग्रा॰ में)	मूल्य (करोड़ रु॰ में)	मात्रा के प्रतिशत में बढ़ोतरी/कमी
1994-95	2369	116	+14%
1995-96	2036	103	–14%
1996-97	2904	145	+43%

जहां तक भारत में स्वर्ण की खपत का संबंध है, कोई सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि, एक मोटा अनुमान यह है कि भारत में स्वर्ण की मांग प्रतिवर्ष लगभग 600 टन है।

(ख) वर्तमान में स्वर्ण का उत्पादन प्राथमिक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में होता है। वर्ष 1997-98 में स्वर्ण उत्पादन का लक्ष्य 3140 किग्रा॰ है। इस संबंध में मैसर्स भारत गोल्ड माइन्स लि॰ (बीजीएमएल) के लिए 1997-98 का अनुमोदित योजना परिव्यय 6 करोड़ रु॰ है। मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लि॰ (एचसीएल) द्वारा उप-उत्पाद के रूप में स्वर्ण उत्पादन बढ़ाने के लिए 5 करोड़ रु॰ का एक निवेश पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित किया गया है। मैसर्स हट्टी गोल्ड माइंस कंपनी लि॰ (एचजीएमएल) स्वर्ण उत्पाद में लगे कर्नाटक राज्य सरकार के एक उद्यम के पास स्वर्ण उत्पादन को 3600 किग्रा प्रति वर्ष तक बढ़ाने की एक योजना है।

(ग) राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 के अन्तर्गत, स्वर्ण सहित 13 खनिजों, जिनको इससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा विदोहन के लिए आरक्षित किया गया था, को भी घरेलू और विदेशी दोनों निजी क्षेत्रों की भागीदारी, के लिए खोल दिया गया है। अब, भारत में निगमित कोई भी कंपनी देश में स्वर्ण के गवेषण/विदोहन के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टे की स्वीकृति के लिए पात्र है। इसके अलावा, सरकार ने हवाई सर्वेक्षण की स्थिति में 25 वर्ग कि॰ मी॰ से अधिक क्षेत्र के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस की स्वीकृति के लिए मार्गदर्शन जारी कर दिए हैं।

(घ) अब तक, विदेशी निवेश उन्नयन बोर्ड (एफ॰ आई॰ पी॰ बी॰) द्वारा निम्नलिखित दो प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है :—

(1) हिन्दुस्तान जिंक लि॰ और बी॰ एच॰ पी॰ मिनरल्स, आस्ट्रेलिया को 60% विदेशी इक्विटी सहित अन्य आधार धातुओं के साथ स्वर्ण के पूर्वेक्षण के लिए।

(2) आस्ट्रेलियन इण्डिया रिसार्सिज एन॰ एल॰ आस्ट्रेलिया 100% सहायक इकाई को स्वर्ण के गवेषण/विदोहन के लिए।

इन कम्पनियों को अब तक कोई पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टा नहीं दिया गया है।

(ङ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में स्वर्ण के नए भंडारों का पता लगाया है। विवरण निम्नानुसार है :—

आंध्र प्रदेश :— (i) डोना टेम्पल खण्ड, कुरनूल जिला, (ii) कोटनापल्ले खण्ड, अनन्तपुर जिला, (iii) कुडीथानापल्ले खण्ड, चित्तूर जिला।

बिहार : (i) बाबीकुन्दी और तारम्बा क्षेत्र में तामरपारा पहाड़ और सोनापेट घाटी।

कर्नाटक : हीरा बुदनी, रायचुर जिल्ला (ii) चिनमुलगुंडा, धारवाड़ जिला (iii) नागवी धारवाड़ जिला (iv) अज्जनाहल्ली पश्चिम खण्ड, तुमकुर जिला (v) जी॰ आर॰ हल्ली, दक्षिण खण्ड, चित्रदुर्ग जिला।

केरल : (i) कप्पिल क्षेत्र, माल्लपुरम जिला।

मध्यप्रदेश : (i) गुरहरपहाड़ पश्चिम, सीदी जिला।

महाराष्ट्र : (i) पारसपरो पश्चिम खण्ड, नागपुर जिला।

राजस्थान : (i) अनन्तपुर-भुकिया, बांसवाड़ा जिला।

उत्तर प्रदेश : गुरहरपहाड़ क्षेत्र, सीधी पट्टी, सोनभद्र जिला।

भारत सरकार द्वारा घोषित नई राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 को ध्यान में रखते हुए और खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टा प्राप्त करने के बाद कोई भी गवेषण/विदोहन अभिकरण आरक्षित खनिजों का विदोहन करने के लिए स्वतंत्र है।

हबीबगंज रेलवे स्टेशन का विकास

5158. श्री सुशील चंद्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन (मध्य रेलवे, मध्य प्रदेश) का विकास राज्य सरकार द्वारा रेलवे स्टेशन की जमीन पर से "झुग्गियों" और अन्य अतिक्रमणों को न हटा पाने के कारण अवरुद्ध हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत इन अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की गई है।

रेलवे क्वार्टरों पर अवैध कब्जा

5159. श्री जी. ए. चरण रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिकंदराबाद में स्थित एस. सी. रेलवे के अधिकांश क्वार्टर वास्तविक दावेदारों को वंचित करके अवैध रूप से किराए पर/पट्टे पर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्राधिकारियों द्वारा क्वार्टरों को खाली कराने सहित और क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) सिंकदराबाद स्थित केवल निम्न श्रेणी के क्वार्टर खाली कराने की सूचनाएं जारी करने पर जोर देने और उच्च श्रेणी के क्वार्टरों को जानबूझ कर छोड़ने के क्या कारण हैं;

(घ) पुलिस कर्मचारियों सहित गैर-रेल कर्मचारियों के कब्जे में कितने क्वार्टर हैं और उन्हें खाली कराकर लम्बे समय से प्रतीक्षा कर रहे वास्तविक रेल कर्मचारियों को देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या क्वार्टर खाली कराने के मामलों में तेजी लाने के लिए और इसकी प्रगति की निगरानी करने के लिए कोई विशेष कक्ष स्थापित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं। तथापि, सतर्कता द्वारा की गई जांचों के दौरान रेलवे अधिकारियों द्वारा क्वार्टरों को किराए पर देने के कुछ मामले नोट किए गए हैं।

(ख) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उनके आबंटन रद्द करने के अलावा अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

(ग) जहां कहीं क्वार्टर किराए पर दिए हुए पाए गए उन सभी मामलों में निरपवाद रूप से बेदखली कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

(घ) जनवरी-मार्च, 1997 के दौरान नोट किए गए किराए पर देने के 93 मामलों में 54 क्वार्टर बाहरी व्यक्तियों को किराए पर दिए हुए थे। इन क्वार्टरों का आबंटन रद्द कर दिया गया है तथा इन क्वार्टरों को अगले पात्र कर्मचारियों को आबंटित किया जा रहा है। पुलिस कार्मिकों के कब्जे वाले क्वार्टर कुछ दशकों से राज्य पुलिस के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं तथा उनका आबंटन उनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

तला में टर्मिनल स्टेशन बनाना

5160. श्री तरित बरण तोपदार : क्या रेल मंत्री तला में टर्मिनल स्टेशन बनाने के बारे में 19 दिसंबर, 1996 के अतारांकित प्रश्न सं. 4159 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तला में टर्मिनल स्टेशन बनाने संबंधी कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) कलकत्ता सर्कुलर रेलवे के मौजूदा अनुमान में "सामग्री संशोधन" के रूप में तला में अतिरिक्त सुविधाओं के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। परियोजना के सितम्बर 1996 तक पूरा होने की संभावना है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

यात्रा पर अध्ययन

5161. श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों द्वारा रेल यात्रा सस्ती और पर्यावरणानुकूल होने के बावजूद सड़क द्वारा यात्रा को प्राथमिकता दिए जाने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है या समिति गठित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्राथमिकताओं के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे सुरक्षा बल (आर. पी. एफ.) कार्मिकों की भर्ती

5162. श्री राम सागर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने इन आरोपों संबंधी अनेक शिकायतों की जांच का कार्य केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपा था कि कुछ भूतपूर्व अधिकारियों ने रेलवे सुरक्षा बल कार्मिकों की भर्ती कथित रूप से रिश्वत लेकर की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा रेलवे में रेलवे सुरक्षा बल की भर्ती में अनियमिताओं और भ्रष्टाचार की पुनरावृत्ति न होने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) जी, हां। एक मामला दर्ज किया गया है और इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच शुरू कर दी गई है।

(घ) भविष्य में भर्ती समितियों में सेवा हेतु सेवारत अधिकारियों को नामित करने का विनिश्चय किया गया है।

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति

5163. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सेवा के दौरान मरने वाले कर्मचारियों के आश्रित की नियुक्ति के संबंध में गत दो वर्ष के दौरान अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) उनकी तत्काल भर्ती सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के संबंध में माननीय रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), क्षेत्रीय रेलों, मंडल मुख्यालयों और उत्पादन इकाइयों आदि में बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, ऐसे अभ्यावेदनों का ब्यौरा देना व्यावहारिक नहीं है।

(ग) और (घ) अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के संबंध में ऐसे अभ्यावेदनों पर मौजूदा नीति को ध्यान में रखते हुए गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है और उपयुक्त आवश्यक कार्यवाई की जाती है।

मीटर गेज रेल लाइनें

5164. डॉ॰ सत्य नारायण जटिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय जोनवार कितने किलोमीटर में मीटर गेज लाइन चालू है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मीटर गेज लाइन पर प्रत्येक जोनल रेलवे को दिए गए डीजल रेल इंजनों और डिब्बों संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रतलाम रेल मंडल के अंतर्गत उक्त अवधि के दौरान मीटर गेज लाइन पर की गई यात्री सेवाओं संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उज्जैन-इंदौर-उज्जैन के बीच तीव्र रेल सेवा के लिए की गई सुविधाओं संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 31.3.96 को (नवीनतम उपलब्ध) जोनवार मीटर लाइन की लम्बाई (मार्ग कि॰ मी॰) इस प्रकार है :—

रेलवे	मीटर लाइन मार्ग कि॰ मी॰
उत्तर	2,075
पूर्वोत्तर	3,514
पूर्वोत्तर सीमा	2,685
दक्षिण	3,270
दक्षिण मध्य	2,119
पश्चिम	4,838
जोड़	18,501

(ख) रेलों ने विगत तीन वर्षों के दौरान मी॰ ला॰ के डीजल रेल इंजनों और सवारी डिब्बों का निर्माण नहीं किया है और न ही क्षेत्रीय रेलों को सप्लाई किए हैं।

बहरहाल, आमान परिवर्तन के कारण कुछ मी॰ ला॰ के रेल इंजन और सवारी डिब्बे आमान परिवर्तन कार्यक्रम के आधार पर एक रेलवे से दूसरी रेलवे को अन्तरित किए गए हैं।

(ग) 69/70 महु-इन्दोर पैसेंजर चलाई गई।

(घ) 9303/9304 इन्दोर-उज्जैन-भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस (डी॰ एम॰ यू॰) चलाई गई।

उड़ीसा में एल्यूमिना परियोजना का खनन पट्टा

5165. श्री भक्त चरण दास : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने खनन पट्टे के अभाव के कारण कोई एल्यूमिना परियोजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना की वर्तमान स्थिति तथा उसकी स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (घ) राज्य सरकार ने मैसर्स उड़ीसा माइनिंग कार्पोरेशन को उड़ीसा के रायगढ़ जिले के बपहालीमाली गांव के 1388.74 हेक्टयर से अधिक भू-भाग में बाक्साइट के लिए खनन पट्टा देने संबंधी एक प्रस्ताव अनुमोदन के लिए भेजा है। उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन और इंडालको ने एक समझौता किया है जिसके अनुसार उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन के पट्टे की मंजूरी मिल जाने पर इसे इंडालको या जेवीसी नामक उत्कल एल्यूमिना कंटरनेशन को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। राज्य सरकार को आशा है कि इस परियोजना को इंडालको को पट्टे के हस्तांतरण की तारीख से दो वर्षों में ही पूरा कर लिया जाएगा।

यात्रियों की संख्या में वृद्धि

5166. श्री ए॰ जी॰ एस॰ राम बाबू : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों में स्वदेशी और विदेशी दोनों किस्म के यात्रियों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान यह वृद्धि दर कितनी रही;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अधिक टर्मिनलों का निर्माण करने के लिए सरकार की मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) गत 3 वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में औसत संवृद्धि लगभग 8 प्रतिशत थी तथा अन्तर्देशीय यातायात के संबंध में यह 11 प्रतिशत थी।

(ग) तथा (घ) नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अन्तर्राष्ट्रीय यात्री टर्मिनल के द्वितीय चरण के निर्माण तथा मुंबई स्थित अन्तर्देशीय यात्री टर्मिनल के द्वितीय चरण के निर्माण संबंधी प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है।

विदेश जा रहे अभिनेताओं को सुविधाएं

5167. श्री छीतुभाई गामीत: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नृत्य नाटक और संगीत के ग्रुपों की कोई सूची तैयार की है ताकि जब वे विदेश जाएं तो अपने देश की अच्छी छवि प्रस्तुत करने में उन्हें सहायता मिल सके;

(ख) क्या भारतीय दूतावासों के माध्यम से कार्यक्रमों के प्रकाशन और उन्हें तैयार करने के लिए सरकार द्वारा उन्हें कोई सुविधा दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं। गीत एवं नाटक प्रभाग के पास विदेश में मंडलियों को भेजने की कोई स्कीम/प्रावधान नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में रेल अधीक्षकों की तैनाती

5168. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलगाड़ियों में रेल अधीक्षकों की तैनाती करने के लिए वर्ष 1995-96 के लिए 50 रेलगाड़ियों का चयन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेल अधीक्षकों की तैनाती उक्त चयनित रेलगाड़ियों में कर दी गई है और उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार उक्त निर्णय का कार्यान्वय सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है और क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1996-97 के लिए इनके अतिरिक्त और रेलगाड़ियों का चयन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) अभी तक 20 जोड़ी गाड़ियों में गाड़ी अधीक्षक तैनात किए गए हैं। और अन्य गाड़ियों में उपयुक्त कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण नियुक्ति में देरी हुई है।

(ङ) और (च) अन्य गाड़ियों में गाड़ी अधीक्षक तैनात करने का निर्णय तब ही लिया जाएगा जब पहले से विनिर्दिष्ट गाड़ियां पूर्ण रूप से कवर हो जाएंगी। चुनिंदा गाड़ियों में गाड़ी अधीक्षकों को तैनात करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

रेलगाड़ियों की सूची

मध्य रेल

1. 1037/1038 पंजाब मेल
2. 1077/1078 झेलम एक्सप्रेस
3. 1081/1082 मुंबई वी॰ टी॰ - कन्याकुमारी एक्सप्रेस
4. 1013/1014 कुर्ला-बेंगलूरू एक्सप्रेस
5. 1015/1016 कुशीनगर एक्सप्रेस
6. 1033/1034 पुष्पक एक्सप्रेस
7. 1093/1094 महानगरी एक्सप्रेस
8. 1027/1028 दादर-अमृतसर एक्सप्रेस

पूर्व रेल

1. 2303/2304 पूर्वा एक्सप्रेस
2. 2311/2312 कालका मेल
3. 2381/2382 पूर्वा एक्सप्रेस
4. 2391/2392 मगध/विक्रमशिला एक्सप्रेस
5. 3003/3004 हावड़ा-मुंबई वी॰ टी॰ मेल
6. 3073/3074 हिमगिरि एक्सप्रेस

उत्तर रेल

1. 2479/2480 गोवा एक्सप्रेस
2. 4067/4068 मालवा एक्सप्रेस
3. 2401/2402 श्रमजीवी एक्सप्रेस
4. 2473/2474 सर्वोदय एक्सप्रेस
5. 2475/2476 राजकोट-जम्मूतवी एक्सप्रेस
6. 2477/2478 हापा-जम्मूतवी एक्सप्रेस
7. 4055/4056 ब्रह्मपुत्र मेल
8. 4007/4008 सद्भावना एक्सप्रेस

पूर्वोत्तर रेल

1. 5063/5064 अवध एक्सप्रेस
2. 5011/5012 गोरखपुर-कोचीन एक्सप्रेस
3. 5089/5090 गोरखपुर-हैदराबाद एक्सप्रेस
4. 5645/5646 दादर-गुवाहाटी एक्सप्रेस
5. 5047/5048 गोरखपुर-हवड़ा पूर्वांचल एक्सप्रेस

दक्षिण रेल

1. 2617/1618 मंगला एक्सप्रेस
2. 6003/6004 चेन्नई-हवड़ा मेल
3. 6039/6040 गंगा कावेरी एक्सप्रेस
4. 6059/6060 चार मीनार एक्सप्रेस
5. 6529/6530 उद्यान एक्सप्रेस
6. 6519/6520 बेंगलूरू-गुवाहाटी एक्सप्रेस
7. 6313/6314 कोचीन-गुवाहाटी एक्सप्रेस
8. 6321/6322 तिरूवनंतपुरम-गुवाहाटी एक्सप्रेस
9. 6315/6316 हवड़ा कोचीन एक्सप्रेस
10. 6335/6336 गांधीधाम-तिरूवनंतपुरम एक्सप्रेस
11. 6063/6064 चेन्नई एक्सप्रेस
12. 6043/6044 पटना-चेन्नई एक्सप्रेस
13. 6093/6094 लखनऊ-चेन्नई एक्सप्रेस

दक्षिण मध्य रेल

1. 7021/7022 दक्षिण एक्सप्रेस

दक्षिण पूर्व रेल

1. 2815/2816 पुरी एक्सप्रेस
2. 8001/8002 हवड़ा-मुंबई वी॰ टी॰ मेल
3. 8475/8476 नीलांचल एक्सप्रेस
4. 8045/8046 ईस्ट-वेस्ट एक्सप्रेस
5. 8477/8478 उत्कल एक्सप्रेस
6. 2801/2802 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस
7. 8029/8030 हवड़ा-मुंबई वी॰ टी॰ एक्सप्रेस

पश्चिम रेल

1. 2955/2956 जयपुर-मुंबई सेन्ट्रल एक्सप्रेस
2. 2915/2916 चेतक एक्सप्रेस

गुजरात में तार सेवाओं का आधुनिकीकरण

5169. श्री काशीराम राणा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में तार सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए कोई बजटीय आबंटन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तार सेवाओं के आधुनिकीकरण का काम कब से प्रारम्भ होने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात में माइक्रोप्रोसेसर आधारित स्टोर तथा फारवर्ड मैसेज स्विचिंग सिस्टम्स (एसएफएमएसएस), फारमेटेड टर्मिनल कंसेंट्रेटर्स (एफटीसी), इलेक्ट्रॉनिक की बोर्ड कंसेंट्रेटर्स (इकेबीसी), फैक्स तथा इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल्स प्रदान किए गए हैं। जिलावार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) टेलीग्राफ सेवाओं के लिए कोई अलग से बजट नहीं बनाया गया है।

(ङ) आधुनिकीकरण का कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है और इसमें प्रगति हुई है जिसका ब्यौरा उपरोक्त (भाग-ख) के उत्तर में संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गुजरात सर्किल में आधुनिक तार प्रणालियों के जिला-वार ब्यौरे।

जिले का नाम	एसएफएमएसएस की संख्या		टीपी कनेक्शन	एफटीसी	ईकेबीसी	फैक्स
	128एल	32एल				
1	2	3	4	5	6	7
अहमदाबाद	—	—	—	1	2	11
गांधीनगर	—	—	—	—	—	01
अमरेली	—	—	—	—	—	01
बनासकांठा	—	—	—	—	—	01
भरूच	—	—	—	—	1	03
जामनगर	—	—	—	—	1	01

1	2	3	4	5	6	7
जूनागढ़	—	—	—	—	—	03
खेड़ा	—	—	—	—	1	04
कच्छ	—	—	—	—	—	02
मेहसाना	—	—	—	—	—	02
पंचमहल	—	—	—	—	1	03
राजकोट	—	1	—	1	1	02
साबरकांठा	—	—	—	—	—	01
सुरेन्द्रनगर	—	—	—	—	—	01
सूरत	—	—	1	—	1	03
वडोदरा	—	—	—	1	1	04
वल्साड	—	—	—	—	—	03
डंग	—	—	—	—	—	—
दिव्यानगर	—	—	—	1	1	01
(संघ शासित राज्य)						

संक्षिप्त : एसएफएमएसएस — स्टोर एण्ड फारवर्ड मैसेज स्विचिंग सिस्टम
एफटीसी — फार्मेटेड टर्मिनल कंसेंट्रेटर
ईकेबीसी — इलेक्ट्रॉनिक की बोर्ड कंसेट्रेक्टर
टीपी — टेलीप्रिंटर

निजी विमान अनुरक्षण अभियंत्रण संस्थान

5170. श्री रविन्द्र कुमार पांडेय: क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने निजी अनुरक्षण अभियंत्रण संस्थान हैं जिन्हें नागर विमानन निदेशालय से मान्यता मिली हुई है;

(ख) इन संस्थानों में प्रत्येक वर्ष एक बैच में कितने प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश दिया जाता है;

(ग) क्या इन संस्थानों में प्रशिक्षणार्थियों को बुनियादी व अन्य सुविधाएं नहीं मिलती हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इन निजी अनुरक्षण अभियंत्रण संस्थान से प्रशिक्षित हुए प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न एयरलाइनों और अन्य इंजीनियरी कार्यों में रोजगार देने का कोई प्रावधान है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) देश में नागर विमानन महानिदेशक द्वारा अनुमोदित 18 विमान अनुरक्षण अभियंत्रण संस्थान हैं।

(ख) इन संस्थानों में प्रति वर्ष लगभग 1000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश दिया जाता है।

(ग) और (घ) प्रारंभिक अनुमोदन के साथ-साथ वार्षिक नवीकरण की मंजूरी देते समय, इन संस्थानों का नागर विमानन महानिदेशक द्वारा निरीक्षण किया जाता है ताकि उपयुक्त प्रशिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। नागर विमानन महानिदेशक द्वारा ध्यान में लाई गई किसी भी खामी को दूर करने की दिशा में इन संस्थानों द्वारा उपयुक्त कार्यवाई की जाती है। इस संबंध में गंभीर चूक के मामले में अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। तथापि, नागर विमानन महानिदेशक ने सामान्यतया प्रचालकों को यह संस्तुति की है कि प्रारंभिक स्तरों पर तकनीकी व्यक्तियों की भर्ती करते समय उन्हें इन संस्थानों के छात्रों की ओर उचित ध्यान देना चाहिए।

अजमेर स्थित आकाशवाणी केन्द्र को पारेषण क्षमता

5171. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में अजमेर स्थित आकाशवाणी केन्द्र की पारेषण क्षमता क्या है;

(ख) इस केन्द्र के विकास के लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल कितनी धनराशि दी गई;

(ग) इस केन्द्र को केवल रिले केन्द्र बनाए रखने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या विविध भारती तथा अन्य कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाएं तथा उपकरण इस केन्द्र में उपलब्ध हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक नियमित आकाशवाणी केन्द्र बना दिए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) आकाशवाणी, अज़मेर में 200 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ ट्रांसमीटर है जो राजस्थान के दूरदराज के इलाकों को रेडियो कवरेज प्रदान करने के लिए जयपुर चैनल "ए" के रिले केन्द्र के रूप में कार्य करता है। चूंकि आकाशवाणी अज़मेर के विकास के लिए कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है इसलिए केन्द्र के विकास हेतु कोई राशि संवितरित नहीं की गई है। तथापि, प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए वर्ष 1994-95, 95-96 तथा 96-97 के दौरान क्रमशः 61.21 लाख रुपए, 64.32 लाख रुपए और 84.15 लाख रुपए की राशियां संवितरित की गई थीं।

(घ) और (ङ) अज़मेर में विविध भारती कार्यक्रम को रिले करने अथवा कार्यक्रम निर्माण केन्द्र स्थापित करने हेतु फिलहाल कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

भंडार खरीद का केन्द्रीयकरण

[अनुवाद]

5172. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक स्थानों पर अनेक क्षेत्रीय रेलवे के बीच आम प्रयोक्ता मदों के संबंध में रेलवे के भंडार खरीद को केन्द्रीयकृत करने का कोई प्रस्ताव है ताकि द्विरावृत्ति को रोका जा सके और किफायत बरती जा सके; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी नहीं।

तथापि, सामान्य उपयोग की अधिकांश वस्तुओं के लिए दर संविदाओं का निपटान केन्द्रीय रूप से आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय करता है, जिनका रेलों द्वारा उपयोग किया जाता है। केवल बहुत ऊंचे मूल्य की वस्तुएं जैसे रेल इंजन, मालडिब्बे, सवारी डिब्बे, इस्पात, पेट्रोल तेल स्नेहक उत्पादों आदि तथा महत्वपूर्ण और संरक्षा वस्तुओं, जिनकी देश में क्षमता और स्रोत सीमित हैं, को किफायत बरतने तथा अलग-अलग रेलों द्वारा कुछ आपूर्तिकर्त्ताओं पर निगरानी से बचने के लिए केन्द्रीय रूप से खरीद की जाती है। अन्य वस्तुओं की केन्द्रीयकृत खरीद करने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह लघु उद्योगों तथा अन्य क्षेत्रीय उद्योगों के हितों पर हानिकारक सिद्ध होगा तथा यह किफायती भी नहीं होगा।

केरल में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र

5173. प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कल्लीस्सेरी, चेंगान्नूर, अलेप्पी में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या पर्याप्त स्टाफ की कमी के कारण ये कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इनके कब तक शुरू होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) से (घ) अल्लेपी जिले में चैन्गान्नूर स्थित मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर केरल के कल्लीसेरी में स्थित है चेन्गान्नूर स्थित अल्प शक्ति ट्रांसमीटर पहले से कार्यरत है किन्तु केवल सीमित प्रसारण अर्थात सप्ताह दिनों में सायंकालीन प्रसारण और रविवार को पूरा प्रसारण उपलब्ध करवा रहा है। क्योंकि परियोजना हेतु अपेक्षित स्टाफ में से केवल 50% स्टाफ की मंजूरी दी गई है। पूर्ण पूरक स्टाफ की मंजूरी प्राप्त होते ही इस अल्प शक्ति ट्रांसमीटर केन्द्र से पूर्ण कालिक प्रसारण प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

अल्लेप्पी जोकि कोचीन में कार्यरत उच्च शक्ति टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर की कवरेज सीमा में अवस्थित है, में फिलहाल कोई टेलीविजन ट्रांसमीटर नहीं है।

बिना बारी के आबंटन

5174. श्री अशोक प्रधान : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1990 तथा 30 जून, 1996 के बीच एसटीडी/आईएसडी टेलीफोन कनेक्शन तथा सरकारी क्वार्टरों का बिना बारी का आवंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1 जुलाई, 1996 से आज तक भी इसी प्रकार बिना बारी के आबंटन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा बिना बारी के आबंटन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा):

आईएसडी/एसटीडी/टेलीफोन कनेक्शन

(क) से (घ) जी, नहीं। केवल साधारण टेलीफोन जैसे एस॰ टी॰ डी॰/आई॰ एस॰ डी॰ सुविधाओं रहित टेलीफोन ही बिना बारी के आधार पर संस्वीकृत किए जाते हैं। एस॰ टी॰ डी॰/ आई॰ एस॰ डी॰ सुविधाएं, टेलीफोन कनेक्शन प्रयोक्ताओं को उनके विकल्प अनुसार प्रदान की जाती हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी आवास

(क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन

5175. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लालकुंआ-बरेली तथा बरेली-पीलीभीत-मैलानी लाइन के आमान परिवर्तन संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त आमान परिवर्तन कार्य के कब तक आरंभ होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने पर परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

[अनुवाद]

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में वैक्यूम क्लीनर तथा वैक्स कम्प्यूटर

5176. श्री सुनील खान : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने 2 करोड़ रुपए मूल्य का वैक्यूम क्लीनर और 30 करोड़ रुपए मूल्य का वैक्स कम्प्यूटर खरीदा है जो आधुनिकीकरण उपरान्त "सिन्टर" संयंत्र के समीप कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो, इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में तकनीकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (घ) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के नए सिंटर संयंत्र पैकेज के अन्तर्गत लगभग 85 हजार रुपए के 8 वैक्यूम क्लीनर और 36 लाख रुपए का एक वी॰ ए॰ एक्स॰ कम्प्यूटर खरीदा था।

वैक्यूम क्लीनर संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

वी॰ ए॰ एक्स॰ कम्प्यूटर हार्डवेयर संस्थापित कर लिए गए हैं और ये कार्य कर रहे हैं। शाफ्टवेयर स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा है और यह पूरा होने के अग्रिम चरण में है।

वैक्यूम क्लीनर और वी॰ ए॰ एक्स॰ कम्प्यूटर नए सिंटर संयंत्र पैकेज का अंग होने का कारण इसकी तकनीकी लेखा परीक्षा नए सिंटर पैकेज के लेखा परीक्षा के साथ की जाएगी।

[हिन्दी]

पैदल पार पथ का निर्माण

5177. श्रीमती शीला गौतम : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ जिले में रामघाट रोड रेल फाटक के निकट पैदल पार पथ का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है जिसके लिए पूर्व स्वीकृति पहले ही प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) कार्य को त्वरित गति से करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं। इस साइट पर भूमिगत पैदल पथ का कोई कार्य अनुमोदित नहीं किया गया हैं। बहरहाल, राज्य सरकार से पहुंच मार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण करने और उस पर कार्य शुरू हो जाने के बाद ऊपरी सड़क पुल शुरू किया जाएगा।

(ख) और (ग) उपरोक्त दी गई स्थिति को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रेलवे पर बकाया देय

5178. श्री राम नाईक :

श्री हंसराज अहीर :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार द्वारा रेलवे पुलिस पर किए गए व्यय के कारण 31 मार्च, 1997 को रेल प्रशासन से कितना देय बकाया था;

(ख) अब तक भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) पूर्ण भुगतान के लिए समयबद्ध कार्यक्रम क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 31 मार्च, 1997 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा रेलवे पुलिस पर खर्च किए जाने के कारण रेल प्रशासन पर कुल बकाया 15.66 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें मार्च 1997 में प्राप्त 4.93 करोड़ रुपए के बिल शामिल हैं।

(ख) मुख्य रूप से बकाया राशि निम्नलिखित के कारण है :-

(i) राज्य सरकार द्वारा लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किया जाना।

(ii) धनराशि की अनुपलब्धता।

(iii) रेल प्रशासन के अनुमोदन के बिना राज्य सरकार द्वारा राजकीय रेलवे पुलिस के पदों का एकतरफा सृजन।

(ग) रेलों को धन की उपलब्धता के अध्यधीन महाराष्ट्र सरकार के सभी स्वीकार्य दावों का निपटान करने के लिए पहले ही अनुदेश दिए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों का ठहराव

5179. श्री शिवराज सिंह : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदिशा रेलवे स्टेशन पर महामाया एक्सप्रेस

को, गंजवाशेडा में शिप्रा एक्सप्रेस और झेलम एक्सप्रेस को और गुलाब गंज रेलवे स्टेशन में पठानकोट एक्सप्रेस को ठहराव उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक आदेश जारी कर दिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जांच की गई परंतु वाणिज्यिक रूप से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

केरल में रेल लाइन और पुराने डिब्बों का बदला जाना

5180. श्री टी॰ गोविन्दन : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में अत्यधिक पुरानी रेल लाइन, पुराने डिब्बों को बदलने और रेल में सुधार के लिए डिब्बों की मरम्मत के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) 1.4.1997 को 193 कि॰ मी॰ के पटरी नवीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें से 115 कि॰ मी॰ पटरी नवीकरणों को 1997-98 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार, 1.4.97 को 165 कि॰ मी॰ के स्लीपर नवीकरण स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 111 कि॰ मी॰ को 1997-98 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। केरल क्षेत्र में गाड़ियों में लगाए गए यात्री सवारी डिब्बे सापेक्ष रूप से नए हैं और आयु प्रोफाइल से पता चलता है कि इस क्षेत्र में परिचालन में कोई गतायु सवारी डिब्बे नहीं हैं। इसके अलावा, हाल के महीनों के दौरान केरल में चलाई जा रही गाड़ियों में 160 नए सवारी डिब्बे लगाए गए हैं। सवारी डिब्बों की निर्धारित मानदंडों के अनुरूप कारखानों में नियमित आवधिक ओवरहालिंग की जा रही है। इसके अलावा डिब्बों की मरम्मत करके तथा मार्गवर्ती स्टेशनों पर मोबाइल जेट क्लीनिंग मशीनों का इस्तेमाल करके उन्हें साफ-सुथरा और अच्छी हालत में रखने के संबंध में सतत् प्रयास किए जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अभ्रक का उत्पादन

5181. श्री एन॰ जे॰ राठवा : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभ्रक के भंडारों विशेषकर गुजरात राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के भंडारों में कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अभ्रक आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) पता लगाए गए भंडारों से अभ्रक का उत्पादन करना एक सतत् प्रक्रिया है, इसलिए इसके संसाधनों में कमी आ रही है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

गढ़चीरोली में वरिष्ठ अधीक्षक का कार्यालय

5182. श्री हंसराज अहीर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के गढ़चीरोली जिले में डाक विभाग के वरिष्ठ अधीक्षक का कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) देश में वे कौन से जिले हैं जिनमें डाक विभाग के वरिष्ठ अधीक्षक के कार्यालय नहीं हैं;

(ङ) इसके कारण क्या हैं;

(च) इस संबंध में सरकार की क्या नीति है; और

(छ) महाराष्ट्र के सभी जिलों और देश में वरिष्ठ अधीक्षक, डाक के कार्यालय कब तक स्थापित हो जाएंगे ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वरिष्ठ अधीक्षक, डाकघर का कार्यालय खोलना इस संबंध में स्टाफ निरीक्षक यूनिट फार्मूला के अनुसार निर्धारित मानदंडों पर आधारित है जो इस मामले में पूरे नहीं होते।

(घ) जानकारी तुरंत उपलब्ध कराना संभव नहीं है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि नए जिले बनते रहते हैं। तथापि जानकारी एकत्र की जा रही है।

(ङ) वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर/अधीक्षक डाकघर एक डाक डिवीजन के अध्यक्ष होते हैं जिसे राजस्व जिले का अनिवार्य भाग नहीं माना जाता क्योंकि इसकी स्थापना जिले में कुल डाक-कार्यकलाप पर आधारित मानदंडों के आधार पर निर्भर करती है, जो प्रत्येक जिले में अलग-अलग होते हैं। अत्यधिक डाक-कार्य वाले जिलों में एकाधिक डाक डिवीजन हो सकते हैं।

(च) डाक डिवीजनों की स्थापना के लिए सुगठित विशेष मानदंड हैं और अतिरिक्त डिवीजनों को सृजित करने की कार्रवाई इन्हें ध्यान में रखकर, किसी विशेष मामले में इनके पूरा होने पर की जाती हैं।

(छ) उक्त भाग (ङ) और (च) के उत्तर में वर्णित स्थिति को

ध्यान में रखते हुए इस संबंध में कोई निर्धारित तारीख बताना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

बोकारो इस्पात संयंत्र में वित्तीय अनियमितताएं

5183. श्री बी. एल. शंकर : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बोकारो इस्पात संयंत्र में कथित 1625 करोड़ रुपए की गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं जैसाकि दिनांक 25 अप्रैल, 1997 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित हुआ था, की जांच आरम्भ कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जांच कब तक पूरी किए जाने की संभावना है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

अतिरिक्त पदों का सृजन

5184. श्री प्रमोद महाजन :

डॉ. लक्ष्मी नारायण पांडेय :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री वी. वी. राघवन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए एक अनुदेश के अनुसार समान संख्या में विद्यमान पद समाप्त किए बिना मंत्रालय/विभाग कोई नए पद सृजित नहीं कर सकते हैं;

(ख) क्या रेल मंत्रालय का विचार विद्यमान पदों की समान संख्या में वर्तमान पद समाप्त किए बिना 3000 अतिरिक्त पद सृजित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितना वित्तीय भार पड़ने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) केन्द्र सरकार के वर्तमान आदेशों और रेलों पर प्रचलित पद्धति के आधार पर क्षेत्रीय रेलों आदि पर रनिंग कर्मचारी तथा ड्राइवर, गार्ड, फायर मैन तथा इंजन निरीक्षक, आदि जैसी कतिपय कोटियों के सिवाय पदों या समान मौद्रिक मूल्य के पदों को अभ्यर्पित किए बिना नए पदों का सृजन नहीं किया जा सकता है।

(ख) रेलों पर बिना मैचिंग सरेंडर के 3000 अतिरिक्त पदों के सृजन का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, 1.1.97 से सफाई ठेकों की समाप्ति के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय रेलों को समान मौद्रिक मूल्य के पदों के मैचिंग सरेंडर द्वारा सफाई वालों के अपेक्षित पदों के सृजन का निदेश दिया गया था और यदि अभ्यर्पण फिलहाल संभव नहीं है तो 31.12.97 तक इसकी व्यवस्था की जाए।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

एड्स के संबंध में विज्ञापन

5185. श्री जसवंत सिंह चौहान : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एड्स रोग के निवारण के नाम पर सुरक्षा उपाए संबंधी प्रचार/विज्ञापन स्वच्छन्द यौनाचार को बढ़ावा दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसमें सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) एच. आई. वी. संक्रमण के कारणों में से एक कारण लैंगिक संसर्ग है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एन. ए. सी. ओ.) में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश में 71.9% एच. आई. वी. धनात्मक मामले, *इतरलिंगि संभोग आचरण* की श्रेणी के हैं। इसलिए भारत में सुरक्षित यौन-सम्पर्क और आचरण में परिवर्तन के लिए एड्स के निवारण एवं नियंत्रण हेतु सूचना, शिक्षा तथा संचार अभियान को इस श्रेणी पर *लक्षित किया गया है*। अत: यह सही नहीं है कि एड्स के निवारण एवं नियंत्रण हेतु किए जा रहे सुरक्षा उपाय स्वच्छन्द यौनाचार को बढ़ावा दे रहे हैं।

धारावाहिक

5186. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन द्वारा मार्च, 1991 में सुबह के प्रसारण के लिए जिन धारावाहिकों को तैयार करने के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली दूरदर्शन का विचार उपर्युक्त प्रस्तावों विशेषकर "अमर लोग" धारावाहिक के प्रस्ताव की भी मंजूरी देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) मार्च, 1991 मास में कुल 24 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। धारावाहिक "अमर लोग" के लिए प्रस्ताव 29.1.1991 को प्राप्त हुआ था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रात:कालीन प्रसारण के रूप में परिवर्तन के कारण इस प्रकार के कार्यक्रमों को प्रात: कालीन प्रसारण में प्रसारित करना फिलहाल संभव नहीं है।

विवरण

मार्च, 1991 में प्रात:कालीन प्रसारण हेतु प्राप्त प्रस्तावों की सूची

क्र॰ सं॰	एजेन्सी	शीर्षक	प्रस्तुत करने की तारीख
1	2	3	4
1.	मैसर्स आर॰ आर॰ कम्यूनिकेशन सी-471, टी॰ एस॰ एफ॰ एस॰, शेख सराय फेस-1, नई दिल्ली-18.	सुकन्या-चारितम	4.3.91
2.	मैसर्स सुहासिनी मूले प्रोडक्शन, बी-42, फ्रेन्ड्स कालोनी वेस्ट, नई दिल्ली-65.	संस्कृत मंदाकिनी	5.3.91
3.	मैसर्स विश्रकला ड्रक श्रव्यकला प्रा॰ लिमिटेड 88 परैरा बिल्डिंग खोटाची वाडी गिरगम, मुम्बई-400004.	कथाकौमुडी तथा बाल कथा कुंज	7.3.91
4.	मैसर्स टेलीवेजेस ए-1/312, जनक पुरी, नई दिल्ली-110058.	मालवीकागनी निगम	7.3.91
5.	मैसर्स क्रिएटिव विजन 554, पॉकेट-5 मयूर विहार, फेज-1, दिल्ली-91.	कथा सरित सागर से	7.3.91
6.	मैसर्स आरती फिल्म्स 41 क्वीन्स विव्यू जुहू रोड, मुम्बई-400049.	दारिद्र	22.3.91
7.	मैसर्स गरीब निवाज पिक्चर्स 198/1 रेलवे हाऊस, खार (ई) मुम्बई-400051.	नृत्यगाथा	22.3.91
8.	मैसर्स टेली क्रियेशन इंडिया 1-1783, चित्तरंजन पार्क नई दिल्ली-110019.	मुद्रा राक्षस	22.3.91
9.	मैसर्स काजल क्रिएशन, डी-41 ई, रॉक विव्यू फ्लैट्स कद्दज मुनीरका, नई दिल्ली-110067.	नागनन्दम	22.3.91

1	2	3	4
10.	मैसर्स गरीब नवाज 2 पिक्चर्स 190/1 रेलवे हाउस, खार (ई) मुम्बई-400051.	नृत्यगाथा	23.3.91
11.	मैसर्स माथुर वीडियो विजन 107, ओसियन बिल्डिंग 12, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019.	टन्टूवाई कबीर	26.3.91
12.	मैसर्स सुर भारती 61/4-ए काली बाड़ी मार्ग नई दिल्ली-110011.	शाकुन्तलम	27.3.91
13.	मैसर्स लोकयात्रा विलेज हौज खास नई दिल्ली-110016.	प्रहालिका	30.3.91
14.	मैसर्स ओम कम्यूनिकेशन 962 पश्चिम पुरी-II नई दिल्ली-110063.	फेस इन द क्राउड	5.3.91
15.	मैसर्स रूक वीडिया मैटिक्स एच-14/12 मालवीय नगर नई दिल्ली-110047.	फेस इन द क्राउड	5.3.91
16.	मैसर्स सहयोग आर-2, पटेल नगर वेस्ट नई दिल्ली-110008.	फेस इन द क्राउड	7.3.91
17.	मैसर्स शौह सिंह 142 सेक्टर 98, चंडोगढ़	फेस इन द क्राउड	7.3.91
18.	मैसर्स टेली वेवेज ए-1/312, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058.	फेस इन द क्राउड	13.3.91
19.	मैसर्स सुमित राघे फिल्मस, डब्ल्यू॰ जेड-54, स्ट्रीट नं॰ 2, साद नगर, पालम कालोनी, नई दिल्ली-45.	-तथैव-	13.3.91
20.	मैसर्स अरवुधा कम्यूनिकेशन, 64-ई, लोक सभा क्वार्टरस, वसन्त विहार, नई दिल्ली-57.	फेस इन द क्राउड	22.3.91

1	2	3	4
21.	मैसर्स आर॰ ई॰ मपाकक्षी, 7/1, चिन्नापा मेन्शन, वेस्ट पार्क रोड, आठवां क्रास मालेश्वरम्, बैगलूर-560003.	-तथैव-	22.3.91
22.	मैसर्स स्पेक्ट्रम इन्टरनेशनल बी-1-बी-2, अशोक अपार्टमेन्ट्स, रणजीत नगर, कमर्शियल काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110058.	-तथैव-	26.3.91
23.	मैसर्स अभिशेख फिल्मस, 2 जी, जयन्ती, 2, मन्डोविल्ला, गार्डन, कलकत्ता-700019.	-तथैव-	26.3.91
24.	मैसर्स मूर्ति चद्ढा, बी-71, एल॰ आई॰ जी॰ डी॰ डी॰ ए॰ फ्लैट्स, मोतिया खान, नई दिल्ली-59.	-तथैव-	26.3.91

[अनुवाद]

झुग्गीवासियों का हटाया जाना

5187. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर बसे झुग्गीवासियों को आर्थिक मुआवजा देने का है ताकि वहां पर प्लेटफार्म बनाए जा सकें और एक दूसरा प्रवेश द्वार खोला जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने झुग्गी-झौंपड़ी वेलफेयर एसोसिऐशन बनाम तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन के मामले में निर्णय दिया था कि झुग्गी झौंपड़ीवासियों को रेलवे भूमि दो माह के भीतर खाली कर देनी चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो उस निर्णय के मद्देनजर झुग्गी-झौंपड़ीवासियों को उस भूमि के लिए जो रेलवे के विकास कार्य में बाधा बनी हुई है, सरकार द्वारा खाली कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली हाई कोर्ट के दि॰ 8 जुलाई, 1996 के निर्णय में कहा गया था कि 31.8.96 तक की झुग्गियों को नहीं हटाया जाना चाहिए।

(घ) बेदखली कार्रवाई शुरू की गई थी परंतु कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण रोक देनी पड़ी।

रेल लाइन को पुनः चालू करना

5188. श्री टी॰ गोपाल कृष्ण : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में कोटीपल्ली और काकीनाड़ा के बीच रेल लाइन को पुनः चालू करने के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) द्वितीय विश्व युद्ध के समय की इस रेल लाइन को पुनः चालू करने के लिए भूमि अर्जित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है; और

(ग) इस रेल लाइन के कब तक पुनः चालू हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) समालकोट के रास्ते काकीनाडा-कोटिपल्ली लाइन के पुनः स्थापन का कार्य वर्ष 1995-96 के बजट में इस परन्तुक के साथ सम्मिलित किया गया था कि योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

बहरहाल, परियोजना के लिए राज्य सरकार को पहले पुरानी लाइन के परित्याग के बाद भूमि जो निर्मित है, के बदले निःशुल्क भूमि उपलब्ध करानी होगी। राज्य सरकार के भूमि उपलब्ध कराने के बाद ही परियोजना

पर आगे विचार किया जा सकता है।

कोल्ड रोलिंग मिल की स्थापना

5189 श्री मधुकर सरपोतदार : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में कोरबा की नई कोल्ड रोलिंग मिल की स्थापना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) इससे प्रति वर्ष कितना उत्पादन होगा ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) मध्य प्रदेश में कोरबा में इस्पात शीत बेलन मिल स्थापित करने के लिए सरकार ने हरी झंडी नहीं दिखाई है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों/कम शक्ति ट्रांसमीटरों की स्थापना

5190. श्री के. डी. सुलतानपुरी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कम शक्ति के ट्रांसमीटर स्थापित करने की क्या नीति है;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश में शिमला और अन्य स्थानों पर दूरदर्शन के विस्तार के लिए कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की स्थापना की गई है;

(ग) क्या देश में विशेषकर हिमाचल प्रदेश में कम शक्ति के ट्रांसमीटरों के रख-रखाव के लिए अपेक्षित स्टाफ प्रदान किया गया है;

(घ) यदि हां, तो स्थान-वार कितने लोग नियुक्त किए गए हैं;

(ङ) स्थान-वार, कम शक्ति के ट्रांसमीटरों के रख-रखाव के लिए स्टाफ की कमी है; और

(च) कब तक उक्त स्टाफ प्रदान कर दिया जायेगा।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) टेलीविजन ट्रांसमीटर परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु मोटे तौर पर मानदण्ड, देश के अब तक कवर न किए गए क्षेत्रों, विशेष रूप से पर्वतीय, पिछड़े, जनजातीय, दूर-दराज, संवेदनशील एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में टेलीविजन सेवा प्रदान करना है।

(ख) हिमाचल प्रदेश में विद्यमान टेलीविजन ट्रांसमीटर नेटवर्क में 2 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, 7 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, 21 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और 2 ट्रांसपोज़र शामिल हैं।

(ग) शिमला में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (डीडी-2) सहित देश में अनेक ट्रांसमीटर परियोजनाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण हेतु स्टाफ संबंधी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) हिमाचल प्रदेश में विभिन्न टेलीविजन ट्रांसमीटर परियोजनाओं में तैनात व्यक्तियों की स्थलवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(च) रिक्त पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है और नेटवर्क में विद्यमान रिक्तियों को भरने के लिए समय-समय पर कार्रवाई की जाती है।

विवरण

हिमाचल प्रदेश में विभिन्न टेलीविजन ट्रांसमीटर परियोजनाओं (उच्च शक्ति ट्रांसमीटर तथा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर) में तैनात स्टाफ का स्थलवार ब्यौरा।

परियोजना	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे हुए पद	रिक्तियां
उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, शिमला	11	11	शून्य
उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, कासौली	15	14	01
अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, बिलासपुर	11	09	02
अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, धर्मशाला	11	11	शून्य
अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, कुल्लू	09	09	शून्य
अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, मण्डी	10	08	02
अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, मनाली	11	10	01
अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, रामपुर	05	02	03

टिप्पणी: अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तथा ट्रांसपोज़र कर्मचारी रहित प्रतिष्ठान हैं।

फन्ड, पेंशन और अन्य सुविधाओं के प्रपत्रों की अनुपलब्धता

5191. श्री नीतीश कुमार :

जस्टिस गुमान मल लोढा :

श्री सुरेन्द्र यादव :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जटिल प्रक्रिया के कारण रेल विभाग के कर्मचारियों को अपने विभिन्न फन्डों, पेंशन और अन्य सुविधाओं इत्यादि

के लिए प्रपत्र, उपलब्ध नहीं होते हैं;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1997 तक ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी जिन्हें उपर्युक्त सुविधाएं नहीं प्रदान की गईं थीं;

(ग) सरकार द्वारा प्रक्रिया को सरल बनाने और रेल कर्मचारियों को प्रपत्र उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं; और

(घ) कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद उनके फन्ड और पेंशन का भुगतान शीघ्र ही सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

टेलीफोन दरों के लिए राजसहायता

5192. श्री महेन्द्र सिंह भाटी :

श्रीमती केतकी देवी सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन दरों के लिए दी जाने वाली राजसहायता को वापस लेने से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

कर्नाटक की पर्यटन परियोजना

5193. श्री ए. सिद्धराजु : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में पर्यटन के विकास के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने हेतु 900 करोड़ रुपए की पर्यटन परियोजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपर्युक्त योजना को स्वीकृत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो कर्नाटक में प्रस्तावित योजना में विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 1996-97 के दौरान कर्नाटक राज्य सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता और बाह्य निधिकरण के माध्यम से 940/- करोड़ रुपए की राशि के निवेश की 11 योजनाओं की पहचान की है। कर्नाटक में पर्यटन के विकास के लिए 356.89 लाख रुपयों की राशि की 21 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

बिहार शरीफ विमानपत्तन

5194. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार शरीफ हवाई अड्डे के पुनरुद्धार करने के संबंध में कोई सुझाव/शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं। यह हवाई अड्डा राज्य सरकार का है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

दूरदर्शन रिले केन्द्र, मध्य प्रदेश

5195. श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में उन स्थानों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है जहां दूरदर्शन रिले केन्द्र (वी. एल. पी. टी.) स्थापित किए गए हैं;

(ख) कितने दूरदर्शन केन्द्र निर्माणाधीन हैं और उन दूरदर्शन केन्द्रों की संख्या कितनी है जो कर्मचारियों की कमी के कारण चालू नहीं हैं; और

(ग) राज्य के मंदसौर और उज्जैन जिलों में उन स्थानों का ब्यौरा क्या है, जहां दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) मध्य प्रदेश राज्य में वर्तमान में परिचालित दूरदर्शन परियोजनाओं के स्थलवार ब्यौरे संलगन विवरण में दिए गए हैं।

(ख) मध्य प्रदेश में वर्तमान में 3 कार्यक्रम निर्माण केंद्र, 6 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तथा 5 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन हैं। राज्य में कोई परियोजना स्टॉफ की कमी के कारण चालू होने के लिए लम्बित नहीं है।

(ग) उज्जैन जिले के उज्जैन में एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तथा मंदसौर जिले के मंदसौर, नीमच तथा कुकड़ेश्वर में एक-एक अर्थात् तीन अल्प शक्ति ट्रांसमीटर वर्तमान में परिचालन में हैं।

विवरण

मध्यप्रदेश राज्य में वर्तमान में परिचालित दूरदर्शन परियोजनाओं की सूची

का॰ नि॰ के॰	उ॰ श॰ ट्रा॰	अ॰ श॰ ट्रा॰	अ॰ अ॰ श॰ ट्रा॰	ट्रांसपोजर
1	2	3	4	5
भोपाल	भोपाल	अलीराजपुर	बुधनी	सिंगरौली
रायपुर	ग्वालियर	अशोकनगर	डायमंड माइनिंग परियोजना	
	इन्दौर	अम्बिकापुर	जशपुरनगर	
	जबलपुर	बैलाडिला	कोंडागांव	
	जगदलपुर	बालाघाट	परासिया	
	रायपुर	बैतूल	पाखनजोर	
		भांडेर		
		भिण्ड		
		विजयपुर		
		बिलासपुर		
		बुरहानपुर		
		चंदेरी		
		छतरपुर		
		छिंदवाड़ा		
		दमोह		
		दतिया		
		डूंगरगढ़		
		गाडरवारा		
		गुना		
		हरदा		
		इटारसी		
		बावरा		
		झाबुआ		
		कांकेर		
		केलारस		
		खण्डवा		
		खरगौन		
		खुरई		
		कोरबा		
		कुकड़ेश्वर		
		कुरासिया		
		कुरवई		
		लहर		

1	2	3	4	5
		मैहर		
		मलांजखंड		
		मण्डला		
		मन्दसौर		
		मनेन्द्रगढ़		
		मुरवारा		
		नागदा		
		नारायणपुर		
		नरसिंहपुर		
		नीमच		
		पचमढ़ी		
		पन्ना		
		राघोगढ़		
		रायगढ़		
		राजगढ़		
		राजहारा झारनडिली		
		रतलाम		
		रीवा		
		सागर		
		सकती		
		सतना		
		सिवनी		
		शहडोल		
		शाजापुर		
		श्योपुर		
		शिवपुरी		
		सीधी		
		सिंगरौली		
		सिरौंज		
		टीकमगढ़		
		उज्जैन		
		भोपाल (डीडी-2)		

टिप्पणी :

का॰ नि॰ के॰	कार्यक्रम निर्माण केन्द्र
उ॰ श॰ ट्रा॰	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
अ॰ श॰ ट्रा॰	अल्प शक्ति टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर
अ॰ अ॰ श॰ ट्रा॰	अति अल्प शक्ति टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर

[अनुवाद]

बिहार में नरकटिया और बंगांव में उच्च शक्तिवाला ट्रांसमीटर

5196. डॉ॰ मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में विशेषकर नरकटियागंज और बंगांव अनुमंडल के शहरों में उच्च शक्ति वाले टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इनका निर्माण कब तक किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) संसाधनों की उपलबधता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए बिहार में मोतिहारी, जमशेदपुर और देवगढ़ में एक-एक अर्थात् तीन उच्च शक्ति टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने का विचार है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कीम अनुमोदित किए जाने के बाद ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लगभग 3-4 वर्ष का समय लगता है। तथापि, बिहार के नरकटिया और बंगांव अनुमंडलों में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने की फिलहाल कोई अनुमोदित स्कीम नहीं हैं।

लंबी दूरी वाली रेलगाड़ियां

5197. श्री एस॰ डी॰ एन॰ आर॰ वाडियार : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर और मंगलौर के बीच बड़ी लाइन चालू करने के पश्चात् मैसूर से लंबी दूरी वाली कितनी रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार मैसूर से मुंबई, त्रिवेंद्रम और दिल्ली के लिए कतिपय लंबी दूरी वाली रेलगाड़ियां चलाए जाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय रेलों पर संसाधनों की उपलब्धता, परिचालनिक व्यावहारिकता और यातायात औचित्य के अनुसार नई गाड़ियां चलाना और गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाना एक सतत् प्रक्रिया है। बेंगलूर-मैसूर खण्ड का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन होने के बाद मैसूर-बेंगलूरू एक्सप्रेस/पुश पुल गाड़ियों के अलावा मैसूर से मद्रास और तिरुपति तक सीधी रेल सेवाएं चलाई गई हैं।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कम्प्यूटरीकृत डाकघर

5198. श्रीमती केतकी देवी सिंह :
प्रो॰ ओमपाल सिंह "निडर" :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान सेवाओं के आधुनिकीकरण के अंतर्गत कितने डाकघरों में कम्प्यूटर लगाए जाने का विचार है;

(ख) इन पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(ग) उपर्युक्त कार्य कब तक समाप्त होने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) चालू योजनावधि 1997-98 के दौरान बचत बैंक सेवाओं के लिए 100 लोकल एरिया नेटवर्क सहित 1000 कम्प्यूटर आधारित काउंटर मशीनें स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रत्येक लोकल एरिया नेटवर्क में एक सर्वर और दो नोड्स होते हैं जिन्हें 100 डाकघरों में स्थापित किया जाएगा। शेष 700 कम्प्यूटर आधारित काउंटर मशीनों को 200 से 250 डाकघरों में स्थापित करने का प्रस्ताव है जो डाकघर के आकार पर निर्भर करेगा।

(ख) 100 लोकल एरिया नेटवर्क सहित 1000 मशीनों की स्थापना पर लगभग 6.60 करोड़ रुपए का व्यय होने का अनुमान है।

(ग) वर्ष 1997-98 के लिए प्रस्तावित कम्प्यूटरों की स्थापना के कार्य के मार्च, 1998 तक पूरा हो जाने की आशा है।

[अनुवाद]

उपरि पुलों का निर्माण

5199. श्री सोहनवीर सिंह : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में जोनवार/राज्यवार रेलवे स्टेशनों पर कितने उपरि पुलों का निर्माण किया गया है;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय के दौरान कितने उपरि पुलों का निर्माण किए जाने की संभावना है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) क्षेत्रीय रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

नैनपुर में दक्षिण-पूर्व रेलवे जोन के प्रबंधक के कार्यालय की स्थापना

5200. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नैनपुर में दक्षिण-पूर्व रेलवे जोन के प्रबंधक का कार्यालय खोलने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कार्यालय पूर्ण रूप से स्थापित करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) सरकार नैनपुर में क्षेत्रीय महाप्रबंधक का कार्यालय खोलने के लिए सहमत

नहीं थी। बहरहाल, पहले 1984 में इस क्षेत्र के मुख्यत: छोटी लाइन खंड के लिए नैनपुर में एक मण्डल रेल प्रबंधक का कार्यालय स्थापित करने की योजना बनाई गई थी।

(ख) और (ग) एक आमान परियोजना, कोंकण रेल के निर्माण और यातायात पैटर्न में वृद्धि/परिवर्तन को देखते हुए सरकार ने भुवनेश्वर, इलाहाबाद, हाजीपुर, बेंगलूरू, जयपुर और जबलपुर में छः नए जोन और आगरा, अहमदाबाद, पुणे, सिंगरौली, रंगिया, रायपुर, गुंटूर और रांची में 8 नए मण्डलों की स्थापना करने का विनिश्चय किया है।

उपेक्षित पड़े रेल इंजन

5201. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने रेल इंजन/सवारी डिब्बे दुर्घटना अथवा अन्य कारण से रेल पटरी पर उपेक्षित पड़े हैं;

(ख) क्या इन इंजनों तथा डिब्बों की कबाड़ी द्वारा रेलवे अफसरों/कर्मचारियों के साथ मिलीभगत से टुकड़ों में चोरी की जाती है;

(ग) यदि हां, तो इन असुरक्षित रेल इंजनों/डिब्बों को संरक्षण प्रदान करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) विभिन्न स्थानों पर पड़े इन असुरक्षित रेल इंजनों/डिब्बों का कुल मूल्य क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) दो रेल इंजन और 106 सवारी डिब्बे दुर्घटनाओं अथवा अन्य कारणों से रेल पटरी पर उपेक्षित पड़े हुए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय रेलों पर उक्त उपेक्षित रेल इंजनों और सवारी डिब्बों का अनुमानित स्क्रैप मूल्य लगभग 1.15 करोड़ रुपए है। यह स्टाक उसी स्थान पर निपटान की प्रक्रियाधीन है।

[अनुवाद]

इस्पात संयंत्रों की स्थापना

5202. डॉ॰ कृपासिन्धु भोई :

श्री के॰ पी॰ सिंह देव :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में इस्पात संयंत्रों की स्थापना के संबंध में लंबित प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो नौवीं योजना के दौरान इस राज्य में कितने इस्पात संयंत्र स्थापित किए जाने की आशा है; और

(ग) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ग) जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के तहत लोहा और इस्पात को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है तथा स्थान-स्थिति संबंधी कतिपय प्रतिबंधों को छोड़कर इसे अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों से भी छूट दे दी गई है। इस नीति के अनुसार औद्योगिक लाइसेंस के लिए केन्द्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता तभी होती है जबकि प्रस्तावित परियोजना प्रतिबंधित स्थान पर लगाई जानी हो। उड़ीसा में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी के लिए केन्द्र सरकार के पास इस समय कोई प्रस्ताव लॉबित नहीं है।

उड़ीसा राज्य सरकार के अनुसार उड़ीसा राज्य में लोहा और इस्पात की परियोजनाओं की स्थापना हेतु उन्हें 15 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके द्वारा तीन संयंत्र अर्थात् नीलाचल इस्पात निगम लि॰, मिड॰ ईस्ट इंटीग्रेटेड स्टील लि॰ तथा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लि॰ (चरण-1) अनुमोदित कर दिए गए हैं और इनके नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू होने की आशा है।

आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों में तकनीकी कर्मचारी

5203. श्री वी॰ धनन्जय कुमार : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने विभिन्न दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों के संबंध में स्टाफ स्थिति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों में तकनीकी तथा प्रचालन कर्मचारियों की भारी कमी है; और

(ग) अपेक्षित कर्मचारियों की तत्काल भर्ती के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) आकाशवाणी स्टेशनों और दूरदर्शन केन्द्रों में स्टाफ की स्थितियों की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है। दूरदर्शन में लगभग 2000 पदों और आकाशवाणी में लगभग 700 पदों के सृजन संबंधी प्रस्तावों पर वर्तमान में वित्त मंत्रालय के साथ कार्रवाई की जा रही है।

पदों के सृजित होते ही संगत भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार इन पदों को भरने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

श्रीलंका में कंक्रीट सुपर संयंत्र स्थापित करना

5204. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रीलंका में कंक्रीट स्लीपर संयंत्र स्थापित करने और रेल लाइन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु श्रीलंका सरकार को मदद देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में श्रीलंका सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) श्रीलंका ने कंक्रीट स्लीपर संयंत्र स्थापित करने में रुचि दिखायी है। 1994 में श्रीलंका सरकार को इरकॉन द्वारा (रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

सरकार का श्रीलंका में रेलपथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) श्रीलंका सरकार ने सूचित किया था कि अपनी आवश्यकता की समीक्षा के आधार पर उन्होंने कंक्रीट स्लीपर संयंत्र की स्थापना के प्रस्ताव को लंबित कर दिया है।

[अनुवाद]

नंदयाल येरागुंटला सेक्शन पर नई रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण

5205. श्री अय्यन्ना पटरुमु : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पध्य रेलवे के अंतर्गत नंदयाल-येरागुंटला सैक्शन पर नई रेल लाइनों को बिछाने के लिए सर्वेक्षण कराए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण कार्य कब तक शुरू किए जाने तथा पूरा होने की संभावना है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए अनुमानतः कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) नंदयाल-येरागुंटला खण्ड का सर्वेक्षण कार्य पहले पूरा हो चुका है और इस सर्वेक्षण के आधार पर इस कार्य को बजट में शामिल किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस सर्वेक्षण पर 3.78 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।

[हिन्दी]

एस॰ टी॰ डी॰/पी॰ सी॰ ओ॰ बूथों का आवंटन

5206. श्री राम कृपाल यादव :

श्री पवन दीवान :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग और बेरोजगार युवकों को आबंटित किए गए एस॰ टी॰ डी॰/पी॰ सी॰ ओ॰ बूथों को अवैध ढंग से दूसरे लोग चला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाई की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों की किसी प्रकार की सांठ-गांठ होने का पता चला है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार पिछले दो वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ग्रामीण/शहरी टेलीफोन का कार्यकरण

5207. श्री एन॰ डेनिस : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोनों के कार्यकरण के संबंध में कोई आकलन कराया गया है;

(ख) क्या सरकार ने तत्काल तथा कुशल सेवा सुनिश्चित करने हेतु आद्यतन तकनीक का उपयोग करने के लिए लाइनमैन को प्रशिक्षण दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लाइनमैन संवर्ग का फोन मेकैनिक संवर्ग में पुनर्गठन किया गया है। फोन मेकैनिकों को नवीनतम प्रौद्योगिकी के सहित 8 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तथापि, जिन लाइनमैनों को फोन मेकैनिक संवर्ग के लिए नहीं चुना गया है, उन्हें अपने हुनर को बढ़ाने के लिए 3 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

नई दिल्ली-पलवल रेलमार्ग पर यात्रियों की भीड़-भाड़

5208. श्री के॰ एच॰ मुनियप्पा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पलवल-नई दिल्ली रेलमार्ग पर खासकर न्यू टाउन फरीदाबाद स्टेशन पर दैनिक यात्रियों का भारी दबाव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि यदि 4003 इंटर सिटी एक्सप्रेस का हाल्ट न्यू टाउन फरीदाबाद स्टेशन पर कर दिया जाए और इस गाड़ी को नई दिल्ली तक बढ़ा दिया जाए तो इससे इस क्षेत्र के लोगों की उचित मांग पूरी हो जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां। सुबह और शाम के व्यस्त घंटों के दौरान।

(ख) और (ग) फिलहाल, परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगी के कारण पलवल-फरीदाबाद-नई दिल्ली खंड पर अतिरिक्त गाड़ियां चलाने की कोई योजना नहीं है। तथापि, अतिरिक्त भीड-भाड़ को संभालने के लिए इस क्षेत्र में ई॰ एम॰ यू॰ रेकों में 12 कार की उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है।

(घ) और (ङ) फरीदाबाद टाउन में 4003 आगरा कैंट-निजामुद्दीन एक्सप्रेस के ठहराव की जांच की गई लेकिन व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

नई दिल्ली में टर्मिनल सुविधाओं सहित परिचालनिक कठिनाइयों के कारण 4003/4004 एक्सप्रेस को नई दिल्ली तक बढ़ाना व्यावहारिक नहीं पाया गया।

खड़गपुर-खुरदा रेल सेक्शन का विद्युतीकरण

5209. श्री अंचल दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिद्धांत रूप से खड़गपुर-खुरदा रेल सेक्शन के विद्युतीकरण को स्वीकृत कर दिया है तथा इस कार्य हेतु धनराशि का आबंटन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक व्यय की गई धनराशि का तथा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त सेक्शन के विद्युतीकरण कार्य को पूरा किए जाने की लक्षित तिथि क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी हां। दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर-खुरदा रोड खंड का विद्युतीकरण कार्य खड़गपुर-भुवनेश्वर और भुवनेश्वर-विशाखापत्तनम खंडों की विद्युतीकरण परियोजनाओं में आता है।

(ग) 31.3.97 तक कोई खर्च नहीं हुआ है। बहरहाल, इन कार्यों के लिए वर्ष 1997-98 के बजट में 46.53 करोड़ रू. का आबंटन किया गया है।

(घ) मार्च, 2002 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में एअर इंडिया का हिस्सा

5210. श्री एल. रमना : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को आने और यहां से जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यातायात में एअर इंडिया के हिस्से में लगातार गिरावट आई है जबकि अन्य एअरलाइनों की स्थिति सुधरी है;

(ख) एअर इंडिया के निराशाजनक कार्यनिष्पादन के क्या कारण हैं; और

(ग) एअर इंडिया के हिस्से को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख) एअर इंडिया द्वारा वाहित यात्रियों की संख्या में तो गिरावट नहीं आई है, लेकिन इसका बाजार शेयर 1990 में 24.5 प्रतिशत की तुलना में घटकर 1995 में 23.1 प्रतिशत रह गया है, क्योंकि एयर-लाइन उस गति से विकास नहीं कर पायी जिस दर पर अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में वृद्धि हुई है।

(ग) अपना बाजार शेयर बढ़ाने के लिए, एअर इंडिया क्षमता संवर्धन करने, विपणन प्रयासों को तीव्र करने तथा अपने उत्पाद, छवि तथा समयबद्ध कार्य निष्पादन में सुधार लाने की दिशा में कदम उठा रहा है।

उड़ानों का विस्तार

5211. श्री के. पी. सिंह देव : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स की नौवीं योजनावधि के दौरान नई उड़ानें शुरू करने और अपनी उड़ानों का विस्तार करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में वर्ष 1997-98 के लिए विशिष्ट प्रस्ताव क्या हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दोनों एयरलाइनों द्वारा विमान-बेड़ा का विस्तार/नवीनीकरण एक सतत् कार्रवाई है और यह एयरलाइनों के संसाधनों, यातायात आवश्यकताओं, विमान की उपयुक्तता, विभिन्न-सेक्टरों/मार्गों पर प्रचालनों की साध्यता इत्यादि पर निर्भर करता है।

एअरबस-300 तथा बोईंग-737 विमान

5212. श्री माधवराज सिंधिया : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर बस-300 तथा बोइंग-737 विमान जो इंडियन एअरलाइन्स के बेड़े का अंग है, केवल पुरानी उड़ने वाली मशीन बनकर रह गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक विमान कितनी अवधि से उड़ान भर रहे हैं तथा उनकी इष्टतम सुरक्षित उड़ान अवधि अथवा उड़ान संबंधी माइलेज क्या है; और

(ग) इन विमानों को बदलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है अथवा उठाया जा रहा है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गया जंक्शन और नई दिल्ली के बीच नई रेलगाड़ी चलाना

5213. श्री चित्रसेन सिंकु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नालंदा, नवादा, जहांनाबाद, औरंगाबाद इत्यदि के लोगों की सुविधा हेतु गया जंक्शन और नई दिल्ली के बीच नई रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि गया जंक्शन और नई दिल्ली के बीच कोई भी रेलगाड़ी न होने की वजह से लोगों को सुदूर स्थानों से पटना जाना पड़ता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का गया जंक्शन और नई दिल्ली के बीच रेलगाड़ी कब तक चालू कर देने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ) गया और दिल्ली को जोड़ने के लिए राजधानी एक्सप्रेस सहित 6 जोड़ी गाड़ियां हैं। गया और दिल्ली के बीच एक गाड़ी चलाए जाने की जांच की गई है परन्तु गया और दिल्ली दोनों पर टर्मिनल/अनुरक्षण सुविधाओं की कमी के अलावा संसाधनों की तंगियों सहित परिचालनिक कठिनाइयों के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की पदोन्नति

5214. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की पदोन्नतियां वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उनकी गोपनीय रिपोर्टों में प्रतिकूल और गलत टिप्पणियां दिए जाने की प्रतिकूल कार्रवाई के कारण रुकी हुई हैं;

(ख) क्या प्रभावित अधिकारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने भविष्य में सभी लंबित मामलों की पुनरीक्षा के लिए और ऐसे सभी मामलों की जांच के लिए पिछले बजट सत्र के दौरान संसद में उच्च शक्ति प्राप्त समिति की स्थापना करने का आश्वासन दिया था;

(ग) यदि हां, तो क्या अब तक कोई ऐसी समिति गठित कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति कब तक सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

लंबी दूरी की गाड़ियों में रसोईयान सुविधाएं

5215. श्री लाल बाबू प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सत्य है कि सरकार लंबी दूरी की अधिकांश गाड़ियों में रसोईयान जोड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि चल खानपान एककों के वेटर उपर्युक्त गाड़ियों में रसोईयान जोड़ दिए जाने पर खाद्य पदार्थों की आपूर्ति बंद कर देते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को बंद कर देने के कारण खानपान एककों को होने वाली हानि की पूर्ति की जाती है;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार यह ठेका केवल अचल खानपान ठेकेदारों को ही देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) जी, हां। यात्री अपनी भोजन संबंधी आवश्यकताओं को स्थैतिक यूनिटों अथवा चल यूनिटों से पूरा करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(घ) से (च) जी, नहीं। नीति के अनुसार पेन्ट्री कार के लाइसेंस प्रेस अधिसूचनाओं के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित करके प्रदान किए जाते हैं जिसके लिए स्थैतिक खानपान के लाइसेंसधारी भी आवेदन कर सकते हैं।

उड़ानों को बन्द करने का प्रस्ताव

5216. श्री सुख लाल कुशवाहा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स का विमानों की कमी के कारण कुछ मार्गों पर उड़ानें बन्द करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जिन मार्गों पर उड़ाने बंद की गई हैं उन पर विमान सेवाएं पुन: बहाल करने हेतु क्या वैकल्पिक उपाए किए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

त्रिम्बकेश्वर को केन्द्रीय प्रायोजित पर्यटन केन्द्र घोषित करना

5217. श्री चिन्तामन वानगा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र में त्रिम्बकेश्वर को केन्द्रीय प्रायोजित पर्यटन केन्द्र घोषित करने के संबंध में कोई अनुरोध अथवा अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): (क) और (ख) पर्यटक केन्द्रों का अभिनिर्धारण और विकास करना एक सतत् प्रक्रिया है और मुख्यतया यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। पर्यटन विभाग को महाराष्ट्र में त्रिम्बकेश्वर को केन्द्रीय रूप से प्रायोजित

पर्यटन केन्द्र घोषित करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

टिस्को के विरुद्ध आन्दोलन

5218. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में गोपालपुर में "टिस्को" की प्रस्तावित महाइस्पात परियोजना के विरुद्ध चलाए जा रहे आन्दोलन की जानकारी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है;

(ग) क्या वर्तमान परियोजना स्थल के चयन के विरुद्ध जनान्दोलन को देखते हुए सरकार का विचार इन परियोजनाओं के लिए किसी वैकल्पिक स्थान की संभावना तलाश करने हेतु एक विशेषज्ञ दल भेजने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) उड़ीसा सरकार के अनुसार, उड़ीसा में गोपालपुर में इस्को की प्रस्तावित इस्पात परियोजना के विरुद्ध कुछ आंदोलन हैं।

(ख) जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के तहत "लोहा और इस्पात उद्योग" को स्थान, स्थिति संबंधी कतिपय प्रतिबंधों को छोड़कर लाइसेंसिंग के क्षेत्राधिकार से छूट दे दी गई है।

अत: प्रतिबंधित स्थानों को छोड़कर किसी भी स्थान पर लोहा और इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए नई औद्योगिक नीति के तहत उद्यमियों को औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) गोपालपुर में विशेषज्ञ दल भेजने का केन्द्रीय सरकार का फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उड़ीसा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि गोपालपुर जो तट पर प्रस्तावित इस्पात संयंत्र के लिए अति उपयुक्त है, में वर्तमान स्थान का चयन करने से पूर्व विभिन्न वैकल्पिक स्थानों के बारे में विचार किया गया था।

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

लाभांश की अदायगी

5219. श्रीमती वसुंधरा राजे :

श्री आर. साम्बासिवा राव :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय को एअर इंडिया द्वारा 1994-95 से लाभांश की अदायगी नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) एअर इंडिया के पास 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के लिए बकाया लाभांशों का क्या ब्यौरा है; और

(घ) बकाया को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ) एअर इंडिया द्वारा शीघ्र ही वर्ष 1994-95 के लिए 8.00 करोड़ रुपए की लाभांश राशि का भुगतान किए जाने की संभावना है, जिसे वह वित्तीय कठिनाई के कारण पहले अदा नहीं कर सका था। वर्ष 1995-96 और 1996-97 में कम्पनी को हानि उठानी पड़ी और इसलिए कोई लाभांश देय नहीं है।

"एअर मिस" की घटनाएं

5220. श्री ई. अहमद : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली के समीप आकाश में सेवोई कज़ाक जम्बो विमानों की भिड़न्त की दुर्घटना के बाद से भारतीय वायु सीमा में विमानों के "एअर मिस" की कितनी घटनाएं हुई हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इस प्रकार की दुर्घटना को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) दिनांक 12.11.96 को दो विमानों के टकराने की घटना से लेकर अब तक भारतीय आकाश में 10 "एयरमिस" की घटनाओं की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

1. दिनांक 16.11.96 को के. एल. एम. 807 और यू. ए. ई. 82 के बीच।
2. दिनांक 3.1.97 को आई सी-839 और वी वी टी, आई ए एफ बोइंग-737 के बीच।
3. दिनांक 4.1.97 को इंडियन एयरलाइंस के आई सी-168 और एअर इंडिया के ए आई 308 के बीच।
4. दिनांक 9.1.97 को एलायंस एअर सी डी 257 और जेट एअर 612 के बीच।
5. दिनांक 10.1.97 को लुपथांसा के एल एच ए-761 और एक अज्ञात विमान के बीच।
6. दिनांक 11.1.97 को कुवैत एयरवेज के ए सी 365 और एअर लंका ए एल के 505 के बीच।
7. दिनांक 17.1.97 को मलेशियन एयरलाइन्स एम ए एस 6125 और सिंगापुर एयरलाइंस एस आई ए 422 के बीच।
8. दिनांक 6.3.97 को इंडियन एयरलाइंस के आई सी 439 और सिंगापुर एयरलाइंस के एस आई ए-352 के बीच।
9. दिनांक 12.3.97 को इंडियन एयलाइंस के आई सी-917 और सिंगापुर एयलाइंस के एस क्यू 7536 के बीच।
10. दिनांक 2.4.97 को एअर इंडिया के ए आई-305 और यूनाइटेड एयरलाइंस सं. के बीच।

(ख) आकाश में विमानों के टकराव से बचने के लिए उठाए गए मुख्य कदम इस प्रकार हैं :—

(1) विमान यातायात नियंत्रकों के व्यावसायिक ज्ञान को आद्यतन बनाने के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।

(2) विमान यातायात नियंत्रकों की आवधिक निपुणता जांच।

(3) विमान को अनुदेश देते समय निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन और विमान यातायात नियंत्रकों द्वारा उपयोग की जाने वाली मानक शब्दावली को सुनिश्चित करने के लिए ए टी सी के टेप ट्रांसक्रिप्ट का महीनेवार यादृच्छिक विश्लेषण।

(4) ए टी सी घटनाओं में लिप्त विमान यातायात नियंत्रक अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही।

(5) दिल्ली और मुम्बई हवाई अड्डों पर विमान यातायात सेवाओं का आधुनिकीकरण, और

(6) दिक्चालनात्मक संचार और अवतरण संबंधी सुविधाओं का उपयुक्त अनुरक्षण।

रेलवे क्वार्टरों का निर्माण

5221. श्री के॰ परसुरामन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास, तिरुचि और मदुरै मण्डलों में पिछले दो दशकों के दौरान कितने रेलवे क्वार्टरों का निर्माण किया गया;

(ख) इन मण्डलों में कितने रेलवे कर्मचारियों ने क्वार्टरों के लिए आवेदन किया है जो पिछले 10 वर्ष या अधिक से आबंटन के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ग) जो लोग लम्बे समय से प्रतीक्षा सूची में हैं उन्हें कब तक क्वार्टर प्रदान करने के लिए सरकार का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क)

मद्रास मंडल	— 1746
तिरूची मंडल	— 1063
मदुरै मंडल	— 548

(ख) मद्रास मंडल में 438, तिरूची में 324 तथा मुदैरे में 41 कर्मचारी प्रतीक्षा सूची में हैं।

(ग) क्षेत्रीय रेलों के आवास स्तर में वृद्धि करने के लिए प्रत्येक वर्ष आबंटन में वृद्धि की जाती है।

ग्रामीण फोन योजना

5222. श्री संदीपान थोरात : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 अप्रैल, 1997 के "बिजनेस स्टेण्डर्ड" रूरल प्लान हित-ड्यू टू डिले इन बेसिक सर्विसेज प्रौजेक्ट्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई टिप्पणियों पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और मामले के तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण फोन योजना के प्रभावशाली और समय पर क्रियान्वयन के लिए की गई/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्रामीण फोन योजना की संशोधित कार्यवाही योजना का वर्ष 1997-98 के लिए राज्य-वार, विशेषकर महाराष्ट्र के बारे में ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एन टी पी) 1994 में सरकार द्वारा बुनियादी सेवाओं के निजी प्रचालकों के सहयोग से सभी ग्रामों को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने की योजना बनाई थी। चूंकि निजी प्रचालकों की भागीदारी में विलम्ब हुआ अत: इससे ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी पी टी) प्रदान करने का कार्य भी आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है।

(ग) दूरसंचार विभाग तथा निजी प्रचालकों के लक्ष्य पर विचार किया गया है तथा वार्षिक योजना को अद्यतन बनाया जा रहा है।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1997-98 के लिए वी पी टी कार्यक्रम

क्र॰ सं॰	सर्किल	1996-97 के लिए लक्ष्य	1996-97 के लिए उपलब्धियां	31.3.97 की स्थिति के अनुसार वीपीटी वाले ग्रामों की संख्या	1.4.97 तक वीपीटी रहित ग्राम	97-98 के लिए डीओटी (मद सं॰)	97-98 के लिए निजी प्रचालक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अ॰ निकोबार	200	75	111	181	101	0
2.	आंध्र प्रदेश	3000	2619	21272	8188	3000	0
3.	असम	2000	1663	7864	14360	4000	0
4.	बिहार	6000	3526	15569	63639	2000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	गुजरात	4000	1505	13923	4202	0	4202
6.	हरियाणा	1700	1204	6510	508	508	0
7.	हिमाचल प्रदेश	1000	1034	5075	11922	2500	0
8.	जे एण्ड के	600	730	2003	4450	1200	0
9.	कर्नाटक	3000	4120	17461	9543	3000	0
10.	केरल	0	0	1530	0	0	0
11.	मध्य प्रदेश	7350	7355	35367	36159	5500	5500
12.	महाराष्ट्र	5000	4727	26450	13980	3000	0
13.	उत्तर पूर्व	1000	644	3136	11061	2000	0
14.	उड़ीसा	5000	3423	16173	30816	8819	0
15.	पंजाब	4750	3506	12007	1245	1245	0
16.	राजस्थान	6500	5051	17325	20564	5000	0
17.	तमिलनाडु	3200	2608	17038	3158	1000	0
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	9000	5702	23394	52068	14000	0
19.	उत्तर प्रदेश (प०)	6300	4000	13957	23149	8000	0
20.	पश्चिम बंगाल	5000	2860	10985	27352	8000	0
21.	दिल्ली	0	0	191	0	0	0
22.	कलकत्ता	400	365	421	47	47	0
		75000	56719	267782	336592	83000	9702

विमान सेवा

5223. श्री दत्ता मेघे : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के कौन-कौन से जिले विमान सेवा से जुड़े हुए हैं; और

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान कौन-कौन से शेष जिलों को विमान सेवा से जोड़ने का विचार किया गया है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) इस समय, मुम्बई, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर और कोल्हापुर विमान-सेवाओं से जुड़े हुए हैं।

(ख) विमान क्षमता की तंगी के कारण, इंडियन एयरलाइन्स की किन्हीं नए स्टेशनों को विमान सेवाएं प्रदान करने की कोई योजनाएं नहीं हैं। तथापि, निजी एयरलाइनें वाणिज्यिक साध्यता के आधार पर किन्हीं भी स्टेशनों के लिए प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

नेताजी पर बने वृत्तचित्रों का प्रसारण

5224. श्रीमती कृष्णा बोस : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास नेताजी पर बने दो वृत्तचित्रों, बी० बी० सी० द्वारा निर्मित और ब्रिटेन में "प्राइम टाइम" पर प्रसारित "हनीमी आफ एम्पायर" और नेताजी रिसर्च ब्यूरो, नेताजी भवन, कलकत्ता द्वारा निर्मित "नेताजी एण्ड इण्डियाज फ्रीडम", को दूरदर्शन पर प्रसारित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस० जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) "नेताजी एण्ड इंडियाज फ्रीडम" नामक वृत्तचित्र के संबंध में दूरदर्शन को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा वह प्रक्रियाधीन है। दूसरे वृत्तचित्र के निर्माता ने अभी तक दूरदर्शन को प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने पर दूरदर्शन द्वारा इस संबंध मे आगे कार्यवाई की जाएगी।

अभ्रक का उत्पादन

5225. श्री रमेन्द्र कुमार : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभ्रक के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) अभ्रक का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं।

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) अभ्रक के उत्पादान में कमी की प्रवृत्ति दिखाई है।

(ख) और (ग) अभ्रक के उत्पादन में कमी का कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग में कमी आना है। देश की भावी उत्पादन क्षमता का आकलन करने और बन्द खानों को पुन: खोलने के विचार से, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भारतीय खान ब्यूरो ने बिहार आंध्र प्रदेश और राजस्थान के अभ्रक वाले क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन शुरू किया है। भारत सरकार ने अभ्रक उद्योग की समस्याओं की जांच करने के लिए कार्यदल/समितियां भी गठित की हैं। सरकार ने अभ्रक खनन बढ़ाने के लिए अभ्रक के निर्यातकों को अभ्रक कतरन और पछोड़न के निर्माण पर शुल्क समाप्ति और परिष्कृत अभ्रक के निर्यात को असरणीबद्ध करना आदि जैसे अनेक प्रोत्साहनों की भी पेशकश की है।

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंतर्गत खानों का बंद होना

5226. श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री प्रदीप भट्टाचार्य :

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अंतत: हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंतर्गत कुछ खानों को बंद करने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्मचारियों की स्थिति पर विचार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान उक्त कंपनी की इकाइयों द्वारा कितना घाटा उठाया गया है; और

(च) इन इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) हिन्दुस्तान कॉपर लि॰ ने वर्ष 1995-96 के दौरान 75.84 करोड़ रु॰ का रिकार्ड लाभ कमाया। तथापि, कंपनी को मुख्य रूप से वर्ष 1996-97 के दौरान तांबे की लंदन धातु विनिमय कीमत में गिरावट आने और तांबे के सीमा शुल्क में कमी होने से वर्ष के दौरान 100 करोड़ रु॰ से अधिक का घाटा होने का अनुमान है। वर्ष 1995-96 के दौरान मोसाबनी और राखा खानों सहित घाटशिला यूनिट को 44.32 करोड़ रु॰ का घाटा हुआ मोसाबनी और राखा खानों सहित घाटशिला यूनिट को वर्ष 1996-97 में 50 करोड़ रु॰ का घाटा होने का अनुमान है।

(च) कंपनी ने वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अनेक उपाए किए हैं जिनमें सूची स्तर को कम करना तथा खपत प्राप्ति और उत्पादकता के मानदण्डों में सुधार करना और प्रशासनिक खर्च में कमी करना शामिल है। कंपनी ने अपनी प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने के लिए एक दीर्घावधि नीति के रूप में अपने खेतड़ी प्रगालक की 31,000 टन वार्षिक की मौजूदा क्षमता बढ़ाकर 1,00,000 टन वार्षिक करने की एक योजना तैयार की है।

हिन्दुस्तान कॉपर यूनिट/घाटशिला यूनिट

5227. श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान कॉपर यूनिट की समग्र रूप से तथा घाटशिला यूनिट की विशेषरूप से वित्तीय स्थिति, जनशक्ति तथा उत्पादन योजना क्या है;

(ख) क्या पिछले चार वर्षों के दौरान तांबे का आयात किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्तमान आर्थिक नीति तथा इसके उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क ढांचे का हिन्दुस्तान कापर यूनिटों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) हिन्दुस्तान कॉपर लि॰ ने वर्ष 1995-96 के दौरान 75.84 करोड़ रु॰ का रिकार्ड लाभ कमाया। तथापि, कंपनी को मुख्य रूप से वर्ष 1996-97 के दौरान तांबे की लंदन धातु विनियमन कीमत में गिरावट आने और तांबे के सीमा शुल्क में कमी होने से वर्ष के दौरान 100 करोड़ रु॰ से अधिक का घाटा होने का अनुमान है। वर्ष 1995-96 के दौरान मोसाबनी और राखा खानों सहित घाटशिला यूनिट को 44.32 करोड़ रु॰ का घाटा हुआ। मोसाबनी और राखा खानों सहित घाटशिला यूनिट को वर्ष 1996-97 में 50 करोड़ रु॰ का घाटा होने का अनुमान है। 31.3.1997 की स्थिति के अनुसार कंपनी में कुल 19884 कर्मचारी कार्यरत थे जिसमें आईसीसी घाटशिला में कार्यरत 9786 कर्मचारी शामिल हैं।

कंपनी द्वारा खान मंत्रालय के साथ वर्ष 1997-98 के लिए किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार एचसीएल ने वर्ष 1997-98 के दौरान 45,000 टन परिष्कृत तांबा (कैथोड) और 42,000 टन वायर रोड के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। कैथोड का विवरण निम्न प्रकार है :—

आईसीसी	16,000 टन
केसीसी	29,000 टन

(ख) और (ग) हिन्दुस्तान कॉपर लि॰ द्वारा पिछले चार वित्तीय वर्षों के दौरान तालौजा स्थित अपने वायर रॉड संयंत्र में परिवर्तन के लिए किए गए तांबा कैथोड का आयात निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा (टन)
1993-94	16476.730
1994-95	16480.037
1995-96	29886.618
1996-97	31563.928

(घ) और (ङ) तांबे के असरणीकरण, नियंत्रित कीमत व्यवस्था की समाप्ति और सीमा शुल्क में कमी के फलस्वरूप एचसीएल को आयातित तांबे से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है जिससे हिन्दुस्तान कॉपर लि॰ के लाभ पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है।

(च) कंपनी ने वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें सूची स्तर को कम करना तथा खपत प्राप्ति और उत्पादकता के मानदण्डों में सुधार करना और प्रशासनिक खर्चों में कमी करना शामिल हैं। कंपनी ने अपनी प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने के लिए दीर्घावधि नीति के रूप में अपने खेतड़ी प्रगालक की 31,000 टन वार्षिक की मौजूदा क्षमता बढ़ाकर 1,00,000 टन वार्षिक करने की एक योजना तैयार की है।

[हिन्दी]

भारत पर्यटन विकास निगम का नाम बदलने की संस्तुति

5228. श्री सत्यदेव सिंह : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के वरिष्ठ कार्यकारी दल ने भारत पर्यटन विकास निगम का नाम बदल कर राष्ट्रीय पर्यटन विकास निगम करने की संस्तुति की है;

(ख) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): (क) से (ग) नौवीं योजना के लिए पर्यटन पर वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट में एक सिफारिश की गई है कि भारत पर्यटन विकास निगम की एक राष्ट्रीय पर्यटन विकास निगम के रूप में संरचना की जाए, जिसमें सभी राज्य पर्यटन विकास निगमों का 50% संयुक्त उद्यम हित होगा। फिर भी, इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए फिलहाल सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

फ्लाइंग क्लब

5229. डॉ॰ अरुण कुमार शर्मा : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में फ्लाइग कल्बों की राज्य-वार संख्या कितनी है और इनके पास कितने "माइक्रो लाइट" विमान हैं;

(ख) क्या उनके मंत्रालय में असम के एअरोस्पोर्ट्स क्लब का माइक्रोलाइट विमान उड़ाने की अनुमति प्राप्त करने हेतु कोई आवेदन लंबित है;

(ग) यदि हां, तो अनुमति प्रदान करने में विलंब के क्या कारण हैं तथा यह अनुमति कब तक प्रदान कर दी जाएगी;

(घ) क्या बंगलोर के "अग्नि एअरोस्पोर्ट्स" द्वारा दिए गए आवेदन को इसी वर्ष अनुमति प्रदान की गई थी;

(ङ) क्या यह भी सही है कि भारत के एअरोक्लब द्वारा असम के एअरोस्पोर्ट्स क्लब को छः माइक्रोलाइट विमान आबंटित किए गए थे; और

(च) यदि हां, तो इन विमानों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) एयरो स्पोर्टस क्लब ऑफ असम ने माइक्रोलाइट विमानों को उड़ाने का परमिट जारी करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय को आवेदन किया है। नागर विमानन महानिदेशालय सुरक्षा एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्रों की प्रतीक्षा कर रहा है।

(घ) जी, हां। मै॰ अग्नि एयरो स्पोर्टस, बंगलौर को 1995 में माइक्रोलाइट विमानों की उड़ानों का परमिट जारी किया गया था।

(ङ) जी, हां।

(च) नागर विमानन महानिदेशालय ने अपने गुवाहाटी कार्यालय को अनुदेश जारी किए हैं कि वह इन माइक्रोलाइट विमानों के परीक्षण के तौर पर उड़ान भरने की बाबत अपेक्षित अनुमति प्रदान करें और आवश्यक सुविधाएं मुहैय्या कराएं। सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्रों के प्राप्त होने के उपरांत "उड़ान भरने संबंधी" परमिट जारी कर दिया जाएगा।

विवरण

फ्लाइंग क्लबो/माइक्रोलाइट विमान रखने वाले संगठनों की संख्या

संगठन	माइक्रोलाइट विमानों की संख्या	
	स्वामित्व	एयरो क्लब ऑफ इंडिया द्वारा प्रदत्त
1	2	3
पी॰ वासावी रेड्डी एंड सैयद मोहम्मद इब्राहीम जमशेद, सिकंदराबाद, आंध्रप्रदेश	1	—
हैदराबाद बैटरी लि॰, हैदराबाद, आंध्रप्रदेश	1	—

1	2	3
एयरो स्पोर्टस क्लब ऑफ असम, गुवाहाटी, असम	—	6
अग्नि एयरो स्पोर्टस एडवेन्चर अकादमी प्रा॰ लि॰ बंगलौर, कर्नाटक	1	10
राज हमसा अल्ट्रालाईट प्रा॰ लि॰ मैसूर, कर्नाटक	3	—
थामस मीनाथाथिल थामस, बंगलौर, कर्नाटक	1	—
श्री चित्रा एयरो एडवेन्चर क्लब, त्रिवेन्द्रम, केरल	—	3
इंडियन हंग ग्लाइडिंग ऐसोसिएशन, पुणे, महाराष्ट्र	1	—
लाईट फ्लायर सेंटर, मुम्बई, महाराष्ट्र	1	—
टी॰ आर॰ चौधरी, मुम्बई, महाराष्ट्र	2	—
विजयपथ सिंघानिया, मुम्बई, महाराष्ट्र	1	—
हिन्दुस्तान मार्किटिंग, एंड एडवेन्चरिंग कं॰ (प्रा॰) लि॰, नई दिल्ली	1	—
माइक्रो लाईट, फलायर क्लब, नई दिल्ली	1	—
कोयम्बतूर ट्रेनिंग एविएशन अकादमी, कोयम्बतूर, तमिलनाडू	—	3
	(दिल्ली से पारगमन के दौरान क्षतिग्रस्त)	
जोएल कोचीन, दि नीलगिरी हंग ग्लाइडिंग सेंटर, ऊटकमंड, तमिलनाडु	1	—
नारायणसामी सुन्दरराजन, डिंडगुल, तमिलनाडु	1	—

भारतीय तार अधिनियम में संशोधन

5230. डॉ॰ असीम बाला : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शताब्दी पुराने भारतीय तार अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय तार अधिनियम में संशोधन करने के लिए सरकार ने एक समिति गठित की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसकी सिफारिशों से एक सिफारिश में अलग दूर-संचार नियामक निकाय की स्थापना की परिकल्पना है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 (1997 का 24) के अधीन भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टी आर ए आई) का गठन किया जा चुका है।

खनिजों की अनुसूचित सूची से कुछ खनिजों का नाम हटाया जाना

5231. श्री सनत मेहता : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने एम॰ एम॰ आर॰ डी॰ अधिनियम, 1957 की अनुसूची-1 में दर्शायी गई अनुसूचित खनिजों की सूची से चूना पत्थर तथा बाक्साइड का नाम हटाए जाने संबंधी अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री चंद्रेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रस्ताव पर, जो 28.4.97 को प्राप्त हुआ था, खनन नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के लिए सचिव (खान) की अध्यक्षता में गठित समिति की 29 अप्रैल, 1997 को हुई पहली बैठक में विचार किया गया था। समिति के विचारार्थ विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, खनिजों के विनियमन और विकास को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना तथा उन्हें नीति में किए गए परिवर्तनों के अनुकूल बनाने के लिए उपायों की सिफारिश करना और पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टे की मंजूरी/नवीकरण में होने वाली देरी को कम करने के उपाय सुझाना शामिल है। समिति को पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टों की मंजूरी/नवीकरण और अवैध खनन को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में राज्य सरकारों को और अधिक शक्तियां प्रदान करने के बारे में भी विचार करना और सुझाव देना है।

खो-खो टीम

5232. श्री मोहन रावले : क्या **रेल** मंत्री 6 मार्च, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 734 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल को भारतीय खो-खो फैडरेशन से सम्बद्धता प्राप्त हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो भारतीय खो-खो फैडरेशन से शीघ्र सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या रेलवे में पहले ही नियोजित खो-खो खिलाड़ियों की पहचान कर ली गई है और दूसरे खिलाड़ियों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं तो विलंब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सम्बद्धता शीघ्र प्राप्त करने के लिए फेडरेशन से बातचीत की जा रही है।

(घ) से (च) भारत के खो-खो फेडरेशन द्वारा रेलों को औपचारिक रूप से सम्बद्धता प्रदान कर दिए जाने के बाद ही आगे की कार्यवाई की जाएगी।

रेल परियोजनाएं

5233. श्री वी. प्रदीप देव :
श्री एन. जे. राठवा :
श्री विश्वेश्वर भगत :
श्री पवन दीवान :
श्री काशीराम राणा :
श्री महेश कुमार एम. कनोडया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेषकर आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में जोनवार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित की गई और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और परियोजना चालू वित्तीय वर्ष के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) उपरोक्त परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(घ) उपरोक्त परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) क्षेत्रीय रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

पोन्नानी तक रेल लिंक का विस्तार

5234. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण रेलवे के अन्तर्गत केरल में मल्लापुरम जिले में रेल लिंक को पोन्नानी तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्वतंत्रता सेनानियों को सुविधाएं

5235. श्री भगवान शंकर रावत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानी बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने तथा जहां तक इन्हें स्थापित करने तथा काल का संबंध है रियायती दर पर प्राप्त करने के अधिकारी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या दिशा निर्देश जारी किए जाने हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) सामान्यतया जिस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी उपलब्ध होते हैं, वे उस स्थान पर "गैर-ओ वाईटी-स्वतंत्रता सेनानी" श्रेणी के तहत एक टेलीफोन कनेक्शन के लिए अपनी मांग दर्ज कराने के हकदार हैं। स्वतंत्रता सेनानियों को संस्थापना प्रभारों का भुगतान किए बिना, टेलीफोन प्रदान किए जाते हैं और उनसे सामान्य किराए का आधा हिस्सा ही वसूल किया जाता है।

[हिन्दी]

असफल उपग्रह धनादेश योजना

5236. श्री श्याम लाल बंसीवाल :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्री पंकज चौधरी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े उत्साह से शुरू की गई उपग्रह द्वारा धनादेश भेजने की योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस योजना को सफल बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) "उपग्रह मनीआर्डर सेवा" योजना को सफल बनाने के लिए विभाग ने निम्नलिखित उपाए किए हैं :—

(i) वेरी स्माल अपरचर टर्मिनल (वीएसएटी) के दो पोर्ट हैं। पहले केवल एक पोर्ट ही सक्रिय था जो आंकड़ों के पारेषण और प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता था। अब विभाग ने परियात बढ़ाने के लिए दूसरा पोर्ट भी शुरू कर दिया है। एक पोर्ट विशेष रूप से आंकड़ों की प्राप्ति के लिए तथा दूसरा पोर्ट आंकड़ों के पारेषण के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

(ii) अब प्रत्येक वीएसएटी केन्द्र को 5 घंटे और डाकघरों से लिंक किया जा रहा है जहां मॉडेम्स और कम्प्यूटर, इन अभिचिह्नित डाकघरों में प्रत्यक्ष ऑन लाइन प्राप्ति तथा आंकड़ों के पारेषण के लिए, स्थापनाधीन हैं। 220 मॉडेम्स पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं जिसके परिणामस्वरूप मनीआर्डर तथा हाइब्रिड मेल सेवा के परियात में वृद्धि हुई है।

(iii) वीएसएटी केन्द्रों को आदेश दिया गया है कि वे रात को खुले रहें।

(iv) उपग्रह मनीआर्डर साफ्टवेयर का उन्नयन किया गया है जिससे अब सिंगल पहुंच वाले वीएसएटी के बीच, आंकड़ों के विनिमय की इसकी क्षमता बढ़ गई है।

(v) वीएसएटी के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक मासिक नियंत्रण विवरण निर्धारित किया गया है जिसकी समीक्षा और विश्लेषण निदेशालय में किया जाता है।

उक्त उपायों से मार्च 1997 माह के दौरान सितम्बर, 1996 की तुलना में मनीआर्डरों के उपग्रह आधारित पारेषण में 337 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार सितम्बर, 1996 से मार्च 1997 तक हाइब्रिड मेल सेवा में 76 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

[अनुवाद]

इस्पात का निर्यात

5237. श्री सिद्दया कोटा : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेलम इस्पात के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1996-97 में निर्यात द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) जी, हां। 1995-96 की तुलना में 1996-97 में सेलम इस्पात संयंत्र द्वारा किए गए निर्यात में निम्नलिखित वृद्धि हुई :—

वर्ष	निर्यात की मात्रा (हजार टन)
1995-96	7
1996-97	25 (अनंतिम)

(ग) 1996-97 में निर्यात द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा का मूल्य 175 करोड़ रुपए (अनंतिम) है।

रेल सेवा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

5238. श्री द्वारका नाथ दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेल सेवा में विशेष रूप से उच्च श्रेणी की सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रतिनिधित्व की प्रतिशतता बहुत ही कम है;

(ख) रेल सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के श्रेणीवार प्रतिनिधित्व की प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है;

(ग) पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के आंकड़े और प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बकाया रिक्तियों को भरने और रेल सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों का समायोजन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) 31.3.96 को रेल सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व निम्नलिखित हैं :—

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3
ग्रुप क	14.33%	5.49%
ग्रुप ख	17.26%	4.60%
ग्रुप ग	15.11%	5.52%
ग्रुप घ (सफाई वालों को छोड़कर)	17.75%	8.58%
ग्रुप घ (सफाई वाले)	72.36%	5.19%
कुल जोड़	18.06%	6.72%

(ग) ग्रुप "क" सेवाओं के निम्नतर स्तर को पदोन्नति में आरक्षण 15% और 7 $\frac{1}{2}$ % तक है।

(घ) अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षित पदों के बैकलॉग को पूरा करने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाए जा रहे हैं।

फ्लाई ओवर का निर्माण

5239. लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) श्री प्रकाशमणि त्रिपाठी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में देवरिया रोड पर रेलवे क्रासिंग पर फ्लाई ओवर का निर्माण करने के लिए देवरिया के लोगों की मांग काफी समय से लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उक्त उपरि पुल के निर्माण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) गोरखपुर-भटनी खंड पर देवरिया-सदर और नुनखर के बीच किमी 455/3-4 पर समपार सं॰ 129-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल मुहैया कराने की मांग की गई है। बहरहाल, फ्लाई ओवर के निर्माण हेतु राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

5240. श्री कचरू भाऊ राउत :

श्री राजा भाऊ ठाकरे :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31.3.97 को महाराष्ट्र के प्रमुख कस्बों जिला मुख्यालयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची की स्थिति क्या थी;

(ख) महाराष्ट्र के मुख्य शहरों/कस्बों/जिला मुख्यालयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दिए गए नए टेलीफोन कनेक्शनों का ब्यौरा क्या है और उसमें कितना निवेश किया गया है;

(ग) 1996-97 के दौरान महाराष्ट्र में टेलीकॉम परियोजनाओं की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है तथा 1997-98 के दौरान राज्य को कितना धन उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है;

(घ) 1996-97 के दौरान महाराष्ट्र में दूरसंचार में क्या उत्कृष्ट उपलब्धियां रही हैं; और

(ङ) महाराष्ट्र के लिए हाल ही में सरकार द्वारा स्वीकृत/विचारार्थ नए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

आर॰ पी॰ एफ॰ में विशेष भर्ती अभियान

5241. श्री मंगत राम शर्मा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर के युवाओं के लिए रेल सुरक्षा बल (आर॰ पी॰ एफ॰) में भर्ती के लिए विशेष भर्ती अभियान आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस भर्ती अभियान के कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार द्वारा रेल सुरक्षा विशेष बल में जम्मू और कश्मीर से 300 कांस्टेबलों की भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाने का विनिश्चय किया गया था। तदनुसार, जम्मू में जनवरी, 1997 में भर्ती आयोजित की गई। श्रीनगर और लेह में मौसम खराब होने के कारण भर्ती आयोजित नहीं की जा सकी। श्रीनगर और लेह में भर्ती की तारीख दौरा करने वाले दल की रिपोर्ट के आधार पर शीघ्र निश्चित की जाएगी।

[हिन्दी]

शाहगंज और मऊ के बीच लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों का चलना

5242. डा॰ बलिराम : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शाहगंज और मऊ जंक्शन के बीच बड़ी रेल लाइन के उद्घाटन हो जाने के बावजूद इस लाइन पर अभी तक लम्बी दूरी की कोई नई रेलगाड़ी नहीं चलाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) शाहगंज और मऊ जंक्शन के बीच नई रेलगाड़ियां कब तक चलाई जाएंगी; और

(घ) इस खंड पर चलाई जाने वाली प्रस्तावित रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) मऊ-शाहगंज खण्ड का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन हो जाने के पश्चात शुरू में 28.3.97 से 2 जोड़ी पैसेंजर गाड़ियां चलाई गईं। इसके अलावा 1997-98 के दौरान 4649/4650 दिल्ली-मुजफ्फरपुर/दरभंगा सरयू यमुना एक्सप्रेस और 9165 ए/9166 ए अहमदाबाद-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस को बरास्ता मऊ-शाहगंज चलाए जाने का भी विनिश्चय किया गया है।

[अनुवाद]

ग्रामीण टेलीफोनों का कार्यकरण

5243. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण पंचायत कार्यालयों में टेलीफोन, जिनमें मेरे जिले हावड़ा की ग्रामीण पंचायतों के टेलीफोन भी शामिल हैं, लम्बे समय से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) टेलीफोनों के कार्य न करने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा टेलीफोन सेवा में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) हावड़ा जिले में तथा अन्यत्र पंचायत कार्यालयों में इन टेलीफोनों को कब तक कार्यहालत में लाए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों के सभी टेलीफोन लंबे समय से खराब नहीं हैं। 30 अप्रैल, 1997 की स्थिति के अनुसार, 2,67,220 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों में से केवल 11,952 टेलीफोन खराब पड़े हैं। हावड़ा जिले में संस्थापित कुल 319 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों में से 84 टेलीफोन खराब पड़े हैं।

(ख) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के काम न करने के कारण इस प्रकार हैं :—

(i) दूर-दराज और दुर्गम स्थान।

(ii) ओवरहेड लाइनों और तार की चोरी।

(iii) अस्थिर विद्युत आपूर्ति।

(iv) बिजली गिरने से होने वाला नुकसान।

(v) उग्रवादियों द्वारा किया गया नुकसान, विशेषतया आंध्र प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में।

(ग) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के कार्यकरण में सुधार लाने के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

(i) सभी ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की संबंधित एक्सचेंज से प्रतिदिन जांच की जाती है। खराब ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की रिपोर्ट एक्सचेंज के प्रभारी उप मंडल इंजीनियर को रोजाना दी जाती है। 2 दिनों, 7 दिनों अथवा अधिक समय से लंबित पड़ी खराबियों की जांच विभिन्न उच्चतर स्तरों पर क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा की जाती है।

(ii) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों का कार्यनिष्पादन मुख्यालयों में नियमित रूप से मानिटर किया जाता है।

(iii) क्षेत्रीय यूनिटों द्वारा मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो उपस्कर के खराब माडयूलों की मरम्मत के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा किया जा रहा है।

(iv) दूरसंचार सर्किल, एम ए आर आर प्रणालियों की इन-हाउस मरम्मत करने के लिए सर्किल मरम्मत केंद्र स्थापित कर रहे हैं।

(v) सभी ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों को "सोलार पैनल पावर बैक अप" से सज्जित करने की कार्रवाई की जा रही है।

(vi) ठीक न किए जाने योग्य एम ए आर आर उपस्कार को बदलने की कार्रवाई की जा रही है।

(घ) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों का खराब होना तथा उनको ठीक करने की प्रक्रिया चलती रहती है। ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन कभी-कभी अवश्य खराब होते हैं और दूरसंचार विभाग की फील्ड यूनिटों द्वारा उनका पता लगाया जाता है, जो उनके कार्य-निष्पादन की निरंतर मानिटरिंग करते हैं। खराब ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों को ठीक करने की कार्यवाई भी सतत रूप से की जा रही है।

[हिन्दी]

विदेशों के साथ समझौते

5244. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह :

श्री आर. सम्बासिवा राव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल क्षेत्र के सहयोग के बारे में विदेशों के साथ कोई चर्चा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देशवार इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) रेल क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाली विदेशी कंपनियों के नाम क्या हैं और उत्पादन पर परियोजना वार इसका क्या प्रभाव होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) कोई नहीं। बहरहाल, रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की दो इकाइयों यथा इरकान और राइट्स ने विदेशी कम्पनियों के साथ कुछ समझौतो पर हस्ताक्षर किए हैं।

विवरण

विभिन्न स्तरों पर रेलवे के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में विदेशों के साथ विचार विमर्श किया गया था, उन देशों का ब्यौरा नीचे दिया गया है जिनके साथ विशिष्ट प्रस्ताव पर सहमति हो गई है :

देश	परिणाम का ब्यौरा
1	2
ईरान	(i) प्रशिक्षण के क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाओं का आदान-प्रदान।
	(ii) शाहरुद-मसाद खंड के लिए सिंगनलिंग परियोजना के लिए ठेका।
	(iii) रेल इंजन कारखानों के लिए अनुरक्षण सुविधाओं का ग्रेडोन्नयन।
	(iv) कटेनर संचलन और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट।
ईराक	ईराक ने वर्तमान में अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं के रूप में रेल पथ, चल स्टाक, सिंगनलिंग और दूरसंचार उपस्करों के पुनर्स्थापन के लिए अतिरिक्त पुर्जों और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री का उल्लेख किया है।
जापान	(i) अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक हासिल करने के लिए सडिका में डिब्बा निर्माण सुविधाओं का ग्रेडोन्नयन।
	(ii) 160 किलो मीटर प्रतिघंटा और इससे उच्चतर गति के लिए रेल पथ संरचना का अध्ययन और निर्धारण।
	(iii) "फिट एण्ड फारगेट टाइप फिटिंगों" सहित उच्च गति शिरोपरि उपस्कर का विकास जो कि 200 कि॰ मी॰ प्र॰ घं॰ की रफ्तार तक गाड़ियां चलाने के लिए उपयुक्त है।
	(iv) मैट्रो रेल
	(v) संरक्षा
	इसके बाद 21.1.97 को इंडो-जापान रेलवे वर्किंग ग्रुप की 8 वीं बैठक आयोजित हुई। इसके कार्यवृत्त को वरिष्ठ उप महानिदेशक, जापान रेलवे द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

1	2
आस्ट्रिया	कठोर स्टील पटरी, प्वाइंट्स और सिंगनलिंग के क्षेत्रों में सहयोग। आस्ट्रिया की ओर से दिल्ली व्यापक रेल पारगमन प्रणाली में भाग लेने की अपनी रुचि का भी उल्लेख किया है।
रोमानिया	रेलों पर वर्किंग ग्रुपों की स्थापना की संभाव्यता का अध्ययन करने की सहमति प्रदान की गई।
चेक गणराज्य	भारत की ओर से रेलवे क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायता और सेवा प्रदान करने की रुचि जाहिर की गई : (i) चल स्टाक की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए तकनीकी और प्रबंधन सहायता सेवाएं। (ii) अतिरिक्त पुर्जों का प्रापण (iii) विशिष्ट निष्पादन के लिए अतिरिक्त पुर्जों के साथ रेल इंजनों की सप्लाई। (iv) रेल इंजन, सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के अनुरक्षण के मानक का विकास करने के लिए यातायात लेखा परीक्षा। (v) अनुरक्षण पैकेज ठेका। (vi) शिरोपरि उपस्करों के क्षेत्र में तकनीकी सहायता। (vii) रेल पथ और पुलों का पुनर्स्थापन। (viii) रेल इंजन कारखाने का पुनर्स्थापन। (ix) रेल इंजनों को पट्टे पर देना/सप्लाई। (x) अन्य चल स्टाक की सप्लाई/पट्टे पर देना।
स्लोवानिया	-यथोक्त-
रूस	रूस के परिवहन मंत्री और रेल मंत्री के बीच एक बैठक हुई। भारतीय रेल और रूसी रेलवे के बीच सहयोग के तीन क्षेत्रों की पहचान की गई है; ये हैं :— (क) आयात-निर्यात कारगो का परिवहन; यह मुख्यतः कंटेनरों द्वारा मिश्रित रेल एवं समुद्री मार्ग द्वारा होगा। (ख) भारतीय रेलों के लिए उपयुक्त क्षेत्रों में रूस से आयात सहित प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण। (ग) रेलवे लाइनों के निर्माण और परिसंपत्ति के अनुरक्षण में इरकॉन और राईट्स के माध्यम से सहयोग। मद सं. (क) और (ख) के लिए कार्यदल का गठन किया जा रहा है।
नेपाल	ग्रेटर जनकपुर विकास परियोजना। रक्सौल और बीरगंज के बीच ब्रॉ. ला. रेल संपर्क।
जर्मनी	दिल्ली-कानपुर गलियारे पर सिगनल व्यवस्था में सुधार। (अभी अंतिम रूप दिया जाना है)
आस्ट्रेलिया	भारत सरकार और आस्ट्रेलिया सरकार ने भारत-आस्ट्रेलिया विकास सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत रेल सिमुलेटर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 3 अक्टूबर, 1994 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

[अनुवाद]

गुजरात में पर्यटन संवर्धन हेतु प्रस्ताव

5245. श्री बी. के. गढ़वी : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने 1996-97 के दौरान राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष गुजरात को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): (क) से (ग) वर्ष 1996-97 के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई 11 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया और 82.21 लाख रुपयों की राशि स्वीकृत की गई। इन परियोजनाओं में प्रकाश पुंज व्यवस्था और स्मारकों का सौन्दर्यीकरण, पर्यटक स्वागत केन्द्र, सार्वजनिक सुविधाएं आदि सम्मिलित हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में विभिन्न पर्यटक परियोजनाओं के लिए स्वीकृत राशि नीचे दी गई है :—

वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)
1994-95	21.95
1995-96	7.98
1996-97	82.21

हिमाचल प्रदेश में एल. पी. टी. का एच. पी. टी. में बदलना

5246. श्री सत महाजन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धर्मशाला एल. पी. टी. हिमाचल प्रदेश के माध्यम से प्रसारित किए गए कार्यक्रम पाकिस्तान टेलीविजन के लाहौर स्टेशन की तुलना में बहुत खराब होते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का धर्मशाला में एल. पी. टी. को एच. पी. टी. में बदलने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक परिवर्तित कर दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार शिमला दूरदर्शन केन्द्र का प्रसारण समय बढ़ाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कीम को मंजूर किए जाने के बाद इस प्रकृति की परियोजना के कार्यान्वयन में लगभग 3 से 4 वर्ष का समय लगता है जो संसाधनों की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कल्याण योजनाओं के लिए स्वैच्छिक संगठन

5247. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय या संबंधित मंत्रालयों द्वारा उन विभिन्न कल्याण योजनाओं के बारे में स्वैच्छिक संगठनों को सूचित करने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं जो उनके जरिए क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) क्या स्थानीय भाषाओं में समय से सूचना न दिए जाने के कारण ये संगठन इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार एक सरकारी, प्रमुख स्वैच्छिक एजेंसियों, प्रैस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि की सेवाओं का उपयोग करके परिवर्तन लाने का है ताकि अधिकाधिक स्वैच्छिक एजेंसियां इन कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आगे आएं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रेलगाड़ी को प्रतिदिन चलाया जाना

5248. डॉ॰ रामविलास वेदान्ती : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अयोध्या से दिल्ली तक चलाई जा रही गंगा-यमुना तथा सरयू-जमुना रेलगाड़ियों को प्रतिदिन चलाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कब तक इस संबंध में अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में हो रही देरी के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रेलवे पर बढ़ता ऋण

5249. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे पर ऋण बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बजट में प्रस्तावित नई परियोजनाएं जनजातीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस सरकार ने पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्य तीव्र करने के लिए परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का विनिश्चय किया है। ऐसे क्षेत्रों में गत एक वर्ष में कुछ नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। भविष्य में धन की उपलब्धता और सरकार से बजटीय समर्थन के आधार पर और अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की जाएंगी।

[हिन्दी]

बढ़ता यात्री यातायात

5250. डॉ॰ अरविंद शर्मा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली-बहादुरगढ़-रोहतक-जींद और दिल्ली-रेवाड़ी खंडों पर बढ़ते हुए यात्री यातायात की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली-जींद और दिल्ली-रेवाड़ी रेलवे खंडों का विद्युतीकरण करने का है ताकि इन क्षेत्रों के यात्रियों को ई॰ एम॰ यू॰ जैसी सुपरफास्ट (तीव्रगति) रेल सुविधाएं प्रदान की जा सकें;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई सर्वेक्षण करने का है; और

(च) इन खंडों की रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण न किए जाने की स्थिति में इन खंडों पर बढ़ते हुए यात्री यातायात से निपटने के लिए सुपर फास्ट रेल सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं बनाई जा रही हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले वर्ष अर्थात 1995-96 की तुलना में वर्ष 1996-97 के दिल्ली-बहादुरगढ़-जींद और दिल्ली-रेवाड़ी खंडों पर यात्रियों की दैनिक औसत संख्या में क्रमशः 23 प्रतिशत और 2.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) से (ङ) संसाधनों की तंगी और उच्च घनत्व वाले मार्गों को प्राथमिकता देने के कारण, फिलहाल दिल्ली-जींद और दिल्ली-रेवाड़ी रेल

खंडों, जहां यातायात घनत्व कम है, को विद्युतीकृत करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) भारतीय रेलों पर परिचालनिक व्यावहारिकता, संसाधनों की उपलब्धता तथा यातायात औचित्य होने पर गाड़ी सेवाओं को चलाना एक सतत् प्रक्रिया है। तथापि, फिलहाल इन खंडों पर सुपरफास्ट सेवा चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेडियो/दूरदर्शन के विकास के लिए राज्यों से सहयोग

5251. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से रेडियो और दूरदर्शन के विकास के लिए सहयोग के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां। आकाशवाणी और दूरदर्शन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान, उपयुक्त पहुंच मार्ग सहित भूमि/भवन, विद्युत एवं जल आपूर्ति जैसी आधारभूत सुविधाएं और विशेष रूप से अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने के मामले में राज्य सरकारों की सहायता एवं सहयोग आवश्यक होता है।

(ग) उपर्युक्त पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता की मानीटरिंग करने के लिए राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार सलाहकार समितियां बनाई गई हैं जिनमें आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। आम तौर पर, राज्य सरकारों का सहयोग संतोषजनक रहा है।

[अनुवाद]

शोरानूर में रिंग रेलवे लाइन

5252. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में शोरनूर में एक रिंग रेल लाइन बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) शोरानूर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रिंग रेल लाइन से क्या लाभ होगा;

(घ) रिंग रेल लाइन पर कब तक काम शुरू होने और पूरा होने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ) फिलहाल, रेल मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। संशोधित कार्य आबंटन नियम, 1986 के अंतर्गत शहरी परिवहन परियोजनाओं पर रेल आधारित नए प्रस्तावों पर अब शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी है।

[हिन्दी]

मालगाड़ी का पटरी से उतरना

5253. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 जनवरी, 1997 को उत्तर प्रदेश में कानपुर स्थित अनवरगंज के जूही पाई में मालगाड़ी के पांच डिब्बे पलट गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच का ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप कितनी वित्तीय हानि हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अधिकारियों की एक समिति द्वारा दुर्घटना की जांच की गई थी। जिसका यह निष्कर्ष था कि यह दुर्घटना लदान प्रक्रिया का पालन न करने और गाड़ी की जांच न किए जाने के कारण हुई। इस दुर्घटना के कारण रेलवे को 4.52 लाख रुपए की वित्तीय हानि हुई।

[अनुवाद]

उन्नाव जिले में उप-डाकघर

5254. श्री देवी बक्श सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले में कितने उप-डाकघर हैं;

(ख) क्या उन्नाव जिले में उप-डाकघरों की कमी क्या है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वहां कार्यरत डाकघरों में कर्मचारियों की कमी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में उन्नाव जिले में उप-डाकघर खोलने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में उप डाकघरों की संख्या 23 है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

चण्डीगढ़ में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

5255. श्री सत्यपाल जैन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चण्डीगढ़ में एक दूरदर्शन केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां। चंडीगढ़ में प्रस्तावित कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र के लिए एक उपयुक्त स्थान पर अधिग्रहण कर लिया गया है। इस आकार की एक परियोजना के कार्यान्वयन में स्थल पर सिविल निर्माण कार्य शुरू होने से लगभग दो वर्ष का सामान्य समय लगता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नई मूल्य आधारित सेवाओं का मूल्यांकन करने हेतु विशेषज्ञों का पैनल

5256. श्री उत्तम सिंह पवार : (क) क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना में दूरसंचार क्षेत्र में नई मूल्य आधारित सेवाओं की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने हेतु गठित विशेषज्ञों के पैनल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पैनल की सिफारिशों को लागू करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) 9वीं योजना अवधि में दूरसंचार क्षेत्र में नई मूल्यवर्धित सेवाओं की आवश्यकता के मूल्यांकन हेतु योजना आयोग द्वारा सदस्य (प्रौद्योगिकी), दूरसंचार आयोग की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

9वीं योजना अवधि के दौरान उक्त दल ने शुरू किए जाने हेतु 12 नई मूल्य वर्धित सेवाओं तथा विस्तार हेतु मौजूदा 10 मूल्य वर्धित सेवाओं को चुना है। इस दल ने पांच सेवाओं को भी उद्गामी मूल्य वर्धित सेवाओं के रूप में चुना है। जिन्हें 9वीं योजना के अंत तक प्रोद्योगिक आधार पर चलाने/विकसित करने की परिकल्पना की गई है। उक्त तीनों श्रेणियों में अभिज्ञात सेवाओं की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

9वीं योजना अवधि के लिए कार्यकारी दल द्वारा देश में अभिज्ञात मूल्य वर्धित दूरसंचार सेवाओं की सूची।

श्रेणी		सेवा का नाम	
1		2	
(i)	मौजूदा मूल्य वर्धित सेवा	(i)	सेल्यूलर सचल टेलीफोन सेवा
		(ii)	रेडियो पेजिंग सेवा
		(iii)	सार्वजनिक सचल रेडियो ट्रंक्ड सेवा
		(iv)	इलेक्ट्रानिक मेल सेवा
		(v)	वायस मेल/आडियोटैक्स
		(vi)	वीडियोटेक्स
		(vii)	वीडियो कान्फ्रेंसिंग
		(viii)	इनसेट उपग्रह प्रणालियों के माध्यम से सीमित प्रयोक्ता समूह (सीयूजी) 64 केबीपीएस घरेलू डाटा नेटवर्क सेवा।
		(ix)	क्रेडिट कार्ड प्राधिकार
		(x)	इन्टरनेट
(ii)	नई मूल्यवर्धित सेवाएं (9वीं योजना के दौरान शुरू किए जाने वाली)	(i)	पे-फोन सेवाएं।
		(ii)	होम बैंक्रि/टेली बैंक्रिंग
		(iii)	आटोमेटिक टेलर मशीन
		(iv)	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
		(v)	मल्टी मीडिया सेवाएं
		(vi)	सार्वभौमिक सचल उपग्रह सेवाएं

1		2	
		(vii)	इनसैट-2सी के माध्यम से सचल उपग्रह फोन।
		(viii)	आईएल प्लेटफार्म इस्तेमाल करने संबंधी सेवाएं
		(ix)	आईएसटीएन प्लेटफार्म के इस्तेमाल से की जाने वाली सेवाएं
		(x)	निजी संचार सेवाएं (पीसीएस)
		(xi)	टेली-मैडिसन/स्वास्थ्य सूचना सेवाएं
		(xii)	दूरस्थ शिक्षा सेवा।
(iii)	उद्गामी मूल्य वर्धित सेवाएं (9वीं योजना के अंत तक की प्राद्यौगिक आधार पर चलाने/ विकसित करने हेतु)	(i)	मल्टी मीडिया डाटा बेस
		(ii)	मांग पर वीडियो
		(iii)	इलेक्ट्रॉनिक तथा आन लाइन पत्रिका तथा समाचार पत्र।
		(iv)	वीडियो गेम/वर्चुअल रियोलिटी
		(v)	होम शॉपिंग/वीडियो शॉपिंग

आंध्र प्रदेश में रेल के डिब्बे बनाने की फैक्ट्री स्थापित करना

5257. श्री अजमीरा चन्दूलाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के वारंगल में रेल के डिब्बे बनाने की फैक्ट्री स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दूसरी सवारी डिब्बा निर्माण इकाई की स्थापना के समय कई राज्यों ने प्रस्तावित इकाई लगाने के लिए स्थान निर्धारण के सुझाव दिए थे, सुझाए गए स्थानों में से एक वारंगल भी था। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अंततः पंजाब राज्य के कपूरथला में कोच फैक्टरी के लिए स्थान चुना गया था।

विकास हेतु विस्तृत योजना

5258. श्री राजाभाऊ ठाकरे : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में डाक सेवाओं के विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए कोई विस्तृत कार्य योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान इस संबंध में किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र के प्रत्येक जिले के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में क्या-क्या प्रमुख उपलब्धियां दर्ज की गई हैं;

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान महाराष्ट्र में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पृथक-पृथक रूप से किए जाने वाले संभावित निवेश का ब्यौरा क्या है तथा विदर्भ क्षेत्र में डाक संचार परियोजनाओं पर जिला-वार कितना निवेश करने का विचार किया गया है; और

(घ) महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में डाक संचार के उन्नयन के लिए कौन-कौन सी प्रमुख परियोजनाएं चल रही हैं/नई परियोजनाएं विचाराधीन हैं तथा निर्धारित लक्ष्यों के रूप में उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान इस संबंध में किए गए निवेश और विदर्भ क्षेत्र सहित महाराष्ट्र सर्किल में प्रमुख उपलब्धियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) वार्षिक योजना, 1997-98 के वित्तीय परिव्यय को अभी मंजूरी दी जानी है।

(घ) जहां तक महाराष्ट्र में डाक नेटवर्क के विस्तार के लक्ष्य का संबंध है, 3 विभागीय उप डाकघर और 35 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें और मानदंड आधारित औचित्य की पूर्ति होती हो। जहां तक अन्य परियोजनाओं का संबंध है, इन्हें अभी तैयार किया जा रहा है।

विवरण

महाराष्ट्र सर्किल के विदर्भ क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए निवेश और मुख्य उपलब्धियों का ब्यौरा

क्रम सं.	पिछले पांच वर्षों के दौरान मुख्य उपलब्धियां	निवेश का ब्यौरा
1	2	3
1.	विदर्भ क्षेत्र में 37 बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें स्थापित की गईं जबकि नागपुर में ऐसी 22 मशीनें, भुलदाना में 1, चन्द्रपुर, यवतमाल और वर्धा में 2-2 और अमरावती तथा अकोला में 4-4 मशीनें स्थापित की गईं।	22,57,930
2.	महाराष्ट्र सर्किल में 5 वेरी स्माल अपरचर टर्मिनल स्थापित किए गए जिनमें से एक नागपुर में स्थापित किया गया।	50.00 लाख रु. (सभी पांचों वीएसएटी स्टेशनों के लिए)
3.	महाराष्ट्र डाक सर्किल में 77 डाकघर आधुनिक बनाए गए। विदर्भ क्षेत्र में नागपुर सिटी प्रधान डाकघर, वर्धा प्रधान डाकघर, अमरावती कैंप उप डाकघर और चन्द्रपुर सिटी उप डाकघर आधुनिक बनाए गए।	77 डाकघरों के लिए कुल 3.44 करोड़ की राशि का निवेश किया गया।
4.	8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समूचे देश के लिए 1546 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 466 विभागीय उप डाकघर मंजूर किए गए। इनमें से 163 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों तथा 51 विभागीय उप डाकघरों के लक्ष्य की तुलना में महाराष्ट्र डाक सर्किल के लिए कुल 170 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 62 विभागीय उप डाकघर मंजूर किए गए।	इस संबंध में समूचे देश के लिए लगभग 16.50 करोड़ रु. का निवेश किया गया है जिसमें महाराष्ट्र सर्किल का निवेश भी शामिल है।
5.	स्पीड पोस्ट केन्द्रों का उन्नयन तथा प्रीमियम उत्पादों का आधुनिकीकरण	इस उद्देश्य के लिए समूचे महाराष्ट्र सर्किल के लिए कुल 51.10 लाख रु. की राशि का निवेश किया गया है।

महिलाओं के लिए अलग रेल डिब्बा

5259. श्री पी. सी. चाक्को : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल महिला आयोग ने सरकार को इस आशय का एक अभ्यावेदन दिया है कि लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में दो रेल डिब्बे महिलाओं के लिए विशेष रूप से हों तथा इन पर अलग रंग से एक महिला का चित्र भी अंकित हो;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कुछ समय पूर्व यह आश्वासन दिया था कि महिलाओं के लिए दो रेल के डिब्बे विशेष रूप से आरक्षित होंगे तथा उन पर अलग रंग से महिला का चित्र अंकित होगा;

(ग) यदि हां, तो उक्त आश्वासन को अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन्हें कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) जी, नहीं। बहरहाल, दक्षिण रेलवे को केरल में कुछ यात्री गाड़ियों की पहचान करने, महिलाओं के लिए द्वितीय श्रेणी के संपूर्ण सवारी डिब्बे का औचित्य तैयार करने और सवारी के डिब्बे पर महिला की तस्वीर लगा करके डिब्बे को गाड़ी के मध्य में लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं।

काली सूची में शामिल फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही

5260. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने काली सूची में शामिल दूरसंचार फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो इन फर्मों की संख्या तथा नाम क्या हैं; और

(ग) इन फर्मों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं। तथापि, व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाने के लिए कुछ फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(ख) सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) विभाग द्वारा एक जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई है। सभी चौदह फर्मों को "कारण बताओ" नोटिस जारी किए गए हैं।

विवरण

व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाने के लिए जिन फर्मों के विरुद्ध कार्यवाई शुरू की गई है उनकी सूची इस प्रकार है :—

क्र॰ सं॰	फर्मों के नाम तथा उनके पते
1	2
1.	मै॰ स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि॰ 903-905, टॉलस्टॉय हाउस टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001
2.	मै॰ बिरला एरिक्सन ऑप्टिकल लि॰ पी ओ चोरहटा, उद्योग विहार रेवा-486006 (मध्यप्रदेश)
3.	मैं॰ हिमाचल फ्यूचुरिस्टिक कम्यूनिकेशन्स लि॰ 8, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मस्जिद मोड़, ग्रेटर कैलाश-II नई दिल्ली-110048.
4.	मै॰ भिलाई वायरस लि॰ (आप्टीकल फाइबर केबल डिवीजन) के-33, बालाजी एस्टेट के सामने कालकाजी, नई दिल्ली
5.	मैं॰ अक्स इंडिया लि॰ 9-डी, आत्मा राम हाउस टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली 110001
6.	मै॰ यूनीफ्लैक्स केबल लि॰ 147, सागर भवन प्रिंसेस स्ट्रीट, मुंबई-400002
7.	मैं॰ वी एच ई एल इंडस्ट्रीयल लि॰ ए-287, न्यू फ्रेंड्स कालोनी नई दिल्ली-110065
8.	मै॰ गुजरात आप्टिकल कम्यूनिकेशन्स लि॰ 507, हरे कृष्ण कॉम्प्लेक्स, प्रीतमनगर, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380006
9.	मै॰ सुराना टेलीकॉम लि॰ प्लाट नं॰ 214-215 फेज II, आई डी ए, छालापल्ली हैदराबाद-500051
10.	मै॰ प्लास्मैक मशीन मैन्यूफेक्चरिंग कं॰ प्रा॰ लि॰ श्याम नगर, माजिस बाड़ा जोगेश्वर (पूर्वी) मुंबई-400060
11.	मै॰ सीमेन्स 215/70/2/1 सराय (साहजी) मालवीय नगर, बॉक्स नं॰ 7320 नई दिल्ली-110016
12.	मैं॰ आर पी जी टेलीकॉम प्रताप बिल्डिंग, प्रथम तल एन-83, कनॉट सर्कस नई दिल्ली-110001
13.	मै॰ टेलीमैटिक्स सिस्टम्स लि॰ पी बी नं॰ 978 माउन्ट पूनामाले रोड नंदमबक्कम, चेन्नई-600089
14.	मै॰ एडवांस रेडियो मास्ट्स लि॰, (मै॰ ए आर एम लि॰) 7-139, हबसिगुडा क्रॉस रोड हैदराबाद-500007

एस॰ टी॰ डी॰/पी॰ सी॰ ओ॰ की स्थापना

5261. श्री आई॰ डी॰ स्वामी : क्या **संचार** मंत्री एसटीडी/पीसीओ की स्थापना के बारे में 6.3.1997 के तारांकित प्रश्न संख्या 198 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करनाल एस एस ए में दो के स्थान पर तीन गैर-सरकारी सदस्य हैं;

(ख) क्या उपर्युक्त तीन सदस्यों में से एक सदस्य ऐसा है जिसकी सिफारिश न तो करनाल के संसद सदस्य ने की है और न उस क्षेत्र में जिसके अंतर्गत सम्पूर्ण करनाल एस एस ए का क्षेत्र आता है;

(ग) यदि हां, तो एस एस ए करनाल के लिए किन परिस्थितियों में और किस ढंग से तीसरा सदस्य नामजद किया गया;

(घ) क्या इस मामले की जांच करने और एस एस ए करनाल से तुरन्त तीसरे सदस्य को हटाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) किसी भी एस एस ए के लिए गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। करनाल एस एस ए एस टी डी/पी सी ओ आबंटन समिति के सभी तीन सदस्यों की, संबंधित सेकेण्डरी स्विचन क्षेत्र का पूर्णतया तथा आंशिक रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्यों द्वारा विधिवत् सिफारिश की गई है।

(ग) सोनीपत और हिसार निर्वाचन क्षेत्रों का कुछ हिस्सा भी करनाल एस एस ए के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है। संसद सदस्यों द्वारा उक्त निर्वाचन क्षेत्र से तीसरे सदस्य की सिफारिश की गई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के खिलाड़ियों की नियुक्ति

5262. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के खिलाड़ियों को नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दैतारी-बेंशपानी रेल लाइनों के लिए धन की आवश्यकता

5263. श्री भक्त चरण दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार से दैतारी वंशपानी रेल लाइन को दिसंबर 1999 तक पूरा करने हेतु धन के शीघ्र आबंटन का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपेक्षित धनराशि कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) इस क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे इस्पात संयत्रों को सेवित करने हेतु अपेक्षित समय सीमा के भीतर दैतारी बंशपानी लाइन को दिसम्बर 99 तक पूरा किया जाएगा। धन की व्यवस्था की जाएगी और इस लक्ष्य के अनुरूप कार्य में प्रगति की जाएगी।

मदुरै से इंडियन एयरलाइंस सेवाओं का हटाया जाना

5264. श्री ए. जी. एस. राम बाबू : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने अपनी कुछ सेवाएं मदुरै से हटा ली हैं तथा उन्हें कुछ और गंतव्यों पर लगाया है तथा मूल्य सारणी में कुछ परिवर्तन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार को इससे राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव सहित व्यापारियों, व्यावसायियों तथा अन्य पर्यटकों को होने वाली असुविधा के बारे में ज्ञान है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख) जी, हां। इंडियन एयरलाइंस के प्रचालनों को अर्थक्षम बनाने तथा मुम्बई/कोयम्बतूर और मुम्बई/मदुरै के बीच सीधी टर्मिनेटर सेवा उपलब्ध कराने हेतु मुम्बई/कोयम्बतूर/मदुरै/मुम्बई की त्रिकोणीय सेवा को अलग-अलग सेवाओं में तोड़ दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप कोयम्बतूर/मदुरै सैक्टर पर विमान सेवा नहीं रही।

मदुरै/कालीकट से विमान सेवा हटाते हुए चेन्नई/मदुरै के बीच टर्मिनेटर सेवाएं प्रचालित करने के लिए कालीकट/मदुरै/चेन्नई सेवाओं को भी पुन: अनुसूचित किया गया था।

कोयम्बतूर/मदुरै और मदुरै/कालीकट/मदुरै सैक्टर पर प्रति उड़ान यात्रियों की औसत संख्या इस प्रकार है :—

	जन. 97	फर. 97	मार्च 97
कोयम्बतूर/मदुरै	07	04	05
मदुरै/कालीकट	08	03	01
कालीकट/मदुरै	03	02	03

(ग) समयावली में परिवर्तन के संबंध में व्यावसायियों और व्यापारियों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, अब मुम्बई और मदुरै के बीच बेहतर तथा अधिक हवाई सम्पर्क उपलब्ध हैं।

उच्चतम न्यायालय में दायर बुकिंग क्लर्कों द्वारा की गई याचिकाएं

5265. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थायी, अस्थायी, नैमित्तिक और मोबाइल बुकिंग क्लर्कों द्वारा उच्चतम न्यायालय में कितनी याचिकाएं दायर की गई हैं;

(ख) कितनी याचिकाओं का फैसला हो गया है और कितनी याचिकाएं लंबित पड़ी हैं;

(ग) कितने मामलों में कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय हुआ है और कितने मामलों में सरकार के पक्ष में निर्णय हुआ है;

(घ) कितने निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में कार्यान्वित किए गए और कितनों पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) उत्तरी रेलवे से संबंधित विचाराधीन मामलों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ) क्षेत्रीय रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा

5266. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन विकास के लिए केन्द्र सरकार को 100 करोड़ रुपए की व्यापक योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने योजना पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता देने पर सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): आन्ध्र प्रदेश सरकार ने पर्यटन के विकास के लिए राज्य में लम्बी अवधि के परिप्रेक्ष्य के साथ एक मास्टर प्लान तैयार किया है। राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता विशिष्ट प्रस्तावों के प्राप्त होने पर उनके गुण-दोषों, पारस्परिक प्राथमिकताओं और धन की उपलब्धता के आधार पर दी जाती है। वर्ष 1996-97 के दौरान, पर्यटन विभाग ने आन्ध्र प्रदेश सरकार को पर्यटन परियोजनाओं के लिए 125.50 लाख रुपए की राशि की 7 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में तार सेवाओं का आधुनिकीकरण

5267. प्रो॰ रासा सिंह रावत : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में तार सेवाओं को सुदृढ़ करने तथा इनके आधुनिकीकरण हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तथा चालू वर्ष के दौरान अलग-अलग इस संबंध में क्या बजटीय प्रावधान किया गया है; और

(घ) राजस्थान में तार सेवाओं का कब तक आधुनिकीकरण कर दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) माइक्रोप्रोसेसर आधारित औद्योगिकी की शुरूआत करके तार सेवाओं का आधुनिकीकरण कर दिया गया है। इस प्रौद्योगिकी में स्टोर एंड फारवर्ड मेसेज स्विचिंग सिस्टम्स (एस एफ एम एस एस), फारमेटेड टर्मिनल कन्सेन्ट्रेटर्स (एफ आई सी एस), इलेक्ट्रॉनिक की बोर्ड कन्सेन्ट्रेटर्स) ई के बी सी एस) फैक्स इत्यादि उपकरण लगे होते हैं। जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है।

(ग) तार सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए अलग से कोई बजटीय आबंटन नहीं किया गया है।

(घ) राजस्थान में अत्यधिक संख्या में तार सेवाओं का आधुनिकीकरण किया गया है। तथापि, यह एक अग्रगामी परियोजना है।

विवरण

राजस्थान दूरसंचार सर्किल

31.3.97 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान सर्किल में स्थापित की गई तार सेवाओं का आधुनिकीकरण—एक नजर

क्र॰ सं॰	जिले का नाम	तार उपस्करों के नाम जो तार घरों में स्थापित हैं					अभ्युक्तियां
		एसएफएमएस प्रणाली	ईकेबीसी	ईकेबीटी एमएलएस	इले॰ टीपी एस	ब्यूरो-फैक्स केंद्रों की सं॰	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जयपुर	एफएफएमएस-64-एल (बी/एल - 01)	04	32	12	16	—
2.	दौसा	—	—	04	01	01	—
3.	सवाईमाधोपुर	—	01	03	04	04	—
4.	टोंक	—	—	—	02	02	—
5.	बुंदी	—	—	03	01	01	—
6.	कोटा	—	02	08	05	04	—
7.	बारन	—	—	—	01	01	—
8.	झालावाड़	—	—	—	02	02	—
9.	जोधपुर	एसएफएमएस-32-एल (रोमन)-01	03	11	09	04	—
10.	धौलपुर	—	—	—	01	01	—
11.	भरतपुर	—	01	10	02	02	—

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	सिकर	—	01	08	04	02	—
13.	अलवर	—	01	10	04	04	—
14.	झून-झूनू	—	01	08	08	04	—
15.	चूरू	—	02	10	04	03	—
16.	नागौर	—	02	17	07	02	—
17.	बिकानेर	—	02	07	05	02	—
18.	हनुमानगढ़	—	01	06	02	02	—
19.	श्रीगंगानगर	—	01	07	04	02	—
20.	बारमेर	एस एफ एम-32-एल (रोमन) = 01	—	01	04	02	—
21.	जैसलमेर	—	—	—	03	01	—
22.	सिरोही	—	01	05	04	03	—
23.	जलोर	—	01	05	02	02	—
24.	पाली	—	02	815	06	02	—
25.	अजमेर	—	03	19	12	07	
26.	भीलवाड़ा	—	01	09	03	03	—
27.	चित्तौड़गढ़	—	—	—	01	01	—
28.	उदयपुर	—	02	11	06	04	—
29.	डुंगरपुर	—	—	—	01	01	—
30.	बांसवाड़ा	—	—	—	02	01	—
31.	राजसमंद	—	—	—	01	02	—
	कुल योग	64 लाइनें = 1 32 लाइने = 1	32	209	123	88	

बी/एल = बाईलिंगुअल

रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की कमी

5268. श्री अशोक प्रधान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि खुर्जा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उत्तर रेलवे के अन्तर्गत दानकौर चोला और अन्य महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर मूल सुविधाओं की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान खुर्जा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत उन रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं जिन पर सरकार द्वारा मूल सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं और इस संबंध में वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्टेशनों के संबंध में रेलें निर्वाचन वार सूचना नहीं रखती है।

बिहार में घटिया किस्म की आवश्यक सेवाएं

5269. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार में डाक, तार और संचार विभाग की घटिया किस्म की आवश्यक सेवाओं के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या इन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किए जाने की जरूरत है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में जारी किए गए अनुदेश क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) बिहार में डाक, तार और संचार की अनिवार्य सेवाएं सामान्यतः संतोषजनक हैं। तथापि प्राकृतिक आपदाओं, परिवहन संबंधी कठिनाइयों, डाक की विशाल मात्रा की आकस्मिक व आपवादिक रूप से प्राप्ति के कारण डाक में यदा-कदा विलम्ब हो जाता है।

(ख) जी हां। डाक सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की संभावना सदा बनी रहती है, यह विभाग की एक अनवरत प्रक्रिया है।

(ग) निरीक्षण स्टाफ को समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं कि वे पर्यवेक्षी दौरे करें तथा एक कुशल निरीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से डाक की मानीटरिंग और उसे बेहतर बनाने, वितरण प्रबंध, डाकघरों का समुचित वित्त-पोषण सुनिश्चित करने और लोगों की शिकायतों के प्रति पर्याप्त रूप से ध्यान दें। डाक, मनीआर्डर तथा तार सेवाओं के पारेषण और वितरण की लगातार विभिन्न स्तरों पर मानीटरिंग की जाती है और त्रुटियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाए किए जाते हैं। डाक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए बिहार में 92 बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की स्थापना द्वारा 48 डाकघरों में काउंटर कार्यों का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है।

प्रकाशन

5270. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रकाशन विभाग द्वारा हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू तथा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों की संख्या क्या है;

(ख) इन पुस्तकों के शीर्षकों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पुस्तकों पर भाषा-वार कितना खर्चा किया गया है; और

(घ) भारतीय भाषाओं में पुस्तकों के प्रकाशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) प्रकाशन विभाग द्वारा अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू तथा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों तथा उन पर हुए खर्च के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) प्रकाशन विभाग क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए कई कदम उठा रहा है। क्षेत्रीय भाषाओं में मूल रूप से पुस्तकें लिखने के लिए प्रतिष्ठित लेखकों से संबंध स्थापित किया जाता है। हिन्दी तथा अंग्रेजी में पहले से प्रकाशित कुछ पुस्तकों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। एक अन्य परियोजना भी शुरू की गई है जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय भाषाओं के आधुनिक भारतीय गौरव ग्रंथों (विगत दो सौ वर्षों में प्रकाशित) का पता लगाने के लिए प्रतिष्ठित साहित्यकारों को कमीशंड किया जा रहा है। दस से लेकर पन्द्रह गौरव ग्रंथों का पता लगाया गया है तथा संबंधित भाषाओं में रूपान्तर प्रकाशित किए जा रहे हैं। इसके पश्चात इन पुस्तकों को अन्य भारतीय भाषाओं में अनूदित किया जाता है। इसका उद्देश्य एक क्षेत्रीय भाषा में लिखे गौरव ग्रंथों को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के पाठकों के लिए उपलब्ध करवाना है।

विवरण

वर्ष 1994-95 के दौरान प्रकाशित पुस्तकों की सूची

अंग्रेजी

1.	कलैक्टेड वर्क्स आफ महात्मा गांधी (सी. डब्ल्यू एम. जी.)	खण्ड	(41)	(पुनः मुद्रण)
2.	सी. डब्ल्यु एम. जी.	(खण्ड)	(61)	(पुनः)
3.	सी. डब्ल्यु एम. जी.	(खण्ड)	(67)	(पुनः)
4.	सी. डब्ल्यु एम. जी.	(खण्ड)	(68)	(पुनः)
5.	सी. डब्ल्यु एम. जी.	(खण्ड)	(69)	(पुनः)
6.	सी. डब्ल्यु एम. जी.	(खण्ड)	(75)	(पुनः)
7.	सी. डब्ल्यु एम. जी.	(खण्ड)	(50)	(पुनः)
8.	सी. डब्ल्यु एम. जी.	(खण्ड)	(5)	(पुनः)
9.	मास मीडिया इन इण्डिया 93			
10.	प्रेस इन इण्डिया 93			
11.	सी. डब्ल्यु एम. जी.	(खण्ड)	(17)	(पुनः)
12.	सी. डब्ल्यु एम. जी.	(खण्ड)	(18)	(पुनः)

13.	सी॰ डब्ल्यु एम॰ जी॰	(खण्ड)	(128)	(पुनः)
14.	सी॰ डब्ल्यु एम॰ जी॰	(खण्ड)	(43)	(पुनः)
15.	सी॰ डब्ल्यु एम॰ जी॰	(खण्ड)	(62)	(पुनः)
16.	सी॰ डब्ल्यु एम॰ जी॰	(खण्ड)	(58)	(पुनः)
17.	सी॰ डब्ल्यु एम॰ जी॰	(खण्ड)	(59)	(पुनः)
18.	बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स एण्ड मोनुमेण्टस			(पुनः)
19.	सी॰ डब्ल्यु एम॰ जी॰	(खण्ड)	(27)	(पुनः)
20.	सी॰ डब्ल्यु एम॰ जी॰	(खण्ड)	(64)	(पुनः)
21.	सी॰ डब्ल्यु एम॰ जी॰	(खण्ड)	(65)	(पुनः)
22.	सी॰ डब्ल्यु एम॰ जी॰	(खण्ड)	(66)	(पुनः)
23.	सी॰ डब्ल्यु एम॰ जी॰	(खण्ड)	(72)	(पुनः)
24.	सी॰ डब्ल्यु एम॰ जी॰	(खण्ड)	(73)	(पुनः)
25.	गोविन्द वल्लभ पन्त (वी॰ एम॰ आई॰)			
26.	एन इन्ट्रोडक्शन टु एण्डियन म्युजिक			(पुर्नमुद्रण)
27.	फोक आर्टस एण्ड सोशल कम्युनिकेशन			
28.	नटराजा			(पुनर्मुद्रण)
29.	आल आर इक्वल इन दी आइज आफ गॉड			(पुनर्मुद्रण)
30.	महात्मा गांधी—हिज लाइफ इन पिक्चर्स			(पुनर्मुद्रण)
31.	गांधी एल्बम			(पुनर्मुद्रण)
32.	कोटेबुल कोटस: गांधी			
33.	सिगनीफिकेन्स आफ गांधी ऐज ए मैन एण्ड थिंकर			(पुनर्मुद्रण)
34.	गांधियन वैलूज एण्ड टवेन्टीएथ सेन्चुरी चैलेन्जेज			(पुनः)
35.	लेट अस नो गांधी जी			(पुनः)
36.	गांधी इन चम्पारन			(पुनः)
37.	एपीग्राम्स फ्राम गांधी			(पुनः)
38.	महात्मा-गांधी-एक्रोनोलोजी			(पुनः)
39.	महात्मा गांधी ऐज ए स्टुडैन्ट			(पुनः)
40.	मैसेज ऑफ महात्मा गांधी			(पुनः)
41.	बुद्धिस्ट साइन्स इन इण्डिया			(पुनः)
42.	महात्मा गांधी एण्ड वन वर्ल्ड			(पुनः)
43.	प्रेस इन इण्डिया 1994			
44.	सी॰ डब्ल्यु एम॰ जी॰	(खण्ड)	(21)	(पुनः)
45.	सी॰ डब्ल्यु एम॰ जी॰	(खण्ड)	(23)	(पुनः)
46.	सी॰ डब्ल्यु एम॰ जी॰	(खण्ड)	(19)	(पुनः)
47.	सी॰ डब्ल्यु एम॰ जी॰	(खण्ड)	(32)	(पुनः)
48.	सी॰ डब्ल्यु एम॰ जी॰	(खण्ड)	(33)	(पुनः)

49.	सी० डब्ल्यु एम० जी०	(खण्ड)	(35)	(पुनः)
50.	सी० डब्ल्यु एम० जी०	(खण्ड)	(36)	(पुनः)
51.	सी० डब्ल्यु एम० जी०	(खण्ड)	(37)	(पुनः)
52.	सी० डब्ल्यु एम० जी०	(खण्ड)	(38)	(पुनः)
53.	सी० डब्ल्यु एम० जी०	(खण्ड)	(47)	(पुनः)
54.	सी० डब्ल्यु एम० जी०	(खण्ड)	(10)	(पुनः)
55.	सी० डब्ल्यु एम० जी०	(खण्ड)	(51)	(पुनः)
56.	सी० डब्ल्यु एम० जी०	(खण्ड)	(52)	(पुनः)
57.	सी० डब्ल्यु एम० जी०	(खण्ड)	(56)	(पुनः)
58.	सी० डब्ल्यु एम० जी०	(खण्ड)	(57)	(पुनः)
59.	सी० डब्ल्यु एम० जी०	(खण्ड)	(60)	(पुनः)
60.	सी० डब्ल्यु एम० जी०	(खण्ड)	(94)	
61.	सी० डब्ल्यु एम० जी०	(खण्ड)	(95)	
62.	सी० डब्ल्यु एम० जी०	(खण्ड)	(96)	
63.	सी० डब्ल्यु एम० जी०	(खण्ड)	(97)	
64.	सी० डब्ल्यु एम० जी०	(खण्ड)	(100)	
65.	लैंगुएज आफ म्युजिक			
66.	प्रोमिनेन्ट मिस्टिक पोएटास ऑफ पंजाब			
67.	योगा-इलस्ट्रेटेड			
68.	ए थोट फार दि डे			(पुनः)
69.	नला-दम्यन्ती			(पुनः)
70.	सी० डब्ल्यु एम० जी०	(खण्ड)	(34)	(पुनः)
71.	सी० डब्ल्यु एम० जी०	(खण्ड)	(40)	(पुनः)
72.	सी० डब्ल्यु एम० जी०	(खण्ड)	(55)	(पुनः)
73.	सी० डब्ल्यु एम० जी०	(खण्ड)	(77)	(पुनः)
74.	सी० डब्ल्यु एम० जी०	(खण्ड)	(78)	(पुनः)
75.	सी० डब्ल्यु एम० जी०	(खण्ड)	(79)	(पुनः)
76.	सी० डब्ल्यु एम० जी०	(खण्ड)	(80)	(पुनः)
77.	सी० डब्ल्यु एम० जी०	(खण्ड)	(81)	(पुनः)
78.	सी० डब्ल्यु एम० जी०	(खण्ड)	(82)	(पुनः)
79.	सी० डब्ल्यु एम० जी०	(खण्ड)	(86)	(पुनः)
80.	सी० डब्ल्यु एम० जी०	(खण्ड)	(87)	(पुनः)
81.	सी० डब्ल्यु एम० जी०	(खण्ड)	(88)	(पुनः)
82.	सी० डब्ल्यु एम० जी०	(खण्ड)	(89)	(पुनः)
83.	गांधी एन इण्डियन पैट्रियाट इन साउथ अफ्रीका			
84.	गोपाल भन्द-र्० जेस्वर फ्राम बंगाल			

85.	एस॰ एस॰ आई॰ इन्सोन्टिवज एण्ड फैसिलिटीज फार डेवलपमेन्ट उद्योग मंत्रालय			
86.	दी वे आफ बुद्ध			(पुनः)
87.	दि टेल ऑफ टेलर बर्ड एण्ड-अदर-स्टोरीज			
88.	सी॰ डब्ल्यु एम॰ जी॰	(खण्ड)	(2)	(पुनः)
89.	सी॰ डब्ल्यु एम॰ जी॰	(खण्ड)	(12)	(पुनः)
90.	सी॰ डब्ल्यु एम॰ जी॰	(खण्ड)	(13)	(पुनः)
91.	सी॰ डब्ल्यु॰ एम॰ जी॰	(खण्ड)	(31)	(पुनः)
92.	सी॰ डब्ल्यु एम॰ जी॰	(खण्ड)	(39)	(पुनः)
93.	सी॰ डब्ल्यु एम॰ जी॰	(खण्ड)	(48)	(पुनः)
94.	सी॰ डब्ल्यु एम॰ जी॰	(खण्ड)	(76)	(पुनः)
95.	सी॰ डब्ल्यु एम॰ जी॰	(खण्ड)	(83)	(पुनः)
96.	सी॰ डब्ल्यु एम॰ जी॰	(खण्ड)	(84)	(पुनः)
97.	सी॰ डब्ल्यु एम॰ जी॰	(खण्ड)	(85)	(पुनः)
98.	सी॰ डब्ल्यु एम॰ जी॰	(खण्ड)	(90)	(पुनः)
99.	सी॰ डब्ल्यु एम॰ जी॰	(खण्ड)	(91)	(पुनः)
100.	सी॰ डब्ल्यु एम॰ जी॰	(खण्ड)	(92)	(पुनः)
101.	सी॰ डब्ल्यु एम॰ जी॰	(खण्ड)	(93)	(पुनः)
102.	सी॰ डब्ल्यु एम॰ जी॰	(खण्ड)	(98)	(पुनः)
103.	सी॰ डब्ल्यु एम॰ जी॰	(खण्ड)	(99)	(पुनः)

हिन्दी

1.	अपनी हिन्दी सुधारें	
2.	सन सत्तावन के भूले बिसरे शहीद भाग-3	
3.	मध्य भारत के लोक गाथा गीत	
4.	अजन्ता के वैभव	
5.	आदर्श विद्यार्थी बापु	(पुनः)
6.	तुलसी का ब्याह	(पुनः)
7.	साबु सत्पत	(पुनः)
8.	भैसों का राजकुमार	(पुनः)
9.	हिन्दी साहित्यकार : एल्बम (प्रमुख हिन्दी लेखकों के पोर्टफोलियो)	
10.	बेताल कथाएं	(पुनः)
11.	खीर की गुड़िया	(पुनः)
12.	मणिमाला	(पुनः)
13.	भारत के बुद्ध तीर्थ स्थल	
14.	प्रवासी क्रान्तिकारी	(पुनः)
15.	भारत में जनसंवाद	
16.	प्रेस इन इण्डिया	

17.	गांधी शतदल		(पुनः)
18.	महात्मा गांधी के सन्देश		(पुनः)
19.	मोहनदास कर्मचन्द गांधी		(पुनः)
20.	ऐसे थे बापु		(पुनः)
21.	महात्मा गांधी—चित्र में जीवन गाथा		(पुनः)
22.	गांधी जी—एक महात्मा की संक्षिप्त जीवनी		
23.	वैज्ञानिकों की जीवन कथाएं		
24.	हीरों का व्यापारी		(पुनः)
25.	कमल और केतकी		(पुनः)
26.	सम्राट अशोक		(पुनः)
27.	प्राचीन कथाएं		
28.	चिडियों का दरबार		(पुनः)
29.	राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त		(पुनः)
30.	ज्ञानी चूहा		(पुनः)
31.	शेर का दिल		(पुनः)
32.	राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह स्पीचेज	खण्ड-2	
33.	क्रान्ति ज्योति सावित्री बाई फुले		(पुनः)
34.	भारतीय जन जीवन-चिन्तन के दर्पण में	खण्ड-2	
35.	भारतीय हाथी		(पुनः)
36.	मौलाना अबुल कलाम आजाद		(पुनः)
37.	जवाहर लाल नेहरू के भाषण	खण्ड-2	
38.	भारत 1994		
39.	दूर देश के नन्हे मुने		(पुनः)
40.	बिहार की लोक कथाएं	खण्ड-2	
41.	बिहार की लोक कथाएं	खण्ड-1	(पुनः)
42.	रोचक ऐतिहासिक कहानियां		(पुनः)

उर्दू

1.	सैयद अहमद खां (बी॰ एम॰ आई॰)		
2.	कश्मीर की लोक कथाएं		
3.	कागजी है पैवहन		

अन्य भारतीय भाषाएं

1.	बिपिन चन्द्रपाल (बी॰ एम॰ आई॰)		
2.	सुखनो स्वराज		(पुनः)
3.	मेघ धनुष		(पुनः)
4.	मन्यमलो म्यूरम		
5.	स्ट्रीट रत्नाली		(पुनः)

6. ए॰ पी॰ लो॰ पुष्करन्दुलु
7. बाला दीपिकालु
8. हमारा भारत देश
9. पुन्यापिता कपिलश

क्रम		व्यय
अंग्रेजी प्रकाशन	103	93,48,648/-रुपए
हिन्दी प्रकाशन	42	24,85,015/-रुपए
उर्दू प्रकाशन	3	1,12,390/-रुपए
अन्य भारतीय भाषाओं के प्रकाशन	9	2,22,070/-रुपए
कुल प्रकाशन :	157	121,68,323/-रुपए

वर्ष 1995-96 के दौरान प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित प्रकाशन

अंग्रेजी

1. पी॰ वी॰ नरसिंह राव : सलेक्टेड स्पीचेज खंड III
2. फारगोटन मानुमेंट्स ऑफ उड़ीसा-खंड I
3. एनसिएंट इंडिया
4. गांधी : दि मैन एंड हिज थॉट (पुनर्मुद्रण)
5. नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया
6. इंडिया-1994
7. एम॰ ए॰ अंसारी (बीएमआई)
8. आंध्र केसरी टी॰ प्रकाशम (बीएमआई)
9. टुवार्इस फुड फॉर आल-आइडियाज फॉर ए न्यू पीडीएस
10. "1857" (पुनः)
11. सी॰ डब्ल्यू॰ एम॰ जी॰ खंड 44 (पुनः)
12. गांधी-ए पिक्टोरियल बायोग्राफी (पुनः)
13. सी॰ डब्ल्यू॰ एम॰ जी॰ खंड 18 (पुनः)
14. सी॰ डब्ल्यू॰ एम॰ जी॰ खंड 84 (पुनः)
15. गांधी-आर्डेण्ड इन साउथ अफ्रीका
16. एनसिएंट इंडिया (पुनः)
17. चैलेंज टु द एंपायर-ए स्टडी ऑफ नेताजी (पुनः)
18. सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर्स 1993-94
19. फोक टेल्स आफ केरला
20. सी॰ डब्ल्यू॰ एम॰ जी॰ खंड 12 (पुनः)
21. मास मीडिया इन इंडिया 1994-95
22. दि इयर्स आफ एंडेवियर: सलेक्टेड स्पीचेज ऑफ इंदिरा गांधी (पुनः)
23. इंडियन ट्राइब्स थ्रू दि एजेस (पुनः)
24. पी॰ वी॰ नरसिंह रावस सलेक्टेड स्पीचेज-खंड 4

25.	एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंडियन पीपल	(पुनः)
26.	सी॰ डब्ल्यू॰ एम॰ जी॰ खंड 20	(पुनः)
27.	इंडिया-1995	
28.	यूनाइटेड नेशंस इन दि सर्विस ऑफ दि कामन मैन	
29.	सी॰ डब्ल्यू॰ एम॰ जी॰ खंड-13	(पुनः)

हिंदी

1.	राजर्षि पुरूषोत्तम दास टंडन	(पुनः मुद्रण)
2.	जे॰ एल॰ नेहरू के भाषण खंड-1	(पुनः)
3.	भारतीय विज्ञापन में नैतिकता	
4.	बुद्ध गाथा	
5.	संयुक्त राष्ट्र बच्चों के लिए	
6.	सुरों का साधक	
7.	दूरदर्शन : दशा और दिशा	
8.	भारत के समाचार पत्र 1994	
9.	चिड़ियों की दुनिया	(पुनः)
10.	ग्रामीण जीवन में विज्ञान	(पुनः)
11.	पौराणिक बाल कथाएं	(पुनः)
12.	राजकुमारी निहालदे	(पुनः)
13.	धरती का सपना	(पुनः)
14.	दस्त रोग	(पुनः)
15.	कालगुरू आनंद कुमार स्वामी	(पुनः)
16.	दक्षिण भारत के मंदिर	(पुनः)
17.	सुंचर काचौ	(पुनः)
18.	हिंदी और उसकी उपासन	
19.	भारतीय संस्कृति की झांकी	(पुनः)
20.	प्रेमचंद की विचार यात्रा	
21.	सी॰ के॰ नायडू	
22.	डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद-सचित्र जीवन	(पुनः)
23.	लघु उद्योग-विकास के लिए प्रोटेशन और सुविधाएं	
24.	जी॰ वी॰ मावलंकर (बीएमआई)	(पुनः)
25.	केशव चन्द्र सेन (बीएमआई)	(पुनः)
26.	मणिपुर की लोक कथाएं	(पुनः)
27.	सन सत्तावन के भूले बिसरे शहीद	(पुनः)
28.	कस्तूरबा गांधी	(पुनः)
29.	भोजपुरी लोक कथाएं	(पुनः)
30.	भारत की मस्जिद	(पुनः)

31.	अपनी हिंदी सुधारें	(पुनः)
32.	उत्तर प्रदेश लोक कथाएं	(पुनः)
33.	योग सचित्र	(पुनः)
34.	सरोजिनी नायडू	(पुनः)
35.	संत गाडगे बाबा	(पुनः)
36.	रवीन्द्र नाथ टैगोर की बाल कहानियां	(पुनः)
37.	मदन मोहन मालवीय (बीएमआई)	(पुनः)
38.	हमारे बहादुर बच्चे	पुनः मुद्रित
39.	रोचक ऐतिहासिक कहानियां	पुनः मुद्रित
40.	प्राचीन भारत	
41.	ईश्वर चन्द विद्यासागर (बी॰ एम॰ आई)	पुनः मुद्रित
42.	मन जिसका मजबूत खण्ड-2	
43.	करतबी जानवर	पुनः मुद्रित
44.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस	पुनः मुद्रित
45.	बज्जीका की लोक कथाएं	पुनः मुद्रित
46.	बुन्देल खण्ड की लोक कथाएं	पुनः मुद्रित
47.	सी॰ डब्ल्यू एम जी खण्ड-21	पुनः मुद्रित
48.	सी॰ डब्ल्यू एम जी खण्ड-23	पुनः मुद्रित
49.	कुटेबल कोट्स विनोबा भावे	
50.	कुटेबल कोट्स-सुब्रमणियम भारती	
51.	कुटेबल कोट्स-जय शंकर प्रसाद	
52.	सी॰ डब्ल्यू॰ एम॰ जी खण्ड-20	पुनः मुद्रित
53.	सी॰ डब्ल्यू॰ एम॰ जी खण्ड-25	पुनः मुद्रित
54.	अवध की बेगम	पुनः मुद्रित
55.	बेताल कथाएं	पुनः मुद्रित
56.	सी॰ डब्ल्यू॰ एम॰ जी॰ खण्ड-24	पुनः मुद्रित
57.	सी॰ डब्ल्यू॰ एम॰ जी॰ खण्ड-10	पुनः मुद्रित
58.	सी॰ डब्ल्यू॰ एम॰ जी॰ खण्ड-4	पुनः मुद्रित
59.	आजकल अनुक्रमणिका	
60.	प्रेमचन्द फोटेवल कोट्स	पुनः मुद्रित
61.	लौह पुरुष सरदार पटेल	पुनः मुद्रित
62.	बुद्ध कथाएं	पुनः मुद्रित
63.	कुमायूं की लोक कथाएं	पुनः मुद्रित
64.	सी॰ डब्ल्यू एम॰ जी॰ खण्ड-8	पुनः मुद्रित
65.	सी डब्ल्यू एम॰ जी॰ खण्ड-7	पुनः मुद्रित
66.	मी॰ डब्ल्यू॰ एम॰ जी॰ खण्ड-5	पुनः मुद्रित

67. डॉ॰ जाकिर हुसैन (बी॰ एम॰ आई॰)
68. भीमराव अम्बेडकर (बी॰ एम॰ आई॰) पुनः मुद्रित
69. भारत-1995 पुनः मुद्रित
70. सी॰ डब्ल्यू॰ एम॰ जी॰ खण्ड-6 पुनः मुद्रित
71. सी॰ डब्ल्यू एम जी॰ खण्ड-22 पुनः मुद्रित

उर्दू

1. अबुल कलाम आजाद (बी॰ एम॰ आई॰)
2. हमारी तहजीवी विरासत
3. हिन्दुस्तानी तहजीव का मुसलमान पर असर
4. आइने-ए-गालिब

अन्य भारतीय भाषाएं

1. बी॰ आर॰ अम्बेडकर (बी॰ एम॰ आई॰)
2. आर॰ एन॰ टैगोर
3. बाल गंगाधर तिलक
4. मौलाना अब्दुल कलाम आजाद
5. सारी सार्प की कहानी
6. काका साहिब गाडगिल
7. मंत्रिका पट्टी (टेलीविजन)
8. बेवर डेविल्स
9. दी ग्राउया एण्ड हॉर्सिल
10. टैक्नीक्स ऑफ प्लानिंग
11. छी इमोरटल फ्लोवर
12. के॰ कामराज
13. वी॰ ओ॰ चिदम्बरम पिल्लई
14. इंडिया स्टूजाल-इथिल नन्दू पंगू

क्रम			व्यय
अंग्रेजी प्रकाशन—	29	रुपए	42,82,667/-
हिंदी प्रकाशन—	71	रुपए	34,44,196/-
उर्दू प्रकाशन—	4	रुपए	1,39,652/-
अन्य भारतीय भाषाओं के प्रकाशन	14	रुपए	4,99,779/-
कुल प्रकाशन	118	रुपए	83,66,294/-

1996-97 के दौरान प्रकाशित प्रकाशन

अंग्रेजी

1. सी॰ डब्ल्यू॰ एम॰ जी॰ वॉल्यूम 84 (पुनर्मुद्रण)
2. इंडियन शिपिंग ए हिस्टॉरिकल सर्वे (पुनर्मुद्रण)
3. जवाहरलाल नेहरू : सलेक्टेड स्पीचेस खण्ड-1 (पुनर्मुद्रण)

4.	जवाहरलाल नेहरू : सलेक्टेड स्पीचेस खण्ड-2	(पुनर्मुद्रण)
5.	जवाहरलाल नेहरू : सलेक्टेड स्पीचेस खण्ड-3	(पुनर्मुद्रण)
6.	जवाहरलाल नेहरू : सलेक्टेड स्पीचेस खण्ड-4	(पुनर्मुद्रण)
7.	जवाहरलाल नेहरू : सलेक्टेड स्पीचेस खण्ड-5	(पुनर्मुद्रण)
8.	पावर्टी एण्ड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया	(पुनर्मुद्रण)
9.	जवाहरलाल नेहरू : ए पिक्टोरिअल बायोग्राफी	(पुनर्मुद्रण)
10.	ग्रेट मेन ग्रेट डीड्स	
11.	प्रेस इन इंडिया 1995	
12.	प्रेसीडेण्ट शंकर दयाल शर्मा स्पीचेस खण्ड-1	
13.	रीग्रीनिंग ऑफ अवर अर्थ	
14.	सूफी ऑफ सिंध	(पुनर्मुद्रण)
15.	प्रेमचंद : लाइफ एण्ड वर्क्स	(पुनर्मुद्रण)
16.	सी॰ डब्ल्यू॰ एम॰ जी॰ खण्ड-9	(पुनर्मुद्रण)
17.	फॉरगॉटेन मान्यूमेंट्स ऑफ उड़ीसा खण्ड-II	
18.	फॉरगॉटेन मान्यूमेंट्स ऑफ उड़ीसा खण्ड-III	
19.	ए मोमेंट, इन टाइम, विद् लीजेंड्स ऑफ इंडियन आर्ट्स	
20.	मदनमोहन मालवीय (बीएमआई)	(पुनर्मुद्रण)

हिंदी

1.	सीता	(पुनर्मुद्रण)
2.	गंगाधर राव देशपांडे (बीएमआई)	
3.	चन्नाधे	(पुनर्मुद्रण)
4.	वी॰ ओ॰ चिदम्बरम पिल्लई (बीएमआई)	
5.	गोपालकृष्ण गोखले (वीएमआई)	(पुनर्मुद्रण)
6.	राजा राम मोहन रॉय (बीएमआई)	(पुनर्मुद्रण)
7.	सी॰ डब्ल्यू॰ एम॰ जी॰ खण्ड-68	(पुनर्मुद्रण)
8.	रानी लक्ष्मी बाई	(पुनर्मुद्रण)
9.	बच्चों का विकास	(पुनर्मुद्रण)
10.	कौरवी लोक कथाएं	(पुनर्मुद्रण)
11.	भारत की वीर गाथाएं	(पुनर्मुद्रण)
12.	सेक्यूलरवाद भारतीय परिकल्पना	
13.	भारत के समाचार पत्र 1995	
14.	रोचक ऐतिहासिक कहानियां	
15.	हिन्दी-मत-अभिमत	
16.	भारत और मानव संस्कृति खण्ड-I	
17.	भारत और मानव संस्कृति खण्ड-II	
18.	लक्ष्यगृह पार्ट-III	

19.	सी॰ डब्ल्यू॰ एम॰ जी॰ खण्ड-14	(पुनर्मुद्रण)
20.	सी॰ डब्ल्यू॰ एम॰ जी॰ खण्ड-3	(पुनर्मुद्रण)
21.	सी॰ डब्ल्यू॰ एम॰ जी॰ खण्ड-26	(पुनर्मुद्रण)
22.	सी॰ डब्ल्यू॰ एम॰ जी॰ खण्ड-39	(पुनर्मुद्रण)
23.	सी॰ डब्ल्यू॰ एम॰ जी॰ खण्ड-19	(पुनर्मुद्रण)
24.	गोपालकृष्ण गोखले	(पुनर्मुद्रण)
25.	मराठा शक्ति का उदय	(पुनर्मुद्रण)
26.	हिंदी विकास और संभावनाएं	
27.	भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पार्ट-I	
28.	भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पार्ट-II	
29.	सी॰ डब्ल्यू एम॰ जी॰ खण्ड-70	(पुनर्मुद्रण)
30.	उस्ताद भूरे लाल	(पुनर्मुद्रण)
31.	महाबली रुस्तम	
32.	मुस्ताक अली	
33.	वेदांत और विश्व चेतना	
34.	सी॰ डब्ल्यू॰ एम॰ जी॰ खण्ड-18	(पुनर्मुद्रण)
35.	बंगाल की लोक कथाएं	(पुनर्मुद्रण)
36.	चेतक और प्रताप	
37.	राष्ट्रपति डॉ॰ शंकर दयाल शर्मा, चुने हुए भाषण खंड-I	
38.	इन्दिरा गांधी, चुने हुए भाषण और लेख	
39.	भारतीय संस्कृति का मुसलमानों पर प्रभाव	
40.	लालबहादुर शास्त्री (बीएमआई)	(पुनर्मुद्रण)
41.	भारतीय कला और कलाकार	
42.	सी॰ डब्ल्यू॰ एम॰ जी॰ खण्ड-I	(पुनर्मुद्रण)
43.	मालवीयजी	(पुनर्मुद्रण)
44.	सी॰ डब्ल्यू॰ एम जी॰ खण्ड-35	(पुनर्मुद्रण)
45.	लौह पुरुष सरदार पटेल	(पुनर्मुद्रण)
46.	हमारा पर्यावरण	(पुनर्मुद्रण)
47.	चिड़ियों की दुनियां	(पुनर्मुद्रण)
48.	देश-विदेश की कहानियां	(पुनर्मुद्रण)
49.	ऐसे थे बापू	(पुनर्मुद्रण)
50.	बाबू जगजीवन राम (बीएमआई)	(पुनर्मुद्रण)
51.	शमशेर बहादुर सिंह	
52.	सी॰ डब्ल्यू॰ एम॰ जी॰ (खण्ड-69)	(पुनर्मुद्रण)
53.	दादाभाई नौरोजी	(पुनर्मुद्रण)
54.	प्राचीन भारत	(पुनर्मुद्रण)

55. मेहनत की महक
56. भारत के पक्षी (पुनर्मुद्रण)
57. वैज्ञानिकों की जीवन कथाएं (पुनर्मुद्रण)

उर्दू

1. हिन्दुस्तान में इस्लामिक उलूम के मारकिज
2. गणजिना गालिब
3. हिंदुस्तान के अजीम मोसिकार

अन्य भारतीय भाषाएं

1. फ्रीडम मूवमेंट इन ए॰ पी॰
2. ग्लोरी ऑफ विजयनगरम्
3. फिडले नायडू गास
4. ग्लोरी ऑफ कोकटियास
5. अवर नेशनल सांग
6. सी॰ एफ॰ एन्ड्रूस
7. वाल्मीकि और व्यास
8. वैज्ञानिकों
9. रवीन्द्रनाथ टैगोर
10. विश्व की श्रेष्ठ लोक कथाएं
11. बापू के साथ
12. ए॰ पी॰ जियोग्राफी एण्ड रिर्सोसिस
13. गालिब एण्ड हन्ड्रेड मूड्स
14. आचार्य विनोबा भावे
15. केशव चन्द्र सेन
16. मि॰ जमकर

क्रम			व्यय
अंग्रेजी प्रकाशन—	20	रुपए	16,39,219/-
हिंदी प्रकाशन—	57	रुपए	31,64,888/-
उर्दू प्रकाशन—	3	रुपए	79,700/-
अन्य भाषाओं में प्रकाशन—	16	रुपए	3,14,660/-
कुल	96	रुपए	51,98,467

[अनुवाद]

पर्वतीय तथा सुदूर क्षेत्रों में उपग्रह संचार सुविधाएं

5271. श्री शिवराज सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्वतीय तथा सुदूर क्षेत्रों में उपग्रह के माध्यम से संचार सुविधाओं/टेलीफोन का नेटवर्क प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(ग) इस संबंध में प्राथमिकता के आधार पर कौन-कौन से क्षेत्र शामिल किए जाने हैं; और

(घ) उपग्रह द्वारा टेलीफोन सुविधा प्रदान करने पर कुल कितनी राशि खर्च की जाती है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) सरकार

उन दूरस्थ तथा पहाड़ी क्षेत्रों में पहले ही उपग्रह संचार के माध्यम से संचारण सुविधाएं प्रदान कर रही है जहां पारम्परिक माध्यम संभव नहीं है। देश में अनेक एम सी पी सी वीसैट (मल्टी चैनल पर कैरियर, वेरी स्माल अपर्चर स्टेलाइट टर्मिनल) लगाए गए हैं। सरकार भी उक्त दूरस्थ तथा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में उपग्रह आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से वी पी टी प्रदान करने पर विचार कर रही है।

(ग) जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश (पश्चिमी), मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी राज्यों, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह आदि के दूरस्थ तथा पहाड़ी क्षेत्रों में उपग्रह संचार सुविधा प्रदान की जा रही है।

(घ) एक एम सी पी सी वीसैट टर्मिनल की लागत लगभग 15 लाख रू. आती है और एक एम॰ सी॰ पी॰ सी॰ को 7 वायस चैनल दिए जा सकते हैं। इस वित्त वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ लगभग 20 करोड़ रू. रखे गए हैं।

बालको

5272. श्री हाराधन राय : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रोपेरजी संयंत्र में विपणन योग्य प्रोपेरजी रोड्स के उत्पादन के लिए बालको के विधान बाग एकक हेतु पर्याप्त धनराशि प्रदान कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त धनराशि कब तक प्रदान कराए जाने की संभावना है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ग) भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि॰ (बालको) ने विधानबाग इकाई (बीबीयू) में एक छोटी प्रोपर्जी इकाई चालू की थी लेकिन इसका प्रचालन तकनीकी रूप से और आर्थिक रूप से अव्यवहार्य पाया गया। कंपनी ने इसलिए, बीबीयू में प्रोपर्जी छड़ों का उत्पादन रोक दिया है। सरकार के पास इस उद्देश्य के लिए बालको को कोई धनराशि उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एयर इंडिया का प्रमुख एयरलाइनों के साथ विमान मार्गों में हिस्सेदारी

5273. श्री बी॰ एल॰ शंकर : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 अप्रैल, 1997 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित शीर्षक समाचार "एयर इंडिया प्लान्स रूट शीयरिंग विद मेजर एयरलाइन्स" की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रकार के करार से एयर इंडिया को अल्पकालीन और दीर्घकालीन क्या लाभ प्राप्त होंगे ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एयर इंडिया विभिन्न विदेशी विमानकंपनियों जैसे यूनाइटेड एयरलाइन्स, स्केडिनेवियन एयरवेज सिस्टम, एयर मारीशस, मलेशियन एयरलाइन्स, कुवैत एयरवेज तथा गल्फ एयर के साथ सहकारी सेवा प्रबंधव्यवस्था में शामिल हो गया है। एयर फ्रांस, यूनाइटेड एयरलाइन्स, कांटीनेटल एयरलाइंस तथा सिंगापुर एयरलाइंस के साथ व्यापक आधारित गठबंधनों का भी पता लगाया जा रहा है। इन प्रबन्ध-व्यवस्थाओं से एअर इंडिया को अपने नेटवर्क में विस्तार करने तथा बिना भारी निवेश के बाजार-पहुंच में सहायता मिलती है। अल्पावधि में यह प्रबंध-व्यवस्था एअर इंडिया के विस्तार संबंधी लक्ष्यों की पूर्ति में उस समय तक एक सेतु तंत्र का काम भी करती है जब तक अपने स्वयं के बेड़े में वृद्धि करने की स्थिति में नहीं आ जाता।

डिस्कवरी चैनल

5274. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "डिस्कवरी चैनल" कम से कम जनवरी, 1999 तक "पे चैनल" में प्रवर्तित नहीं हो सकेगा, जैसा कि दिनांक 6 फरवरी, 1997 के "आब्जर्वर आफ बिजनैस एण्ड पालिटिक्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इसके पीछे क्या युक्ति है; और

(ङ) "डिस्कवरी चैनल" की क्या उपयोगिता है और क्या इसके स्वचालित कार्यक्रमों का अब तक भारतीयकरण किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) से (ङ) डिस्कवरी चैनल को एक विदेशी उपग्रह के जरिए कार्यक्रमों को प्रसारित करने वाले एक निजी उद्यमकर्ता द्वारा परिचालित किया जा रहा है। इसलिए सरकार को सामान्यतया इस चैनल के पीछे मूलाधार, इसकी उपयोगिता और क्या इसका भारतीयकरण किया जाएगा आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती

5275. श्री महेश कुमार एम॰ कनोडिया :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे मुख्यालय, बड़ौदा हाउस नई दिल्ली में लंबे समय से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित पदों में चतुर्थ श्रेणी के काफी पद रिक्त हैं;

(ख) क्या रोजगार कार्यालय से भेजे गए अभ्यर्थी काफी समय से अपने साक्षात्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो अभ्यर्थियों के चयन से संबंधित सभी औपचारिकताएं कब तक पूरी कर दिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दक्षिण-मध्य रेलवे के क्वार्टरों का चुनिंदा लोगों से खाली कराया जाना

5276. श्री जी॰ ए॰ चरण रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 जनवरी, 1997 के "दक्कन क्रोनिकल" में "सेलेक्टिव इक्विसन फ्राम एस॰ सी॰ आर॰ क्वार्टर्स" नामक शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो लगभग 3 हजार रेलवे क्वार्टरों में से कितने क्वार्टर गैर-रेलवे कर्मचारियों अथवा अन्य व्यक्तियों को अवैध रूप से किराए/पट्टे पर दिए गए हैं और कितने क्वार्टर खाली कराए गए हैं;

(ग) चिलकलगुडा और भोईगुडा जैसे स्थानों पर ही बहुत संख्या में स्थित ऐसे क्वार्टरों को खाली कराने हेतु नोटिस जारी करने और चुनिंदा बड़े टाइप के क्वार्टरों को इससे मुक्त रखने के क्या कारण हैं;

(घ) अवैध रूप से किराए/पट्टे पर दिए गए बड़े टाइप के क्वार्टरों को खाली कराने और इन्हें वास्तविक दावेदारों को दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ङ) क्या इस कार्य को समयबद्ध आधार पर करने और इसमें हुई प्रगति पर निगरानी रखने के लिए किसी विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जांचें की गई थीं जिनसे रेलवे क्वार्टरों को किराए पर देने के 45 मामलों का पता चला। जब भी क्वार्टर किराए पर देने का मामला होता है तो किराए पर देने वाले कर्मचारी के विरुद्ध मौजूदा नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है जैसे-रेलवे क्वार्टर में रह रहे बाहरी व्यक्तियों को बेदखल करने के लिए नोटिस जारी करना तथा क्वार्टर किराए पर देने वाले जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करना। इस मामले में भी ऐसी ही कार्यवाही की गई तथा बेदखली नोटिस देने का कोई चुनिन्दा मामला नहीं है।

(ङ) और (च) कालोनी में स्थापित समिति क्वार्टरों के अनधिकृत कब्जों/किराए पर देने के मामलों की पहचान करती है तथा आवश्यक जांच करती है और सम्पदा अधिकारी द्वारा स्थिति पर निगरानी रखी जाती है।

हिमाचल प्रदेश में 1997-98 के दौरान रेल लाइन बिछाना

5277. श्री के॰ डी॰ सुल्तानपुरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में 1997-98 के दौरान रेल लाइन बिछाने के लिए कितने रेल मार्गों का प्रस्ताव है;

(ख) यह कार्य कब शुरू किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) वर्ष 1997-98 के दौरान हिमाचल प्रदेश में नंगल डैम-तालवाड़ा नई लाइन के कार्य में प्रगति की जाएगी।

(ख) जब हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

(ग) 5.00 करोड़ रुपए।

[हिन्दी]

डाक सुविधाओं से वंचित ग्राम पंचायतें

5278. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में जिलावार ऐसे ग्राम पंचायतों की संख्या क्या है, जहां डाक और तार सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान सरकार द्वारा बिहार में स्थापित किए गए/स्थापित की जाने वाली पंचायत संचार सेवा और तार घर की जिलावार संख्या कितनी है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा तैयार किया गया समयबद्ध कार्यक्रम का विवरण क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) बिहार की उन ग्राम पंचायतों की संख्या, जहां डाक और तार सुविधाएं नहीं हैं, क्रमश: 3207 और 8398 हैं। जिलावार ब्यौरा क्रमश: विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) और (ग) बिहार में 1996-97 के दौरान खोले गए पंचायत संचार सेवा केन्द्रों की जिलावार संख्या विवरण-III में दर्शाई गई है। 1997-98 में इस समय किसी संचार सेवा केन्द्र का कोई प्रस्ताव नहीं है।

डाकघर वार्षिक योजना स्कीमों के अंतर्गत योजना कार्यकलाप के रूप में खोले जाते हैं, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों और मानदंडों पर आधारित औचित्य बनता हो। वार्षिक योजना 1997-98 के दौरान बिहार में 40 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 5 विभागीय उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

1996-97 के दौरान बिहार में कोई तारघर नहीं खोला गया। प्रत्येक ग्राम पंचायत में तार सुविधा सुलभ करने की कोई नीति नहीं है क्योंकि यह सुविधा परियात की मात्रा की मांग और औचित्य के आधार पर सुलभ कराई जाती है।

विवरण-I

बिहार में उन ग्राम पंचायतों की जिलावार संख्या जहां डाक सुविधाएं नहीं हैं।

क्रं॰ सं॰	जिले का नाम	उन ग्राम पंचायतों की कुल संख्या जहां डाक सुविधाएं सुलभ नहीं कराई गई हैं
1	2	3
1.	सारण	38
2.	वैशाली	105
3.	भोजपुर	40
4.	बक्सर	16
5.	गया	129
6.	नवादा	33
7.	जहानाबाद	42
8.	नालन्दा	26
9.	भागलपुर	56
10.	बांका	46
11.	पटना	103
12.	बेगूसराय	36
13.	खगड़िया	16
14.	दरभंगा	69
15.	पूर्वी चम्पारन	130
16.	पश्चिम चम्पारन	42
17.	मधुबनी	69
18.	मुंगेर	55
19.	लखीसराय	16
20.	शेखपुरा	17
21.	जमुई	44
22.	मुजफ्फपुर	53
23.	अररिया	49
24.	कटिहार	51
25.	किशनगंज	33
26.	पूर्णिया	71
27.	सहरसा	25
28.	मधेपुरा	25
29.	सुपौल	24
30.	सीवान	18
31.	गोपालगंज	60
32.	सीतामढ़ी	40
33.	सियोहर	13
34.	समस्तीपुर	44
35.	दुमका	90
36.	पाकुर	25
37.	बी॰ देवगढ़	74
38.	गोड्डा	74
39.	साहिबगंज	125
40.	औरंगाबाद	81
41.	पलामू	123
42.	गढ़वा	36
43.	हजारीबाग	82
44.	कोडरमा	11
45.	छतरा	20
46.	गिरिडीह	66
47.	पश्चिम सिंहभूम	147
48.	पूर्वी सिंहभूम	42
49.	रांची	125
50.	गुमला	82
51.	लोहारडागा	32
52.	धनबाद	69
53.	बोकारो	82
54.	रोहतास	107
55.	भाभुआ	80
	कुल	3207

विवरण-II

वर्ष 1996-97 के दौरान बिहार में खोले गए पंचायत संचार सेवा केन्द्रों की जिलावार संख्या।

क्रं॰ सं॰	जिले का नाम	वर्ष 1996-97 के दौरान खोले गए संचार सेवा केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	मुजफ्फरपुर	1
2.	जमुई	1

1	2	3
3.	लखीसराय	2
4.	भागलपुर	1
5.	सारण	1
6.	दरभंगा	1
7.	पूर्वी मोतीहारी	1
8.	वैशाली	1
9.	पटना	1
10.	समस्तीपुर	3
	कुल :	13

विवरण-III

बिहार में उन ग्राम पंचायतों की संख्या जहां तार सुविधा सुलभ नहीं है

क्रं॰ सं॰	जिले का नाम	जिन पंचायतों में तार सुविधा नहीं है उनकी संख्या
1	2	3
1.	पश्चिम सिंहभूम	245
2.	पूर्वी सिंहभूम	174
3.	गुमला	244
4.	लोहारडगा	39
5.	रांची	266
6.	हजारीबाग	133
7.	कोडरमा	61
8.	छतरा	73
9.	गिरिडीह	244
10.	धनबाद	143
11.	बोकारो	34
12.	पलामू	137
13.	गढ़वा	145
14.	औरंगाबाद	175
15.	गया	281
16.	नवादा	129
17.	जहानाबाद	123
18.	भोजपुर	202
19.	बक्सर	112
20.	रोहतास	209
21.	कामुर (भाभुआ)	122
22.	नालन्दा	174
23.	भागलपुर	193
24.	बांका	110
25.	खगड़िया	76
26.	मुंगेर	22
27.	लखीसराय	57
28.	शेखपुरा	48
29.	जमुई	118
30.	बेगुसराय	126
31.	देवघर	115
32.	दुमका	154
33.	साहिबगंज	202
34.	गोड्डा	120
35.	पाकुर	48
36.	पूर्णिया	186
37.	किशनगंज	73
38.	अररिया	129
39.	कटिहार	153
40.	सहरसा	136
41.	मधेपुरा	110
42.	सुपौल	41
43.	समस्तीपुर	208
44.	दरभंगा	260
45.	मधुबनी	304
46.	सीतामढ़ी	63
47.	शिवहार	67
48.	पश्चिम चम्पारन	285
49.	पूर्वी चम्पारन	296
50.	मुजफ्फरपुर	247
51.	वैशाली	98
52.	सारण	257
53.	सीवान	198
54.	गोपालगंज	146
55.	पटना	287
	कुल	8398

महानगरों में टेलीफोन सेवाओं का विस्तार

5279. श्री नीतीश कुमार :

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं योजना में महानगरों में टेलीफोन सेवा के विस्तार के लिए कोई योजना बनाई थी;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न महानगरों में आठवीं योजना के दौरान उपलब्ध कराई गई टेलीफोन सेवा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन महानगरों में टेलीफोन सेवा प्रदान करने के संबंध में कोई लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, महानगर-वार बताएं;

(ङ) क्या इन लक्ष्यों की प्राप्ति हो पाई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (च) आठवीं योजना के दौरान, महानगरों के लिए कोई पृथक योजना तैयार नहीं की गई थी। तथापि, आठवीं पंचवर्षीय योजना में, देश में 75 लाख टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। जिनमें से 19.2 लाख कनेक्शन महानगर टेलीफोन निगम लि॰, मुंबई तथा दिल्ली द्वारा प्रदान किए जाने थे। आठवीं योजना के दौरान, प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों के महानगर-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

महानगर	1992-97 की अवधि के दौरान प्रदान किए गए कनेक्शनों की संख्या
दिल्ली	7.65 लाख
मुंबई	8.51 लाख
कलकत्ता	2.46 लाख
चेन्नई	2.36 लाख

देश में 75 लाख लाइनें प्रदान करने के लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि 87.73 लाख लाइनों की रही। तथापि, मुंबई तथा दिल्ली में, टेलीफोनों की घटती हुई मांग के कारण महानगर टेलीफोन निगम लि॰ का 19.2 लाख लाइनें प्रदान करने का लक्ष्य पूर्णतया हासिल नहीं किया जा सका।

विदेशी मुद्रा का नुकसान

5280. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार तथा उत्तर प्रदेश में आवश्यक पर्यटन सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण विदेशी मुद्रा का नुकसान हो रहा है।

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार इन राज्यों में आवश्यक पर्यटन सुविधाओं तथा पर्यटकों की रुचि के स्थानों को विकसित करने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): (क) 1996 के दौरान पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय, पिछले वर्ष की तुलना में, 16.5% बढ़ी।

(ख) और (ग) पर्यटन स्थलों की पहचान करने और इनका विकास करने का उत्तरदायित्व मुख्यत: राज्य सरकारों का है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों पर पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 1996-97 के दौरान, पर्यटन विभाग ने पर्यटन संरचना के विकास के लिए उत्तर प्रदेश की 237.78 लाख रुपयों की राशि की 14 परियोजनाएं और बिहार की 41 लाख रुपयों की राशि की 4 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित बौद्ध परिपथ में संरचना के विकास के लिए विदेशी आर्थिक सहयोग कोष (ओईसीएफ) ने लगभग 249 करोड़ रुपए की राशि की सहायता प्रदान की है।

प्रसारण के क्षेत्र में विदेशी कम्पनियां

5281. श्री इलियास आजमी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में जिन विदेशी कम्पनियों को भारत में अपने कार्यक्रम प्रसारण करने की अनुमति प्रदान की गई है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कम्पनियों को किन नियमों व शर्तों के अंतर्गत यह अनुमति प्रदान की गई है;

(ग) इन कम्पनियों में से भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी भाषा में अपने कार्यक्रम प्रसारित करने वाली कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन कम्पनियों द्वारा चैनल-वार प्रतिदिन कितनी अवधि के लिए प्रसारण किया जा रहा है;

(ङ) क्या इन कम्पनियों द्वारा सरकार को रायल्टी के रूप में कुछ राशि दी जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) सरकार द्वारा ऐसी अनुमति नहीं दी गई है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों के लिए निशुल्क/रियायती विमान टिकट

5282. श्री बच्ची सिंह रावत "बचदा" : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों को सेवा में रहते हुए और सेवा-निवृत्ति के पश्चात् निशुल्क/रियायती विमान टिकट प्रदान किए जाते हैं;

(ख) क्या एयरलाइन्स के कर्मचारी होने के कारण उन्हें "इन्टर-लाईन" टिकट दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो सेवा निवृत्ति के पश्चात् उन्हें "इन्टर-लाईन" टिकट न देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध कराने की किसी योजना पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सेवारत तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इंटर-लाइन टिकटें प्रदान करना विमान कंपनी के विवेक पर है जिसे आयटा संकल्प 788 के अधीन आवेदन भेजा जाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इंटर-लाइन टिकटें प्रदान करने की बाबत कोई प्रतिबंध नहीं है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त "ग" के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रयुक्त विमानपत्तन का नवीकरण

5283. श्री सुनील खान : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर तथा अंडाल के बीच जी॰ टी॰ रोड के उत्तर में स्थित विमानपत्तन जो अब अप्रयुक्त पड़ा है तथा जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था, के नवीकरण का कार्य प्रस्तावित है; और

(ख) यदि हां, तो नवीकरण कार्य के कब तक पूरा हो जाने तथा विमानपत्तन के शुरू होने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निजी विमान कम्पनियों को ऋण प्रदान करना

5284. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री भक्त चरण दास :

श्री जी॰ ए॰ चरण रेड्डी :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में निजी विमान कम्पनियों को निधि प्रदान करने के लिए सावधि ऋण में संशोधन करने सम्बन्धी दिशा निर्देशों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक ने वित्त मंत्रालय और एयर टैक्सी ऑपरेटरों से कोई परामर्श किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) से (घ) दिनांक 12 मार्च, 1997 को अन्तर्देशीय सेक्टर में प्रचालन कर रही निजी विमान कंपनियों के लिए वित्तपोषण नीति पर उनकी दीर्घावधि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रबंध व्यवस्था को सुखकर बनाने की दृष्टि से विचार-विमर्श करने के लिए बैंकिंग विभाग, अग्रणी वित्त संस्थाओं वाणिज्यिक बैंकों तथा अनुसूचित विमान-कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित बैठक में विमानकंपनी प्रचालकों ने सहमति जताई थी कि उनके मामले भी विद्यमान आर॰ बी॰ आई॰ मार्गदर्शी सिद्धांतों की कोई संवीक्षा अपेक्षित नहीं है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक की विमानकम्पनी उद्योग के वित्तपोषण के विषय में स्थिति का जायजा लेने तथा संवीक्षा करने हेतु नियमित बैठकों के आयोजन की मंशा है।

मानक समाचार सेवाएं

5285. प्रो॰ अजित कुमार मेहता : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बीबीसी जैसी कुछ अन्य समाचार एजेंसियों के मुकाबले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार प्रसारित करने के मामले में सरकारी मीडिया के कार्य निष्पादन का कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समाचार सेवा के स्तर को सुधारने और मीडिया में व्यावसायिकता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने की परिकल्पना की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) हालांकि हाल ही में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है तथापि समाचार मीडिया के समाचार संचयन तथा संपादन क्षमता में सुधार लाने के लिए समय-समय पर कदम उठाए गए हैं जिससे कि यह अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप हो सके। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों के प्रक्षेपण में सरकारी मीडिया की क्षमता की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है तथा समाचार मीडिया में व्यावसायिकता लाने के लिए समय-समय पर उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं बशर्ते दोनों इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में धनराशि, कार्मिकों तथा पारस्परिक प्राथमिकता उपलब्ध हों। नवीनतम हार्डवेयर समाचार कार्मिकों का प्रशिक्षण अधिक दृश्य निवेश, प्रस्तुतीकरण की शैली में सुधार, कुछ ऐसे उपाए हैं जिन पर विचार किया जा रहा है।

मैसूर में पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

5286. श्री ए॰ सिद्धराजु : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 1996-97 के दौरान मैसूर में पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता राशि संस्वीकृत की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संस्वीकृत राशि में से कितनी राशि जारी की गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को यह जानकारी है कि मैसूर में "होगेनकल फाल्ज" और "महादेश्वरा हिल्ज" पर्यटक आकर्षक स्थल हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का 1997-98 के दौरान उक्त स्थानों का विकास करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने वर्ष 1996-97 के दौरान मैसूर में महाराजा पैलेस के परिसर में सुलभ शौचालय काम्पलैक्स के निर्माण के लिए 3.90 लाख रुपए स्वीकृत किए और 1.80 लाख रुपए प्रदान किए।

(ग) से (ङ) पर्यटन विकास के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को, राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों और धन की उपलब्धता के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1997-98 के दौरान, केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए परियोजनाओं की प्राथमिकता का कार्य प्रथम तिमाही में निर्धारित किया गया है।

[हिन्दी]

गुना-इटावा रेल लाइन का पूरा किया जाना

5287. डॉ॰ राम लखन सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने दिसम्बर, 1996 में ग्वालियर में गुना-इटावा रेल लाइन के कार्य में तेजी लाने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए;

(ग) अब तक उपर्युक्त लाइन पर कितने किलोमीटर तक कार्य पूरा हो चुका है;

(घ) उपर्युक्त परियोजना के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है और उस पर कितना व्यय हुआ है;

(ङ) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाने की संभावना है;

(च) सरकार द्वारा भिण्ड जिला मुख्यालय को ग्वालियर से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) भिण्ड और इटावा के बीच नदी के ऊपर पुलों के निर्माण के लिए कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) कार्य तेजी से चल रहा है। 1996-97 में परिव्यय 22 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 37 करोड़ रू॰ कर दिया गया था।

(ग) अब तक 169 कि॰ मी॰ रेल लाइन जोड़ दी गई है।

(घ) इस परियोजना की वर्तमान स्वीकृत लागत 256 करोड़ रू॰ है और अब तक 170.29 करोड़ रू॰ खर्च हो चुके हैं।

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक।

(च) नोनेरा-भिण्ड खंड, जो इस कार्य का भाग है, के आमान परिवर्तन को 1998-99 में पूरा करने का लक्ष्य है।

(छ) भिण्ड और इटावा के बीच नदियों पर पुलों का निर्माण स्वीकृत परियोजना का एक भाग है जो नौवीं पंचवर्षीय योजना के भीतर शुरू तथा पूरी की जाएगी।

[अनुवाद]

बंगलौर-तिरुवनन्तपुरम के बीच रेलगाड़ियां चलाना

5288. श्री के॰ सी॰ कोंडय्या : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर और तिरुवनन्तपुरम् के बीच रोजाना चलने वाली रेलगाड़ियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या उपर्युक्त रूट पर एक अतिरिक्त तीव्र गति वाली गाड़ी चलाने की मांग है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) तिरूवनंतपुरम और बैंगलूरू के बीच 6335/6336 नागरकोइल-गांधीधाम एक्सप्रेस (सप्ताह में एक दिन) के अलावा फिलहाल तिरूवनंतपुरम और बैंगलूरू के बीच एक जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ी यथा 6525/6526 कन्या-कुमारी-बैंगलूरू एक्सप्रेस दैनिक सेवा प्रदान कर रही है।

(ख) और (ग) इस संबंध में यात्रियों सहित संसद सदस्यों/विधायकों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन मांगों की जांच की गई है परन्तु परिचालनिक कठिनाइयों तथा संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाए गए हैं।

[हिन्दी]

नालंदा रेलवे स्टेशन पर आरक्षण सुविधा

5289. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नालन्दा रेलवे स्टेशन पर पटना जंक्शन से दिल्ली, हवड़ा, मुम्बई आदि के लिए जाने वाली गाड़ियों हेतु आरक्षण सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए इस स्टेशन पर आरक्षण सुविधा प्रदन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस स्टेशन पर कुल कितनी सीटों के लिए आरक्षण सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(च) इस स्टेशन से पूर्ण रूप से आरक्षण सुविधा कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) टिकटों की बिक्री इतनी कम है जिससे आरक्षण कोटे के आबंटन का औचित्य नहीं बनता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में ट्रांसमीटर नेटवर्क

5290. श्रीमती पूर्णिमा वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को शिक्षित करने तथा उनके मनोरंजन के लिए इस क्षेत्र में उच्च और निम्न शक्ति के ट्रांसमीटरों का नेटवर्क स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) जम्मू एवं कश्मीर राज्य विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में टी॰ वी॰ सेवा का और अधिक विस्तार करने की दृष्टि से राज्य में दो उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, 3 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, 10 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और एक ट्रांसपोजर इस समय कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित हैं।

[अनुवाद]

शताब्दी एक्सप्रेस में दूसरी श्रेणी के गैर-वातानुकूलित डिब्बे

5291. श्री एस॰ डी॰ एन॰ आर॰ वाडियार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर और चेन्नई के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में दूसरी श्रेणी के गैर-वातानुकूलित डिब्बों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार मैसूर से सीधे चेन्नई आने-जाने वाले आम यात्रियों के लिए दूसरी श्रेणी में कुछ गैर-वातानुकूलित डिब्बे लगाए जाने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) कोई नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिजनौर-मुजफ्फरनगर रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण

5292. श्री सोहनवीर सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिजनौर से मुजफ्फरनगर तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अनुकम्पा आधार पर नियोजन

5293. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्य के दौरान मारे गए कर्मचारियों के निकट संबंधी को अनुकम्पा आधार पर नियोजन प्रदान करने संबंधी दूरसंचार विभाग की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को यह नियोजन विभाग द्वारा कितने समय में प्रदान कर दिया जाता है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : जी, हां।

(ख) और (ग) इस तरह के मामलों में डाक एवं दूरसंचार विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर कार्रवाई की जाती है। इन मामलों को मृतक कर्मचारी के परिवार द्वारा अपेक्षित सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के शीघ्र बाद निपटाया जाता है। अगर परिवार दीन-हीन परिस्थिति में हो तो परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाती है। ऐसे मामले जिनमें परिवार में कमाने वाले सदस्य हों या जिन मामलों में मृत्यु 5 वर्ष पूर्व हुई हो उन्हें दूरसंचार मुख्यालय में देखा जाता है। शेष में ऐसे मामलों से निपटने के लिए दूरसंचार सर्किलों के प्रमुखों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

[अनुवाद]

केरल में सर्वेक्षण

5294. प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान रेल लाइनें बिछाने हेतु केरल में अब तक किए गए सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(ग) उन लाइनों के नाम क्या हैं जिनका निर्माण शुरू किए जाने की संभावना है ?

महानगरों में टेलीफोन सेवाओं का विस्तार

5279. श्री नीतीश कुमार :

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं योजना में महानगरों में टेलीफोन सेवा के विस्तार के लिए कोई योजना बनाई थी;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न महानगरों में आठवीं योजना के दौरान उपलब्ध कराई गई टेलीफोन सेवा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन महानगरों में टेलीफोन सेवा प्रदान करने के संबंध में कोई लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, महानगर-वार बताएं;

(ङ) क्या इन लक्ष्यों की प्राप्ति हो पाई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (च) आठवीं योजना के दौरान, महानगरों के लिए कोई पृथक योजना तैयार नहीं की गई थी। तथापि, आठवीं पंचवर्षीय योजना में, देश में 75 लाख टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। जिनमें से 19.2 लाख कनेक्शन महानगर टेलीफोन निगम लि॰, मुंबई तथा दिल्ली द्वारा प्रदान किए जाने थे। आठवीं योजना के दौरान, प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों के महानगर-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

महानगर	1992-97 की अवधि के दौरान प्रदान किए गए कनेक्शनों की संख्या
दिल्ली	7.65 लाख
मुंबई	8.51 लाख
कलकत्ता	2.46 लाख
चेन्नई	2.36 लाख

देश में 75 लाख लाइनें प्रदान करने के लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि 87.73 लाख लाइनों की रही। तथापि, मुंबई तथा दिल्ली में, टेलीफोनों की घटती हुई मांग के कारण महानगर टेलीफोन निगम लि॰ का 19.2 लाख लाइनें प्रदान करने का लक्ष्य पूर्णतया हासिल नहीं किया जा सका।

विदेशी मुद्रा का नुकसान

5280. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार तथा उत्तर प्रदेश में आवश्यक पर्यटन सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण विदेशी मुद्रा का नुकसान हो रहा है।

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार इन राज्यों में आवश्यक पर्यटन सुविधाओं तथा पर्यटकों की रुचि के स्थानों को विकसित करने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): (क) 1996 के दौरान पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय, पिछले वर्ष की तुलना में, 16.5% बढ़ी।

(ख) और (ग) पर्यटन स्थलों की पहचान करने और इनका विकास करने का उत्तरदायित्व मुख्यत: राज्य सरकारों का है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों पर पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 1996-97 के दौरान, पर्यटन विभाग ने पर्यटन संरचना के विकास के लिए उत्तर प्रदेश की 237.78 लाख रुपयों की राशि की 14 परियोजनाएं और बिहार की 41 लाख रुपयों की राशि की 4 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित बौद्ध परिपथ में संरचना के विकास के लिए विदेशी आर्थिक सहयोग कोष (ओईसीएफ) ने लगभग 249 करोड़ रुपए की राशि की सहायता प्रदान की है।

प्रसारण के क्षेत्र में विदेशी कम्पनियां

5281. श्री इलियास आजमी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में जिन विदेशी कम्पनियों को भारत में अपने कार्यक्रम प्रसारण करने की अनुमति प्रदान की गई है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कम्पनियों को किन नियमों व शर्तों के अंतर्गत यह अनुमति प्रदान की गई है;

(ग) इन कम्पनियों में से भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी भाषा में अपने कार्यक्रम प्रसारित करने वाली कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन कम्पनियों द्वारा चैनल-वार प्रतिदिन कितनी अवधि के लिए प्रसारण किया जा रहा है;

(ङ) क्या इन कम्पनियों द्वारा सरकार को रायल्टी के रूप में कुछ राशि दी जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) सरकार द्वारा ऐसी अनुमति नहीं दी गई है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों के लिए निशुल्क/रियायती विमान टिकट

5282. श्री बच्ची सिंह रावत "बचदा" : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों को सेवा में रहते हुए और सेवा-निवृत्ति के पश्चात् निशुल्क/रियायती विमान टिकट प्रदान किए जाते हैं;

(ख) क्या एयरलाइन्स के कर्मचारी होने के कारण उन्हें "इन्टर-लाईन" टिकट दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो सेवा निवृत्ति के पश्चात् उन्हें "इन्टर-लाईन" टिकट न देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध कराने की किसी योजना पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सेवारत तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इंटर-लाइन टिकटें प्रदान करना विमान कंपनी के विवेक पर है जिसे आयटा संकल्प 788 के अधीन आवेदन भेजा जाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इंटर-लाइन टिकटें प्रदान करने की बाबत कोई प्रतिबंध नहीं है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त "ग" के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रयुक्त विमानपत्तन का नवीकरण

5283. श्री सुनील खान : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर तथा अंडाल के बीच जी॰ टी॰ रोड के उत्तर में स्थित विमानपत्तन जो अब अप्रयुक्त पड़ा है तथा जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था, के नवीकरण का कार्य प्रस्तावित है; और

(ख) यदि हां, तो नवीकरण कार्य के कब तक पूरा हो जाने तथा विमानपत्तन के शुरू होने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निजी विमान कम्पनियों को ऋण प्रदान करना

5284. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री भक्त चरण दास :

श्री जी॰ ए॰ चरण रेड्डी :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में निजी विमान कम्पनियों को निधि प्रदान करने के लिए सावधि ऋण में संशोधन करने सम्बन्धी दिशा निर्देशों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक ने वित्त मंत्रालय और एयर टैक्सी ऑपरेटरों से कोई परामर्श किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) से (घ) दिनांक 12 मार्च, 1997 को अन्तर्देशीय सेक्टर में प्रचालन कर रही निजी विमान कंपनियों के लिए वित्तपोषण नीति पर उनकी दीर्घावधि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रबंध व्यवस्था को सुखकर बनाने की दृष्टि से विचार-विमर्श करने के लिए बैंकिंग विभाग, अग्रणी वित्त संस्थाओं वाणिज्यिक बैंकों तथा अनुसूचित विमान-कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित बैठक में विमानकंपनी प्रचालकों ने सहमति जताई थी कि उनके मामले भी विद्यमान आर॰ बी॰ आई॰ मार्गदर्शी सिद्धांतों की कोई संवीक्षा अपेक्षित नहीं है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक की विमानकम्पनी उद्योग के वित्तपोषण के विषय में स्थिति का जायजा लेने तथा संवीक्षा करने हेतु नियमित बैठकों के आयोजन की मंशा है।

मानक समाचार सेवाएं

5285. प्रो॰ अजित कुमार मेहता : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बीबीसी जैसी कुछ अन्य समाचार एजेंसियों के मुकाबले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार प्रसारित करने के मामले में सरकारी मीडिया के कार्य निष्पादन का कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समाचार सेवा के स्तर को सुधारने और मीडिया में व्यावसायिकता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने की परिकल्पना की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) हालांकि हाल ही में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है तथापि समाचार मीडिया के समाचार संचयन तथा संपादन क्षमता में सुधार लाने के लिए समय-समय पर कदम उठाए गए हैं जिससे कि यह अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप हो सके। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों के प्रक्षेपण में सरकारी मीडिया की क्षमता की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है तथा समाचार मीडिया में व्यावसायिकता लाने के लिए समय-समय पर उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं बशर्ते दोनों इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में धनराशि, कार्मिकों तथा पारस्परिक प्राथमिकता उपलब्ध हों। नवीनतम हार्डवेयर समाचार कार्मिकों का प्रशिक्षण अधिक दृश्य निवेश, प्रस्तुतीकरण की शैली में सुधार, कुछ ऐसे उपाए हैं जिन पर विचार किया जा रहा है।

मैसूर में पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

5286. श्री ए॰ सिद्धराजु : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 1996-97 के दौरान मैसूर में पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता राशि संस्वीकृत की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संस्वीकृत राशि में से कितनी राशि जारी की गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को यह जानकारी है कि मैसूर में "होगेनकल फाल्ज" और "महादेश्वरा हिल्ज" पर्यटक आकर्षक स्थल हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का 1997-98 के दौरान उक्त स्थानों का विकास करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने वर्ष 1996-97 के दौरान मैसूर में महाराजा पैलेस के परिसर में सुलभ शौचालय काम्पलैक्स के निर्माण के लिए 3.90 लाख रुपए स्वीकृत किए और 1.80 लाख रुपए प्रदान किए।

(ग) से (ङ) पर्यटन विकास के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को, राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों और धन की उपलब्धता के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1997-98 के दौरान, केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए परियोजनाओं की प्राथमिकता का कार्य प्रथम तिमाही में निर्धारित किया गया है।

[हिन्दी]

गुना-इटावा रेल लाइन का पूरा किया जाना

5287. डॉ॰ राम लखन सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने दिसम्बर, 1996 में ग्वालियर में गुना-इटावा रेल लाइन के कार्य में तेजी लाने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए;

(ग) अब तक उपर्युक्त लाइन पर कितने किलोमीटर तक कार्य पूरा हो चुका है;

(घ) उपर्युक्त परियोजना के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है और उस पर कितना व्यय हुआ है;

(ङ) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाने की संभावना है;

(च) सरकार द्वारा भिण्ड जिला मुख्यालय को ग्वालियर से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) भिण्ड और इटावा के बीच नदी के ऊपर पुलों के निर्माण के लिए कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) कार्य तेजी से चल रहा है। 1996-97 में परिव्यय 22 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 37 करोड़ रू॰ कर दिया गया था।

(ग) अब तक 169 कि॰ मी॰ रेल लाइन जोड़ दी गई है।

(घ) इस परियोजना की वर्तमान स्वीकृत लागत 256 करोड़ रू॰ है और अब तक 170.29 करोड़ रू॰ खर्च हो चुके हैं।

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक।

(च) नोनेरा-भिण्ड खंड, जो इस कार्य का भाग है, के आमान परिवर्तन को 1998-99 में पूरा करने का लक्ष्य है।

(छ) भिण्ड और इटावा के बीच नदियों पर पुलों का निर्माण स्वीकृत परियोजना का एक भाग है जो नौवीं पंचवर्षीय योजना के भीतर शुरू तथा पूरी की जाएगी।

[अनुवाद]

बंगलौर-तिरुवनन्तपुरम के बीच रेलगाड़ियां चलाना

5288. श्री के॰ सी॰ कोंडय्या : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर और तिरुवनन्तपुरम् के बीच रोजाना चलने वाली रेलगाड़ियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या उपर्युक्त रूट पर एक अतिरिक्त तीव्र गति वाली गाड़ी चलाने की मांग है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) तिरूवनंतपुरम और बैंगलूरू के बीच 6335/6336 नागरकोइल-गांधीधाम एक्सप्रेस (सप्ताह में एक दिन) के अलावा फिलहाल तिरूवनंतपुरम और बैंगलूरू के बीच एक जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ी यथा 6525/6526 कन्या-कुमारी-बैंगलूरू एक्सप्रेस दैनिक सेवा प्रदान कर रही है।

(ख) और (ग) इस संबंध में यात्रियों सहित संसद सदस्यों/विधायकों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन मांगों की जांच की गई है परन्तु परिचालनिक कठिनाइयों तथा संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाए गए हैं।

[हिन्दी]

नालंदा रेलवे स्टेशन पर आरक्षण सुविधा

5289. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नालन्दा रेलवे स्टेशन पर पटना जंक्शन से दिल्ली, हवड़ा, मुम्बई आदि के लिए जाने वाली गाड़ियों हेतु आरक्षण सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए इस स्टेशन पर आरक्षण सुविधा प्रदन करने का है;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(क) और (ख) :

क्र॰ सं॰	सर्वेक्षण	खर्च (लाख रू॰ में)
1.	थाकाझी-तिरुवल्ला-पथनामथीटा रेल लाइन (100 कि॰ मी॰) के लिए प्रारंभिक तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण।	6.00
2.	अद्र-कोट्टाकारा (14.5 कि॰ मी॰) के रास्ते कायनकुलम-तिरुवनंतपुरम नई लाइन के लिए प्रारंभिक इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण।	10.00
3.	गुरुवायूर से एददापल्ली तक नई लाइन के लिए यातायात सर्वेक्षण।	2.00
4.	कोल्लम से विरुदुनगर/तिरुनेलवेल्ली-त्रिचेंदूर (357 कि॰ मी॰) के सामान परिवर्तन के लिए प्रारंभिक इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण।	14.31
5.	वैत्री-पुझीथोड के रास्ते नंजनगोड और बडकरा के बीच नई ब॰ ला॰ के लिए टोह इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण।	7.42

(ग) **निर्माण के लिए शुरू की जाने वाली नई लाइनें**

1. कुट्टीपुरम-गुरुवायूर नई लाइन।
2. अंगमाली-सबरीमाला नई लाइन।

दूरदर्शन के संसाधन

5295. श्री हरिन पाठक : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के पास अपने लिए संसाधन जुटाने का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) दूरदर्शन के संसाधन जुटाने के क्या लक्ष्य और उद्देश्य हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां। विज्ञापन शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाना, अतिरिक्त वाणिज्यिक केन्द्रों को शुरू करना, विज्ञापनदाताओं को प्रोत्साहन देना और विज्ञापनदाताओं के लिए दूरदर्शन चैनलों को लागत प्रभावी माध्यम बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में दर्शकों को आकर्षित करने हेतु गुणवत्ता वाले कार्यक्रम को प्रसारित करना, वाणिज्यिक राजस्व में वृद्धि करने के प्रमुख उपाए हैं। वर्ष 1997-98 के लिए वाणिज्यिक राजस्व एकत्रण संबंधी लक्ष्य 625 करोड़ रू॰ है।

(ग) दूरदर्शन अपने विकास कार्यों के एक बहुत बड़े भाग का वित्तपोषण करने के लिए आंतरिक संसाधन जुटाता है।

तांबे की खानों का कार्य-निष्पादन

5296. डॉ॰ कृपासिंधु भोई : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रत्येक तांबे की खान का कार्य-निष्पादन क्या है;

(ख) क्या तांबे की कतिपय खानें बंद होने के कगार पर हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन खानों का पुनरुद्धार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड और सिक्किम खनन निगम की सभी खानों का उत्पादन कार्य-निष्पादन निम्नानुसार है :—

(अयस्क का उत्पादन मीट्रिक टन में)

	1994-95	1995-96	1996-97
इंडियन कॉपर कम्प्लैक्स (बिहार)			
मोसाबनी	405309	318885	289260
पाथारगोंत	115175	126582	127464
सुरदा	308464	327096	318517
केन्डाडीह	49645	56257	46960
राखा	250335	230137	239676
कुल	1128928	1058957	1021877
खेतड़ी कॉपर कम्पलेक्स (राजस्थान)			
खेतड़ी	972637	980115	754027
कोलिहान	527524	549373	456928
चांदमारी	156482	74443	21361
कुल	1656643	1603931	1232316

	1994-95	1995-96	1996-97
मलंजखंड कॉपर प्रोजेक्ट (एम॰ पी॰) सिक्किम खनन निगम	1920385	2027386	1639298
भूटांग खान	15114	11026	9426 (फरवरी, 97 तक)

(ख) से (घ) मोसाबनी खानों में खनन व्यय अत्यधिक खर्चीला है और चूंकि हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड को इन खानों के प्रचालन में बहुत घाटा हो रहा है इसलिए एच॰ सी॰ एल॰ के निदेशक मंडल ने मोसाबनी खानों को बंद करने के प्रस्ताव को सिद्धांत में अनुमोदित कर दिया है और कंपनी ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 (ओ) के अंतर्गत खानें बंद करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है। कंपनी से उन श्रमिकों के जो मोसाबनी खानों के बंद से प्रभावित होंगे पुनर्वास/पुनः स्थापना की एक योजना बनाने के लिए कहा गया है।

कनिष्ठ इंजीनियरों का वेतन मान

5297. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत सिविल, विद्युत, दूरसंचार जैसे क्षेत्र के कनिष्ठ इंजीनियरों के वेतनमान समान हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन्हें एक समान करने हेतु सुझाव प्राप्त हुए हैं, और

(घ) इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं। दूरसंचार क्षेत्र में कनिष्ठ अभियन्ताओं का कोई संवर्ग नहीं है। वस्तुतः इसे संवर्ग को कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी (जे॰ टी॰ ओ॰) का नाम दिया गया है।

(ख) सिविल तथा इलेक्ट्रिकल शाखाओं में कनिष्ठ अभियन्ता के संवर्ग में भर्ती की अर्हता इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है जबक कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी संवर्ग में भर्ती की अर्हता इंजीनियरिंग में स्नातक या विज्ञान में स्नातक की उपाधि है। इन दोनों संवर्गों की डयूटी भी अलग-अलग हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन-मान वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। पांचवे वेतन आयोग, जिसने हाल ही में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, ने भी कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारियों तथा सिविल/इलेक्ट्रिकल शाखाओं में कनिष्ठ अभियन्ताओं के लिए अलग-अलग वेतनमानों की सिफारिश की है।

सुपरफास्ट रेलगाड़ियों में यात्री सुविधाएं

5298. श्री अंचलदास: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न जंक्शनों पर शिकायतें करने के बावजूद पुरी एक्सप्रेस, नीलांचल एक्सप्रेस तथा पुरूषोत्तम एक्सप्रेस जैसी सुपरफास्ट रेलगाड़ियों में पेयजल और भोजन उपलब्ध नहीं कराए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) चालू ग्रीष्म/अवकाश यात्रा रियायत की व्याप्त अवधि के दौरान विशेषकर उन रेलगाड़ियों में पर्याप्त पेयजल, प्रसाधन, जल आपूर्ति, समुचित स्वच्छ भोजन और सफाई तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिहार में उन रेल सुरक्षा बल के कर्मियों, जो रेलगाड़ियों में सुरक्षा करने की बजाए किसी न किसी बहाने यात्रियों को तंग करते हैं, को रोकने के लिए उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) स्टेशनों पर पेयजल की व्यवस्था की जाती है। ग्रीष्मकालीन अवधि के दौरान वाटरमैनो को लगाकर और मौजूदा व्यवस्थाओं का विस्तार करके भी इन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया है। बहरहाल, सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर जहां सुपरफास्ट गाड़िया नियमित रूप से ठहरती हैं, पेयजल व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए रेलों को निदेश जारी कर दिए गए हैं। उठाए गए कदमों में पानी की ट्रालियों की व्यवस्था करना, गर्मी के मौसम में वाटर मैनों को लगाना, स्वैच्छिक संगठनों की सहायता लेना पैन्ट्री कारों के माध्यम से गाड़ियों में पेयजल उपलब्ध कराना शामिल है। इन गाड़ियों के यात्रियों की भोजन संबंधी आवश्यकताएं स्थैतिक इकाइयों और इन गाड़ियों में मुहैया कराई गई पैंट्री कारों से संतोषजनक ढंग से पूरी की जाती है।

लम्बी दूरी की सभी गाड़ियों के सवारी डिब्बों के शौचालयों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था पहले ही मौजूद है। ओवर हैड टैंको में प्रारंभिक स्टेशनों तथा नामित मार्गवर्ती स्टेशनों पर नियमित रूप से पानी भरा जाता है।

भारतीय संविधान के अनुसार, "पुलिस व्यवस्था करना" राज्य का विषय है, अतः रेलवे स्टेशनों और चलती गाड़ियों सहित रेल परिसरों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अपराध को रोकने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है जिन्हें वे राजकीय रेलवे पुलिस के माध्यम से निबटाती हैं। बहरहाल, रेलें राजकीय रेलवे पुलिस के साथ निकट समन्वय बनाकर अपनी भूमिका निभाती हैं। रात्रि के दौरान महत्वपूर्ण गाड़ियों का मार्गवर्ती अनुरक्षण राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा किया जाता है।

(ग) जब कभी रेल प्रशासन के ध्यान में रे॰ सु॰ ब॰ के कार्मिकों द्वारा यात्रियों को तंग करने की बात आती है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाती है। बहरहाल इस प्रकार की (बिहार के संबंध में) कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, रे॰ सु॰ ब॰ सहित रेल कर्मचारियों को यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए शिष्ट एवं मद्दगार होने के लिए कहा गया है। अधिकारियों को भी पेसेंजर गाड़ियों में ड्यूटी कर रहे कार्मिकों के आचरण पर गहन निगरानी रखने और पर्यवेक्षण करने के लिए अनुदेश दे दिए गए हैं।

मध्यम वर्ग के घरेलू पर्यटकों के लिए सस्ते होटलों की कमी

5299. श्री एल. रमना : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मध्यम-वर्गीय घरेलू पर्यटकों हेतु होटलों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो मध्यम-वर्गीय पर्यटकों हेतु ये होटल कहां-कहां स्थित हैं और उनके न्यूनतम और अधिकतम प्रभार क्या हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): (क) और (ख) जी, हां। देश में कुछ चुनिन्दा पर्यटक केन्द्रों पर मध्यम वर्गीय स्वदेशी पर्यटकों के लिए सस्ते होटलों की कमी है। ऐसा मुख्यतया उचित कीमत पर भूमि उपलब्ध न होने के कारण है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एअर लाइन्स का खराब सुरक्षा रिकार्ड

5300. श्री माधवराज सिंधिया : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एअर लाइन्स के खराब सुरक्षा रिकार्ड को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने 1994-95 में इंडियन एअर लाइन्स को खतरे घटाने, दुर्घटनाओं की दृष्टि से बेहतर परिणाम प्राप्त करने तथा बीमाकर्ताओं का विश्वास जीतने के लिए सुरक्षा में सुधार करने के लिए साधारण बीमा निगम के परामर्श से कदम उठाने की सलाह दी थी;

(ख) क्या यह सच है कि इंडियन एअर लाइन्स द्वारा दिया गया बीमा 1989-90 में 3.8 मिलियन डालर से बढ़कर 1994-95 में 43.5 मिलियन डालर हो गया और क्या इसका कारण अधिक दुर्घटनाओं का होना था; और

(ग) यदि हां, तो इंडियन एअर लाइन्स के सुरक्षा रिकार्ड में सुधार लाने के लिए तब से क्या ठोस कदम उठाए गए हैं तथा तब से अब तक उसमें क्या सुधार किए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1994-95 के लिए हल स्पेयर्स तथा दायित्व के संबंध में इंडियन एयर लाइन्स की बीमा किस्त बढ़कर 42.5 मिलियन अमेरीकी डालर हो गई थी, जो मुख्यतया इंडियन एयरलाइन्स के उच्च दावा अनुपात तथा बीमा बाजार के कठोरीकरण के कारण था।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स में विमानों के अनुरक्षण तथा प्रचालन सर्वथा विमानों के विनिर्माताओं द्वारा निर्धारित तथा नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित क्रियाविधि के अनुसार किए जाते हैं। इंडियन एयरलाइन्स द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप, इसके संरक्षा रिकार्ड में पर्याप्त रूप से सुधार आया है। परिणामतया, इंडियन एयरलाइन्स के विमानों के संबंध में बीमा-किस्त की दर वर्ष 1994-95 के 42.5 मिलियन अमरीकी डालर से पर्याप्त रूप से घटकर वर्ष 1996-97 में 25.6 मिलियन अमरीकी डालर हो गई है।

[हिन्दी]

एसटीडी/पीसीओ टेलीफोन बूथों का आबंटन

5301. श्री राधा मोहन सिंह :

श्री देवी बक्स सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नेत्रहीनों तथा विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर एस टी डी/ पी सी ओ टेलीफोन बूथों का आबंटन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में ऐसे व्यक्तियों को कितने एस टी डी/पी सी ओ टेलीफोन बूथ आबंटित किए गए;

(ग) 31 दिसम्बर, 1996 की तिथि के अनुसार एस टी डी/पी सी ओ टेलीफोन बूथों की प्रतीक्षा सूची में दर्ज नेत्रहीन तथा विकलांग व्यक्तियों की संख्या कितनी है, और

(घ) इन व्यक्तियों को एस टी डी/ पी सी ओ टेलीफोन बूथ कब तक आबंटित कर दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां। एस टी डी युक्त पी सी ओ लाइनों की उपलब्ध संख्या का आवंटन करते समय, एस टी डी/ पी सी ओ आवंटन समिति द्वारा दृष्टिहीन और विकलांग व्यक्तियों को आबंटन में वरीयता दी जाती है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मुगलसराय-पटना-हावड़ा रेल लाईन का विद्युतीकरण

5302. श्री चित्रसेन सिंकु : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुगलसराय-पटना-हावड़ा रेल लाईन का अभी तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप इस मार्ग पर राजधानी एक्सप्रेस तथा अन्य सुपर फास्ट रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं और इसके कारण यात्रियों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रेल मार्ग के विद्युतीकरण का कोई ठोस प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त रेल मार्ग के कब तक विद्युतीकरण किए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) मुगलसराय-पटना-सीतारामपुरखंड पर विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है और सीतारामपुर से हवड़ा खंड पहले से ही विद्युतीकृत है। बहरहाल राजधानी और सुपरफास्ट गाड़ियों सहित यात्री गाड़ियां डीजल कर्षण पर संतोषजनक ढंग से चल रही हैं।

(ख) से (घ) सीतारामपुर से जसीडीह खंड को अर्जित कर दिया गया है। समग्र सीतारामपुर-पटना-मुगलसराय खंड को दिसंबर, 1999 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

बुनियादी दूरसंचार सेवा संबंधी संशोधित पेशकश

5303. डॉ॰ एम॰ जगन्नाथ : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने भारत से यह अनुरोध किया है कि वह विश्व व्यापार संगठन को बुनियादी दूरसंचार सेवाओं संबंधी अपनी संशोधित पेशकश भेजे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

बड़े डिजिटल एक्सचेंजों का उत्पादन

5304. श्री अन्नासाहिब एम॰ के॰ पाटिल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सी-डॉट" ने ट्रंक ऑटोमेटिक एक्सचेंजों की जरूरत के स्थान पर स्वदेशी तकनीक से प्रथम बड़े डिजिटल एक्सचेंज मेन आटो एक्सचेंज (एम ए एक्स (एक्स एल) के उत्पादन में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो 1997-98 के दौरान एम ए एक्स (एक्स एल) के उत्पादन की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे एक्सचेंजों के आयात पर किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है और देश में ही 1997-98 के दौरान ऐसे एक्सचेंजों के उत्पादन की योजना और इसमें निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अगले पांच वर्षों के दौरान ऐसे कितने एक्सचेंजों की आवश्यकता होगी और स्वदेशी तकनीक से इन आवश्यकताओं को पूरा करने की क्या योजना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। आई टी आई को, 97-98 के दौरान, आपूर्ति हेतु 107.5 हजार लाइनों के एम॰ ए॰ एक्स॰ एक्स॰ एल॰ उपस्कर की आपूर्ति के लिए आर्डर दिए गए हैं।

(ग) आयात पर हुआ व्यय शून्य है। स्वदेशी आर्डर के लिए कृपया उपर्युक्त पैरा देखें।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना में बड़े एक्सचेंजों के लिए 17 मिलियन लाइनों की आवश्यकता होने की संभावना है।

हीरे की खानें

5305. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार हीरे की खानें कितनी हैं;

(ख) इन खानों में राज्यवार हीरों का भंडार कितना है; और

(ग) हीरे की खानों की खोज के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में हीरे की दो खाने हैं और दोनों मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हैं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1.4.1994 की स्थिति के अनुसार 1065,000 कैरेट हीरे के प्राप्ति योग्य भंडार हैं जिसमें से 929,000 कैरेट प्रमाणित वर्ग और 1,36,000 कैरेट संभावित वर्ग के अंतर्गत आते हैं।

(ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 9वीं पंचवर्षीय योजना में हीरे सहित अपर्याप्त पदार्थों पर विशेष बल देने के साथ खनिज गवेषण पर मुख्य जोर दिया है। जी॰ एस॰ आई॰ इस समय मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और बिहार में हीरे के लिए गवेषण कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 के अनुरूप हीरे सहित 13 खनिजों को जो अब तक सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ही विदोहन के लिए आरक्षित थे, निजी क्षेत्र द्वारा गवेषण और विदोहन के लिए खो दिया गया है। इस नीति में उच्चमूल्य और अपर्याप्त खनिजों के गवेषण और खनन में विदेशी प्रौद्योगिकी को शामिल करने और विदेशी भागीदारी का प्रावधान है। इस नीति में भारत की कंपनियों द्वारा खनन के संवर्धन के संयुक्त उद्यमों में विदेशी इक्विटी भागीदारी को प्रोत्साहित किए जाने का भी प्रावधान है। यद्यपि, इक्विटी में विदेशी निवेश आमतौर पर 50% तक सीमित रहेगा परन्तु यह सीमा किसी खनिज शोधन उद्योग की गृहीत खानों पर लागू नहीं होगी। बढ़ी हुई इक्विटी भागीदारी पर भी मामला दर मामला के आधार पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा, सरकार ने गवेषण में अधिकाधिक निवेश के लिए हवाई पूर्वेक्षण हेतु बड़े क्षेत्र की मंजूरी देने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

मृतक शरीर को लाने की व्यवस्था

5306. श्री ई॰ अहमद : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों ने इन देशों से भारतीय नागरिकों के मृतक शरीरों को इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया के विमानों द्वारा भारत लाने हेतु निःशुल्क व्यवस्था किए जाने संबंधी कोई अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइंस को सलाह दी गई कि वह अत्यधिक अनुकम्पा के मामलों में यू ए ई में मर रहे भारतीय राष्ट्रिकों के शवों के निःशुल्क वहन की व्यवस्था करे।

बालको का आधुनिकीकरण

5307. श्री हाराधन राय: क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बालको के विधानबाग स्थित फायल संयंत्र के नवीकरण/आधुनिकीकरण के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि॰ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली एक कंपनी है और किसी संयंत्र के नवीकरण और आधुनिकीकरण का निर्णय परियोजना की वाणिज्यिक और तकनीकी व्यवहार्यता को ध्यान में रख कर कंपनी द्वारा लिया जाता है। तथापि, कंपनी ने अपने परामर्शदाता मैसर्स दस्तूर एण्ड कंपनी के परामर्श से फायल प्लांट के आधुनिकीकरण के पहले चरण के रूप में विधानबाग यूनिट (बीवीयू) के फायल प्लांट की रफिंग मिल के नवीकरण संबंधी एक प्रस्ताव के बारे में सूचित किया है।

तमिलनाडु में चौकीदार और बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटक

5308. श्री के॰ परशुरामन : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में प्रतिवर्ष चौकीदार वाले और चौकीदार रहित रेल फाटकों पर कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप जान और माल की कितनी हानि हुई है; और

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) गाड़ी दुर्घटना से संबंधित आंकड़े और संबंधित सूचना रेलवे जोनवार रखी जाती है न कि राज्यवार। दक्षिण रेलवे से संबंधित सूचना इस प्रकार है :—

	चौकीदार वाले समपार पर दुर्घटनाएं			बिना चौकीदार वाले समपार पर दुर्घटनाएं		
	1994-95	1995-96	1996-97	1994-95	1995-96	1996-97
दुर्घटनाओं की संख्या	6	2	1	21	12	10
मारे गए व्यक्तियों की संख्या	6	11	1	24	12	46
घायल हुए व्यक्तियों की संख्या	12	1	1	31	13	13
रेल संपत्ति को हुई क्षति की लागत (लाख रुपयों में)	0.96	—	—	0.16	1.31	3.18

(ग) समपार पर दुर्घटनाएं को रोकने के लिए उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं :—

1. बिना चौकीदार वाले समपारों के पहुंच मार्गों पर गतिअवरोधकों/घड़घड़ाहट पट्टियों की व्यवस्था की गई है ताकि सड़क वाहन अपनी गति कम कर सकें।
2. समपारों के पहुंच मार्गों पर रेलपथ के साथ-साथ सड़क उपयोगकर्त्ताओं को गाड़ी के पहुंचने के बारे में गाड़ी ड्राइवर द्वारा सीटी बजाकर सावधान करने के लिए सीटी बोर्डों की भी व्यवस्था की जाती है। क्या ड्राइवर इस प्रकार के सीटी बोर्डों द्वारा सीटी बजा रहे हैं इसकी जांच के लिए आवधिक अभियान चलाए जाते हैं।
3. बिना चौकीदार वाले समपारों पर संरक्षा के बारे में सड़क ड्राइवरों को शिक्षित करने के उद्देश्य से टेलीविजन पर क्विकीज, सिनेमा स्लाइडों, पोस्टरों, रेडियो पर वार्ताओं तथा समाचार पत्र में विज्ञापनों और नुक्कड़ नाटकों आदि विभिन्न माध्यमों के द्वारा प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।
4. दोषी सड़क वाहन ड्राइवरों को पकड़ने के लिए सिविल प्राधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से घात लगाकर जांचें की जाती हैं और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और रेल अधिनियम 1989 के उपबंधों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है।
5. व्यस्त समपार फाटकों पर टेलीफोनों और गेट सिगनलों की व्यवस्था की गई है।
6. गेटमैन की चौकन्नेपन की जांच करने के लिए अचानक जांचें की जाती हैं।
7. चूंकि बिना चौकीदार वाले समपारों पर सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही से दुर्घटनाएं होती हैं इसलिए राज्य सरकारें विशेष रूप से ट्रक, बस और अन्य भारी वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते समय सख्त जांच करके मदद कर सकती हैं। सड़क उपयोगकर्ता मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की तेज रफ्तार से अनभिज्ञ हैं। 90 कि॰ मी॰ प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गाड़ी एक सेंकेंड में 25 मी॰ दूरी तय करती है। इस प्रकार यदि 200 मी॰ की दूरी पर सड़क उपयोगकर्त्ता है तो वहां तक पहुंचने में गाड़ी को केवल 8 सेकेंड लगते हैं।
8. जन जागरण कार्यक्रमों में ग्राम पंचायतों को शामिल करना।

कालीकट हवाई अड्डे पर यात्री प्रभार

5309. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान कालीकट विमानपत्तन पर यात्री-प्रभार द्वारा कितनी धनराशि एकत्रित की गई;

(ख) क्या यह प्रथा देश के किसी अन्य विमानपत्तन पर विद्यमान है;

(ग) क्या प्राधिकारियों द्वारा विदेश जाने वालें यात्रियों को यह आश्वासन दिया गया था कि यह प्रथा अविलम्ब समाप्त कर दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रथा को समाप्त करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) कालीकट हवाई अड्डे पर 1996-97 के दौरान उपभोक्ता विकास अतिरिक्त शुल्क के रूप में 6.42 करोड़ रुपए की राशि एकत्र की गई है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। तथापि, उपभोक्ता सेवा शुल्क की समाप्ति का प्रश्न विचाराधीन है।

[हिन्दी]

स्लीपर यान में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा यात्रा

5310. श्री पवन दीवान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने भारतीय रेल के स्लीपर यानों में बिना स्लीपर क्लास के टिकट पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि इन स्लीपर यानों में ये व्यक्ति यात्रा न करें; और

(ग) रेलवे के उन कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है जो जानबूझकर स्लीपर यानों में इन अप्राधिकृत व्यक्तियों को यात्रा करने की अनुमति देते हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) एक याचिका पर निर्णय देते समय राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने यह आदेश दिया था कि रेलों को बिना गलियारेदार मार्ग वाले स्लीपर सवारी डिब्बों के संबंध में यह निगरानी रखनी चाहिए कि प्रत्येक सवारी डिब्बे में एक चल टिकट निरीक्षक/संवाहक उपस्थिति रहे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यात्रा के लिए पात्र द्वितीय श्रेणी के स्लीपर टिकट धारक यात्रियों के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति सवारी डिब्बे में प्रवेश न कर पाए।

(ख) रेलों को निर्धारित मानदण्ड के अनुसार स्लीपर श्रेणी सवारी डिब्बों में चल टिकट निरीक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। नवम्बर, 94 के पश्चात् आरक्षित सवारी डिब्बों के भीतर अनधिकृत यात्रियों का प्रवेश रोकने के लिए 30 जोड़ी गाड़ियों में त्वरित कार्यदल तैनात किए गए हैं। लम्बी दूरी की महत्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में भी गाड़ी अधीक्षक तैनात किए जा रहे हैं। इसके अलावा अनधिकृत प्रवेश रोकने के लिए निम्नलिखित उपाए किए गए हैं :—

(I) मासिक सीजन टिकट धारकों सहित कम दूरी के यात्रियों का लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में यात्रा करना वर्जित कर दिया गया है।

(II) रा॰ रे॰ पु॰रे॰ सु॰ ब॰ की सहायता से अचानक जांचें की जाती हैं और अनधिकृत यात्रियों के खिलाफ कार्यवाई की जाती है जिन्हें गाड़ी से उतार दिया जाता है और रेल अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत उन पर जुर्माना किया जाता है।

(III) आरक्षित सवारी डिब्बों में तैनाती के सुधार हेतु टिकट जांच कर्मचारियों की रिक्तियों को भरा जा रहा है।

(IV) स्लीपर श्रेणी में यात्रा करते हुए पाए जाने वाले द्वितीय श्रेणी टिकट धारक यात्रियों के संबंध में यह माना जाता है कि वे उच्चतर श्रेणी में यात्रा कर रहे हैं और उन पर यथानिर्धारित जुर्माना किया जाता है।

(ग) मिलीभगत के मामलों में कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

महाराष्ट्र में केन्द्र सरकार द्वारा अर्जित राजस्व

5311. श्री दत्ता मेघे : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में पर्यटन के क्षेत्र में कुल कितने राजस्व का अर्जन किया गया है;

(ख) क्या महाराष्ट्र में पर्यटक स्थलों के विकास के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा कोई भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): (क) चालू वित्त वर्ष के दौरान, महाराष्ट्र राज्य में पर्यटकों से व्यय कर के माध्यम से, केन्द्र सरकार द्वारा अर्जित किया गया कर राजस्व 109.45 करोड़ रुपए है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कान्हा और हिंगना डिफेंस के बीच सर्कुलर रेलगाड़ी शुरू करने के लिए सर्वेक्षण

5312. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में कान्हा से हिंगना डिफेंस के बीच सर्कुलर रेलगाड़ी शुरू करने के संबंध में सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक उक्त रेलगाड़ी शुरू किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) कान्हा और हिंगना के बीच गाड़ी सेवाएं चलाने के प्रस्ताव की जांच की गई है लेकिन तकनीकी कठिनाइयों के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

दूरदर्शन केन्द्र, डिब्रूगढ़

5313. डॉ. अरूण कुमार शर्मा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिब्रूगढ़ टी॰ वी॰ टावर को ऊंचाई को मूल योजना के 150 मीटर से कम करके इस समय 75 मीटर करने के क्या कारण है;

(ख) इस केन्द्र को मूल योजना के वाणिज्यिक केन्द्र से मात्र एक कृषि आधारित केन्द्र में बदलने के क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिचालन तथा कवरेज का वर्तमान क्षेत्र क्या है और इस केन्द्र को सुदृढ़ बनाने तथा इसका आधुनिकीकरण करने हेतु भावी कार्य योजना क्या है;

(घ) क्या पड़ोस के चीन और म्यांमार के अवांछित विदेशी टी॰ वी॰ सिग्नलों से इस केन्द्र से वर्तमान प्रसारण में बाधा पहुंचती है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) फुटप्रिंट क्षेत्रों सहित दूरदर्शन केन्द्र डिब्रूगढ़ द्वारा इस समय कवर किए जा रहे ग्रामीण क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) दूरदर्शन केन्द्र डिब्रूगढ़ गुवाहाटी को समाचारों की कतरनें मुहैया कराने हेतु उपग्रह सुविधाओं/माइक्रोवेव लिंक से इसे न जोड़ने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) पूर्व में यथा परिकल्पित 150 मी॰ की ऊंचाई वाले टावर के लिए भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनुमति न मिलने के कारण डिब्रूगढ़ में उच्च शक्ति (10 कि॰ वा॰) टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर का परिचालन कम ऊंचाई वाले अर्थात 75 मी॰ के टावर से किया जा रहा है।

(ख) डिब्रूगढ़ दूरदर्शन केंद्र के सामाजिक उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और यह सामाजिक तथा अन्य सांस्कृतिक महत्व के कार्यक्रमों के निर्माण के अलावा कृषि कार्यक्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। दूरदर्शन केंद्र, डिब्रूगढ़ कभी भी वाणिज्यिक केंद्र नहीं रहा है।

(ग) स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के अधीन उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, डिब्रूगढ़ की कवरेज सीमा लगभग 45 कि॰ मी॰ है। क्षेत्र में मैट्रो (डीडी-II) सेवा के विस्तार के उद्देश्य से डी डी-II सेवा को रिले करने के लिए डिब्रूगढ़ में एक अल्प शक्ति टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, डिब्रूगढ़ से 45 कि॰ मी॰ की रेडियल दूरी के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामीण क्षेत्र भौगोलिक परिस्थितियों के अधीन ट्रांसमीटर से टी॰ वी॰ सेवा प्राप्त करते हैं।

(छ) वर्तमान में, उपग्रह अपलिंकिंग की सुविधा केवल गुवाहाटी में उपलब्ध है। प्रारंभ में उत्तर-पूर्व राज्यों की सभी राजधानियों में अपलिंकिंग टर्मिनल स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव कार्यान्वयनाधीन है। यद्यपि उत्तर-पूर्व राज्यों में किसी भी अन्य स्थान पर अपलिंकिंग टर्मिनल स्थापित करने के लिए वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि यह दूरदर्शन की भावी योजनाओं में इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

वर्तमान पर्यटन नीति

5314. डॉ. असीम बाला : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान पर्यटन नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में पर्यटन विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : सरकार की वर्तमान नीति, निरन्तर मानव विकास के लिए एक उपकरण के रूप में पर्यटन का विकास करने की है। देश में पर्यटन का विकास करने के लिए नौवें योजना प्रस्ताव में आधारिक संरचना का एकीकृत विकास, विशेष पर्यटन क्षेत्रों का विकास, सरलीकरण सेवाओं में बढ़ोतरी, निजी सेक्टर निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहनों की व्यवस्था, मानव संसाधन विकास, प्रचार और विपणन को सुदृढ़ करना, अनुसंधान और कम्प्यूटरीकरण आदि शामिल हैं।

लाओस, कम्बोडिया में भारत उत्सव में भाग लेने वाली एयरइंडिया की विमान परिचारिकाएं

5315. श्री मोहन रावले : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया की कतिपय व्योम बालाओं जिनका लाओस, कम्बोडिया में भारत उत्सव में एअर इंडिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयन हुआ था, ने यह शिकायत की थी कि उन्हें पारदर्शी तथा अंग प्रत्यंग साफ नजर आने वाली पोशाकें पहना कर निजी डिजायनर हेतु मॉडलिंग करने तथा स्थानीय हस्तियों का मनोरंजन करने के लिए विवश किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एअर इंडिया की व्योम बालाओं की उक्त शिकायत की जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और नतीजे क्या रहे ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) भारतीय सांस्कृतिक उत्सव में भाग लेने हेतु दो विमान परिचारिकाओं को लाओस जाने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। उन्होंने शिकायत की कि उनको किसी निजी डिजाइनर द्वारा डिजाइन की गई पोशाकें पहने तथा रैम्प पर मॉडलों की भांति अभिनय करने के लिए विवश किया गया था। कुछ पोशाकें पारदर्शी और आपत्तिजनक थीं और उन्हें होटल केफेटेरिया में मॉडल भी बनना पड़ा था।

(ग) और (घ) एअर इंडिया के प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

"सेफ्टी केटेगरी" में पदों का शामिल करना

5316. श्री वी॰ प्रदीप देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विभिन्न श्रेणियों के पदों का ब्यौरा क्या है जो "सेफ्टी केटेगरी" में शामिल किए गए हैं और अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षण से बाहर रखे गए हैं;

(ख) क्या इन पदों की कोई समीक्षा कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखने के लिए रेलवे में चालक के पद को "सेफ्टी केटेगरी" में शामिल किए जाने के क्या कारण हैं जबकि इंडियन एयरलाइन्स में चालक के पद को सेफ्टी केटेगरी में शामिल नहीं किया गया है और ये पद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) संरक्षा कोटियों के रूप में वर्गीकृत पदों की सूची की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा मौजूदा संलग्न विवरण में दर्शायी गई है। सुरक्षा कोटि के पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी नियम लागू किए जाते हैं लेकिन इन पदों में अ॰ जा॰/अ॰ ज॰ जा॰ उम्मीदवारों के लिए निर्धारित योग्यता तथा पदोन्नति के मानदंड में कोई छूट नहीं दी जाती है।

(घ) वे कर्मचारी जो गाड़ी परिचालन में संरक्षा से सीधे जुड़े हैं, रेलों पर "संरक्षा कोटि" पदों के धारकों के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। गाड़ियों के संचलन में ड्राइवरों के सीधे जुड़े होने के कारण उन्हें संरक्षा कोटि की सूची में शामिल किया गया है।

विवरण

परिचालन विभाग :

1. परिवहन निरीक्षक।
2. सहायक स्टेशन मास्टर/केबिन सहायक स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक (अराजपत्रित)/स्टेशन मास्टर/उप स्टेशन अधीक्षक।
3. गार्ड।
4. यार्ड मास्टर/सहायक यार्ड मास्टर/यार्ड फोरमैन।
5. स्विचमैन और शंटिंग जमादार।
6. खंड नियंत्रक/उप मुख्य नियंत्रक/मुख्य नियंत्रक।
7. संरक्षा परामर्शक/संरक्षा निरीक्षक।

सिविल इंजीनियरी विभाग :

8. पुल निरीक्षक।
9. रेलपथ निरीक्षक।
10. सहायक फोरमैन एवं आपरेटर (प्लासरमैटिक टाई टैंपिंग)।
11. आपरेटर एवं चार्ज-मैन (टाई टैंपिंग)।
12. सैक्शन मैट, कीमैन एवं रेलपथ मिस्त्री।
13. सहायक कारखाना अधीक्षक (पुल कारखाना)।

सिगनल एवं दूरसंचार विभाग :

14. सिगनल निरीक्षक।
15. बिजली सिगनल अनुरक्षक तथा यांत्रिक सिगनल अनुरक्षक।
16. सहायक कारखाना अधीक्षक (धुरा काउंटर उत्पादन एवं निरीक्षक, रिले का उत्पादन और ओवर हालिंग, टोकनरहित ब्लाक उपस्कर टेस्टिंग)।
17. रिले निरीक्षक।
18. दूर-संचार निरीक्षक।
19. दूर-संचार अनुरक्षक।
20. बेतार दूरसंचार अनुरक्षक।

यांत्रिक/बिजली विभाग :

21. ड्राइवर/सहायक ड्राइवर/डीजल सहायक/मोटरमैन/टावर मालडिब्बा ड्राइवर/मोटर ट्राली ड्राइवर।
22. लोको फोरमैन/सहायक लोको फोरमैन/बिजली फोरमैन/सहायक कारखाना अधीक्षक/चार्जमैन (ओ एच ई-सब-स्टेशन/रिमोट कंट्रोल/लोको गाड़ी लाइट, एअर कंडीशन (सवारी डिब्बा), यांत्रिक फोरमैन/सहायक यांत्रिक फोरमैन, चार्जमैन (लोको) ई॰ एम॰ यू॰ रनिंग शेड)।
23. कैरिज फोरमैन/वैगन फोरमैन।
24. लोको निरीक्षक/ड्राइविंग अनुदेशक।
25. गाड़ी परीक्षक (यांत्रिक/बिजली/ई॰ एम॰ यू॰/लोको)।
26. शंटर।
27. कैरेज एंड वैगन निरीक्षक।
28. पावर नियंत्रक/कर्षण लोको नियंत्रक/कर्षण पावर नियंत्रक/कर्षण सब-स्टेशन आपरेटर।
29. कर्षण फोरमैन/कर्षण फोरमैन (रनिंग)।
30. इंजन परीक्षक/लुब्रिकेटिंग सुपरवाइजर।
31. बायलर इंस्पेक्टर, बायलर फोरमैन/सहायक बायलर फोरमैन, बायलर-मेकर चार्जमैन।

32. गाड़ी की लाइट और एयरकंडिशन से संबंधित सहायक कारखाना अधीक्षक।

33. संरक्षा निरीक्षक।

34. प्रयोगशाला अधीक्षक/रसायन एवं धातुकर्म सहायक।

35. लोको फिटर्स/सी एंड डब्ल्यू फिटर्स/व्हील टेपर्स/डीजल शेडों एवं ई॰ एम॰ यू॰ तथा बिजली शेडों में फीटर्स/मिलराइट फिटर्स/सभी विभागों के वैल्डर्स, गाड़ी लाइटिंग एवं एयर कंडिशन (सवारी डिब्बा) फिटर्स।

36. सभी विभागों के डिजाइन सहायक।

37. आटो ड्राइवर्स/फार्क लिफ्ट ड्राइवर्स/क्रेन ड्राइवर्स (मोबाइल या इ॰ ओ॰ टी॰ क्रेने)/ट्रावर्सर ड्राइवर्स/स्लींगर्स तथा गनर्स।

38. कारखाना अधीक्षक (यांत्रिक एवं बिजली) सहायक कारखाना अधीक्षक (यांत्रिक एवं बिजली)/प्रयोगशाला अधीक्षक/रसायन एवं धातुकर्मीय सहायक।

39. वरिष्ठ बिजली फोरमैन/चार्जमैन/सब-स्टेशन आपरेटर बिजली घरों सहित सामान्य सेवाओं के लिए।

40. लीडिंग फायरमैन (स्टीम लोको)।

उत्तर प्रदेश में नई रेलगाड़ियों का चलाया जाना

5317. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में नई रेलगाड़ियों को चलाए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) भारतीय रेलों पर यातायात औचित्य परिचालनिक व्यावहारिकता तथा संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन रेल गाड़ियां चलाना एक सतत प्रक्रिया है। 1997-98 के दौरान जिन रेलगाड़ी सेवाओं को चलाने की योजना है और जो उत्तर प्रदेश को भी सेवित करेंगी उनमें निम्नलिखित एक्सप्रेस गाड़ियां शामिल हैं :—

1. सिकंदराबाद-निज़ामुद्दीन साप्ताहिक राजधानी
2. हुबली के रास्ते बंगलूरू-निजामुद्दीन साप्ताहिक एक्सप्रेस
3. सप्ताह में दो दिन रांची-दिल्ली एक्सप्रेस
4. सप्ताह में दो दिन विशाखापतनम-निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस
5. सप्ताह में दो दिन गोरखपुर-देहरादून एक्सप्रेस
6. निजामुद्दीन-एर्णाकुलम साप्ताहिक एक्सप्रेस
7. दिल्ली-फैजाबाद/मुजफ्फरपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस
8. सूरत-पटना साप्ताहिक एक्सप्रेस
9. पुणे-निजामुद्दीन साप्ताहिक एक्सप्रेस

नई रेल लाइनें

5318. श्री छीतुभाई गामीत : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक देश के विभिन्न भागों में बिछाई गई नई रेल लाइनों की कुल लम्बाई (मीलों में) कितनी है;

(ख) उसमें से गुजरात में बिछाई गई रेल लाइन की कुल लम्बाई कितनी है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार से राज्य में नई रेल लाइनें बिछाने हेतु कोई प्रस्ताव मिला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) विगत 3 वर्षों के दौरान 217 कि॰ मी॰ नई लाइन बिछाई गई है।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(i) *कपड़वंज-मोडासा लाइन पहले से ही निर्माणाधीन है*

राज्य सरकार ने कार्य में तेजी लाने के लिए अधिक आबंटन हेतु अनुरोध किया है। तदनुसार, अतिरिक्त बजटीय समर्थन प्राप्त होने के पश्चात् 5 करोड़ रुपए के बजट आबंटन को 10 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया जाएगा।

(ii) *वेरावल से कोडिनार तक रेल लाइन का विस्तार* :—

सर्वेक्षण शुरू किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने के पश्चात इस परियोजना पर आगे विचार किया जाएगा।

(iii) *वेरावल से भावनगर तक बरास्ता पिपावाव तथा अलंग एक तटीय लाइन का निर्माण*—सर्वेक्षण शुरू किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने के पश्चात इस परियोजना पर आगे विचार किया जाएगा।

(iv) *महुवा से पिपावाव तक लाइन का विस्तार*—इसको पहले ही पिपावाव तक विस्तार सहित सुरेन्द्रनगर-भावनगर-ढोला-ढासा-महुवा के आमान परिवर्तन की परियोजना के कार्य में शामिल कर लिया गया है।

[हिन्दी]

एम॰ टी॰ एन॰ एल॰ के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

5319. डा॰ बलिराम : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल) के एक कर्मचारी की हत्या के विरोध में निगम के कर्मचारी 21.4.1997 से हड़ताल पर हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों की मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी पाए गए अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(घ) इस हड़ताल के दौरान निगम को कितने राजस्व का घाटा हुआ; और

(ङ) सरकार द्वारा इस स्थिति से सही ढंग से नहीं निपट पाने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) कुछ स्टाफ सदस्यों ने 21.4.97 से 25.4.97 तक मध्याह्न भोजन के समय खुर्शीद लाल भवन पर धरना दिया।

(ख) मांगें इस प्रकार थीं :—

1. मामला जांच के लिए सी बी आई को सौंपा जाए।

2. श्री डी॰ के॰ अग्रवाल, डी॰ ई॰ (आउटडोर), किदवई भवन को गिरफ्तार किया जाए।

3. मृतक कर्मचारी की मां को तत्काल 5/6 लाख रु॰ की आर्थिक सहायता दी जाए।

(ग) मामले की अभी भी दिल्ली पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

(घ) कर्मचारियों द्वारा अंदोलन मध्याह्न भोजन काल तक सीमित रखा गया अतः उत्पादकता और राजस्व की कोई हानि नहीं हुई।

(ङ) मामले की अभी भी दिल्ली पुलिस द्वारा जांच की जा रही है तथा पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही कार्यवाही की जाएगी।

गुजरात में खनिज पदार्थ

5320. श्री एन॰ जे॰ राठवा : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सहित कुछ राज्यों में विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में पर्याप्त तथा बड़ी मात्रा में खनिज भंडार हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गुजरात में खनिजों का पर्याप्त रूप से दोहन करने अथवा खानों का राष्ट्रीयकरण करने का है;

(घ) क्या सरकार को तीन वर्षों में कुछ अन्य राज्यों से खानों के राष्ट्रीयकरण संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) भारत में अनेक खनिजों के पर्याप्त भण्डार हैं। यद्यपि निक्षेपों के संबंध में व्यापक आंकड़े राष्ट्रीय खनिज सूची के तहत रखे जाते हैं, फिर भी महत्वपूर्ण खनिज निक्षेपों के बारे में राज्यवार सूचना अनुबंध में दर्शाई गई है। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्रों में खनिज भण्डारों के बारे में सूचना अलग से नहीं रखी जाती।

(ग) से (ङ) देश में खनिजों का गवेषण और विदोहन खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अर्थव्यवस्था के समग्र रूप से उदारीकरण के संदर्भ में सरकार का खानों के राष्ट्रीयकरण का विचार नहीं है बल्कि राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 के अन्तर्गत निर्धारित नीति के अनुसार खनिजों के गवेषण और विदोहन के लिए निजी क्षेत्र निवेश को बढ़ावा दिया जाना है। इसी संदर्भ में सरकार अब तक सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ही विदोहन के लिए आरक्षित 13 खनिजों को अनारक्षित कर दिया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने खनिज क्षेत्र में विदेशी निवेश सहित निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में संशोधन करने के साथ-साथ राष्ट्रीय खनिज नीति के तहत अनेक कदम उठाए हैं।

भारत में धातुधीय पट्टी

(क) ताम्र-सीसा-जस्ता

खेतड़ी (राजस्थान), मोसाबनी (बिहार), मलंजखण्ड (मध्य प्रदेश), सरगीपल्ली (उड़ीसा), कलयादी (कर्नाटक), अग्निकुंडला (आंध्र प्रदेश), झावर-राजपुरा-दरीबा बमनीकलान रामपुरा-अगूचा (राजस्थान)

(ख) सोना

कोलार, हट्टी, गोडग और चित्रदुर्ग स्तरित पट्टी सहित दक्षिण भारत के हरे पत्थर की पट्टियां स्वर्ण भण्डारों के प्राथमिक स्रोत हैं। केरल में मरूदा भंडार हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में हिमालयन फ्रूट हिल, और उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान कच्छार और प्लेसर भण्डारों के लिए महत्वपूर्ण है।

(ग) हीरा

पन्ना मध्य प्रदेश में किम्बरलाइट खनन के लिए एक केन्द्र है। किम्बरलाइट के लिए नए हीरे वर्तमान में रायपुर : मध्य प्रदेश में रामखेरिया-हीरापुर एकीकृत पट्टी और आंध्र प्रदेश में विजराकरूर किम्बरलाइट पट्टी के समीप भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) द्वारा सूचित किए गए है।

(घ) लौह अयस्क

बेतलरी—होसपेट बैल्ट (कर्नाटक), बेलाडिला (मध्य प्रदेश), रॉघाट-डल्ली-राझरा मध्य प्रदेश बिहार में चिरिया-मनोहरपुर, उड़ीसा में बोनई-किओनझर बैल्ट, उड़ीसा में बदामपहर-गोरूमहीसंत बैल्ट, कर्नाटक में कुदेरमुख मैग्नीसाइट बैल्ट, चित्रदुर्ग (कर्नाटक)।

(ङ) मैग्नीज

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बैल्ट, बोनई-किओनझर बैल्ट (उड़ीसा), वीसेज (आंध्र प्रदेश) उत्तरी कैनेरा और सनदुर बैल्ट कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश और गोवा में अदीलाबाद बैल्ट।

(च) क्रोमाइट

उड़ीसा में सुकुंदा-न्यूसाही क्रोमाइट बैल्ट और कर्नाटक में बाइरापुर बैल्ट।

(छ) बॉक्साइट

गुजरात में कच्छजामनगर बैल्ट, महाराष्ट्र में रत्नागिरि, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में फैला हुआ ईस्ट-कोस्ट बॉक्साइट बैल्ट, अमरकंटक-फुटकापहाड़ में फैला हुआ मध्य प्रदेश बॉक्साइट बैल्ट, जमीरापट-मैनपट आदि। सतना-रीवा बैल्ट (मध्य प्रदेश), बिहार में गुमला और लोहारडांगा जिलों के प्लेट्यू और समीपस्थ क्षेत्र।

लाइमस्टोन और डोलोमाइट

प्रचुर भण्डार भारत के विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं, विशेषकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आसाम, मिजोरम, मेघालय, उड़ीसा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, और उत्तर प्रदेश।

(ज) सोपस्टोन

राजस्थान के उदयपुर-डुगरपुर बैल्ट तथा डगोटा-झरना और जयपुर के निकट समीपस्थ भण्डार पाए गए हैं।

पालम में क्षतिग्रस्त मकानों का निर्माण

5321. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आग के कारण पालम हवाई अड्डे पर क्षतिग्रस्त मकानों का निर्माण/मरम्मत कब तक किए जाने का विचार है; और

(ख) उपर्युक्त निर्माण कार्य पर कितनी लागत आएगी ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टर्मिनल-I ए के पुनः निर्माण का कार्य 26 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर दिसम्बर, 1997 तक पूरा हो जाने की आशा है।

रायपुर में महिलाओं द्वारा डाक वितरण

5322. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायपुर जिले में पिछले तीस वर्षों से 14-16 किलोग्राम वजन की डाक सामग्री का वितरण महिलाओं द्वारा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उनके वेतन, सुविधाएं और सेवा शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस व्यवस्था को रोकने का है; और

(घ) उनकी सेवाएं नियमित न करने का क्या कारण है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) जी, नहीं। रायपुर जिले में डाक वितरण का कार्य महिलाओं द्वारा टोकरी द्वारा नहीं किया जाता है। समूचे जिले में केवल डाकिए ही डाक वितरण का कार्य करते हैं। तथापि अत्यधिक डाक की स्थिति में डाकिए पार्सल आदि ढोने के लिए दिहाड़ी पर कुलियों (पुरुष/महिलाओं) को नियुक्त कर सकते हैं। अकुशल श्रमिक के लिए स्थानीय कलक्टर द्वारा तय किए गए रेट के आधार पर पार्सलों के भार के अनुसार कुली प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

(घ) ये श्रमिक आवश्यकता के आधार पर डाकिए द्वारा काम पर लगाए जाते हैं। न तो विभाग इन्हें हायर करता है, न ही ये विभाग के कर्मचारी हैं। अतः उनके नियमितीकरण का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में उपभोक्ताओं को परेशान किया जाना

5323. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "हिन्दुस्तान टाइम्स" में दिनांक 21.4.1997 को "कस्टमर ह्वेंसमेंट एम॰ टी॰ एन॰ एल॰ स्टाइल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कार्यकरण को पारदर्शी और जिम्मेदार बनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एम॰ टी॰ एन॰ एल॰ अपने गठन के बाद से ही नेटवर्क के त्वरित आधुनिकीकरण, तीव्र वृद्धि, नई सेवाओं के प्रावधान और सेवाओं में सुधार की पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है।

महानगर टेलीफोन निगम लि॰ ने ग्राहक संतुष्टि को उच्च प्राथमिकता दी है। निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत नए टेलीफोन कनैक्शन प्रदान करने और मौजूदा टेलीफोनों को शिफ्ट करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यतया भूमिगत केबल उपलब्ध न होने के कारण कुछ मामलों में विलंब हुआ है। तथापि, केवल खराब हो जाने और चोरी के मामलों में मरम्मत देरी से हो जाती है। दोष-मरम्मत प्रक्रिया की निगरानी उच्चतम स्तर तक रखी जाती है।

यह सच है कि 1994 के बाद डायरेक्टरी का नया अंक, ठेकेदारों के साथ ठेके संबंधी कुछ समस्याओं के कारण प्रकाशित नहीं हो पाया है। डायरेक्टरी का नया अंक शीघ्र ही प्रकाशित किए जाने की आशा है।

ग्राहकों को स्थानीय पूछताछ सेवा "197" में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ग्राहकों को तत्काल और सही जानकारी देने के लिए इस सेवा को अनेक क्षेत्रों में विकेंद्रित किया गया है।

हाल ही में, दिल्ली के विभिन्न भागों में केबल चोरी हो गई जिससे बहुत से उपभोक्ताओं की टेलीफोन सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हुआ। भविष्य में इस प्रकार की चोरियों को रोकने के लिए चोरी की संभावना वाले क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई गई है और स्थानीय पुलिस के साथ उच्चतम स्तर पर समन्वय स्थापित किया गया है। केबल चोरियों से संबंधित

कार्यकलापों को रोकने के लिए, महाप्रबंधक (पारेषण) नियमित रूप से अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के साथ बैठकों का आयोजन कर रहे हैं।

निजी प्रचालकों को दिए गए स्थानीय/एसटीडी सार्वजनिक टेलीफोनों का निरीक्षण एम टी एन एल, दिल्ली के फील्ड स्टाफ द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसे सार्वजनिक टेलीफोन बूथों पर जनता से अधिक पैसे की वसूली रोकने के लिए एम टी एन एल का सतर्कता दस्ता आकस्मिक जांच भी करता है। वर्ष 1996 के दौरान, 13 सार्वजनिक टेलीफोनों का कनेक्शन काटने की सिफारिश की गई थी और 84 कर्मचारियों को अनाचार के लिए दंडित किया गया था।

बड़े जटिल नेटवर्क में, कुछ शिकायतें हो सकती हैं जिन पर ग्राहकों की सन्तुष्टि के अनुरूप पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। तथापि, इन अलग-अलग मामलों को देखने और अन्य शिकायतों पर ध्यान देने के लिए हमारे पास विभिन्न मं. 9 (फोरम) हैं। एम टी एन एल, दिल्ली में 8 क्षेत्र हैं और सभी क्षेत्रों एवं मुख्यालय में लोक शिकायत कक्ष कार्यरत हैं जहां जनता की शिकायतों का निपटारा करने के लिए सिंगल विंडो संकल्पना को अपनाया जाता है। प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की शिकायतें दर्ज की जाती हैं उनकी जांच की जाती है और उनका निपटारा शीघ्रता से किया जाता है। इन कक्षों की प्रभावोत्पादकता को बढ़ाने के लिए, शिकायतें दूर करने संबंधी प्रगति की नियमित निगरानी वरिष्ठ स्तर पर भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त, ग्राहक सेवा केन्द्र भी हैं, जो एक "सिंगल विंडो" के रूप में काम करते हैं, ताकि जहां तक संभव हो, आगंतुकों की शिकायतों का समाधान इन्हीं केन्द्रों पर कर दिया जाए और उन्हें अलग-अलग अधिकारियों के पास जाने की जरूरत कम-से-कम पड़े।

ग्राहकों की लंबी अवधि से विचाराधीन पड़ी पुरानी शिकायतों को मौके पर ही निपटाने के लिए टेलीफोन अदालतें भी 3 महीने के अंतराल पर नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। अप्रैल, 1997 तक आयोजित 59 अदालतों में 26700 मामलों को निपटाया जा चुका है।

टेलीफोन सेवा और संबंधित मामलों के बारे में ग्राहकों की समस्याओं का जायजा लेने के लिए प्राय: ग्राहक-खुला-दरबार-सत्र भी आयोजित किए जाते हैं।

(घ) एम टी एन एल, दिल्ली के कामकाज को पारदर्शी बनाने और उपभोक्ता की अलग-अलग शिकायतों को शीघ्र दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए :—

प्रत्येक क्षेत्र में, क्षेत्र-स्तरीय और मंडल-स्तरीय ग्राहक सेवा केंद्र (सीएससी) खोले गए हैं, जहां उपभोक्ताओं के लिए "सिंगल विंडो वर्किंग" की व्यवस्था की जाती है, ताकि जहां तक संभव हो, ग्राहकों की समस्याएं इन्हीं केंद्रों में निबटा दी जाएं और उन्हें अपने काम के लिए अलग-अलग अधिकारियों के पास न जाने की जरूरत बहुत कम रहे।

आज की तारीख तक 40 एक्सचेंज दोष मरम्मत सेवा (एफआरएस), को कम्प्यूटरीकृत किया गया है, जिसमें 18 बड़े एक्सचेंज शामिल हैं।

सेवाओं में और-सुधार लाने के लिए एम टी एन एल, दिल्ली में इस वर्ष के दौरान एक कम्प्यूटरीकृत ग्राहक सेवा प्रबंध प्रणाली (सीएसएमएस) शुरू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे बिल-भुगतान ब्यौरे आर ओ बी की निगरानी रखने जैसे उपभोक्ता-डाटा को "ऑन-लाइन" अद्यतेन रखकर ग्राहक की पूर्ण संतुष्टि का लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत सहायता मिलेगी।

ऑटो-मैन्युअल सेवाओं-जैसे 198/2198 और 199-को कम्प्यूटरीकृत इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पोंस सिस्टम (आईवीआरएस) से संपूरित किया जा रहा है, ताकि ग्राहक सेवा में लगे कर्मचारियों की संख्या को कम किया जा सके।

[हिन्दी]

एक्सप्रेस गाड़ी को अयोध्या से दिल्ली तक रोज चलाया जाना

5324. डॉ. रामविलास वेदान्ती : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अयोध्या से दिल्ली तक एक्सप्रेस गाड़ी रोज चलाए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) 1997-98 के दौरान फैजाबाद, अयोध्या के रास्ते दिल्ली और मुजफ्फरपुर के बीच एक साप्ताहिक रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव है। बहरहाल, अयोध्या में टर्मिनल/अनुरक्षण सुविधाओं की कमी के साथ-साथ संसाधनों की तंगी और परिचालनिक कठिनाइयों के कारण फिलहाल अयोध्या से दिल्ली तक रोजाना रेलगाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं है।

[अनुवाद]

आकाशवाणी उड़ीसा से उपकेन्द्र की स्थापना

5325. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कई वर्ष पूर्व उड़ीसा के उडाला, पंचपीर, बिशोई और रायरंगपुर में आकाशवाणी के चार उपकेन्द्रों की स्थापना हेतु मंजूरी दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन चारों में से कोई भी उपकेन्द्र शुरू नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ङ) रायरंगपुर में 1 कि. वा. मी. वे ट्रांसमीटर बहुउद्देशीय स्टूडियो तथा स्टाफ क्वार्टरों सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र स्थापित करने संबंधी एक स्कीम दिसम्बर, 1994 में अनुमोदित की गई थी।

रायरंगपुर में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना संबंधी कार्य पहले ही

शुरू किया जा चुका है। केन्द्र के लिए स्थल अभिनिर्धारित कर लिया गया है। स्थल के ऊपर से निकलने वाली टेलीफोन लाइनों तथा विद्युत आपूर्ति लाइनों को स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार के प्राधिकारियों से स्थल के ऊपर से निकलने वाली विद्युत आपूर्ति लाइनों तथा टेलीफोन लाइनों को दूसरे स्थान पर लगाने के लिए अनुरोध किया गया है।

उड़ीसा राज्य में उदाला, पंकपीर तथा बिशोई में रेडियो केन्द्र स्थापित करने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

[हिन्दी]

लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में गैर-आरक्षित डिब्बे जोड़ना

5326. डॉ॰ सत्यनारायण जटिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य रेल यात्रियों हेतु रेल यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए, मार्च 1997 तक गत एक वर्ष में, लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में कितने गैर-आरक्षित डिब्बे जोड़े गए हैं;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान स्वच्छ पेयजल और खानपान सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) वर्ष 1996-97 के लिए रतलाम रेल डिवीजन में मीटर गेज रेल सेवा हेतु कितने डीजल इंजनों और यात्री डिब्बों की मांग की गई है; और

(घ) इनकी आपूर्ति कब तक कर दी जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) स्टेशनों पर पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है तथा ग्रीष्मकाल के दौरान इन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाता है। मार्ग में खान-पान सुविधाओं की संतोषजनक व्यवस्था के लिए भी प्रबन्ध किए जाते हैं। रेलों को सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर पीने के पानी की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए निदेश दे दिए गए हैं। उठाए गए कदमों में पानी की ट्रालियों की व्यवस्था, ग्रीष्मकालीन वाटरमैनों की तैनाती करना, स्वैच्छिक संगठनों की सहायता लेना, पैंट्रीकार के माध्यम से गाड़ियों में पीने के पानी को उपलब्ध कराना, आदि शामिल है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलों ने कोई मी॰ ला॰ डीजल रेल इंजन/सवारी डिब्बों का निर्माण नहीं किया है और क्षेत्रीय रेलों को उनकी आपूर्ति भी नहीं की गई है। तथापि, आमान परिवर्तन के कारण ऐसे फालतू स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर मी॰ ला॰ रेल इंजनों और सवारी डिब्बों को एक रेलवे से दूसरी रेलवे को अन्तरित किया गया है।

[अनुवाद]

प्लेटफार्म पर गंदा पानी एकत्र होना

5327. डॉ॰ अरविन्द शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के समीप बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन जिला रोहतक, हरियाणा के रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म संख्या तीन पर विगत कई वर्षों से अत्याधिक गंदा पानी एकत्र हो रहा है जिसके कारण रेलवे स्टेशन पर और इसके समीपवर्ती क्षेत्र में गंदगी फैल रही है और यह स्थिति यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बन गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस गंदे पानी की निकासी और भविष्य में प्लेटफार्म के समीप गंदे पानी को एकत्र होने से रोकने के लिए क्या उपाए किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) प्लेटफार्म सं॰ 3 पर गंदा पानी एकत्र नहीं होता है बल्कि बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन के निकट निचले क्षेत्र में एकत्र हो जाता है। चूंकि यह पानी क्षेत्र की निजी कालोनियों द्वारा छोड़ा जाता है, अतः स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उचित जल निकासी की व्यवस्था करके निवारक उपाए किए जाने हैं।

नई रेलगाड़ियां चलाना

5328. श्री वी॰ वी॰ राघवन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने अप्रैल-मई-जून के ग्रीष्मकालीन भीड़-भाड़ को कम करने हेतु कुछ नई रेलगाड़ियां चलाई हैं तथा मौजूदा रेलगाड़ियों की क्षमता में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विशेष रेलगाड़ियों में भोजन, जल की आपूर्ति तथा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या नई दिल्ली-त्रिवेन्द्रम मार्ग जिस पर गर्मी के दिनों में अत्यधिक भीड़ रहती है, में विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) रेलवे ग्रीष्मकालीन भीड़-भाड़ को संभालने के लिए देशभर में 25 मार्गों पर लगभग 1242 ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ियां चला रही है। इसके अतिरिक्त लगभग 50 जोड़ी गाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या भी बढ़ाई गई है।

(ग) स्टेशनों पर पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है और ग्रीष्मकाल में इस व्यवस्था को बेहतर बनाया जाता है। रेलों को सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर पीने के पानी की व्यवस्था को बेहतर बनाने के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। उठाए गए कदमों में पानी की ट्रालियों की व्यवस्था, ग्रीष्मकालीन वाटर-मैनों की तैनाती करना, स्वैच्छिक संगठनों की सहायता लेना, पेन्ट्रीकारों के माध्यम से गाड़ी में पीने के पानी को उपलब्ध कराना और मार्गवर्ती स्थैतिक इकाइयों से संतोषजनक खानपान व्यवस्था सुनिश्चित करना शामिल है।

पुलिस की व्यवस्था करना राज्य का विषय है और इसलिए रेलवे स्टेशनों और चलती गाड़ियों सहित रेल परिसरों में कानून और व्यवस्था

बनाए रखना और अपराधों पर नियंत्रण रखना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। जिसे वे राजकीय रेलवे पुलिस के माध्यम से पूरा करती है। बहरहाल, रेलें अपनी ओर से रा॰ रे॰ पु॰ के साथ निकट समन्वय बनाए रखती हैं। रात्रि के दौरान रा॰ रे॰ पु॰ महत्वपूर्ण गाड़ियों का मार्ग-रक्षण कर रही है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यातायात के औचित्य की कमी के कारण। बहरहाल, औचित्यपूर्ण और व्यावहारिक सीमा तक केरल एक्सप्रेस में सवारी डिब्बों की संख्या में वृद्धि की जाएगी।

त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन पर यात्री सुविधाएं

5329. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि त्रिवेन्द्रम अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर यात्री सुविधा की स्थिति बहुत ही खराब है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त विमानपत्तन पर यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए कोई उपाए करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) से (ग) त्रिवेन्द्रम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यात्रा करने वाली जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त यात्री सुविधाओं से सुसज्जित है। ये सुविधाएं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के समान ही हैं। 2.02 करोड़ रू॰ की लागत से टर्मिनल भवन के आशोधन का कार्य दिसम्बर, 1997 तक पूरा हो जाने की आशा है। इससे, व्यस्ततम काल विधि में यात्री क्षमता 400 से बढ़कर 550 हो जाएगी।

[हिन्दी]

कानपुर में खराब पड़ी टेलीफोन लाइन

5330. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर, उत्तर प्रदेश में टेलीफोन लाइन घंटों खराब रहती है तथा अक्सर टेलीफोन व्यस्त रहने का संकेत मिलता है तथा टेलीफोन द्वारा संपर्क न होने की भी शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार टेलीफोन प्रणाली में सुधार लाने और इसे कारगर बनाने का है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

कानपुर में टेलीफोन प्रणाली संतोषजनक रूप से काम कर रही है। तथापि, एक्सचेंजों और बाहरी संयंत्र में कुछ खराबी अवश्य पैदा हो जाती हैं, जिसके कारण कभी-कभी कुछेक उपभोक्ताओं की सेवाएं प्रभावित हो जाती हैं। इन खराबियों को कम-से-कम समय में ठीक कर दिया जाता है।

(ख) एक व्यापक विस्तार एवं कम्प्यूटरीकरण अभियान चलाया गया है, जिससे कानपुर दूरसंचार प्रणाली की सेवाओं में और अधिक सुधार होगा।

चण्डीगढ़ और दिल्ली के बीच और रेलगाड़ियां चलाने का प्रस्ताव

5331. श्री सत्यपाल जैन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चण्डीगढ़ और दिल्ली के बीच एक और शताब्दी एक्सप्रेस अथवा कुछ सुपर फास्ट रेलगाड़ियां चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अलाभप्रद मार्गों पर रेलगाड़ियों को चलाया जाना

5332. श्री राजाभाऊ ठाकरे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में रेलगाड़ियां अलाभप्रद मार्गों पर चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो लाभप्रद और अलाभप्रद मार्गों के क्या मानदण्ड हैं;

(ग) क्या देश में लाभप्रद और अलाभप्रद मार्गों पर समान अनुपात में रेलगाड़ियों को चलाए जाने के लिए कोई नीति बनाई जानी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) गाडियां मांग होने पर चलाई जाती हैं जिसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि मार्ग लाभप्रद है या अलाभप्रद।

(ख) वह रेल लाइन जिसकी सकल आमदनी सीमांत लागत सिद्धांत पर निकाले गए कुल संचालन व्यय की तुलना में कम होती है या जिसकी शुद्ध आमदनी (संचालन व्यय को पूरा करने के पश्चात्) उन पर निवेशित पूंजी पर निर्धारित लाभांश दायिता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है, अलाभप्रद समझी जाती है और अन्य लाइनों को लाभप्रद समझा जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एडाथुआ-तिरूवेल्ला रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण

5333. श्री पी॰ सी॰ चाक्को : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले वर्ष के रेल बजट के दौरान ताकाजी एडाथुआ-तुरूवेल्ला रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण कराने के लिए धनराशि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सर्वेक्षण के लिए आबंटन किए जाने के बावजूद इस संबंध में उसके मंत्रालय ने कोई कार्य नहीं किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त रेल लाइन का सर्वेक्षण का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां। वर्ष 1996-97 में कुल 6 लाख रुपए की लागत में से 3 लाख रुपए की व्यवस्था की गई।

(ख) से (घ) शेष आबंटन वर्ष 1997-98 में किया गया है और चालू वित्त वर्ष में सर्वेक्षण पूरा कर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

बुलंदशहर तथा लखनऊ के बीच नई रेलगाड़ी चलाया जाना

5334. श्री अशोक प्रधान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बुलंदशहर तथा लखनऊ के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) इस संबंध में श्री एस॰ पी॰ गौतम, श्री नौनिहाल सिंह, श्री छत्तरपाल सिंह और श्री अशोक प्रधान, संसद सदस्यों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) जांच की गई, परन्तु परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।

लंबित परियोजनाएं

5335. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय से संबंधित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कुछ परियोजनाएं अनुमोदन के लिए सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजनावार ब्यौरा क्या है; और ये परियोजनाएं कब से लंबित/विचाराधीन हैं;

(ग) इनकी अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) इस समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की कोई परियोजना इस मंत्रालय के पास अनुमोदन हेतु लंबित नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

स्थानीय लूप प्रस्ताव

5336. श्री बी॰ एल॰ शंकर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 मार्च, 1997 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "डी॰ ओ॰ टीज॰ एक्सपर्ट्स डाऊट लोकल प्रोपोजल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) स्थानीय लूप में वायरलेस संबंधी 300 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं से उपयुक्त आय प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है अथवा की जाएगी ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 18 शहरों में, "स्थानीय लूप" में वायरलेस प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था। उपलब्ध आंकड़ों से यह पता चला था कि स्थानीय लूप में वायरलेस की प्रति लाइन लागत, 3.5 किमी॰ की वायर्ड लाइन की लागत की तुलना में मामूली अधिक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्थानीय लूप में वायरलेस की कीमतों में गिरावट आ रही है और अपेक्षाकृत लंबी दूरियों के लिए इसकी लागत प्रभावकारिता तथा वायरलेस प्रदान करने की गति, विश्वसनीयता आदि जैसे प्रौद्योगिकीय लाभों पर विचार करते हुए, इसके प्रापण हेतु निविदाएं आमंत्रित करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है।

कोस्मोपोलिटन

5337. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित "लिविंग मीडिया" द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका "कोस्मोपोलिटन" के कुछ अंश 13 जनवरी 1997 के "आब्जर्वर ऑफ बिजिनिस एण्ड पोलिटिक्स दिल्ली संस्करण में उद्धत किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस मामले में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) *मैसर्स लिविंग मीडिया इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा "कॉस्मोपोलिटन" नामक शीर्षक से एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है।*

(ख) से (घ) वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि उन्होंने मैसर्स हर्स्ट कॉर्पोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका की पत्रिका "कॉस्मोपोलिटन" के पुनर्मुद्रण हेतु भारतीय मुद्रित मूल्य पर 15% (गारंटी सहित) को निर्धारित दर से मैसर्स लिपिंग मीडिया इण्डिया लिमिटेड द्वारा रायल्टी के भुगतान हेतु अपनी सहमति दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा संबंधित प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके उक्त मामले को आगे जांच की जा रही है।

टिकट संग्राहकों के पद का समाप्त किया जाना

5338. श्री हाराधन राय :

श्री बसुदेव आचार्य :

श्री बलाई चन्द्र राय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टिकट संग्राहकों के पद को समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो भारतीय रेल के हावड़ा, सियालदाह, आसनसोल, खड़गपुर और आगरा डिवीजन में इन पदों को न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रिक्तियों को भरने के संबंध में उठाए गए कदमों में अन्य कोटियों में फालतू स्टाफ की पहचान तथा उनका उपयोग, पात्र विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति तथा रेल भर्ती बोर्डों के माध्यम से भर्ती इत्यादि शामिल है। खाली पदों को भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है।

बरौनी में वैगन-निर्माण संयंत्र की स्थापना

5339. डॉ॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी में वैगन-निर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए रेलवे के एक उच्चस्तरीय दल ने सितम्बर, 1996 में वहां का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना को पूरा करने के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(घ) उक्त संयंत्र से प्रति वर्ष कितने वैगन-निर्माण किए जाने का अनुमान है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। निजी/सार्वजनिक क्षेत्र और कुछ रेल कारखानों में पहले से ही उपलब्ध क्षमताओं को देखते हुए मालडिब्बा निर्माण इकाई को स्थापित न करने का विनिश्चय किया गया है। तथापि "बरौनी पर वातब्रेक युक्त मालडिब्बों की नेमी ओवरहालिंग के लिए सुविधाओं की व्यवस्था" संबंधी कार्य को 1997-98 के बजट में अनुमोदित किया गया है।

(ग) वातब्रेक युक्त बालडिब्बों की नेमी ओवरहालिंग डिपो के लिए अनुमोदित कार्य की प्रत्याशित लागत 25.00 करोड़ रु॰ है।

(घ) कुछ नहीं, क्योंकि निर्माण सुविधा की स्थापना नहीं की जा रही है।

[हिन्दी]

बिहार में टेलीफोन के लिए प्रतीक्षा सूची

5340. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा-सूची में दर्ज उपभोक्ताओं की जिलेवार अद्यतम संख्या क्या है;

(ख) अब तक कितने उपभोक्ताओं को टेलीफोन दिए जा चुके हैं;

(ग) क्या उपभोक्ताओं को शीघ्रतःपूर्वक टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए सरकार ने कोई योजना तैयार की और;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) बिहार में 1997 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची तथा दिए गए टेलीफोनों की जिले-वार संख्या की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, हां।

51,445 को प्रतीक्षा सूची का मार्च, 1998 तक उत्तरोतर रूप से निपटान किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) बिहार दूरसंचार सर्किल के लिए 1997-98 के दौरान 60,000 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विवरण

बिहार राज्य में जिलेवार प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शन और प्रतीक्षा सूची

क्रम सं॰	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	शामिल जिले का नाम	1.4.97 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची	1.4.97 की स्थिति के अनुसार दिए गए टेलीफोन की संख्या (सीधी एक्सचेंज लाइनें)
1	2	3	4	5
1.	आरा	भोजपुर बक्सर	1178	6621
2.	भागलपुर	भागलपुर बांका	1336	11801
3.	छपरा	छपरा सिवान गोपालगंज	3717	11098
4.	दरभंगा	दरभंगा समस्तीपुर मधुबनी बेगूसराय खगरिया	6957	23486
5.	धनबाद	धनबाद बोकारो	2602	26460
6.	दुमका	दुमका देवघर साहेबगंज पकूर गोड्डा	1103	8279
7.	गया	गया औरंगाबाद जहानाबाद नवादा	1551	17459
8.	हजारीबाग	हजारीबाग कोडरमा छतरा गिरिडीह	1339	13724
9.	जमशेदपुर	पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम	7801	26512
10.	कटिहार	कटिहार किशनगंज पूर्णिया अररिया	1728	12,682

1	2	3	4	5
11.	मोतिहारी	पूर्वीचम्पारन पश्चिमी चम्पारन	2110	11710
12.	मुंगेर	मुंगेर शेखपुरा लखीसराम जमुई	2296	6593
13.	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर बैशाली सीमामाढ़ी शिवहार	5312	22547
14.	पटना	पटना/नालंदा	9772	76270
15.	रांची	रांची/गुमला/लह रदगा	763	39208
16.	सहरसा	सहरसा/सुपौल/माधेपुरा	458	7385
17.	ससाराम	रोहतास/भभुआ/पलामू/गढ़वा	1422	10964

राजनीति में सक्रिय फिल्मी सितारों के कार्यक्रम

5341. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चुनाव आयोग से राजनीति में सक्रिय तथा ऐसे अन्य मामलों में लिप्त फिल्मी सितारों से संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कुछ निर्देश मिले हैं ताकि उन्हें इसका राजनीतिक लाभ न मिल पाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) भारत के निर्वाचन आयोग ने व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि दूरदर्शन चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजनीति को अपनाने वाले सिनेमा कलाकारों की छवि का प्रक्षेपण करने वाली फिल्मों को प्रसारित नहीं करेगा।

पुराने हो चुके सरकारी विमान

5342. श्री इलियास आजमी :

श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :

श्री चमन लाल गुप्ता

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री वी. प्रदीप देव :

श्री पी. वी. राजेश्वर राव :

श्री कृष्ण लाल शर्मा :

श्री काशीराम राणा :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एअर लाइंस तथा एअर इंडिया के बेड़े में अधिकतर विमान पुराने पड़ चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो इतने पुराने विमानों को बेड़े में बनाए रखने के कारणों सहित 31 मार्च, 1997 तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन विमानों को बदलने का है;

(घ) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान में सरकार को क्या मुश्किलें पेश आ रही हैं;

(ङ) नए विमानों को कहां से खरीदा जाएगा तथा नवीनीकरण कार्यक्रम की अनुमानित लागत क्या होगी तथा नए विमानों को इंडियन एअर लाइंस व एअर इंडिया में कब तक शामिल कर लिए जाने की सम्भावना है;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान कितने विमान बदले गए हैं;

(छ) उपरोक्त अवधि में इन एअरलाइनों को कितना लाभ/घाटा हुआ;

(ज) घाटे को भविष्य में कम करने की योजनाएं क्या हैं; और

(झ) इन एयरलाइनों द्वारा अपने बेड़े में कितने विमान शामिल किए गए हैं तथा 1 अप्रैल, 1996 से 31 दिसंबर, 1996 तक कितने विमान अनुपयोगी पाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

(च) पिछले तीन वर्षों में एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने कोई विमान नहीं बदला।

(छ) एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को पिछले तीन वर्षों में हुए लाभ/हानि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	एअर इंडिया लाभ/हानि	इंडियन एयरलाइंस लाभ/हानि
94-95	40.80	(188.73)
95-96	(271.84)	(109.98)
96-97*	(280.00)	(24.00)

* अनंतिम

(ज) एअर इंडिया और इंडियन एयरलांइस अधिक यात्रियों को आकर्षित करने और राजस्व बढ़ाने के लिए अपने उत्पाद, छवि और समयबद्ध कार्यनिष्पादन में सुधार करने के कदम उठा रहे हैं।

(झ) अप्रैल से दिसम्बर, 1996 के दौरान एअर इंडिया के बेड़े में दो बी-747-400 विमान शामिल किए गए हैं जबकि इस अवधि में इंडियन एयरलाइंस के बेड़े में कोई विमान शामिल नहीं किया गया।

टी॰ वी॰ टावरों की सुरक्षा

5343. श्री बची सिंह रावत "बच्चदा" : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषरूप से पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित अथवा स्थापित किए जाने वाले टी॰ वी॰ टॉवरों के रख-रखाव के लिए सुरक्षा प्रबंध करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) उन सभी स्टूडियो, उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों तथा अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों जिनको सुरक्षा का भय होता है, के लिए सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। स्थापना की जगह का ध्यान किए बिना इस नीति को समग्र देश में एक समान रूप से अपनाया जाता है। राज्य सशस्त्र पुलिस द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा व्यवस्था, स्थापना वाले जिले की कानून तथा व्यवस्था की स्थिति पर निर्भर करते हुए, अलग-अलग होती है। अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर स्टाफ रहित है तथा इनको कोई सुरक्षा कवरेज प्रदान नहीं की गई है।

[अनुवाद]

मुम्बई/दिल्ली में हवाई यातायात सेवा का आधुनिकीकरण

5344. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :
श्री सुधीर गिरि :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1990 में "मुम्बई और दिल्ली (एम॰ ए॰ टी॰ एस॰ बी॰ डी॰) में हवाई यातायात सेवा का आधुनिकीकरण नामक परियोजना स्वीकृत की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह परियोजना अभी तक पूरी नहीं हो पाई है;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने नागर विमानन अधिकारियों से इस परियोजना संबंधी विलंब की जांच करने के लिए कहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या एअर मार्शल जे॰ के॰ सेठ की अध्यक्षता में गठित सुरक्षा समिति ने मुंबई की हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) मुकदमेबाजी के कारण प्रारम्भिक विलम्ब सिविल और वैद्युत कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण में विलम्ब होने, भावी विमान दिक्चालन प्रणाली को शामिल करने हेतु कार्य के विस्तार में परिवर्तन, टर्न की ठेकेदार द्वारा आपूरित कुछ घटकों के खराब होने, वर्ष 1994 में भारी मानसून आने के कारण रुकावट आदि की मुख्य वजह थीं।

(घ) और (ङ) नागर विमानन महानिदेशक ने भी परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब होने के यही कारण बताए हैं। संशोधित लागत अनुमानों के लिए आवश्यक अनुमोदन मिल चुका है। परियोजना की निगरानी सप्ताह में एक बार की जाती है। दिल्ली परियोजना मई, 1997 में पूरी हो जाएगी और मुम्बई परियोजना जून, 1997 के अंत तक।

(च) और (छ) जी, नहीं। तथापि, एयर मार्शल सेठ की अध्यक्षता वाली समिति ने नियंत्रण टॉवर तथा तकनीकी भवन की अवस्थिति के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं। इस समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु एक कार्य बल नियुक्त कर दिया गया है।

[हिन्दी]

दूरसंचार विभाग में उच्च श्रेणी लिपिक संवर्ग

5345. श्री महेश कुमार एम॰ कनोडिया : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान ढांचे में दूरसंचार विभाग में उच्च श्रेणी संवर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) क्या डाक विभाग में उच्च श्रेणी लिपिकों के संरक्षण के लिए कोई उपचारात्मक उपाए किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इसके कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा में शामिल सभी मंत्रालयों/विभागों के उच्च श्रेणी लिपिकों के संवर्गों पर नियंत्रण रखने वाला एक नोडल विभाग है। दूरसंचार और डाक विभाग सहित सभी मंत्रालयों/विभागों में उच्च श्रेणी लिपिकों के हित की देख-रेख उपर्युक्त नोडल विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार की जाती है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मध्य प्रदेश में दूरदर्शन/आकाशवाणी की प्रसारण सीमा

5346. डॉ॰ राम लखन सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के कुछ भागों में दूरदर्शन/आकाशवाणी का प्रसारण नहीं पहुंचता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा चालू वर्ष और नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ट्रांसमीटरों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का राज्य में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है और इस केन्द्र की स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) राज्य में अब तक कवर न किए गए क्षेत्रों को लक्ष्य बनाने के लिए सरकार सतत् प्रयासरत है। 8वीं योजना के दौरान गुना तथा सागर में नए रेडियो केन्द्र चालू किए गए थे तथा भोपाल, ग्वालियर और जोधपुर के ट्रांसमीटरों के स्थान पर नए उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित कर दिए गए हैं। इसके अलावा, मण्डला, सरायपल्ली और राजगढ़ में 1 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ ट्रांसमीटर तथा बहुउद्देश्यीय स्टूडियो सहित तीन स्थानीय रेडियो केन्द्र कार्यान्वयनाधीन हैं। दूरदर्शन की विस्तार योजनाओं के एक भाग के रूप में 6 अल्पशक्ति ट्रांसमीटर तथा 5 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन हैं। यद्यपि 9वीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है तथापि, क्षेत्र में कवरेज बढ़ाने के लिए समुचित उपाए किए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

कार्यान्वयनाधीन	प्रस्तावित (स्कीम मंजूर की जानी है)
1	2
अ॰ श॰ ट्रा॰	**ड॰ श॰ ट्रा॰**
गरोट	अम्बिकापुर
भानपुरा	गुना
सीतामऊ	शहडौल
पिपरिया	सागर
बड़ा मल्हेरा	
सारंगढ़	
अ॰ अ॰ श॰ ट्रा॰	**अ॰ श॰ ट्रा॰**
सिगरौली	खरोद
कोयलीबेड़ा	मुल्ताई
पांडरा रोड	पाताल गांव
मोडकपाल	
बीजापुर	

कार्यान्वयनाधीन सभी अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के 1997-98 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है बशर्ते आधारभूत सुविधाएं तथा परियोजना के परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु स्टाफ की मंजूरी उपलब्ध हो।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कीम को मंजूरी दिए जाने के बाद उच्च शक्ति ट्रांसमीटर के कार्यान्वयन में लगभग 3 से 4 वर्ष और अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के कार्यान्वयन में लगभग एक से दो वर्ष का समय लगता है जो संसाधन, आधारभूत सुविधाओं, स्टाफ की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर हैं।

[अनुवाद]

हासपेट और बेल्लारी होकर कोट्टूर-गुण्टाकल के बीच रेलगाड़ी चलाना

5347. श्री के॰ सी॰ कोंडय्या : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हासपेट और बेल्लारी होकर कोट्टूर-गुण्टाकल के बीच कोई सवारी गाड़ी चलाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रस्तावित गाड़ी चलाने की मांग लम्बे समय से हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस लाइन पर भारी यातायात को देखते हुए इस सेक्टर को शामिल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) तकनीकी कठिनाई के कारण।

(ग) और (घ) कोट्टूर और होसपेट के बीच यात्री सेवा चलाने के लिए कुछ मांगें प्राप्त हुई हैं।

(ङ) होसपेट-बेल्लारी-गुंतकल खण्ड पर यात्री सेवाएं पहले ही

उपलब्ध हैं। तथापि, विभिन्न तकनीकी कठिनाइयों के कारण निकट भविष्य में कोट्टूर-गुंडारोड-होसपेट खंड पर पेसेंजर गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं है।

आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर टर्मिनल बनाना

5348. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़-भाड़ को कम करने के लिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर एक टर्मिनल बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यह कार्य कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक प्रत्याशित यातायात को संभालने के लिए आनंद विहार में एक टर्मिनल की व्यवस्था किए जाने की योजना है।

(ख) भूमि अधिग्रहण पहले ही कर लिया गया है।

(ग) आगामी वर्षों में कार्य शुरू किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा निर्यात

5349. श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम अपने उत्पादों का निर्यात स्वयं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इसके द्वारा निर्यात किए गए उत्पादों और इसके मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) आयात-निर्यात की मौजूदा नीति के अनुसार नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एन॰ एम॰ डी॰ सी॰) लौह अयस्क के निर्यात हेतु माध्यमीकरण एजेन्सी एम॰ एम॰ टी॰ सी॰ लिमिटेड के माध्यम से लौह अयस्क का निर्यात करती है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान एम॰ एम॰ डी॰ सी॰ द्वारा किए गए लौह अयस्क के निर्यात की मात्रा और मूल्य निम्नलिखित हैं;

वर्ष	मात्रा (लाख टन)	विदेशी मुद्रा (करोड रुपए)
1993-94	64.91	392.30
1994-95	66.72	408.47
1995-96	64.11	402.79

(ग) एम॰ एम॰ टी॰ सी॰ द्वारा नए बाजार अभिज्ञात करना और उनका विकास करना, पुराने बाजारों का पुनरुद्धार और बेहतर इकाई मूल्यों को वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि निर्यात में वृद्धि हो सके।

[अनुवाद]

बंगलौर में ई॰ एम॰ एस॰

5350. श्री एस॰ डी॰ एन॰ आर॰ वाडियार : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर में ई॰ एम॰ एस॰ स्पीड पोस्ट स्वीकार करने वाले डाकघरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का बंगलौर शहर के सभी डाकघरों में ई॰ एम॰ एस॰ शुरू करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो बंगलौर में 1997-98 के दौरान ई॰ एम॰ एस॰ के अन्तर्गत कितने डाकघरों को शामिल करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) बेंगलूर में 56 डाकघरों में ई॰ एम॰ एस॰ स्पीड पोस्ट प्राप्त की जाती है।

(ख) और (ग) एक डाकघर को ई॰ एम॰ एस॰ स्पीड पोस्ट वस्तुएं प्राप्त करने का अधिकार उस क्षेत्र के संभाव्य परियात तथा प्रचालनपरक व्यवहार्यता को ध्यान में रखकर दिया जाता है। इस समय ई॰ एम॰ एस॰ स्पीड पोस्ट वस्तुओं की प्राप्ति हेतु बेंगलूर के सभी डाकघरों को कवर करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एलायंस एयरलाइन्स द्वारा इंडियन एयरलाइन्स के विमानों का उपयोग

5351. प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स के पुराने विमानों का एलायंस एयरलाइन्स द्वारा अपनी उड़ानों के लिए उपयोग किया गया/किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) एलायंस एयर, जो इंडियन एयरलाइन्स की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, 12 बोइंग 737 विमानों का प्रचालन कर रही है। इन विमानों का रख-रखाव विनिर्माता द्वारा निर्धारित कार्यविधि के अनुसार किया जाता है, जो नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित है। विमानों को नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र के अन्तर्गत ही प्रचालन कार्य में लगाया जाता है।

दरभंगा जिले में टेलीफोन लाइनें बिछाना

5352. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या बिहार के दरभंगा जिले में बहेड़ा से बहेड़ी तक टेलीफोन की लाईन बिछाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) बहेड़ा और बहेड़ी लगभग 25 कि॰ मी॰ की दूरी पर हैं। बहेड़ा बेनीपुर (एस डी सी सी) एक्सचेंज के स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत आता है और स्थानीय नेटवर्क पर मांग के अनुसार टेलीफोन प्रदान किए जा रहे हैं। बहेड़ी का दरभंगा एस डी सी सी (कम दूरी का प्रभारण केन्द्र) के अन्तर्गत एक 128 पोर्ट सी-डॉट एक्सचेंज है। इस प्रकार बहेड़ी और बहेड़ा के बीच केबल बिछाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

रेलवे जोन स्थापित करना

5353. प्रो॰ रासा सिंह रावत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय रेलवे जोनों और डिवीजनों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या देश में कुछ नए रेलवे जोन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन जोनों को स्थापित करने के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या हैं;

(ङ) इन जोनों/डिवीजनों को स्थापित करने का रेलवे के कार्यकरण पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(च) नए सृजित उत्तर-पश्चिम रेलवे जोन के मुख्यालय के रूप में अजमेर का चयन न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(छ) जयपुर में नए रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित करते समय भूमि, भवन और विकास शीर्षों पर कितना व्यय होने की संभावना है तथा इस प्रयोजन के लिए समग्र बजट प्रावधान कितना किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) इस समय भारतीय रेलों में 9 रेल जोन और 59 डिवीजन इस प्रकार हैं :—

विवरण

रेलवे	डिवीजनें
1	2
मध्य	भोपाल
	भुसावल
	मुंबई
	जबलपुर
	झांसी
	सोलापुर
	नागपुर
पूर्व	आसनसोल
	दानापुर
	धनबाद
	हवड़ा
	सियालदह
	मुगलसराय
	मालदा
उत्तर	इलाहाबाद
	अम्बाला
	बीकानेर
	दिल्ली
	फिरोजपुर
	जोधपुर
	लखनऊ
	मुरादाबाद
पूर्वोत्तर	इज्जतनगर
	लखनऊ
	समस्तीपुर
	सोनपुर
	वाराणसी
पूर्वोत्तर सीमा	अलीपुरद्वार
	कटिहार
	लमडिंग
	तिनसुकिया
दक्षिण	बेंगलूरू
	चेन्नई
	मदुरै
	मैसूर
	तिरुचिरापल्ली
	पालघाट
	त्रिवेन्द्रम्

1	2
दक्षिण मध्य	गुंटकल
	हुबली
	हैदराबाद
	सिकंदराबाद
	विजयबाड़ा
दक्षिण पूर्व	आद्रा
	बिलासपुर
	चक्रधरपुर
	खड़गपुर
	खुर्दा
	वाल्टेयर
	सम्बलपुर
	नागपुर
पश्चिम	अजमेर
	भावनगर
	मुंबई
	जयपुर
	कोटा
	रतलाम
	बड़ोदरा
	राजकोट

*नान्देड़ का निर्माण किया जा रहा है।

सरकार ने आगरा, अहमदाबाद, गुंटूर, पुणे, रायपुर, रांची, रंगिया और सिंगरौली में 8 नए डिवीजन स्थापित करने का विनिश्चय किया है।

(ख) और (ग) सरकार ने 6 नए रेलवे जोन स्थापित करने का विनिश्चय किया है, जो निम्नानुसार हैं :—

		मुख्यालय
1.	पूर्व-तटीय रेल	भुवनेश्वर
2.	उत्तर-मध्य रेल	इलाहाबाद
3.	पूर्व-मध्य रेल	हाजीपुर
4.	उत्तर-पश्चिम रेल	जयपुर
5.	दक्षिण-पश्चिम रेल	बेंगलूरू
6.	पश्चिम-मध्य रेल	जबलपुर

(घ) नए जोनों की स्थापना मितव्ययिता और कुशलता लाने के उद्देश्य से, आकार कार्यभार, सुगम्यता, यातायात पैटर्न तथा अन्य परिचालनिक/प्रशासनिक आवश्यकताओं आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखकर की जाती है।

(ङ) नए जोनों/डिवीजनों के सृजन से अत्यधिक कार्य वाले जोनों/डिवीजनों को राहत पहुंचने, सुगम्यता में सुधार होने और प्रशासन को कम्पेक्ट जोनों/डिवीजनों पर कारगर नियंत्रण रखने में सहायता मिलने की संभावना है जिससे वे बेहतर और ग्राहकों की संतुष्टि के अनुरूप सेवाएं मुहैया कराने में समर्थ होंगे।

(च) इस मुद्दे की जांच के लिए बोर्ड द्वारा गठित की गई सलाहकारों की समिति ने जयपुर में उत्तर-पश्चिम जोन के मुख्यालय के स्थान की सिफारिश की थी।

(छ) अनुमानित लागत के ब्यौरो की गणना की जा रही है, जबकि भूमि भवनों तथा अन्य विकास कार्यों, क्वार्टरों आदि के लिए पिंक-बुक में 41.66 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की व्यवस्था है। वर्ष 1997-98 के लिए 5.24 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

पदों का उन्नयन

5354. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में 1973 और 1980 में सहायक अधिकारियों के कुछ पदों को उच्च वेतनमान में बढ़ाया गया था;

(ख) क्या यह उन्नयन मुख्यत: स्थिर वर्ग "बी" को लाभ पहुंचाने हेतु किया गया था और क्या इस संबंध में मंत्रिमण्डल को वायदा किया गया था;

(ग) यदि हां, तो कितने पदों का उन्नयन किया गया;

(घ) कितने संवर्ग "बी" अधिकारियों को इन पदों पर नियमित किया गया;

(ङ) यदि नहीं, तो वर्ग "बी" अधिकारियों को नियमित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) वर्ग "बी" अधिकारियों को लाभ प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) 1973 और 1980 में सहायक अधिकारियों के क्रमश: 220 और 382 पदों को वरिष्ठ वेतनमान में अपग्रेड किया गया था। ये अपग्रेडेशन अन्य बातों के साथ-साथ समूह "ख" अधिकारियों को समूह "क"/कनिष्ठ वेतनमान में बड़े पैमाने पर सुगमता से शामिल करने के लिए किए गए थे।

(घ) और (ङ) वरिष्ठ वेतनमान के पदों के लिए केवल समूह "क" के अधिकारी ही नियमित पदोन्नति के लिए पात्र होते हैं। समूह "ख" अधिकारियों को पहले समूह "क" के कनिष्ठ वेतनमान में लगाया जाता

है, उसके बाद उन्हें वरिष्ठ वेतनमान के लिए पदोन्नत किया जाता है बशर्ते कि वे ऐसी पदोन्नति के लिए पात्रता शर्तों को पूरी करते हों।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

निकिल संयंत्र

5355. श्री अंचल दास : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकिल का आयात कर रही है;

(ख) क्या देश में निकिल अयस्क भंडारों का पता लगाने के लिए विभिन्न खनिज बेल्टों में कोई अध्ययन करवाया गया है;

(ग) क्या उड़ीसा के सुकिन्दा क्षेत्र में निकिल के भारी भंडार हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य में एक निकिल संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) देश में निकिल की मांग को पूरा करने के लिए देश को पूरी तरह इसके आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।

(ख) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उड़ीसा, बिहार, मणिपुर, नागालैंड, अंडमान, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर के अनेक संभावित क्षेत्रों और भूवैज्ञानिक भंडार की संभावनाओं वाले प्रायद्वीपीय भारत के अनेक अन्य स्थानों में निकिल के अन्वेषण का कार्य किया। सुकिन्दा निकिल फैरस अल्ट्रामेटिक कम्प्लेक्स उनमें से प्रमुख है।

(ग) जी, हां। निकिल लौह लेमोनाइटस ओवर बर्डन शैलों के अलावा निकिल लौह अयस्क उड़ीसा के क्रोमाइट क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में बहुधातु कम्प्लेक्स में निकिल अयस्क का सबसे बड़ा स्रोत उड़ीसा के सुकिन्दा क्षेत्र में है।

(घ) और (ङ) हिन्दुस्तान जिंक लि॰ ने एक प्रौद्योगिकी जांच संयंत्र स्थापित करने, जिस पर क्रोमाइट ओवर बर्डन से निकिल के निष्कर्षण के लिए 8 करोड़ रु॰ की लागत आने का अनुमान है, के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए व्यय की धनराशि

5356. श्री एल॰ रमना : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पर्यटन के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है और राज्यों में कितनी धनराशि वास्तविक रूप में खर्च की गई है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों में आरम्भ की गई कार्यरत पर्यटन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं में कितनी धनराशि का निवेश किया गया है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख) पर्यटन परियोजनाओं के लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों को स्वीकृत की गई और प्रदान की गई राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। जिन परियोजनाओं के लिए सहायता मुहैया की गई है उसमें शामिल हैं; पर्यटक परिसर, मार्गस्थ सुख-सुविधाएं, पर्यटक स्वागत केन्द्र, यात्री निवास, स्मारकों का सौन्दर्यीकरण, साहसिक पर्यटन परियोजनाएं, मेले और त्यौहार और राज्य सरकारों को प्रचार सहायता।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई और उनमुक्त की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता

राज्य	1994-95		1995-96		1996-97	
	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	174.64	73.23	13.46	9.00	125.50	20.37
असम	52.99	27.00	70.24	23.30	153.46	29.82
अरुणाचल प्रदेश	—	—	52.26	3.00	3.00	1.50
बिहार	112.12	45.00	115.84	53.53	41.00	6.50
गोवा	161.32	99.72	221.55	104.45	94.56	47.53

1	2	3	4	5	6	7
गुजरात	21.19	11.00	7.98	6.96	82.21	33.12
हरियाणा	188.96	65.98	126.91	91.29	121.38	31.75
हिमाचल प्रदेश	456.85	140.91	485.91	238.75	200.93	54.64
जम्मू और कश्मीर	215.98	108.55	150.30	51.60	88.47	11.75
कर्नाटक	229.96	104.50	229.36	89.55	356.89	124.28
केरल	307.05	146.00	209.94	83.95	235.59	103.00
मध्य प्रदेश	9.32	5.00	—	—	—	—
महाराष्ट्र	273.46	103.92	83.64	23.90	187.69	82.50
मणिपुर	4.00	2.00	75.81	24.20	51.90	22.00
मेघालय	—	—	4.08	2.04	88.81	32.50
मिज़ोरम	111.80	47.19	100.86	41.27	107.18	32.44
नागालैण्ड	36.43	24.85	51.60	18.94	100.62	30.00
उड़ीसा	166.31	34.62	108.86	54.00	235.72	78.48
पंजाब	136.71	56.14	139.49	24.50	29.67	11.25
राजस्थान	638.40	560.49	230.75	109.95	69.71	19.00
सिक्किम	49.07	12.63	29.61	16.18	63.10	9.55
तमिलनाडु	184.79	75.35	250.99	72.72	190.70	102.10
त्रिपुरा	46.61	22.40	26.19	15.50	102.85	34.10
उत्तर प्रदेश	223.80	144.30	31.10	25.55	237.78	87.95
पश्चिम बंगाल	144.01	55.49	191.10	87.20	39.00	12.50
अंडमान और निकोबार	—	—	45.00	20.00	2.00	1.00
चण्डीगढ़	64.66	19.50	17.20	10.86	7.50	5.00
दादरा और नागर हवेली	23.62	12.00	—	—	84.66	27.23
दिल्ली	86.50	61.25	28.23	17.77	7.25	2.45
दमन और दीव	42.31	30.45	48.21	10.94	15.00	6.00
लक्षद्वीप	19.95	17.50	24.65	—	123.81	31.00
पांडिचेरी	—	—	28.12	13.10	2.00	1.00
जोड़	4082.81	2105.97	3198.36	1480.00	3249.94	1092.31

इंडियन एअर लाइन्स में दुर्घटना दर

5357. श्री माधव राव सिंधिया : क्या नागर विमानन मंत्री 5 दिसम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1989 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एअरलाइन्स में दुर्घटना दर क्या है;

(ख) सरकार के पास उपलब्ध प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय एअर लाइनों तथा विदेशी और विदेशी-स्वदेशी एअर लाइनों के तुलनात्मक आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इंडियन एअरलाइन्स में ऊंची दुर्घटना दर के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) गत पांच वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स द्वारा भरी गई प्रति 100 मिलियन यात्री कि. मी. उड़ान पर मृत्यु दर निम्न प्रकार है :—

1992	0.013
1993	0.82
1994	0.14
1995	शून्य
1996	शून्य

(ख) वर्ष 1992-96 के दौरान विश्वव्यापी अनुसूचित एयरलाइनों के प्रचालनों तथा इंडियन एयरलाइन्स के प्रचालनों के संबंध में घातक दुर्घटना दर के तुलनीय आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	कुल दुर्घटनाएं	
	विश्वव्यापी	इंडियन एयरलाइन्स (यू एस एस आर के अलावा)
1992	25	1
1993	31	1
1994	24	1
1995	22	शून्य
1996	उपलब्ध नहीं	शून्य

(ग) इंडियन एयरलाइन्स की दुर्घटना दर विश्व औसत की अपेक्षा किंचित मात्र उच्च थी क्योंकि इंडियन एयरलाइन्स द्वारा की जा रही उड़ानें विश्व विमान कंपनियों द्वारा की जा रही संचयी उड़ानों की तुलना में काफी कम है। परिणामस्वरूप मात्र एक ही दुर्घटना से दुर्घटना दर एकाएक बढ़ जाएगी।

[हिन्दी]

ग्राम पंचायत को टेलीफोन

5358. श्री राधा मोहन सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक ग्राम सभा/ग्राम पंचायत के लिए टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का काम कब तक पूरा हो जाएगा;

(ख) बिहार में इस प्रणाली के अन्तर्गत अब तक कुल कितनी ग्राम पंचायतों को यह सुविधा दे दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो बिहार में सभी ग्राम सभाओं को यह सुविधा कब तक प्रदान कर दी जाएगी;

(घ) क्या इसके लिए ग्राम सभाओं में पी. सी. ओ. स्थापित करने के लिए संबंधित क्षेत्र के संसद सदस्य/ग्राम प्रधान की सिफारिश आवश्यक है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) नौवीं योजना के अंत तक सभी ग्राम सभाओं/ग्राम पंचायतों को टेलीफोन प्रदान कर दिए जाएंगे।

(ख) बिहार में कुल 9083 ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है।

(ग) नौवीं योजना के अंत तक बिहार में सभी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।

(घ) और (ङ) हाल ही में ये मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं कि ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन के स्थान के लिए माननीय सांसदों से परामर्श किया जाना चाहिए, बशर्ते कि यह स्थान इस विषय में विभाग द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप हो तथा यदि स्थान अनुकूल न हो, तो माननीय सांसद महोदय को तदनुसार सूचित कर दिया जाए।

[अनुवाद]

यात्रा संचालकों द्वारा आरक्षण

5359. डॉ. एम. जगन्नाथ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापटनम, विजयवाडा और हैदराबाद में यात्रा संचालक अधिक दाम लेकर यात्रा की तिथि से बहुत कम समय रहने पर भी रेल के आरक्षण करा लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो सामान्य यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिन्हें आरक्षण कराने में एक घंटे से ज्यादा समय लगता है जबकि एजेण्ट एक साथ 10 से 15 आवेदनों पर आरक्षण कराते हैं और ज्यादा समय लेते हैं; और

(ग) एजेण्टों के लिए अलग आरक्षण खिड़की खोलने और आन्ध्र प्रदेश में रेलवे स्टेशनों पर रेलवे टिकटों की काला बाजारी को रोकने के लिए क्या उपाए किए गए हैं या किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) कोई विशिष्ट मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ख) मौजूदा नियमों के अनुसार आरक्षण काउंटर पर एक व्यक्ति से केवल एक आवेदन फार्म स्वीकार किया जाता है।

(ग) एजेंटों के लिए अलग काउंटर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आरक्षण में कदाचार की जांच के संबंध में रेलें स्टेशन पर आरक्षण/बुकिंग कार्यालयों तथा गाड़ियों में बार-बार जांच करती हैं। अनाधिकृत एजेंटों के परिसरों पर समय-समय पर छापे भी मारे जाते हैं। कदाचार में लिप्त पाए गए दलालों पर रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 143 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाता है। यदि ऐसी गतिविधियों में अधिकृत एजेंट लिप्त पाए जाते हैं तो उनके लाइसेंस समाप्त कर दिए जाते हैं। उन रेल कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाई की जाती है जो ऐसी गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं।

पूर्व सरकार द्वारा किए गए सौदों की पुनः जांच करना

5360. श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटिल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने की गई अनियमितताओं की जांच करने हेतु पूर्व सरकार के शासन के दौरान अंतिम रूप दिए गए विभिन्न सौदों की जांच करने के लिए दूरसंचार विभाग को निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा दें;

(ग) जांच की सौदा-वार प्रगति तथा स्थिति क्या है;

(घ) सूचित की गई अनियमितताओं में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/प्रस्तावित है; और

(ङ) सौदों को अंतिम रूप देने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(I) निविदाएं आमंत्रित करते समय प्रमुख समाचारपत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है।

(II) निविदाएं, विक्रेताओं की उपस्थिति में खोली जाती हैं।

(III) निविदाओं का मूल्यांकन करते समय निविदा शर्तों का सावधानी से पालन किया जाता है।

(IV) विधिवत रूप से गठित निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा निविदाओं का मूल्यांकन किया जाता है।

राजस्थान में दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र

5361. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में अब तक कितने और कहां-कहां पर आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) आकाशवाणी नेटवर्क की पहुंच आज की तिथि के अनुसार कितनी प्रतिशत जनसंख्या तक है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में मौजूदा आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों का उन्नयन करके तथा नए केन्द्रों को स्थापित करके दूरदर्शन और आकाशवाणी नेटवर्क के विस्तार का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) वर्तमान में जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, सूरतगढ़, कोटा, अलवर नागौर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, सवाई माधोपुर, चुरू, झालावाड़ तथा जैसलमेर में स्थित 16 रेडियो केंद्र राजस्थान राज्य में कार्यरत हैं।

(ख) रेडियो संकेतों द्वारा राजस्थान राज्य की लगभग 98.5% जनसंख्या कवर होती है;

(ग) जी, हां।

(घ) संलग्न विवरण के अनुसार।

विवरण

दूरदर्शन	आकाशवाणी
कार्यक्रम निर्माण केन्द्र, उदयपुर	माउण्ट आबू
उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, बाड़मेर (स्थायी)	जोधपुर
जोधपुर	जयपुर
अल्प शक्ति ट्रांसमीटर हिण्डौन	
मकराना	
तिबी	
अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर लालसोट	
लक्ष्मणगढ़	

इस्पात परियोजनाओं की स्थापना

5362. श्री के. परसुरामन : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में 8 नई इस्पात परियोजनाओं द्वारा उत्पादन शुरू करने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में और अधिक इस्पात परियोजनाएं स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों से प्राप्त सूचना के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों के चालू हो जाने की संभावना है :

क्र. सं.	इकाई का नाम और स्थिति	क्षमता (लाख टन प्रतिवर्ष)	चालू होने की संभावित तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	राजेन्द्र स्टील लिमिटेड, रायपुर मध्य प्रदेश	3.0	जुलाई 1997	आंशिक क्षमता चालू हो गई है।
2.	नोवा स्टील (आई) लिमिटेड बिलासपुर, मध्य प्रदेश	2.0	1997 के मध्य में	—

1	2	3	4	5
3.	मालिका स्टील लि., जगदीशपुर उत्तर प्रदेश	6.0	दिसम्बर, 1997	आंशिक क्षमता चालू हो गई है।
4.	जिन्दल विजयनगर स्टील लि., बेलारी, कर्नाटक	15.70	जनवरी, 1997/ दिसम्बर, 1997/ मई, 1998 सितम्बर, 1998	संयंत्र को चरणबद्ध रूप से स्थापित किया जा रहा है।
5.	साउथर्न आयरन एण्ड स्टील कं. लिमिटेड, सेलम, तमिलनाडु	2.20	मार्च, 1998	आंशिक क्षमता चालू हो गई है।
6.	इस्पात इंडस्ट्रीज लि., रायगढ़, महाराष्ट्र	30.0	जुलाई, 1997/ जुलाई, 1998	संयंत्र को चरणबद्ध रूप में स्थापित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति अनुसार लोहा और इस्पात उद्योग को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से हटा दिया गया है और स्थान संबंधी कतिपय प्रतिबंधों को छोड़कर इसे अनिवार्य लाइसेंसिंग से भी छूट दे दी गई है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के नाम से एक नया इस्पात संयंत्र एम. एम. टी. सी. लिमिटेड जो केन्द्रीय सरकार का उपक्रम है, आई. पी. आई. सी. ओ. एल. जो उड़ीसा सरकार का उपक्रम और मेकन जो केन्द्रीय सरकार का उपक्रम है द्वारा स्थापित किया जा रहा है और इसके अक्टूबर, 1999 में चालू हो जाने की संभावना है। देश में नए/ग्रीनफील्ड इस्पात संयंत्रों की स्थापना हेतु फिलहाल कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास नहीं है।

ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियां चलाया जाना

5363. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न दिशाओं से केरल राज्य के लिए ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियां चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) इस ग्रीष्म काल के दौरान चेन्नई और कोल्लम के बीच एक दैनिक विशेष गाड़ी तथा हैदराबाद और कोचीन के बीच सप्ताह में दो दिन विशेष गाड़ियां चल रही हैं।

महाराष्ट्र में नए डाक घर

5364. श्री दत्ता मेघे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र से डाकघर/शाखा डाकघर खोलने के लिए कितने प्रस्ताव/सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) महाराष्ट्र में ऐसे कौन-कौन से स्थान हैं, जहां पर सरकार का विचार वर्ष 1997-98 के दौरान नए डाकघर/शाखा डाकघर खोलने का है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) विभागीय उप डाकघर और अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के लिए महाराष्ट्र से प्राप्त प्रस्तावों/सिफारिशों की संख्या 18 है।

(ख) महाराष्ट्र में वार्षिक योजना 1997-98 के दौरान 3 विभागीय उप डाकघर और 35 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि मानदंड आधारित औचित्य बनता हो और संसाधन उपलब्ध हों।

आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में कोटे में कमी किया जाना

5365. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में नागपुर के लिए 3 टियर के आरक्षण कोटे में कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में नागपुर के आरक्षण कोटे को कायम रखने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) नागपुर आरक्षण कार्यालय में सिकंदराबाद टर्मिनल की व्यवस्था के कारण "पहले आओ पहले पाओ" आधार पर सभी कोटों में नागपुर आरक्षण कार्यालय को सीधे जोड़ने के उद्देश्य से नागपुर स्टेशन पर 2723 आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस की सभी श्रेणियों में उपलब्ध आरक्षण कोटे को सिकंदराबाद या आन्ध्र प्रदेश पर उपलब्ध सामान्य कोटे में मिला दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय भाषा की फिल्में

5366. डॉ॰ अरूण कुमार शर्मा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन राष्ट्रीय नेटवर्क में क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों के प्रसारण के लिए कोई मानदण्ड है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार पुरस्कार प्राप्त फिल्मों के प्रसारण का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान दिल्ली दूरदर्शन नेटवर्क पर असमिया फिल्मों के प्रसारण का ब्यौरा क्या है और प्रसारण के लिए निर्णय लिए जाने हेतु दूरदर्शन की प्रमुख लम्बित फिल्मों की अवधि सहित संख्या क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां। दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर क्षेत्रीय भाषा फिल्मों के प्रसारण हेतु पात्रता मानदण्ड संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। फिल्मों को अकारादि क्रम से, भाषा-वार बारी-बारी से प्रसारित किया जाता है। जिन फिल्मों को हाल ही में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उनको प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान दूरदर्शन ने राष्ट्रीय नेटवर्क पर 20 असमियां फीचर फिल्में प्रसारित की हैं तथा उनके वर्षवार ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

वर्तमान में दूरदर्शन के पास असमियां फीचर फिल्मों के तीन प्रस्ताव लम्बित हैं तथा इन फिल्मों को क्रमश: प्रायोगिक आधार पर 18.5.97, 27.7.97 तथा 5.10.97 को प्रसारित करने के लिए निश्चित किया गया है। दूरदर्शन में ये सभी प्रस्ताव वर्ष 1996 में प्राप्त हुए थे।

विवरण-I

वे फीचर फिल्में जो किसी भी निम्नलिखित मानदण्ड को पूरा करती हैं अथवा जिनको निम्नलिखित राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, के बारे में ही दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारण हेतु विचार किया जाएगा;

(1) वर्ष की श्रेष्ठ अथवा दूसरी श्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार (सभी भाषाओं में एक साथ)।

(2) निदेशक की प्रथम श्रेष्ठ फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार।

(3) लोकप्रिय तथा समग्र मनोरंजन प्रदान करने वाली श्रेष्ठ फिल्मों के लिए पुरस्कार।

(4) राष्ट्रीय एकता पर श्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नर्गिस दत्त पुरस्कार।

(5) परिवार कल्याण पर श्रेष्ठ फिल्म।

(6) मद्य-निषेध, महिला और बाल कल्याण, दहेज-विरोधी, नशीली दवाइयों की बुराई आदि जैसी अन्य सामाजिक समस्याओं पर श्रेष्ठ फिल्म।

(7) भारतीय भाषा/बोली में श्रेष्ठ फीचर फिल्म हेतु "रजत कमल" का राष्ट्रपति पुरस्कार।

(8) वे फिल्में जिन्होंने राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में "उत्कृष्टता प्रमाणपत्र" प्राप्त किया हो।

(9) भारत के किसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह/फिल्मोत्सव के भारतीय पेनोरमा तथा मुख्यधारा खण्डों में प्रवेश।

(10) श्रेष्ठ फीचर फिल्म हेतु राज्य सरकार पुरस्कार।

(11) श्रेष्ठ निर्देशन हेतु राज्य सरकार पुरस्कार।

(12) वे फिल्में जिन्होंने कोई दो राज्य सरकार पुरस्कार प्राप्त किए हों (उपर्युक्त के अलावा)।

(13) वे फिल्में जिन्होंने रजत जयन्ती (25 सप्ताहों हेतु लगातार चलना) मनाई हो तथा जिनको "यू" प्रमाणपत्र प्राप्त हो।

(14) वे फिल्में जिन्होंने विदेश में आयोजित किसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कोई पुरस्कार प्राप्त किया हो।

विवरण-II

जनवरी, 1992 से 31 दिसम्बर, 1996 की अवधि के दौरान दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों के ब्यौरे

फिल्मों की भाषा	प्रसारित फिल्मों की संख्या				
	1992	1993	1994	1995	1996
असमिया	05	04	04	03	04
बंगला	25	08	08	05	.04
गुजराती	04	04	04	03	05
कन्नड़	06	05	05	04	04
कोंकणी	शून्य	01	शून्य	01	शून्य
मलयालम	08	05	03	04	05
मणिपुरी	04	02	01	01	02
मराठी	05	05	03	04	03
नेपाली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उड़िया	05	06	04	04	02
पंजाबी	05	06	01	02	01
तमिल	07	06	06	03	05
तेलुगु	07	03	05	06	02

पत्रों का खोला जाना

5367. श्री मोहन रावले : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 और 21 मार्च, 1997

के "इंडियन एक्सप्रेस" में क्रमशः "बिग ब्रदर आई॰ बी॰ इज़ रिडींग योर फोरन मेल एवरी डे" और "आई बीज़ पोस्टल पुलिस वायलेट एवरी रूल इन द बुक" शीर्षक से छपी खबरों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस मामले को गृह मंत्रालय के साथ उठाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ङ) जी, हां। आवश्यकता के आधार पर डाक के अवरोधन से संबंधित आपरेशन डाक अनुसंधान केन्द्रों (पीआरसी) द्वारा डाक की अनियमितताओं का पता लगाने के लिए आयोजित किए जाते हैं। इन केन्द्रों की स्थापना पहले-पहल डीजीपी एंड टी के शिकायत संगठन के विशेष सेल के रूप में संचार मंत्री और गृह मंत्री की सहमति से कुछ चुनिंदा स्थानों पर 1954-55 में की गई थी। ये पी आर सी आपरेशन कुछ चुनिंदा केन्द्रों में डाक की कुछ निश्चित श्रेणियों तक ही सीमित हैं। डाक का अवरोधन भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 के प्रावधानों के अंतर्गत मुख्यतः जनसुरक्षा और शांति के हित में किया जाता है।

1992 से 1996 की अवधि के लिए पी आर सी आपरेशनों की समीक्षा 58 लाख रू॰ की विदेशी मुद्रा तथा 6,64,500 रू॰ की भारतीय मुद्रा की बरामदगी, अश्लील/राजद्रोही सामग्री के जब्त होने के 13058 मामलों तथा स्वापकों की बरामदगी के अनेक मामलों को दर्शाती है।

इंडियन एयरलाइंस को हानि

5368. श्री वी॰ प्रदीप देव : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1997 तक गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स की सेवाओं को छोड़ने वाले पायलटों की क्या संख्या है तथा कितने व्यक्तियों ने पुनः कार्यभार संभाल लिया है; और

(ख) क्या इंडियन एयरलाइन्स में पायलटों की अभी भी कमी बनी हुई है तथा यदि हां, तो इस अंतर को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 31 जनवरी, 1997 तक 58 विमानचालकों ने इंडियन एयरलाइन्स की सेवाएं छोड़ दीं। इनमें से 13 विमानचालक उक्त एयरलाइन की सेवा में लौट चुके हैं।

(ख) जी, नहीं।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज का आधुनिकीकरण/विस्तार

5369. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आई टी आई) का आधुनिकीकरण तथा विस्तार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि का निवेश किए जाने का प्रस्ताव है और यह धनराशि किस स्रोत से प्राप्त की जाएगी; और

(ग) इससे उक्त कंपनी की कितनी क्षमता बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) मैसर्स आई टी आई लि॰ ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, आधुनिकीकरण करने, नये उत्पादों का अधिष्ठापन और कुछ विस्तार कार्य का प्रस्ताव किया है।

(ख) प्रस्तावित निवेश अनुमानतः 325 करोड़ रू॰ है। कम्पनी ने बजटीय सहायता के लिए अनुरोध किया है। जिसकी अन्य सम्बन्धित विभागों से सलाह लेकर जांच की जाएगी।

(ग) कम्पनी का सी-डॉट स्विचन उपस्कर की क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव है। मांग को ध्यान में रखते हुए, कम्पनी का नए उत्पादों के लिए क्षमताएं बढ़ाने का भी प्रस्ताव हैं, जैसे नए टर्मिनल उपस्कर, अभिगम्यता (एक्सेस) उत्पाद, माइक्रोवेव में नए उत्पाद इत्यादि।

अभ्रक की खानें

5370. आर॰ एल॰ पी॰ वर्मा : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान अभ्रक उद्योग में अनुसंधान एवं उत्खनन के लिए कितनी राशि आबंटित की गई;

(ख) क्या उक्त योजना के अंतिम तीन वर्षों के दौरान आबंटित राशि का समुचित उपयोग नहीं किया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दिसम्बर, 1996 तक इसके अनुसंधान और उत्खनन पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अभ्रक उद्योगों के विकास के लिए किए गए अनुसंधान और उत्खनन कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) : (क) से (घ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने फील्ड सत्र 1994-95 और 1995-96 (आठवीं योजना अवधि में ही) के दौरान आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले की पेनार नदी के उत्तर में नेल्लौर शिस्ट क्षेत्र में अभ्रक पेग्माटाइट और संबद्ध अभ्रक और रेअर अर्थ (खनिजों के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण किए और कुल 68,216/- रुपए (अधिकारियों के वेतन और भत्तों को छोड़कर) खर्च किए गए।

अभ्रक और अन्य संबद्ध खनिजों की कोई नई महत्वपूर्ण उपलब्धि न होने के कारण अन्वेषण कार्य रोक दिया गया है।

[हिन्दी]

गुजरात में कोच फैक्टरी स्थापित करना

5371. श्री एन॰ जे॰ राठवा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात, विशेष रूप से छोटा उदयपुर के जनजातीय क्षेत्र में रेल कोच फैक्टरी स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय रेल में दो कोच निर्माण इकाइयां हैं—एक चेन्नई में और एक कपूरथला में। प्रत्येक कारखाने प्रतिवर्ष लगभग 1000 सवारी डिब्बों का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र में दो कारखाने हैं जो सवारी डिब्बों के निर्माण की क्षमता रखते हैं।

देश में उपलब्ध सवारी डिब्बों के निर्माण की क्षमता को देखते हुए, दूसरी सवारी डिब्बा निर्माण इकाई स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश में रेलवे फाटक

5372. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में उन रेलवे फाटकों को बंद करने का है जिन पर कोई चौकीदार तैनात नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने रेल फाटकों को बंद किए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) 105 क्रासिंग।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर क्षेत्र से जवानों द्वारा यात्रा करना

5373. श्री चमन लाल गुप्त :

श्री भक्त चरण दास :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर क्षेत्र से रेलगाड़ियों में भारी संख्या में सशस्त्र बलों, अर्द्धसैनिक बलों के कर्मी यात्रा करते हैं;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इनको क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं;

(ग) क्या आरक्षण सुविधाओं के अभाव में इन जवानों को 2-3 दिनों तक लगातार अनारक्षित डिब्बों में यात्रा करनी पड़ती है;

(घ) यदि हां, तो उन जवानों के लिए जम्मू और कश्मीर में कितने स्थानों पर आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन जवानों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए श्रीनगर, उधमपुर और राजौरी में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण काउन्टर उपलब्ध कराने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या सरकार का विचार सुरक्षा कर्मियों को आने-जाने की सुविधाएं देने के लिए सप्ताह में कम से कम दो बार सेना स्पेशल रेलगाड़ी आरम्भ करने का है; और

(झ) यदि हां, तो उक्त रेलगाड़ी के कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) जब कभी यूनिट का संचलन ड्यूटी पर होता है, रेलवे मिलिट्री और पैरा-मिलिट्री बलों की मांग के अनुसार जम्मू से गाड़ियां चलाती है। इसके अलावा, मिलिट्री कार्मिकों के लिए विभिन्न गाड़ियों में पृथक आरक्षण कोटा भी मुहैया कराया गया है और मिलिट्री कार्मिकों के लिए जम्मू तवी स्टेशन से छूटने वाली सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में कम से कम एक दूसरे दर्जे का साधारण सवारी डिब्बा भी लगा होता है। इसके अलावा, छुट्टी पर जाने वाले मिलिट्री के कार्मिकों के लिए जम्मू से दिल्ली तक के लिए एक मासिक विशेष गाड़ी चलाई जानी है। महत्वपूर्ण गाड़ियों में के॰ रि॰ पु॰ ब॰/सी॰ सु॰ ब॰ के कार्मिकों के लिए भी साधारण सवारी डिब्बे में कुछ स्थान निर्धारित किया गया है।

(ग) मिलिट्री के कार्मिक आरक्षित श्रेणी और उनके लिए निर्धारित अनारक्षित डिब्बे में यात्रा करते हैं।

(घ) से (छ) प्रतिरक्षा कार्मिकों के लिए एम॰ सी॰ ओ॰, जम्मू के पास विशिष्ट आरक्षण कोटा उपलब्ध है। मिलिट्री के कार्मिकों की अतिरिक्त मांग और आरक्षित स्थान के लिए अर्ध सैनिक बलों की मांग कंप्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालयों से "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर प्राप्त की जा सकती है।

जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं जहां से जवान आरक्षण करा सकते हैं। जम्मू आरक्षण कार्यालय को दिल्ली प्रणाली सहित मुंबई, कलकत्ता और मद्रास की प्रणालियों से संपर्क प्रदान किया गया है। डाक विभाग के साथ जो श्रीनगर के कम्प्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय के परिचालन हेतु उत्तरदायी है, सुरक्षाबलों से यात्रा वाउचर स्वीकार करने के लिए विचार-विमर्श किया जा रहा है। पर्याप्त अवसंरचना और कर्मचारियों की कमी के कारण, उधमपुर और रजौरी में इन सुविधाओं की व्यवस्था पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है।

(ज) जी, नहीं।

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में डाकघर

5374. श्रीमती पूर्णिमा वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1997-98 के दौरान खोले जाने वाले डाक घरों की जिलावार संख्या क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश में खोले जाने वाले कुछ डाकघरों में से मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र में कितने डाकघर खोले जाने का विचार है; और

(ग) प्रस्तावित स्थानों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) वार्षिक योजना, 1997-98 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में 6 विभागीय उप डाकघर और 70 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। लक्ष्यों का आबंटन डाक सर्किलवार किया जाता है न कि जिलावार। डाकघर मानदंड आधारित औचित्य होने तथा लक्ष्य और संसाधन उपलब्ध होने पर खोले जाते हैं। डाकघर की मांग होने अथवा दैनिक कार्यों के दौरान इसकी आवश्यकता महसूस होने पर प्रस्ताव तैयार किया जाता है। इसके पश्चात प्रस्ताव की जांच की जाती है और जब जनसंख्या, दूरी तथा आय संबंधी विभागीय मानदण्डों के आधार पर इसका औचित्य पाया जाता है केवल तभी डाकघर मंजूर किया जाता है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।

[अनुवाद]

कर्नाटक में टेलीफोन कनैक्शन

5375. श्री बी. एल. शंकर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में गत छः महीनों के दौरान कितने टेलीफोन कनेक्शन जारी किए गए हैं;

(ख) कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त अवधि के दौरान जिला-वार कितने टेलीफोन कनेक्शन काट दिए गए हैं;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार कर्नाटक में विशेषकर चिकमंगलूर जिले में टावर टाइप टेलीफोन कनेक्शन जारी/स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) कर्नाटक में अक्टूबर, 1996 से मार्च, 1997 तक की अवधि के दौरान प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या नीचे दी गई है :—

माह	प्रदान किए गए कनेक्शनों की संख्या
अक्टूबर, 96	5871
नवमबर, 96	9984
दिसम्बर, 96	2234
जनवरी, 97	19478
फरवरी, 97	27959
मार्च, 1997	71598

(ख) और (ग) इस संबंध में सूचना क्षेत्रीय इकाइयों से एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) जी, हां।

(ङ) 1997-98 में कर्नाटक दूरसंचार सर्किल के लिए प्रस्तावित लगभग 3000 कनेक्शनों में से चिकमंगलूर में लगभग 200 टावर टाइप टेलीफोन कनेक्शन (मल्टी एक्सेस रेडियो रिले प्रणाली) प्रदान करने का प्रस्ताव है।

चिकमंगलूर में टेलीफोन की प्रतीक्षा सूची

5376. श्री बी. एल. शंकर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक में चिकमगलूर क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में टेलीफोन कनैक्शन की प्रतीक्षा कर रहे आवेदकों की संख्या हजारों में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी एक्सचेंज-वार ब्यौरा क्या-क्या है; और

(ग) प्रतीक्षारत आवेदकों को शीघ्र कनैक्शन देने और टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) चिकमंगलूर दूरसंचार जिले में 102 एक्सचेंज हैं तथा प्रतीक्षा सूची 5046 है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) संपूर्ण प्रतीक्षा सूची को मार्च, 98 तक निपटा दिए जाने की संभावना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

विवरण

चिकमंगलूर—31.3.97 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची।

क्र. सं.	एक्सचेंज का नाम	एक्सचेंज की किस्म	प्रतीक्षा सूची
1	2	3	4
1.	अडडागडे	सी-डॉट	50
2.	अज्जमपुरा	सी-डॉट	41
3.	अल्डर	इ सी ए एवं सी-डॉट	190

1	2	3	4
4.	अमस्लकापुर	एमआईएलटी	50
5.	अनर	सी-डॉट	61
6.	अंथेरागटटा	एमआईएलटी	क्यू 3
7.	अरारिंगागुप्पे	एमआईएलटी सी-डॉट	71
8.	अलीगुंडी	एमआईएलटी	19
9.	अवधी	एमआईएलटी सी-डॉट	35
10.	बलाहोले	सी-डॉट	40
11.	बले होन्नूर	एनईएएक्स	28
12.	बनाकाल	सी-डॉट	114
13.	बंअीगाडी	सी-डॉट	34
14.	बरैकाटटे	सी-डॉट	81
15.	बेगर	एमआईएलटी	29
16.	बेंटटगेरे	सी-डॉट	17
17.	बिदारे	सी डॉट	16
18.	निरुर	सी-डॉट	12
19.	बुक्कमबडी	सी-डॉट एमआईएलटी	23
20.	चिकमंगलूर	एक्स बार सी-डॉट	600
21.	चोलहिरीयार	एमआईएलटी	9
22.	दरहाहल्ली	एमआईएलटी	38
23.	दरेकोप्पा	एमआईएलटी	66
24.	देवानूर	एमआईएलटी	11
25.	गडीनेश्वरा	एमआईएलटी	20
26.	गोनीबेड	सी-डॉट	83
27.	गडशाल्ली	सी-डॉट	29
28.	गुबगल	सी-डॉट	38
29.	गुल्लानपेर	सी-डॉट	51
30.	गुटटी	एमआईएलटी	11
31.	हेथूर	सी-डॉट	26
32.	हारिहरापुरा	सी-डॉट एमआईएलटी	120
33.	हेरुर	एम आईएल टी	49
34.	हीराबाइल	सी-डॉट	29
35.	हीराखड़िगे	सी-डॉट	43
36.	हीरानल्लूर	सी-डॉट	9
37.	हूवीनाहखी	एमआईएलटी	15
38.	हुरानाडू	एमआईएलटी	8

1	2	3	4
39.	हुनेरेगटटा	एमआईएलटी	19
40.	जवाली	सी-डॉट	48
41.	जयापुरा	सी-डॉट	89
42.	जोलदल	सी-डॉट	47
43.	के॰ बी हाल	सी-डॉट	45
44.	कमिनाहल्लि	सी-डॉट	49
45.	कचिगे	सी-डॉट	63
46.	कदना	सी-डॉट एसबीएम	19
47.	कालड़ा	इ सी ए एक्स	143
48.	कलसापुरा	एम आई एल टी एमआईएलटी	45
49.	कम्मारड़ी	सी डॉट	133
50.	कनाठी	एमआईएलटी	36
51.	कलिगना	सी-डॉट	73
52.	केम्मनगुडी	एमआईएलटी	10
53.	केरुवोरामणि	एमआईएलटी	5
54.	किग्गा	सी-डॉट	41
55.	कोप्पा	सी-डॉट एसवीएम	202
56.	कोरणाहल्लि	एमआईएलटी	8
57.	कुधूर	एमआईएलटी	12
58.	कुदरीगुंडी	सी-डॉट	61
59.	कुंदूर	एमआईएलटी	17
60.	ककानाडू	एमआईएलटी	24
61.	लक्कावाल्लि	सी-डॉट एमआईएलटी	10
62.	लाक्या	एमआईएलटी एमआइएलटी	20
63.	लिंगदाहल्लि	एमआईएलटी सी-डॉट	30
64.	एम॰ सी॰ हल्लि	एमआईएलटी	50
65.	मगुंडी	एमआईएलटी	37
66.	मकोमाहल्ली	सी-डॉट	20
67.	मल्लनदूर	सी-डॉट	68
68.	मेले	आईएलटी सी-डॉट	112
69.	माथीगट्टा	एमआईएलटी	46
70.	मेलपाल	एमआईएलटी	34
71.	मुडीगेरे	आईएलटी सी-डॉट	24
72.	मुगुलारल्ली	एमआईएलटी	79
73.	मुथिनाकोपा	एमआईएलटी	26

1	2	3	4
74.	एन॰ आर॰ पुरा	सी-डॉट	53
75.	एन एम डी सी	सी-डॉट	129
76.	नार्वे	सी-डॉट	—
77.	नेम्मार	सी-डॉट	41
78.	निदागट्टा	एमआईएलटी	55
79.	पनेहानाहल्ली	सी-डॉट	24
80.	पंडारावल्ली	एमआईएलटी	38
81.	क्वार्ड हिटलो	सी-डॉट	10
82.	रमषाहल्ली	एमआईएलटी	32
83.	रंगराहल्ली	एमआईएलटी एमआईएलटी	31
84.	एस॰ जी॰ पेट	सी-डॉट	45
85.	सकरायापटना	सी-डॉट	48
86.	सामपिगेहल्ली	एमआईएलटी	23
87.	शान्तीग्राम	सी-डॉट	5
88.	शानवल्ली	एमआईएलटी सी-डॉट	39
89.	शेल्लीकप्पा	सी-डॉट	76
90.	शिवानी	सी-डॉट	57
91.	सिद्दारामुल	एमआईएलटी	50
92.	सिंगतागरे	एमआईएलटी	18
93.	शियावरे	सी-डॉट	41
94.	श्रीगरि	आइएलटी, सी-डॉट	26
95.	सुनकासले	एमआईएलटी	38
96.	तारीकरे	आईएलटी सी-डॉट	19
97.	टोगरी हंकल	सी-डॉट	45
98.	उन्तमशवाड़ा	सी-डॉट	97
99.	वस्तनी	सी-डॉट	18
100.	यागाटी	सी-डॉट	35
101.	येल्लमबल्सी	एमआईएलटी	13
	कुल		5046

आज तक और टूनाइट कार्यक्रम

5377. **श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह गायकवाड़ : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी समाचार कार्यक्रम आज तक को प्राइम टाइम से हटाकर देर रात अर्थात् 10.00 बजे रखने और साथ ही अंग्रेजी समाचार की दूरदर्शन प्रसारण कार्यक्रम से हटाए जाने के समय "आज तक" और "टू नाइट" जैसे कार्यक्रमों के सूचनापरक और शैक्षिक मूल्यों को ध्यान में रखा गया है;

(ख) क्या नागरिकों के सूचना के अधिकार पर भी विशेष ध्यान दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो हिन्दी समाचार कार्यक्रम को "प्राइम टाइम" से हटाकर देर रात के प्रसारण में रखने और अंग्रेजी समाचार कार्यक्रम

को पूरी तरह हटा देने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) दूरदर्शन के लिए अधिक संसाधन जुटाने और एक अन्य प्रतिस्पर्धी चैनल पर रात्रि 10.00 बजे प्रसारित होने वाले एक हिन्दी समाचार कार्यक्रम को नियंत्रित करने सहित दूरदर्शन की कार्यक्रम संबंधी समग्र आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हिन्दी समाचार कार्यक्रम "आज तक" का समय रात्रि 9.30 बजे से बदलकर रात्रि 10.00 बजे किया गया था। इस समय परिवर्तन से समाचार कार्यक्रम की लोकप्रियता पर प्रभाव नहीं पड़ा है।

अंग्रेजी समाचार कार्यक्रम "दी न्यूज टूनाइट" के मामले में इसके निर्माता ने दूरदर्शन को सूचित किया था कि इस तरह के समाचार आधारित कार्यक्रम के निर्माण के लिए उनके द्वारा एक विदेशी चैनल "स्टार प्लस" के साथ करार किया गया है। अत: दूरदर्शन के पास इस कार्यक्रम को रद्द करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था।

भारत में सेल्यूलर कनसोर्टियम

5378. श्री आर॰ साम्बासिवा राव : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग द्वारा 15 फरवरी, 1997 से किसी स्थान विशेष पर दिए गए टेलीफोन से मोबाइल फोन पर किए जाने वाले कॉल पर प्रति मिनट दस रुपए शुल्क लगाने संबंधी लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप भारत में सेल्यूलर कनसोर्टियम में शामिल अनेक विदेशी कम्पनियां इस उद्योग में अपनी भागीदारी की समीक्षा कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है तथा उनके द्वारा व्यक्त किए गए निराशापूर्ण विचारों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) इस संबंध में किसी विदेशी कम्पनी से कोई पत्र/नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

मुसाबनी खान, बिहार का बन्द होना

5379. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार में चाईबासा जिले के मुसाबनी खान को बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) खान के बन्द हो जाने के कारण कितने मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे;

(घ) क्या सरकार का विचार इस खान को पुन: खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक खान में उत्पादन कार्य आरंभ हो जाने की संभावना है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

डाक व्यवस्था का आधुनिकीकरण

5380. डॉ॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डाक व्यवस्था में कुप्रबंध को समाप्त करने हेतु इसके आधुनिकीकरण पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा और ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) प्रौद्योगिकी अधिष्ठापन द्वारा डाक प्रणाली का आधुनिकीकरण डाक विभाग की आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में से एक है। यह लक्ष्य काउंटर सेवाओं पर निर्दिष्ट बल देने सहित कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में कम्प्यूटर आधारित टेक्नालाजी की शुरुआत द्वारा प्राप्त किया जा रहा है।

डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों का उद्देश्य है :—

(क) ग्राहक के लिए अधिक कुशल और अनुक्रियाशील काउंटर सेवाएं प्रदान करना।

(ख) अभिचिह्नित ग्राहक समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नई मूल्यवर्धित सेवाएं; और

(ग) बेहतर इर्गोनामिक्स सहित आधुनिक तथा स्वच्छ कार्य वातावरण ताकि कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया जा सके और कार्य की नीरसता को दूर किया जा सके।

इस प्रयोजनार्थ तैयार किए गए मशीनीकरण और आधुनिकीकरण के निर्दिष्ट कार्यक्रम हैं :—

- कम्प्यूटर आधारित बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की शुरूआत।
- महत्वपूर्ण बड़े कन्द्रों में मेल प्रोसेसिंग का आटोमेटाइजेशन।
- मनीआर्डरों के त्वरित पारेषण के लिए वेरी स्माल अपरचर टर्मिनलों (वी एस ए टी) की स्थापना तथा अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं का प्रावधान।
- बचत बैंक, डाक जीवन बीमा (पी एल आई) तथा स्पीड पोस्ट प्रचालनों के लिए कम्प्यूटरों का प्रयोग।
- काउंटर सेवाओं तथा फ्रंट ऑफिस का, कार्य-वातावरण के उन्नयन तथा बेहतर ग्राहक सुविधाओं के माध्यम से आधुनिकीकरण।
- कार्य के निपटान में तेजी लाने और कार्य की नीरसता को दूर करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण डाकघरों में उन्नत ऑपरेशनल उपस्कर प्रदान करना;

मशीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए योजनाओं में प्राप्तियों की

सीमा, इस प्रयोजनार्थ आठवीं पंचवर्षीय योजना में उपलब्ध योजना परिव्यय तथा मार्च 31, 1996 तक उपयोग में लाई गई राशि क्रमशः संलग्न विवरण-I, विवरण-II और विवरण-III में दर्शाई गई है।

शुरू की गई योजनाओं को व्यापक कवरेज और संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए सुदृढ़ बनाया जा रहा है ताकि टेक्नालॉजी का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों सहित ग्राहकों के विशाल भाग तक पहुंचाया जा सके।

विवरण-I

आठवीं योजनावधि के प्रथम चार वर्षों के दौरान स्कीमों में प्रत्यक्ष प्राप्ति

क्रम सं॰	योजना का नाम	लक्ष्य 8वीं पंचवर्षीय योजना	31.3.96 की योजना के अनुसार प्राप्ति
1	2	3	4
1.	**प्रौद्योगिकी उन्नयन :**		
(क)	बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की स्थापना	5000	2300
(ख)	मेल हैंडलिंग का मशीनीकरण	3	2
(ग)	वीएसएटी नेटवर्क की स्थापना	75 (स्टेशन)	61 (स्टेशन)
(घ)	डाकघरों का आधुनिकीकरण	कोई निर्दिष्ट लक्ष्य तय नहीं	481
(ङ)	स्पीड पोस्ट के लिए ट्रैक एवं ट्रेस प्रणाली की शुरुआत	—	2
(च)	इलेक्ट्रॉनिक फ्रेंकिंग मशीन	—	40
(छ)	मशीन निर्मित हस्त विरूपक	25000	18000
(ज)	डाक टिकट विरूपक मशीनें	कोई लक्ष्य तय नहीं	255
2.	**डाक जीवन बीमा**		
(क)	सर्किलों में पीएलआई कार्य का कम्प्यूटरीकरण	11	11
3.	**राष्ट्रीय बचत**		
(क)	डाकघरों में काउंटर प्रचालनों का कम्प्यूटरीकरण	5 हैडऑफिस	5 हैड ऑफिस
(ख)	बचत बैंक नियंत्रण संगठन का कम्प्यूटरीकरण	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं	107
4.	**सामग्री प्रबंध**		
(क)	पोस्टल स्टोर डिपो का कम्प्यूटरीकरण	46	46

विवरण-II

मशीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 में सुलभ कराया गया योजना परिव्यय

	योजना	आठवीं योजना का परिव्यय (करोड़ रुपयों में)
1.	प्रौद्योगिकी उन्नयन	132.53
2.	डाक जीवन बीमा	5.77
3.	राष्ट्रीय बचत	2.50
4.	सामग्री प्रबंध	4.90
	कुल	145.70

विवरण-III

मशीनीकरण और आधुनिकीकरण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मार्च, 31,1996 तक उपयोग में लाया गया फंड

	योजना	31.3.1996 तक व्यय (करोड़ रुपयों में)
1.	प्रौद्योगिकी उन्नयन	95.27
2.	डाक जीवन बीमा	2.17
3.	राष्ट्रीय बचत	0.98
4.	सामग्री प्रबंध	1.76
	कुल	100.18

[हिन्दी]

टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने हेतु योजनाएं

5381. प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभी गांवों में टेलीफोन की सुविधाएं प्रदान करने हेतु एक समयबद्ध योजना शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने गांवों में टेलीफोन की सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) क्या निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार गांवों में टेलीफोन की सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उक्त अवधि के दौरान निर्धारित तथा प्राप्त किए गए लक्ष्य में क्या अन्तर है तथा वर्ष 1997-98 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	अन्तर
1994-95	50,000	47,659	2341
1995-96	105,000	31,496	73504
1996-97	75,000	56,719	18281
1997-98	83,000		

[अनुवाद]

ग्रामीण टेलीफोन सुविधा के लिए निर्धारित लक्ष्य

5382. प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

श्री राम नाईक :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा के विस्तार के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) उन गांवों की कुल वास्तविक संख्या कितनी है जहां योजना के अंत में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई गई है, और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष के दौरान कितने गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध थी ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 3.38 लाख ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

(ख) आठवीं योजना के अंत के दौरान 1.934 लाख गांवों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है।

(ग) आठवीं योजना के प्रारंभ में कुल 74,404 गावों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध थी।

त्रिचूर जिले में टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची

5383. श्री वी॰ वी॰ राघवन : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के त्रिचूर जिले में विभिन्न एक्सचेंजों में नए टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची की स्थिति क्या है तथा प्रत्येक एक्सचेंज में किस तारीख तक की प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं; और

(ख) उपरोक्त प्रत्येक एक्सचेंज की प्रतीक्षा सूची को शीघ्रता से समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) त्रिचूर जिले में प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज की प्रतीक्षा सूची की स्थिति तथा प्रतीक्षा सूची के निपटान की तारीख संलग्न विवरण में दी है।

(ख) त्रिचूर जिले में सभी एक्सचेजों में 31.3.98 तक कम से कम 31.3.95 तक की प्रतीक्षा सूची का निपटान करने के लिए टेलीफोन एक्सचेंजों का लगभग 50,000 लाइनों तक विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया है और शेष का बाद के वर्षों में उत्तरोत्तर रूप से निपटान कर दिया जाएगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

विवरण

टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थिति (त्रिचूर गौण स्विचन क्षेत्र)

क्र॰ सं॰	एक्सचेंज का नाम	क्षमता	सीधी एक्सचेज लाइनों की प्रतीक्षा सूची	कुल	जारी करने की तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	अलगप्पानगर	3000	2596	1307	12.05.95
2.	अन्नामनाड़ा	1000	828	550	12.03.96
3.	अरंगोट्टकांडा	184	179	381	19.09.91
4.	अय्यंथोले	3000	2621	747	09.10.95

1	2	3	4	5	6
5.	चालाकुडी यू आई	3000	3390	1947	30.09.95
6.	चालाकुडी यूआईआई	2000	0	0	30.09.95
7.	छझूर	1000	977	671	23.12.92
8.	चेलाक्काड़ा	1000	915	518	21.07.95
9.	छप्पू	3000	2804	1434	31.07.95
10.	छौघाट	3000	2875	1921	23.08.95
11.	करंगानूर	4500	3827	3068	18.11.92
12.	एलानाड	184	135	207	02.07.92
13.	एंगांडियूर	1000	964	996	12.03.93
14.	एरूमापेट्टि	384	377	917	11.08.92
15.	गुरूबायूर	5000	3710	1665	24.12.94
16.	ईरिंजालाकुड़ा	4152	3879	2950	31.12.92
17.	काडापुरम	420	380	606	30.11.92
18.	कांडास्संकाडाव	3500	3481	1813	31.07.95
19.	कान्नडा	568	316	1090	25.03.90
20.	कट्टकमंपल	1000	933	629	31.01.96
21.	कट्टर	1000	1027	2853	14.06.88
22.	केछेरी	1000	912	571	22.04.95
23.	कोडाकारा	1400	1341	1384	14.02.95
24.	कोंडाजही	160	150	252	26.08.92
25.	कोरट्टी	770	709	1282	18.10.90
26.	कुन्नमकुलम	5000	4568	2380	30.06.95
27.	कुरिचिक्कारा	344	288	290	31.08.92
28.	कजहूर	160	158	526	13.04.91
29.	माला	2500	1940	2140	20.04.95
30.	मन्नोथी	2500	2243	958	17.01.96
31.	मट्टोम	200	188	833	15.08.96
32.	मूरकानाड (सी आर)	552	531	563	15.02.95
33.	मुलमकुन्नाथुकव्यू	1200	1148	1282	21.09.92
34.	मुल्लूरकाड़ा	160	158	498	27.01.96
35.	मुंदूर-कोचीन	1500	1399	1083	31.12.93
36.	अल्लूर	4000	3667	1016	24.11.95
37.	पाडाप्पूर	344	322	716	24.09.90
38.	परियाराम	192	190	729	05.02.90
39.	पजहायन्नूर	192	190	445	21.03.91
40.	परिन्नणम	1400	1239	3109	30.08.90

1	2	3	4	5	6
41.	पेरूमपिलव्यू	384	374	639	27.05.91
42.	पूवायूर	3000	1318	910	08.05.96
43.	पुन्नयारकुल्लम	1000	586	2650	09.08.88
44.	श्रीओनारायणापुरम	1000	904	918	30.04.93
45.	टीआरसी-पूनकुन्नम	3000	2894	168	15.02.96
46.	टीआरसी-त्रिचूर यू आई	14000	11545	2479	10.03.96
47.	टीआरसी-त्रिचूर यू आई आई	8000	7379	276	02.12.96
48.	तिरूविलवामाला	384	300	400	07.04.92
49.	वाड़ाक्कंचेरी सी एन	1416	1388	1520	15.04.93
50.	वालाप्पाड़	4000	3235	771	01.07.96
51.	वाल्लकुन्नू	680	613	488	30.12.94
52.	वारंद्रापिल्ली	568	519	461	10.08.92
53.	वेल्लंगाल्लूर	604	663	2305	06.07.88
54.	वेल्लिकुलंगारा	720	598	648	29.06.95
55.	वेलूर-कोचीन	160	154	591	12.03.92
56.	वेंकिटंगू	1000	755	560	17.11.95
57.	वेट्टिलाप्पाड़ा	80	71	177	11.03.93
	कुल	105572	90851	62283	

मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों का लक्ष्य

5384. श्री सुन्दर लाल पटवा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन स्थानों पर कार्य में विलम्ब हो रहा है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा किन-किन स्थानों पर वर्ष 1987 में इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) जी, हां। मध्य प्रदेश के लिए एक्सचेंजों की संस्थापना के समग्र लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली गई है। तथापि, उपस्करों की प्राप्ति न होने और उनकी विलम्ब से प्राप्ति होने के कारण संलग्न विवरण में उल्लिखित एक्सचेजों को पूरा नहीं किया जा सका।

(ग) मध्य प्रदेश में 1997 के दौरान जहां-जहां इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज स्थापित किए जाने हैं, उन स्थानों के नामों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

उपस्कर प्राप्त न होने तथा विलम्ब से प्राप्त होने के कारण 1996-97 के दौरान जिन स्थानों पर प्रमुख एक्सचेंज चालू नहीं हो पाए, उन स्थानों की सूची।

1. रायगढ़
2. इटारसी
3. गंजबसोड़ा
4. राजनंदगांव (विस्तार)
5. छिंदवाड़ा (विस्तार)
6. गुना (विस्तार)
7. बिलासुपर
8. उज्जैन

[हिन्दी]

मनीऑर्डर के वितरण में विलम्ब

5385. श्री एल. रमना :

श्री पवन दीवान :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनीआर्डर के वितरण में विलम्ब होने के संबंध में कोई जांच कराई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभाग ने दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) अधिकांश मनीआर्डरों का भुगतान समय पर किया जाता है। मनीआर्डरों के भुगतान में विलंब के बारे में शिकायतों, जो कुल मनीआर्डर परियात का लगभग 0.1 प्रतिशत है, की तत्काल जांच कराई जाती है।

(ख) जून 1996 से अगस्त 1996 के दौरान एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें जिन मनीआर्डरों का भुगतान नहीं हुआ था, उनमें से 90% मामलों में डुप्लीकेट मनीआर्डर जारी किए गए थे। वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान जिन शिकायतों की जांच की गई उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

सर्किल	जो शिकायतें प्राप्त हुईं तथा जिनकी जांच की गई, उनकी संख्या		
	1993-94	1994-95	1995-96
असम	6003	4102	4931
आंध्र	15748	13674	18700
बिहार	6833	6805	6730
दिल्ली	27268	26900	32437
गुजरात	10782	13482	14399
हरियाणा	6376	5846	5878
हिमाचल	1593	1646	2300
जम्मू-एवं कश्मीर	1551	1611	1030
कर्नाटक	15045	18512	21775
केरल	4907	5646	5011
मध्य प्रदेश	14417	16202	16629
महाराष्ट्र	36079	43592	49699
उत्तर-पूर्व	8412	8579	8689
उड़ीसा	4432	4981	4337
पंजाब	15081	14857	14500
राजस्थान	5606	5888	6618
तमिलनाडु	13332	15566	14963
उत्तर प्रदेश	22989	32217	29276
पश्चिम बंगाल	24270	26158	27450
आर्मी बेस डाकघर	1427	978	1608
	242139	267242	286960

(ग) जी, हां।

(घ) 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान क्रमश: 117, 210 और 185 कर्मचारियों के खिलाफ उपयुक्त वांडिक कार्रवाई की गई, जो दोषी पाए गए थे।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ताओं को सुविधाएं

5386. कुमारी उमा भारती :

श्री अमरपाल सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उन टेलीफोन उपभोक्ताओं को जिनके पास एस॰ टी॰ डी॰ सुविधा नहीं है वो एक नई सुविधा प्रदान करने का विचार है जिसके अंतर्गत उपभोक्ता एस॰ टी॰ डी॰ सुविधा न होने के बावजूद अपने दूरसंचार जिलों के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले नगरों और कस्बों में टेलीफोन कर सकेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी टेलीफोन सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) कोड "90" डायल करके एसटीडी (राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग) सुविधा रहित उपभोक्ता, लम्बी दूरी प्रभारण क्षेत्र (जिसमें एक अथवा अधिक राजस्व जिले में शामिल है) के अंतर्गत किसी अन्य उपभोक्ता से संपर्क स्थापित कर सकता है।

(ग) तकनीकी वैधता पूरी होने के उपरांत यह सेवा चरणबद्ध रूप से शुरू की जाएगी।

पंचायत मुख्यालयों में डाकघर

5387. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बिहार के गिरिडीह और कोडरमा जिलों में विभिन्न पंचायत मुख्यालयों में डाकघर खोलने की घोषणा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ऐसे डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव था;

(ग) उक्त जिलों में किन-किन स्थानों पर ये डाकघर खोल दिए गए हैं; और

(घ) राज्य के शेष स्थानों पर डाकघर कब तक खोल दिए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान गिरिडीह में रतन बहियार में एक अतिरिक्त विभागीय डाकघर खोला गया।

(घ) डाकघर मानदंड आधारित औचित्य के आधार पर खोले जाते हैं बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें। विभाग की नीति डाकघर खोलने के लिए ग्राम पंचायत मुख्यालय गांवों को वरीयता देने की है। बिहार में 5 विभागीय उप डाकघर और 40 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभापटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

इस्पात और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

इस्पात मंत्री और खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 214 (ङ) जो 11 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9क की उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 215 (ङ) जो 11 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की तीसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1895/97]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1896/97]

(ख) (एक) भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1897/97]

(ग) (एक) खनिज गवेषण निगम लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) खनिज गवेषण निगम लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1898/97]

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) स्पोंज आयरन एण्डिया लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1899/97]

(दो) कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1900/97]

(तीन) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1901/97]

(चार) एम॰ एस॰ टी॰ सी॰ लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1902/97]

(पांच) फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1903/97]

(छह) मेटलर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स (इंडिया) लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1904/97]

(सात) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1905/97]

(आठ) मेगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1906/97]

(नौ) नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1907/97]

(दस) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1908/97]

(6) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 7 और 8 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 69 (ङ) जो 30 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया था कि उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों का संबंधित राज्य सरकार द्वारा तत्काल प्रयोग किया जा सकेगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1909/97]

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का वर्ष मार्च, 1996 का प्रतिवेदन आदि।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : मैं श्री पी॰ चिदम्बरम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन—संघ सरकार (1997 की संख्या 1)—(संघ सरकार के लेखे) (सिविल)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1910/97]

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन—संघ सरकार (1997 की संख्या 9) (रेल)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1911/97]

(तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन—संघ सरकार (1997 की संख्या 2) (सिविल)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1912/97]

(चार) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन—संघ सरकार (1997 की संख्या 3) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की कार्यनिष्पादन पुनरीक्षा (सिविल)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1913/97]

(पांच) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन-संघ सरकार (1997 की संख्या 4) (अन्य स्वायत्तशासी निकाय)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1914/97]

(2) वर्ष 1995-96 के लिए विनियोग लेखाओं (संघ सरकार) (सिविल) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1915/97]

(3) वर्ष 1995-96 के लिए वित्त लेखाओं (संघ सरकार) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1916/97]

(4) वर्ष 1995-96 के लिए विनियोग लेखाओं, भारतीय रेल, भाग-1—पुनरीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1917/97]

(5) वर्ष 1995-96 के लिए विनियोग लेखाओं, भारतीय रेल, भाग-2—विस्तृत विनियोग लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1918/97]

(6) वर्ष 1995-96 के लिए भारत सरकार, रेल विभाग के निरुद्ध खातों (पूंजी विवरण सहित, जिसमें ऋण खाते समाविष्ट हैं) तुलन-पत्र और लाभ और हानि खातों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1919/97]

रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अधिसूचना और भारतीय वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष 1995-96 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन, आदि

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत रेल संरक्षण बल (दूसरा संशोधन) नियम, 1997, जो 15 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 151 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1920/97]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1921/97]

(ख) (एक) कोंकण रेल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोंकण रेल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1922/97]

(4) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अन्तर्गत रेल यात्री (टिकटों को रद्द किया जाना और यात्री किराए का प्रतिदाय) संशोधन नियम, 1997 जो 9 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 201 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1923/97]

केन्द्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 240 (अ) जो 3 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 5/94-के॰उ॰शु॰ (एन॰ टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि क्रेताओं पर वास्तविक रूप से संक्रांत शुल्क राशि के परिमाण तक विनिर्दिष्ठ मूल्य प्रशासित पेट्रोलियम उत्पादों पर आदान शुल्क का प्रत्यय निर्बंधित किया जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1924/97]

अपराह्न 12.04 बजे

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—समय बढ़ाया जाना

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार):—मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा असम राज्य के संबंध में (स्वायत्तशासी जिलों के सिवाय) अनुसूचित जनजातियों की सूची में कोच-राजवंशी समुदाय को सम्मिलित करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु समय मानसून सत्र, 1997 के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिन तक और बढ़ाती है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा असम राज्य के संबंध में (स्वायत्तशासी जिलों के सिवाय) अनुसूचित जनजातियों की सूची में कोच-राजवंशी समुदाय को सम्मिलित करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु समय मानसून सत्र, 1997 के अंतिम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री संतोष मोहन देव।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : सभापति महोदय, हमारी एक सदस्या श्रीमती भगवती देवी बाहर धरने पर बैठी हुई हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : एक-एक करके सब को मौका मिलेगा। अगर सब खड़े होंगे तो किसी को मौका नहीं मिलेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि आप एक-एक करके बोलें तो प्रत्येक सदस्य को अवसर दिया जाएगा। मैंने श्री संतोष मोहनदेव को बोलने के लिए पुकारा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, हमारी एक सदस्या बाहर धरने पर बैठी हैं, उनकी बात सुन लीजिए...

सभापति महोदय : आप अगर बैठेंगे तो आपको मौका मिलेगा।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मेरा प्रिवलेज का नोटिस है। स्पीकर साहब ने आज के लिए बोला है।

सभापति महोदय : क्या है, बताइए।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : सभापति महोदय....

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : महोदय, आपने श्री संतोष मोहन देव को बोलने के लिए आमंत्रित किया है।

सभापति महोदय : यह विशेषाधिकार प्रस्ताव के सम्बन्ध में है जिस पर माननीय सदस्य ने नोटिस दिया है तथा विशेषाधिकार का नोटिस अन्य मदों से पूर्व किया जाएगा। अत: मैं उन्हें बोलने का अवसर दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : आदरणीय सभापति महोदय, यह हाउस हम लोगों के अधिकारों का रखवाला है और संविधान के कानून की प्रक्रिया के तहत लोकसभा में यह परम्परा है। उसी परम्परा के अनुकूल मैं अपनी बात विशेषाधिकार समिति को सौंपना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 17 फरवरी को मेरे परिवार के लोगों-मेरे बड़े भाई का बेटा, जो मेरा भतीजा है, मेरी बुआ का बेटा, कुल मिलाकर तीन लोगों का अपहरण किया गया था। 17 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक मैंने बड़ी ही शालीनता से अपनी बात रखी। मैं एक पब्लिक सर्वेन्ट हूं और उस नाते मैं अपने परिवार की बात रख सकता हूं। मैंने 4 मार्च को इसी सदन में अपनी बात उठाई थी। उस समय चेयर में माननीय स्पीकर साहब बैठे थे। तब माननीय स्पीकर साहब ने पार्लियामेंटरी मिनिस्टर श्री श्रीकांत जेना और होम मिनिस्टर के लिए अपनी रूलिंग दी कि तत्काल मेरे परिवार के लोगों के अपहरण की पूरी जानकारी करके इस हाउस को बताया जाए ...*(व्यवधान)*.. मैं अपने मित्र श्री राम विलास पासवान से अनुरोध करता हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया कोई व्यवधान न डालें तथा परस्पर बातचीत न करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : सभापति जी, पासवान जी मेरे मित्र हैं। ये पहले मेरी बगल में बैठते थे तो दुनिया भर के शड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज के लोगों की वकालत करते थे। क्या आज इनका हृदय नहीं पिघलता, क्या इनका ज़मीर मर गया है ? ...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : सभापति जी, ये प्रिविलेज मोशन ला रहे हैं या हमसे जवाब मांग रहे हैं ?

सभापति महोदय : आदरणीय सभापति महोदय, आदरणीय नेतागण मेरी बात को स्वीकार करेंगे पर मेरा कहना है कि मुझे अपनी बात कहने का समय तो दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप मुख्य बात पर आइए। आप तो भूमिका बना रहे हैं।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : सभापति जी, 4 मार्च को स्पीकर साहब ने रूलिंग दी और उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ तो फिर 12 मार्च को मैंने सदन में अपनी बात रखी। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका प्रिविलेज मोशन क्या है ?

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : मैं उसी पर आ रहा हूं।

12 मार्च को चेयर पर डिप्टी स्पीकर साहब थे और उन्होंने रूलिंग दी कि कहा जाता है कि पानी नाक से ऊपर निकल गया है लेकिन उत्तर प्रदेश और प्रभु दयाल कठेरिया के बारे में तो नाक से खून निकल आया। ...*(व्यवधान)*

श्री रामसागर (बाराबंकी) : आप उत्तर प्रदेश सरकार को बरख्वास्त करने की बात कहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए। माननीय सदस्य के साथ बहुत बुरी घटी है और आप इसको मज़ाक मत बनाइए।

कठेरिया जी, आप भी इधर-उधर की बातें न कहें।

[अनुवाद]

विषयेत्तर बातें मत कीजिए। मुद्दे पर बोलिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : 12 मार्च को भी जब मुझे किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली तो मैंने बड़े दुखी मन से सदन में इस बात को कहा कि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया सत्ता पक्ष के सदस्य ध्यान दें। पारस्परिक बातचीत नहीं होनी चाहिए।

[हिन्दी]

आप मज़ाक बना रहे हैं। माननीय सदस्य हमारे कुलीग हैं। उनके कुनबे के तीन सदस्यों का अपहरण हुआ है और आप लोग मज़ाक बना रहे हैं, यह बड़े दुख की बात है।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : 12 मार्च को जब दुखी मन से मैंने सदन में कहा कि अगर भारत सरकार ने चार दिन में सदन को जानकारी नहीं दी तो चार दिन बाद इसी सदन में मैं आत्महत्या कर लूंगा।

सभापति महोदय : आप प्रिविलेज मोशन बताइए कि किस विषय का है।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : सभापति जी, सदन के बाहर पूरे देश में और समाचार-पत्रों तथा टेलीविज़न के माध्यम से यह बात गई और बीबीसी लंदन ने भी इसको ब्रॉडकास्ट किया। यह समाचार सारे विश्व में गया। हिन्दुस्तान के बारे में सारी दुनिया को पता चला जिससे मेरी ही नहीं, सदन की भी अवमानना हुई। सारे विश्व में समाचार गया कि भारत की सर्वोच्च संसद के एक सदस्य का केस हल न होने के कारण वह लोक सभा में आत्महत्या करने को तैयार है।

सभापति महोदय : मैं आपको और समय नहीं दूंगा। आप जो प्रिविलेज मोशन की बात है, उस पर आइए।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : अब मैं अपने प्रिविलेज मोशन पर आ रहा हूं। गृह मंत्री महोदय ने मुझे 20 मार्च को बताया कि केस

सीबीआई को रेफर कर दिया। 20 तारीख के बाद 29 तारीख तक मैं गृह मंत्रालय के चक्कर लगाता रहा कि आखिर मेरे परिवार के लोगों के बारे में सीबीआई ने क्या किया, केस रैफर किया या नहीं, मुझे इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। इसके बाद जब मैं सीबीआई के डायरेक्टर जोगिन्दर सिंह से मिला तो उन्होंने बताया कि 29 तारीख को केस दर्ज किया है। मेरे पास डाक्यूमेण्ट्स हैं और मैंने अपने प्रिविलेज नोटिस के साथ लगाकर दिए हैं। सीबीआई कहती है कि 29 तारीख को केस रजिस्टर किया है और गृह मंत्री कहते हैं कि 20 तारीख को रेफर किया है। यह सदन की अवमानना है या नहीं कि एक संसद सदस्य का केस 40 दिन बाद सीबीआई को रेफर किया है? ...*(व्यवधान)* हमारा एलीगेशन है कि इसमें 39 दिन का फर्क पड़ रहा है। यह आखिर क्यों है ? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जहां तक मेरी समझ में बात आई है, आपने यह कहा है कि 20 फरवरी को होम मिनिस्ट्री ने सीबीआई के पास चिट्ठी लिखी कि आपके केस का इनवेस्टिगेशन करें, फिर आप होम मिनिस्ट्री पर ब्लेम क्यों डाल रहे हैं ? उन्होंने 20 तारीख को रैफर कर दिया। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो कृपया मेरी गलती सुधारिए, जहां तक मेरी जानकारी है, जब तक स्टेट गवर्नमेंट का प्लेज़र नहीं हो, तब तक सीबीआई केस को टेक ओवर नहीं कर सकती। केवल होम मिनिस्ट्री के आदेश पर सीबीआई केस को टेकअप नहीं कर सकती जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे और रेक्वेस्ट नहीं भेजे।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के गवर्नर श्री भंडारी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखित रूप में दिया है कि हम केस रेफर कर रहे हैं।

सभापति महोदय : क्या गवर्नर ने इजाजत दे दी है ?

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : हां महोदय, लिखित रूप में दिया है।

सभापति महोदय : अभी अटल जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने इजाजत दी थी और सी०बी०आई० ने केस रजिस्टर कर लिया है और सी०बी०आई० ने केस में अपनी इंक्वारी शुरू कर दी है।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : सभापति महोदय, लेकिन 39 दिन का यह गैप कैसा है ?

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : सभापति महोदय, पिछली बार भी यह मुद्दा उठाया गया था। मैं अपने माननीय सहयोगी की भावनाओं से पूर्णत: सहमत हूं। इस समय माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से प्रतिवेदन मंगवाना चाहिए। वह प्रतिवेदन इस सभा के समक्ष लाया जाना चाहिए क्योंकि माननीय सदस्य के साथ जो हुआ है उससे प्रत्येक सदस्य चिन्तित है। अत: इस सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से प्रतिवेदन प्राप्त करना चाहिए और सभा को यह बताना चाहिए कि यह सब कैसे हुआ। हमें तो यह बताया गया था कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से एक प्रतिवेदन प्राप्त करेगी तथा इस मुद्दे पर अवश्य ही गौर करेगी। अब केन्द्र सरकार को हमें आश्वस्त करना चाहिए कि वह उत्तर प्रदेश सरकार से प्रतिवेदन प्राप्त करेगी तथा सभा को यह बताएगी कि यह सब कैसे हुआ। माननीय सदस्य यह मुद्दा उठा रहे हैं और लगभग प्रत्येक तथा हम सभी को इस बात से कष्ट हो रहा है। हम अपने सहयोगी की ऐसी भावनाओं को कब तक सुनते रहेंगे ? अत: इस सरकार को हमें उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिवेदन, समग्र मामले की स्थिति तथा यह सब कैसे हुआ के संबंध में विश्वास में लेना चाहिए। सभा को इस सम्बन्ध में जानने का विशेषाधिकार है।

सभापति महोदय : इस समय जो कुछ कहा गया है, उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए मैं सरकार के किसी मंत्री से निवेदन करूंगा।

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : महोदय, मैं स्थिति स्पष्ट करता हूं हालांकि मेरे पास मामले की पूर्ण जानकारी नहीं है। जहां तक माननीय सदस्य के मामले का सम्बन्ध है, गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार से तथ्यों का पता लगाने के पश्चात् एक व्यक्तव्य दिया था। स्वयं इस सभा में इस सम्बन्ध में एक विस्तृत वक्तव्य दिया गया था और तत्पश्चात् ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या आप का मतलब यह हुआ कि जिस वक्तव्य का श्री राजेश पायलट जिक्र कर रहे हैं वह इस सभा में पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है ?

श्री श्रीकांत जेना : हां, जी, महोदय।

श्री राजेश पायलट : नहीं, नहीं, हम उस मामले की पूरी रिपोर्ट चाहते हैं।

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, गृह मंत्री ने एक विस्तृत वक्तव्य दिया था और तत्पश्चात् जांच हेतु वह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो के सुर्पद कर दिया गया है तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो पहले ही मामले की जांच कर रहा है। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है और हम सब जानते हैं कि जब तक मामला दर्ज नहीं हो जाता, तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। यदि इस सम्बन्ध में कोई अन्य प्रगति हुई है तो मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे एक वक्तव्य दें।

श्री राजेश पायलट : यह बात ठीक है।

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, हमारी भी हर संभव ढंग से माननीय सदस्य को बचाने में दिलचस्पी है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : सभापति जी, माननीय सदस्य की शिकायत यह है सी०बी०आई० द्वारा मामले की जांच होगी, इस घोषणा के बाद भी विलम्ब हुआ और विलम्ब सी० बी० आई० द्वारा केस लेने में हुआ है, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट आने में नहीं हुआ है। गृह मंत्री ने यहां एक वक्तव्य दिया था। लेकिन उसके अनुसार जब सी० बी० आई० को केस दे दिया गया तो सी० बी० आई० को जितनी जल्दी से जांच करनी चाहिए थी, शायद वह जांच उन्होंने नहीं की है और इसलिए माननीय सदस्य को शिकायत है। गृह मंत्री सदन में आकर इस स्थिति को स्पष्ट करें ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, माननीय सदस्य ने बताया है कि गृहमंत्री ने 20 तारीख को यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया था तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 29 तारीख को मामला दर्ज किया...

सभापति महोदय : लेकिन यह तो 29 मार्च, 1997 को हुआ था।

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, स्वभावत: केन्द्रीय जांच ब्यूरो को मामला सौंपे जाने के पश्चात् केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मामले की सुनवाई की और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मैं गृह मंत्री से तथ्य जानना चाहूंगा तथा यह पता लगाना चाहूंगा कि क्या मामले की तत्परता से जांच की जा रही है अथवा नहीं ...*(व्यवधान)*

श्री सतमहाजन (कांगड़ा) : महोदय, पीठासीन अधिकारी द्वारा दिए गए निदेश के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ है। मुद्दा यह है... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं समझता हूं इस मामले के बारे में सदन में सभी दलों में गम्भीर चिंता है और जैसा कि प्रतिपक्ष के माननीय नेता द्वारा सुझाव दिया गया है इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मिल जाने के पश्चात् गृह मंत्री से विस्तृत वक्तव्य देने के लिए कहे; जैसा कि श्री राजेश पायलट द्वारा सुझाव दिया गया है। इसके अतिरिक्त, माननीय अध्यक्ष ने मुझे सूचित किया है कि वे इस विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव के मामले पर सक्रिय रूप से कार्यवाही कर रहे हैं। इसलिए, इस समय हमें यह मामला यहीं छोड़ देना चाहिए।

अपराह्न 12.15 बजे

सरकारी कर्मचारियों को बिना बारी के आवास के आबंटन को नियमित किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, आज मैं मानवतावादी मुद्दा उठा रहा हूं जिसके बारे में सदन में सभी दल अवगत हैं। केन्द्रीय सरकार के श्रेणी-तीन और श्रेणी-चार के अनेक कर्मचारी, तथा डाक्टर, अधीक्षक और केन्द्र सरकार के अन्य कर्मचारी बिना बारी आबंटन पर सर्वोच्च न्यायालय के बेदखली आदेश के अधीन हैं। दुर्भाग्य से, यह विशेष मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पेट्रोल पम्पों के आबंटन और सिविलियनों को अन्य मकानों के आबंटन के मुद्दे से जोड़ दिया गया है। सभी राजनैतिक दलों ने सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया है और अनुरोध किया है कि चूंकि इन सरकारी कर्मचारियों के पास कोई वैकल्पिक आवास नहीं है, इसलिए इनके आबंटन को नियमित कर दिया जाना चाहिए और उन्हें उन विशेष आवासों में ही रहने की अनुमति दी जानी चाहिए।

गत दो दिनों में उन्होंने संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया है और एक अन्य प्रदर्शन कल माननीय अध्यक्ष के निवास के बाहर किया गया है। सरकार को इस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है।

समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट के अनुसार, मेरे विचार से दो विकल्प हैं। जैसाकि मत्स्य पालन के मामले में हुआ था हम विधेयक लाए थे यदि यहां इस मामले की समीक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है तो मामले को उस याचिका के निपटान तक लम्बित रखना चाहिए। उन्हें बेदखल नहीं करना चाहिए।

यहां पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री एच॰ डी॰ देवगौडा के साथ सभी पार्टियों की बैठक हुई थी और सरकार इन आबंटनों को नियमित करने के लिए एक विधेयक लाने पर सहमत हुई थी, अभी-अभी श्री वाजपेयी जी ने बताया है कि कुछ अन्य सरकारी कर्मचारी भी आवास आबंटन की लाइन में हैं, यदि इन आवासों को खाली कराया जाए तो ये आवास उन्हें मिल जाएंगे। वे इस का भी विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, उनके सुझावों पर भी विचार करना चाहिए और कुछ समाधान निकाला जाना चाहिए। आपके माध्यम से मैं सदन में सभी दलों से इस मामले को सरकार के साथ उठाने की अपील करता हूं और सरकार को इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : सभापति जी, आप मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। सदन जो भी निर्णय लेता है, मैं उसका पालन करता हूं। मेरी प्रार्थना है कि हाउस के एडजर्न होने से पहले स्टेटमैंट सदन में आना चाहिए, सदन को बताना चाहिए कि मेरे प्रिवेलेज मोशन पर क्या फैसला लिया गया है। यही मेरी प्रार्थना है।

सभापति महोदय : सरकार को यू॰ पी॰ से रिपोर्ट मंगानी चाहिए और जैसा राजेश पायलट जी ने कहा, मुझे पता नहीं कि यू॰ पी॰ से रिपोर्ट आ गई है या नहीं आई है लेकिन यहां अधूरा स्टेटमैंट देने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए यू॰ पी॰ गवर्नमेंट से फौरन रिपोर्ट मंगाई जाए और उसके आते ही होम मिनिस्टर यहां स्टेटमैंट दें।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : यू॰ पी॰ गवर्नमेंट से रिपोर्ट आ चुकी है लेकिन मेरा निवेदन है कि हाउस के एडजर्न होने से पहले सरकार की तरफ से स्टेटमेंट यहां आना चाहिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : सभापति जी, अभी जो मसला संतोष मोहन देव जी ने सदन में रखा है, उस मसले से प्रभावित सबसे ज्यादा लोग मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रहते हैं और इसलिए उनकी वेदना को जुबान देने के लिए मैं यहां खड़ी हुई हूं। सरकार की द्विविधा मैं समझ सकती हूं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के सामने सरकार मजबूरी का अहसास कर रही है लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि इस तरह की द्विविधा और विवशता इस सरकार के सामने पहली बार नहीं आई है। कई अन्य मसलों में इसी तरह की द्विविधा सरकार के सामने पहले भी आई है और सरकार ने बचाव का रास्ता निकाला है। यदि मैं उदाहरण के तौर पर कहूं तो इसी सत्र में, जब एक्वा-कल्चर के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, विधि मंत्री जी इस सदन में मौजूद हैं, उनके क्षेत्र से संबंधित वह मसला था, लेकिन सरकार ने उसका रास्ता निकाला और प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए इस सदन में एक बिल लाया गया।

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

सभापति जी, यह मसला धोखाधड़ी से शुरू हुआ था जो अब आकर संवेदना का मसला बन गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो हिदायतें हैं, उन हिदायतों का पालन करने के लिए, यदि सरकार निर्देश दे कि आगे से उन पर सख्ती से पालन किया जाएगा, अब किसी को बिना बारी के मकान एलॉट नहीं किया जाएगा तो जो लोग क्यू में लगे हुए हैं, प्रतीक्षारत हैं, उन्हें भी राहत की सांस मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों के चलते, उनके साथ अन्याय नहीं होगा।

सभापति महोदय, लेकिन ये लोग जो आलरेडी बैठे हैं, इन्हें बेघर कर के किसी को घर देने से, हम लोग एक बीमारी का इलाज ढूंढते-ढूंढते, दूसरी बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए इन्हें बेघर करने से रोकने के लिए, उनकी एक प्रतिनिधि के नाते, सरकार के सामने मैं एक मर्सी पिटीशन प्रस्तुत करती हूं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार उनकी इस रहमोकरम की अपील को स्वीकार करे और आगे के लिए बिना बारी के किसी को अलाटमेंट नहीं की जाएगी, इसके लिए सख्त निर्देश देने के काम करे, तो दिन का काम हो जाएगा और दोनों को राहत मिलेगी।

सभापति महोदय, यह मेरी आपके माध्यम से, सरकार से अपील है। यदि सरकार आल पार्टी लीडर्स की मीटिंग बुलाना चाहती है, तो वहां भी हमारी पार्टी का प्रतिनिधि जाएगा और हमारी पार्टी का विचार रखेगा, लेकिन यह रहमोकरम की अपील मैं इन तमाम प्रभावित लोगों की ओर से आपके माध्यम से सदन में सरकार के सामने रखना चाहती हूं और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि सरकार इसको संवेदन का केस मानकर, इस पर यथोचित्त कार्यवाई करेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : सभापति जी, संतोष मोहन देव जी ने जो सवाल उठाया है, जो चतुर्थ, तृतीय और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों को बेघर करने का सवाल है, वे लोग हमारे पास भी आए थे। यह पूरी तरह से मानवीय संवेदना का मामला है। मैं सुषमा जी की बात से सहमत हूं। कानून और नियमों के तहत ही मकानों की अलाटमेंट होनी चाहिए। मैं पूरी तरह से दोनों सदस्यों की भावनाओं से सहमत हूं और सरकार से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से एक्वा कल्चर के बारे में सरकार ने सुप्रीमकोर्ट का निर्णय आने के बाद बिल लाकर एक रास्ता निकाला था, उसी प्रकार इन लोगों के लिए भी रास्ता निकाले और कानून को दुरुस्त करने का भी काम करे। जो ऊंची श्रेणी के लोग हैं, वे तो किसी न किसी तरह से अपने घर ले लेंगे और अपनी स्थिति को बचा लेंगे, लेकिन जो नीची श्रेणी के कर्मचारी हैं, जो गरीब लोग हैं और घर-घर, द्वार-द्वार घूम रहे हैं, यहां उन्होंने प्रदर्शन किया है, वे अपने घरों को कैसे बचाएं, यह प्रश्न उनके सामने है।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो न्याय और इंसाफ है, उसके बारे में सदन में चर्चा नहीं होती है। बहेलिया लोग हैं, ये लोग हजारों वर्षों से इस देश में हैं और अपनी रोजी-रोटी चला रहे हैं। इस देश में बैल, गाय, तोते, गौरैया, कबूतर आदि को जिस प्यार से पाला जाता है, उसकी मिसाल दुनिया में कही नहीं मिलेगी, लेकिन एनवायरनमेंट के कुछ लोग, यूरोप की मानसिकता से प्रभावित होकर, जो हजारों लोगों का रोजगार है, उसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में बिल्ली, कुत्ते और अन्य अनेक प्रकार के पशु और पक्षी ऐसे हैं जो मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए हैं।

सभापति जी, मैं अदालत का सम्मान करता हूं। मैं चाहता हूं कि वह और सक्षम तरीके से काम करे, लेकिन देश की जो हालत है, वह तो सबके सामने है। यानी अदालत भी अल्लाह की गाय हो जाए, यह भी ठीक नहीं लगता। अभी एक फैसला आया। अटल जी मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूं जो आपको अच्छी न लगे। अदालत के एक फैसले के तहत आरा मशीन पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में बन्द कर दी गईं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त करिए क्योंकि कई और मैम्बर बोलना चाहते हैं। अब आप समाप्त करिए। आपने अपनी बात कह दी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, माननीय शरद यादव जी, बोल रहे थे और आपने इन्हें बैठा दिया। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने इन्हें नहीं बैठाया है। वे अपना पाइंट बोल चुके हैं। मैंने उनसे रिक्वैस्ट की थी कि वे अपनी बात कह लें और बैठ जाएं। जब वे और बोलना नहीं चाहते हैं, तो मैं उन्हें बोलने के लिए कैसे फोर्स कर सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : नहीं, सभापति महोदय, वे बोल रहे थे, आपने उन्हें बैठा दिया है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने नहीं बैठाया है। मैंने तो कहा है कि आप अपनी बात कह चुके हैं इसलिए समाप्त करिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह जबर्दस्ती नहीं होगी। यह जबर्दस्ती नहीं चलेगी। मैंने उनसे रिक्वैस्ट की है। वे नहीं बोलना चाहते हैं, तो मैं कैसे फोर्स करूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कृपया बैठिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने श्रीमती गीता मुखर्जी को बोलने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सदन को गुमराह नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने उनसे रिकवैस्ट की थी।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : हम लोग तब तक खड़े रहेंगे। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप सदन को गुमराह नहीं कर सकते। मैंने श्रीमती गीता मुखर्जी को बुलाया है। कृपया आप बैठ जाएं। केवल एक सदस्य बोल सकता है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : एक साथ पांच खड़े होकर बोलेंगे तो काम नहीं चल सकता है।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : सभापति जी, आपका तरीका ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं किया जाएगा। कैमरे बंद कर दें।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब आप सारे खड़े होकर बोलिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : आपका तरीका भी ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : आप क्या बात कर रहे हैं ? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शरद यादव जी, आप बड़े सीनियर मैम्बर हैं। अगर आप चेयर की इसी तरह से इज्जत करना जानते हैं तो इसी तरह होगा।

(व्यवधान)

श्री शरद यादव : आप क्या बात कर रहे हैं ? ...*(व्यवधान)* मैं उनको बैठा रहा हूं और आप उनको उकसा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.26 बजे

(इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठे गए।)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सब मतलब के ठेकेदार हैं। कोई गरीबों की बात नहीं करता।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.27 बजे

(इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, धन्यवाद। श्री शरद यादव ने भी मुझसे बोलने के लिए कहा है।

सभापति महोदय : मैं नहीं जानता कि क्या श्री शरद यादव ने आपसे बोलने के लिए कहा है या नहीं। लेकिन सभापति की ओर से मैंने आपसे बोलने के लिए कहा है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : धन्यवाद, मैं भी यह बताना चाहती थी।

सभापति महोदय : मैंने उन्हें मौका दिया था। वे स्वैच्छिक रूप से बैठ गए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मुख्य बात यह है कि इस शोर-शराबे में असली प्रश्न ना छोड़ दिया गए। न केवल महिला कर्मचारी, बल्कि हजारों कर्मचारियों की पत्नियां लगातार हमारे पास आ रही हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : यह बड़े लोगों की बात हो रही है। गरीबों की बात नहीं हो रही है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह कोई बड़े लोगों की बात नहीं है। यह मिडिल क्लास इम्प्लाईज, फोर्थ क्लास की बात है। क्या फोर्थ क्लास बिडला और टाटा हैं ?

[अनुवाद]

आप क्या बोल रहे हैं ? मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं।

सभापति महोदय : व्यवधान के बारे में चिंतित न हों। कृपया पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित करें। आप अपनी बात कह सकते हैं। व्यवधान पर ध्यान न दें।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं सीधे आपको सम्बोधित करूंगी न कि किसी अन्य को। इसलिए, महोदय आपके माध्यम से, मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि सरकार तत्काल न्यायालय में जाए और यह देखे कि क्या इन लोगों को कुछ आवास मिला है क्योंकि वहां आवास हैं। उन्होंने हमें आंकड़े दिए हैं। अब कितने आवास उपलब्ध हैं। वे बिना किसी अपने दोष के सड़कों पर होंगे। अतः ऐसा न होने दें। बस, मैं यही कहना चाहती हूं। मुझे आशा है हम सब इससे सहमत होंगे और सदस्य सर्वसम्मति से यह सुझाव देंगे।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो बहेलिए वाला मामला है, जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, हजारों लोगों का रोजगार उसमें चला गया है, उस पर बोलने के लिए आप किसी सदस्य को ऐलाऊ कर दें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस समय ईशू यह है कि जो सैंट्रल गवर्नरमेंट

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : व्यवधान न डालें। यह तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं पार्टी के मुख्य सचेतक से सदस्यों पर नियंत्रण करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : मेरा दूसरा निवेदन है कि इस सवाल के बाद इनको भी इस पर चांस मिल जाए।

सभापति महोदय : शरद जी, आप बड़े ऐक्सपीरिऐंस्ड पार्लियामेंटेरियन हैं। इस समय संतोष मोहन देव जी ने जो सवाल उठाया हैं, जो मसला हाउस के सामने है, वह सैंट्रल गवर्नमैंट इम्प्लाइज़ के

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बोलिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप इस किस्म की बात बीच में नहीं बोल सकते। एक ईशू खत्म होने दीजिए। मैंने कहा है कि बाद में मौका दूंगा। लेकिन आप हाउस को ऐसे रैनसम में नहीं होल्ड कर सकते।

(व्यवधान)

श्री शरद यादव : मेरी आपसे यही विनती है कि इस सवाल के बाद वह सवाल भी इसी सरकार से वास्ता रखता है। उस पर मैं नहीं बोल पाया, ये बोल लेंगे। मामला यह है कि अदालत के कुछ ऐसे फैसले आए, जिनपर मैं कह रहा था।

सभापति महोदय : जीरो आवर में मसले उठाने की जो लिस्ट स्पीकर साहब ने मुझे दी है, मैं स्ट्रिकटली उस लिस्ट के अनुसार चलूंगा। अगर कोई और इम्पोर्टेंट मामला है और हाउस का समय हुआ तो मैं उसे अवश्य लूंगा। लेकिन यदि इस पर आप मुझको बुलडोज़ करेंगे कि मैं स्पीकर साहब की लिस्ट को रद्द करके फाड़कर फेंक दूं तो मैं वह करने को तैयार नहीं हूं। अब जितना शोर मचाना चाहें, मचाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रूप चंद पाल (हुगली) : महोदय, मैं अपने माननीय कुछ साथियों द्वारा व्यक्त की गई चिंता में शरीक हूं। हम सभी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के घटनाक्रम से अवगत हैं। यहां कदाचार, अनियमितताएं और गम्भीर चूकों के मामले भी हैं जिनके आधार पर न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है।

विगत में भी हमने यह देखा है कि जो लोग निचले स्तर के होते हैं वही इसके अधिक शिकार रहे हैं। हमने यहां यह देखा है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी विशेष रूप से वे जो निचले स्तर के होते हैं अर्थात् समूह ग और घ के कर्मचारी और कुछ अन्य हमसे सम्पर्क कर रहे हैं कि वे बहुत गम्भीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। उन्हें सड़कों पर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जैसा कि विगत में कुछ मामलों में ऐसा हुआ था।

हम सरकार से ये अपील करेंगे कि वह न केवल पहले हुए संगीन अपराधों के सम्बंध में कोई उदार दृष्टिकोण अपनाए बिना सारे मामले की जांच करे अपितु वह समाज के कमजोर वर्गों, निम्न तथा मध्यम श्रेणी के लोगों के सम्बंध में विशेष रूप से उन केन्द्रीय कर्मचारियों जिनको घरों से निकालकर बाहर कर दिए जाने की धमकी दी जा रही हैं के सम्बंध में मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाए। मेरी अपील होगी कि सरकार को उन्हें आवश्यक राहत उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त स्तर पर आवश्यक दखल देने के लिए शीघ्र कदम उठाने चाहिए।

सभापति महोदय : महोदय, मैं समझता हूं कि सदन में सभी दल इस मामले पर सहमत हैं। मैं सरकार से इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अनुरोध करूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, मैं यही चाहता था कि मामला तो उठा दिया गया है, मामला महत्वपूर्ण है और कई महीनों से लटका हुआ है। ढाई हजार केन्द्रीय कर्मचारियों के बेघर-बार होने का सवाल है और ढाई हजार का मतलब है ढाई हजार परिवार। जिन कर्मचारियों को मकान मिले हैं, उन्होंने कोई हेराफेरी नहीं की है। जिन्होंने हेराफेरी की, उनके खिलाफ जांच हो रही है, कार्यवाही हो रही है।

कर्मचारियों को तो नियम के अनुसार मकान मिले और डिस्क्रिशनरी एलॉटमेंट्स उस समय नियम का एक हिस्सा था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नहीं रहेगा, यह बात अलग है, लेकिन कर्मचारियों को सजा क्यों दी जा रही है ? अगर रहने के लिए मकान का सवाल है तो मुझे बताया गया है कि गाजियाबाद में वहां की डवलपमेंट एथॉरिटी के हजारों मकान खाली पड़े हैं, महीनों से उनको किसी को एलॉट नहीं किया गया है। सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार से बात कर सकती है, वह मकान ले सकती है, जो कर्मचारी हैं, उन्हें बैठे रहने दिया जाए और जिन कर्मचारियों का दावा है और वह दावा अभी कुछ मात्रा में सही है तो उन्हें भी मकान उपलब्ध कराए जा सकते हैं। सरकार थोड़ा जरा इमेजिनेशन से काम ले और संवेदनशीलता का परिचय दे। सभापति महोदय, कानून मंत्री से इस मामले में कुछ कहलवाइए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले पर सभा के सभी वर्गों का एक मत है। अतः मैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए सरकार से अनुरोध करता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): महोदय, सभा इस बात से अवगत है और पिछली बार भी इस मामले को सभा में उठाया गया था। पिछली सरकार द्वारा दिए गए विवेकाधीन कोटे पर सभा के एक वर्ग के सदस्यों की आपत्ति थी जिस अब उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। अब प्रश्न यह है कि क्या कोई दूसरा कानून सभा में लाकर इसे विनियमित किया जा सकता है। इस विषय में सरकार का खुला विचार था।

यदि सभी राजनीतिक दलों का मत एक हो, तो मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस पर मोटे तौर पर औपचारिक ढंग से विचार किया जा सकता है। इस पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया है और सरकार को निर्देश भी दिया है। अतः सरकार का इस पर खुला विचार है और वह सर्वदलीय बैठक बुलाएगी। जो भी सर्वसम्मति बनेगी, सरकार तदनुसार उस पर आगे बढ़ेगी।

सभापति महोदय : मंत्री जी, यदि आप कह रहे हैं कि इस मामले पर उच्चतम न्यायालय से सकारात्मक आदेश है, तो क्या विधि मंत्री इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे ?

श्री श्रीकान्त जेना : उन कर्मचारियों से मकान खाली कराने के लिए उच्चतम न्यायालय से निर्देश मिला है।

सभापति महोदय : तो सर्वदलीय बैठक से क्या फायदा होगा ?

श्री श्रीकान्त जेना : नियमित करना ही होगा और इसे किसी दूसरे कानून से ही नियमित किया जा सकता है।

श्री संतोष मोहन देव सिल्चर : पिछली बार, जब सभी दलों का यह विचार था तो सरकार ने कारण बताओ नोटिस आदि जारी किया। आज, आपके पास दूसरी सभा का भी विचार आ गया है। तब, दूसरी बैठक क्यों ? सरकार समुचित कार्यवाई कर सकती है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में और भ्रम पैदा न करें।

श्री राजेश पायलट : महोदय, हमने पेट्रोल पंप और अन्य चीजों को विवेकाधीन कोटे द्वारा दिए जाने और मकान को विवेकाधीन कोटे पर दिए जाने के बीच अन्तर करना चाहा है। यह सभा की भावना थी। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि दोनों मामलों को एक में न मिला दें। दोनों के मिला देने के कारण यह भ्रम पैदा हुआ है। इन दो श्रेणियों को अलग रखा जाए। यदि किसी को पेट्रोल पम्प दिया गया है ...*(व्यवधान)* हमारी इसमें कोई रुचि नहीं है। हम यही बात कह रहे हैं। हम कह रहे हैं पेट्रोल पम्प और अन्य आबंटन ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : राजेश जी, मैं समझता हूं कि इसकी चर्चा हम सर्वदलीय बैठक में कर सकते हैं। यही समाधान है।

अब, मैं समझता हूं कि इस ओर बैठे मेरे कुछ मित्र कुछ बिन्दुओं पर बहुत उत्तेजित हैं। मैं उन्हें बोलने के लिए दो मिनट का समय देता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति जी, बोलने का मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

बड़े अफसोस की बात है कि हिन्दुस्तान के अन्दर हजारों साल से कुछ जातियों के नाम काम रख दिया गया है और उसी जाति में एक जाति नुस्कार कही जाती है, जिसका आज से नहीं, सदियों से हिन्दुस्तान के अन्दर यह काम रहा है कि वह छोटी-छोटी चिड़ियों को पकड़ते हैं और पकड़कर उसी से अपना पालन-पोषण करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज दिल्ली के अन्दर और इर्द-गिर्द इस पर पाबन्दी लग गई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सिर्फ हमारे जिले के अन्दर हजारों इस जाति के लोग, इस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, बहेलिया बोलते है, उसको उर्दू में नुस्कार बोलते हैं। नुस्कार जाति होती है, हिन्दी के अन्दर बहेलिया बोलते हैं। आज हमारी एक महिला सांसद, जो कि काफी गरीब परिवार से आती है,

माननीय सदस्या भगवती देवी संसद के मुख्य गेट पर धरने पर बैठी हैं। हमने उन्हें कहा था कि हम इस सवाल को सरकार के सामने रखेंगे। इस देश में हजारों लोग इस जाति के हैं। जो लोग यह काम करते हैं उनकी रोजी-राटी का मामला है। वे लोग सालू भर से जंतर-मंतर पर धरना दे रहे हैं। चूंकि वे गरीब लोग हैं इसलिए उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में पर्यावरण के नाम पर, न जाने किन-किन नामों से यूरोप और अमेरिका का कल्चर लाया जा रहा है।

सभापति महोदय : आपका क्या सुझाव है ?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : मेरा सुझाव है कि इस सम्बन्ध में कानून में संशोधन होना चाहिए। जो छोटी-छोटी चिड़ियां जैसे तोता, मैना आदि लव बर्ड हैं, जिनको पाला जाता है, इनसे इन लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी हुई है। पर्यावरण के दायरे में उसको भी शामिल कर लिया गया है कि इनको पकड़ नहीं सकते और बेच नहीं सकते। मेरा सरकार से निवेदन है कि इसके लिए वह कानून में संशोधन करे और उनको फिर से इस काम को करने का मौका दिया जाए।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अभी एक सवाल पर आम राय बनी थी। इसी तरह से मेरी आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों से अपील है कि इस धंधे में जो लाखों लोग लगे हुए हैं और मजबूरी में रोज अपना पेट पालते हैं इसीलिए इनको बहेलिए कहा जाता है। ये खानाबदोश हैं। इनका धंधा इसी पर निर्भर है, इस पर ध्यान दें। देश में करीब दो-तीन करोड़ ये लोग हैं। मैं संवेदना के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि पर्यावरण जरूरी चीज है। इनको हम लोगों का थोड़ा पहचानना भी चाहिए। कई पशु और पक्षी ऐसे हैं जो हमारे मित्र हैं। गाय, बकरी, ऊंट, बैल आदि हम पालते हैं और हमारी खेती के काम आते हैं।

सभापति महोदय : हाउस में और सेक्शन के भी व्यू सुन लिए जाएं।

श्री शरद यादव : बहुत से लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। जो महिला सांसद बाहर धरने पर बैठी हैं, वे गिट्टी तोड़ने वाली हैं और इस सवाल पर एक साल से लगी हुई हैं। इसलिए इस मामले पर पूरे सदन को गौर करना चाहिए।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक-दिल्ली) : आज दिल्ली रेट कंट्रोल एक्ट के बारे में फैसला आया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय : आप इस विषय पर बोलना चाहते हैं। मैं दूसरे पर बुला रहा हूं। श्री नीतीश कुमार।

श्री दिनशा पटेल (खेड़ा) : यह क्या हो रहा है, हम तीन दिन से खड़े होते हैं, लेकिन हमें समय नहीं दिया जाता।

सभापति महोदय : अभी मिलेगा।

श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल (गोधरा) : कब मिलेगा? सबको बुलाया जा रहा है। अगर हम अपने क्षेत्र की बात नहीं कह सकते तो हम वापस चले जाते हैं। तीन दिन से हमें समय नहीं मिल रहा, जबकि हमारा भी नाम है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह कोई बात करने का तरीका नहीं है।

श्री दिनशा पटेल : तो फिर हम क्या करें ? आप कहते हो तो हम चले जाते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने नीतीश कुमार जी को बुलाया है। नीतीश जी बोलिए।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : एक-एक विषय पर नेता ही बोलेंगे तो अन्य कैसे बोल पाएंगे। आप औरों को भी बुलाएं।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : अगर एक ही बिंदु पर सभी साथी व्यू देंगे तो जीरो ऑवर का महत्व नहीं रह जाएगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपसे सहमत हूं।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : हमारे मित्रों ने अपने नाम दिए हैं। मैं सोचता हूं कि जब उन्होंने अपने नाम दिए हैं, तो उन्हें बुलाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं उन्हें बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : ठीक है। आप उन्हें बाद में बुला सकते हैं।

सभापति महोदय : मैं उनको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : परन्तु मैं माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गई सूची का कड़ाई से पालन करते हुए बुलाऊंगा मैं इस तरह चिल्लाने वाले किसी व्यक्ति को नहीं बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति जी, आप जवाब दिलवा दीजिए। ...*(व्यवधान)*। एश्योरन्स दिलवा दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। कोई जवाब नहीं दिया जाएगा।

श्री सत महाजन (कांगड़ा) : सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई है। वहां लगातार वर्षा हो रही है और सारी फसल नष्ट हो गई है। फल नष्ट हो गए हैं। आलू का बीज कोई नहीं ले रहा है। हम काफी पीड़ा में हैं। पूरा हिमाचल प्रदेश बाढ़ से प्रभावित है। हिमाचल प्रदेश का पचासी प्रतिशत क्षेत्र बागवानी और कृषि पर निर्भर करता है। ...*(व्यवधान)*। कृपया मुझे बोलने दीजिए। पचासी प्रतिशत किसान मुसीबत में हैं।

[हिन्दी]

हमें तो बोलने दो। हमारी पार्टी के हो ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि नुकसान के सर्वेक्षण के लिए कृषि मंत्रालय से एक दल तुरंत भेजा जाना चाहिए तथा किसानों को राहत देने के लिए तुरंत कदम उठाया जाना चाहिए। हम बहुत कष्ट में हैं। हमारा राज्य निर्धन है और हम पूरी तरह कष्ट और पीड़ा में हैं। हमारे किसानों की कमर ही टूट गई है। महोदय, मेरा अनुरोध है कि अविलम्ब कदम उठाए जाएं।

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर) : सभापति महोदय, क्या मैं सभा के उत्तेजित सदस्यों का ध्यान एक बिल्कुल भिन्न समस्या की ओर आकर्षित कर सकती हूं ? मैं सभा का ध्यान भारत के विभिन्न पत्तनों के माध्यम से आस्ट्रेलिया, कनाडा और अन्य देशों से आयातित गेहूं ढोने वाले पोतों के रखरखाव की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया शांत रहिए।

श्रीमती कृष्णा बोस : भारतीय खाद्य निगम ने दिसम्बर 1996 में हुई एक बैठक में भारत के विभिन्न पत्तनों द्वारा रखरखाव किए जाने वाले आयातित गेहूं की मात्रा तय की। कलकत्ता और हल्दिया को 60,000 मीट्रिक टन गेहूं आबंटित किया गया। कलकत्ता का सिलो संयंत्र एशिया में बेमिशाल है। यह संयंत्र गेहूं की विशाल मात्रा को उतारने का काम आसान बना देता है। जरूरत पड़ने पर इस्तमाल हेतु इस संयंत्र को तैयार रखा गया था।

परन्तु, कतिपय रहस्यमय कारणों से कलकत्ता न्यास अथवा हल्दिया न्यास में एक भी मीट्रिक गेहूं नहीं पहुंचा। पोतों की दिशा बदलकर अन्य पत्तनों की ओर कर दी गई जो निजी नौ-भारक के अन्तर्गत आते हैं। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

क्या सरकार इस स्थिति को स्पष्ट करेगी कि कलकत्ता और हल्दिया को इससे वंचित क्यों किया गया और आबंटन आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया ?

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : सभापति जी, माननीय प्रधान मंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल साहब, ने जब यहां पर विश्वास

मत प्राप्त किया था, तब उन्होंने घोषणा की थी कि पीने का पानी और पर्यावरण ये दोनों चीजें प्राथमिकताओं में से एक होंगी। लेकिन तकलीफ की बात है कि आगरा में यमुना नदी पर बैराज बनाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने स्वीकृत किया हुआ था। राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति जी के शासनकाल में उसका शिलान्यास भी कर आए हैं। लेकिन अब बताया जा रहा है कि केन्द्र सरकार ने अभी इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की है। स्वीकृति प्रदान न करने का कारण केन्द्र सरकार यह बताती है कि उसे यह नहीं मालूम कि इस पर कितनी लागत आएगी। इसके लिए पैसे की व्यवस्था कहां से होगी ? जबकि प्लानिंग कमीशन ने इसके लिए पैसे की व्यवस्था कर दी है और मिशन मैनेजमेंट बोर्ड जो योजना आयोग के कहने पर बना है, उसने भी प्रोविजन कर दिया है। लेकिन एनवॉयरनमेंट के माध्यम से भी कुछ आपत्तियां लगाई जा रही हैं। बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो गई है कि राष्ट्रपति महोदय के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति के शासनकाल में राज्यपाल महोदय वहां शिलान्यास कर आए हैं और केन्द्र सरकार अब परमिशन नहीं दे रही है।

फलिम्ज़ी ग्राउन्ड पर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। गोकुल बैराज बन रहा है। जिसका पानी यमुना बैराज आगरा में इकट्ठा किया जाएगा। करोड़ों रुपया गोकुल बैराज पर खर्च हुआ है और वह सब बेकार चला जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि यमुना बैराज जो आगरा में बन रहा है, उसकी स्वीकृति अविलम्ब जारी करें। प्रधान मंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं, नहीं तो मैं उनसे आग्रह करता, लेकिन शासन से आग्रह करना चाहता हूं कि कैबिनेट सैक्रेटरी की अध्यक्षता में एक समिति बनाकर इस पर जल्दी कार्रवाई की जाए।

सभापति महोदय : श्री दिनशा पटेल।

आपको आपके समय पर समय मिलेगा, आप बुलडोजिंग नहीं कर सकते हैं।

श्री दिनशा पटेल : हम तीन दिनों से खड़े हैं।

सभापति महोदय : आप दस दिन से खड़े हैं। आपका जब नम्बर आएगा, तब मिलेगा। आपका जब नम्बर आएगा, तब मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा।

श्री दिनशा पटेल : सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा नवरूपान्तरित अहमदाबाद-दिल्ली रेल लाइन का उद्घाटन किया गया था और अध्यक्षता रेल मंत्री जी ने की थी। नियमानुसार गुजरात के सभी सासंदों को निमन्त्रित किया जाना चाहिए। मैं भी अतिरिक्त रेलवे स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य हूं। मैंने स्वयं दो मई को यहां सदन में प्रस्ताव उठाया था, क्योंकि मुझे निमन्त्रित नहीं किया गया था। गुजरात के कई सांसदों को निमन्त्रित नहीं किया, जैसे श्री जयसिंह चौहान, श्री गोपाल सिंह सोलंकी, श्री सनत मेहता, श्री सत्यजीत सिंह गायकवाड़, श्री पी॰ एस॰ गढ़वी, श्री अनंत दवे, श्रीमती भावनाबेन चिखलिया, श्री दिलीप संघानी, श्री रतिलाल वर्मा, श्री छीतुभाई गामीत। जब माननीय रेल मंत्री जी से सदन में सवाल उठाया, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको पर्सनली निमन्त्रित करता हूं। उद्घाटन अहमदाबाद में हो रहा है और विज्ञापन कलकत्ता में छपता है और पचास अखबारों में छपता है।

सभापति महोदय : जो आपने लिख कर दिया है, आप उस विषय पर सीमित रहिए।

श्री दिनशा पटेल : मैं उसी पर सीमित हूं।

श्री सनत मेहता (सुरेन्द्र नगर) : हम कभी अनफेयर बात नहीं कहते हैं।

श्री दिनशा पटेल : रेल मंत्री जी ने जानबूझ कर गलतबयानी की है और इसके साथ-साथ मंत्री महोदय का ऐसा अवहेलनापूर्ण स्पष्टीकरण संसद में शिष्टाचार का उल्लंघन है, जिसके लिए उन्हें स्वयं संसद में क्षमा प्रार्थना के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। ऐसा न करने की स्थिति में लोकतान्त्रिक मर्यादाओं के विरुद्ध कार्य करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।

महोदय, मैं एक्स्ट्रा-आर्डिनरी सभ्य तो नहीं हूं, लेकिन आर्डिनरी सभ्य तो हूं। वी॰ वी॰ आई॰ पी॰ नहीं हूं, लेकिन आर्डिनरी संसद सदस्य तो हूं।

सभापति महोदय : मेहरबानी करके जितना आपने लिखा है, उसी पर बोलिए।

श्री दिनशा पटेल : हमारे सभी संसद सदस्यों का अपमान है। इसलिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अभी दस सदस्यों ने बोलना है। आपको मौका मिला है और आपने जो लिखित में दिया है, उसी पर रहिए।

श्री दिनशा पटेल : ऐसा पहली दफा नहीं हुआ है। जब देवेगोड़ा जी प्रधान मंत्री थे, तब वे मेरे डिस्ट्रिक्ट में आए थे, उस वक्त भी हमें नहीं बुलाया गया था। मैं यह जानना चाहता हूं, यह कैसे चल रहा है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब भी प्रधान मंत्री जी गुजरात में कहीं जाएं, तो उस क्षेत्र के सभी संसद सदस्यों को निमन्त्रण मिलना चाहिए। यही मैं आपसे विनती करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह बहुत अच्छा मुद्दा है।

[हिन्दी]

जय प्रकाश अग्रवाल : सभापति महोदय, में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। दिल्ली रैन्ट एक्ट इस संसद में पास हुआ। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी और सरकार के पास दिल्ली की सभी पोलीटिकल पार्टियों ने उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पास करके भेजा है।

प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि हम उसमें अमेंडमेंट लाएंगे, जो कंसर्न्ड मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि हम उसमें अमेंडमेंट लाएंगे। यह मसला कई बार पार्लियामेंट में उठा है। आज फिर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि सरकार को यह कानून लागू करना चाहिए। जब यह कानून अभी नोटिफाई नहीं हुआ तो कोर्ट कैसे कह सकता है कि इसको लागू किया जाए।

महोदय, दिल्ली के लाखों इससे प्रभावित हैं और इसको लागू नहीं होना चाहिए। इसमें अमेंडमेंट आई हुई हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो अमेंडमेंट आपके पास आई हैं उनकी अमेंड करके दिल्ली रेंट

[श्री जय प्रकाश अग्रवाल]

एक्ट को पास करना चाहिए, वरना लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि सरकार इस पर दोबारा आश्वासन दे, ये कई बार कह चुके हैं। क्या ये अपनी बात से हटना चाहते हैं ?

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार और सभा के सदस्यों का ध्यान पश्चिम बंगाल के गंभीर विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल में उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना जिलों सहित आठ जिलों पर अर्सेनिक प्रदूषित जल का ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गंभीर प्रभाव पड़ा है। इन जिलों के लोगों को इस अर्सेनिक प्रदूषित जल को पीने या गटक जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है क्योंकि वहां सुरक्षित और शुद्ध पेय जल उपलब्ध नहीं है। इसी कारण लोग काफी लम्बे समय से अनेक प्रकार की बीमारियों से गंभीर रूप से पीड़ित हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों और विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों के विशेषज्ञों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं और यह चेतावनी दी है कि यदि यह सब रोका नहीं गया तो लोगों को अपूरणीय क्षति होगी और यह पश्चिम बंगाल के आठ जिलों में तबाही पैदा करेगा। ...*(व्यवधान)* पश्चिम बंगाल की सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं।

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। कृपया आप बैठ जाइए।

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। धन्यवाद

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, यह अत्यंत गंभीर मामला है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री को यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री को भी दे देनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री पी॰ एस॰ गढ़वी (कच्छ) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का जो अवसर मिला है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। गुजरात के कच्छ, बनासकांठा, मेहसाना और सुरेन्द्र नगर जिलों में पानी की भारी कमी है। कच्छ में हम विगत दो वर्षों से ऐसे सूखे का सामना कर रहे हैं। वहां पानी की एक बूंद भी नहीं है। कच्छ जिले में 30,000 से 40,000 पशु मर चुके हैं। लोग यहां से पलायन कर रहे हैं। यहां पेयजल की भी सुविधा नहीं है। यदि वे कच्छ जिले और उत्तरी गुजरात के सभी जिलों में पेयजल की व्यवस्था करना चाहते हैं तो दक्षिण गुजरात में स्थित नदियों से ही पानी प्राप्त होने की एकमात्र संभावना है। हम नावदा अथवा माही नदी से पाइपलाइन बिछाकर पानी प्राप्त कर सकते हैं। यदि यहां ऐसी व्यवस्था नहीं की जाएगी तो मुझे यह आशंका है कि आगामी वर्षों में लोग यहां से पलायन करते रहेंगे और पशुधन नष्ट हो जाएगा। यहां पर उत्तम नस्ल की भैंसें और गायें हैं। और ये दिन प्रतिदिन मर रही हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार को यह विनम्र सुझाव देना चाहता हूं कि उत्तरी गुजरात के जिलों में विशेषकर कच्छ और सुरेन्द्र नगर जिलों में पेय जल की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : आप बहेलिया पर तो सुन लेते। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सब माननीय सदस्यों ने कहा कि एक सब्जैक्ट पर सिर्फ एक ही माननीय सदस्य बोलेगा, सब नहीं बोलेंगे।

(व्यवधान)

अपराह्न 1.00 बजे

सभापति महोदय : अगर वे यील्ड करते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री नीतीश कुमार : सर, मेरा भी मानना है कि पर्यावरण दुरुस्त तथा बरकरार रहना चाहिए। इस देश में जो परम्पराएं हैं उनसे पर्यावरण कभी नहीं बिगड़ा है। अब जो बहेलिया समाज के लोग हैं वे चिड़ियां और दूसरे पक्षी पकड़ कर बेचने का काम करते हैं। लोग उनकी खरीद कर पालते हैं और सदियों से होता चला आ रहा है। उनके इस धंधे से कभी भी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी के काम से पर्यावरण में असंतुलन पैदा होता हो तो उसके खिलाफ कार्यवाई होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। बहुत सारे कीड़े-मकोड़े होते हैं जिनको पशु-पक्षी खाकर हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। इसी को पर्यावरण संतुलन कहा जाता है। लेकिन जिस धंधे से किसी की जीव-हत्या नहीं हो रही है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, लोग पक्षियों को पकड़कर दूसरे लोगों को बेचते हैं तथा इस कारोबार से उनकी जीविका चलती है तो ऐसे धंधे को तो अलग रखा जाना चाहिए। आज जिस ढंग से पर्यावरण पर बहस चल रही है तो एक बार इस पर खुलकर बहस हो ही जानी चाहिए और जीव-हत्या पर बिल्कुल प्रतिबंध लग जाना चाहिए। यह जो मांसाहार है इसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। एक तरफ तो मांसाहार बढ़ता जा रहा है और सब चीजों को लोग हनन कर रहे हैं जिससे पर्यावरण को बचाए रखन में बाधा उत्पन्न हो रही है। मनुष्य सब चीजों को खा रहा है। उस पर भी रोक लगनी चाहिए, लेकिन उस पर रोक नहीं है।

एक बहेलिया समाज का व्यक्ति 10-5 पक्षियों को पकड़ करके अपना जीवन-यापन करता है तो उसको तो अलग रखकर इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन एक चीज पर हमें एतराज है। अगर एक दूसरे सदस्य के खिलाफ नारा लगता है कि "मेनका गांधी होश में आओ" तो वह गलत बात है। मेनका गांधी का तो अभिनन्दन होना चाहिए। पर्यावरण को सुधारने के लिए उनका जो अभियान चलता है इसकी भी इज्जत होनी चाहिए। लेकिन जहां तक बहेलिया समाज का सवाल है तो मैं उनके कॉज का समर्थन करता हूं।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान सुप्रीम कोर्ट के 19 फरवरी के फैसले की ओर दिलाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी, 1997 को एक फैसला दिया है जिसमें निर्णय किया गया है कि एससीएसटी और बैकवर्ड जब तक मिनिमम अंक नहीं लाएं तब तक मेडिकल और इंजीनियरिंग में

उनके पदों को डी-रिजर्व करके जनरल कैंडिडेट भर्ती कर देंगे। डा० साधना देवी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार, यह केस कोर्ट में गया। मेरा कहना यह है कि हमारे देश में जो एससीएसटी और बैकवर्ड लोग हैं वे कभी भी डाक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री इस बात का रिविजन करें और ऐसा कानून लाएं कि जो उनका रिजर्वेशन का हक है वह हक उन्हें देना चाहिए। हमारे एससीएसटी और बैकवर्ड लड़कों में बड़ा असंतोष है। सरकार इस बारे में पहल करके और उनका रिजर्वेशन कोटा उन्हें दिया जाए, यही मेरी मांग है।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री फातमी, श्री शरद यादव, और श्री नीतीश कुमार ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। सरकार ने उनकी चिंता पर गौर किया है। एक माननीय सदस्या श्रीमती भगवती देवी धरने पर बैठी हुई हैं। मैं उनसे धरना समाप्त करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपने सब के नाम ले लिए लेकिन नीतीश जी का नाम नहीं लिया। क्या बात है ? क्या कोई खास मोहब्बत है ?

श्री श्रीकान्त जेना : मैंने लिया है।

सभापति महोदय : सॉरी, मैंने नहीं सुना।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

श्री श्रीकान्त जेना : इसको राम नाईक जी भी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि भगवती जी जो कि धरने पर बैठी हैं, वह अपना धरना विदड्रा कर लें। सरकार मीटिंग बुला कर इसके ऊपर गम्भीरता से विचार करेगी।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : आप वहां जाकर उनसे रिकवैस्ट करिए और उन्हें सदन में ले आइए।

श्री श्रीकान्त जेना : मैं उन्हें खुद ही ले आऊंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यो हालांकि भोजन का समय हो गया है तथापि यदि हम अन्य चार माननीय सदस्यों को इस शर्त के साथ बोलेने का अवसर दे देते कि वे केवल दो मिनट बोलेंगे तो अच्छा होता।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी : सभापति महोदय, मैंने पहले भी इस बात को उठाया था। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने घोषणा की थी कि दस हजार तक के किसानों के ऋण माफ हो जाएंगे। बिहार सरकार ने भी बार-बार असेम्बली में यह घोषणा की हम दस हजार तक के किसानों के कर्जे माफ करेंगे लेकिन दुर्भाग्य से पांच-दस साल हो गए, जिन किसानों के एक हजार रुपए के ऋण थे, वे दस हजार रुपए के हो गए हैं। कर्जा न चुकाने पर उन्हें जबर्दस्ती जेल में ठूसा जा रहा है और मारा-पीटा जा रहा है। वे जब बैंक में पैसा देने जाते थे तो बैंक वाले उन्हें कहते थे कि आपके कर्ज माफ हो जाएंगे और आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा। आज उनका कई गुना सूद बढ़ गया है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि किसानों के ऋण माफ किए जाएं। अगर सरकार उनके ऋण माफ नहीं कर सकती तो उनके सूद माफ कर दे और उनको छः महीने का समय दे दे। इस बीच में किसान सारे पैसे वापस कर देंगे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप रोज बोलते हैं। आज बैक बैंचर्स को बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री बाजू बन रियान (त्रिपुरा-पूर्व) : महोदय, त्रिपुरा के संदिग्ध उग्रवादी संगठन नेशनल लिबरेशन फ्रंट के उग्रवादियों ने सुरक्षा कर्मियों पर घात लगाकर के० रि० सु० बल के 18 जवान और होम गार्ड के एक जवान को मार डाला। जिस इलाके में यह जघन्य दुर्घटना हुई है वह उपद्रवग्रस्त क्षेत्र अधिनियम के अंतर्गत आता है और यह सेना और असम राइफल्स के नियंत्रणाधीन है। परन्तु वहां सरकार द्वारा पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि वह तत्काल इन उग्रवादियों से निपटने के लिए सेना और असम राइफल्स के पर्याप्त बल भेजे। ...*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, यह एक गम्भीर मामला है। सैनिक उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में मारे गए हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर उचित ध्यान दे रही है।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यह अत्यधिक गम्भीर मामला है। इसमें के० रि० पु० बल के 19 लोग मारे गए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मैंने इसे नोट कर लिया है। .. .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सरकार से शून्यकाल के दौरान पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, वह उत्तर देने के लिए तैयार हैं और यह बहुत गम्भीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपसे अपने स्थान पर बैठने का अनुरोध करता हूं। यह सही तरीका नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं अधिकाधिक संख्या में सदस्यों को बोलने का मौका देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, वे उत्तर देने के लिए तैयार हैं। *...(व्यवधान)*

श्री सिदय्या कोटा (नरसाराव पेट) : सभापति महोदय, ईश्वर और प्रकृति दोनों ही आंध्र प्रदेश के प्रति अनुदार रहे हैं। गत वर्ष भी राज्य में आए तूफान से भारी क्षति हुई थी। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैं उनसे प्रत्येक प्रश्न पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए नहीं कह सकता।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मेरा आपसे यह अनुरोध है कि कृपया अन्य माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर प्रदान करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, सभा में मुद्दों को रखने का यह सही तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : चूंकि मैं माननीय सदस्यों को प्रत्येक मुद्दे पर बोलने की अनुमति देता हूं इसलिए वे व्यवधान डालना आरम्भ कर देते हैं। नहीं, मैंने श्री कोटा सिद्दया को बोलने के लिए आमंत्रित किया है और अब वह बोलेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभा में अनुशासन होना चाहिए। शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा 25 प्रश्न रखे गए। उनमें से अधिकाधिक प्रश्नों को शामिल किया गया है परन्तु, यदि आप सरकार से माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का तत्काल और सद्य: उत्तर चाहेंगे तो यह व्यवहार्य नहीं है और मैं सरकार से ऐसा करने की अपेक्षा भी नहीं कर सकता। वैसे तो सरकार प्रत्येक माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न पर ध्यान देने के लिए बाध्य है परन्तु मैं सरकार से प्रत्येक स्थिति में प्रतिक्रिया व्यक्त करने की अपेक्षा नहीं करता। अधिकाधिक सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। अभी बोलने के लिए चार अथवा पांच माननीय सदस्य रह गए हैं और यदि यह सभा अगले दस मिनट के लिए बैठने पर सहमत हो जाती है तो उन्हें भी बोलने का अवसर मिल जाएगा। परन्तु, यदि आप सभा की बैठक जारी नहीं रखना चाहते हैं तो हम सभा को मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित कर देते हैं। सभा की बैठक को अभी स्थगित करना भी ठीक रहेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं प्रत्येक सदस्य द्वारा खड़े होकर शोर मचाने के ढंग से सहमत नहीं हूं। श्री रूपचन्द पाल और श्री निर्मल कान्ति चटर्जी जैसे वरिष्ठ सदस्य भी अपने स्थान से उठकर मुझ पर बरस रहे हैं। यह उचित नहीं है।

श्री रूपचन्द पाल : यह एक गम्भीर मामला है। सरकार इसका उत्तर देने के लिए तैयार है।

सभापति महोदय : आप श्री कोटा सिद्दया से यह पूछ सकते हैं कि उनका मामला कितना गम्भीर है। आप यह जान लें कि प्रत्येक मामला गम्भीर है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं आपके इस दृष्टिकोण से पूरी तरह से सहमत हूं कि सभी मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। परन्तु कभी-कभी ऐसा होता है कि सरकार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहती है और इस मामले में भी माननीय मंत्री अपनी बात कहना चाहते हैं। हम आपका ध्यान इसकी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री पहले अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में हिचकिचा रहे थे। परन्तु, आपने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया। ठीक है अब श्री श्रीकान्त जेना अपना उत्तर देंगे।

श्री श्रीकांत जेना : आपने बिल्कुल सही कहा कि इस समय तो मैं इस मुद्दे पर सिर्फ प्रतिक्रिया ही व्यक्त कर पाऊंगा। मैंने इस प्रश्न को पहले से ही नोट कर लिया है। मैं माननीय गृहमंत्री के ध्यान में यह बात लाऊंगा ताकि वह इस पर उचित और तत्काल कार्यवाही कर सकें।

सभापति महोदय : आशा है माननीय सदस्य इससे संतुष्ट होंगे।

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : मैं यह मामले गृहमंत्री के समक्ष रखूंगा।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : यह अत्यधिक गम्भीर विषय है। माननीय मंत्री हमें यह आश्वासन दें कि स्थिति अत्याधिक चिंताजनक है। प्रश्न यह नहीं है कि यह मामला हमने उठाया है अथवा यह मामला किसी अन्य सदस्य द्वारा उठाया गया है। माननीय मंत्री यह कह रहे हैं कि वे इसे गृह मंत्री के ध्यान में लाएंगे परन्तु यह तो कोई आश्वासन नहीं हुआ। पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थिति बहुत चिंता जनक है क्योंकि वहां सेना के 19 जवान मारे गए हैं। वह इसके बारे में बोलें।

त्रिपुरा में लोग मारे गए हैं। वास्तव में यह उपद्रवियों द्वारा आक्रमण की शुरुआत है। इसलिए गृह मंत्री यहा आकर पूर्वोत्तर क्षेत्र का समग्र ब्यौरा प्रस्तुत करें। वे इस संबंध में क्या करने जा रहे हैं ? नागालैंड और मणिपुर में भी ऐसी ही स्थिति है। असम में क्या हो रहा है ? असम में 'उल्फा' सक्रिय हैं इसलिए वे पूर्वोत्तर क्षेत्र का समग्र ब्यौरा प्रस्तुत करें और पूरे देश को इससे अवगत कराएं। हालात ऐसे हैं। इस मामले में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? सरकार ने यह कहना शुरू कर दिया है कि इसने उन भूमिगत बागियों के साथ बातचीत प्रारम्भ कर दी है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री राजेश पायलट, मैं माननीय सेदस्यों से और सहमत नहीं हो सकता हूं। केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस बल के 19 जवानों पर जिस प्रकार घात लगाकर आक्रमण किया गया और उन्हें मौत के घाट उतारा गया वह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। क्या माननीय गृह मंत्री इस बारे में किसी समय वक्तव्य देंगे।

श्री श्रीकांत जेना : यदि आप गृह मंत्री को निर्देश देंगे तो वह इस मामले पर अपना वक्तव्य देंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या वे इस संबंध में कल वक्तव्य देंगे ...*(व्यवधान)*

श्री सिद्दया कोटा : महोदय, भगवान और प्रकृति आन्ध्र प्रदेश के प्रति अनुदार रहे हैं। आपको ज्ञात ही है कि पिछले वर्ष राज्य में लगातार तूफान आने से राज्य में भारी क्षति हुई थी। इस वर्ष, हाल ही में ओला-वृष्टि होने से राज्य के दस जिलों पर इसका बुरा असर पड़ा है जिसके कारण 50 करोड़ रुपए के मूल्य की फसल को नुकसान पहुंचा है। इससे 46 लोगों की मृत्यु हुई है और हजारों मकान गिर गए हैं। राज्य सरकार ने किसानों की सहायता के लिए पांच करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह राज्य में किसानों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजे। मैं सरकार से यहु अनुरोध करता हूं कि वह इंदिरा आवास योजना अथवा कुछ और योजनाओं के माध्यम से क्षतिग्रस्त मकानों के स्थान पर पक्के घर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे।

मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति मोहदय, दिल्ली में जामिया मीलिया इस्लामिक विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और कर्मचारियों द्वारा व्यापक आंदोलन किया गया। उन्होंने यह आंदोलन उर्दू विद्यार्थियों और कर्मचारियों के परिवारों के लिए आरक्षण करने के लिए किया था। जामिया मीलिया इस्लामिया, दिल्ली के अल्पसंख्यक स्वरूप को बहाल करने के लिए की जा रही मांग वैध है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने इन घटनाओं पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है और उसने इन मांगों का समर्थन किया है। मेरे विचार से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने सन् 1988 में इस सभा में जामिया मीलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 में संशोधन करने के लिए कई संशोधनों का सुझाव भी दिया था। 1988 में संशोधन करने के लिए कई संशोधनों का सुझाव भी दिया था। 1988 में इस सभा में हमने अनेक सुझाव दिए थे ताकि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो और उर्दू पढ़ने वाले विद्यार्थियों और कर्मचारियों के परिवारों के लिए आरक्षण किया जा सके और जामिया मीलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक स्वरूप विधिवत् रूप से सुरक्षित रखा जाए। लेकिन उस समय, वह नहीं हो पाया। अब हमें बहुत ही गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। जामिया मीलिया इस्लामिया के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उनकी मांगे वैध हैं।

अत: मैं मानव संसाधन विकास मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह विद्यार्थियों और कर्मचारियों की वैध मांगों को देखते हुए उन्हें संतुष्ट करने के लिए हम इस मामले में हस्तक्षेप करें और इन विशेष मांगों को स्वीकार करने हेतु सभा में वक्तव्य भी दें। सरकार को इस मामले में आगे आना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो उर्दू पढ़ने वाले विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों के परिवारों के लिए आरक्षण करने, और जामिया मीलिया इस्लामिया के अल्पसंख्यक स्वरूप को बनाए रखने के लिए जामिया मीलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने हेतु विधान लाया जाए। ...*(व्यवधान)*

यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है लेकिन यह बहुत दुखद बात है कि सरकार ने इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं की है। सरकार को कर्मचारियों और विद्यार्थियों द्वारा किए गए आन्दोलन के संबंध में कोई प्रतिक्रिया अवश्य करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सतविन्दर कौर डालीवाल (रोपड़) : सभापति महोदय, पंजाब का राज्य कच्चे माल के साधनों से बहुत दूर है। वहां प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल लोहा, स्टील और कोयला है। पंजाब में थर्मल पावर स्टेशन को कोयला बड़ी मात्रा में भेजा जाता है। परंतु इसके भेजने में देरी होने के कारण थर्मल पावर प्लांट के चलने में रुकावट आती है, जिसके कारण बिजली उत्पादन में भी रुकावट आती है और इस क्षेत्र में बिजली का बहुत संकट खड़ा हो जाता है। अगर कोयला स्लरी के रूप में पाइप लाइनों के द्वारा भेजा जाए तो यह वहां समय पर पहुंचेगा और साथ में खर्च में भी बचत होगी। सभापति महोदय, इसलिए मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन है कि वह कोयले की सप्लाई के लिए वहां पर पाइप लाइनें लगवाने की व्यवस्था करे।

श्रीमती सुभावती देवी (बांसगांव) : सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश का एक बहुत गंभीर मामला आपके सामने उठाना चाहती हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र सरयू नदी पर है। वहां छपिया, मुजवना, डेरवा, सिंघेगडर आदि गावों में नदी के कारण बहुत कटाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि सरयू नदी के कटाव को तत्काल बंद कराने की व्यवस्था करें।

[अनुवाद]

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मैं केरल के हजारों सीमांतक रबड़ उत्पादकों जो रबड़ लेटेक्स का उत्पादन करते हैं, की समस्या को उठाना चाहता हूं। रबड़ लेटेक्स का कोई बाजार नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : सभापति महोदय, मैं भी इस विषय पर बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय : नहीं, केवल एक सदस्य ही बोल सकता है।

श्री रमेश चेन्नित्तला : महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ...*(व्यवधान)*

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : महोदय, रबड़ लेटेक्स का कोई बाजार नहीं है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री रमेश चेन्नित्तला का नाम भी इस विषय से जुड़ा हुआ है। अत: प्रो॰ कुरियन दोनों की ओर से बोल रहे हैं।

श्री रमेश चेन्नित्तला : नहीं, महोदय। यह कैसे हो सकता है ? मैं भी बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय : उन्होंने वित्त विधेयक में अपनी बात बहुत ही विस्तार से कही है।

श्री रमेश चेन्नित्तला : महोदय, उन्होंने अभी बोलना शुरू नहीं किया है। उनके बोलने के बाद मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। मैं केवल दो मिनट का समय चाहता हूं।

सभापति महोदय : ठीक है।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : महोदय, इस मुद्दे पर केरल का प्रत्येक संसद सदस्य चिन्तित है क्योंकि यह मामला विशेषकर केरल के उन 10 लाख सीमांतक रबड़ उत्पादकों, जो रबड़ मिल्क का उत्पादन करते हैं जिससे रबड़ लेटेक्स तैयार किया जाता है, से संबंधित है। वे बाजार में रबड़ लेटेक्स से तैयार किए गए उत्पादकों की बिक्री नहीं कर सकते हैं क्योंकि सरकार ने कई वर्षों से उस विदेशी सामग्री, जो हमारे किस्मों द्वारा उत्पादित उत्पादों के प्रतियोगी हैं; पर आयात शुल्क कम कर दिया है। पिछले पांच वर्षों से ऐसी सामग्री अर्थात् सिंथेटिक पर आयात शुल्क 85 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है। इस वर्ष भी इसमें कमी की गई है जबकि उत्पाद शुल्क में एक पैसे की भी कटौती नहीं की गई है।

सभापति महोदय : प्रो॰ कुरियन, आप अपनी बात शीघ्र समाप्त करें।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : महोदय, मैं अपनी बात एक मिनट में खत्म करता हूं।

हमारे प्राकृतिक रबड़ उत्पादक, जो इन उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं, को उत्पादक शुल्क में एक पैसे की कटौती का लाभ नहीं दिया गया है। अत: वे बाजार में अपना रबड़ नहीं बेच पा रहे हैं। यह एक बहुत गम्भीर समस्या है।

सभापति महोदय, मैं केरल और केरल से बाहर रहने वाले उन सभी रबड़ उत्पादकों की ओर से आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया सरकार को निर्देश दें कि वे लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित किए जाने वाले रबड़ फोम पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कटौती करें। मैं आयात शुल्क में कटौती करने के लिए नहीं कह रहा हूं। रबड़ का उत्पादन करने वाले हमारे किसान परेशानी में हैं।

सभापति महोदय : श्री रमेश चेन्नित्तला, आपने 7 मई को भी यह मामला उठाया था। अत: मैं अब केवल एक बात ही कहना चाहता हूं कि श्री पी॰ सी॰ थामस ही केवल दो मिनट के लिए बोल सकते हैं।

श्री रमेश चेन्नित्तला : महोदय, मैं केवल एक मिनट ही लूंगा।

यह एक बहुत ही गम्भीर मुद्दा है जिस पर हमारे देश में रबड़ का उत्पादन करने वाले किसान परेशान हैं ...*(व्यवधान)*

कृत्रिम रसायनों, पालिरेथीन पर सीमा-शुल्क घटा दिया गया है। इसलिए, किसानों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर ध्यान दें और कृत्रिम किस्म की वस्तुओं पर कम से कम कुछ शुल्क लगाकर रबड़ उत्पादकों की सहायता करें ताकि हमारे रबड़ उत्पादकों के हितों की रक्षा की जा सके।

श्री पी॰ सी॰ थामस (मुवत्तुपुजा) : हम निर्यात-आयात नीति पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में जो शुल्क लगाए जा रहे हैं और छूट दी जा रही है, उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। ये दोनों पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

जहां तक मेरे विद्वान दोस्त प्रो॰ कुरियन द्वारा उठाए गए प्रश्न का संबंध है, मैंने भी इस विषय पर नोटिस दिया है। समस्या यह है कि भारत में कृत्रिम रबड़ का उत्पादन करने वाले आठ लाख छोटे उत्पादक हैं। ये छोटे उत्पादक हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काफी योगदान दे रहे हैं। लेटेक्स जो रबड़ द्वारा उत्पादित किया जा रहा है, का उपयोग फोम गद्दों को बनाने के लिए किया जा रहा है और इन्हें पोलिरेथीन अथवा अन्य किसी आयातित सामग्री द्वारा भी तैयार किया जा सकता है। इस संबंध में यह किया गया है, पोलिरेथीन का आयात करने के लिए शुल्क घटा दिया गया है और जिसे हम घरेलू उत्पादों से बना रहे हैं उस पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया जा रहा है। यह दोहरी नीति है। इस प्रकार की नीति नहीं होनी चाहिए और मैं माननीय मंत्री श्री चिदम्बरम से अनुरोध करता हूं।....

सभापति महोदय : ठीक है, कृपया बैठ जाइए। रबड़ के मूल्य के बारे में केरल के कई माननीय सदस्य आंदोलित हो रहे हैं। अत: मैं सरकार से इस पर ध्यान देने के लिए अनुरोध करता हूं।

(व्यवधान)

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला : हम रबड़ संबंधी इस मामले का समर्थन करते हैं।

सभापति महोदय : जल्दी करें, समय समाप्त हो रहा है।

श्री कोडीकुनील सुरेश (अंडूर) : हम चाहते हैं कि वित्त मंत्री जी इस विषय पर कुछ प्रकाश डालें।

श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उनका नाम भी इस विषय पर चर्चा करने के लिए जोड़ा जा सकता है।

श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन : महोदय, यह एक भिन्न मामला है। मैं एक अन्य मामला उठाना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, आपको बोलने का समय दिया गया था। कृपया बैठ जाइए। अब लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

(व्यवधान)

अपराह्न 1.27 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.39 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोकसभा अपराह्न 2.39 बजे पुनः समवेत हुई।

[श्री पी॰ एम॰ सईद *पीठासीन हुए*]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) गुजरात के राजकोट जिले में जैतपुर और उपलेटा तहसीलों को रोजगार आश्वासन योजना में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ॰ वल्लभ भाई कठीरिया (राजकोट) : सभापति जी, आई॰ आर॰ डी॰ पी॰ योजना के अंतर्गत इम्पलायमेंट एश्योरेंस स्कीम देश के बहुत से जिलों में लागू की गई है। गुजरात के राजकोट जिले के बहुत से तहसील में भी लागू हुई है लेकिन जैतपुर और उपलेटा दो तहसीलों में यह योजना अस्तित्व में नहीं है। वास्तव में गुजरात के राजकोट जिला के इन तहसीलों में पांच साल में से तीन साल अकाल रहता है। पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं होता। रोजगारी की भी बड़ी समस्या खड़ी होती है। लोगों को स्थानान्तर करके शहरों में या दक्षिण गुजरात में रोजी-रोटी के लिए जाना पड़ता है। इस विषम परिस्थिति में यदि इन दोनों तहसीलों में आई॰ आर॰ डी॰ पी॰ के अंतर्गत इम्पलायमेंट एश्योरेंस स्कीम योजना में शामिल किया जाए तो बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सरकार इन दोनों तहसीलों का एम्पलायमेंट एश्योरेंस स्कीम योजना में सम्मिलित करे।

(दो) श्री गंगानगर जिले में रिसाव (सीपेज) की समस्या के समाधान के लिए राजस्थान सरकार को विशेष अनुदान दिए जाने की आवश्यकता

श्री निहाल चन्द चौहान (श्री गंगानगर) : सभापति महोदय, राजस्थान में श्री गंगानगर के टिब्बी, पीतीबंगा का क्षेत्र पूरी जमीन में से पानी का रिसाव (सेम) की समस्या से बर्बाद हो गया। किसानों के घर व उनकी जमीन पूरी तरह से नष्ट हो गई। किसानों की सहायता के लिए केन्द्र सरकार राजस्थान सरकार को अलग से अनुदान राशि दे ताकि इलाके को व वहां के किसानों को बचाया जा सके।

(तीन) देश की सुरक्षा के लिए हाइड्रोजन बम का परीक्षण किए जाने की आवश्यकता

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : सभापति महोदय, हमारे देश के पड़ौस में आणविक हथियार होने के कारण हमारे देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है और दुनिया की एक बड़ी शक्ति अप्रत्यक्ष रूप से भारत को खंडित करना चाहती है तथा वह जगह-जगह पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी (आई॰ एस॰ आई॰) की मदद करके आतंकवादी गतिविधियों को पूरे देश में संचालित कर रही है। जब चाहे महानगरों, रेलवे स्टेशनों, बसों तथा अन्य स्थानों पर बम विस्फोट हो जाते हैं जिनमें बड़े पैमाने पर निर्दोष लोग मारे जाते हैं। कुछ दिन पूर्व देश के अवकाश प्राप्त थल सेना अध्यक्ष ने कहा था कि भारत को अपनी सुरक्षा के लिए हाइड्रोजन बम का परीक्षण आवश्यक हो गया है।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि देश की सुरक्षा हेतु तत्काल हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया जाए।

(चार) निजामाबाद, आन्ध्र प्रदेश में उच्च शक्ति का दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जी॰ ए॰ चरण रेड्डी (निजामाबाद) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस समय निजामाबाद में एक कम क्षमता का ट्रांसमीटर काम कर रहा है जो एक सीमित क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं की ही पूर्ति करता है तथा जिले के लोगों की काफी बड़ी संख्या टेलीविजन कार्यक्रम देखने की सुविधा से वंचित रह जाती है। विगत में कई बार इस संबंध में केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए हैं और यह अनुरोध किया गया है कि इस कम क्षमता के ट्रांसमीटर के स्थान पर एक उच्च क्षमता का ट्रांसमीटर लगाया जाए जिससे इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग टेलीविजन कार्यक्रमों का आनन्द ले सकें। टेलीविजन एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है जिसके माध्यम से सभी प्रकार के कार्यक्रम जैसे, शैक्षणिक, तकनीकी तथा अन्य प्रकार के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, जोकि पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अत्यावश्यक हो गए हैं, प्रसारित किए जाते हैं। टेलीविजन जनता के मनोरंजन और उन्हें अद्यतन घटनाओं की जानकारी देने का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम बन गया है। निजामाबाद में बड़ी संख्या में लोग ऐसे कार्यक्रम देखने से वंचित रहते हैं।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र निजामाबाद में एक उच्च क्षमता का ट्रांसमीटर स्थापित किया जाए।

(पांच) बिहार के औरंगाबाद जिले में अम्बा और बारून में एस॰ टी॰ डी॰ सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : महोदय, बिहार राज्य का औरंगाबाद जिला अत्यंत पिछड़ा एवं उग्रवाद प्रभावित जिला है।

मैंने सरकार से आग्रह किया था कि बिहार के तमाम उग्रवाद प्रभावित जिलों में कश्मीर राज्य की तरह बृहत् कार्य योजना चलाई जाए। आज जिले में दूर संचार व्यवस्था भी व्यवस्थित नहीं है। अभी तक एस॰ टी॰ डी॰ सेवा से सभी प्रखंडों को भी जोड़ा नहीं गया है। थाना और पुलिस पिकेट पर भी दूर संचार सेवा उपलब्ध नहीं है जिससे दुर्घटनाओं की खबर में काफी लंबा समय लग जाता है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि औरंगाबाद जिला के अम्बा एवं बारून को एस॰ टी॰ डी॰ सेवा से अविलम्ब जोड़ा जाए और जिले की दूर संचार सेवा को सही किया जाए।

(छः) पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर रेलवे फाटक पर उपरिपुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुनील खान (दुर्गापुर) : मैं सदन तथा माननीय रेल मंत्री का ध्यान (दुर्गापुर) पश्चिम बंगाल में बांकुरा-सागरभंगा, मुचीपाड़ा रोड़ पर रेलवे क्रासिंग का निर्माण करने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, पुरुलिया और बांकुरा जिलों की ओर से आने वाली मुख्य सड़क जी॰ टी॰ रोड़ से होती हुई बर्दवान और बीरभूम जिलों को जोड़ती है परन्तु इस रेलवे क्रासिंग के बार-बार बन्द रहने के कारण लोग अपने गन्तव्य स्थान पर समय पर नहीं पहुंच पाते जिससे इन लोगों को असुविधा होती है और साथ ही इससे करोड़ों रुपए का पेट्रोल और डीजल भी बर्बाद होता है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस रेलवे क्रासिंग पर यथाशीघ्र एक उपरि पुल का निर्माण कराया जाए।

(सात) यात्रियों की सुरक्षा के लिए बांद्रा रेलव टर्मिनस को जाने वाले संपर्क मार्गों की हालत में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, यह रेलवे टर्मिनस बांद्रा पूर्व मुम्बई में कुछ वर्ष पूर्व बनाया गया था। परन्तु इस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की निर्बाध रूप से आवाजाही के लिए आवश्यक पर्याप्त आधारभूत सेवाएं प्रदान नहीं की गई हैं। उक्त रेलवे स्टेशन को जाने वाले संपर्क मार्ग काफी संकरे हैं। इन मार्गों पर अनेक फेरी वालों ने अवैध कब्जा कर रखा है। झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों द्वारा रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण करने से यातायात में बाधा आती है। इस स्टेशन के आसपास का क्षेत्र अस्वास्थ्यकर तथा गंदा है। यहां तक कि यात्रियों को स्टेशन पर पैदल पहुंचने में भी कठिनाई होती है। यह शिकायत अनेक बार पश्चिम रेलवे के ध्यान में लाई गई है परन्तु अभी कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि रेल यात्रियों के हित में इस विकट समस्या की ओर ध्यान दिया जाए तथा इन मार्गों को पूरी तरह साफ किया जाए, यात्रियों को सुरक्षा प्रदान की जाए तथा बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया जाए।

अपराह्न 2.48 बजे

वित्त विधेयक, 1997—जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वित्त विधेयक पर चर्चा शुरू करने से पूर्व, मैं माननीय सदस्यों को सचेत करना चाहता हूं कि सामान्य चर्चा के लिए पांच घंटे का समय निर्धारित किया गया था, जिसमें से तीन घंटे और पैंतीस मिनट समाप्त हो चुके हैं तथा मुश्किल से ढाई घंटे का समय शेष है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं सदस्यों के अधिकार को कम करने जा रहा हूं। हमें इस चर्चा को समाप्त करना है। सभी प्रकार की चर्चा आज ही समाप्त हो जानी चाहिए। इसलिए मुझे माननीय सदस्यों का सहयोग चाहिए। मेरे पास नामों की एक लम्बी सूची है। मैं अधिकतम समय देने की कोशिश करूंगा। साथ ही, मुझे माननीय सदस्यों का पूर्ण सहयोग चाहिए। इसके लिए मैं दस मिनट का समय दूंगा। वरिष्ठ सदस्य भी बोलने के लिए तैयार हैं। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे कुछ अधिक समय लेंगे। अब मैं श्री सी॰ नारायण स्वामी, को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं। उन्होंने पहले ही दस मिनट का समय ले लिया है। और उन्हें अपनी बात कुछ वाक्यों के साथ समाप्त कर देनी चाहिए।

श्री सी॰ नारायण स्वामी (बंगलौर-उत्तर) : सभापति महोदय, कल हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने पूर्व प्रस्तावित लेवी को हटाने से संबंधित कतिपय प्रस्ताव दिए थे। इन प्रस्तावों में ट्रेड रबड़ पर कर में की गई वृद्धि को वापस लेना तथा 100 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि की रियायतें भी शमिल थीं; यहां पर एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय पहलू हमारी सरकार, विशेषकर माननीय वित्त मंत्री द्वारा बुनियादी आधारभूत सेवाओं को सुधारने, विशेषतः विद्युत क्षेत्र में मुख्य रूप से जल विद्युत उत्पादन हेतु राजसहायता को बढ़ाकर लगभग 900 करोड़ रुपए कर दिए जाने पर बल देना है।

अब जनता को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान ढांचे के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली अधिकतर बुनियादी न्यूनतम सेवाओं संबंधी योजनाओं को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। संविधान में स्थानीय निकायों की स्थापना का प्रावधान है जिन्हें स्वायत्त एवं स्वशासित संस्थाओं के रूप में कार्य करना चाहिए। इन निकायों के कार्यों और शक्तियों के हस्तांतरण के लिए एक शर्त तथा प्रावधान भी है।

दुर्भाग्यवश, संविधान में संशोधन करने के बाद भी कुछेक अपवादों को छोड़कर देश के कई राज्यों में, राज्य सरकारों ने इन निकायों को अध्यादेशों के माध्यम से पर्याप्त शक्तियां तथा कार्य नहीं सौंपे हैं। कई राज्यों में इन स्थानीय निकायों को अपेक्षित प्रशासनिक शक्तियां नहीं दी गई हैं जिससे वे इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर सकें। यद्यपि उन्हें आयोजना सम्बन्धी शक्तियां प्राप्त हैं तथापि राज्यों में जिला स्तर पर योजना-समितियों की स्थापना नहीं की गई है जो कि संविधान के अंतर्गत अनिवार्य है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि राज्य सरकारों से परामर्श करके यह अनियमितता दूर की जाए और इन जनप्रतिनिधि निकायों, निचले स्तर पर लोगों को, सौंप गए कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने दिया जाए। जिससे अनियमितता की गुंजाइश ही न रहे।

इसी प्रकार, गरीबी उन्मूलन और स्व-रोजगार से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने हेतु किए गए वित्तीय आबंटन और प्रावधानों में वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और इस क्षेत्र में कार्यरत सहकारी संस्थानों सहित वित्तीय संस्थानों का सहयोग अन्तर्निहित होता है। राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय सहकारी बैंक स्थापित करने का एक प्रस्ताव था और उस बारे में संबंधित कानून में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता

थी लेकिन वह प्रस्ताव सरकार के पास लंबित पड़ा हुआ है। मैं सरकार से, विशेषरूप से माननीय वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले को अविलम्ब हल करें और सहकारी संस्थानों को लोकतांत्रिक रूप से कार्य करने का मौका दें ताकि सरकार पंचायती राज में किए गए संशोधनों के समान ही संविधान में अनिवार्य प्रावधान के रूप में सहकारी संस्थानों का शामिल करने के लिए संवैधानिक संशोधन करने के लिए कदम भी उठा सके।

सभापति महोदय : आपको अपनी बात अब खत्म कर देनी चाहिए।

श्री सी. नारायण स्वामी : महोदय, यह मेरा अंतिम मुद्दा है। हमारे देश में शुष्क भूमि का विशाल क्षेत्र है। जबकि हम कृषि का विकास करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाओं में सुधार लाने की दिशा में जोर दे रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम शुष्क भूमि कृषि का विकास करने के लिए उन्हें समान महत्व नहीं दे रहे हैं। इन सुधार संबंधी कार्यों को हाथ में लेने के लिए सिंचाई के लघु टैंक बनाने, भूजल भंडारण, टैंकों का निर्माण करने और इस प्रकार के कार्य करने के लिए आबंटित धनराशि में वृद्धि करने की आवश्यकता होगी। सरकार ने और माननीय वित्त मंत्री ने बजट के माध्यम से शासन के वित्तीय पहलू को कारगर बनाने के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने आधारभूत सुविधाओं का विकास करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। एक तरह से माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट देश के लिए एक माडल है और अनेक तरह से अप्रत्याशित है। मैं उनको इस कार्य के लिए बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि सरकार और माननीय वित्त मंत्री इस बजट में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे।

महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुभाष चन्द्र : सभापति महोदय, धन्यवाद। कल इस फाइनेंस बिल पर माननीय वित्त मंत्री जी ने चर्चा शुरू की। उन्होंने जो शुरू में बोला उसे मैं कोट कर रहा हूं।

[अनुवाद]

69 दिन पहले जब संसद में यह बजट पेश किया गया था तो उस समय इससे भारत में और विदेशों दोनों से ही भारतीय अर्थव्यवस्था के मनोबल के मजबूत आधार मिला। मैं उनमें से कुछ बातों का उल्लेख करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

यह माननीय वित्त मंत्री जी ने बोला है। उसके आगे उन्होंने जो बताया उसे मैं कोट कर रहा हूं।

[अनुवाद]

"गेहूं का खुला बिक्री मूल्य जो फरवरी, 1997 में दिल्ली में बहुत अधिक अर्थात् औसतन 713 रुपए प्रति क्विंटल था, घटकर 510 रु. से 525 रु. रह गया है।"

[हिन्दी]

सभापति जी, इस पूरे फाइनेंस बिल को देखने से यह पता नहीं चलता है कि इसमें ऐसा हुआ कि गेहूं की प्राइस ऊपर से नीचे आ गई। यह नीचे इसलिए आई है क्योंकि अभी सीज़न है, फसल आने का समय है। माननीय वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि यह इसकी वजह से आ गई हैं तो मुझे तो ऐसा कोई प्रॉविजन नजर नहीं आया जिससे यह गेहूं की प्राइस कम हुई हों। वास्तव में बजट का क्या हुआ वह आखिर में इन्होंने बोला है।

[अनुवाद]

"एक क्षेत्र में, औद्योगिक उत्पादन संबंधी आंकड़े जो बजट पेश करने के बाद उपलब्ध हुए हैं, औद्योगिक विकास दर में गिरावट की स्थिति दर्शाते हैं।"

[हिन्दी]

यह वास्तव में इस बजट का रिजल्ट है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ गिर रही है तथा प्राइस इस बजट की वजह से कम नहीं हुई है, जैसा कि वित्त मंत्री जी क्लेम कर रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट का उद्देश्य बताया है कि

[अनुवाद]

निम्न कर दर, विस्तृत क्षेत्र और बेहतर कर प्रशासन

[हिन्दी]

यह तीन चीजें इन्होंने बताईं। आज हालत यह है कि इनके रेवेन्यू विभाग के ऑफिसरों के डर की वजह से कोई इनके विभाग में जाना भी पसंद नहीं करता है। कोई टैक्स-पेयर अगर जाना भी चाहता है तो जो असेसिंग अथॉरिटी है वह समझता है कि सामने वाला चोर है, यह दृष्टिकोण इनके विभाग का हो गया है। असेसिंग अथॉरिटी ऐसे व्यवहार करता है जैसे वह पुलिस हो। मैं अपने भीलवाड़ा क्षेत्र की बात बताता हूं। वहां एक असिस्टेंट कमिश्नर बैठता है। उसकी हालत यह है कि वह टेबल पर सामने वाले असेसी को गाली निकालता है। मैंने एक बार उसको फोन करके उसके व्यवहार के बारे में समझाया तो उसने मुझे सुनने की जगह मेरे केसेज को रि-ओपन करके मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। जब यह हालत एक सांसद के साथ हो सकती है तो आम टैक्स-पेयर के साथ क्या होगा। यह तो माननीय वित्त मंत्री जी बता सकते हैं। जब मैंने आगे इसकी रिपोर्ट की तो उसका उत्तर क्या आया यह मैं अलग से एक पत्र के द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी को बता दूंगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने हरासमेंट के बाद क्या कोई आम आदमी इनके विभाग में जाना पसंद करेगा। असेसमेंट होती है उसमें टाइम-बाऊंड कुछ भी नहीं होता है। फस्ट असेसमेंट में टाइम-बाऊंड होता है लेकिन असेसिंग अथॉरिटी की नाराज़गी की वजह से जो भी गलती उसने की तो उसके लिए जो अपील होती है उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। यह मैंने पहले भी माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन किया था। इसमें टाइम-बाऊंड होना चाहिए कि अपीलें भी इस टाइम में निर्धारित हो जानी चाहिए जिससे ईमानदार टैक्स-पेयर को रिलीफ मिले।

[श्री सुभाष चन्द्र]

पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि जो एक रुपया केन्द्र से जाता है वह गांव में पहुंचते-पहुंचते 15 पैसे रह जाता है। इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि गांव में अगर कोई भी पंचायतों के माध्यम से डवल्पमेंट कराना चाहता है, चाहे पानी के लिए हो, रोड के लिए हो तो उसका जो डोनेशन है वह ए॰ टी॰ जी॰ में एलीजिबल होना चाहिए। मान लो गांव के एक आदमी ने डोनेशन दिया, अगर उसको ए॰ टी॰ जी॰ में रिलीफ मिलती है तो पूरा-पूरा पैसा सीधा पंचायत के पास जाएगा तथा जो कोलेक्शन एजेंसी या डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी है इनके रास्ते में आने के बजाए वह सीधा यूज होगा। ग्राम या जिला पंचायतों को या पंचायत समितियों को जो डोनेशन दिया जाता है उसमें ए॰ टी॰ जी॰ के लिए रिबेट देनी चाहिए।

अपराह्न 3.00 बजे

डायरैक्ट टैक्स के प्रपोजल्स में आपने डिविडेंड पर डबल टैक्सेशन में रिलीफ दिया। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन जो कम्पनियां जो डिविडेंड देती हैं, उस पर दस परसैंट एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया है। यह गलत है। इसको विदड्रा करना चाहिए। अगर किसी कम्पनी को प्रॉफीट होता है तो वह टैक्स देती है। वह उसी प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स को देती है तो वह उसके अगेनस्ट भी टैक्स दे रही है। यह डबल टैक्स है। टैक्स एक जगह लगना चाहिए। एक तरफ आप कहते हैं, यह लोअर रेट पर होना चाहिए लेकिन आप यहां उन पर डबल टैक्स लगा रहे हैं।

जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, उनकी पांच परसैंट सेल फीगर मानने की ओर उसे असैसमेंट करने की बात कही गई है लेकिन कम्पीटिशन के इस युग में कोई भी ट्रेडर पांच परसैंट कमा नहीं पाता। उनका एक या दो परसैंट से ज्यादा प्राफिट नहीं हो पाता। पांच परसैंट मान कर गलत किया। यह एक-दो परसैंट होना चाहिए।

अब मैं सैंट्रल एक्साइज के मुद्दे पर आता हूं। आपने सैंट्रल एक्साइज में कस्टम ड्यूटी कम कर दी। जिन चीजों का प्रोडक्शन इंडिया में होता है, उन पर आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। केरल वाले भाई रिट्रीड रबड़ पर बोल रहे थे। रिट्रीड रबड़ का टायर जो कि एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होता है, वह इम्पोर्ट होता है। आपने इस पर कस्टम ड्यूटी 30 परसैंट से घटा कर 3 परसैंट कर दी है। इंडिया में जो रिट्रीड रबड़ बनता है, आपने उस पर ड्यूटी 15 परसैंट से बढ़ा कर 18 परसैंट कर दी है। आप लोकल इंडस्ट्री को खत्म करना चाहते हैं। रिट्रीड टायर जो कि यहां भी मैन्यूफैक्चर होता है, उससे यहां के लोगों को रोजगार मिलता है। एक टायर जो कि रिट्रीड होकर बाहर से आता है, आपने उस पर ड्यूटी कम कर दी है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है ? आप लोकल इंडस्ट्री को खत्म करना चाहते हैं। जनरल मशीनरी की बात लें। इंडिया में मशीनरी मैन्यूफैक्चर की हालत बहुत खराब है। मशीनों पर इम्पोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी 25 परसैंट से बढ़ा कर 30 परसैंट कर दी है और लोकल जनरल मशीनों पर एक्साइज ड्यूटी 10 परसैंट से 13 परसैंट कर दी है। इसके पीछे यह आर्ग्यूमैंट दिया गया कि आप एक्साइज ड्यूटी के तीन-चार रेट 8 परसैंट, 13 परसैंट और 18 परसैंट करना चाहते हैं। वह पहले 10 परसैंट थी, आप उसको 8 परसैंट कर सकते थे लेकिन आपने उसे 8 न करके 13 कर दिया यानी उसे बढ़ा दिया। आप लोकल इंडस्ट्री को खत्म करना चाहते हैं। टैस्टिंग इक्विपमैंट्स आर॰ ऐंड डी॰ और क्वालिटी सुधारने के लिए जरूरी होते हैं। ऑल दी टैस्टिंग मैजरिंग ऐंड एनालाइजिंग इक्विपमैंट्स पर ऐंट्री 10 परसैंट से 13 परसैंट कर दी। क्या आप बैटर क्वालिटी नहीं चाहते? इसके भी तीन रेट 8, 13 और 18 तय किए। आप 13 की जगह 8 कर सकते थे लेकिन उसको 13 कर दिया। इस बजट के द्वारा गरीब किसानों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। जो चीजें अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं जैसे रैफ्रिजरेटर और एअरकंडिशन, इन पर ड्यूटी 40 परसैंट से घटा कर 30 परसैंट कर दी।

[अनुवाद]

बागवानी उत्पादों का परिवहन करने के लिए गत्तों का निर्माण करने के लिए कार्ड पेपर और पेपर बोर्ड पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में वृद्धि की गई है।

[हिन्दी]

किसान जो चीजें उत्पादन करता है, उनके प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। आप एक तरफ कहते हैं कि हम किसानों का भला करना चाहते हैं और दूसरी तरफ उन पर टैक्स का बोझ डाल रहे हैं और एअरकंडिशन पर टैक्स घटा रहे हैं। यह कहां का न्याय है? सभी लोग यह कह रहे हैं कि यह बजट गरीबों के लिए नहीं है।

और अमीरों के लिए है, इससे पता चलता है। ये अमीर लोग ए.सी॰ में सो सकते हैं, फ्रिज रख सकते हैं, उनके लिए अच्छा है लेकिन जो खेती करते हैं, उनके लिए इस बजट में प्रावधान नहीं किया गया ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप उनकी बातों में मत जाए नहीं तो आपका टाईम कट जाएगा।

श्री सुभाष चन्द्र : सभापति महोदय, मैं जो कुछ बोल रहा हूं, बहुत कम समय ले रहा हूं फिर भी मुझे मेरे टाईम के बारे में मालूम है। मैं छोटी-छोटी दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। मैं भीलवाड़ा से आता हूं जो भारत की बहुत बड़ी सिंथैटिक मैनुफैक्चरिंग नगरी है। यह फैबरिक्स का बड़ा सैंटर है। वहां पर इंडेपैंडेंट प्रोसैसर्स यूनिट बहुत हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले बजट में कपड़े पर माडवेट शुरू किया था। यह बताया गया कि इसके चालू होने से टैक्स चोरी में कमी हो जाती है, इसलिए यह माडवेट दिया जाता है। इसमें इंडेपैंडेंट प्रोसेसर्स में इनपुट पर क्रेडिट दिया जाता है या नैशनल बेसिस पर दिया जाता है। मेरा यह कहना है कि माडवेट को वहां लागू करने से एक्साईज़ ड्यूटी में कमी की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि आपने जो रेट्स दिए हैं यदि एक रुपए पर 10 परसैंट एक्साईज ड्यूटी लगाई तो माडवेट 50 परसेंट आटोमैटिकली मानकर न कि प्रूफ ऑफ ड्यूटी पेमेंट पर हो रहा है जबकि नोशनल में एस्टीमेटेड माल पर लिया जाता है। उसकी वैल्यू 60 परसेंट मानकर ड्यूटी लगा रहे हैं जबकि उसका इनपुट 70 परसेंट मानते हैं। इस तरह इनडायरेक्ट तरीके से आपने गरीबों के कपड़े पर डेढ़ परसेंट ड्यूटी बढ़ा दी। आपको मालूम है कि कपड़ा गरीब आदमी

के लिए कितना जरूरी है। क्या इसी हिसाब से आप हैंडलूम को प्रोटैक्ट कर रहे हैं ? हैंडलूम ग्रामीण इलाकों के लिए एक रोज़गार के रूप में आता है। जब आप हैंडलूम को प्रोटैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा न करें। आज आप हैंकयार्न ड्यूटी फ्री दे रहे हैं। आज की तारीख में जितना हैंकयार्न-हैंडलूम भारत में है, उससे ज्यादा कंजंपशन का हैंक यार्न ड्यूटी फ्री निकल रहा है। इससे यह साबित होता है कि इसमें टैक्स इवेज़न हो रहा है।

सभापति महोदय, अंत में यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि यह गरीबों के विरोध का बजट है, भारत के उद्योगों के विरुद्ध है फाईनैंशियल बिल में गलत बातें रखी गई हैं, एक्साईज ड्यूटी का रेट कम कर दिया है और कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, ऐसी हालत में यह एक्सैपटेबल नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए॰ सी॰ जोस : महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर दिया है। इस वर्ष का बजट संतोषजनक है। मुझे प्रसन्नता है कि श्री चिदम्बरम मंत्री पद पर पुनः नियुक्त हुए हैं; हालांकि उनके इस पद पर आने में कुछ विलम्ब हुआ है और इसके लिए उन्हें थोड़ी बहुत कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा है। मंत्रालय में मंत्री जी की वापसी हो गई है। अब मंत्रालय का कार्य सुचारु रूप से होने लगा है। हम यह सोच रहे थे कि मंत्रालय कहीं दिशाहीन न हो जाए। अन्ततः मंत्री जी को उनका मंत्रालय वापिस मिल गया है और मंत्री जी और मंत्रालय दोनों कार्य कर रहे हैं।

श्री सनत मेहता : मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री चिदम्बरम मां हैं अथवा बाप।

श्री ए॰ सी॰ जोस : श्री चिदम्बरम इस समय मां और बाप दोनों ही हैं। महोदय, पूर्ण रूप से विचार-विमर्श करने के बाद वित्त विधेयक को पारित करना इस सम्मानीय सदन का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। प्रत्येक मंत्रालय की अनुदान मांगों पर वाद-विवाद किया जाना था लेकिन दुर्भाग्यवश कई अन्य पूर्व कार्यों में व्यस्त होने की वजह से हमें विभिन्न मंत्रालयों के अनुदान मांगों पर विचार-विमर्श करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। मैं वित्त मंत्री को इसके लिए दोष नहीं देता हूं। इसके लिए हम स्वंय दोषी हैं। हमनें वित्त विधेयक अनुमोदित करा दिया है। बजट प्रस्तावों को कार्यरूप देने के वास्ते, इस वित्त विधेयक को आज ही पारित किया जाना है। महोदय, हमने इस पर गिलोरिन किया है और हम इसे पारित करने जा रहे हैं।

महोदय, वित्त मंत्री जी इस बार बहुत ही खुश किस्मत हैं कि इस देश में बजट के पक्ष में बात करने का अब फैशन बन गया है। यदि कोई व्यक्ति इसके विरुद्ध बोलने का साहस करता है तो उसे अप्रगतिशील कहा जाता है। ऐसा मुख्यतः उन समाचार मालिकों, पत्रकारों और निगम के प्रमुखों के कारण है जो आयकर अदा कर रहे हैं और जिन्हें इस बजट से लाभ मिला है। अतः आम आदमी गुमसुम है। उसे यह पता नहीं है कि वह क्या कहे क्योंकि हर कोई आपसी मतभेदों को भूलकर बजट की प्रशंसा करने में लगा हुआ है। इस प्रकार, बजट के बारे में की जाने वाली सभी आलोचनाएं समाप्त होने लगी हैं। मैं बजट की वैसे आलोचना नहीं कर रहा हूं। परन्तु जब मैं इस ओर देखता हूं तथा इस पर विचार करता हूं तो मुझे काफी पीड़ा होती है क्योंकि यह न्यूनतम साझा कार्यक्रम संयुक्त मोर्चा का 'मैग्ना कार्टा', बाइबिल या कुरान समझा जाता है-मैंने इसे पढ़ा है। गत वर्ष के बजट में भी, माननीय वित्त मंत्री ने इस पर जोर दिया था। रोजगार सृजन संयुक्त मोर्चा की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जब मैं निजी निवेश संबंधी नीति को देखता हूं, तो पाता हूं कि इस बजट में बेरोजगारी उन्मूलन को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है। माननीय वित्त मंत्री का कहना है कि विकास बेरोजगारी को समाप्त कर देगा। लेकिन आंकड़े क्या बताते हैं? चालू साप्ताहिक आंकड़ों की स्थिति पर आधारित योजना आयोग का अनुमान यह इंगित करता है कि भारत में बेरोजगारी दर 1991 में 4.29 प्रतिशत से बढ़कर मार्च, 1995 में 5.51 प्रतिशत हो गई है। निजीकरण इस समस्या का समाधान नहीं है। यह रोजगार सृजन नहीं करेगी। यदि मैं रिपोर्ट को समझने में सक्षम हूं, तो लगभग 35,000 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र में निवेश किए जा चुके हैं। लेकिन बेरोजगारी 4.2 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। यह इसलिए कि निजी क्षेत्र रोजगार सृजन करने के लिए नहीं हैं; वे स्वर्ग जाने के लिए निवेश नहीं कर रहे हैं बल्कि पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। वे रोजगार सृजन नहीं करना चाहते। अतएव, रोजगार सृजन केवल सरकारी क्षेत्र में निवेश द्वारा ही किया जा सकता है। लेकिन गत चार या पांच वर्षों में, हमने सरकारी क्षेत्र में कोई निवेश नहीं किया है। उन्होंने समान वृद्धि कहा है। आपको इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। निजी क्षेत्र केवल लाभ अर्जित करने के लिए है। वे इस पहलू पर नहीं देखते हैं। सरकारी क्षेत्र में निवेश द्वारा ही केवल इन बातों पर ध्यान दिया जा सकता है।

अब गत पांच वर्षों से हमारे सरकारी क्षेत्र की इकाइयों की आलोचना हो रही है। सभी लोग आंखें मूंद कर इसकी आलोचना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं कोई गलती हुई है। लेकिन क्या आप इसकी इस प्रकार आलोचना कर सकते हैं ? उन्होंने देश को कौन-कौन सी सेवाएं प्रदान की है? वर्तमान परिवर्तन सरकारी क्षेत्र के कारण ही हुआ है। उन्होंने रोजगार सृजन किया। उन्होंने श्रम-कानून का पालन किया। उन्होंने हमें यह दिखाया कि प्रबंधन को किस प्रकार कार्य करना चाहिए। उन्होंने आदर्श औद्योगिक संबंध के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने भारतीय श्रमिक को एक दर्जा प्रदान किया। भारतीय श्रमिक किसी भी श्रमिक के बराबर है। यह सरकारी क्षेत्र की देन है। यदि आप बेरोजगारी समाप्त करना चाहते हैं तो सरकारी क्षेत्र में निवेश करना ही होगा।

मानव विकास के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट में हमारी वृद्धि के बारे में कहा गया है कि हमारी वृद्धि रोजगार विहीन वृद्धि है। क्या यह एक स्वस्थ वृद्धि है ? हमारा देश काफी विस्तृत है तथा इसकी कई समस्याएं हैं और, क्षेत्रीय विषमताएं हैं। जब तक कि हमारी वृद्धि समान नहीं होगी तथा क्षेत्रीय समानता नहीं होगी, राष्ट्रीय एकता का सिद्धांत उपेक्षित रहेगा। यदि आप निजी क्षेत्र का राग अलापते रहे, तो क्षेत्रीय समानता नहीं हो पाएगी क्योंकि जब आप निजी क्षेत्र की ओर देखेंगे तो पाएंगे कि वे महानगरों के चारों ओर ही स्थित हैं। वे दूसरी जगहों पर नहीं स्थित होते हैं।

[श्री ए० सी० जोस]

मैं अपने राज्य केरल से आ रहा हूं। हमारे यहां औद्योगीकरण अभी तक प्रारम्भिक चरण में ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि निजी क्षेत्र आगे नहीं आ रहा है। यह सिर्फ विभिन्न कारणों से ही नहीं है बल्कि मुख्यत: भौगोलिक या अवस्थिति संबंधी कारणों से है। सभी मुख्यमंत्री विदेश गए तथा वहां के उद्योगपतियों से केरल में निवेश करने को कहा। हमारे मुख्यमंत्री भी गए। बंगाल के हमारे वरिष्ठ मार्क्सवादी लोगों के यहां उद्योग स्थापित हुआ। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री अपनी धारणा बनाकर आ गए।

मेरा सुझाव है कि सरकार सरकारी क्षेत्र में निवेश के लिए आगे आए। यद्यपि माननीय वित्त मंत्री ने जोरदार ढंग से कल यह बात दोहराई कि जब समय आएगा वे निवेश करेंगे लेकिन सरकारी क्षेत्र में निवेश हेतु उन्हें पैसे कहां से मिलेंगे। जब तक सरकारी क्षेत्र में निवेश नहीं किया जाता रोजगार सृजन नहीं होता। जब तक कि रोजगार सृजन न हो, समान वृद्धि नहीं हो पाएगी। हमारी वृद्धि रोजगार विहीन वृद्धि होगी।

मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री को इस पर गंभीर विचार करना पड़ेगा ताकि और ज्यादा सरकारी निवेश किए जा सकें। निजीकरण एक सार्वभौमिक मंत्र हो गया है। लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि निजीकरण पर बहुत ज्यादा जोर हमारे अपने उद्योगों को नष्ट कर डालेगा और इसे कई बार उल्लेख किया जा चुका है। मेरा विचार है कि, उस मामले में, हमें चीन के उदाहरण को सामने रखना पड़ेगा यद्यपि चीन ने निजी निवेश के लिए दरवाजे खोल रखे हैं, वे केवल पास द्वारा लोगों को प्रवेश की अनुमति दे रहे हैं। वे कहते हैं कि इन जगहों पर ही आप उद्योग लगा सकते हैं; ये कुछ उद्योग हैं जहां पर आपको ध्यान केन्द्रित करना पड़ेगा। ऐसे निर्देश हमें भी देने चाहिए। लेकिन हमने ऐसे निर्देश देने के विषय में कभी नहीं सोचा। हमने निजी क्षेत्र को यह अनुमति दी कि वे जो चाहें कर सकते हैं। उन्हें जो भी पसंद है कर सकते हैं। यह एक खतरनाक स्थिति है हमें उन निजी क्षेत्र की इकाइयों को प्रोत्साहन देना होगा। जो रोजगार सृजन करते हैं। हमें उन निजी क्षेत्र की इकाइयों को प्रोत्साहन देना है जो हमारे यहां विदेशी तकनीक लाते हैं। इस प्रकार की नियंत्रण तथा निर्देश निजी क्षेत्र के लिए किए जाने चाहिए।

दूसरी परेशानी यह है कि निजी क्षेत्र न केवल लघु उद्योग को हतोत्साहित करता है वरन् समाप्त भी कर डालता है। हमारे कई लघु उद्योग अब समाप्त हो रहे हैं। जब तक कि सरकार पूरी हमारे लघु उद्योग को व्यापक रूप से समर्थन नहीं प्रदान करें, वे बड़े उद्योगों से होने वाले खतरे को बर्दास्त नहीं कर पाएंगे। वे सभी बड़े उद्योग हैं। वे अंतिम रूप में लघु उद्योग का गला घोंट देंगे। कई लघु उद्योग खतरे की स्थिति में हैं। मेरा आग्रह है कि लघु उद्योगों को बचाने हेतु गंभीरता बरतनी चाहिए। सरकार ही केवल ऐसा कर सकती है।

बजट प्रस्ताव में, मैं आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में बात कर रहा हूं। केरल में आयुर्वेद प्रणाली काफी लोकप्रिय है। लगभग 600 से 700 इकाइयों में आयुर्वेदी दवाइयां तैयार की जाती हैं। वर्तमान बजट प्रस्ताव आयुर्वेद में आयुर्वेदी दवाइयों पर उत्पाद कर लगाया गया है। यह काफी जटिल है। आयुर्वेदिक दवाइयां एक विशेष प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती हैं। इसके कोई मध्यस्थ उत्पाद नहीं हैं। लेकिन उत्पाद कर विभाग ने इसे इस प्रकार देखा है कि आयुर्वेद उद्योग मध्य-उत्पाद का उपयोग करता है और इसीलिए आयुर्वेद दवाइयों पर कर लगाया जा सकता है। मैं कहता हूं कि आयुर्वेद उत्पादकों को इन सब चीजों से छूट देना पड़ेगा। आपको उत्पाद कर से पूरी तरह आयुर्वेदिक औषधियों को छूट देना पड़ेगा। यह उद्योग गरीब लोगों के स्वास्थ्य का भी सवाल है। मैं माननीय वित्त मंत्री से आयुर्वेदिक दवाइयों पर विशेष ध्यान देने हेतु आग्रह करूंगा।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान एक और मद की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जो लघु उद्योग में उत्पादित होता है, वह है बीड़ी जो केरल तथा कर्नाटक में विशेष रूप से बनायी जाती हैं। केरल में हमारे पास काफी सफल सहकारी समितियां हैं जो केरल दिनेश बीड़ी का उत्पादन करती हैं। इसमें 50,000 से ज्यादा लोग लगे हैं। यदि आप इस पर कुछ कर लगाना शुरू करेंगे, तो यह उद्योग समाप्त हो जाएगा। माननीय मंत्री जी ने बड़ सिगरेटों पर शुल्क लगाया है, अत: मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि बीड़ी पर शुल्क लगाने की बजाय वे छोटी सिगरेटों पर कर लगा सकते हैं। मैं उनसे बीड़ी उद्योग को बचाने की दरख्वास्त करता हूं। जब आप बीड़ी उद्योग को नहीं बचाएंगे, तो सामान्य लोग परेशानी में पड़ जाएंगे।

हमारे कई प्रमुख उद्योग भी कठिनाई में हैं। उदाहरण के तौर पर त्रिवेन्द्रम का टिटानियम प्रोडक्ट्स। वह एक सबसे पुराना उद्योग है जिसने सर वी० वी० रामास्वामी अय्यर जो हमारे राज्य के दीवान थे, के समय में उत्पादन शुरू किया था। अब टीटानियम डायआक्साइड पर आयात शुल्क में कमी कर दी गई है जिससे बड़ी कम्पनियां अथवा बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जैसे डूपोंट अपने उत्पाद सस्ते दाम पर बेच रही हैं। यह हमारे राज्य के उद्योग को क्षति पहुंचाएगी।

दूसरा मुद्दा जिसका उल्लेख मैं करना चाहूंगा वह यह है कि केरल में अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम सरकारी निवेश किया गया है। हमारे राज्य में देश की 3.6 प्रतिशत जनसंख्या है परन्तु यदि यहां पूरे देश में निवेश की प्रतिशतता को देखा जाए तो यह 1.5 प्रतिशत से कम है। यहां तक कि हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन जैसी फैक्ट्रियां, उत्पाद तालिका के कारण, बन्द होने की कगार पर हैं। एफ० ए० सी० टी० भी अपने को बनाए रखने में कठिनाई का अनुभव कर रही है।

मेरा निवेदन है कि मैं आयात शुल्क कम करके इसे विश्वस्तर पर लाए जाने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब सरकार आयात शुल्क में कमी लाती है तो इसे एक मिनट के लिए यह सोचना चाहिए कि कौन-कौन से अन्य उद्योग हैं जो इनसे प्रभावित होने जा रहे हैं। उस पर विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, उद्योग के अलावा मुझे मंत्री महोदय के ध्यान में एक और बात लानी है। मैंने बजट प्रस्तावों का अध्ययन किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए आबंटित धनराशि में से खेलकूद के लिए कुछ भी नहीं है। इस देश में प्रत्येक व्यक्ति का कहना यही है कि हमें खेलकूद में कोई मेडल नहीं मिलता। मैं जानना चाहूंगा कि खेलकूद को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया गया है। मैंने चर्चा के दौरान

यह बात सुनी है कि मानव संसाधन विकास के लिए जो 200 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गई थी उसे खेलकूद विभाग को दे दिया जाएगा।

माननीय वित्त मंत्री से मेरा निवेदन है कि यदि वह अपनी ओर से धन का कोई प्रबन्ध नहीं कर सकते तो वह उन व्यक्तियों को ही आयकर में कुछ छूट दे सकते हैं जो स्टेडियम तथा फेडरेशन इत्यादि बनाने के लिए चन्दास्वरूप धन देने के लिए आगे आ रहे हैं। इस समय देश में लगभग 36 खेलकूद संघ हैं। ये सब के सब मुसीबत में हैं। खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। प्रशिक्षण के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए, वित्तमंत्री द्वारा, कुछ छूट अवश्य दी जानी चाहिए या तो आयकर में छूट के रूप में या फिर खेलकूदों हेतु चन्दास्वरूप दी गई राशि को आयकर से मुक्त रखकर। मेरा आग्रह है कि खेलों का आयोजन करने वाले व्यक्तियों को भी रियायत प्रदान की जानी चाहिए। खेलकूद में खर्चों के लिए माननीय वित्त मंत्री को सारे प्रयास करने चाहिए।

महोदय, मैं एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं जहां देश की 70 प्रतिशत कालीमिर्च पैदा होती है। कालीमिर्च की खरीद के लिए यहां विदेशी आते रहे हैं। उसी काली मिर्च की जड़ों में बीमारी लगने से उत्पादन अब संकट में है क्योंकि उनके पौधे सूख गए हैं। सरकार से इस बारे में निवेदन किया जा चुका है। कालीमिर्च से संबंधित समस्याओं के लिए एक कालीमिर्च तकनीकी आयोग के गठन का प्रस्ताव है। लेकिन यह कृषि विभाग के ठंडे बस्ते में बंद है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस आयोग के गठन में सहायता करें और कालीमिर्च उत्पादकों को संकट से उबारें।

मुझे अब रबड़ के बारे में कुछ नहीं कहना है। सुबह की चर्चा तथा कल की चर्चा में हर कोई इस बारे में बोल रहा था। रबड़ हमारी रोजी-रोटी है इसीलिए हम इस मुद्दे को लेकर इतने अधिक भावुक हो गए थे। मैं इस बात से सहमत हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने इस बार ऐसा कुछ नहीं किया जो रबड़ उत्पादकों के विरुद्ध हो। हम प्राकृतिक रबड़ लैटेक्स से स्पंज निर्मित कर रहे हैं तथा पॉलियूरिथेन पर से आयात शुल्क कम कर लिए जाने के कारण अब कृत्रिम स्पंज निर्मित की जा रही है। परिणामस्वरूप, दो-तीन सौ से अधिक लैटेक्स फैक्ट्रियां संकट में आ गई हैं। रबड़ की परतें बनाने के पूर्व ही किसान और इसके उत्पादक इसे लैटेक्स के रूप में बेच देते हैं। हम इसे रबड़ के 'दूध' के रूप में जानते हैं। अब इस लैटेक्स की बाज़ार में भरमार हो गई है। क्योंकि इसे कोई लेना नहीं चाहता। यही सबसे बड़ी समस्या है जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।

पॉलीयूरिथेन पर कर में 30 प्रतिशत की कमी की गई है। परिणाम स्वरूप पॉलीयूरिथेन तथा आइसोसायनाइड का आयात किया जा रहा है। जब तक इनके आयात पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा, लैटेक्स फैक्ट्रियां संकट में ही रहेंगी। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि धीरे-धीरे इनकी कीमतों में सुधार हो रहा है। छाता तथा टाइल्स विनिर्माताओं पर लगाए गए प्रतिबन्धों को हटा लेने के लिए मैं वित्तमंत्री का आभारी हूं। इससे काफी मदद मिली है। लेकिन मेरा अनुरोध है कि इन पर इतना अधिक आयात शुल्क कम नहीं किया जाना चाहिए।

एक अन्य बात जिसकी ओर मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा वह यह है कि 90 प्रतिशत इलायची, का उत्पादन जैसा कि मैंने पहले कहा है इडुक्की में होता है। भारतीय इलायची विश्व की सबसे अच्छी इलायची मानी जाती है। लेकिन इस समय इसकी स्थिति क्या है? स्थिति इतनी खराब है कि एक भी इलायची का निर्यात नहीं हो रहा है। क्यों? ग्वाटेमाला की इलायची जो गुणवत्ता में भारतीय इलायची से निम्नस्तर की है, की कलकत्ता में तस्करी हो रही है ताकि उसे नेपाल भेजा जा सके। लेकिन यह नेपाल नहीं पहुंचती। कलकत्ता पत्तन से या नेपाल पहुंचने के बाद यह देश में वापस आ जाती है और यहां तक कि यह केरल में, जहां विश्व की सबसे अच्छी इलायची का उत्पादन होता है, वापस लाई जाती है और सस्ते दामों पर बेची जाती है। मेरा निवेदन यह है कि वित्त मंत्री महोदय इस स्थिति पर ध्यान दें। प्रवर्तन निदेशालय को इस ओर ध्यान देना होगा और इसे रोकना होगा।

महोदय, चाय भी संकटपूर्ण स्थिति में है। क्यों? मैंने सभा में इसका कई बार उल्लेख किया है। निर्यात बाजार में चाय की भरमार होने के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई है। श्रीलंका अमेरिका की मदद से चाय उत्पादकों को एक वर्ष के लिए पैसा उधार दे रहा है और यूरोप में श्रीलंका की चाय पसंद की जाने लगी है। मेरा निवेदन है कि हमें भी चाय उत्पादकों को इस मामले में मदद करनी चाहिए।

अब मैं नकदी फसलों की बात पर आता हूं। 'नकदी फसल' शब्द से ही ऐसा आभास होता है कि यह हमारे लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करती है। इसलिए कालीमिर्च, रबड़, इलायची तथा चाय के मामले में उन्हें इस मुद्दे को उठाना पड़ा। महोदय, जले पर नमक छिड़कने का क्या परिणाम होता है, मुझे पता है। वाणिज्य मंत्रालय ने लौंग तथा दालचीनी के व्यापार को सरणीबद्ध करने का निर्णय लिया है। एक ओर तो हर कोई मुक्त व्यापार तथा मुक्त आवागमन की बात करता है। और अब अचानक इसे सरणीबद्ध कर दिया गया है। इसके सरणीबद्ध किए जाने के कारण हमारे उत्पादक मुश्किल में हैं। मैंने वाणिज्य मंत्रालय को यह बात स्पष्ट की, लेकिन आजकल अफसरशाही का ज़माना है और उन्हीं का बोलबाला है। मेरा निवेदन है कि इसके व्यापार को गैर-सरणीबद्ध किया जाए। निर्यात की तुलना में आयात की यथास्थिति की पुनर्बहाली की जाए। अन्यथा दालचीनी तथा लौंग के उत्पादक संकट में पड़ जाएंगे।

अंत में महोदय आप भी इस बात में रुचि लेंगे—कि मंत्री महोदय को पता है कि केरल एक ऐसा राज्य है जहां से परोक्ष निर्यात होता है।

सभापति महोदय : श्री जोस, आप केरल विधान सभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और आप पीठासीन अधिकारी की मुश्किलों को समझते हैं। कृपया आप अपनी बात को समाप्त करें।

श्री ए. सी. जोस : महोदय, मुझे आपकी परेशानी का पता है। मैं शीघ्र ही अपनी बात समाप्त करूंगा।

केरल के लोग विदेश जा रहे हैं। वे वहां पैसा कमा रहे हैं और उसे वापस भारत भेज रहे हैं। कल माननीय वित्त मंत्री ने बड़े गर्व के साथ कहा था कि हमारे विदेशी मुद्रा संतुलन में सुधार हुआ है।

[श्री ए॰ सी॰ जोस]

मैं इस बात को निःसंकोच कहना चाहूंगा कि यह धन अनिवासी भारतीयों, विशेषकर केरल मूल के व्यक्तियों के कारण आया है, जिन्होंने वित्त मंत्री में अपना विश्वास व्यक्त किया है ...*(व्यवधान)*

श्री सनत मेहता : हम भी इसमें योगदान कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री ए॰ सी॰ जोस : आप भी इसमें योगदान कर रहे हैं लेकिन हमारा योगदान सर्वाधिक है।

उन्होंने सभी तरह के निर्यातकों को प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने हर किसी को प्रोत्साहन दिया है। लकिन केरल के लोगों को, जो विदेश जाते हैं, वहां धन अर्जित करते हैं, और उसे भारत भेजते हैं उनके लिए वित्त मंत्री महोदय ने कोई प्रोत्साहन नहीं दिया है। हमने सभी बजटों में यही पाया है। कम से कम उनके लिए कुछ न कुछ कल्याण उपाए किए जाने चाहिए। उनके लिए कुछ न कुछ बीमा उपाए किए जाने चाहिए। माननीय वित्त मंत्री द्वारा इन बातों पर विचार किया जाना चाहिए।

मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं आमतौर पर इस बजट का समर्थन करता हूं। लेकिन निश्चय ही यह बजट कॉर्पोरेशन के झंडाबरदारों के लिए है। कॉर्पोरेशन वाले इसकी अधिकाधिक प्रशंसा कर रहे हैं और मैं इस वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : महोदय, नौवीं पंचवर्षीय योजना का यह प्रथम वर्ष है और इस नई योजना के अंतर्गत वर्ष 1997-98 के लिए वित्त विधेयक पहला ऐसा वित्त विधेयक है। इसलिए नौवीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र हमारे पास है। इसमें भी वही सात प्रतिशत की विकास दर निर्धारित की गई है जो बजट में की गई थी। पूरे बजट में सात प्रतिशत की विकास दर दर्शायी गई है। मैं वास्तव में चाहता हूं कि हमें सात प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करनी चाहिए किंतु पूर्व बातों को देखते हुए और उन खामियों जिनके बारे में हमारे माननीय वित्त मंत्री ने उल्लेख किया है और जिनके बारे में दृष्टिकोण पत्र में भी शंका जाहिर की गई है उन बातों को देखते हुए मुझे यह संभव नहीं लगता कि संरचनात्मक खामियों के परिणामस्वरूप हम सात प्रतिशत की विकास दर प्राप्त कर पाएंगे। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो समस्त आबकारी और आयकर शुल्क का संग्रह, जो कि कतिपय मापदंड पर आधारित होते हैं, संभव नहीं होगा।

महोदय, नौवीं पंचवर्षीय योजना में 26.2 प्रतिशत बचत दर का आकलन किया गया है। इसी अवधि के दौरान 28.2 प्रतिशत की निवेश दर भी निर्धारित की गई है। लेकिन इस वित्त विधेयक में बचत को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ विशेष नहीं किया गया है। हो सकता है कि निगमित कर में कटौती कर निगम ज्यादा बचत कर सकें किंतु लाभांश के रूप में अधिक लाभ वितरित करना भी प्रोत्साहन देना है क्योंकि अब लाभांश कर मुक्त हैं। इसलिए, शायद बचत दर में और लाभप्रद योगदान किया जाना चाहिए था। इस वित्त विधेयक में लोगों को बचत हेतु कुछ सीधे प्रोत्साहन दिए जाने की बात होनी चाहिए थी जो मेरे विचार से इसमें नहीं है।

मैं अपने आप को निश्चित ही वित्त विधेयक तक ही सीमित रखूंगा। और में बजट पर नहीं बोलूंगा। महोदय, दृष्टिकोण पत्र पर पुनः चर्चा करते हुए मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने इस योजना अवधि में 14.5% की उच्च निर्यात विकास दर निर्धारित की है। मुझे विश्वास है कि जब वे सात प्रतिशत की विकास दर निर्धारित कर रहे हैं तो हम निर्यात विकास दर पर भी विचार कर रहे हैं। इस वर्ष, हमारी निर्यात दर मात्र 4% रही है। मैं जानता हूं कि इससे हर व्यक्ति चिंतित है निर्यात को बढ़ावा देने हेतु वित्त विधेयक में कुछ उपाय किया जाना चाहिए था तथा कुछ प्रोत्साहन दिया जाना था।

महोदय, हमारी मुद्रा स्फिति की दर अब सात प्रतिशत है। यदि हमने अपने तेल पूल के घाटे को कम नहीं किया तो इसमें कोई शक नहीं कि इस वर्ष के अंत तक मुद्रास्फीति दो अंकों में पहुंच जाएगी। यदि हम उसे सात प्रतिशत ही मानकर चलते हैं तो भी जर्मनी, अमेरिका और जापान जैसे हमारे व्यापार में साझेदार देशों में वह मुद्रास्फीति हमसे कम है। अतः यदि हमें निर्यात को बढ़ावा देना है तो हमें वित्त विधेयक में कुछ और प्रोत्साहन देने होंगे जो कि उसमें नहीं हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र लघु उद्योग है, जिस पर अधिक बता दिया गया है और जिससे काफी उम्मीद की गई है। पुनः, मैं वही दृष्टिकोण पत्र का हवाला देते हुए कहता हूं कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 45 प्रतिशत भाग इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस वर्ष हमने इसके लिए न्यूनतम वृद्धि पूंजी उत्पाद अनुपात (आई॰ सी॰ यू॰ आर) 4% रखा है और मैं समझता हूं कि वे पुनः इसे 4.24% से घटाकर 4% कर लघु उद्योग क्षेत्र पर निर्भर कर रहे हैं। मेरे विचार से वे लघु उद्योग क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर हैं। इस क्षेत्र के लिए भी वित्त विधेयक में कुछ ज्यादा नहीं किया गया है। जिससे कि लघु उद्योग को बढ़ावा मिले।

एक और क्षेत्र रुग्ण कंपनियां हैं जिनके बारे में इसमें जिक्र नहीं है। रुग्ण कंपनियों में बहुत अधिक धन फंसा पड़ा है सरकारी क्षेत्र के संस्थानों, वित्तीय संस्थानों, निजी धन और गुप्त रोजगार जो हमें कागजों पर दिखता है और वह कागजों पर ही उपलब्ध मात्र रह गया है क्योंकि ये कम्पनियां रुग्ण हो चुकी हैं।

महोदय, वित्त मंत्री ने जिस प्रकार स्वैच्छिक घोषणा योजना शुरू की है वैसे ही उन्हें रुग्ण कंपनियों के समाधान के लिए कुछ करना चाहिए जिससे इन्हें सक्षम बनाया जा सके। ऐसा करने से शायद फंसा धन बाहर आए और उसका लाभकारी उपयोग हो सके।

एक अन्य मुद्दा जिसे और अधिक महत्व दिया जाना चाहिए था वह मेरे विचार से रोजगार से संबंधित है। अधिक रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था को किसी प्रोत्साहन देने की बात नहीं की गई है। वास्तव में, एक वक्त ऐसा था जब निगमित क्षेत्र अपने धन को संयंत्र और मशीनों में लगाते थे जिससे कि अधिक उत्पादन हो सके जिससे कि उन्हें कर अदायगी में ज्यादा छूट मिल सके। लेकिन, निवेश भत्ता काफी पहले समाप्त कर दिया जा चुका है। अब और अधिक रोजगार का सृजन करने के लिए उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है।

माननीय वित्त मंत्री ने कल सभा में कहा था कि सकल घरेलू

उत्पाद का 42% भाग अब सेवाओं से प्राप्त होता है और सेवाएं जो अधिक रोजगार का सृजन करती हैं उन्हें वास्तव में सेवा कर के रूप में इसलिए दंडित किया जाता है कि वे अधिक रोजगार का सृजन करते हैं। लेकिन मुझे हर्ष है कि इसे फिलहाल टाल दिया गया है। मैं इस बात से अवगत हूं कि जब अयोजवस्था के 42% भाग पर कोई कर अदा नहीं करता तो माननीय वित्त मंत्री के लिए इसका अन्य श्रोत ढूंढना काफी कठिन है। लेकिन साथ ही, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये क्षेत्र जो रोजगार का सृजन कर भारी योगदान देते हैं उन्हें इस तरह दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

अब, मै स्वैच्छिक घोषणा योजना के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। मुझे खुशी है कि इसमें आंशिक संशोधन किया गया है। लेकिन किसी भी वित्त मंत्री के लिए 10 या 12 वर्ष हेतु स्वैच्छिक घोषणा योजना एक आकर्षक योजना होगी, माननीय वित्त मंत्री ने पहली बार ऐसा नहीं किया है। यह उचित समय है कि प्रत्येक 10 या 12 वर्षों में यह स्वैच्छिक घोषणा योजना लाने के बदले हमें ऐसे निरोधात्मक उपाय अपनाने चाहिए जिससे कि लोगों को कर चोरी के लिए कोई प्रोत्साहन न मिले और इसके लिए आवश्यक है कि हम एक व्यापक विधान लाएं। ज्यादातर उल्लंघन संपत्ति के मामलों में होता है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन कर की चोरी हेतु लोगों को मिलने वाला यह एक प्रोत्साहन है क्योंकि ऐसे संव्यवहारों में सटांप शुल्क काफी लगता है। अतः, वास्तव में इस बात की आवश्यकता है कि हम ऐसे संव्यवहारों हेतु संव्यवहार लागत के लिए कुछ मापदंड निर्धारित करें। संव्यवहार लागत में सभी प्रकार के कर-आयकर, स्टाम्प कर आदि अदायगी शामिल हों। मुझे विश्वास है कि इससे भविष्य में कर चोरी रोकी जा सकेगी।

मैं वित्त विधेयक के उपबंधों की संक्षिप्त में चर्चा करना चाहता हूं। खण्ड 38 में आय-कर अधिनियम की धारा 10 (15 M) का लोप करना है। माननीय मंत्री ने कहा है कि अब यह भविष्य में प्रभावी होगा। लेकिन यदि वास्तव में हम खुली आकाश नीति, जिसके बारे में हम बातें करते हैं, और हम अपनी राष्ट्रीय ध्वज कैरियर और कुछ अन्य एयरलाइन्स के बारे में सोचते हैं तो यह आवश्यक है।

मेरा महाराष्ट्र राज्य ने अपना एअरलाइन्स शुरू किया है। क्या यह किसी एअरलाइन्स के लिए संभव है कि वह पूरी कीमत अदा करके वायुयान खरीद सके ? उन्हें इन्हें लीज पर लेना होगा और यदि वे इन्हें लीज पर लेते हैं तो ऐसे लाभ जो वर्षों से दिए जाते रहे हैं उसे समाप्त नहीं करना चाहिए। वास्तव में, इसे एक वर्ष के लिए टालना और भविष्य के लिए इसे लागू करना उचित बात नहीं होगी।

खण्ड 25 धारा 80 (झक) से संबंधित है। यह उस नई छूट के बारे में है जो लागू की जा रही है। वह पहाड़ी क्षेत्रों में शुरू किए जाने वाले होटलों को कुछ फायदा दे रहे हैं। भारत में सिंधुदुर्ग पहला ऐसा जिला है जिसे पहली बार संघ सरकार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा पर्यटन जिला घोषित किया गया था। इसलिए, शायद अधिकतर होटल इसी जिले में निर्मित होंगे। और 80 (झ क) के अंतर्गत छूट का हकदार होगा। मेरे विचार से माननीय वित्त मंत्री को वैसा ही कुछ करना चाहिए।

खण्ड 12 और 13 धारा 11 क घ और 11 क ङ से संबंधित है। इस संशोधन द्वारा वास्तव में गलत कार्य किया जा रहा है। सी॰ बी॰ डी॰ टी॰ के ज्ञापन संख्या 684 दिनांक 23.2.1996 में सिविल ठेकेदारों और माल वाहकों को स्पष्ट तौर पर कहा गया गया है कि साझेदारों को मिलने वाला वेतन और साझेदारों को मिलने वाला ब्याज पर संभाव्य कर की कटौती की जाएगी। अब आप एकाएक सी॰ बी॰ डी॰ टी॰ के उस ज्ञापन को पिछली तिथि से रद्द कर दिया। करदाता सी॰ बी॰ डी॰ टी॰ द्वारा जारी ज्ञापन पर विशेष रूप से निर्भर करते हैं। यदि वह अधिनियम में संशोधन कर पिछली तिथि उस ज्ञापन को रद्द करते हैं तो मेरे विचार से वह वास्तव में सी॰ बी॰ डी॰ टी॰ के महत्व को कम करेंगे।

हम सी॰ बी॰ डी॰ टी॰ को अनेक प्रत्यायोजित विधानों से निपटने को कह रहे हैं। यदि संसद द्वारा अधिनियम बनाकर पिछली तिथि से उन प्रत्यायोजित विधानों और कतिपय नियमों और जारी ज्ञापनों में परिवर्तन करते हैं तो यह उचित नहीं होगा।

खण्ड 40 के प्रारूप, जो धारा 115 (ण) से संबंधित है, को फिर से समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। "के अतिरिक्त" और "अतिरिक्त आय-कर" शब्दों से ऐसा प्रतीत होता है कि जिस कम्पनी को पहले आय-कर नहीं देना पड़ता था अब धारा 115 (ण) के अंतर्गत आय-कर देने के लिए बाध्य नहीं होगा। मेरे विचार से इसकी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। इन शब्दों की आवश्यकता नहीं है और इसका लोप किया जा सकता है। इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है।

एक अन्य मुद्दा है जो स्वागत योग्य है। मैं लाभांश पर कर हटाये जाने का स्वागत करता हूं। यह हमारा निश्चित मत था कि इससे दोहरे कर-अर्थात उसी आय पर दो भिन्न-भिन्न कर वसूल किए जाते थे—देने पड़ते थे। यदि आप वास्तव में इस सिद्धान्त को अपनाना चाहते हैं और यदि एक कम्पनी द्वारा अन्य कम्पनी को लाभांश दिया जाता है जो कि उसी कम्पनी के हाथों में है और यदि वह कम्पनी उस आय को लाभांश के तौर पर अपने शेयर धारकों के बीच वितरित करता है तो शायद 10 प्रतिशत और कर वसूल किया जा सकता है और वह सिद्धान्त जिसे आप दोहरे कराधान के रूप में अनुसरण करना चाहते हैं, प्रभावित होगा और इससे वास्तविक समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। मेरे विचार से वहां भी संशोधन करने की आवश्यकता है।

म्यूच्वल फंड से प्राप्त आय को भी आयकर से मुक्त करने की आवश्यकता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो जिस उद्देश्य से यह संशोधन किया जा रहा है वह उद्देश्य हल नहीं होगा।

मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री खंड 27 के बारे में संशोधन पेश करेंगे जो कि आवश्यक है। खंड 27 में उपबंध है कि धारा 80 (ठ) में संशोधन किया जाए। वास्तव में, धारा 80 (ठ) के खंड 4 का कर निर्धारण वर्ष 1998-99 से लोप किया जाना है। लेकिन इसके अंतर्गत 1 जून के पश्चात घोषित लाभांश पर ही छूट मिलेंगी। अप्रैल और मई के महीने में करदाता को जो भी आय प्राप्त होगी वह तब तक धारा 80 (ठ) के अंतर्गत छूट का हकदार नहीं होगा जब तक कि आप उस धारा को कुछ और समय के लिए परिनियम की किताबों में न रखें।

[श्री सुरेश प्रभु]

अन्यथा, इससे काई फायदा नहीं होगा। और हम धारा 222 (50) के अंतर्गत उल्लिखित कर लाभांश जारी रखेंगे। इसकी अनुपस्थिति में, यदि आप वह धारा वहां लागू नहीं करते तो किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।

मुझे इस बात से खुशी है कि वित्त विधेयक के खंड 14 की धारा 44 (क) (च) के द्वारा एक संशोधन लाया जा रहा है जो कि खुदरा व्यापारियों के बारे में था। इन खुदरा व्यापारियों की उचित व्याख्या किए जाने की वास्तव में आवश्यकता है जिससे कि जिलों और छोटे शहरों में इन खुदरा व्यापारियों को आय-कर अधिकारियों के हाथों परेशान न किया जाए।

मुझे उम्मीद है कि माननीय वित्त मंत्री धारा 145 पर भी ध्यान देंगे। धारा 145, जिसमें वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान संशोधन नहीं किया गया था, लेकिन पहले ऐसा किया गया था, 1.4.1997 से लागू होने जा रहा है। करदाता के लिए यह बाध्यकारी हो जाता है कि वह अपने लेखा प्रक्रिया की घोषणा करे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में सामान्यत: मिली-जुली लेखा प्रक्रिया अपनाई जाती है। कोई भी करदाता अपने प्राप्त आय पर कर नगद या व्यापारिक आधार पर अदा करता है लेकिन ज्यादातर मामलों में मिली-जुली रूप में अदा करता है। लेकिन, अब, इसे नगद या व्यापारिक घोषित करना आवश्यक हो गया है। इस प्रक्रिया की, जो लागू की जानी है, उच्च स्तरीय समिति जो कराधान को सरल बनाने के लिए गठित की गई थी, द्वारा भी सराहना की गई है। उन्होंने भी इसकी प्रशंसा की है। शायद, 1.4.1998 से वे स्वत: ही इसके उत्सादन की सिफारिश करेंगे। आय-कर के मुख्य आयुक्त ने इस संबंध में कहा कि यह राजस्व के हित में भी नहीं है।

मैं समझता हूं 145 धारा के इस संशोधन, जिसे 1.4.1997 से प्रभावी होना है, पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

वित्त विधेयक, 1997 के खण्ड 29 द्वारा प्रस्तुत धारा 80 (ण) का आशय भारत से बाहर बेचे जाने वाले आविष्कारों और डिजाइनों पर कर लगाना है। फिर से यह कुछ ऐसी बात है जिसे वित्त मंत्री वास्तव में करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा था कि वे सभी तकनीशियनों की देशभक्ति की भावना में दृढ़ विश्वास रखते हैं और उसका बहुत सम्मान करते हैं। उनके द्वारा अर्जित की जाने वाली आय पर कर आरोपित किया जाएगा और ये उन आशयों को पूरा नहीं करेगा जो कि उनके मस्तिष्क में है।

मैं एक संशोधन का उल्लेख नहीं कर रहा हूं परन्तु ऐसी बात का उल्लेख कर रहा हूं जिसे धारा 80 (त) में लाया जाना चाहिए। मेरे सहयोगी श्री सनत मेहता, जो कि यहां बैठे हुए हैं, मेरे विचारों से सहमत होंगे कि आयकर अधिनियम की धारा 80 (त) के अन्तर्गत पारस्परिकता की अवधारणा के कारण सहकारिताओं को कर से छूट मिली हुई है। एक सदस्य अन्य सदस्यों के साथ मिलकर गतिविधियों को संचालित करता है। एकजुट सदस्यों की आय पर कर नहीं लगाया जा सकता क्योंकि सदस्य स्वयं आपस में योगदान कर रहे हैं। कतिपय समितियों के मामलों में ऐसा किया गया है। प्राथमिक समितियों के मामले में हम आय पर कर नहीं लगा रहे हैं, परन्तु संघीय समितियों की ऐसी आय पर कर लगाया जा रहा है जो कि वास्तव में इस पारस्परिकता की अवधारणा के विरुद्ध है।

फिर, सहकारी संस्थाओं में निवेश की गई जमा पूंजियों पर अर्जित आय पर फिर से कर आरोपित किया जा रहा है जोकि वास्तव में इस उद्देश्य के विरोध में है।

महोदय, वास्तव में मैं इस सीधी सी बात के लिए कि उस बात के लिए बड़े पैमाने पर कर की चोरी हुई है में धारा (क) के संशोधन का स्वागत करता हूं। परन्तु जिस ढंग से इसे बनाया गया है जो कि सही नहीं है। एक ओर हम मूल्य वर्धित कर की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम एक उत्पाद के मूल्य का आकलन करते हैं और उसके बाद प्रत्येक कर लगाया जाएगा। इस प्रकार अब हम पीछे मुड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि कितने कर का भुगतान किया जाना चाहिए इस आकलन के लिए खुदरा मूल्य आरम्भिक बिन्दु होगा। दूसरी ओर हम खुदरा मूल्य के आधार पर पूरी आय पर कर लगाने के बारे में सोच रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वित्त मंत्रालय के पास ऐसा करने हेतु अवश्य रूप से कोई और बेहतर ढंग होगा। परन्तु इस विधेयक में दी गई परिभाषा इतनी भयावह है और इसमें उल्लिखित है कि मानक भार और माप 1976 के प्रावधानों के अन्तर्गत या कोई अन्य अधिनियम या उनके अतिरिक्त के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन। इसे और ज्यादा सकारात्मक ढंग से परिभाषित किया जाना चाहिए था और मैं समझता हूं कि सम्भवत: कतिपय मुकदमेबाजी, जो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि होगी, को कम करने में वास्तविक रूप से मददगार होता। फिर भी वहां कर के रूप में आय होने की अत्यधिक सम्भावना है क्योंकि मैं जानता हूं कि कई कम्पनियां खुदरा मूल्य को बढ़ा रही हैं और आबकारी शुल्क को जितना कि इसे होना चाहिए, से अत्यधिक कम मूल्य पर भुगतान कर रही है।

महोदय, आबकारी अधिकारियों के हाथों में लघु उद्योग क्षेत्र वास्तव में कष्ट उठा रहा है। कल वित्त मंत्री ने आंकड़े दिए थे जिसमें बताया गया कि इसके अन्तर्गत वास्तव में आने वाली कुल लघु उद्योग मात्र 47,000 है। पूर्व वित्त मंत्री हमेशा 'इंस्पेक्टर राज' को समाप्त करने के बारे में बात करते थे। वह राज जा चुका है, परन्तु इंस्पेक्टर अभी भी बाकी है और इंस्पेक्टर अभी भी लघु उद्योगों को लगातार परेशान कर रहे हैं। लघु उद्योग कर के भुगतान पर आपत्ति नहीं करेंगे क्योंकि यही वे कर रहे हैं। परन्तु इसको जिस ढंग से वसूल किया जाता है और कर प्रबन्धन जिस तरीके से किया जाता है, वह गलत है। आबकारी संग्रहण तंत्र को पूर्ण रूप से नए सिरे से गठित किए जाने की आवश्यकता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वित्त मंत्री अवश्य इस पहलू पर ध्यान देंगे।

सभापति महोदय : आप अपने निर्धारित समय से ज्यादा समय ले चुके हैं। कृपया अपनी बात पूरी कीजिए।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : वे तथ्यों को उल्लेखित कर सकते हैं और अपनी टिप्पणियों को मुझे सौंप सकते हैं।

सभापति महोदय : यह बेहतर होगा।

श्री सुरेश प्रभु : मैं ऐसा अवश्य करूंगा।

अब मैं एक या दो परामर्श दूंगा। अनिवासी भारतीयों के लिए अग्रिम निर्णय लिए जाने का प्रावधन है। ऐसे ही एक अग्रिम निर्णय लिए जाने वाले आयोग की आवश्यकता है जिसे न केवल आयकर के लिए अपितु आबकारी और सीमाशुल्क के लिए भी शुरू किया जा सकता है और यह कि आयोग का निर्णय सम्भवत: सभी प्रकार के आयकर और राजस्व तंत्र पर बाध्यकारी होना चाहिए जिससे कि इसके बारे में बेहतर समझ हो कि इसे किस प्रकार किया जाना चाहिए।

एक परामर्श दिया गया था और यह 73वें और 74वें संविधान (संशोधन) अधिनियमों इन दो अधिनियमों के बाद ज्यादा वैध हो जाता है। इन दो अधिनियमों के अनुसार स्थानीय स्वायत्त शासी निकायों को अपने संसाधन स्वयं जुटाने होंगे। उन्हें संसाधनों को जुटाने के लिए, कर मुक्त बॉण्डों की आवश्यकता है जिसे वो जारी कर सकें और ये बॉण्ड, सम्भवत:, उन्हें अपने संसाधनों को जुटाने में सहायता करेंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो 73वें और 74वें संविधान (संशोधन) अधिनियमों की मूल भावना को वास्तविक रूप से प्राप्त कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ आपकी अपेक्षा के अनुसार मैं अपने भाषण को पूरा किए बिना अपनी बात पूरी करता हूं।

श्री एन. एस. वी. चित्त्यन (डिंडिगुल) : सभापति महोदय, मुझे वित्त विधेयक पर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

हम वर्ष 1997-98 के बजट को पारित करने के अन्तिम चरण में है। मेरी चिन्ता है कि लोगों के विभिन्न वर्गों, विशेषकर लघु उद्योग इकाइयों द्वारा किए जाने वाले कुछ तर्कपूर्ण अनुरोधों पर वित्त मंत्री को विचार करना चाहिए। मैं कल 111 करोड़ रुपयों के आकार वाली छूटों की घोषणा करने के लिए वित्त मंत्री को बधाई देना चाहूंगा और मैं आशा करता हूं कि कल शाम अपने भाषण को समाप्त करते समय वे और भी-कतिपय छूटों की घोषणा जैसा कि हम अपेक्षा रखते हैं करेंगे।

महोदय, शुरू में, मैं वित्त मंत्री को राष्ट्र को एक 'सपनों का बजट' देने के लिए बधाई देना चाहूंगा।

महोदय, तमिल मानिला कांग्रेस राष्ट्रीय हितों के प्रति वचनबद्ध है और यह भी एक कारण है जिसके चलते हम सरकार में फिर से शामिल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा समर्थन वापसी के बाद राजधानी में राजनीतिक संकट के पश्चात मेरी पार्टी संयुक्त मोर्चा सरकार को सही सलामत रखने की परीक्षा में सफल रही है। हम हमारे महान राष्ट्र के इतिहास के इस दौर में जानते हैं, देश का प्रबन्ध चलाने की जिम्मेदारी संयुक्त मोर्चा धर्म निरपेक्ष गठबंधन को सौंपी गई है। हम कई पार्टी नेताओं द्वारा की गई अपीलों को नकार नहीं सकते हैं और विशेषकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री की सरकार में फिर से शामिल होने की अपील को क्योंकि यह निश्चित रूप से राष्ट्र हित में है। एक छोटी अवधि के लिए भी राजनीतिक अस्थिरता पिछले कई महीनों में कठोर श्रम द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों और प्रगति को समाप्त कर सकती है।

महोदय, यह स्पष्ट है कि सभी वर्गों द्वारा बजट को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकारा गया है। वस्तुत: प्रेस, उद्योग, व्यवसाय, और अन्य सभी वर्ग हमारे माननीय मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम को वित्त मंत्रालय का कार्य भार पुन: सम्भालते हुए देखने को उत्सुक थे। वास्तव में वे सब परेशान थे जब तमिल मानिला कांग्रेस सरकार का बाहर से समर्थन कर रहे थे। यह बात दर्शाती है कि बजट ने सुधार प्रक्रिया को तेज किया है और हमारे देश की वित्तीय क्षमताओं को उजागर किया है।

महोदय, कई प्रस्ताव अत्यधिक साहसिक हैं और उन्होंने लोगों की वित्तीय सोच विचार की दिशा ही बदल दी है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि किसी भी वित्त मंत्री ने एक ही बार में 25 प्रतिशत आयकर दर को कम करने का कभी भी प्रयास नहीं किया। संदेह स्पष्ट है कि इस प्रकार होने वाला लाभ या तो बचतों में जाएगा या निवेश में जाएगा।

स्वैच्छिक घोषणा योजना एक और ऐसा अवसर है ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके पास अपने अतीत को ठीक करने के द्वारा काले धन को बाहर निकालना है। यह एक बेईमान करदाता को इनाम नहीं अपितु वैध माध्यमों के द्वारा उसे ठीक करना है यह इस विधि का लक्ष्य है क्योंकि कानून आदमी के लिए है आदमी कानून के लिए नहीं।

महोदय, अर्थव्यवस्था स्पष्ट रूप से गतिशील है और आगे बढ़ रही है। जब तक कि संपत्ति को सृजित नहीं किया जाता है तब तक गरीबों की सहायता नहीं की जा सकती है। इसके लिए अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि होनी चाहिए। इसलिए एकमात्र विकल्प साहसिक निर्णय है। इसी कारण मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं।

इसी के साथ यदि मैं कर प्रस्तावों में अनियमितताओं का उल्लेखित नहीं करता हूं तो मैं अपने कर्त्तव्य को सही ढंग से निभाने में सफल नहीं होऊंगा। सभी धातुओं में से अल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जिसे आम आदमी द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली धातु के रूप में किया गया है। कोई भी गरीब से गरीब के हाथ में भी अल्यूमिनियम के बर्तन को देखा जा सकता है। यह सोना या चांदी नहीं है जिसके पीछे सम्पन्न व्यक्ति भागते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अल्यूमिनियम वृत्तों पर कर क्यों लगाया जा रहा है जो कि छीजन और पुराने उपयोग में लाए गए बर्तनों से बनते हैं। अल्यूमिनियम शीट बेकार और छीजन से बनाई जाती है। अल्यूमिनियम शीटों से बिना किसी बिजली के हाथ से काटने वाली मशीन से यह वृत्त बनाए जाते हैं। ऐसे वृत्तों से बहुत छोटे और लघु उद्योग इकाइयों द्वारा बर्तन बनाए जाते हैं। मजेदार बात तो यह है कि अल्यूमिनियम शीटों की आबकारी शुल्क से मुक्त रखा गया और अल्यूमिनियम वृत्तों पर, जो कि शीटों से बनाए जाते हैं, कर लगाया गया है, इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से अल्यूमिनियम वृत्तों पर से आबकारी शुल्क हटाने हेतु आग्रह करता हूं। इससे गरीबों को स्पष्ट रूप से खुशी मिलेगी।

माननीय मंत्री ने सभा में अल्यूमिनियम उत्पादकों के लिए एक चक्रवृद्धि लेवी की एक योजना की घोषणा की थी। अल्यूमिनियम शीटों को बनाने वाली 60 एच. पी. से ज्यादा न रहने के प्रति शेलिंग मशीन प्रति माह 5,000 रुपए की एक समान दर के बारे में सोचा जा सकता है।

[श्री एन॰ एस॰ वी॰ चित्तन]

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री के ध्यान में करारोपण की कुछ अनियमितताओं को लाना चाहता हूं। ऐसे समय जब हम प्रत्येक देश के साथ दोहरे करारोपण से बचने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, मुझे आशंका है कि हमारे अपने लोगों के साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं।

कर्पूर का मामला ही लीजिए। 18 प्रतिशत शुल्क के भुगतान पर कर्पूर को पाउडर के रूप में जारी किया जाता है। छोटी और अत्यधिक छोटी इकाइयां इस शुल्क के भुगतान के बाद जारी कर्पूर को खरीदते हैं और इसकी टिकिया बनाने के लिए उपयोग में, अशिक्षित और अकुशल मजदूरों और उनके असहाय परिवार के सदस्यों जो कि अत्यधिक गरीब हैं, की सहायता से उपयोग में लाते हैं। हिन्दू इस प्रकार की कर्पूर की टिकिया का प्रयोग पूजा में करते हैं। एक शुल्क को अदा किए जाने के पश्चात कर्पूर के छोटे पैकेटों में पैक होने के बाद, टिकिया के रूप में, उस पर दूसरी बार मूल्यानुसार 18 प्रतिशत शुल्क देय हो जाता है। इसकी वजह से दोहरा करारोपण होता है। मोमबत्तियों, अगरबत्ती और सम्बरानी पर आबकारी शुल्क नहीं है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से टिकिया करण, पैकिंग या पुन: पैकिंग से सम्बन्धित अध्याय 29 में अध्याय नोट दो को समाप्त करने और 18 प्रतिशत शुल्क न लगाने हेतु अनुरोध करता हूं।

दोहरे कराधान का एक और मामला है। होटल और रेस्तरॉं खाद्य वस्तुओं पर बिक्री कर का भुगतान करते हैं और अपनी आय पर आयकर का भुगतान करते हैं। परन्तु जब भोजन को बाहर खान-पान के लिए ले जाया जाता है तो एक अन्य सेवा कर इस बजट में प्रस्तावित किया गया है। जब उन पर पहले ही कर लग रहा है तो क्यों उन पर एक और टैक्स लगना चाहिए।

1991-92 के बजट में, कृषि आधारित वस्तुओं जैसे सौस, केचप, मक्खन, पनीर, स्किम्ड मिल्क पाउडर, डिब्बाबंद भोजन और सुखाई गई सब्जियों को आबकारी शुल्क मुक्त रखा गया था। 1993-94 के बजट में खाद्य वस्तुओं जैसे नूडल्स, रस निकाले गए फलों को मुक्त रखा गया था। 1994-95 के बजट में आइस्क्रीम पर मूल्यानुसार 10 प्रतिशत शुल्क था परन्तु वर्तमान बजट में इसे 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 13 प्रतिशत कर दिया गया। शुल्क और स्थानीय कर अधिक होने के कारण इस उद्योग का विकास नहीं हो रहा है और कई इकाइयां या तो बन्द हो गईं या बिक गई हैं या मन्दी में चल रही हैं। यह एक मौसमी व्यवसाय है। इस कारण मैं माननीय वित्त मंत्री से आइस्क्रीम को आबकारी शुल्क से मुक्त या वर्तमान 13 प्रतिशत शुल्क को आठ प्रतिशत तक कम करने का आग्रह करता हूं जिससे कि यह उद्योग का संरक्षण हो और इसे प्रोत्साहन मिले। मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार की एक घोषणा निश्चित रूप से राष्ट्र के बच्चों को खुशी प्रदान करेगी।

चेन्नई से कन्याकुमारी तक के राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास और ज्यादा निधियों को स्वीकृत करके ही किया जा सकता है। मैं आशा करता हूं माननीय वित्त मंत्री इस पर उचित रूप से विचार करेंगे और उदारता से और निधियों का आबंटन करेंगे।

मदुरई तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मदुरई एयरोड्रोम को अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क में लाया जाना चाहिए। वित्त और नागर विमानन मंत्रालयों और सम्बन्धित मंत्रालयों को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम के साथ एक व्यापक योजना बनाई जानी चाहिए।

केन्द्र सरकार राज्य में चलाए जा रहे कल्याण कार्यक्रमों के लिए कई हजार करोड़ रुपए की धन-राशि प्रदान कर रही है। ऐसी आशंकाएं हैं कि आबंटित धनराशि को समुचित ढंग से खर्च नहीं किया जा रहा है। जिला स्तर पर ऐसे संवितरण की निगरानी के लिए मैं सरकार से ऐसे निकायों में संसद सदस्यों को नामनिर्देशित करने का आग्रह करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

अपराह्न 4.00 बजे

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : सभापति महोदय, मैं कई कारणों से इस बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यूनाइटेड फ्रंट ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया और यह प्रोग्राम उसमें सोशल जस्टिस इसके इर्द-गिर्द घूमता है जबकि सोशल जस्टिस से इनको कुछ लेना-देना नहीं। सोशल जस्टिस का नारा वी॰ पी॰ सिंह ने इस जमीन पर उतारा था और इस बात को इस कदर उछाला कि हमारे भाई जो मंदिर-मंदिर चिल्लाते थे, मंडल को मानने पर मजबूर हो गए। तो यह ज़ाहिर है कि जब जनता दल सरकार की अगुवाई कर रही हो, उसके बजट और हर प्रोग्राम में सोशल जस्टिस की हवा होनी चाहिए। सोशल जस्टिस की तारीफ यह है कि जो तबका जिन्दगी की दौड़ पर पिछड़ गया हो, उसको सहारा देकर दूसरे के बराबर में लाने की कोशिश की जाए।

अपराह्न 4.01 बजे

[श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए*]

हमारे मुल्क में कई तरह के तबके बसते हैं। यह जाति, इलाके, धर्म और जबान के जरिए तबके बनते हैं और कई तो जज़बात के जरिए भी बनते हैं। जाति के जरिए बनने वाले तबकों को हमारे संविधान निर्माताओं ने तसलीम किया है। उसी आधार पर अनुसूचित जाति और बाद में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया। कहीं न कहीं धार्मिक अल्पसंख्यकों को एक वर्ग तसलीम किया गया है। अंग्रेजों की वापसी के समय ये तबके न गरीब थे और न जिन्दगी की दौड़ में पीछे थे। एक सोची-समझी प्लान के मुताबिक अल्पसंख्यकों को एक वर्ग मानकर जिन्दगी के हर मैदान से उन्हें खदेड़ कर एक कोने में खड़ा कर दिया। जब वह पूरी तरह से पस्ता हो गया तो उसको भीख देने की शुरुआत हुई। उसी भीख के मरकद में मौलाना आजाद फाउंडेशन बनाया गया। सरकार ने कहा कि 40 करोड़ रुपया देकर हम अकलियतों के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि 40 करोड़ रुपया 10-12 करोड़ आदमियों के लिए कोई चीज नहीं क्योंकि 3-4 रुपए फी आदमी देने से कोई भला होने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, मैं यह बात रिकार्ड पर लाना चाहता हूं कि कल्याण

मंत्री ने बाकायदा एक आदेश देकर टसी मौलाना आजाद फाउंडेशन में जिन्दगी की दौड़ में ऊपर उठाने के लिए सिक्खों को भी शामिल कर दिया है। हमें इसमें कोई एतराज नहीं। इसलिए आज सिख भाई ज़जबात में आकर माईनॉरिटी कहलाने लगे हैं। अनुसूचित जाति के लोगों को पॉलिटिकली और सर्विसेज़ में आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार दलित सिख भी इन्दिरा आवास योजना या दूसरी सुविधाओं में भागीदार होते हैं। रिजर्व सीटों पर आसानी से चुनाव लड़कर पार्लियामेंट और असेम्बली में चुनकर आ जाते हैं। ऐसे ही आई॰ ए॰ एस॰ और पी॰ सी॰ एस॰ में आरक्षण पाते हैं। लेकिन वहीं काम करने वाले, उसी जाति से संबंध रखने वाले जो मुसलमान लोग हैं जैसे मुस्लिम मेहतर, धोबी हैं, वे न तो पॉलिटिकली और न सर्विसेज़ में फायदा उठा सकते हैं। इससे साफ मालूम हुआ कि हमारा कानून सिख भाइयों को हिन्दू समाज का अंग मानता है। यह अलग बात है कि जिस तरह इस्लाम जन्म के आधार पर कोई ऊंच-नीच नहीं मानता, गुरु नानक देव के सिक्ख धर्म में भी किसी को ऊंच-नीच नहीं माना गया है फिर उनको हिन्दू होने की सारी सुविधाएं मिलती हैं लेकिन दलित मुसलमान को नहीं मिलती। दूसरी तरफ श्री रामूवालिया ने मुमलमानों को मिलने वाली भीख में सिखों को भी भागीदार बना दिया है, मैं नहीं समझता कि यह सोशल जस्टिस की कौन सी किस्म है। यह कामन मिनिमम प्रोग्राम की किस दफा के आधार पर ऐसा किया गया है। इसका जवाब माननीय चिदम्बरम साहब को देना चाहिए क्योंकि उनका ताल्लुक फाइनेंस से है।

सभापति महोदय, हमारे कम्युनिस्ट भाइयों ने आज तक मुल्क की समाजिक समस्या को शायद पूरी तरह से तसलीम नहीं किया है। उनके यहां तो सिर्फ दो तबके होते हैं एक अमीर और एक गरीब। एक खुशहाल मालदार तबका। अगर मैं इस थ्योरी को मान लूं तो मुझे यह कहने दिया जाए कि यह बजट और भी गलत हो जाता है।

इसमें समाज के अमीर, मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के लिए तो बहुत कुछ है और ज़िन्दगी के हर सोबे पर, समाज के हर सोबे पर छाया हुआ यह तबका गला फाड़-फाड़कर इस बजट की तारीफ कर रहा है। इसलिए लगता है कि यह बजट उन्हीं के लिए बनाया गया है लेकिन गरीबों के लिए तो इसमें कुछ भी नहीं है। मैं इसका समर्थन कैसे कर सकता हूं क्योंकि मेरी पार्टी समाज के सबसे मज़लूम और गरीब तबके की नुमाइंदगी करती है। उस गरीब तबके की जिनके पोस्टकार्ड महंगे कर दिए गए, जिनके अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे महंगे कर दिए गए हों, छतरी पर आठ परसेंट टैक्स लगा दिया गया हो, ट्रांसपोर्ट पर टैक्स लगा दिया गया हो और ट्रैवल टैक्स यानी सफर पर भी टैक्स लगा दिया गया हो, तो मैं कहता हूं कि इस बजट के ज़रिए गरीबों का खून निचोड़कर मध्यम बर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के जिस्म में सिरिन्ज किया गया है, इसलिए वह इसकी हिमायत कर रहे हैं। मैं इसकी हिमायत कैसे कर सकता हूं ?

कल फाइनेन्स मिनिस्टर ने टैक्सों में कई रियायतों का ऐलान किया है, लेकिन ये रियायतें भी उन्हीं लोगों को दी गई हैं जिन्हें बजट पेश करते वक्त ही काफी रियायत फाइनेन्स मिनिस्टर दे चुके हैं, लेकिन गरीबों की जो डिमाण्ड थी, उसमें कोई रियायत अगर आज दे दें तो आपका शुक्रिया अदा मैं करूंगा और फाइनेंस बिल के सपोर्ट में वोट भी करूंगा। लेकिन मंत्री जी ने ऐसा ऐलान नहीं किया तो मैं बजट की हिमायत कैसे कर सकता हूं ?

सभापति जी, हमारे मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ही मुल्क में सबसे गरीब भी है। हमारे उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या इतनी जटिल हो गई है कि जो नया देशी-विदेशी पूंजी निवेश हो रहा है, देशी-विदेशी पूंजी-निवेशक उत्तर प्रदेश का रुख नहीं करते कि वहां उद्योग लगाएंगे तो हमें बिजली नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड पर केन्द्र का छः-सात सौ करोड़ रुपया बकाया है। उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड की हालत ऐसी हो गई है कि वह बकाया की किस्त देना तो दरकिनार, उसका ब्याज देने की पोज़ीशन में भी नहीं है। दो साल से उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड इस पोजीशन में भी नहीं था कि एक पैसा भी केन्द्र से मदद लेता। इस साल गवर्नर के ज़माने में जब उत्तर प्रदेश के प्लान के लिए पैसा दिया गया तो उसमें कुछ पैसा बकाया में काट लिया गया। इस साल फिर से नई सरकार उत्तर प्रदेश में बनने के बाद कुछ मदद केन्द्र ने बिजली बोर्ड को दी है। मैं कहता हूं कि अगर आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को मानते हैं, अगर आप यह मानते हैं कि जो ज्यादा पिछड़ गया है या जो ज्यादा गरीब हैं, उसको कुछ ज़्यादा मदद देनी चाहिए और जो ज़िन्दगी की दौड़ में आगे निकल गया है, उससे लेना चाहिए और गरीबों को आगे बढ़ाना चाहिए, अगर आप सोशल जस्टिस को मानते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को मानते हैं तो होना तो यह चाहिए था कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। होना यह चाहिए था कि केन्द्र उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड का बकाया माफ करता ताकि उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड अपने पांवों पर खड़ा होकर बिजली की समस्या का समाधान करता जिससे पूंजी निवेश भी बढ़ता और लोगों को रोज़गार भी मिलता। लेकिन हमारे प्रधान मंत्री बहुत इंटिलेक्चुअल हैं। उनकी दानेश्वरी की बड़ी तारीफ हो रही है। वह पंजाब जाते हैं तो पंजाब जो मुल्क की सबसे खुशहाल रियासत है, वहां का सारा कर्ज़ा एकमुश्त माफ करके चले आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड के लिए हम चिल्लाते हैं कि आर॰ ई॰ सी॰ का बकाया माफ कर दीजिए तो वह उनसे नहीं बन पाता। यह कौन सा सोशल जस्टिस है? यह कौन सा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है? पेट भरे को और खिलाओ तथा जो भूख से मर रहा हो, उसे एक लुकमा भी मत दो! इसलिए मैं फाइनेन्स मिनिस्टर से गुज़ारिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश में कम से कम बिजली के मामले को सही करने के लिए उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड पर आर॰ ई॰ सी॰ को जो बकाया है, उसको भी प्रधान मंत्री से बात करके माफ करवाएं। जब पंजाब का सारा बकाया माफ हो सकता है तो आर॰ ई॰ सी॰ का बकाया क्यों नहीं माफ हो सकता है?

केन्द्र द्वारा जो मदद रियासतों को दी जाती है, उसका कोई आधार होना चाहिए। आबादी और पिछड़ापन आधार होना चाहिए। जो रियासतें ज्यादा पिछड़ी हैं, उनको ज्यादा परसेंटेज मिलना चाहिए और जिनकी आबादी ज्यादा है उनका परसेंटेज भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन जो मदद केन्द्र से दी जाती है, उसमें यह आधार नहीं रखा जाता है। मैं इसको पूरा नहीं पढ़ पाया हूं, लेकिन कुछ मदों को जिनको मैंने पढ़ा है, जैसे अभी दो दिन पहले कहा था कि प्रौढ़ शिक्षा में राजस्थान को 13 करोड़ और उत्तर प्रदेश को नौ करोड़ रुपया दिया गया है। मैं इसका

[श्री इलियास आजमी]

विरोधी नहीं हूं कि राजस्थान को 13 करोड़ रुपया क्यों दिया गया है?

लेकिन उत्तर प्रदेश की आबादी राजस्थान से साढ़े तीन गुना ज्यादा बड़ी है। उसको आपने नौ करोड़ दिया और राजस्थान को 13 करोड़ दिया है, तो इस तरह की बात सोशल जस्टिस के खिलाफ है। आपके कॉमन मिनीमम प्रोग्राम के खिलाफ है। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि इसकी घोषणा होनी चाहिए कि रियासतों को पिछड़ेपन और आबादी के आकार के आधार पर मदद दी जाएगी। ताकि जो रियासतें पिछड़ गई हैं उनका आगे बढ़ने का मौका मिले। यदि आप आबादी के आधार पर पैसा नहीं देंगे तो जाहिर है कि जिसकी 15 करोड़ आबादी है उसको आप उतना ही देंगे जितना कि पांच करोड़ की आबादी वाले को देते हैं तो इससे वहीं पर तीन गुना का फर्क हो जाएगा। इसके अलावा मेरी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मांग है कि आपने छतरी, बैटरी, टॉवल और ट्रांसपोर्ट आदि पर जो कर लगाया है ...*(व्यवधान)* उसे वापस लें। रियासतों को बजट अलॉट करते वक्त आप आबादी के आकार और उनके पिछड़ेपन को आधार बनाकर रियासतों को आप मदद दें। ताकि वे रियासतें भी ऊपर उठ सकें जो पिछले 50 सालों में इस दौड़ में पिछड़ गई हैं। उत्तर प्रदेश पहले पिछड़ा नहीं था। उसके भी कारण हो सकते हैं, लोग कहते हैं। मुझे टोका गया कि हमेशा प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश से होता रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रधान मंत्री ने कभी उत्तर प्रदेश की तरफ नहीं देखा। कर्नाटक के प्रधान मंत्री ने रेल से लेकर हर चीज़ में कर्नाटक को आगे बढ़ाया। पंजाब से प्रधान मंत्री को आए दस दिन भी नहीं हुए कि पंजाब का सारा कर्जा माफ हो गया। ...*(व्यवधान)* तो मैं आपसे यह कहूंगा कि आप इसी आधार पर रियासतों को मदद दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम यह मानते हैं कि यह विधेयक इस देश के अधिकांश लोगों के हितों के विरोध में है और हम यह भी मानते हैं कि यह भारत के संविधान के विरोध में है। हमारे वित्त मंत्री कानून पंडित हैं और हम उनका ध्यान संविधान का धारा 38 और 39 की ओर आकर्षित करना चाहेंगे। मैं इसे पढ़कर नहीं सुनाऊंगा। लेकिन वे इस बात को जानेंगे और मानेंगे कि संविधान की धारा 38 और 39 में सरकार को जो आदेश दिया है उस आदेश का सीधा-सीधा उल्लंघन आपकी नीतियों और आपके बजट से हो रहा है, जिस विधेयक को आज आप अंतिम मुहर लगाने के लिए लाए हैं और जिन-जिन सदस्यों ने शपथ ली है कि हम इस संविधान की गरिमा को बनाए रखेंगे, हम मानते हैं कि उन पर यह दायित्व है कि वे इस विधेयक और इस नीति का पूरी तौर पर विरोध करें। सभापति महोदय, आजादी की 50वीं वर्षगांठ है और मैं जानता हूं कि इस वर्षगांठ को मनाने में आने वाले चंद महीनों में काफी पैसा खर्च होना है। मेरे पास कल का अखबार है। जिसमें यू॰ एन॰ आई॰ की एक रिपोर्ट है और यह ह्यूमैन राइट्स कमीशन की है। अभी उड़ीसा में जो लोग भुखमरी से मरे उनकी जो जांच हुई और उस जांच के बाद उनके दिमाग में जो नई रोशनी पैदा हुई, यह उसी पर आधारित है। ह्यूमैन राइट्स कमीशन का यह कहना है कि हिंदुस्तान में जो लोग आत्महत्याएं या खुदकुशी कर रहे हैं इसमें अधिकतम लोग भुखमरी के चलते ऐसा कर रहे हैं और उनकी आर्थिक लाचारी लोगों को खुदकुशी की ओर ले जा रही है।

पिछली 1 मई को दिल्ली में जो कांड हुआ और वह लड़का अगले दिन मर गया। दसके दो दिन बाद वैसी ही एक घटना घटी जिसमें एक महिला ने अपने बच्चों को लेकर खुदकुशी कर ली क्योंकि उसके पास जीने के लिए कोई साधन नहीं था। मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपका जो यह सारा बजट है, इसमें आपने जो-जो प्रावधान किए हैं, इन तमाम लोगों के लिए आप कौन सी आशा दे रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र के बारे में कह सकता हूं कि इनके बजट से, इनके तमाम कार्यक्रमों से, इनके फाइनैंस बिल से या इनकी किसी ग्रांट से, मैं अपने क्षेत्र अपने-अपने क्षेत्र के लोगों को कोई आशा देने की स्थिति में नहीं हूं। अगर दूसरे लोग अपने-अपने क्षेत्रों में आशा देने की स्थिति में हों तो मैं नहीं कह सकता लेकिन जैसा अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं, वह अपने गांव के विकास के लिए जरूर कुछ पैसा लगा लेते हैं मगर हम जैसे लोगों के लिए यह सम्भव नहीं है। इसलिए, सभापति जी, मैं इस वित्त विधेयक का विरोध कर रहा हूं।

वित्त मंत्री ने कल अपना भाषण शुरू करते हुए बताया कि विदेशी मुद्रा, बजट के दिन से कैसे लगातार इस देश में बढ़ती गई और 6 मई को वह लगभग 3 बिलियन डालर हो गई। उनकी बात अपनी जगह दुरुस्त है क्योंकि चाहे पैंशन फंड हो, इन्स्टीट्यूशनल इन्वैस्टर्स हों या अन्य लोग हों, जो यहां अपनी पूंजी लगाने के लिए आते हैं, वैसे बहुत मामूली पूंजी आ रही है, वे जरूर कुछ विदेशी मुद्रा लाए हैं। इसके साथ अगर वित्त मंत्री ये आंकड़े भी दे देते कि पिछले साल व्यापार में हम लोगों का जो डैफिसिट था, वह 4 बिलियन 635 मिलियन डालर था और इस साल अब तक जो आंकड़े आए हैं, वैसे अभी पूरे आंकड़े नहीं आए हैं जबकि साल पूरा हो गया है, वे आंकड़े 5 बिलियन 259 मिलियन डालर हैं। एक तरफ आप विदेशी मुद्रा जुटाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ 1991 से आपने जो नीतियां चलानी शुरू की हैं, जैसा अभी आपकी तरफ से कहा गया कि निर्यात को छोड़कर हमारे सामने कोई उपाय नहीं था, उसके आंकड़े यदि हम देखें तो हिन्दुस्तान में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा खाने-पीने की चीजें विदेशों में भेजकर आ रही है। सबसे अधिक निर्यात हमने यदि किसी चीज का किया तो वह फूड प्रोडक्ट्स और उससे जुड़ी चीजों का किया है, जिसमें जानवर आदि शामिल हैं, जिनका नाम लेने में मुझे शर्म आती है लेकिन इस देश से विदेश जाने वाली वस्तुओं के निर्यात की यही सबसे बड़ी उपलब्धि है जो आप हासिल कर चुके हैं।

दूसरा मुद्दा जो वित्त मंत्री ने कल अपने बजट भाषण में कहा, वह था कि चीजों के दामों पर आपने कैसे लगाम लगाई, जब से युनाइटिड फ्रंट की सरकार आई है, तब से कैसे सिंगल डिजिट पर हम लोग हैं, इसकी चर्चा उन्होंने की। उन्होंने यह भी कहा कि 106 सप्ताहों से

सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन हिन्दुस्तान में चल रहा है, उनके लिए जैसे यह कन्टीन्यूटी है, कुछ लोगों के लिए भले ही नए सिरे से जाकर श्रेय लेने या खुशी मनाने की बात हो, लेकिन आपके लिए ऐसा पहले से चल रहा है यानी इससे पहले की सरकार से आपका जो रिश्ता था, उसे आपने बताने का काम किया कि 106 सप्ताह यानी 2 साल 2 सप्ताह से सिंगल डिजिट पर इन्फ्लेशन है। बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट पर है लेकिन दामों को लगाने का और विशेषकर इन्फ्लेशन लगाने का इनका जो तरीका है, मैं यह वित्त मंत्री के लिए नहीं कह रहा हूं लेकिन इस देश की व्यवस्था में जो तौर-तरीके अपनाए जाते हैं, उनमें बदलाव लाना बहुत जरूरी है क्योंकि एक तरफ जहां आप कह रहे हैं कि सिंगल डिजिट पर हम हैं, वहां पिछले 52 सप्ताहों से गरीबों के पेट में जाने वाली जितनी वस्तुएं हैं, उनके दाम कम से कम 100 फीसदी बढ़े हैं। इसलिए एक तरफ जहां आप 6.4 या 5.3 परसेंट इन्फ्लेशन के आंकड़े देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ असलियत क्या है, आपके आंकड़ों के आधार पर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 19 अप्रैल को इन्फ्लेशन का आंकड़ा आपने 6.54 दिया है जबकि यह मेरे पास 19 अप्रैल का इकॉनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली है, जिसमें 5 अप्रैल को इन्फ्लेशन 6.4 था, ऐसा कहा गया है जिसमें फूड आर्टिकल्स का आंकड़ा 11.5 है।

सभापति जी, फूड आर्टीकल्स 11.5 था, फ्यूअल, पावर, लाइट एंड लुब्रीकैंट 16.2 था। फिर फूड प्रॉडक्ट 14.3 था और फूड इंडैक्स कंप्यूटेड 12.4 था। इसलिए जो आप यह छः दशमलव वगैरह कर के बोलते हैं, तो विशेषकर ऐसे लोगों के साथ, जिनको कुछ मालूम नहीं है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, मुद्रास्फीति क्या होती है, उनके साथ हम खिलवाड़ करते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि भले ही आपके लिए दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन देश में दाम नहीं बढ़ रहे हैं। अंग्रेजी में एक शब्द होता है "शराड" ऐसा हम लोगों के साथ कर रहे हैं। यह एक ऐसा नाटक होता है जिसमें खेलने वालों को तो मजा आता है, लेकिन जो देखने के लिए बैठे हैं या जिनके चलते वह खेल हो रहा है, उनकी जिंदगी खत्म हो रही है। वह आज हम चला रहे हैं।

सभापति महोदय, मुझे खेद होता है कि वित्त मंत्री इस बात को बड़ी मजबूती के साथ कह रहे हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि कर रहे हैं। कल उन्होंने एक लंबी सूची हम लोगों को सुनाई जिसमें कहां पर क्या कम किया कहां पर क्या बढ़ाया, क्या एक्साइज में कम किया और क्या बढ़ाया, यह सारी जानकारी यहां पर दी। पहले हुए बजट के साथ दी गई कटौती और बढ़ोतरी वह अपनी जगह पर है, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि यहां पर आपका कल का जो कुछ भी बयान था, उससे इस देश के गरीब के जीवन पर किस तरह से फर्क पड़ने वाला है, यह बताएं? इंडियन मार्केट डैमोग्राफिक्स-दि कंजूमर क्लासेस यह दस्तावेज है जिसे नेशनल काउंसिल फार एप्लाइड इकॉनोमिक्स एंड रिसर्च ने बनाया है और 1994 में इसके अंदर जो आंकड़े दिए गए हैं, वे बताते हैं कि हिन्दुस्तान में जहां 15 करोड़ 73 लाख परिवार 1994 में थे, उनमें से 13 करोड़ 12 लाख परिवार, यानी 83.41 प्रतिशत परिवार औसतन, 20 रुपए फी आदमी, प्रति दिन की आमदनी पर थे।

[अनुवाद]

यह 'उपभोक्ता वर्ग समूह है। यह कोई एक वर्ग नहीं' वर्ग समूह है।

[हिन्दी]

और इसी में आगे यह आंकड़ा भी दिया गया है कि इन 13 करोड़ 12 लाख परिवारों में से 9 करोड़ 5 लाख परिवार फी आदमी प्रति दिन 10 रुपए या उससे कम पर जीने वाले लोग हैं और हम लोग यहां पर इस बजट की खूबसूरती के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

सभापति महोदय, जब कुछ दिन पहले वित्त मंत्री, वित्त मंत्री नहीं रहे, तो देश में हा-हाकार मच गया। किन-किन को परेशानी थी और आपके आने से किन-किन की परेशानी दूर हो गई? हमें खुशी है कि आप यहां पर दुबारा आकर बैठे हैं, लेकिन मुझे बताइए कि आपके आने से इन तमाम लोगों पर क्या फर्क पड़ता है?

सभापति महोदय, अभी चार-पांच दिन पहले की बात है। मुझे हवाई जहाज से जाना था। पलेन चलने की घोषणा नहीं हुई थी। दिल्ली हवाई अड्डे की ही बात है। वहां पुलिसकर्मी थे, उनके साथ बात हुई। वे बात करते-करते इमसे पे कमीशन के बारे में पूछने लगे और आगे जाकर हमसे बोले कि हम लोग इधर 12-12 घंटे काम करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि 12-12 घंटे पुलिसकर्मियों से काम कराया जाता है। मैं चाहता हूं कि कानून मंत्री यहां बैठे हैं, वित्त मंत्री यहां बैठे हैं, गृह मंत्री जी भी इस पर जरूर नजर डालें कि ऐसा क्यों होता है। वे लोग 12-12 घंटे काम करते हैं और तनख्वाह वही ढाई हजार रुपए के आसपास और रात या दिन में जब वे 12 घंटे काम करते हैं, तो उनको चाय सरकार की तरफ से नहीं पिलाई जाती है, बल्कि उनको अपने पैसे से पीनी पड़ती है और एक चाय की कीमत उनको चार रुपए देनी पड़ती है और कप भी वही पेपर कप जो डेढ़ इंच ऊंचाई का कप है। वे लोग 12 घंटे में कम से कम दो चाय तो पी ही लेते हैं और चाय भी इतनी कि शायद ही वह पेट तक पहुंच पाती होगी। उनको दो चाय के आठ रुपए प्रति दिन देने पड़ते हैं। इस प्रकार से ढाई सौ रुपए महीना हो गया। वे हमसे बोले कि हमारा क्या होगा, भारत का क्या होगा ? मैं जरूर यह चाहता हूं कि इसके बारे में आप जरूर सोचें। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका बजट उनको क्या दे रहा है? जिनके पास रोजगार नहीं है, उनकी बात छोड़िए, जो बेरोजगारी आपकी इन सारी नीतियों के चलते बढ़ रही है, उनकी बात छोड़िए, लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जिनसे हम लोगों की इतनी अपेक्षाएं हैं, उनके लिए आपका बजट क्या दे रहा है?

हवाई जहाज में सुरक्षा कर्मी का काम करने का मतलब लोगों की जान का सवाल है। देश की सुरक्षा का सवाल है। यह उनकी हालत है और यह आपके दाम का मामला है।

सभापति जी, कल मुझे डाक से एक पत्र मिला जो हमारे बंगाल के कुछ ट्रेड यूनियन साथियों का था। वे कालेज में काम करने वाले कर्मचारी हैं। पता नहीं शायद ममता जी चली गई हैं। यह पत्र 29 अप्रैल का है। मैं उसके केवल दो वाक्य पढ़ता हूं।

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

[अनुवाद]

"हम आठ इस महाविद्यालय के कार्यालय में कार्य कर रहे हैं इस महाविद्यालय का नाम रायगंज कॉलेज है- 1980 से और कुछ 1986 से दैनिक वेतन कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं ...।"

[हिन्दी]

सभापति जी, आप बंगाल के हैं और मजदूर नेता हैं।

[अनुवाद]

".....और सभी प्रकार की नौकरियों में, यहां तक कि एकाउंटिंग में भी काम-नहीं वेतन-नहीं उपबंधों के अन्तर्गत अधिकतम दैनिक पारिश्रमिक 59.83 रुपए और न्यूनतम 53.83 रु. है।"

[हिन्दी]

यानी अगर 7 दिन बीमार पड़ गए तो सात दिन भुखमरी से मरो। आगे का वाक्य आपके सोचने लायक वाक्य है।

[अनुवाद]

हम छः छात्रावास के रसाइया के रूप में, 1972 से इस समय, कुल मिलाकर मासिक पारिश्रमिक 405 रु. पर कार्य कर रहे हैं। इन लोगों को दिन में 12 घंटे कार्य करना पड़ता है।

[हिन्दी]

यह हालत है। हम जानना चाहते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है? आपके बजट से, आपके कानून से, आपकी सारी चीजों से जिसमें आपने काले धन को सफेद करने का ठेका लेने का तय किया है, क्या फर्क पड़ना है? इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि मुझे आपके किसी ही कार्यक्रम से कोई आशा नजर नहीं आ रही है।

एक बात और है। इन्होंने अपने बजट में जो एक्साइज की बढ़ोतरी की है उसमें सिगरेट की बढ़ोतरी की है। जो सबसे छोटी सिगरेट है वह 1 हजार पर 75 रुपए थी। इन्होंने अब 90 रुपए किया है यानि 15 रुपए बढ़ा दिए हैं। इसी प्रकार बीड़ी में 1 हजार पर 5 रुपए टैक्स था। इसको इन्होंने 6 रुपए कर दिया। मात्र 1 रुपया बढ़ा दिया। चूंकि अभी सामाजिक न्याय का जमाना है। इक्वेलिटी और जस्टिस आपके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में है इसलिए जो बढ़ोत्तरी है वह दोनों में 20 प्रतिशत बराबर थी। लेकिन दिखाई पड़ रहा है कि एक जगह 15 रुपए बढ़ा दिए और एक जगह 1 रुपया बढ़ा दिया लेकिन बढ़ोतरी दोनों की 20 प्रतिशत है मगर इन्होंने सवाल कितने बना दिए हैं। जब तीन साल पहले मिनी सिगरेट बनाने की इजाजत सरकार ने दी तो उससे हिंदुस्तान में 60 लाख बीड़ी मजदूर मर रहे हैं, वास्तव में मर रहे हैं। हम लोग तो शब्दों में बोलते हैं लेकिन वे वास्तव में मर रहे हैं। उनको कौन रोजगार देगा? कहां रोजगार मिलेगा? कौन से नए उद्योग बन रहे हैं और कब बनने वाले हैं? 60 लाख मजदूरों के अलावा 40 लाख लोग तेंदू पत्ता जुटाने वाले जंगलों से या कहां-कहां से हैं। विशेषकर उड़ीसा में, मध्यप्रेदश में उनकी सबसे बड़ी तादाद है। 40 लाख उनकी संख्या है जो सरकारी नीति का शिकार हो रहे हैं। यानी 1 करोड़ लोगों का पेट मारने वाली बात चल रहा है और उस पर अध्ययन हो चुका है। तीन साल पहले सिगरेट को बीड़ी के साथ कम्पीट करने के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को इजाजत दी गई थी। आज अमरीका, यूरोप और बाकी जगह सिगरेट पीने में रुकावट है। लेकिन हिन्दुस्तान में ये सारी कम्पनियां अपने कारखाने, अपने ब्रांड लेकर आ रहे हैं। जिनको सिगरेट पीना है, मरना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता लेकिन कम से कम उनको हमारे बीड़ी उद्योग में काम करने वाले गरीबों को मारने के लिए मौका मत दीजिए।

माइनोरिटीज की बात होती है। समाज में दबे-कुचले लोगों की बात होती है। सामाजिक न्याय की बात होती है। आपकी एक-एक नीति समाज के सबसे गरीब आदमी को मार रही है। बीड़ी विभाग में, मुझे बोलने में अच्छा नहीं लगता। मजदूर आंदोलन में या किसी भी मामले में जाति और धर्म की बात पर बहस करना बड़ी परेशानी की बात है, लेकिन अधिकतम मजदूर मुसलमान हैं।

मेरे क्षेत्र में पचास हजार हैं और कुछ नहीं है। रोजगार के लिए कोई उपाए नहीं है। मालिकों ने यह बहाना किया कि यह जो टैक्स बढ़ा दिया और इसके साथ प्रतिस्पर्धा में जो लगा दिया तो मालिकों ने कह दिया कि अभी तुम्हारी तनख्वाह कम करेंगे क्योंकि हमें टैक्स देना पड़ रहा है। लोगों के रोजगार यह कहकर भी कम कर दिए गए कि हमार माल नहीं बिक रहा है क्योंकि छोटी-छोटी सिगरेटों ने आकर हमारा पूरा धंधा ले लिया है। इसलिए हम यह मानते हैं कि इस बजट से कुछ नहीं होना है।

दूसरी बात देख लीजिए कि सरकार से आपके हट जाने पर जो लोगों में हाहाकर मचा है, वे लोग तो वास्तव में बहुत खुश हैं क्योंकि यह उनके लिए राहत का मामला है। वहां तो राहत की बात नहीं थी। इन्कम टैक्स घटाने की मांग हम सब लोगों की थी। लेकिन एक डिवीडेंड पर आपने जो निर्णय लिया है, हम इसका अर्थ समझ ही नहीं पा रहे हैं। यह कहना कि हिन्दुस्तान में एक करोड़ लोग शेयर होल्डर्स हैं। हमें नहीं मालूम कि सचमुच में कितने हैं क्योंकि कुछ कंपनियां तो अपनी तरफ से ऐलान करती रहती हैं कि उसके इतने लाख या इतने करोड़ शेयर होल्डर्स हैं। लेकिन वास्तव में जो प्रमोटर्स हैं, उनके हिस्से में जो शेयर्स हैं, उनके बारे में पता नहीं है। शेयर बाजार में बेनामी शेयर कितने हैं, कुछ पता नहीं है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट शेयर बनाकर उसके नाम पर डिवीडेंड ले रहे हैं।...*(व्यवधान)* सभापति जी, मुझे कुछ समय तो लेना है। ...*(व्यवधान)* मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इस चीज को ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें। आप 20 मिनट से बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : डिविडेंड के बारे में हमारा कहना है कि अगर आपको कुछ राहत अमीरों को देनी है तो इन्कम टैक्स में जो आप दे सकते हैं, वह दे दीजिए। लेकिन पूरा माफ कर देना, हमें

यह बात जंचती नहीं है और हम इस चीज के विरोधी हैं तथा हम इसका विशेष रूप से विरोध करना चाहते हैं। वित्त मंत्री जी ने एक बहुत मजेदार बात यहां पर कही।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अनेक सदस्य अभी बोलने के लिए रहते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : जब भी वे बोलें, उन्हें समय दिया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : 24 सदस्य बोलने के लिए शेष हैं।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : जार्ज साहब का अपना एक विचार है। ...*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। ...*(व्यवधान)* यह जो वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम है, उसके बारे में कल वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा :—

[अनुवाद]

किसी भी राजनैतिक दल जो मिले हैं, ने इस योजना का विरोध नहीं किया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : नहीं, यह सच नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : तब आप विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं संयुक्त मोर्चा से हूं, मैं उनके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सकता।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वह उन्हें झूठ बोलने का अधिकार नहीं देता, चूंकि आप कह रहे हैं कि यह सच नहीं है।

[हिन्दी]

हमारी पार्टी उनसे नहीं मिल रही है और हम उसके विरोधी हैं। इसलिए उनके कारणों को लेकर विरोधी हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि आप इस एक ऐलान से देश को यह संदेश दे रहे हैं कि आज़ादी की पचासवीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं और संदेश यह जा रहा है कि हिन्दुस्तान में जो ईमानदारी से टैक्स देता है, वह महामूर्ख है और जो लूट करता है, वह ठीक आदमी है क्योंकि सरकार हमेशा उसके साथ है। हम इस चीज को पसंद नहीं करते हैं। हम इसके सख्त विरोधी हैं। आप कालेधन को सफेद करने की इज़ाजत दे रहे हैं। यह धन कैसे आ गया? यह धन किन लोगों ने बनाया? यह धन केवल सरकार के टैक्स की चोरी करके नहीं बनाया गया है, बल्कि इस काले धन में तस्करी का पैसा सफेद होगा। इसमें विदेशी ताकतें हिन्दुस्तान में पैसे की जो राजनीति खेल रही हैं, वह पैसा सफेद होगा। इसमें ड्रग्स का जो पैसा है और जो हिन्दुस्तान में करोड़ों नहीं अरबों रुपया ड्रग्स के ऊपर खेल रहा है, वह पैसा सफेद होगा। इसमें पैसा लेकर खून करने वाली जमातें हिन्दुस्तान में हैं, उनका पैसा सफेद होगा।

उसमें हिन्दुस्तान के खजानों को लूटने वाली जमातें हैं। उनका पैसा सफेद होगा और ये कल के खानदान बनेंगे। चूंकि पैसा ही इस देश में खानदान बनाता है, बाकी लोग तो मर जाते हैं। खानदान बनाने के लिए तो लूट के पैसे की जरूरत है। बोफोर्स से लेकर आप नाम लीजिए उसके पैसे का, उस पैसे की जरूरत है। इसलिए हम इसके विरोधी हैं। मैं पूरे सदन से प्रार्थना करता हूं कि यह दलों का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है। कालाधन देश की सुरक्षा के लिए घातक होता है और उसको इस देश में सफेद करके नए खानदान डकैतों के, चोरों के, लुटेरों के, तस्करों के कल की राजनीति यही लोग करेंगे और इससे देश कहां पहुंचा सकते हैं, इसको सोचना चाहिए। इसलिए हम इसके विरोधी हैं।

महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी से लाख मतभेद हो सकते हैं लेकिन मेरी प्रार्थना है कि इसको आप मत करिए। मैं आपके तर्क जानता हूं। आपका तर्क है कि यह पैसा इनफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको अभी-अभी लन्दन के एक इकनोमिस्ट ने नई सलाह दी है। मुझे विश्वास है कि आपने उसको पढ़ा होगा और वह सलाह आ गई जब ट्रकर्स की स्ट्राइक हो गई। ट्रकर्स की स्ट्राइक पर आपने 12 अप्रैल के अंत में दे दिया और अंत में इनको जो सलाह दी, ये दो वाक्य हैं,

[अनुवाद]

"आर्थिक दृष्टि से नए कर, जिस कर का ट्रक मालिकों लॉरी मालिकों ने विरोध किया है, युक्तियुक्त है। सरकार का कहना है कि वह इसे पुन: लगाने के रास्ते ढूंढने का प्रयास करेगी। लेकिन हड़ताल से पता चलता है कि उचित कर भी अनुचित लग सकता है यदि उसे वसूलने में भ्रष्टाचार प्रबल है। यदि श्री चिदम्बरम जी दी गई रिश्वत पर पांच प्रतिशत कर भी वसूल कर सकें तो संभवत: उनके बजट का सारा घाटा दूर हो जाएगा।"

[हिन्दी]

यह दुनिया क्या है, यह लंदन के इकनोमिस्ट की हम लोगों की देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सोच है। घूसखोरी का जो पैसा है अगर केवल उसी पैसे को हम लोग बचा सकें और उसी पर टैक्स लगा दें तो कुछ बात बन सकती है।

सभापति महोदय, इसमें एक और बात ट्रकर्स की हड़ताल से उठती है और वह है आपने जो "रिंग केब" और टैक्सी के उपर भी टैक्स लगाया है, मुझे अब स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने यह कहा है टैक्सी के केब का अर्थ है मोटर व्हीकल एक्ट की अमुक-अमुक धारा में यह लिखा है कि मिनी केब का मतलब है कि छह से कम पैसेंजर के बैठने वाली टैक्सी है। अब ऐसे टैक्सी वालों के ऊपर भी आपका पांच प्रतिशत सर्विस टैक्स होना है या केब ऑन हायर के जो कलेक्टिव्स हैं उनके ऊपर ही होना है, यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। हालांकि आपने कल के अपने भाषण में यह जरूर कहा कि अभी तो हमारा यह प्रस्ताव सब चीज के बारे में है और सब लोगो से बातचीत करके, उसमें कोई भी गड़बड़ी न हो, ये सारी चीजों को अपने सामने रख कर हम करेंगे।

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

सभापति महोदय, अब मैं दो बातें बोल कर अपनी बात समाप्त करूंगा। ये दो मुद्दे अति महत्वपूर्ण हैं। पहला यह है कि मेरे पास दो दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के हैं। मैंने सुबह स्पीकर साहब को पत्र भेजा था कि मैं आज के इस फाइनेंस बिल में दो मसलों को उठाने वाला हूं, जिसका सीधा संबंध हम लोगों के देश के आर्थिक मेनेजमेंट से है। यह सारी व्यवस्था किस प्रकार से चलेगी। मैं अभी अपने दोस्त जसवंत जी से कह रहा हूं कि हम लोगों ने मुफ्त में जे॰ पी॰ सी॰ में बैठकर तीन साल बर्बाद किए। जब हम लोग तीन साल तक जे॰ पी॰ सी॰ में बैठ कर बैंक शेयर घोटाले की जांच कर रहे थे, रिपोर्ट लिख रहे थे, एक-दूसरे का दिमाग बिगाड़ रहे थे और देश का भी दिमाग बिगाड़ रहे थे तब इंडियन बैंक में स्कैम चालू ही था। जैसे देश में कुछ हुआ ही नहीं है, वह वहां पर अपनी मस्ती में थे और वहां पर किसी भी प्रकार का उनके सामने कोई भी फर्क हम लोगों के प्रयास का, इस पार्लियामेंट का, उस समय के वित्त मंत्री के दिए हुए वक्तव्य का नहीं पड़ा। आप और हम तथा इस सदन के सब लोगों ने इसके ऊपर हल्ला किया था।

[अनुवाद]

यह दस्तावेज़ है "अनिल धवन द्वारा लिखित में प्रस्तुत दस्तावेज़। यह दस्तावेज़ दिनांक 31 मार्च, 1997 का है।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यह एफीडैविट है या क्या डाक्यूमेंट है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वह रिपोर्ट तो मैं सबमिट भी करूंगा। इसमें सब्मिशन है :

[अनुवाद]

"दिनांक 24 फरवरी, 1997 के आदेश द्वारा, इस माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी किया है और निष्पक्ष परामर्शदाता भी नियुक्ति किए हैं। उक्त आदेश दिनांक 24 फरवरी, 1997 द्वारा न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश भी दिए.....एक अन्य आदेश दिनांक 19 मार्च, 1997 द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश दिए कि यह लाने के लिए इच्छुक कोई व्यक्ति ...."

सभापति महोदय : श्री फर्नान्डीज़, यह मामला न्याय निर्णयाधीन है। आप इसे यहां तक नहीं पढ़ सकते।

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : मैं एक न्यायाल का दस्तावेज़ पढ़ रहा हूं। मैं कुछ और नहीं पढ़ रहा हूं .....*(व्यवधान)*

श्री पी॰ चिदम्बरम : महोदय, उन्हें बताने कि जो दस्तावेज़ वह पढ़ रहे हैं वह न्याय निर्णयाधीन है अथवा नहीं। इसका उत्तर 'हां' अथवा 'नहीं' में है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, यह किसी किताब में नहीं लिखा है कि अगर कोई मामला कोर्ट में दो तो उसकी चर्चा यहां नहीं होगी।

[अनुवाद]

श्री पी॰ चिदम्बरम : महोदय, यह न्याय निर्णयाधीन है। यह ही काफी है। यदि न्यायालय इस पर सुनवाई कर रहा है, तो हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : बोफोर्स का मामला दुनिया की कई कोर्टों में है तो क्या उसकी चर्चा यहां नहीं हुई या नहीं होगी।

[अनुवाद]

श्री पी॰ चिदम्बरम : महोदय, यदि यह न्याय निर्णयाधीन है तो इस पर इस सभा में चर्चा नहीं की जा सकती। क्या यह मामला न्याय निर्णयाधीन है अथवा नहीं ?

सभापति महोदय : श्री फर्नान्डीज़, यह मामला न्याय निर्णयाधीन है, आप इसे यहां नहीं उठा सकते।

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : इस सभा में चर्चा हुई है और मैं समझता हूं कि इस सभा में सभी मामलों पर चर्चा हो सकती है। चाहे वे न्यायालय में हो अथवा नहीं हो। यह कहां कहा गया है कि इस सभा में मामले पर चर्चा नहीं होगी ?...*(व्यवधान)*

श्री पी॰ चिदम्बरम : नियम यह कहते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : ऐसा कहां कहा गया है। यदि ऐसा है तो इस सभा में बोफोर्स काण्ड पर चर्चा कैसे की गई?

श्री पी॰ चिदम्बरम : यह न्याय निर्णयाधीन नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : इसका यह अर्थ है कि कोई भी जो कुछ छुपाना चाहता है, उसे अब एक याचिका दायर करनी होगी और कहना होगा कि यह सभा अब शक्तिहीन है, मैं, अब इस संबंध में न्यायालय में निपटूंगा।

श्री पी॰ चिदम्बरम : क्या मामला न्याय निर्णयाधीन है अथवा नहीं ? यदि माननीय सदस्य किसी बात पर चर्चा करना चाहते हैं तो मुझे इसमें कोई कठिनाई नहीं है। मैं एक सिद्धान्त का मामला उठा रहा हूं। यदि मामला न्याय निर्णयाधीन है—उन्होंने बताया है कि यह न्यायालय को प्रस्तुत किया गया है—कल जब कोई मामला न्यायालय में है तो क्या आप शपथ-पत्र, विरोधी शपथ-पत्र और शपथ-पत्र के संबंध में उत्तर पढ़ना शुरू कर सकते हैं? क्या यह न्याय निर्णयाधीन है अथवा नहीं? अब यह एक प्रश्न है।

श्री जसवंत सिंह : सभापति महोदय, जहां तक संसद का संबंध है मैं समझता हूं कि कौल और शकधर के पृष्ठ 352 से स्पष्ट है कि फौजदारी के मामले में एक बार आरोप लगाए जाने के बाद और सिविल मामलों में मामले को तैयार करने के बाद वे मामले न्याय निर्णयाधीन बन जाते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री पी॰ चिदम्बरम : और रिट याचिका में कोई भी मामला तब न्याय निर्णयाधीन बन जाता है जब न्यायालय इसे अपने यहां दर्ज कर लेता है...*(व्यवधान)*

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : जी नहीं, जब कोई रिट याचिका स्वीकार कर ली जाती है ...*(व्यवधान)*

श्री पी॰ चिदम्बरम : यचिका पर हर दिन सुनवाई हो रही है. ..*(व्यवधान)* इस पर सातवीं बार सुनवाई हो चुकी है ...*(व्यवधान)* इस रिट याचिका पर न्यायालय में सुनवाई हुई है ...*(व्यवधान)* महान्यायवादी को नोटिस जारी किए गए हैं ...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : जहां तक मुझे याद है मैं बता रहा हूं, रिट याचिका के बारे में कौल और शकधर में बिल्कुल स्पष्ट है।

श्री पी॰ चिदम्बरम: मेरे विद्वान मित्र ठीक कह रहे हैं। फौजदारी के मामले में जब आरोप निर्धारित कर लिए जाते हैं, सिविल मामलों में जब मामले जारी कर दिए जाते हैं और रिट याचिका के मामले में जब नोटिस महान्यायवादी को जारी कर दिए गए हों। यह सातवीं सुनवाई है जो चल रही है। यह कैसे कहा जा सकता है कि यह न्याय निर्णयाधीन नहीं है? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : अध्यक्ष जी, अगर कोई यह कहे कि इंडियन बैंक जिसकी मालिक यह संसद है, यह पेश है और इस देश के लोगों का पैसा उस बैंक में है, उसमें लोगों का शेयर है।

[अनुवाद]

श्री पी॰ चिदम्बरम : यह बात नहीं है। बात इंडियन बैंक की नहीं है। वे इंडियन बैंक के बारे में कुछ भी कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : तो क्या इंडियन बैंक के बारे में बात नहीं होगी ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप इंडियन बैंक को निर्दिष्ट कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : हम तो इंडियन बैंक के बारे में ही बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : लेकिन आप ऐसा मामला नहीं उठा सकते जो कि न्यायधीन है।

श्री पी॰ चिदम्बरम : उन्हें इंडियन बैंक के बारे में कुछ भी कहने दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें इंडियन बैंक के बारे में कुछ भी कहने दें। क्या वे न्यायालय के ऐसे दस्तावेज़ को पढ़ सकते हैं जिसमें ऐसे मामले का वर्णन है जो कि न्याय निर्णयाधीन है? उन्हें इंडियन बैंक के बारे में बोलने दें। हमारी पार्टी को केवल 10 मिनट मिले हैं। उन्हें एक घंटे का समय लेने दें। लेकिन उन्हें इंडियन बैंक के बारे में बोलने दें, उस दस्तावेज़ को न पढ़ें जो कि न्याय निर्णयाधीन है। हमारी पार्टी को केवल दस मिनट मिलेंगे लेकिन उन्हें पर्याप्त समय दिया जाएगा। उन्हें समय लेने दें ...*(व्यवधान) यह क्या है ?* ...(व्यवधान) मैं इस आधार पर आपत्ति कर रहा हूं। वह आरोप लगा रहे हैं कि इंडियन बैंक की बात आते ही हम खड़े हो जाते हैं। मैं सिद्धान्त की बात उठा रहा हूं। उन्हें इंडियन बैंक के बारे में कहने दें। मैं चाहता हूं कि वे इंडियन बैंक के बारे में कहें लेकिन ऐसा दस्तावेज़ न पढ़ें जो कि न्याय निर्णयाधीन है।

[हिन्दी]

प्रो॰ ओमपाल सिंह 'निडर' (जलेसर) : यह तकनीकी दांव-पेच है, इससे सच्चाई छिपनी नहीं चाहिए। सच्चाई सामने आनी चाहिए। इस डाक्यूमेंट से क्या परेशानी पैदा हो गई। एक डाक्यूमेंट से ही घबरा गए वित्त मंत्री जी।

[अनुवाद]

श्री पी॰ चिदम्बरम : कृपया इंडियन बैंक के बारे में बोलें। मुझे इंडियन बैंक के बारे में बोलने में कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय : मैं कौल और शकधर को पृष्ठ 946 से उद्धृत करूंगा।

श्री पी॰ कोदण्ड रमैया (चित्रदुर्ग) : महोदय, फौजदारी के मामले में आरोपपत्र जारी करने के बाद मामला न्यायाधीन बन जाता है क्योंकि तब न्यायालय इसमें हस्तक्षेप कर चुका होता है। ऐसे मामले में जहां रिट चायिका दायर की जाती है और रिट याचिका के आधार पर न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया जाता है तब पुनः यह मामला न्याय निर्णयाधीन कहलाता है।

श्री पी॰ चिदम्बरम : महान्यायवादी को नोटिस जारी किया जा चुका है।

श्री पी॰ कोदण्ड रमैया : यदि नोटिस जारी किया जा चुका है तो यह मुकदमे का भाग बन जाता है। तब यह न्याय निर्णयाधीन है।

श्री पी॰ चिदम्बरम : तब आप क्यों बहस कर रहे हैं?

सभापति महोदय : अब मैं कौल और शकधर से उद्धृत करूंगा। इसमें कहा गया है :

'एक प्रतिबंध यह लगाया गया है कि न्यायालयों में निर्णय लेने के लिए लम्बित पड़े मामलों पर इस सभा में चर्चा से बचा जाना चाहिए ताकि न्यायालय ऐसे मामलों से निपटने में मुकदमे के परिवेश से हटकर कुछ भी कहे जाने से प्रभावित होकर कार्य कर सकें।"

अब यह बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए आपको ऐसे मामले में उल्लिखित नहीं करना चाहिए जो कि न्याय निर्णयाधीन है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : हम कोर्ट को इनफ्लूएंस की बात नहीं कह रहे हैं। हम कोर्ट के सामने आई हुई बातों को कह रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप इंडियन बैंक का उल्लेख कर सकते

हैं लेकिन ऐसे मामलों का उल्लेख नहीं कर सकते जो कि न्यायालय के सम्मुख लम्बित पड़े हैं।

(व्यवधान)

श्री सत्य पाल जैन : अब मैं पृष्ठ 947 से उद्धृत करूंगा। इसमें कहा गया है :

"यदि रिट याचिका स्वीकृति के लिए न्यायालय में लम्बित पड़ी है तो ऐसे मामले को न्यायाधीन नहीं माना जाता।"

श्री पी० चिदम्बरम : नोटिस जारी किया जा चुका है। यह मुकदमा चलाए जाने के लिए लम्बित नहीं पड़ा है।

सभापति महोदय : नोटिस जारी किया जा चुका है। यह लम्बित नहीं पड़ा है। सुनवाई पहले ही शुरू हो चुकी है।

श्री सत्य पाल जैन : यदि किसी रिट याचिका को स्वीकृति दे दी जाती है तो यह मामला न्यायाधीन बन जाता है।

सभापति महोदय : यह लम्बित पड़ा है। नोटिस जारी किया जा चुका है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीज़ अब आप समाप्त करिए। आपने आधे घंटे से भी अधिक समय ले लिया है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : ठीक है, मैं दस्तावेज को नहीं पढ़ूंगा। मैं कुछ बातों को *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करिए। आपको बोलते हुए आधे घंटे से ज्यादा हो गया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : पिछले तीन सालों में दो हजार करोड़ रुपए गायब हो जाते हैं और इधर लोगों पर टैक्स लगाया जाता है। जो पैसे गायब होते हैं, उसके लिए कहा जाता है कि उसकी चर्चा इस सदन में नहीं होगी, लेकिन टैक्स लगाने की बात इस सदन में होगी। यह देश के लोगों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। हमारी बात छोड़िए। अगर आप कहेंगे तो हम बैठ जाएंगे लेकिन यह देश के लोगों के साथ जुल्म है।

मैं दो-तीन सवाल रखना चाहता हूं। क्या वित्त मंत्री यह बताएंगे कि आज अदालत में ऐसे कौन से तथ्य आए हैं, या जानकारी आई है, या प्रश्न आए हैं जो ये बताते हैं कि जो लोग यहां पर सरकार चला रहे हैं, उन लोगों के पास या उनके हाथों में या उनके द्वारा या उनके परिवारजनों के द्वारा चलाने वाली कम्पनियों में उस बैंक का अधिकतर पैसा आ गया। उसमें से लगभग एक हजार करोड़ रुपए गायब हो गए। दूसरा, क्या यह बात सही है *...(व्यवधान)*

प्रो० रासा सिंह (अजमेर) : वे पैसे गायब हो गए *...(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्योंकि पैसा नहीं है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : मैं इसका उत्तर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या यह बात सही है कि जब एक व्यक्ति को उस बैंक का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरैक्टर बनाने की बात आई, प्रस्ताव आया, तब विजिलैंस की रिपोर्ट के चलते, उनको अध्यक्ष बनाने से रोकना चाहिए, कह कर रिजर्व बैंक से कहा गया। ऐसा सरकार के कई लोगों ने कहा लेकिन इसके बावजूद उन्हें अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरैक्टर बना दिया। क्या यह बात सही है कि ये सार घपले करने के बाद और सी० बी० आई० द्वारा जांच शुरू होने के बाद एक-दो बार नहीं बल्कि चार बार उन्हें एक्सटैंशन दी गई। बाद में जिस दिन से उनकी भर्ती हुई, तब से लेकर जिस दिन तक वे वहां रहे, तब से उनकी पूरी सर्विस काउंट हुई और उन्हें एक सर्विस के तौर पर रैगुरलाइज किया गया। क्या यह बात सही है कि इस दरम्यान इस व्यक्ति ने किसी एक राजनीतिक दल और कुछ राजनेताओं के साथ मिलकर, उनके सहयोग से और अपनी तरफ से उस बैंक के काफी पैसे को बर्बाद करने का काम किया।

सभापति महोदय : आपके तीन सवाल खत्म हो गए हैं।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : आप यह क्या कर रहे हैं? फर्नान्डीज जी अपनी बात कह रहे हैं। यह जब से बोल रहे हैं तब से आप लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं। अगर ऐसे चलेगा तो कोई नहीं बोल पाएगा। यह क्या तरीका है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप पहले ही चालीस मिनट ले चुके हैं। इससे अधिक आप कब तक बोलेंगे?

श्री पी० चिदम्बरम : इनका समय कौन निर्धारित करता है?.. *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बोलने के लिए 40 मिनट ले चुके हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : स्पोकन से क्या हुआ?

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : काफी समय तो विवाद में चला गया।

श्री नीतीश कुमार : सभापति जी, कहां 40 मिनट बोले हैं.. *.(व्यवधान)* अगर यह तय हो जाए कि मैम्बर्स की स्ट्रैंग्थ पर बोलेंगे *...(व्यवधान)* मैम्बर्स की स्ट्रैंग्थ पर नहीं बोलते हैं। यहां पर किसको कितना मौका मिलना चाहिए, यह तय नहीं होता है *...(व्यवधान)*

प्रो० रासा सिंह रावत : सभापति महोदय, यहां पर 2-2 सदस्यों वाले दल बहुत समय ले लेते हैं।

सभापति महोदय : ऐसे तो 24 स्पीकर्स को देना पड़ेगा, क्या रात भर चलेगा? ऐसे अनलिमिटेड टाईम देना पड़ेगा।

श्री नीतीश कुमार : आपकी तरफ से नहीं कहा जाएगा तो समय ज्यादा नहीं लेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उनकी पार्टी के पास तीन मिनट हैं। वे 40 मिनट ले चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : जनता दल के 40 एम॰ पीज़ हैं और इनके प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ये क्या हमें डैमोक्रेसी का पाठ पढ़ाएंगे?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री नीतीश कुमार कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह बहुत ही अनुचित टिप्पणी है। संयुक्त मोर्चे के प्रधानमंत्री को कांग्रेस-आई का समर्थन प्राप्त है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : आपका एक-एक एम॰ पी॰ 20 मिनट बोलता है, क्यों बोलता है?

श्री नीतीश कुमार : आप जैसे सीनीयर मैम्बर्स इस सदन में हैं। सभापति महोदय, यह इस सदन की कर्टसी रही है हम भी इस सदन के सदस्य रहे हैं तब भी ज्यादा बोलने का मौका मिला है...*(व्यवधान)* क्या कभी मिनट के हिसाब से हाउस चला है? जितना मिनट वहां निर्धारित है, उतने पर क्या यह हाउस चला है? कभी नहीं चला है। ...*(व्यवधान)*

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : आप लोग बोले हैं, हम लोगों ने कभी आपत्ति नहीं की इसका क्या मतलब है? कभी हम लोगों ने टोका-टाकी नहीं की...*(व्यवधान)* इनको बोलने दें।

सभापति महोदय : जोशी जी, आप बैठ जाएं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय न लेकर पांच मिनट में खत्म करूंगा। मैं आखिरी प्रश्न मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या अदालत के सामने यह बात आई है कि बैंक के सारे गोलमाल के साथ जुड़े हुए लोगों के चलते सी॰ बी॰ आई॰ के ऊपर रुकावट आ रही है। मामला यहां तक आ पहुंचा। मैं आरोप लगाता हूं कि जो पर्सोनल मिनिस्टर हैं, उसकी तरफ से हरकतें की जा रही हैं। यह बात आज अदालत के सामने आ चुकी है। आप मेरा मुंह जरूर बंद करना चाहेंगे लेकिन इतनी आसानी से बंद नहीं कर सकेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी॰ चिदम्बरम : हम सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति महोदय, मैंने स्पीकर साहब को एक नोटिस दिया है। दूसरी बात यह है कि मैं मंत्री जी से सीधा पूछना चाहता हूं कि एक व्यक्ति है। यदि उसके नाम लेने की जरूरत हो तो नाम लूंगा, नहीं हो तो नहीं लूंगा क्योंकि वे एक बड़े अखबार समूह के मालिक हैं। मैं उनको बहुत सालों से जानता हूं और इन्होंने अनेक सालों से कहा कि वे इस देश को कैसे खरीद सकते हैं और इन्होंने कैसा व्यवहार चलाया है, हम इसको भी जानते हैं।

हम इसको भी जानते हैं। हम भी दो बार सरकार में रह चुके हैं। 1977 में जब मैं सरकार में था तब मैंने इस आदमी को बहुत अच्छे ढंग से पहचाना था। अपने काम के चलते जो-जो बातें उस समय हुई थीं, जिसकी चर्चा करने के लिए आज समय नहीं है, लेकिन इस आदमी ने अदालतों को भी अपना काम करने से रोक दिया और अंत में, अभी पिछले साल के अक्टूबर महीने में कलकत्ता हाई कोर्ट ने दस साल से पड़े हुए मामले पर अपना एक फैसला दे दिया और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को कहा कि जांच होनी चाहिए—'विदेश के बैंकों में पैसा है, देश का पैसा बाहर ले जाते हैं, लूटपाट यहां पर भी चल रही है।' अदालत के शब्द हैं जजमेंट में दिए हुए। यह इनफ्लुएंस करने की बात नहीं है। अदालत के शब्द हैं। जजमेंट की बहुत बड़ी कॉपी है, लेकिन कहा जाता है उस जजमेंट में कि 'फ्रॉड, फोर्जरी और हर प्रकार की हरकत कंपनियों को हड़पने के लिए इस व्यक्ति ने इस्तेमाल की है।' ऐनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हाई कोर्ट के निर्णय के चलते उसके घर पर रेड करने के लिए जाती है, दस्तावेज़ पकड़ती है और कहा जाता है कि उनको हार्ट अटैक हो जाता है। फिर डाक्टर को बुलाया जाता है। डाक्टर कहता है कि हार्ट अटैक नहीं है। फिर दूसरा हार्ट अटैक होता है और दूसरी बार दूसरा डाक्टर आता है। वह कहता है कि हार्ट अटैक है और ऐनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वाले घबराकर अपने दफ्तर चले जाते हैं। यह उस दिन रात की बात है। ऐनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को मालूम था कि यह आदमी आज रात को 12 बजे एक ब्रिटिश एयरवेज़ के जहाज़ से भागने वाला था। अनेक लोग यहां से भाग जाते हैं या भगाए जाते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के लोग जैसे ही वापस जाते हैं तो इनका हार्ट अटैक समाप्त हो जाता है। अपना सामान बांधकर पहले ही इन्होंने तैयार रखा था। यह आदमी सीधे एयरपोर्ट जाता है। एयरपोर्ट के दरवाजे पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वाले इसको पकड़ लेते हैं और इसको पकड़ने पर टेलीफोन जाते हैं। आपके रेवेन्यू सेक्रेटरी जिनका नाम मैं नहीं लूंगा—सदन में नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन रैवेन्यू सेक्रेटरी का नाम दुनिया जानती है और जानती है कि जिसको रैवेन्यू सैक्रेटरी नहीं बनना चाहिए था, जिस व्यक्ति पर एक नहीं, दो बार नहीं, तीन बार जांच हो चुकी है और ऐसे लोग इस देश में स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ की बात करते हैं, ऐसे लोग ऐसे पदों पर बैठ जाते हैं जो देश को कहीं भी, किसी भी ढंग से किसी भी नुकसान में पहुंचाने के लिए आगे-पीछे नहीं देखते—वह फोन करते हैं कि इसको पकड़ो मत, जाने दो। और आगे जाकर आपके बारे में, वित्त मंत्री के बारे में बात की जाती है कि वित्त मंत्री भी अपने वजन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे किया, नहीं किया वह मंत्री जी बताएंगे, लेकिन आपके रैवेन्यू सेक्रेटरी ने ऐनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के लोगों को लिखकर दे दिया कि हां, मैंने फोन करके ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी॰ चिदम्बरम : क्या वे आरोप लगा रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हमने इस प्रकार से टेलीफोन पर आपको कहा था कि इनको जाने दो।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : जी नहीं, वे आरोप नहीं लगा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : ये जाते हैं। फिर उनको वापस बुलाया जाता है तो वापस आ जाते हैं और वापस आकर कलकत्ता हाई कोर्ट में केस फाइल करते हैं और बोलते हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को कहिए कि यह मामला खत्म करे। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को मामला खत्म करने के लिए जो अपील करते हैं, दो दिन बाद उसको वापस लेते हैं, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में अलग पेटीशन स्वयं दाखिल करते हैं और उसके बाद दिल्ली की हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जांच होनी चाहिए, तो ये फिर भाग जाते हैं। अभी हमने सुना है कि आए हैं और मुम्बई में किसी अस्पताल में बैठे हैं और प्रयास चल रहा है कि किसी सूरत में इनकी चोरी नहीं पकड़ी जाए, इनके विदेशी बैंकों पर किसी का हाथ नहीं लग जाए और जैसे ये मानते हैं, और अपने घमण्ड से कहते हैं कि हम चाहे जो कर सकते हैं इस देश में, इनका बस चले तो। इसलिए मैं ये दो मामले यहां पर छेड़ रहा हूं कि आप जो भी देश का भला करना चाहते हैं, तो अशोक जैन एक तरफ है और इंडियन बैंक का काण्ड दूसरी तरफ है। ये सारे काण्ड ज्यों के त्यों चल रहे हैं और पार्लियामेंट की जेपीसी बनकर बैठते हुए भी बैंकों की लूटपाट उधर जारी है।

अपराह्न 5.00 बजे

दूसरा एक व्यक्ति अपने अखबारी बल पर चलता है, उसकी लूटपाट का और देश के हर कानून को तोड़ने का सिलसिला जारी है, तो सभापति महोदय, इस तरीके से इस देश को बनाना संभव नहीं है और अगर आप ईमानदारी से देश को चलाने की बात करते हैं, जैसे आपने ट्रांसपेरेंसी की बात कही है, तो फिर इस सारे मामले पर एक व्हाइट पेपर यहां रखा जाए और इसमें जो फंसे हुए लोग हैं चाहे वह जितने लोग हों और कितनी ही बड़ी पार्टी के नेता ही क्यों न हो, इन लोगों को भी सजा देने की आप हिम्मत दिखाएं, पुरुषार्थ दिखाएं तो हम मानेंगे कि देश को आगे ले जाने की दिशा में आपकी सरकार कदम बढ़ा रही है। सभापति महोदय, मैं इस बात के साथ विधेयक का विरोध करता हूं और सदन से यह प्रार्थना करता हूं कि यह विधेयक भारत के संविधान की धाराओं के बिलकुल विरोध में है। इसलिए हम सब लोगों का कर्त्तव्य है क्योंकि यहां पर हम सब लोगों ने खड़े होकर शपथ ली है, इसलिए उस शपथ के तहत हम इसका विरोध करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापट्नम) : सभापति महोदय, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। महोदय, मैं समझता हूं कि इस विषय पर 31 सदस्य बोलेंगे और आप आज ही भाषण समाप्त करना चाहते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि आप प्रत्येक सदस्य को कितना समय दे रहें हैं? क्या आज हमें यहां सोना पड़ेगा या चले जाना होगा?... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री जॉर्ज फर्नान्डीज की पार्टी के पास केवल चार मिनट का समय है।

डॉ टी. सुब्बारामी रेड्डी : वह ठीक है। हम यह जानना चाहेंगे कि आप प्रत्येक सदस्य को कितना समय दे रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं मानता हूं कि श्री जार्ज फर्नान्डीज का मामला एक अपवाद है परन्तु अन्य सभी के लिए आपको समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं केवल पांच से सात मिनट तक की अनुमति दे रहा हूं।

डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी : हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। हम सुबह से ही बोलने का इंतजार कर रहे हैं। अगर यही गति रही तो मुझे नहीं लगता कि हमें बोलने का मौका मिलेगा। .. .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं केवल पांच से सात मिनट तक की अनुमति दे रहा हूं।

डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, अगर आप मुझे बोलने का मौका देंगे तो मैं केवल साढ़े चार मिनट ही बोलूंगा।

सभापति महोदय : ठीक है।

अब मैं श्री मेजर सिंह उबोक को बोलने के लिए बुलाता हूं।

[हिन्दी]

श्री मेजर सिंह उबोक (तरनतारन) : सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं उस कांस्टीटुएंसी से संबंध रखता हूं जो भारत और पाकिस्तान की ऐन हद पर है। जहां आजादी से लेकर अब तक चार लड़ाइयां लड़ी जा चुकी है। 1947 में पहली लड़ाई हुई थी, जब देश का बंटवारा हुआ था। दो-तीन दिन हुए हैं, आपने पढ़ा होगा कि हमारे माननीय पत्रकार श्री कुलदीप नय्यर जी ने कहा था कि जब मैं पाकिस्तान से 23 जुलाई 1947 को आया था तो मेरे पास केवल तीन कपड़े और 13 रुपए थे। तो पंजाब वालों ने देश की खातिर बंटवारे का बोझ अपने ऊपर झेला और बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से इधर आए उन सबके घर-बार तबाह हुए और उनकी इकोनोमी शैटर हुई और पूरे पंजाब की भी इकोनोमी शैटर हुई। उस वक्त सारे देश ने मिलकर वैस्ट पाकिस्तान और ईस्ट बंगाल से जो लोग आए थे, उनकी मदद की। उसके बाद पंजाब वालों ने और खासकर अमृतसर के बॉर्डर पर पाकिस्तान के साथ- लाहौर में रहते हैं, उन्होंने 1965 की लड़ाई देखी। कश्मीर वालों और असम वालों ने हमारा साथ दिया। जो हमारे साथ होता रहा, वही उनके साथ भी हुआ। 1965 की लड़ाई हुई। फिर उसके बाद 1971 की लड़ाई हुई। ये दोनों लड़ाइयां पंजाब के अमृतसर जिले में और पंजाब के बॉर्डर पर लड़ी गईं। पंजाब में और खासकर खेहरटा, अमृतसर और जो दूसरे इलाके थे, वहां अगर

कोई कारखाना था तो छहरटा में था। वहां पर बमबार्डमेंट की वजह से कारखाने वाले अपने कारखाने छोड़कर इधर आ गए।

उन्होंने फरीदाबाद या हिन्दुस्तान के किसी दूसरे कोने में अपने कारखाने डाल दिए। इन दोनों लड़ाइयों ने पंजाब का बहुत नुकसान किया। दोनों लड़ाइयों में जहां पंजाब के लोगों ने फौज के साथ मिलकर पाकिस्तान का मुकाबला किया, वहीं देश के लोगों ने भी हमारी मदद की। इतिहास गवाह है कि पंजाब के लोग फौज की मदद के लिए, उनके तोप के गोले अपने कंधों पर उठाकर अगले मोर्चों पर जाते थे तथा दूसरी तरह से मदद करते थे। यही कारण था कि हम बहुत शीघ्र इच्छोगिल नहर तक और लाहौर तक जा पहुंचे।

मगर अमृतसर और बॉर्डर पर जितने कारखाने थे, इन दोनों लड़ाइयों में वे सारे तबाह हो गए और पंजाब के बॉर्डर इलाके की इकोनोमी भी तबाह हो गई। वहां जितने छोटे-मोटे कारखाने थे, उनमें से कुछ पानीपत आ गए, कुछ फरीदाबाद आ गए या किसी दूसरी जगह चले गए। आप जानते है कि वहां कम्बल के कुछ कारखाने थे, वह कम्बल जो गरीब लोगों के ओढ़ने के काम आता है, उसका एक्रेलिक रैग्स से बनता है, बाहर से जो फटे-पुराने कपड़े आते हैं, रैग्स आता है, उससे कम्बल का धागा तैयार होता है लेकिन मुझे अफसोस है कि बॉर्डर पर जो कारखाने कम्बल बनाते हैं, जिन्हें बिल्कुल गरीब लोग पहनते हैं, अमीर उन कम्बलों को नहीं लेते, कम्बल पर इस सरकार ने कस्टम ड्यूटी लगा दी। स्टेट गवर्नरमेंट ने भी एक्साइज ड्यूटी लगा दी और सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने भी कस्टम ड्यूटी लगा दी।

अपराह्न 5.07 बजे

(श्रीमती गीता मुखर्जी *पीठासीन हुईं*)

मेरी फाइनैंस मिनिस्टर साहब से प्रार्थना है कि गरीब लोगों के लिए रैग्स से जो कम्बल तैयार किए जाते हैं, उन पर लगी कस्टम ड्यूटी या तो खत्म करें या घटाएं क्योंकि कम्बल बनाने वाले जो दस्तकार हैं, इंडस्ट्रीज हैं, आज वह बहुत सफर कर रही हैं। बॉर्डर पर सिर्फ एक या दो ही ऐसे कारखाने आज रह गए है, शेष कारखाने दूसरी जगह चले गए है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना सरमाया किसी ऐसी जगह नहीं लगाना चाहता जो सुरक्षित न हो। बॉर्डर पर तीन लड़ाइयों के बाद उन लोगों ने अपने आपको सुरक्षित नहीं समझा और सारा सरमाया उठाकर दूसरी जगह ले गए। आज बॉर्डर पर सिवाए खेती के, कोई अपना कारखाना नहीं लगाना चाहता। एक-दो कम्बल के छोटे-मोटे कारखाने वहां जरूर हैं, इसलिए उन पर लगा टैक्स आपको घटाना चाहिए। एक तरफ उन पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, दूसरी तरफ एक्साइज ड्यूटी भी लगाई जाती है, यह ठीक नहीं। उनका कहना है कि प्रति कम्बल लगभग 15 रुपए उन्हें टैक्स के रूप में देने पड़ते हैं जो बहुत ज्यादा है। आप जानते हैं कि कम्बल गरीब लोगों के ओढ़ने के काम आता है इसलिए मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि वे इस विषय पर फिर से सोचें और इन छोटे कारखानेदारों को, जो घरेलू इंडस्ट्री हैं, उन्हें टैक्स में रियायत दें।

चौथी लड़ाई जो पंजाब वालों ने लड़ी, जिसका जिक्र अभी हमारे बी॰ एस॰ पी॰ के एक साथी ने किया,

सभापति महोदया, पंजाब वालों ने लड़ाई लड़ी। इसके बारे में हमारे बी॰ एस॰ पी॰ वालों ने कुछ कहा, वह बहुत लंबी लड़ाई थी और वह लड़ाई कश्मीर वाले आज भी लड़ रहे हैं। हमने वह लड़ाई जीती। वह कौन सी लड़ाई थी, वह थी पाकिस्तान के साथ मिलीटेंसी की लड़ाई। उसके बारे में हिन्दुस्तान की जो पार्लियामेंट है, उसमें भी जिक्र आया और राष्ट्रपति जी ने 23 फरवरी 1987 को अपने अभिभाषण में पंजाब की मिलीटेंसी का जिक्र किया था। मैं उसका एक पैराग्राफ आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। यह देश की लड़ाई थी। यह सिर्फ पंजाब वालों की लड़ाई नहीं थी क्योंकि इस अभिभाषण को जिसमें इसका जिक्र किया गया है, देश के दोनों हाउस ने पास किया और पास करने के बाद, उस वक्त की सरकार के जो पंजाब के मुख्य मंत्री थे श्री सुरजीत सिंह बरनाला साहब उनको उस अभिभाषण में बधाई दी गई कि मिलीटेंसी का बहुत डटकर मुकाबला कर रहे हैं। वह एक पैरा है, मैं उसको यहां इसलिए पढ़कर सुनाना चाहता हूं क्योंकि यहां पर अभी मेरे एक साथी ने कहा कि पंजाब का कर्जा क्यों माफ कर दिया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि यह पंजाब का कर्जा नहीं था, हालांकि अभी तक वह माफ नहीं हुआ है। यह पूरे देश का कर्जा है क्योंकि जिस लड़ाई को पंजाब वाले लड़ रहे हैं वह केवल पंजाब की लड़ाई नहीं है, बल्कि वह पूरे देश की लड़ाई है। और पंजाब कोई आज हिन्दुस्तान की लड़ाई नहीं लड़ रहा है बल्कि जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है तब से तीन लड़ाइयां लड़ चुका है।

चेयरमैन साहब, पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीर में शांति रहे या पंजाब में शांति रहे। इसलिए उसकी यह नीति थी कि इन दोनों प्रान्तों में गड़बड़ करो। वहां की जनता को उकसा कर हिन्दुस्तान में अशांति बनाए रखो। इसलिए उस वक्त के राष्ट्रपति जी ने 23 फरवरी, 1987 को सेंट्रल हाल में जो अभिभाषण पढ़ा, उसको मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़ना चाहता हूं-

[अनुवाद]

"पंजाब में लोकतन्त्र, देश की एकता, प्रगति और धर्म-निरपेक्षता की पूरी शक्तियां राष्ट्र-विरोधी तत्वों को अलग-थलग करने और उन्हें मिटाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। ये राष्ट्र-विरोधी तत्व विदेशी सूत्रों के इशारे व नियन्त्रण में काम कर रहे हैं। मुख्य मन्त्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला की लीडरशिप में पंजाब की राज्य सरकार और वहां के लोगों ने धर्म-निरपेक्ष प्रजातन्त्र के मूल्यों को कायम रखने में अपूर्व साहस दिखाया है। भारत की एकता और अखण्डता की रक्षा करने में पंजाब के लोग हमेशा आगे रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने ऐसी ऐतिहासिक भूमिका निभाई है जिसकी उनके दिल व दिमाग़ पर धर्म-निरपेक्षता और लोकतन्त्र की कभी न मिटने वाली छाप पड़ी है। यही वजह है कि पंजाब की जनता ने धार्मिक भावनाओं को खतरनाक तरीके से भड़का कर, लोकतंत्र प्रणाली को उलटने की घोर असंवैधानिक कोशिशों का डट कर मुकाबला किया है। गुरु नानक देव ने जिस महान धर्म की स्थापना की थी, उस धर्म के पवित्र उसूलों और परम्पराओं का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन करते हुए कुछ लोगों ने धार्मिक कार्यकर्ताओं और पवित्र धार्मिक स्थानों को, आतंक फैलाने और सरकारी तन्त्र को तहस-नहस करने का साधन बनाया है।

[श्री मेजर सिंह उबोक]

पंजाब का आज यही अहम मसला है। भारत की एकता और अखण्डता के शत्रु साम्प्रदायिक कटुता पैदा करना चाहते हैं और पंजाब में नफरत व हिंसा का वातावरण बनाना चाहते हैं। सरकार उनके नापाक इरादों को विफल करने के लिए कटिबद्ध है। इन प्रतिक्रियावादी, फासिस्ट और राष्ट्र-विरोधी ताकतों पर काबू पाने के लिए जो धर्म के नाम पर जनता को गुमराह कर रही हैं, सभी देश प्रेमी, धर्म-निरपेक्ष, लोकतंत्र और प्रगति में विश्वास रखने वाली ताकतों को एकजुट होकर भारत को मजबूत बनाना है। यह चुनौती हम सब के लिए है। इसे सबको स्वीकार करना होगा।"

अतः ये शब्द संसद में सुने गए थे।

[हिन्दी]

जिनको हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट ने एप्रूव किया। आप इसे पढ़ लें, समझ लें। क्या यह पंजाब वालों की अकेली लड़ाई थी? यह सारे देश की लड़ाई थी। यह लड़ाई देश के लिए लड़ी। उस वक्त के प्रधानमंत्री और कैबिनेट ने जो राष्ट्रपति जी का एड्रेस तैयार किया उसमें अंततः सब कुछ है। इन सब बातों से उस वक्त मिलिटैन्सी का मुकाबला करने के लिए जो एसीसटेंस मिला, उस एसीसटेंस के साथ हमने बी॰ एस॰ एफ॰ को लिया, सी॰ आर॰ पी॰ एफ॰ को लिया, पैरामिलट्री फोर्सिस ने पंजाब में जो अमन था, उसको बहाल करने के लिए बड़ी मदद दी। इसमें जो बहुत सारी राशि खर्च हुई तब पैरामिलट्री फोर्सिस के खर्चे पर हुई। सैंट्रल गवर्नमैंट के कुछ कायदे कानून हैं कि उनकी तन्ख्वाह या एलाउंसिस वगैरह जितने खर्चे है, वे सब स्टेट गवर्नमैंट खर्च करेगी। इस कारण पंजाब पर इतना कर्ज चढ़ा। मिलिटैन्सी से 10 साल तक लड़ने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सिस के खर्च के लिए चढ़ा। उस वक्त बरनाला साहब को उनके भाषण पढ़ने के एक-दो महीने के बाद ही डिसमिस कर दिया गया क्योंकि वह बहुत अच्छे आदमी थे। उनको खिताब भी दिया गया जो मैंने अभी पढ़ा है। इसमें जो बहुत सारा पैसा आया वह सरदार बेअंत सिंह और उसके बाद कांग्रेस सरकार, श्री नरसिम्हा राव जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उनको दिया गया। यह रुपया पंजाब में मिलिटैन्सी से लड़ने के लिए खर्च हुआ। इसमें हमारे समय में भी खर्च हुआ लेकिन ज्यादा खर्च कांग्रेस के समय में हुआ। वहां पर बी॰ एस॰ एफ॰ और सी॰ आर॰ पी॰ एफ॰ के ऊपर जो खर्च हुआ, उस कर्जे को हम माफ करने के लिए कहते हैं।

अभी हमारे बी॰ एस॰ पी॰ के एक साथी ने कहा कि हम यह चाहते हैं कि हमारे बिजली के बिल भी माफ कर दें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री उबोक जी, मुझे आशा है कि आप इस बात के साथ ही अपना भाषण समाप्त करने वाले हैं।

[हिन्दी]

श्री मेजर सिंह उबोक : मैं अपनी पार्टी से अकेला बोलने वाला हूं। मैं दो-चार मिनट और लूंगा।

सभापति महोदय : आप पांच बजकर तीन मिनट से बोल रहे हैं।

श्री मेजर सिंह उबोक : श्री जार्ज फर्नान्डीज साहब तो जितना मर्जी बोल सकते हैं मगर मैं पहली दफा बोल रहा हूं। *...(व्यवधान)* में कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। मैं यही कहता हूं कि पंजाब में *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप और कितना समय बोलने की सोच रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मेजर सिंह उबोक : मेरी पार्टी का जितना समय है, मैं उतना समय ही लूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ऐसे नहीं चलेगा। हम उस तरह नहीं कर सकते। आपके दल को चार मिनट का समय मिला हुआ है। आप पहले ही 15 मिनट बोल चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री मेजर सिंह उबोक : मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो खर्च हुआ, यह मिलिटैन्सी के *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : महोदया, मेरी क्या रुचि हो सकती है? यह अन्य सदस्यों के हित में होगा। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मेजर सिंह उबोक : जितनी देर मैंने बोलना था, आपने इंटरप्ट करके उतना समय ले लिया। अगर आप कृपा करें और इंटरप्ट न करें तो अच्छा होगा। मैंने एक मिनट और लेना था। मैं अपनी बात छोटी कर दूंगा लेकिन आप थोड़ा सुनिए तो सही क्योंकि सारे देश में यह गलतफहमी फैल गई कि प्रधानमंत्री जी पंजाब में गए हैं, वह पंजाब से आए थे और शायद उन्होंने पंजाब के साथ क्रोई रियायत की है। उन्होंने अभी तो कोई रियायत नहीं की। श्री नरसिम्हा राव जी जिन्होंने यह कर्ज दिया था उन्होंने यह बात समझी थी।

उन्होंने हमारी एक किश्त माफ की थी और करार भी किया था कि पंजाब का जो सारा कर्जा है, उसे सारा देश बरदाशत करेगा। जब हम यह कहते हैं तो किसी को इस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए बल्कि सारे हाउस को हमारी मदद करनी चाहिए। यह जैनविन बात है। कश्मीर में आज जो कुछ हो रहा है, क्या कश्मीर वाले उस कर्जे को बरदाश्त कर लेंगे, असम में जो हो रहा है, क्या उसे असम वाले बरदाश्त कर लेगें। सबके ऊपर एक जैसा कानून ही लागू होना चाहिए। मेरी एक प्रार्थना है कि इसे बुरी भावना से नहीं बल्कि सही भावना से समझना चाहिए। हमें खुशी है कि हमारे पंजाब से जो लोग हिन्दुस्तान की पहली लड़ाई जंगे आजादी में जेलों से उजड़कर आए, उनके बारे में प्रधानमंत्री के वहां के जंग अखबार और पाकिस्तान के अखबारों ने जो लिखा, उनके पिता नारायण जी के बारे में उस समय जो लिखा कि वे कांग्रेस का झंडा लेकर जेल में जा रहे थे। जब उनको कहा कि तुम जेल

में जाओ तो उन्होंने कहा कि यह झंडा नीचे नहीं होगा। यदि पूरा दरवाजा खोलोगे तो मैं कांग्रेस की आजादी का झंडा खड़ा लेकर जाऊंगा, इसे झुकाऊंगा नहीं। उस जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश में बन गए और यदि वे सही बात कहते हैं तो आपको उससे गिला नहीं होना चाहिए। हमारा गिला पार्टी के नाते हो सकता है क्योंकि हमारा गठबंधन और है। लेकिन पंजाबी होने के नाते अगर वे पंजाब के मसलों को अच्छी तरह समझते हैं तो आपको उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए बल्कि आप सबको उनकी मदद करनी चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूं क्योंकि मैडम ने शार्ट में बोलने को कहा है। पंजाब में अब बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, सारे हिमाचल में हो रही है। सारी जगह फसलें तबाह हो गई हैं। पंजाब में काटी हुई फसलें बिल्कुल तबाह हो गई हैं और वे खेतों में जहां थीं, वहां उग गई है। अब सरकार का प्रोक्योरमैंट का वह निशाना पूरा नहीं हो सकेगा जो हम भी चाहते थे और सरकार भी चाहती थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आपने उसे प्राक्योर करना है तो लोग और फसलें उगाना ज्यादा अच्छा समझते हैं। पंजाब में आप किसी तरफ जाएं, हर खेत में सूरजमुखी के फूल खिले हुए दिखाई देंगे। गन्ना सारे पंजाब में खड़ा दिखाई देगा। उन्होंने डाइवर्सीफिकेशन की तरफ इसलिए मुंह मोड़ा है क्योंकि उनको पता है कि गंदम के भाव कम है और अगर हम इसके बजाए गन्ना और सूजमुखी बोएंगे तो ज्यादा लाभ होगा। गंदम का एरिया भी बहुत घट गया है जिससे बहुत कम उपज हुई है। देश की सरकार और हिन्दुस्तान के सभी लोगों को इस बारे में चिन्ता करनी पड़ी है, यह बहुत बुरी बात है। मैं सरकार से यह कहूंगा कि वे उनके रैमुनरेटिव प्राइस की तरफ जरूर सोचे क्योंकि यदि वे पर्याप्त दाम नहीं देंगे तो लोग दूसरी फसलों को उगाएंगे, साल में तीन फसले लेंगे जबकि ये दो फसले ही होती हैं।

तीसरी बात यह है कि गरीबों की तरफ इस सरकार ने सोचा है। जो सबसिडी देने की बात है, 32-33 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। यह निशाना बहुत अच्छा है इसके पीछे इरादा बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बारे में सरकार को यह पता करना चाहिए कि यह जो रकम है, वह गरीबों तक पहुंचती है या नहीं। वह गरीबों तक नहीं पहुंचती है, वह रास्ते में लोग जो डिपो वाले हैं, जो इंटरमीडिएटरीज़ हैं, वही ले जाते हैं।

इन्दिरा आवास योजना का हश्र मैंने पंजाब में देखा है, दो तीन साल में बहुत सारी रकम वहां गई, लेकिन गरीब का किसी का कुछ नहीं बना। नेहरू रोजगार योजना गई, इसके जरिए भी गरीबों को, जब सर्दियों के दिन होते हैं, कोई रोजगार का साधन नहीं होता, उस वक्त उनको काम देने के लिए यह किया गया है, यह अच्छी बात है, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा है। सूबों की जो सरकार है, खास करके उनको बहुत सख्ती से इसे देखना चाहिए और केन्द्र सरकार को भी इसको मानीटर करने के लिए बहुत सख्ती से काम लेना होगा, क्योंकि यह जो रकम सैण्टर से जाती है, उसमें सैण्ट्रल गवर्नमेंट का ही अपना किया हुआ एक अंदाजा है कि जो रकम सैण्टर से जाती है, जिसके पास जानी होती है, उसके पास सिर्फ 16 परसेन्ट जाती है, बाकी 84 परसेन्ट लोग रास्ते में ही उसको ले जाते हैं। इसलिए बेशक जो देवगौड़ा जी ने एक तस्वीर वाला औरत का गीत, उसके साथ एक बच्चे का फोटो छापकर गरीबों के लिए प्रोग्राम सारे लोगों को दिया, उसके पढ़ने से तो प्रभाव पड़ता है कि यह बेशक हमारे पंजाब के ही हरिकिशन सिंह जी सुरजीत हैं, उनके कहने से है, किसी के कहने से हो, लेकिन यह बात अच्छी है।

सभापति महोदय : इसका फाइनेंस बिल के साथ क्या ताल्लुक है?

श्री मेजर सिंह उबोक : अगर कोई गरीबों के लिए सोचता है तो हमे इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमें यह होना चाहिए कि यह रकम गरीबों तक पहुंचे, इसको यकीनी बनाना चाहिए। इन शब्दों के साथ बजट में पंजाब के बारे में जो गलतियां डाली जाती हैं, उनके बारे में स्पष्ट करना चाहिए था कि पंजाब ने देश की लड़ाई लड़ी है। जैसे शुरू से ही पंजाब में 512 से लेकर कोई भी आक्रमणकारी जो मगरिब से आया, सबसे पहले पंजाब ने उसका मुकाबला किया। उसी तरह आज भी पंजाब मुकाबला करेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अगर आपको ऐतराज न हो तो—हम पंजाब का आदर करते हैं—परन्तु जो कुछ आप कह रहे हैं वह कुछ तो वित्त विधेयक से संबंधित होना चाहिए। मुझे खेद है। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। कई सदस्यों ने अभी बोलना है।

[हिन्दी]

श्री मेजर सिंह उबोक : एक मिनट। आप कम्बलों पर टैक्स वगैरह को देखें। जो जबरदस्ती बोल जाते हैं, उनको तो आप कहते नहीं, लेकिन आज मैं पहले ही दिन बोलने लगा हूं तो आपने मुझे पहले दिन ही रोक दिया। मैंने जो सुझाव दिए हैं, मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को यह कहना चाहता हूं कि वे इन बातों पर जरूर गौर करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आज हम इस आशय से प्रतिस्पर्द्धा करवाते हैं कि कौन सबसे कम समय में सबसे अच्छी तरह बोल सकता है।

डॉ॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : उसे पुरस्कार दिया जाएगा।

सभापति महोदय : हां, श्री सुब्बारामी रेड्डी यह पुरस्कार देंगे।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस फाइनेंस बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

कल इसी सदन में हमारे मित्र प्रो॰ कुरियन ने जिस तरह से रबर के जो मजदूर हैं, रबर पैदा करने वाले हैं, उन्होंने जो लाखों लोगों का प्रश्न रखा और आज सुबह कम से कम 15 हमारे मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट ने उसके बारे में अपनी गहरी चिन्ता प्रकट की, मतलब यह तो एक झलक हुई कि इस देश के गरीबों का आपके बजट में आपने जो प्रावधान किए, उससे गरीबों का कितना नुकसान हुआ।

[श्री बनवारी लाल पुरोहित]

वह स्पष्ट आरोप लगाया, मैं भी इससे सहमत हूं। मैं भी आरोप लगाना चाहता हूं कि यह बजट देश के धनाढ्य वर्ग के आदेश से बनाया गया है। उनसे सलाह करके बनाया गया है। एक-एक चीज पर उनसे सलाह की गई है, यह मेरा स्पष्ट आरोप है। कंफेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज की वार्षिक रिपोर्ट में लिखा है। सी॰ आई॰ आई॰ में विदेशी भी हैं। इसमें बड़े-बड़े अरबपति, मल्टीनेशनलिस्ट और व्यापारी हैं। आज तक कभी बजट की और वित्त मंत्री की गरिमा इस तरह से नहीं गिराई गई। व्यापारियों की और उद्योगपतियों की यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि वे सरकार और वित्त मंत्री के बारे में ऐसी बात कहें। उनके वाइस प्रेज़ीडेंट लिखते हैं :

[अनुवाद]

"एस्कॉन 1996-97 में वाद-विवाद की गुणवत्ता, भागीदारी, सहमति बनाने और सरकारी नीतियों तथा प्रक्रियाओं पर प्रभाव डालने के महत्व को समझा गया।"

[हिन्दी]

पूंजीपतियों की इतनी हिम्मत हो गई है यह कहने की कि सरकार की नीतियों पर हम इम्पैक्ट कर रहे हैं। यह उनके वाइस प्रेज़ीडेंट ने कहा है। वे आगे क्या कहते हैं :

[अनुवाद]

एस्कॉन का महत्व केन्द्रीय बजट के पूर्ववर्ती सप्ताह तथा महीने में अधिकतम था। जब वित्त मंत्री ने पहल करके सुझावों, मतों, आंकड़ों तथा आदानों के लिए एस्कॉन से संपर्क किया था।

[हिन्दी]

मतलब अरबपतियों से सुझाव लेकर बजट बनाया गया है। वे बोस्ट कर रहे हैं। उसके बाद वे कहते हैं कि हमने जो इश्यू और प्रपोजल दिए, उसमें से कौन-कौन से स्वीकार हो गए, इसमें है। ये बहुत सारे हैं, लेकिन यह देखने की बात है। उन्होंने इंशोरेंस सेक्टर के बारे में भी सरकार को सुझाव दिया।

[अनुवाद]

जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम पुनर्संरचना की स्थिति में है।

[हिन्दी]

जो पूंजीपति है, सी॰ आई॰ आई॰ के धनाढ्य हैं, वे सरकार को डिक्टेट करते हैं, सरकार उनकी बात मानती है। उसके बाद सबसे खतरनाक बात है—

[अनुवाद]

बीमा को निजी क्षेत्र और विदेशी बीमा कम्पनियों के लिए खोला जाना।

[हिन्दी]

ये इनकी मांगे और सुझाव हैं। सरकार इसके लिए क्या कर रही है

[अनुवाद]

आई॰ आर॰ ए॰ संसद के विचाराधीन सांविधिक शक्तियां। आई॰ आर॰ ए॰ बीमा क्षेत्र खोले जाने तथा उसके कार्य करण के लिए दिशा-निर्देश तैयार करेगा।

[हिन्दी]

यह हॉरिबल है। इससे ज्यादा खतरनाक जो चीज है, जिसका मैं प्रूफ देना चाहता हूं, वह फेरा है। हमारा जितना पैसा स्विस बैंकों में जमा है,

[अनुवाद]

"विनियमन" शब्द को 'फेरा' के शीर्षक से निकाले जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

उसके बाद कई और सुझाव दिए हैं, बहुत से हैं, पढ़ने में समय लगेगा। लेकिन जवाब क्या है—

[अनुवाद]

"सरकार ने जल्द ही फेरा को संशोधित करने के अपने इरादे की घोषणा कर दी है।"

[हिन्दी]

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। फेरा जैसा क्राइम करने वाले ये लोग सरकार को डिक्टेट कर रहे हैं और सरकार मान रही है। यह उनकी वार्षिक रिपोर्ट में छपा है।

[अनुवाद]

"संघ लोक सेवा आयोग के बराबर स्थिति को पी ई एस बी के लिए लागू करना"

[हिन्दी]

उसका रिप्लाई है।

[अनुवाद]

"सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए तथा व्यापक दीर्घावधि विनिवेश योजना का सुझाव देने के लिए विनिवेश आयोग बनाया गया है।"

[हिन्दी]

जितने भी पब्लिक सैक्टर हैं, वे लाखों-करोड़ रुपए के हैं। सरकार उनको बेचेगी और ये लेने को तैयार हैं। डिस्इंवैस्टमेंट कमीशन किसलिए बना? क्या पब्लिक सेक्टर इसलिए लगाए गए थे? मेरा चार्ज है कि इंडिजिनस ऑयल है, ओ॰ एन॰ जी॰ सी॰ के जो प्रोफिटेबल वैल है, सरकार बेचने को पूरी तैयार है।

ऑफर्स मंगाए हैं। डिस-इंवेस्टमेंट वाले काम में लग गए। प्रॉफिट की चालीस इंडस्ट्रीज है, मेरे पास डिस-इंवेस्टमेंट की रिपोर्ट है। पब्लिक अंडरटेकिंग जो प्रॉफिट में हैं, उनको करोड़पतियों को बेच रहे हैं, वे तो खा जाएंगे। मैं इसका विरोध करता हूं। अपनी नीति को सुधारो। यह क्या है? पचास साल में हमारी क्या उपलब्धि है? कर्जे में देश

डूब गया। डिफेंस वाले रो रहे हैं। डिफेंस के तीनों चीफ हैं, वे तरस रहे हैं। हम उनको कुछ नहीं दे सकते। उनको जहाज नहीं दे सकते। 35000 करोड़ का उनका बजट है और करीब 1990-91 से जब से लिबरेलाइजेशन आया और 1990-91 में 21498 करोड़ रुपया ब्याज का दिया और इनका कहना था कि कर्जा कम करेंगे। लिबरेलाइजेशन होगा। लिबरेलाइजेशन तब होगा जब कर्जा रिड्यूस होगा। देश प्रगति करेगा। 1997-98 में हमने कितनी प्रगति की है? 68000 करोड़ रुपया ब्याज दे रहे हैं। 1991 में 21000 था और उस समय लिबरेलाइजेशन नहीं आया था और अब 68000 करोड़ दे रहे हैं।

यह यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट है। यह सरकार इस देश को कहां ले गई है? यह देखकर शर्म आती है। 135वें नंबर पर श्रीलंका है, मालद्वीप, पाकिस्तान भी हमसे धनाढ्य हैं। अर्थात् हम इनसे भी गरीब हैं। क्या बजट बनाया है? इस बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं है। आप झोपड़-पट्टी वालों से जाकर क्यों नहीं मिले? क्यों आपने खाली अरबपतियों को ही बुलाया? यह आपको शोभा नहीं देता। वित्त मंत्री को यह शोभा नहीं देता। यह देखकर आत्मा जलती है। देश में यह क्या हो रहा है? देश को बेचने के लिए निकले हैं। अरे कुछ सीखो। आदमी ठोकर खाकर ही सीखता है। आदमी कि जिंदगी 90 साल या सौ साल होती है। लेकिन देश की जिंदगी तो हजारों साल की होती है। वर्षों हमारा देश गुलाम रहा। फ्रांस वाले आए और कब्जा कर लिया। तत्पश्चात पुर्तगाली और फिर अंग्रेज आए और कब्जा कर लिया। सैकड़ों वर्षों तक हम गुलाम रहे हैं। वे व्यापारी बनकर आए थे। अब हमारे देश के लोग मल्टी-नेशनल्स को बुला रहे हैं, पूरे विश्व को न्योता दे रहे हैं कि लूट लीजिए। ये हमारा भला करने जा रहे हैं। पूरे देश को डुबा दिया। सारी पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स सिक हो रही हैं। सारे स्टील सैक्टर्स आपकी इस नीति से बर्बाद हो रहे हैं। एक कारखाना नहीं बचेगा। देश को भिखारी बना रहे हैं और उनको मालिक बना रहे हैं। यह बहुत गलत हो रहा है। गरीब 22.9 करोड़ जिनकी इन्कम बहुत कम है और जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और 55.4 कैपेबिलिटी पूअर हैं, 78.3 करोड़ हैं। वे बहुत गरीब लोग हैं और आपने उनके लिए कुछ नहीं किया है। आपने उनके लिए कुछ नहीं किया है। एजुकेशन की लेटेस्ट रिपोर्ट है। 14 डॉलर का हमारा प्रति वर्ष एजुकेशन का खर्च है। प्रति हैड 14 डॉलर एनुअल एक्सपेसेज है जबकि मलेशिया में 150 डालर है। छोटा देश है। पिछड़ा हुआ देश है। कोरिया में 160 डॉलर है।

महंगाई कितनी बढ़ गई है? 1981-82 का यदि सौ का इंडैक्स देखें तो पाएंगे कि 1981-82 में सौ है। 1986-87 में फूड ग्रेन का प्राइस इंडेक्स होल सेल का 129 है। मतलब यह कि 1981 से छः साल में कितना बढ़ा है? 29 प्रतिशत केवल और उस समय बहुत चिल्लाहट मची थी। हम पार्लियामेंट में थे। हमारा भाषण है। हम चार साल तक लगातार महंगाई घटाने के लिए बोलते रहे थे। महंगाई कहां घटी है? अब 1990-91 में 179 प्राइस इंडैक्स का हुआ है।

उस समय कितना बवाल हुआ था। कांग्रेस इसके भरोसे चुन कर आई थी कि नरसिम्हा राव जी तुरंत महंगाई खत्म करेंगे। यह दिसम्बर, 1996 का फीगर है, 179 का 371 हो गया, सीधे इतना जम्प मारा। क्या गरीब बचेगा? आप मंहगाई रोकने के लिए क्या कर रहे हो? केवल भाषण देने से नहीं होता। यह सच्चाई है, वह वस्तुस्थिति है। यह फीगर्स मैं आपके सामने रख रहा हूं, कोई चेलेंज नहीं कर सकता। कमर तोड़ महंगाई है। यह अर्सेशियल कमोडिटीस के भाव हैं। 1990-91 में चावल 134 हैं, ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं और 1995-96 में 134 से 316 हो गए। गेहूं 127 से 302, दाल 125 से 339 हो गई। यह लिब्रलाइजेशन का इफेक्ट है। आप गरीबों को मार देंगे, ये जिन्दा नहीं रहेंगे। आप ये क्या कर रहे हैं, आप सोचें। आप 15-20 दिन के लिए चले गए तो देश के पूरे केपिटलिस्ट एक हो गए, मल्टीनेशनल्स प्लेन से उतर कर आ गए कि हमें तो चिदम्बरम साहब ही चाहिए, नहीं तो देश डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आपको झोपड़ी वाले गरीबों की आवाज तो आती नहीं है, उनकी आवाज तो हम लोग यहां सुनाते हैं। इसलिए खरी-खरी सुनाते हैं, आप सुनने की हिम्मत रखिए और देश को सुधारिए। आप ईमानदारी से मेरी बात सोचें, मैं बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूं, आप उनको सुधारो। उनके बारे में आप सोचें और हमें इसका जवाब दें।

आपने स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ पर तो कहर ही ढाह दिया। इसके पीछे रिजर्वेशन क्यों किया था? मैडम, 836 आइटम्स में है। सरकार ने आबिद हुसैन कमीशन बैठा दिया। कहां से कौन आता है, सरके हुए लोग आ जाते है।...*(व्यवधान)* चमचे ही, मंत्री जैसा बोलते हैं वैसी रिपोर्ट बना देते हैं। यह तो हमारे यहां का कल्चर है। उसकी क्या हिम्मत है कि मंत्री के खिलाफ बनाए। आप गलत काम कर रहे हो। स्माल स्केल सैक्टर बढ़ाना चाहिए। इसमें हजारों आइटम्स जोड़नी चाहिए। छोटे-छोटे एंटरप्रिन्योर अपने पैरों पर खड़े होने चाहिए तब देश प्रगति कर सकता है। आप पूरे विश्व में देख लें कि छोटी-छोटी चीजें घरों में बनती हैं। कोटेज इंडस्ट्री डेवलप होती है। आप जो कर रहे हैं यह ठीक नहीं है। आपने 14 इंडस्ट्रीज़ डी-रिजर्व कर दीं। हम इसका विरोध करेंगे और डट कर करेंगे। सड़कों पर भी करेंगे। हम आपको चेलेंज करते हैं, हम मानने वाले नहीं हैं। आप गलत कर रहे हो। आपने 14 इंडस्ट्रीज़ को कैसे डि-रिवर्ज कर दिया? अगर विदेशियों को बुलाना है तो ऐसे बुलाओ कि जो सामान इंडिया में न बन सकता हो। आइसक्रीम, मेक डोनोल्ड के फास्ट फूड, अंकल चिप्स, क्या भाव बिक रहे हैं। इन्होंने जिन इंडस्ट्रीज के लिए किया है उनमें आइसक्रीम, बिस्कुट, राइस मिल, पोल्ट्री फीड, दाल मिल आदि हैं। इनकी लिमिट बढ़ाई है, तीन करोड़ की है। इसमें इनकी बहुत बड़ी चाल है। बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल्स को घुसाने के लिए ये सब किया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इनफ्लेशन कितना हुआ। 60 लाख की लिमिट कर दो, एक करोड़ कर दो। यह जो आपने इतनी ज्यादा लिमिट बढ़ाई है इसकी जरूरत नहीं है। छोटे को छोटा रहने दो, जितनी मशीनरी वगैरह की कास्ट बढ़ी है उतना दो और ये जितनी भी आइटम्स हैं उनके लिए मेरा स्पष्ट निवेदन है कि डी-रिजर्व वगैरह का चक्कर मत करो। आइसक्रीम, फास्ट फूड, ड्रिंक्स, कोकाकोला, ये मल्टीनेशनल्स खरीद रहे हैं। ये बर्बाद कर देंगे। इस देश की हमारी पापुलेशन 90 करोड़ के ऊपर है, 95 करोड़ में, यह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन सी केटेगरी में आते हैं। यह बड़े केपिटलिस्ट तो नही हैं। टाटा-बिड़ला, मफतलाल, रिलायंस आदि के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। लाख, डेढ़ लाख के शेयर, छोटा-मोटा घर आप

[श्री बनवारी लाल पुरोहित]

मेरी बात सुनिए ये ईमानदार हैं किन्तु गलत हाथों में खेल रहे हैं। इनको कौन सी केटेगरी में रखेंगे? क्या अपर मिडल क्लास केटेगरी में रखेंगे?

अपर-मिडिल क्लॉस की कैटेगरी में रखेंगे तो वैसा ही बजट इन्होंने बनाया है। 95 करोड़ लोगो में से केवल दो करोड़ लोगों के लिए इन्होंने बजट बनाया है। मल्टीनेशनल, पैसे वाले ये कौन हैं? ये दो करोड़ लोग ही हैं। कोका-कोला, पेप्सी आदि आइटम्स का मजा लेने वाले लोगों के लिए सब घटा दिया। यह अच्छी बात नहीं है। अगर देखना था तो पूरी जनता को देखना था। बजट से फायदा किसको हुआ है। एक एक्सपर्ट रिर्पोट में, जिसमें हिन्दुस्तान लीवर को यह बजट का परपोजल है। इनके घटाने से 40.2 प्रतिशत उनका लाभ बढ़ेगा। प्रोक्टर एंड गेम्बल का 7 प्रतिशत, कोलगेट-पामोलिव का 14.2 प्रतिशत इनका टर्न-ओवर बढ़ेगा। लेकिन हमारे स्मॉल सेक्टर डूब जाएंगे। यह उनकी प्रोग्रेस के लिए बना रहे हैं। इन पर एक्साइज ड्यूटी भी काफी घटी है।

मेरी एक अनाज के व्यापारी से बात हुई। बोले एक बोरी लेकर आते हैं और पांच रुपए लाभ पर बोरी बेचते हैं। सात सौ रुपए की बोरी पर पांच रुपए टर्न-ओवर करता हूं। अगर उसके ऊपर आप पांच प्रतिशत इन्कम असेस करेंगे तो क्या होगा? कहां पांच प्रतिशत मिलते हैं। हम जानते हैं, आपने तो मंत्री बनने के बाद घूमना-फिरना बंद कर दिया है। हम तो गलियों के आदमी हैं, पब्लिक के आदमी हैं। इसलिए हम जानते हैं कि यह गलत है। हमारा सजेशन है कि इसको दो प्रतिशत करें। नहीं करेंगे तो आपका परपज हल नहीं होगा। आप लोगों पर जुल्म करेंगे।

आपने असेसी की परिभाषा बना दी कि जिसके पास चार आइटम होंगे उस पर टैक्स लगेगा। अचल सम्पत्ति, खुद की कार, विदेश यात्रा और टेलीफोन किसी के पास होगा तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब सरकार द्वारा भी अधिकारियों को विदेश भेजा जाता है। मान लीजिए कि किसी आदमी के पास दो कमरे का घर हो जो कि गरीब से गरीब आदमी के पास भी होता है। जो ऑफिस बियरर्स ट्रेड-यूनियन में होते हैं उनके पास मजदूरों की सहायता करने के लिए या रात में कोई काम मजदूरों की सहायता के लिए पड़ जाए तो उसके लिए फोन रहता है। अब क्या वे भी आय कर के झटके खाएंगे। जिसके पास दो कमरे का मकान और टेलीफोन हो गया तो उसको आपने आवश्यक रूप से आय कर के नेट में ले लिया। इसको आप सुधारें। आप को कुछ तो कीमत रखनी चाहिए कि पांच लाख का मकान हो या कम से कम इतने का हो। टेलीफोन तो किसी के पास भी रहता है। अब वह आयकर दाता ही हो, तो यह बात ठीक नहीं है।

हम आपकी एमनेस्टी स्कीम का कड़ा विरोध करते हैं। यह तो बहुत ही जुल्म है। जो ईमानदार असेसी एक जमाने से धीरे-धीरे अपनी कैपिटल बनाकर लाया। उस पर आप 80 प्रतिशत, 70 प्रतिशत, 60 प्रतिशत टैक्स काटते आए हैं। उसने अपना और अपने बच्चों का पेट काटकर आपको टैक्स दिया। आपने ईमानदार आदमी पर कितना बड़ा जुल्म किया है। करोड़ों लोग इस देश में ईमानदार हैं जो टैक्स देते हैं, उनके ऊपर आपने कितना बड़ा जुल्म किया है यह आप अपने मन से सोचें। आप सोचें कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री पी॰ चिदम्बरम : महोदया, मैंने माननीय सदस्य के विचारों को सुना है। मैं समझता हूं वे भाजपा के विचारों को व्यक्त करते हैं। डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी और श्री सतीश अग्रवाल मुझसे मिले थे और उन्होंने स्वैच्छिक घोषणा स्कीम का विरोध नहीं किया था।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : नहीं, नहीं दूसरे 40 प्रतिशत के बारे में।

[अनुवाद]

श्री पी॰ चिदम्बरम : उन्होंने उस स्कीम की दरों का विरोध भी नहीं किया।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : नहीं, इसका पैसा सही ढंग से खर्च करेंगे। मेरी पार्टी ने यह सजेशन दिया है।

[अनुवाद]

श्री पी॰ चिदम्बरम : मैं यह मान रहा हूं। अगर यह उनके दल का मत है तो उन्हें यह कहने दीजिए। मैं यही कह रहा हूं कि उनके दल के दो प्रतिनिधि मुझसे मिले थे, और उन्होंने इस स्कीम का विरोध नहीं किया था।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : आपने ऐसा कर दिया तो कम से कम यह पैसा गरीबों पर, उनके मकानों पर और उनके विकास पर लगाते तो अच्छा होता। हमने यह बात आपसे बातचीत के समय भी कही। परन्तु गलती की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस साल के टैक्स स्ट्रक्चर पर कांग्रेस के मित्र बोले। उन्होंने सही कहा कि 30 परसैंट और 40 परसैंट देने वाले लोग रिटर्न में 50 परसैंट कर देंगे। वह एमनैस्टी में 30 परसैंट करके सीधा 10 परसैंट बचाएंगे। एमनैस्टी में अगर कोई 1-2 लाख डाल देगा तो उसका एक लाख रुपया बच जाएगा। यह गलत चीज होने वाली है। यह ईमानदार को बेईमान बनाने का धंधा है।

कस्टम ड्यूटी में तो आपने कमाल कर दिया। इससे इंडस्ट्रीज बर्बाद हो जाएंगी। आपने सब चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई है। इंडिया में टैक्सटाइल मशीनरी बनाने वाले अमीर हो गए हैं। आज टैक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ी प्रतियोगिता में चल रही है। नेपा के पब्लिक सैक्टर वाले मेरे पास आए थे। इम्पोर्टिड पेपर पर ड्यूटी घटा दी। इससे पूरे कागज के कारखाने खत्म होने जा रहे हैं। आज कागज के कारखाने वाले रो रहे हैं। आप एक नहीं सारी इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? आप इनके चक्कर में आ गए हैं। बहुत गलत हो गया है। सी॰ आई॰ आई॰ का हमें मालूम पड़ा। हमें इस बात की कल्पना नहीं थी कि हमारे वित्त मंत्री कैपिटलिस्ट लोगों के क्लचिज में आ गए हैं। यह उसका प्रूफ है। आप उनको बुला कर कहो कि यदि यह गलत है तो ...*(व्यवधान)**

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतांत से निकाल दिया गया।

लोगों आपने क्यों ऐसा छाप दिया? सदन में इस बारे में बताना चाहिए कि इस तरह की बात नहीं हो रही है। वे कहते हैं कि हमारी इस बारे में महीनों से मीटिंग चल रही है। यह गलत कह रहे हैं। आपको क्या एट्रक्शन है?

गलेज टायल्स पर एक जमाने में ड्यूटी 115 परसैंट थी। उसे घटा कर 25-30 परसैंट कर दिया है। क्या ये चीजें जरूरी हैं? क्या ये इंडिया में नहीं बनती हैं? जिन्होंने ऑटोमैटिक प्लांट लगाया, वे सब इससे बर्बाद हो गए। यह ठीक नहीं है। मेरे पास मुद्दे तो बहुत हैं लेकिन समय का अभाव है। एक्साइज ड्यूटी का मामला है। इसमें आप पाप कर रहे हैं। आपका यह कहना है कि कस्टमर को इसका जो प्राइस मिलेगा उस पर ड्यूटी चार्ज की जाएगी। आप इसे कैसे असैस करेंगे? इससे बहुत मैन्यूप्लेशन होगा और करप्शन होगा। सर्विस वालों पर आपने 5 परसैंट टैक्स लगा दिया। टैंट वाले मेरे पास रोते हुए आए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माफ कीजिए क्या आपने किसी असंसदीय शब्द का प्रयोग किया था?

(व्यवधान)

श्री बनवारी लाल पुरोहित : महोदया, मुझे खेद है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री बनवारी लाल पुरोहित : महोदया, मुझे इसके लिए खेद है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : धन्यवाद। वह शब्द निकाल दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मैं भावनाओं में बह गया। विदेशी लोग जो कि हमें लूट रहे है, उसको हम लूटते हुए देख रहे हैं। इसलिए आक्रोश में ये शब्द निकल गए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुछ भी हो, उसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : सबसे बड़ी बात रिटेल प्राइस की है। आप इसे मत करो। एक्साइज में दूसरा सिस्टम बनना चाहिए। क्वांटिटी, नम्बर, वेट पर ड्यूटी लगाओगे ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी : आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं यह जानना चाहता हूं। मैं हंसकर बात कर रहा हूं पर आप बहुत गुस्सा हो रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मैं खुद कह रहा हूं कि इसे रिकार्ड में से निकाल दिया जाए। मैंने यह शब्द जिन्दगी में नहीं कहा। मुझ से गलती हो गई। गलती से वह निकल गया। मेरा संसद में तीसरा टर्म है ...*(व्यवधान)* पंडाल वालों पर और टूरिज्म इंडस्ट्री पर सर्विस टैक्स खत्म करने के बारे में जो इन्होंने एनाउन्स किया था, मैं समझा नहीं। कम्पनियों के जो फिक्सड डिपाजिट हैं, उस पर जो एग्जम्शन लिमिट 2500 है।

और बैंक को 10 हजार रुपए की एफ. डी. करने को दी। अब यहां पर इतना इनफलेशन आ गया कि जो 1986-87 में लिमिट बनी हुई थी, उससे तीन गुना हो गया। आपको इन बातों को कंसीडर करना चाहिए।

सभापति महोदया, सबसे ज्यादा धोखा तो कोयले के साथ किया गया। आप भी कोल बैल्ट से आती हैं। 1994-95 में कोयले पर ड्यूटी 85 प्रतिशत थी जिसे कम करके 35 प्रतिशत कर दिया गया। 1996-97 में इसे 35 प्रतिशत से 20 प्रतिशत कर दिया गया और 1997-98 में इसे 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत कर दिया गया। बारगेनिंग हो रही है। विदेशों से लाखों टन कोयला आने लगा है। चाइना भी डम्प करने के लिए तैयार है और हमारे कोल इंडिया की माइन्स में लाखों मजदूर काम करते हैं। मैं सरकार को वार्निंग देता हूं कि उनका भविष्य मुझे दिखाई दे रहा है, वे बेकार हो जाएंगे, सिक हो जाएंगे। आप बहुत बड़ा जुल्म इस देश के साथ कर रहे हैं। आपके आंकड़े बता रहे हैं कि आपके पास इतना कोयला है कि अगले 50 साल तक खत्म नहीं होने वाला है। उससे इस देश की जरूरत पूरी हो सकती है।

सभापति महोदय : यह तो आपका लास्ट पाइंट था जो जेस्ट था।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : सभापति महोदया, एक बात आप महिलाओं के बारे में कहना चाहता हूं। सुहाग बिंदी, चूड़ियां, बिछुआ पर एक्साईज़ ड्यूटी लगा दी, इनको महंगा कर दिया। ये लोग इस सदन में और कुछ नहीं कर सकते। हमें लोगों ने विश्वास देकर चुनकर भेजा है। मेरा आप और स्पष्ट आरोप है कि आपने यह बजट पूंजीपतियों, करोड़पतियों से प्रभावित होकर बनाया है।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : महोदया, चूंकि यह सदन वित्त विधेयक पर देर तक चर्चा करेगा इसलिए माननीय सदस्यों और प्रैस के मित्रों के लिए रात्रि भोज की व्यवस्था की जा रही है। माननीय सदस्यों और प्रैस के मित्रों को कमरा सं. 70, संसद भवन में 8.30 बजे रात्रि भोज दिया जाएगा तथा स्टाफ को कमरा सं. 73 में रात्रि भोज दिया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी : माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे रात्रि भोज के लिए बुलाया है। हमें उसमें उपस्थित होने दीजिए।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : जो सदस्य बोलना चाहते हैं वे बैठ सकते हैं और अन्य जा सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी : मैं इससे सहमत नहीं हूं। महोदया, हम इसे कल जारी रख सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : सभापति महोदया, मेरा एक महत्वपूर्ण पाइंट रह गया। वित्त मंत्री जी ने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में मंजूर किया है कि 640 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला है। मैंने इनको चार बार लिखा, इनका उत्तर आया। मैंने कहा कि नाम बताइए तो इन्होंने कहा कि सी॰ बी॰ आई॰ में है, हम नाम नहीं बताएंगे। यह कोई डिफेंस का मामला नहीं है। भ्रष्टाचारियों का नाम देश के सामने उजागर होना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप उन्हें लिखित में दें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कम से कम हमें किसी मानदण्ड के अनुसार चलना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति महोदया, मेरी एक प्रार्थना है कि यहां पर मच्छर बहुत हो गए हैं, इनको हटाने का कोई इन्तज़ाम कीजिए।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : सभापति महोदया, इन्होंने मंजूर किया है। यह कोई देश की सुरक्षा का सवाल नहीं है एक एम॰ पी॰ होने के नाते हमारा हक है, आपको बताना चाहिए। यही मेरी आखिरी मांग है कि आप नाम बताइए।

[अनुवाद]

महोदया, उन्होंने 640 करोड़ रुपए का घोटाला स्वीकार किया है परन्तु वे कहते हैं कि मामला सी॰ बी॰ आई॰ के पास होने के कारण वे नाम नहीं बताएंगे। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वित्त विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं।

अपराह्न 6.00 बजे

[अनुवाद]

श्री सनत मेहता (सुरेन्द्र नगर) : महोदया, मैं कुछ नीतिगत मामलों पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। 1991 में हमने उदारीकरण की नीति शुरू की थी। जब हमने उदारीकरण शुरू किया था, उस समय आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि हम विदेशी निवेश चाहते थे। हम अपनी विदेशी मुद्रा के कोष को बढ़ाना चाहते थे। अब छह: वर्ष बाद, मैं वित्त मंत्री के सामने एक मूल प्रश्न उठाना चाहता हूं। इन छ: वर्षों में, अर्थात् जब हमने उदारीकरण की नीति अपनाई और जब हमने उद्योगों की पुनर्संरचना का पूर्वानुमान लगाया था, इस देश के मजदूर वर्ग से कुछ वायदे किए गए थे।

मुझे याद है कि भूतपूर्व वित्त मंत्री ने इस देश के मजदूर वर्ग को आश्वासन देते हुए यह वादा किया था कि वे एक राष्ट्रीय नवीकरण निधि का गठन करेंगे। उन्होंने संसद में एक घोषणा की थी। उनका अनुमान था कि राष्ट्रीय नवीकरण निधि एक तरह से, इस देश के मजदूर वर्ग को सुरक्षा प्रदान करेगा। जो उद्योगों की पुनर्संरचना, विश्व व्यापीकरण और नई प्रौद्योगिकी से प्रभावित होंगे। तोड़े गए वादे का यह इतिहास है।

अब हमारी स्वतंत्रता का यह 50वां वर्ष है। मैं इस सदन को यह याद दिलाना चाहता हूं कि 1942 में केवल वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए मजदूरों ने ही—जब देश अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था—स्वतन्त्रता आंदोलन में भाग लिया था। अहमदाबाद के वस्त्र मजदूरों ने ब्रिटिश शासन के दौरान साढ़े तीन महीने तक काम बंद रखा था। उन्होंने मजदूरी की मांग नहीं की थी। मजदूरी मांगने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मुम्बई के वस्त्र मजदूरों ने राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए 65 दिनों तक काम बंद रखा। इतिहास में ऐसा शायद ही पहले हुआ हो। हमने वस्त्र मजदूरों को क्या दिया है? यह हमारी स्वतंत्रता का 50वां वर्ष है। 1942 के आंदोलन के दौरान कोई सात दिनों, एक महीने या दो महीने के लिए जेलों में गया था। उन्हें प्रमाण पत्र मिल गए और वे स्वतंत्रता सेनानी बन गए। उन्हें एस॰ टी॰ पास और पेन्शन जैसी काफी रियायतें मिली हैं। परन्तु हमने इन सभी वस्त्र मजदूरों को बेरोजगारी की गहरी खाई में धकेल दिया है। अब उनके बारे में सोचने का समय आ गया है।

जब राष्ट्रीय नवीकरण निधि का गठन किया गया था तो मुझसे औद्योगिक विकास विभाग के सचिव ने यह वादा किया था कि सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के विनिवेश से प्राप्त होने वाले धन पर पहला अधिकार पुनर्संरचना से प्रभावित मजदूरों का होगा। परन्तु कुछ नहीं हुआ है। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई है। जब विनिवेश आयोग आपना साक्ष्य देने के लिए स्थाई समिति के समक्ष उपस्थित हुआ था तो हमने उनसे पूछा था कि एक सुझाव यह भी था पर सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के विनिवेश से होने वाली आय का एक भाग रुग्ण उद्योगों के पुनरुद्धार और मजदूरों की सहायता के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। और उन्होंने उत्तर दिया था कि सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया था। अगर मजदूरों से ऐसा ही व्यवहार होता रहा, और जब हमने इस प्रकार की उदारीकरण की नीति अपनाई है तो इस मानवीय पक्ष का क्या अर्थ है?

जब इस देश में 'बाजार अनुकूल' शब्द का प्रयोग किया गया था तो कुछ लोगों ने कहा था कि अब उदारीकरण की प्रक्रिया में एक मानवीय पहलू भी है। मुझे इस बात का डर है कि उदारीकरण शुरू किए जाने के छ: वर्ष बाद और अब जब हमने पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बना लिया है तथा अर्थव्यवस्था में पर्याप्त सुधार होने के बाद, अब वे वादे तोड़े जा रहे हैं। मुझे इसका काफी दु:ख है और अब कुछ नहीं किया जाता तो देश में काफी गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस वित्त वर्ष के दौरान कुछ किया जाना चाहिए। रुग्ण मिलों से प्रभावित वस्त्र मजदूरों को हमारी स्वतंत्रता के इस 50वें वर्ष के अंत तक कुछ राहत दी जानी चाहिए।

महोदया, क्या यह इस देश में यह एक त्रासदी नहीं है कि अहमदाबाद

वस्त्र उद्योगों के मजदूरों को उनके वैध बकाएं—मैं 'वी॰ आर॰ एस॰' या अतिरिक्त राहत की बात नहीं कर रहा हूं उनके वैध बकाए, उनके वेतन, उनके नोटिस वेतन, उनकी छंटनी मुआवजे, की राशि 220 करोड़ रुपए है—आज तक नहीं दिए गए। क्या हम इस स्थिति का मूक ग्वाह बने रहेंगे? मैं फिर दुहराता हूं, उन मजदूरों के 220 करोड़ रुपए जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय साढ़े तीन महीने के लिए बिना वेतन के हड़ताल पर थे—अभी तक उन्हें नहीं दिए गए हैं। यह क्या हो रहा है?

महोदया, एक स्कीम शुरू की गई थी। राष्ट्रीय नवीकरण निधि में यह वायदा किया गया था कि क्षेत्र पुनर्गठन स्कीम को प्रोत्साहित किया जाएगा। अब इस क्षेत्र पुनर्गठन स्कीम का क्या अर्थ है। इसका तात्पर्य यह है कि कपड़ा मिलों के बन्द होने के फलस्वरूप जो कुछ जमीन और मशीनें खाली पड़ी हैं उन्हें और अधिक रोजगार पैदा करने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। गुजरात सरकार ने एक ऐसी स्कीम का प्रस्ताव किया था। यदि पन्द्रह कपड़ा मिलों की जमीन और मशीनों को पुन: काम में लाया जाता है, तो इससे अनुमानित 65,000 नए रोजगार पैदा किए जाने की आशा थी। इस स्कीम को राष्ट्रीय नवीकरण निधि को उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने स्वीकृति दे दी और चूंकि इसमें 80 करोड़ या 100 करोड़ की लागत थी अत: इसे मंजूरी हेतु मंत्री-परिषद् के पास भेजा गया।

महोदया, हालांकि कई प्रधान-मंत्रियों ने अहमदाबाद में कई सार्वजनिक जन-सभाओं में इस स्कीम को मंजूरी देने के वायदे किए हैं तथापि आज तक इस स्कीम को मंजूरी नहीं मिली और कामगारों को 228 करोड़ रुपए के उनके वैध बकायों की अदाएगी नहीं हुई। दूसरी ओर कपड़ा मिलों की भूमि एक-एक करके मिट्टी के भाव बेची जा रही है। नीलामी के दौरान कैलिको मिल की भूमि की भी बोली असली मूल्य के मुकाबलों में बहुत कम मूल्य पर लगाई गई। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि पुरानी प्रथाओं का परित्याग कर दिया जाए। यदि उद्योगपतियों के प्रति उनकी कुछ जिम्मेदारी है, यदि वह सीमा-शुल्क को कुछ कम करना चाहते हैं; यदि वे प्रगति को बढ़ावा देना चाहते हैं; तो क्या इसके साथ-साथ उनकी यह जिम्मेदारी नहीं कि वे कर्मचारियों के हितों की रक्षा करें। क्या हम अपने देश में एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां उद्योग विकासशील हों, कर कम हो, सीमा-शुल्क कम किया जाए उद्योगपतियों को अधिक से अधिक धन-राशि दी जाए और दूसरी ओर मजदूरों को उनके ज़ायज़ हकों से वंचित किया जाए? इस तरह से परिस्थिति से निकलने का कोई सही रास्ता नहीं है?

महोदया, मुझे नहीं पता, हमने अपने देश में क्या प्रगति की है। मैं कलकत्ता गया था उस समय के वित्त मंत्री ने बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ के पास कुछ सार्वजनिक इकाइयों का सन्दर्भ दिया है। उन्होंने इंगित किया था कि यदि जिन नुकसान में जा रही सार्वजनिक इकाइयों का उल्लेख बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ के पास किया जाता है उन्हें आखिरकार फिर से चालू कर दिया जाएगा। मैं टायर कार्पोरेशन आफ इंडिया नामक इकाई का दौरा करने गया था। मैं वहां विभागीय स्थाई समिति की उप-समिति के सभापति के रूप में वहां गया था। मैंने अधिकारियों को बुलाया और उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा। मैंने निदेशक (वित्त) से यह पूछा कि देश की अन्य रुग्ण इकाइयों को जो रियायतें भारतीय रिजर्व बैंक देता है, वे रियायतें क्या उन्हें भी दी जाती हैं तो उनके पास कितनी मुद्रा प्रचलन में होगी? क्या वे मुझे इसकी जानकारी दे सकते हैं?

अगले दिन वित्त निदेशक मेरे पास आए और उन्होंने मुझे नकदी जमा के आंकड़े दिए। इससे यह पता लगता था कि दो सालों के अन्दर-अन्दर यदि वे रियायतें दी जातीं, तो उनका काम लाभजनक हो जाता और हानि होनी बन्द हो जाती। परन्तु त्रासदी यह थी कि कर्मचारी वर्ग के साथ किए गए सभी वायदे बड़ी बेदर्दी से तोड़ दिए गए। बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ को वह मामले देने के पश्चात्, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ क्या है यह तो आप अच्छी तरह जानते हैं। यह अभिमन्यु के चक्रव्यूह से भी अधिक महान है। एक बार एक कारखाना यदि इसके जाल के अन्तर्गत चला जाता है वह फिर भी उससे नहीं निकल पाता। आखिरकार तो यह सार्वजनिक क्षेत्र की शर्मनाक कहानी ही है। टायर कार्पोरेशन आफ इंडिया (भारतीय टायर निगम) जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी है, एक निजी इकाई के लिए टायर बना रही है और उस निजी कम्पनी के ब्राण्ड नाम से टायर बना कर बेच रही है। क्या वास्तविक उदारीकरण यही है चीन में जहां भारतीय परिवेश से अधिक विदेशी निवेश हुआ है, वहां क्या ऐसा उदारीकरण हुआ है? इसके साथ-साथ उनके पास वित्तीय प्रबन्धन भी होना चाहिए। उन्हें घाटे पर नियंत्रण हासिल करने दें। उनका कर जाल कुछ व्यापक होने दें। यह खराब नहीं लगता परन्तु उदारीकरण के साथ यदि हम मानवीय पक्ष को भी जारी रखना चाहते हैं तो कामगारों के हितों की भी देखभाल होनी चाहिए।

मैंने 1948 में सार्वजनिक जीवन क्षेत्र में कदम रखा। अब मैं 57 वर्ष का हो गया हूं। अपने पूरे जीवन में मैंने यह कभी कल्पना नहीं की कि सार्वजनिक क्षेत्र का कोई उपक्रम निजी क्षेत्र के लिए कुछ उत्पादों का निर्माण करें और निजी क्षेत्र के ब्राण्ड नाम से उसे बेचना पड़े। मैं इसे आर्थिक प्रगति नहीं कह सकता।

जहां तक गरीबी की रेखा का सम्बन्ध है इस सरकार ने डॉ॰ लकड़ावाला के फार्मूले को स्वीकार किया है? हुआ क्या है? विश्व के सबसे बड़े लोकतन्त्रीय देश को सर्वाधिक गरीब जनसंख्या से युक्त देश बनने का गौरव हासिल किया है। केवल इसलिए कि हमने लकड़ावाला के सिद्धान्त को स्वीकृति दी है विश्व की कुल 800 मिलियन जनसंख्या का तीसरा भाग अर्थात 320 मिलियन लोग अत्यधिक निर्धनता में जीवन-यापन कर रहे हैं और अत्यधिक कुपोषण का शिकार हैं। डॉ॰ लकड़ावाला के सिद्धान्तों की मंजूरी देकर हमने विश्व की गरीबी रेखा में अपना भ्रामक स्थान बना लिया है। जब मैंने बजट का अध्ययन किया मैंने गरीबी उन्मूलन और लघु उद्योग क्षेत्र के लिए भिन्न-भिन्न आबंटन होते देखे हैं। मेरे एक समाजवादी मित्र श्री शरद यादव ने बताया है कि विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और लघु उद्योग क्षेत्र के लिए कैसे अलग-अलग तरह के आबंटन किए जाते हैं। मैं यहां केवल तीन आंकड़ों का उल्लेख करना चाहता हूं।

वर्ष 1994-95 में इस सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के एस॰ एस॰ आई॰

[श्री सनत मेहता]

का आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए 2000 लाख रुपए प्रदान किए। यह बहुत स्वागत योग्य कदम है। जब यह स्कीम शुरू की गई तो सभी ने सरकार की प्रशंसा की और उसकी सराहना की। परन्तु वर्ष 1994-95 का कार्य-निष्पादन क्या रहा? बजट दस्तावेज़ों से पता चलता कि 2000 लाख में से 1219 लाख रुपए बचत की गई। 2000 लाख अर्थात् 20 करोड़ रुपयों में से 12 करोड़ रुपयों का प्रयोग नहीं किया गया। 1995-96 के दौरान लघु उद्योग अच्छे साज-सामान की कमी की वजह से पीछे रहा था। अत: एक साज-सामान-कक्ष स्कीम बनाई गई। 1995-96 में इस कार्यक्रम के लिए 1871 लाख रुपए प्रदान किए गए और उसमें से 1189 लाख रुपए का उपयोग नहीं हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए एस॰ एस॰ आई॰ के लिए आबंटित 2400 लाख रुपए से 2214 लाख रुपए की धन-राशि अनप्रयुक्त रही। यह इतिहास है। इससे यह पता चलता कि सरकार गरीबी उन्मूलन और लघु उद्योग क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक धन देती है परन्तु वह खर्च नहीं होता। महोदया, बहुत अधिक धन-राशि के आबंटन का मतलब क्या है?

मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 1996 की रिपोर्ट का उदाहरण देना चाहता हूं। इसमें की गई टिप्पणी की ओर मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—

"यह गरीबी उन्मूलन का अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष इस नैतिक वचनबद्धता को उच्चतम ऊंचाई तक ले जाने का वर्ष है कि विश्व के सर्वाधिक गरीबों में से गरीबी का उन्मूलन करने में सहायता करने वाली एजेंसियों—यू॰ एन॰ डी॰ पी॰ बैठे हम और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियों को मानव विकास के प्रति पुनीत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।"

उदारीकरण के पश्चात् जब हम विदेशी आरक्षित निधि में भी पर्याप्त अमीर हो जाते हैं तो मैं इन शब्दों का प्रयोग करना चाहता हूं मानव विकास के प्रति पुनीत दृष्टिकोण। यह भिक्षा नहीं अपितु उन्हें उच्च अधिकार देना है; चोट लगने पर मरहम लगाना नहीं अपितु आत्म-सहायता के लिए पूर्व शुरुआत है।

मुझे यही लगता है कि विश्वव्यापीकरण की प्रक्रिया और उदारीकरण के साथ-साथ हम हर वर्ष नई-नई स्कीमें और नए प्रावधान करते हैं परन्तु उनका उपयोग नहीं होता और वह धन-धन नहीं अपितु भिक्षा और मरहम पट्टी जैसा लगता है।

अभी-अभी सदन में कोई चर्चा चल रही थी और वह चर्चा कुछ बैंकों के बारे में थी हम उस देश के वासी हैं जहां महात्मा गांधी ने अपना जीवन बिताया। हम बहुत सी चीजों का दावा करते हैं। हम बैंकों, बैंक घोटालों और बैंक अदाएगी की चर्चा करते हैं। हमारे पड़ौसी देश बंगलादेश में एक ही बैंक है ग्रामीण बैंक। यदि बंगलादेश जैसे छोटे से देश में एक छोटा सा ग्रामीण बैंक 20 लाख महिलाओं को 2000 करोड़ रुपए की सहायता देकर उन्हें शक्तिसम्पन्न बनाने में सहायता कर सकता है तो इस देश में हम ऐसा बैंक क्यों नहीं बना सकते?

यदि वे ऐसा बैंक नहीं बनाते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैंने एक छोटा सा प्रयोग किया था। मैंने एक ग्रामीण बैंक शुरू किया। मैंने अपने भिन्न-भिन्न मित्रों से 25 लाख रुपए इकट्ठे किए और मैं पन्द्रह सौ महिलाओं की सहायता करता रहा हूं। कोई भी मेरी सहायता नहीं करता। नाबार्ड का एक शिष्टमंडल आया, महिला कोष का एक शिष्टमंडल आया, उन्हें कभी एक रूप की आवश्यकता पड़ती है कभी दूसरे रूप की। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया। आखिरकार मैं तंग हो गया और मैंने कहा, "मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए।" हालत यह है। हम बहुत सी चीजों के बारे में बात करते हैं बहुत से सपनों के बारे में इस बजट को सपनों का बजट माना जाता है। क्या हमें इस तथ्य की जानकारी है कि आज भी एक स्वयं रोजगार पैदा करने वाली महिला जो या तो कढ़ाई करती है या पतंगें बनाती है, उसे 35% की दर पर पैसा उधार लेना पड़ता है ? ब्याज की गिनती पहले की जाती है। यदि वह पांच सौ रुपए उधार लेती है तो पहले पैंतीस प्रतिशत ब्याज गिन कर, उसे पांच सौ की राशि में से निकाल कर फिर बाकी का धन उसे दिया जाता है। कोई सहायता के लिए आगे नहीं आता।

हमने अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम और पिछड़ा वर्ग निगम आदि ऐसे बहुत से भिन्न-भिन्न तरह के निगम बनाए हैं। मैंने रिपोर्टों का अध्ययन किया है। वित्त मंत्री देख सकते हैं कि पिछले तीन वर्षों में इन निगमों ने कितने व्यक्तियों को लाभान्वित किया है। शायद उन लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या मेरे बैंक के लाभान्वित व्यक्तियों से अधिक नहीं है जिसके एक राज्य में मात्र 1500 लाभार्थी हैं। हम किस ओर जा रहे हैं? चलिए गरीबों के प्रति हम एक वचनबद्धता रखें।

अपराह्न 6.17 बजे

(श्री पी॰ एम॰ सईद *पीठासीन हुए*)

मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। तेल पूल के घाटे में हमारी चिन्ताएं बढ़ रही हैं। बेशक सरकार के सचिव मौनटेक सिंह दूरदर्शन पर यह कह रहे हैं कि तेल पूल का घाटा बजट का भाग नहीं है। ठीक है यह बजट का हिस्सा नहीं है। परन्तु यह तस्वीर हमारे लिए चिन्ताजनक नहीं है? हमने उदारीकरण को स्वीकार किया। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की यूनियन में ट्रेड यूनियन के रूप में मैंने उदारीकरण का समर्थन किया। परन्तु अब जब कि मैं सही तस्वीर देखता हूं तो मुझे बहुत दु:ख होता है। कुछ तेल के क्षेत्र निजी क्षेत्र को दिए गए। तीन मध्यम दर्जे के तेल क्षेत्र रावा, मुक्ता-पन्ना, मध्य और दक्षिण तापती का विकास निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रीय और भारतीय कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है। गुजरात इनसे अधिक सम्बद्ध था। माननीय वित्त मंत्री, मध्य और दक्षिण तापती के बारे में चिन्तातुर थे क्योंकि उस समय के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने गुजरात के साथ वायदा किया था कि यदि वे पीपावाल में एक बिजली परियोजना लगा लेते हैं तो मध्य और दक्षिण तापती की गैस उन्हें दे दी जाएगी। हमने सब आधारभूत ढांचा तैयार किया। फिर अन्ततः तेल मंत्री ने मुझे यह उत्तर दिया कि चूंकि गैस पर्याप्त नहीं है और उसकी कहीं और आवश्यकता है अत: उस वायदे को पूरा नहीं किया जा सकता।

गुजरात ने इसे भी सहन किया। अब मुझे यह दिखाई दे रहा है

कि रिलाएंस और ऐनरॉन ने उस तेल क्षेत्र का विकास किया है और भूगर्भ-विशेषज्ञों ने जितनी गैस-मात्रा का अनुमान लगाया था, उन्हें उससे दोगुनी मात्रा में गैस वहां से प्राप्त हो रही है। एक तेल-क्षेत्र में ऐसा हुआ है। गुजरात ने इसे सहन किया। परन्तु रावा और मुक्ता-पन्ना क्षेत्रों में भी यही कुछ हुआ। तो जब हम विकास करते हैं तो मात्रा कम होती परन्तु वही काम जब अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां करती हैं तो अचानक मात्रा और परिणाम दोगुने हो जाते हैं।

हजीरा तेल क्षेत्र का उदाहरण ही लें, जिसे छोड़ दिया गया था। ओ॰ एन॰ जी॰ सी॰ और पेट्रोलियम मंत्रालय में सबने यही कहा था कि वहां तो गैस है ही नहीं। उन्होंने कहा कि वह छोटा सा तेल क्षेत्र है और आर्थिक रूप से अर्थक्षम नहीं है। आज वही क्षेत्र एक समृद्ध गैस क्षेत्र के रूप में विकसित हो गया है। यदि ओ॰ एन॰ जी॰ सी॰ तेल की खोज इस तरह से करेगी तो हम देश की तेल समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे ?

उदारीकरण जब शुरू हुआ, आदरणीय श्री नरसिम्हाराव प्रधानमंत्री थे।

एक हफ्ते के अन्दर-अन्दर मैं उनसे मिला। मैंने उनसे केवल दो बातें पूछी। पहला यह कि क्या हम इस देश में तेल की खोज का कार्य कर सकते हैं, यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है दूसरे कि हम देश के उद्योगों का पुनर्गठन कर सकते हैं? यदि हम देश के उद्योगों का पुनर्गठन कर सकते हैं तो उदारीकरण की हमारी नीति सफल हो सकती है। हम दोनों क्षेत्रों में असफल रहे।

महोदय कुछ लोग बम्बई में बन्द पड़ी कपड़ा मिलों के अतिरिक्त भूमि की कीमत 20,000 करोड़ रुपए आंक रहे थे। यदि वह सस्ती होती तो मिल मजदूर रास्तों में मारे नहीं गए होते। वे भूमि की ही वजह से मारे गए मजदूरों की वजह से नहीं। उस भूमि की नीलामी कर दी गई। मजदूरों को बेरोज़गार कर दिया गया।

विनिवेश धन को समन्वित किया जा रहा है। तो मजदूर उद्योगों की पुनर्संरचना में कैसे सहयोग करेंगे? पश्चिमी जर्मनी के कानून यहां के कानूनों से कड़े हैं। उन्होंने एक नई नीति तैयार की है जिसे भूमि पुनर्संयोजन नीति कहा जाता है। यह इसलिए है क्योंकि इस्पात मिलों की भूमि अधिक होती है। हम कपड़ा मिलों की स्कीम की भूमि का पुनर्संयोजन क्यों नहीं कर सकते? हम नए उद्योग लगाते हैं और कपड़ा मजदूरों को बाहर निकाल देते हैं। गुजरात सरकार ने कपड़ा मिलों के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि से धन प्राप्त करने के लिए वर्षों तक इन्तज़ार किया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। मैं उच्चाधिकार प्राप्त समिति का सदस्य था। समिति के अध्यक्ष उद्योग मंत्रालय के सचिव थे। वह मेरी मदद करना चाहते थे। श्रम सचिव मेरी सहायता करना चाहते थे। योजना सचिव मेरी सहायता करना चाहते थे। लेकिन व्यय सचिव ने कहा 'नहीं' इस मामले को मंत्रिमंडल को भेजना होगा किंतु यह मामला मंत्रिमंडल को कभी नहीं भेजा गया। श्री नरसिम्हाराव ने अहमदाबाद में एक सार्वजनिक सभा में श्रमिकों को यह वचन दिया था कि क्षेत्रीय पुन:उत्पादकता योजना को कार्यान्वित किया जाएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसी ने यह नहीं कहा कि योजना गलत है। मैं विश्व बैंक के निदेशक से मिला जो भारत के प्रभारी थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या यह क्षेत्रीय पुन:उत्पादकता योजना ठीक है। उनका जवाब यह था कि उन्होंने राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अन्तर्गत भारत सरकार को धन दिया था, वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए नहीं था बल्कि क्षेत्रीय पुन:उत्पादकता योजना तथा रोज़गार के लिए दिया था। लेकिन भारत सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण निधि में से लगभग 1600 करोड़ रु॰ की धनराशि स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के लिए दी थी। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत कौन सेवानिवृत्त हुआ है? 50 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग सेवानिवृत्त हुए हैं। 50 वर्ष से ऊपर के लोगों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत्त करने का क्या अर्थ है?

अत: मैं वित्त मंत्री से अपील करूंगा कि वे इस मामले पर विचार करें।

क्या आपने मज़दूर वर्ग को दिए गए वचन को निभाया है? क्या आपने उदारीकरण नीति के आरम्भ में दिए गए अपने वचन को निभाया है? मैं श्री चिदम्बरम की वित्तीय नीति के संबंध में बहस नहीं कर रहा हूं। वित्तीय नीति आर्थिक नीति का ही हिस्सा है। बम्बई हाई के मामले को ही लीजिए। बम्बई हाई एक समय में हमारे लिए गौरव की बात थी। बम्बई हाई ने ओ एन जी सी को नवरत्न के रूप में गठित किया है। इसका पुनर्मूल्यांकन करने के लिए अनेक समितियां गठित की गई हैं।

सभापति महोदय : कृपया अब अपना वक्तव्य समाप्त करें।

श्री सनत मेहता : महोदय, यह मेरा आखिरी मुद्दा है। मैं जानता हूं कि मैं हमेशा इस खेल का शिकार रहा हूं। यदि आप मुझे बैठने के लिए कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। यदि मेरे मित्र श्री फर्नान्डीज़ नहीं बैठते हैं तो सभी यही कहेंगे कि वे एक वरिष्ठ सदस्य हैं। यदि सभा में वरिष्ठता को ही मानदंड बनाया जाना है तो मैं अपने आपको सबसे जूनियर मानता हूं।

पिछली बार, मैं चर्चा में भाग लिए बिना ही चला गया था। मैं किसी भी मुद्दे को दोहरा नहीं रहा हूं। मैं किसी असंगत मुद्दे को भी नहीं उठा रहा हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी की आलोचना भी नहीं कर रहा हूं। घोटालों में भी रुचि नहीं है।

मैं किसी घोटाले का पता लगाने की बजाय बंगलादेश बैंक की तरह ग्रामीण बैंक की स्थापना करना चाहता हूं जिससे इस देश की 20 लाख महिलाओं को मदद मिल सके। मेरे बैंक, हालांकि यह एक छोटा बैंक है, से निरन्तर तीन वर्षों से 97 प्रतिशत धनराशि की वसूली हुई है। क्या हम ऐसा करेंगे?

यह हमारी आजादी का पचासवां वर्ष है। हमें वचन दिया गया था। खादी की क्या दशा है? गुजरात में दो स्थानों पर कपड़े का भारी मात्रा में उत्पादन हो रहा है। जहां तक कि कपड़ा मिलों का संबंध है, प्रमुख रूप से अहमदाबाद में कपड़े का उत्पादन हो रहा है। जहां तक कि खादी का संबंध है खादी का भारी मात्रा में उत्पादन हमारे सुरेन्द्र नगर में किया जा रहा है। जितनी भी खादी बुनी जाती है, वह

[श्री सनत मेहता]

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बुनी जाती है। विपणन सहायता के नाम से कुछ नई योजनाएं तैयार की गई हैं। उस योजना को आरम्भ नहीं किया गया है। छूट देनी बंद कर दी गई है। पिछले वर्ष श्री देवे गौड़ा ने छूट देनी पुनः आरम्भ की थी। इस वर्ष, मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा क्योंकि पहले ही दिन उन्होंने कहा था कि वे गांधीजी और पंडित नेहरू इत्यादि के पदचिन्हों पर चलना चाहते हैं। अनेक बार उन्होंने गांधी जी को उद्धृत किया है। मैं यह प्रार्थना करूंगा और अनुरोध करूंगा कि यह हमारी आजादी का पचासवां वर्ष है इसलिए खादी पर वर्ष भर छूट दी जाए। कोई मज़ाक नहीं करिए? कपड़ा मिलों में कपड़ा मज़दूरों को पुनर्जीवित करने पर कितनी लागत आती है? यह लागत 2000 करोड़ रुपए है। श्री वेंकट स्वामी ने सभा में यही बताया था। क्या यह देश उन मज़दूरों के लिए 2000 करोड़ रू. नहीं दे सकता जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया ? मैं नहीं समझ सकता। अतः इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मैं अपील करता हूं कि निर्धनों तथा कामगार वर्ग के हित को ध्यान में रखा जाए। अन्यथा क्या होगा? मैं हाल ही में ब्लेयर की विजय पर बिज़नेस स्टैन्डर्ड में प्रकाशित संपादकीय को उद्धृत करना चाहूंगा। श्रीमती थैचर के सफल उदारीकरण के बावजूद टोरेज क्यों हार गए ? यह केवल एक बात है। श्री नीनान ने अपने संपादकीय में यही लिखा है। ब्रिटेन के लोकतंत्र में, ब्रिटेन के लोग यह महसूस कर रहे थे कि ब्रिटेन का लोकतंत्र सामाजिक न्याय के साथ जुड़ा हुआ था। ब्रिटेन का लोकतंत्र पड़ोस की भावना से जुड़ा हुआ है। ब्लेयर ब्रिटेन के लोगों को जो कुछ कह सकता था, वह यह था कि थैचर हर तरह से उदारीकरण को सामने लाईं, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया लेकिन वह ब्रिटेन का गौरव समाप्त हो गया था। प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत तरीके से सोचता है, कि जब मैं धनी हो गया हूं तो मैं गरीबों की चिन्ता क्यों करूं?

मैं श्री चिदम्बरम् से अनुरोध करूंगा कि वे गॉल ब्रैथ की पुस्तक कर्टेंडिड सोसायटी पढ़ें। गॉल ब्रैथ का कहना है कि अमरीका में निर्धन लोगों की कोई नहीं सुनता है यदि उनके वोट से फर्क न पड़े। अतः लोकतंत्र में उनके लिए कोई जगह नहीं है। संयुक्त राज्य अमरीका सरकार को मुकाबला करने वाले वर्ग ने हथिया लिया है। यदि संयुक्त राज्य अमरीका निर्धन लोगों का पक्ष लेता है तो मुकाबला करने वाला वर्ग कहता है कि सरकार द्वारा कोई बीच-बचाव न किया जाए। लेकिन यदि मुकाबला करने वाले वर्ग के एक सदस्य की हथियार बनाने वाली फैक्टरी है और हथियार विश्व बाज़ार में नहीं बिकते हैं तो मुकाबला करने वाला वर्ग बिल क्लिंटन पर ज़ोर डालते हैं कि वे कुछ युद्ध की तरह का करें ताकि हथियार बिकें। गॉल ब्रैथ कहते हैं कि अमरीका में निर्धनों के लिए नशीले पदार्थों के व्यापार, आतंकवाद, लोगों की हत्या करने और लूटपाट के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

हमें निर्णय लेना होगा। हमें अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना होगा। जहां तक वित्तीय स्थिति को पुनर्जीवित करने का संबंध है, श्री चिदम्बरम ने बहुत अच्छा कार्य किया है। लेकिन केवल इसी से ही उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जब रे-बेन ग्लास कम्पनी ने भारत आना चाहा तो अमरीका की दि फारचून मैगज़ीन में एक लेख प्रकाशित हुआ था। किसी ने रे-बेन से पूछा कि आप भारत क्यों आए; भारत एक गरीब देश है। यह एक पिछड़ा हुआ देश है।

कुछ विपणन विशेषज्ञों ने जवाब दिया, 'भारत में 200 मिलियन लोग हैं जो कि विश्व में कुछ भी खरीद सकते हैं।' विश्व में 200 मिलियन लोगों का बाज़ार कहां है? यह जो विदेशी निवेश हो रहा है यह हमारे देश के गरीब लोगों अथवा मुझे देखकर निवेश नहीं कर रहे हैं बल्कि यह 200 मिलियन लोगों के बाजार को देखकर निवेश कर रहे हैं जो कि देश में कुछ भी खरीद रहे हैं। इसका स्वागत किया जा रहा है। हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अन्ततः जब गांधीजी ने 1942 का आन्दोलन आरम्भ किया था, हम समाजवादियों ने गांधीजी से पूछा था कि 'जब ब्रिटिश के लोग चले जाएंगे तो क्या होगा'? गांधीजी ने जवाब दिया, यह देश कृषकों तथा कामगार वर्ग का देश है।' उस वचन के आधार पर हमने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया।

आज स्वतंत्रता प्राप्ति के पचासवें वर्ष में कामगार वर्ग निराशा का अनुभव कर रहा है। वे अपने आपको पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका आन्दोलन समाप्त हो रहा है उसमें कोई ताकत नहीं है। वह दिन आ गया है जबकि हम जानते हैं कि हमें ए. एस. एस. ओ. सी. एच. ए. एम., एफ आई. सी. आई. तथा इन सभी औद्योगिक संगठनों से प्रमाणपत्र लेना होगा।

एक समय था जब मंत्री कोई कदम उठाने के बाद कामगार वर्ग की प्रतिक्रिया जानने के लिए प्रतीक्षा करते थे कि क्या कामगार वर्ग इसकी सराहना कर रहा है अथवा नहीं। उस स्थिति से धीरे-धीरे हम आज इस स्थिति तक पहुंच गए हैं लेकिन अभी भी समय है। आइए हम इस बात का निर्णय लें कि हम उदारीकरण को उदारीकरण के तरीके से चाहते हैं और हम वह गलती नहीं करेंगे जो कि अन्य देशों ने की है। हम निश्चय ही अधिक आबंटन को ही नहीं बल्कि अन्य बातों पर भी विचार करेंगे।

मेरे पास समय नहीं है अन्यथा मैंने प्राइमरी शिक्षा सहित प्रत्येक मद के संबंध में, जहां आबंटन अधिक किया गया है, सभी आंकड़े एकत्रित कर लिए हैं। हम लोगों को यह वचन दे रहे हैं कि हम शत प्रतिशत जनता को प्रारंभिक शिक्षा देना चाहते हैं। प्रारंभिक शिक्षा का कुल खर्च 26,000 करोड़ रू. है। हम यह पैसा कहां से लाएंगे? अतः, आज हमें एक दृढ़ निश्चय करना होगा।

मैं यह उम्मीद कर रहा था कि मानव विकास के लिए माननीय वित्त मंत्री पंचवर्षीय योजना के साथ आगे आएंगे अर्थात् प्रारंभिक शिक्षा, अध्यापकों, बच्चों, बिल्डिंगों आदि के लिए यह प्रावधान पांच वर्ष के लिए होगा। उन्होंने ऐसा नहीं किया है। हमने केवल आबंटन को बढ़ाया है और ज्यादा आबंटन अन्ततः कार्य को टुकड़ों में किए जाने के लिए ही रह जाता है।

मैं तहेदिल से चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी अपील बेकार नहीं जाएगी क्योंकि हम स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं। मैं चाहता हूं कि हम इस ओर अधिक ध्यान दें। वित्त प्रबंध ठीक है, यह बजट का बहुत महत्वपूर्ण भाग है लेकिन इसके साथ-साथ अधिक विकास होना चाहिए।

महोदय, हमने सामाजिक न्याय के साथ विकास किया है। हम चाहते थे कि देश का अधिक विकास हो, इसलिए हम उदारीकरण लाए। यदि अधिक विकास से अधिक समानता नहीं आती है तो यह विकास हमारे किसी काम का नहीं और यह देश केवल 200 मिलियन लोगों का रह जाएगा लेकिन इसमें 760 मिलियन लोग भी रहते हैं जिनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसा मैं केवल अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए कह रहा हूं।

वर्ष 1980 में जब मैं वित्त मंत्री था और जब इन्दिरा जी गुजरात आया करती थीं, तो एक समय ऐसा था जब यहां के मुख्य सचिव श्रीमती गांधी को यह दिखाने के लिए कि निर्धन लोगों को कितने प्लाट वितरित किए गए हैं, खलबली मचा देते थे। लेकिन अब, सभी सरकारें चाहे वह भा० ज० पा०, कांग्रेस, कम्युनिस्ट अथवा कोई अन्य दल हो, उदारीकरण के नाम पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों अथवा उद्योगपतियों का स्वागत करने में व्यस्त हैं। यदि आप सचिवालय जाते हैं, कोई मुख्य सचिव इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत प्लॉट वितरित करने की बात नहीं करता है। यह एक गौण मद माना जाने लगा है। चिदम्बरम् जी, यदि कुछ वर्ष और ऐसा होता रहा तो हम श्रीमती गांधी अथवा राजीव जी द्वारा किए गए कार्यों को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि वित्त विधेयक इसके वित्तीय भाग से ही संबंध रखता है। लेकिन जब यदि दूसरे भाग को छोड़ दिया जाता है तो वित्त विधेयक का कोई अर्थ नहीं रह जाता है।

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : सभापति महोदय, मैं इस वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वित्त मंत्री जी ने जब वित्त विधेयक पेश किया तब उन्होंने सारी परिस्थितियों का खुलासा किया कि बजट पेश करने के बाद देश के अंदर दो महीने के बीच में राजनैतिक अस्थिरता आई। परंतु उसके बावजूद भी हमारा जो वित्तीय प्रबंधन था, हमारी विदेशी मुद्रा का रिजर्व था, उसमें बढ़ोतरी हुई। रुपए की कीमत डालर के मुकाबले घटने नहीं दी। जो हमारी मुद्रास्फीति थी उसको भी बढ़ने नहीं दिया।

मान्यवर, बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में यह बजट पेश किया गया है। परंतु इसके बावजूद इतना कठिन काम, इतना कठिन दायित्व वित्त मंत्री जी ने वहन किया कि सभी वर्गों से विचार विमर्श करने के बाद, सभी वर्गहितों को समायोजित करने की कोशिश की। वित्त विधेयक में बजट में दिए गए प्रावधानों को पूरा करने की कोशिश की गई है। यह सही है कि जहां पर हमारे मेहनतकश लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी आमदनी बढ़ाने की बात और मध्यम वर्ग से योगदान कराने की बात, हिस्सा लेने की बात होनी चाहिए, यह करने का प्रयास किया गया है।

हमारे वित्त मंत्री जी ने कर ढांचे के जाल को और फैलाया है। यह एक स्वागतयोग्य कदम है। हमारे प्रत्यक्ष कर का अनुपात जितना होना चाहिए, वह हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पाद के मुकाबले बहुत कम है। जबकि इसके विपरीत जो विकसित देश हैं, उनके यहां प्रत्यक्ष कर का अनुपात ज्यादा है। हमारे देश के अंदर करीब 250 मिलियन मध्यम वर्ग हैं, जिसमें से 40-45 मिलियन के करीब हाउसहोल्ड्स हैं, जबकि टैक्स देने वालों की संख्या 12 मिलियन है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमें कर ढांचे में प्रत्यक्ष कर के आधार को और बढ़ाने की आवश्यकता है। यह सही है कि हमने कई रियायतें दी हैं। उनका यह लक्ष्य है कि हमारा औद्योगिक उत्पादन बढ़े, हमारे कल-कारखाने बढ़ें, हमारी वित्तीय या आर्थिक गतिविधियां तेज हों। परंतु इसके साथ ही साथ जैसा की कहा गया है विकास का व्यापक अर्थ होता है। विकास के साथ ही अगर गरीब को हिस्सा नहीं मिलता, उसका जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठता, अगर हमारे जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार परिवर्तन नहीं आता तो उस विकास का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है जहां पर हमने कर ढांचे में तमाम प्रकार के परिवर्तन किए, तमाम प्रकार की सहूलियतें दीं, वहां पर दो बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो यह कि हमारा जो गरीब है, जो छोटी आमदनी वाला वर्ग है उस पर ज्यादा बोझ नहीं पड़े। उसी के साथ ही साथ हम जो आयात शुल्क लगाते हैं, उसे कम करते हैं, हमारे जो घरेलू उद्योग हैं, देशी कल-कारखाने हैं, उनके उत्पादन पर उससे बुरा असर न पड़े।

जिस प्रकार का विश्व समुदाय पर दबाव बढ़ रहा है, उससे खतरा है। इसलिए इस प्रकार की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि जो हमारी कृषि है, यह सही है कि जो हमने 192 मिलियन टन अनाज पैदा करने का लक्ष्य रखा है, वह लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे। हमारा मौसम बहुत अच्छा है। खेती का उत्पादन बढ़ा है। लेकिन मैं उसे काफी नहीं मानता। मैं यह मानता हूं कि खेती में अभी भी बढ़ोतरी की बहुत ही संभावनाएं हैं। बशर्ते कि खेती के विकास के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा पूंजी लगाएं, पूंजी का निवेश करें क्योंकि हम जानते हैं कि अभी जो अनाज का उत्पादन है, यह अनाज के उत्पादन का आंकड़ा यदि देश के स्तर पर हम लें तो यह पता चलेगा कि पंजाब और हरियाणा, जो कुल उत्पादन का पचास प्रतिशत पैदा करते हैं और जो दूसरे इलाके हैं, वहां पर उस अनुपात में उत्पादन नहीं होता। मैं ऐसा मानता हूं कि उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, नॉर्थ-ईस्ट तथा उड़ीसा का हिस्सा, ये सब ऐसे हिस्से हैं जहां पर खेती के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब योजना आयोग इसके लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करे और जब सरकार इस पर एक विशेष योजना बनाए तथा इस विशेष योजना के लिए ज्यादा से ज्यादा पूंजी लगाए। अगर खेती का उत्पादन नहीं बढ़ता, अगर अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ता तो देश का विकास नहीं हो सकता।

जिस अमरीका, पश्चिमी यूरोप की बात यहां पर कही जाती है और अमरीका, यूरोप में किसानों को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनी खेती को विकसित करने के लिए काफी राज सहायता मिलती है। जापान जो बहुत ही ज्यादा औद्योगिक प्रगति के रास्ते पर जा रहा है। जापान में भी साठ प्रतिशत राज सहायता किसानों को मिलती है। परंतु भारत में अगर किसानों को छूट मिलती है तो जितने बड़े पूंजीपति और बड़े उद्योगपति हैं तथा जितने शहरी बुद्धिजीवी हैं, वे सबसे ज्यादा किसानों

[श्री बृज भूषण तिवारी]

को सब्सिडी देने पर ही शोर मचाते हैं। परंतु आज की स्थिति में खेती या अनाज शॉर्प-ऑबजर्वर जैसे होता है। जिस प्रकार से मोटर में शॉर्प-ऑबजर्वर यदि न लगे तो मोटर में सफर करने वाले व्यक्ति की पसलियां टूट जाएंगी। इसी प्रकार से खेती सुदृढ़ नहीं होगी, अगर अनाज का पर्याप्त भंडार नहीं होगा, अनाज का यदि उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो हमारी अर्थ-व्यवस्था बिखर जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विशेषकर उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तरांचल और बिहार का जो इलाका है, उसके विकास के लिए विशेष ध्यान की आवश्यकता है। हमारे पास हवाई जहाज खरीदने के लिए पैसा है। तमाम प्रकार की योजनाएं चलाने के लिए हमारे पास पैसा है। लेकिन वह क्षेत्र जिसमें लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, जो क्षेत्र भोजन देगा, जो क्षेत्र औद्योगिक प्रगति का आधार बनाएगा, उस क्षेत्र के लिए अगर पैसा खर्च नहीं किया जाता है तो उसका कोई अभिप्राय नहीं है।

बिजली भी सबसे बड़ी आवश्यकता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 36000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता थी और हमने लक्ष्य भी रखा। लेकिन आठवीं पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के बाद केवल 18000 मेगावाट बिजली ही हम बना पाए। अब नौवीं पंचवर्षीय योजना में एक लाख अट्ठाईस हजार मेगावाट बिजली की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि अगर बिजली का उत्पादन नहीं होगा, अगर अनाज उत्पादन के लिए नई आवश्यकताओं की तलाश नहीं की जाएगी तथा अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग नहीं किया जाएगा तो हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। उसी के साथ ही मूलभूत आवश्यकताओं को मुहैया करने के लिए जो ढांचा है, जो सड़क है, यातायात के साधन हैं, अगर इनका विकास नहीं किया जाएगा तो महज केवल आप कर-ढांचे में सहूलियतें दे दें।

आप बड़े-बड़े उद्योगपतियों को सहूलियतें दे दें, बाहर से विदेशी मुद्रा आकर्षित करने का प्रयास करें, आर्थिक या वित्तीय प्रबंधन ठीक तरीके से चलाएं तो उससे आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी, क्योंकि आवश्यकता इस बात की है कि संतुलित विकास हो और उसके लिए आवश्यक है कि इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : महोदय, यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक माननीय सदस्य केवल पांच मिनट के लिए बोलेगा। ऐसा निर्णय लिया गया था। कृपया इसे कार्यान्वित करिए। इस बात से सभी सहमत थे।

डॉ॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, ऐसा होना चाहिए ताकि सभी को अवसर मिल सके। पीठासीन अध्यक्ष ने निर्णय लिया है।

सभापति महोदय : यदि मेरी अनुपस्थिति में निर्णय लिया गया था तो मैं अब इसका कड़ाई से पालन करूंगा। आइए अब श्री राघवन से आरम्भ करें। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा होगा।

डॉ॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, अब तो केवल साढ़े चार मिनट के लिए बोला जा सकता है ...*(व्यवधान)*

श्री वी॰ वी॰ राघवन (त्रिचुर) : महोदय, यह वरिष्ठ सदस्यों पर लागू नहीं होगा। वरिष्ठ से मेरा अर्थ उम्र में बड़े सदस्यों से है।

सभापति महोदय : नामों की क्रमानुसार सूची बना ली गई है।

श्री वी॰ वी॰ राघवन : सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री की सभी आशाएं पूरी हो जाएं। आवश्यक संसाधनों को जुटाना बहुत बड़ा काम है। इससे पता चलता है कि वित्त मंत्री में कितनी हिम्मत है।

पिछली बार मैंने माननीय वित्त मंत्री से कहा था कि पूरे वित्त विभाग को सुव्यवस्थित करना आवश्यक है। उन्होंने ऐसा ही किया होता। लेकिन, चूंकि मुझे काफी करीब से वित्त विभाग की संसाधन जुटाने वाली एजेंसियों की निगरानी करने का अवसर मिला है अतः मैं समझता हूं कि वहां समन्वय की कमी है। प्रवर्त्तन निदेशालय, सीमा शुल्क विभाग और राजस्व विभाग में आपसी समन्वय न होने से संसाधन जुटाने के काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अन्यथा निगम क्षेत्र तथा बड़े-बड़े व्यापारिक केन्द्रों पर इतनी अधिक धनराशि देय न होती। इतनी बड़ी धनराशि की अभी अदायगी होनी है। यदि यही स्थिति रहती है तो वित्त मंत्री की आशाएं पूरी नहीं होंगी। इसलिए, मैं एक बार फिर उम्मीद करता हूं कि जहां तक समन्वय की कमी का संबंध है वह पुनः इस पर विचार करेंगे। कुछ तो अवश्य किया जाना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि इसमें कुछ अनबन है लेकिन समन्वय की कमी है और उसका प्रभाव संसाधन जुटाने पर पड़ता है।

वित्त मंत्री द्वारा विद्युत और मूलभूत ढांचे का विकास किए जाने को प्राथमिकता दी गई है, मैं उससे सहमत हूं। वह ठीक है। वह बहुत जरूरी है। लेकिन यदि उन्होंने कृषि तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी इसमें शामिल कर लिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इस बात से सहमत होंगे कि हमारे देश में प्राथमिक उत्पादन का क्षेत्र कृषि है।

यदि कृषि की उपेक्षा की जाती है, तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। अतः विद्युत और मूलभूत ढांचे में विकास के साथ-साथ कृषि को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दिया गया महत्व स्वागत-योग्य है और इसका श्रेय संयुक्त मोर्चा सरकार को जाता है क्योंकि संयुक्त मोर्चा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को कम मूल्य पर खाद्यान्न देने की योजना लागू की है। परन्तु मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए पूरे देश में उचित सार्वजनिक प्रणाली लागू करना बहुत आवश्यक है। केरल का हमारा अनुभव यह बताता है कि सार्वजनिक प्रणाली को प्रदान किए गए महत्व से हम मूल्य वृद्धि को कुछ सीमा तक नियंत्रित कर सकते हैं। परन्तु इस नई योजना को लागू करने के पश्चात् कुछ अन्य वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए इस योजना के कार्यान्वयन के तुरन्त पश्चात् लगातार कई वर्षों से मिल रहा गेहूं और चावल का कोटा कम कर दिया गया इसका सार्वजनिक विवरण प्रणाली पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इससे मूल्यों में भी वृद्धि होगी। अतः आधारभूत ढ़ाचे के विकास के साथ कृषि और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मुझे इस बात की खुशी है कि वित्त मंत्री ने छत पर लगने वाली टाईलों और छातों पर सीमा शुल्क लगाने के प्रस्ताव को छोड़ दिया है। मुझे ही सर्वाधिक खुशी हुई है क्योंकि इन दोनों वस्तुओं का व्यापक निर्माण मेरे चुनाव-क्षेत्र में होता है।

मैं वित्त मंत्री जी से अपील करता हूं, बीड़ी पर बढ़ाए गए शुल्क को भी छोड़ दिया जाए क्योंकि श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार जो कि आपके साथ काम कर रहे हैं केरल और अन्य स्थानों पर बीड़ी मजदूरों की दशा से अवगत है। वे बदहाली में हैं। हमने सहकारी समितियों का गठन किया है और वे विकास कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उस मूल्य वृद्धि का विचार छोड़ दें और वही मूल्य आप छोटी सिगरेटों पर बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से उसकी प्रतिपूर्ति की जा सकेगी। बीड़ी मजदूरों को बचाया जा सकता है और आयुर्वेदिक दवाओं पर प्रस्तावित शुल्क को भी छोड़ दिया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इस पर सकारात्मक विचार करेंगे। मेरा यह भी सुझाव है कि बुनकर चरण में पाईल फैब्रिक पर प्रस्तावित सीमा शुल्क भी छोड़ दिया जाए।

महोदय, कुछ अन्य क्षेत्रों की चर्चा नहीं करना कर्त्तव्य पालन में मेरी चूक होगी। बजट पर सामान्य बहस का उत्तर देते समय माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि सभी वाद अन्ततः उपयोगितावाद की ओर अग्रसर होते हैं। परन्तु इसके साथ-साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लगभग सभी उपनिवेश आजाद हैं। इन अर्थों में न तो कोई साम्राज्यवाद है और न ही पूंजीवाद। परन्तु उपनिवेशवाद विकासशील देशों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। एक नए प्रकार का उपनिवेशवाद अभी भी विद्यमान है।

इस तथ्य को भुलाया नहीं जाना चाहिए। आयात-निर्यात, सीमा कर, उत्पादन-कर और विदेशी निवेश सम्बन्धी अपनी नीतियां निर्धारित करते समय हमें यह सब इस पृष्ठभूमि में निर्धारित किया जाना चाहिए कि नव उपनिवेशवादी इस देश को ग्रसने के लिए आतुर हैं। हमें अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा अवश्य करनी चाहिए। यह मूल कार्य है। जब तक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का माल हमारे देश में राष्ट्रीय उद्योगों के विकास को प्रभावित करता रहेगा, हमारे देश के राष्ट्रीय हित सदा प्रभावित होते रहेंगे। अतः हमें सावधान रहना होगा। मैं आधुनिकीकरण का विरोध भी नहीं कर रहा और उदारीकरण का भी नहीं। मैं केवल संयुक्त मोर्चे के न्यूनतम साझा कार्यक्रम का हवाला दे रहा हूं जिसे वित्त मंत्री ने स्वयं तैयार किया है। उन्होंने स्वयं एक उक्ति कही है, "आत्म-निर्भरता और सामाजिक न्याय के साथ आधुनिकीकरण" यह बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है। यह दिशा-निर्देश है। विदेशियों, बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों से व्यापार करते समय आयात के समय और अपने बाजारों से निपटते समय हमें यह देखना होता है कि ये सब कहां तक हमारी आत्मा-निर्भरता को प्रभावित करते हैं। यह एक बात है।

सभापति महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री वी० वी० राघवन : एक वाक्य बोलकर मैं अपना भाषण पूरा कर रहा हूं। दूसरी बात है सामाजिक न्याय। जब हम अपनी कर नीति और कल्याण कार्यक्रम बनाते हैं हमें गरीबों के हितों निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के हितों और अपनी अधिकांश जनसंख्या के हितों की रक्षा करनी होती है।

[हिन्दी]

लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझको मालूम है कि आप अभी घंटी बजाना शुरू कर देंगे। शुरू के स्पीकर एक घंटा तीस मिनट बोले। आपको उसी समय से कंट्रोल करना चाहिए था। पांच मिनट में कोई क्या कह सकता है? मैं दो चीजों पर खासतौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं—पहला यह है कि बजट एक सामाजिक दस्तावेज है। यह उद्योग का दस्तावेज है, आर्थिक दस्तावेज है लेकिन सामाजिक दस्तावेज भी है। यह बिल्कुल साफ जाहिर है। पूरा हाउस यह देख रहा है कि यह बजट बड़ी कम्पनियों से, व्यापारियों से ग्रसित है लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इसमें यह है कि हमारे देश में एक तरह से व्यापार और धन में विषमता पैदा हो रही है। कुछ इलाकों में खास तौर से कोस्टल एरियाज में ज्यादा धन आ रहा है, ज्यादा पूंजी निवेश हो रहा है। यह इस वजह से हो रहा है कि पिछड़े क्षेत्रों में न तो उद्योग का कोई इंतजाम किया गया है और न ही दूसरा कोई इंतजाम किया गया।

मैं देवरिया संसदीय क्षेत्र से आया हूं। वहां किसी तरह का उद्योग नहीं है लेकिन यह नहीं कह रहा हूं कि हमेशा से उद्योग नहीं हैं। वहां पिछले कई सालों पहले जितनी चीनी मिलें थी, उतनी ही अब हैं। इस बीच में गन्ने का उत्पादन बढ़ा लेकिन एक भी नई चीनी मिल नहीं लगी। उन चीनी मिलों के आधुनिकीकरण करने का, उनको ठीक करने का और उद्योगों को बढ़ाने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। इसलिए यह विषमता पैदा हो रही है। यह हमारे देश की कैसी तस्वीर है? क्या हम यह चाहते हैं कि कुछ क्षेत्रों में ज्यादा धन बढ़े और कुछ क्षेत्रों में न बढ़े ताकि उन क्षेत्रों से लोग पलायन करके, ट्रेन के ऊपर बैठ कर हर समय जाएं और वापस आएं।

अपराह्न 7.00 बजे

यह चीज़ केवल एक तरह से हो सकती है जो कि बी० जे० पी० की नीति भी है कि कृषि उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। यह बजट इस मामले में अधूरा है जिसने इस बात का ख्याल नहीं किया है। इसके बाद हमें लघु उद्योग पर ज़ोर देना चाहिए ताकि सब इलाकों में थोड़ा-बहुत धन पैदा हो सके। वहां के पढ़े-लिखे नौजवानों को रोज़गार मिल सके। यह बात सही है कि जो लोग पढ़ रहे हैं, वे दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई चले जाते हैं और बाकी जो नहीं पढ़ पाते, लाठी तथा कट्टे लेकर गांव में रह जाते हैं। वे बेरोज़गार हैं जिससे तरह-तरह की समस्याएं इन पिछड़े इलाकों में बढ़ रही हैं। अगर उनको काम करने के लिए उद्योग नहीं होगा तो इस तरह से विषमता बढ़ती जाएगी। यदि दूसरी तरफ आप 2-4 कम्पनियां लगा भी लेंगे कि इससे देश धनी हो जाएगा, इससे उनका भला नहीं होने वाला है। जहां तक मल्टी नेशनल कम्पनियों का सवाल है, वे इतनी नौकरियां नहीं दे सकते जितना कि लघु उद्योग दे सकते हैं।

सभापति महोदय, सरकार ने बने हुए सामान के आयात पर कर घटाया है, यह बिल्कुल ही गलत बात है। यह देखा जा रहा है कि दो साल पहले कुछ कम्पनियों ने पैदावार बढ़ाया था लेकिन कर कम

[लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) प्रकाश मणि त्रिपाठी]

न होने के कारण वे इरादा बदल रहे हैं और हमारे यहां जो कम्पनियां सामान बना रही थीं, उनका सफाया हो रहा है। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसपर विचार करने की आवश्यकता है। आप रॉ-मेटीरियल पर कर कम कीजिए। हम इसमें आपका साथ देंगें क्योंकि हमारी पार्टी की नीति है। हम तो जो भाषा सुन रहे हैं वह डब्ल्यू टी ओ की लगती है। आप कह रहे थे कि सन् 2000 तक कर ज़ीरो कर देंगे। हमारा व्यापार इनफोटैक में नहीं चल रहा है। आपने कम्प्यूटर पर कर कम कर दिया हमारे यहां भी इनफोटैक का सामान पैदा हो सकता है। सॉफ्टवेयर का काम चल सकता है और हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। हम इस डब्ल्यू टी ओ की भाषा के खिलाफ हैं। हमें परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। पिछड़े इलाकों में इन उद्योगों की अपेक्षा हो रही है, इनकी अवहेलना बहुत रही है। अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे प्रदेशों के पिछड़े इलाकों को छोड़ते रहेंगे तो इस देश और समाज में स्थिरता नहीं आ सकती। अगर इसी तरह से हमारे क्षेत्रों से लोगों का पलायन होता रहा तो कैसे देश स्थिर रह सकता है। आप रोज़ाना देख रहे हैं कि यहां पर बिहार और उत्तर प्रदेश की बात होती है। यह बात नहीं कि वहां के लोग कम सलीके वाले हैं। वे यह भी जानते हैं कि वे पिछड़े हुए हैं तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए।

सभापति महोदय, अब इनफ्लेशन की बात आती है। यह 6.4 प्रतिशत है। एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में लोग सालों-साल दाल नहीं खाते हैं और एक से दो प्रतिशत लोगों के घरों में दाल बनती है। वही प्रोटीन का साधन है। इतनी ज्यादा मंहगाई बढ़ी है। इसलिए यह जो इनफ्लेशन रेट की बात होती है, इसकी बात करना आप बंद कर दें। महंगाई आम आदमी को महंगाई ग्रसित करती है और इनफ्लेशन रेट से उसको कोई राहत नहीं मिलती है। मैं इस बारे में किस्सा सुना सकता था लेकिन मेरे पास समय नहीं है।

अंतिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ योजनाएं जो आप कुछ दबाव की वजह से चलाते हैं या जो कुछ भी है, वह योजनाएं ठीक से काम नहीं कर रही हैं। जैसे कि कम दाम पर लोगों को रसद देने की योजना जो 36 करोड़ लोगों के लिए है, आप उसको किसी भी तरह से ठीक से लागू नहीं कर पाते हैं। इसका हमें अनुभव है। एक योजना अनुभव की है जिसके द्वारा स्कूलों में हम बच्चों को खाना देते हैं। जहां-जहां खाना बनाकर दिया जा रहा है, वहां थोड़ा बहुत ठीक चल रहा है, लेकिन 80 प्रतिशत जगह पर तीन किलो चावल या गेहूं उसका पिता जाकर दुकान से लेता है जो उसको दो किलो ही मिलता है, एक किलो कहीं और रख दिया जाता है। कोई तरीका नहीं है कि आप 36 करोड़ लोगों के पास वह अनाज पहुंचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वह कम पैसे में उन तक पहुंचे। इसका हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है और आपके पास कोई तरीका नहीं है, कोई इनफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि इसको देखें। एकाध जगह हो सकता है। इसके बजाए अगर आपको देना है तो सबसिडी का नाम जो आप लेते हैं कि उसको कम करेंगे, यह क्या है? यह सबसिडी है? इससे बड़ी सबसिडी क्या हो सकती है? हम इसकी खिलाफत नहीं कर रहे हैं लेकिन हम इससे अच्छा बताएंगे कि अगर किसानों को पानी, खाद आदि चीजें आसानी से दे सकें, कम पैसे पर दे सकें या फ्री दे सकें तो इससे पैदावार भी बढ़ेगी, किसान भी उसमें लगेगा और अगर एक प्रतिशत या दो प्रतिशत भी वह अपनी पैदावार बढ़ा देते हैं तो वह आपके लिए एक खुशी का दिन होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री एम॰ कमालुद्दीन अहमद (हनमकोण्डा) : चेयरमैन साहब, फाइनेन्स बिल को सपोर्ट करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। फाइनेन्स बिल को सपोर्ट करते हुए मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को बधाई देता हूं कि वह अपने पेश किए हुए बजट को पास करवाने के लिए फिर से गवर्नमेंट के इस महकमे में आ गए।

बजट पेश करते हुए फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने जो भाषण दिया था, बहुत ही खूबसूरत और सुन्दर भाषण दिया था। बहुत सी बातें उन्होंने कही थीं। उसमें खास तौर से कुछ आबजेक्टिव्ज़ की तरफ इशारा किया था कि वह क्या चाहते हैं और इस बजट से क्या होगा। विकास, मूल न्यूनतम सेवाएं, रोज़गार, लघु-आर्थिक स्थिरता, आधारभूत ढांचे में विशेष निवेश, मानव विकास और अदायगी का अर्थक्षम समन्वय ये लक्ष्य बतलाए गए थे लेकिन सारे बजट के प्रपोज़ल्स देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इसमें से कोई एक लक्ष्य भी शायद हासिल नहीं कर पाएंगे।

प्रोपोजल्स को जब डीटेल में देखा गया तो सिवाय इसके कि चंद एक जगहों पर कुछ नोमिलन किस्म की इनक्रीज हुई हैं। बहुत से क्षेत्रों में बहुत बड़ी कटौती की गई है।

[अनुवाद]

बजट में एक कमी है केन्द्रीय योजना व्यय में कम वृद्धि किया जाना। वर्ष 1997-98 का योजना आबंटन, 1996-97 में 87,088 करोड़ रुपयों की तुलना में 91,839 करोड़ रुपए है। बहुत से मुख्य क्षेत्रों में, वास्तविक रूप से कोई वृद्धि नहीं की गई। उदाहरण के लिए ग्रामीण विकास के लिए आबंटन में केवल 170 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। सिंचाई और बाढ़-नियंत्रण क्षेत्र में आबंटन 1248 करोड़ से कम करके 323 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ऊर्जा क्षेत्र में पिछले वर्ष की अपेक्षा 36 करोड़ रुपए की कमी की गई है। उद्योग और खनिजों में 626 करोड़ रुपए की कमी हुई है। परिवहन क्षेत्र में 956 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। किन्तु वित्त मंत्री ने संचार क्षेत्र, सामाजिक सेवा और कृषि क्षेत्र के लिए केन्द्रीय योजना व्यय में वृद्धि की है। कृषि में 138 करोड़ की वृद्धि है, जो कि बहुत ही कम और लगभग नगण्य है।

[हिन्दी]

अब यह स्थिति हो तो ये जो लक्ष्य इन्होंने ग्रोथ, अनइम्पलायमेंट दूर करने और इकोनोमिक स्टेबिलिटी के रखे हैं, ये कहां से हासिल होंगे, मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोत्तरी करने की बड़ी-बड़ी बातें की गई हैं। लेकिन लगता नहीं है कि कोई उसमें कामयाबी होगी। इस मुल्क में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वह इनर्जी

की है, इलैक्ट्रिसिटी की है। देश के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अगले पांच साल में हमें 46 हजार मेगावाट बिजली को बढ़ाना होगा। जिस तरीके से स्टेट में इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स चल रहे हैं। उनका जनरेशन और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से बेज़ाब्तगियों में है, उससे लगता नहीं है इसमें हम कोई इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। होना तो यह चाहिए था कि इस बजट के जरिए से आम आदमी को, गरीब आदमी को, डायरेक्टली उसकी इकोनोमी को ठीक करने, उसकी माली हालत को ठीक करने की कोशिश की जाती। सारा बजट देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह सिर्फ 15 परसेंट जो इस मुल्क में एलीट आबादी है, उनके लिए बनाया गया है। 85 परसेंट जो गरीब हैं, वे इसके बेनेफिशरीज नहीं लगते हैं। ये तो ज्यादा से ज्यादा डीम्ड बेनेफिशरीज हो सकते हैं। प्रोसेस में उनको कुछ फायदा मिल जाए तो मिल जाए। वरना कुछ ऐसी खास बात इसमें नहीं है। बेरोजगारी की जो बात है उसके लिए मैं खास तौर से अर्ज कर रहा हूं, मुझे खास तौर से कहना पड़ रहा है कि जिस जनरॉसिटी के साथ फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ड्यूटीज को रिड्यूस किया है और जिस तरह से इम्पोर्ट के लिए मल्टीनेशनल्स के यहां आने के लिए उन्होंने फ्लड गेट्स खोल दिए हैं, उसका अगले पांच साल में जो एम्पेक्ट होगा, वह बड़ा भयंकर है। कितने इंडस्ट्रीज बंद हो रहे हैं। हमारे एक्पोर्ट में 40 परसेंट भाग स्माल स्केल इंडस्ट्रीज का होता था। बड़ी मात्रा में स्माल सैक्टर इंडस्ट्रीज बंद होने की स्थिति में आ गई हैं। हम कितनी चीजों का बयान करें। इंडियन इंडस्ट्रीज में लैम्प इंडस्ट्रीज बड़ी मुश्किल से यहां सैट हुई थी। अब मल्टीनेशनल्स ने आकर एच॰ एम॰ टी॰ सहित सारी इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया है। लैम्प इंडस्ट्रीज जो एच॰ एम॰ टी॰ में है, वह भी बंद होने की स्थिति में आ गई है। ऐसी सूरत में हम क्या तवक्को करें कि अनइम्पलायमेंट कम होगा।

अन-एम्पलायमेंट बढ़ती जा रही है। आप प्रोडक्शन की बात कह रहे हैं लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब हमारा टोटल फूड प्रोडक्शन 180 मिलियन टन था, उस उक्त हम अनाज इम्पोर्ट नहीं करते थे, आज कहते हैं कि हमारी टोटल प्रोडक्शन 90 मिलियन टन हो गई है, लेकिन हर साल 10-20 मिलियन टन व्हीट बाहर से इम्पोर्ट करने के लिए हम मजबूर हैं। इन सारी फीगर्स को एक तरफ रखते हुए, आज जरूरी हो गया है कि हम कोशिश करके अपनी एग्रीकल्चर को बढ़ाएं।

जहां तक सवाल है कि एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ाएं, जैसा अभी मैंने बताया कि इरीगिशन सैक्टर, एनर्जी सैक्टर में एलोकेशन कम कर दिया गया है, पावर जैनरेशन नहीं है और हमारी स्टेट में, अभी कुछ महीने पहले पावर रायट्स हुए थे, इलैक्ट्रिसिटी को लेकर लोग बाजारों में आ गए और बड़े पैमाने पर एजीटेशन किए गए। रूरल सैक्टर में आप देखें तो वहां भी अन-एम्पलायमेंट इतनी बढ़ गई है कि लोगों को काम नहीं मिलता, वे बेरोजगार हैं। हमारे नौजवान थोड़ा पढ़-लिख जरूर गए हैं लेकिन बेकार है, बेरोजगार हैं। यदि कोई बेरोजगार होकर गांवों में रहे तो क्या करे इसलिए उन्होंने हथियार उठा लिए हैं। पी॰ डब्ल्यू॰ जी॰ के नाम से हमारे स्टेट में जो स्ट्रगल चल रही है, खास तौर से हमारे तेलंगाना क्षेत्र में, वह अन-एम्पलायमेंट का ही नतीजा है जिससे रूरल सैक्टर में इकोनौमिक अन-स्टेबिलिटी आ गई है। ऐसी मूवमेंट को, अगर सरकार ऐसा समझती हैं कि बन्दूक से खत्म कर देंगे और कर भी रहे हैं, एन्काउन्टर के नाम पर आज वहां शियर किलिंग जारी हैं, नौजवान मारे जा रहे हैं, लेकिन इससे मसला हल होने वाला नहीं है। कोशिश यह होनी चाहिए कि इस मूवमेंट की जड़ में जो कारण हैं, उन्हें दूर किया जाए।

एक बात मैं यहां और अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरह हमारी प्लानिंग चल रही है, जिस तरह इकोनौमिक फील्ड में हमारी नाकामियां हो रही हैं, उसकी वजह से इम्बैलैंस बढ़ती जा रही है। आज न सिर्फ दो स्टेट्स के बीच में इम्बैलैंस बढ़ रही है बल्कि एक स्टेट के अंदर भी इम्बैलैंस बढ़ रही है। मैं अपने स्टेट की मिसाल आपको देता हूं। हमारे तेलंगाना क्षेत्र में इतना इम्बैलैंस बढ़ गया है कि एक तरफ जहां बेहद अन-एम्पलायमेंट बढ़ गई हैं, प्रोडक्शन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है वहीं ओवरऑल इकोनौमिक एक्टीविटीज खत्म होने को आ गई हैं। लोग फिर से सोचने लगे हैं कि रैपिड ग्रोथ के लिए अपनी स्टेट का मुतालबा करके तेलंगाना क्यों न अलग स्टेट बना दी जाए। सैपरेट तेलंगाना की मांग फिर उठने लगी है। पहले जब सैपरेट तेलंगाना एजीटेशन वहां उठी थी, उस समय मैं वहां की असैम्बली में मैम्बर था और स्ट्रांग इंटीग्रेशनिस्ट था। उस समय मैंने सैपरेट तेलंगाना एजीटेशन का जमकर विरोध किया था, उसके खिलाफ एजिटेशन को तेज किया था लेकिन आज मेरा विश्वास भी बदलता जा रहा है। मैं यकीन करने लगा हूं कि रैपिड ग्रोथ के लिए सैपरेट तेलंगाना होना जरूरी है तभी लोगों के मसाइल दूर हो सकते हैं, लोगों की इकोनौमिक एक्टिविटीज अच्छी हो सकती हैं। ऐसा सोचने के लिए आज मैं मजबूर हो गया हूं और मुझे लगता है कि इस मुतालबे को अब रोका नहीं जा सकेगा।

ये सारी बातें इकोनॉमिक एक्टीविटीज से जुड़ी हुई हैं, बजट से जुड़ी हुई हैं। मैंने पहले भी सोचा था कि फाइनैंस मिनिस्टर साहब का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करूं और वे इस बात की कोशिश करें कि गरीबों को इस बजट से फायदा मिले। अब इसे मैं इन्टैलीजैंस कहूं या क्या कहूं, जहां इस बजट में अनेकों रियायतें दी गई हैं, कन्सेशन्स दिए गए हैं और शायद कई सालों में यह पहला बजट है जिसमें यह नहीं बताया गया कि इसका एम्पैक्ट क्या होने वाला है, इसकी रिवैन्यू इम्पलीकेशन्स क्या होंगी। जब एक तरफ अनेकों छूट दी जा रही हैं, ड्यूटी रिड्यूस की जा रही हैं, कन्सेशन्स दिए जा रहे हैं, आखिर वह पैसा कहां से आएगा। आपने इतना बड़ा प्लान आउटले रखा है, इतना बड़ा बजट रखा है, उसे कहां से आप मीट करेंगे, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। मैं समझता हूं कि ये कुछ बातें हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। मुझे यकीन है कि हमारे फाइनैंस मिनिस्टर बहुत एफीशियेंट हैं और जब ये बातें उनके ध्यान में आएंगी तो वे जरूर कुछ कदम उठाएंगे।

मेरा निवेदन है कि वे इस मामले में जरूर देखेंगे और कंट्री के सामने जिस उद्देश्य के साथ और जिस लक्ष्य के साथ बजट पेश किया है, मैं दुआ करता हूं कि उसमें उनको कामयाबी मिले।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अगले वक्ता हैं कि श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन।

[सभापति महोदय]

मुझे लगता है कि अच्छा होगा यदि वह सीधे अपने चुनाव-क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों पर ही चर्चा करें। अन्यथा बजट पर सामान्य रूप से चर्चा के लिए पांच मिनट का समय पर्याप्त नहीं होगा।

श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं वित्त विधेयक 1997 का विश्लेषण करना चाहता हूं जो सदन के सामने लाया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट की प्रस्तुति के बाद देश के कई वर्गों ने इसे व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया। समाचार माध्यमों ने इसे एक लोकप्रिय बजट के रूप में स्वीकार किया है और इसे विकासोन्मुखी बजट के रूप में भी दर्शाया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में राजनीतिक स्थिरता के दौरान जब कुछ दिनों तक राजनीतिक गतिरोध रहा तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, प्रतिष्ठित वर्ग और धनी वर्ग बहुत आतुर हो गया—उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं थी कि यह राजनीतिक गतिरोध या संवैधानिक संकट कैसे उत्पन्न हुआ परन्तु वह इस बात के लिए बहुत व्यग्र हो गए कि वित्त विधेयक पारित हो जाए। अत: मैं यह कहना चाहता हूं कि वित्त विधेयक में किए गए कर प्रस्ताव प्रतिष्ठित व्यक्तियों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और देश के धनी वर्ग को हो ही लाभ हो रहा है। इस बात पर चिन्ता देश के समाचार-पत्रों, और माध्यमों में दृष्टिगत हो रही है।

उन्हें कर में अत्याधिक छूट, रियायतें और लाभ दिए जा रहे हैं। मुझे याद है कि बजट पर सामान्य चर्चा का उत्तर देते हुए माननीय वित्त मंत्री ने क्या उत्तर दिया था। वह सकल घरेलू उत्पाद माध्यम से विकास दर को सात प्रतिशत तक बढ़ाने पर बहुत अधिक अड़े हुए हैं। यदि उन्हें गरीबी उन्मूलन, आधारभूत ढांचे के विकास और आम आदमी की न्यूनतम मूल आवश्यकताओं को पूरा करने का वायदा पूरा करना है तो सकल घरेलू उत्पाद स्तर बढ़ाना होगा। हम जानते हैं कि बहुत से विकसित देशों में मात्र विकास अथवा सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से ही उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती। हमें इस दृष्टिकोण से भी देखना होगा। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि आर्थिक विकास अथवा सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर समानता और न्याय के सिद्धान्तों पर आधारित होने चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना और निदेशक सिद्धान्तों में एक कल्याणकारी सरकार की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है तथा समाज के सभी वर्गों को आर्थिक न्याय देने पर जोर दिया गया है। प्रश्न यह है कि वित्त विधेयक में रखे गए कर प्रस्तावों से इन लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं।

लगभग सभी क्षेत्रों में धनी वर्ग को छूटें दी जाती हैं और वे ही लाभान्वित हो रहे हैं और गरीबों की लगभग सभी क्षेत्रों में उपेक्षा की गई है। मैं निम्नलिखित मुद्दों से अपने उक्ति को साबित करूंगा। मैं सीधे इन्हीं मुद्दों की चर्चा करता हूं, अन्य बातों की चर्चा मैं समय की तंगी के कारण नहीं कर रहा। शेयरों पर मिलने वाले लाभांश पर कर को हटाने का प्रस्ताव है। मैं इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध करता हूं शेयर बाजार में पूंजी लगाने से प्राप्त लाभांश व्यक्ति की आय होती है। इस पर कर में क्यों छूट दी जा रही है? इस लाभांश पर कर से छूट देने की न्योयोचित औचित्य क्या है? कुछ नही? सरकारी कर्मचारियों और अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों पर जो भत्ते अर्जित कर रहे हैं तो व्यक्तिगत आय-कर भी लगाया गया है। अत: इस प्रस्ताव का कड़े शब्दों में विरोध होना चाहिए।

हमारे देश में जो अनेक प्रकार की कल्याण-निधियां बनाई जा रही हैं उनके बारे में मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं। उनका उद्देश्य देश के कर्मचारी वर्ग का कल्याण करना है। इन निधियों में योगदान भी कर्मचारियों का ही है। हमारे राज्य में भी बहुत सी कर्मचारी कल्याण निधियां हैं। केरल में 12 कल्याण कानून बनाए गए हैं। पूरे देश में कितने ही कल्याण कानून प्रतिपादित किए गए हैं। परन्तु उन्हें आय कर देना होता है। अत: मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इन कल्याण निधियों को आय कर के जाल से मुक्त करें। यह इस देश के कर्मचारी वर्ग के कल्याण के लिए किया गया उपाय ही है।

बजट पर चर्चा के दौरान मैंने सीमा शुल्क और निगमित कर का उल्लेख किया था। सीमा शुल्क में कटौती 50 प्रतिशत से कम करके 40 प्रतिशत किए जाने से घरेलू उद्योग पर अवश्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मुझे बहुत खुशी है और मैं माननीय वित्त मंत्री के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने टिटैनियम डाइऑक्साईड पर सीमा शुल्क चालीस प्रतिशत से घटाया नहीं इस समय भी मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह सीमा शुल्क की उच्चतम दर को चालीस प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम पचास प्रतिशत कर दें और साथ ही टाईटैनियम डाइऑक्साईड पर भी इसे बढ़ाकर पचास प्रतिशत कर दें।

मैं उत्पाद शुल्क से सम्बन्धित ब्यौरे नहीं दे रहा। श्री निर्मल कान्ति चटर्जी द्वारा कल अनेक चीजों की आलोचनात्मक जांच की गई। अत: मेरा कहना है कि उत्पाद कर पर छूट उन वस्तुओं पर दी गई हैं जो समाज के सम्पन्न वर्ग द्वारा उपभोग में लाया जाता है। एयर-कंडीशनरों, रेफ्रीजेटरों आदि चीजों, जो समाज के समृद्ध और संभ्रांत वर्ग द्वारा उपभोग में लाया जाता है, पर काफी लाभ दिया गया है।

मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देते हुए उनके इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं कि उन्होंने धन हेतु टाईल्स, लाता आदि पर से उत्पाद कर हटाने का प्रस्ताव किया है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस छूट को बीड़ी और आयुर्वेदिक दवाइयों पर भी लागू करें। इन पर भी विचार किया जाना चाहिए। सेवा कर से कीमतों में वृद्धि होगी। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र के लिए लघु उद्योग एक रीढ़ है। यह न केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिक अदा कर रही है अपितु यह रोजगार सृजन का भी क्षेत्र है अत:, इसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री को सुझाव देना चाहता हूं कि 28 फरवरी, 1993 की अधिसूचना संख्या 1/93 के अंतर्गत जारी पूर्व उपबंध को फिर से बहाल किया जाए। 30 लाख रुपए की नि:शुल्क निकासी की सीमा को बढ़ाकर 75 लाख रुपए की जानी चाहिए।

इन्हीं टिप्पणियों के साथ मैं एक बार पुन: वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री पी० कोदण्ड रमैया (चित्रदुर्ग) : मुझे पांच मिनट का वक्त देने के लिए सभापति महोदय आपका धन्यवाद। अध्यक्ष पीठ द्वारा उपलब्ध कराई गई समय सीमा के अंदर ही मैं बोलने की कोशिश करूंगा।

सर्वप्रथम, मैं माननीय वित्त मंत्री को एक अच्छा बजट प्रस्तुत करने

के लिए बधाई देता हूं जिसमें विकास और सामाजिक न्याय पर बराबर ध्यान दिया गया है। करों में कटौती किए जाने के परिणामस्वरूप देश के कुछ प्राधिकारियों द्वारा राजस्व के संबंध में कतिपय आक्षेप जाहिर किए गए हैं। मैंने उनको देखा है। मैं माननीय वित्त मंत्री को मैं यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान के कर संग्रहकर्ता उस सत्यनिष्ठा और सक्षमता से कार्य नहीं करते जिनके लिए वे एक या दो दशक पूर्व प्रसिद्ध थे। इतना ही नहीं प्रयत्नों के अनुरूप या एक निश्चित अवधि में विहित दर के अनुरूप करों की उगाही भी नहीं हो पाती। माननीय वित्त मंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर संग्रहकर्ता उचित रूप से और सक्षमतापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। कर की दरों में कटौती किए जाने से कर आधार में वृद्धि करना होगा जिससे कि राजस्व की प्राप्ति में बढ़ोतरी हो सके।

इस बात का अनुमान लगाया गया है कि इसके फलस्वरूप राजस्व की प्राप्ति में 16 प्रतिशत का इजाफा होगा। यदि ऐसा होता है तो यह बहुत अच्छी बात है। इसे प्राप्त किया जाना चाहिए। यह कोई कठिन कार्य नहीं है। मैंने देखा है कि लोगों का एक प्रतिनिधिक समुदाय ने कर दरों में कटौती को बहुत ही खुशी और जोश के साथ स्वीकार किया है। अब अनेक लोग अपने रिटर्न भरने को इच्छुक हैं जैसा कि विगत में नहीं होता था। माननीय वित्त मंत्री द्वारा बजट में अधिक राजस्व की उगाही संबंधी बातों की पूर्ति इस योजना से होगी।

स्वैच्छिक घोषणा योजना के बारे में कुछ आलोचना की गई है। मुझे अनेक कर-दाताओं से शिकायत सुनने को मिल रहे हैं। वे कहते हैं, "मुझे आप, उन व्यक्तियों के साथ क्यों मिला रहें जिन्होंने काला धन अर्जित किया है। आपने एक ईमानदार कर दाता और स्वैच्छिक घोषणा योजना के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए एक ही कर दर कैसे निर्धारित किया है?"

संपत्ति कर के संबंध में माननीय वित्त ने यह घोषणा की है कि संपत्ति कर की संगणना उस तिथि से लागू होगी जिस दिन इसके बारे में घोषणा की जाती है और न कि संपत्ति अर्जित के दिनों से।

एक बार फिर लोगों की यह शिकायत हो सकती है कि कर की चोरी करने वालों पर अनावश्यक रहम दिखाया जा रहा है और उन्हें इस देश के ईमानदार कर-दाता की तुलना में अधिक महत्व दिया जा रहा है। माननीय वित्त मंत्री से मेरा यह सुझाव है कि ईमानदार कर दाताओं और उन व्यक्तियों, जो कि इस योजना के तहत अपनी आय की घोषणा करते हैं, के बीच कुछ अंतर रखा जाए। मेरा यह सुझाव है कि स्वैच्छिक घोषणा के अंतर्गत कर स्तर को 35% से बढ़ाकर 40% कर दिया जाए जिससे कि ईमानदार कर दाता भविष्य में हतोत्साहित न हो और कर जाल के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों को लाया जा सके।

जहां तक योजना राशि का संबंध है तो यह 16.7% की वृद्धि पर्याप्त नहीं है। अनेक विकास संबंधी गतिविधियों को देखते हुए यह राशि मुझे पर्याप्त नहीं लगती। तथापि, केन्द्रीय योजना के अंतर्गत समय की कमी और प्रशासनिक बाधाओं के फलस्वरूप ज्यादा आबंटन संभव नहीं हो पाया और इसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष, अर्थात 1996-97 के दौरान प्राक्कलनों का संशोधन संभव नहीं हो पाया। मैं वित्त मंत्री से केन्द्रीय योजना राशि में वृद्धि करने का अनुरोध करता हूं और यह भी सुनिश्चित कराने का अनुरोध करता हूं कि इसका उपभोग और व्यय उचित रूप से हो।

ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं कि राज्यों ने, योजना आयोग द्वारा स्वीकृत और अनुमोदित योजना आबंटन में कटौती करवाई है। इसलिए यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि योजना आकार में कोई कटौती न हो।

कृषि के बारे में एक महत्वपूर्ण सुझाव भूमि सुधार उपायों से संबंधित है। दक्षिण राज्यों और शायद पश्चिम बंगाल को छोड़कर हर जगह भूमि सुधार को पूरी तरह उपेक्षा की गई है और जब तक इस सामाजिक सुधार और भूमि का उचित वितरण कर आय का संगत वितरण सुनिश्चित नहीं किया जाता तब तक हम इसमें सुधार नहीं कर पाएंगे और निर्धारित विकास दर को प्राप्त नहीं कर सकते।

माननीय वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि उधार के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 28,600 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। यह एक अच्छा कदम है-इसे 22,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 28,600 करोड़ रुपए कर दिया गया। लेकिन यहां भी प्रशासनिक खामियां विद्यमान हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र में असामान्य रुपयों का प्रवाह होगा। ऐसा देखा गया है कि अधिकतर उधारी ग्रामीण क्षेत्रों के समृद्ध किसानों को ही प्राप्त होता है।

राज सहायता पर चर्चा करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि ज्यादातर राज सहायता का लाभ समृद्ध किसानों को होता है और जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ राज सहायता में भेदभाव होता है।

जहां तक उर्वरक के कीमत का संबंध है तो वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि बड़े किसानों को राज-सहायता कम या बिल्कुल नहीं मिले और लघु तथा सीमांत किसानों को पर्याप्त सहायता मिले।

ट्रैक्टर, छिड़काव और अन्य चीजों पर राज-सहायता उपलब्ध कराने का आशय है कि यह सहायता कुछ लोगों को ही मिलेगा और आम किसानों, जो कि देश के रीढ़ हैं, को कुछ नहीं मिलेगा।

जहां तक उगाही दर का संबंध है तो वित्त मंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण, चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र के लिए हो या कृषि क्षेत्र के लिए, पर उचित निगरानी रखी जाए और उगाही दर किसी भी कीमत पर प्रति वर्ष 60 प्रतिशत से कम न हो जिससे कि नाबार्ड और वित्तीय एजेंसियों के लिए पुन: ऋण देना आसान हो।

जहां तक इंदिरा आवास योजना और रोजगार सुनिश्चित योजना जैसे भारत सरकार की गरीबी उन्मूलन योजना का संबंध है तो मेरा मत है कि इसका लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंच रहा है और अधिकतर राशि जरूरतमंद लोगों और इसे स्वीकृत देने वाले प्राधिकारियों के बीच कमीशन के रूप में व्यर्थ हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रशासन को थोड़ा सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि धन हमारे द्वारा अर्थात इस सभा द्वारा आबंटित किया जाता है इसलिए धन व्यय करने के मामलों

[श्री पी० कोदण्ड रमैया]

में संसद सदस्यों की भी राय जानना चाहिए।

वित्त मंत्री ने कुछ समय पूर्व कहा था कि सरकार ग्रामीण परियोजना से संबंधित प्रशासन में संसद सदस्यों को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करने जा रही है और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र मेरे पास मौजूद है जो वित्त मंत्री द्वारा किए गए आश्वासन के बिलकुल ही विरुद्ध है। वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस परिपत्र को वापस करवाएं और फिर से इसे तैयार कर अपने वायदों—यानी संसद सदस्यों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने को पूरा करें। वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस दिशा में कदम उठाएं।

अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे हमेशा चर्चा के अंतिम समय बोलने का मौका दिया जाता है और उसके बावजूद भी पांच मिनट का वक्त दिया जाता है। पीठासीन अधिकारी से मेरा यह अनुरोध है कि मुझे कुछ और अधिक वक्त दें।

सभापति महोदय : सभा का यह निर्णय है कि प्रत्येक सदस्य को मात्र पांच मिनट का वक्त दिया जाएगा।

श्री पी० कोदण्ड रमैया : कम से कम भविष्य में नए सदस्यों को पुराने सदस्यों की अपेक्षा, जो अपना एकाधिकार जमा लेते हैं; ज्यादा समय दिया जाए।

खैर, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपके अपने वरिष्ठ सदस्यों ने एक घंटे का वक्त लिया है। तब आपको कैसे मौका मिलेगा?

(व्यवधान)

श्री पी० कोदण्ड रमैया : महोदय, आप उन्हें सूचित कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री चमन लाल गुप्ता आप पांच मिनट के लिए बोल सकते हैं। आपने उनसे मुझे जूझते हुए देखा है। आपके नेताओं ने एक घंटे से ज्यादा वक्त लिया है और आप उसका मजा ले रहे थे। अब तीन घंटे यहां बैठने की सजा हमें नहीं मिलनी चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : सभापति जी, बोलने वाले बहुत कम हैं।

सभापति महोदय : सब लोग बोले हैं। उनके पांच मिनट में भी कटौती कर रहे हैं।

श्री चमन लाल गुप्ता (ऊधमपुर) : सभापति जी, मैं बजट प्रपोजल्स को अपोज़ करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से सवाल यह है कि एक तरफ तो उन्होंने सारी कस्टम ड्यूटीज़ कम की हैं और दूसरी तरफ अपने जो कस्टम रेवेन्यूज़ हैं, उनको वे 8000 करोड़ रुपए बढ़ जाएंगे, यह दिखा रहे हैं। आखिर हम जानना चाहेंगे कि यह करामात वे कैसे कर लेंगे, क्योंकि कस्टम ड्यूटीज़ यहां पर उन्होंने इर्रेशनली कम की हैं, उसकी वजह से बहुत सारी हमारी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ पूरी तरह से तबाह हो गई हैं और आने वाला समय यह दिखा रहा है कि शायद यह जो सबसे बड़ा एम्पलायमेंट जनरेटिंग फैक्टर हमारे पास था, उसको एक तरह से क्रिपल करके दिखा दिया है। एम्पलायमेंट जनरेशन के लिए सारे बजट के अन्दर यद्यपि यह कहा गया था कि एम्पलायमेंट जनरेशन की जाएगी, लेकिन इस तरह का कोई प्रपोजल दिखाई नहीं दिया। इस समय देश में एम्पलायमेंट की जो स्थिति है, वह आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लगभग दो करोड़ से भी ज्यादा नौजवान इस समय बेकार हैं। बेकारी शहरों में है, गांवों में है, एण्डस्ट्रियल सैक्टर में है और सबसे बड़े जो एजुकेटिड एम्पलायड लोग हैं, उनकी तरफ से है। इस अनएम्पलायमेंट के जो कारण गिनाए गए थे, उनमें से एक पर भी यह बजट अटैक नहीं कर रहा है। कारण ये बताए गए थे कि एक तो जनसंख्या का त्वरित विकास, औद्योगिक विकास में धीमी प्रगति, कृषि का पिछड़ापन और विद्यमान शिक्षा प्रणाली। अब ये जो चारों फैक्टर्स हैं, इनमें से किसी एक फैक्टर पर इनकी तरफ से बजट में अटैक किया गया हो, ऐसा कहीं पर दिखाई नहीं देता है। उसके कारण से अनएम्पलाएमेंट की जो सबसे बड़ी प्राब्लम अपने देश की थी, जो हम उम्मीद करते थे, यह वाहवाही तो बहुत हो रही है कि यह बजट बहुत अच्छा है, ड्रीम बजट है, लेकिन जो हमारी समस्याएं हैं कि आज भी जिस देश के अन्दर 36 क़रोड़ लोग एक समय का खाना खाकर शाम को सोते हैं, उस देश में उनको एम्पलायमेंट देने का कोई इन्होंने प्रबन्ध नहीं किया है।

अपराह्न 7.38 बजे

(श्रीमती गीता मुखर्जी *पीठासीन हुईं*)

मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि खासकर के कश्मीर के अन्दर यह जो मिलीटेंसी इस समय है, उसका सबसे बड़ा कारण यह बताया जाता है कि वहां पर अनएम्पलायमेंट था और यह हकीकत है। 1988 के बाद आज नौ वर्ष होने को आ रहे हैं, जितने बच्चे इंजीनियरिंग, मैडीकल या प्रोफेशनल कालेजेज़ में से पास हुए हैं, उनमें से एक बच्चे को भी कहीं पर एम्पलाएमेंट नहीं मिली, सब के सब बच्चे बेकार हैं। हालांकि जो पोपुलर गवर्नमेंट बनी है, उसने अपने मैनीफैस्टो के अन्दर सबसे पहली बात यही कही थी कि हम सब बच्चों को तुरन्त नौकरियां दे देंगे, लेकिन एक भी इंजीनियर को नौकरी नहीं दी गई। उसने इंजीनियर बनने में चार या पांच वर्ष लगाए थे, लेकिन नौ वर्ष से वह बिल्कुल सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, किसी तरह की कोई सर्विस हम उसको नहीं दे पा रहे हैं और उसका नतीज़ा हमारे सामने है।

इसलिए मैं आपके सामने जो बजट की बाकी चीजें हैं कि इसमें किसी तरह से भी सेविंग्स के ऊपर कोई इंसेटिव नहीं दिया गया है। स्वैच्छिक घोषणा योजना और कुछ नहीं अपितु कर चोरी को कानूनी जामा पहनाना है। वास्तव में पहले भी बहुत सारी ऐसी वालेंट्री स्कीम्स यहां पर आई थीं, उनमें से किसी एक को भी सफलता नहीं मिली है। आज भी यह जो स्कीम है, इसका भी वही हश्र होने वाला है।

क्योंकि एक तरह से जिन्होंने टैक्स इवेजन किया है, उनको ही

लेजिटिमेसी दे रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र से सम्बन्धित कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। सारे बजट का थ्रस्ट एक ही बात पर है, वह यह कि कैसे विदेशी कम्पनीज यहां पर आएं और ज्यादा से ज्यादा से इन्वैस्टमैंट कर सकें। हमारे देश में जहां 85 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हों और काफी लोग कृषि पर निर्भर हों, उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया गया है। कृषि को किसी तरह का इंसेंटिव देने की कोशिश नहीं की है।

जम्मू-कश्मीर का जो बजट था 1951-52 में, वह पांच करोड़ रुपए का था और 1997-98 में जो बजट पेश हुआ है उसमें वहां के लिए 5400 करोड़ रुपए का प्रान्धान है। इस बीच जो ये आतंकवाद का सारा काल बीता है उसमें वहां पर जितना भी पैसा है, वह सारे का सारा मिलीटेंट्स के हाथ में जाता रहा है। हम किसी तरह का ऐसा प्रावधान पैदा नहीं कर पा रहे जिसके कारण एक तरफ जो हम लोगों के पेट पर पत्थर बांधकर उनका पैसा वहां दे रहे हैं, उसका सदुपयोग किया जा सके। जम्मू-कश्मीर की निजी आमदनी 600 करोड़ रुपए है। सरकारी कर्मचारियों की आय पर 1000 करोड़ रुपए खर्च होगा। यह सारा प्रबंध हमें यहां से 5400 करोड़ रुपए में से ही करना है। परंतु वह पैसा वहां जाए, वह ठीक से खर्च हो, उसकी जो व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहुत सा धन मिलीटेंट्स के हाथ में जाता है। वे डिक्टेट करते हैं कि कौन-सा पैसा कहां खर्च हो।

पिछले दिनों जब यहां संयुक्त मोर्चा का क्राइसेज चल रहा था तो हमारे मुख्यमंत्री यहां आए थे। वे एयर फोर्स के प्लेन पर आए और वापस भी एयर फोर्स के प्लेन से जम्मू चले गए। जबकि वे यहां पार्टी फंक्शन के लिए आए थे। इस तरह से बहुत सा पैसा यूं ही जाया हो जाता है। इसलिए जो हम पैसा वहां के लिए दे रहे हैं, वह ठीक से खर्च हो, इसकी व्यवस्था हमें करनी चाहिए।

पावर सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। मेरे क्षेत्र के अंदर चिनाब ऐसा दरिया है जहां से आप 15,000 मेगावाट बिजली आसानी से पैदा कर सकते हैं। पिछले दिनों सावलाकोट की चर्चा मैंने की थी। उसका सर्वे हो चुका है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है। सलाल प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां है, वह सलाल की दूसरी स्टेज बननी थी, अगर उस पर दो-तीन सौ करोड़ रुपए खर्च कर दिए होते तो आसानी से वह प्रोजेक्ट लिया जा सकता था। परन्तु दुलहस्ती को लिया गया है। यह परियोजना 1980 में शुरू की थी, आज 1997 चल रहा है, यानि 17 साल हो चुके हैं। हम जबकि पावर के महत्व की बात कर रहे हैं, मेरे क्षेत्र में 15,000 मेगावाट बिजली आसानी से रिजनेबल रेट पर पैदा की जा सकती थी, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जो थीन डैम बन रहा है, उसकी वज़ह से लगभग 30,000 लोग पूरी तरह से डिसलोकेट हो जाएंगे। उन्हें जो रास्ता 20 किलोमीटर में तय करना पड़ता था, अब 80 किलोमीटर में तय करना पड़ेगा। इसलिए रावी पर जो पुल बनना चाहिए वह तुरंत बनाया जाए ताकि उन लोगों को तकलीफ न हो। जम्मू-कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी समस्या विस्थापितों की है।

तीन लाख के करीब लोग अपना घरबार छोड़कर यहां बैठे हैं। कुछ दिल्ली में और कुछ जम्मू-कश्मीर में बैठे हैं। मैं उस सारी परिस्थिति का वर्णन करना नहीं चाहता। पिछले आठ वर्षों से एक ही टेंट के अंदर मां, बाप, भाई बहन और उसके बच्चे बैठे हैं। लेकिन उनकी तरफ न तो कोई ध्यान दिया गया है और न ही उनके लिए कोई प्रावधान किया गया है, न ही उनकी कोई चिंता की जा रही है। मेरा निवेदन है कि कम से कम हमारे वित्त मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें क्योंकि यह ह्यूमन समस्या है। वे लोग खुद चलकर यहां नहीं आए हैं। हम लोग वहां की परिस्थति को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं और उसके परिणामस्वरूप उन्को घरवार छोड़ना पड़ा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो तेरह हजार कर्मचारी वहां के हैं, आज सरकार ने अजीब काम किया है। उन तेरह हजार कर्मचारियों के वहां से निकल आने के बाद उनकी जगह पर वहां पर एडहॉक नियुक्ति कर ली गई। हम कहते हैं कि उनको सम्मानपूर्वक वापस जाना चाहिए और मैं सदन में भी यह कहना चाहता हूं कि अगर हिन्दू माइग्रेंट्स कश्मीर में वापस नहीं जाएंगे तो कश्मीर अधूरा होगा। लेकिन वापस जाने के बाद ये कश्मीर में कहां जाकर टिकेंगे क्योंकि वहां पर उनके सामान, मकान सब समाप्त कर दिए जा रहे हैं। वहां पर उनके सामान की रक्षा करने वाली कोई सरकार नहीं है। वह सरकार उनके सामान की रक्षा की गारंटी नहीं देती। उनकी प्रोपर्टी को रजिस्टर्ड किया जाए, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो ह्यूमन समस्या है, उस तरफ पूरा ध्यान देना होगा और पूरी तरह से सम्मानपूर्वक उनको अपने घरों में वापस लाया जाए, इस बारे में हमें व्यवस्था और चिंता करनी होगी।

महोदय, हमारे गवर्नर कृष्णा राव जो इस समय गवर्नर जनरल थे, उनके कहने के मुताबिक एक लाख करोड़ रुपया कश्मीर पर खर्च हो गया। एक लाख करोड़ रुपया जो उन्होंने वहां पर खर्च किया हुआ दिखाया है, मेरा सदन में यह निवेदन रहेगा कि हम कम से कम व्हाइट पेपर तो लाएं। एक करोड़ रुपया वहां पर खर्च हुआ है। मुझे आज भी यह शक है कि यह पैसा या तो रूलिंग पार्टी के कुछ लोग या इनके परिवारों तक रहता है और या फिर मिलिटेंसी को जो डिक्टेट करते हैं, उनके पास रहता है। अब जो कॉमन आदमी है, उस तक वह पैसा नहीं पहुंच रहा है। हम यहां से पैसा वहां पर भेजते हैं ताकि वहां पर एजुकेशन हो। वहां पर जिंदगी अच्छी हो। आज वहां पर जो परिस्थिति है, उसमें व्हाइट पेपर लाना बहुत जरूरी है।

अंत में मेरा यह कहना है कि विदेशी धन कश्मीर में इतना ज्यादा आ गया है कि उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। आखिर हमारी सरकार एग्जिस्ट करती है। वहां पर ह्यूमन कांफ्रेस नाम की चीज पैदा हो गई है। पिछले लगभग छः महीनों के अंदर अमरीका के एम्बेसेडर श्री विजनर साहब छः बार कश्मीर गए हैं और वहां पर परमिशन लेकर जनरल से मिलते हैं उनकी वहां पर सब लोगों से मुलाकातें होती हैं वे उन हुर्रियत बालों से मिलते हैं जो यह मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं कि कश्मीर हिन्दुस्तान का ही हिस्सा है। यह विदेशी धन इतना ज्यादा आ रहा है, इसके ऊपर कोई न कोई चैक लगना चाहिए। जब तक इसके ऊपर चैक नहीं लगेगा, वहां की मिलिटेंसी नहीं रुक सकेगी। अंत में, मै इतना ही कहना चाहूंगा कि गरीबी वहां पर आज भी है। वहां

[श्री चमन लाल गुप्ता]

पर जितने फंड्स हैं, जो भी यहां से जाते हैं, वहां पर तीन रीजंस अलग-अलग हैं—लद्दाख, जम्मू और कश्मीर वैली है। आम तौर पर यह इम्प्रेशन क्रियेट होता है कि जो भी सारा काश्मीर का, काश्मीर वैली और अब लद्दाख का एरिया 97 हजार स्कवेयर किलोमीटर है, वैली का एरिया कुल मिलाकर 15 हजार स्कवेयर किलोमीटर है, जम्मू का एरिया इस समय 28 हजार स्कवेयर किलोमीटर है। आप अंदाजा करिए कि जो वैली है वह सारा जम्मू-कश्मीर का 1/8 है और हमारा टोटल सारे का सारा पैसा वहां पर खर्च होता है। यहां पर मेरे लद्दाख के साथी बैठे हुए हैं उनको यदि मौका मिले तो वह जरूर बताएं कि आज भी 50 साल आजादी के बीतने के बाद भी लद्दाख में सप्ताह में सिर्फ दो बार बिजली देखने को मिलती है और वह भी सिर्फ चार घंटे के लिए मिलती है। पिछले साल पूरा जोर लगाने के बाद हम लोग वहां पर एक कॉलेज खोलने में कामयाब हुए हैं।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन तीनों रीजंस की बकायदा काउंसिल बने और ये जो सारे फंड्स हैं वे रीज़न वाइज़ यहीं से डिस्ट्रीब्यूट हों, क्योंकि आज तक वहां पर जो सिलसिला चलता रहा है। हुकूमत जम्मू में होती है, लद्दाख पर होती है। वैली में पैसा खर्च होता है तो हम चाहते हैं कि तीनों रीजंस बने रहें। सरकार जिस तरह से चल रही है उसने बहुत ही गलत तरीके अपनाए हैं। वहां पर आटोनोमी की चर्चा शुरू कर दी है। जम्मू रीज़नल, सब आटोनोमी की चर्चा शुरू की है, यानी जम्मू को भी सब डिवाइड कर दिया जाए, इसकी व्यवस्था वहां पर हो रही है।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, हम चाहते हैं कि ये तीनों रीज़ंस इकट्ठे रहें क्योंकि यह देश के हित में है और काश्मीर भारत का मुकुट बना है। यह बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि तीनों रीजंस इकट्ठे रहें। लेकिन जिस तरह का काम वहां पर हो रहा है उसमें तीनों रीजंस इकट्ठे नहीं रह सकेंगे। इसलिए यहीं से सारे फंड्स रीज़न वाइस डिस्ट्रीब्यूट हों ताकि तीनों रीजंस एक साथ प्रगति करें। काश्मीर, जम्मू और लद्दाख भी प्रगति करे और तीनों इकट्ठे रह कर भारत का सही मायने में काश्मीर मुकुट बना रहे, इसकी व्यवस्था की जाए, इतना ही मुझे कहना है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं जानता हूं कि इस सदन ने यह निर्णय लिया है कि सभी वक्ता केवल पांच मिनट तक बोलेंगे। इसलिए मैं उस निर्णय से बंधा हुआ हूं और मैं आशा करता हूं कि अगले वक्ता भी उस निर्णय का पालन करेंगे। तद्नुसार, मैं चार मिनट के बाद घंटी बजाऊंगा जिससे अगले एक मिनट के अंदर उस सदस्य को अपना भाषण समाप्त करना होगा। आप अपने भाषण को तद्नुसार सीमित कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र : आप कम से कम दस मिनट रखें क्योंकि पांच मिनट कुछ भी नहीं होते। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह तो हाउस का डिसीजन है, मैंने डिसाइड नहीं किया।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : उन्होंने पांच मिनट की समय सीमा निर्धारित करने का अभियान चलाया था।

डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्नम्) : मैं घड़ी देख रहा हूं। बिना आपके घंटी बजाए 8.00 बजे मैं बैठ जाऊंगा।

मैं वित्त विधेयक का दिल से समर्थन करता हूं। मैं वित्त मंत्री जी को बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत करने तथा वित्त विधेयक प्रस्तुत करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। जब वे मंत्रिमंडल में नहीं आए थे तो प्रधानमंत्री जी ने पूरी सभा के सामने उन्हें मंत्रिमंडल का मंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया था। यह किसी व्यक्ति को दिया गया बहुत ही अच्छा अवसर और एक बहुत बड़ा सम्मान है, वे बहुत ही भाग्यशाली हैं इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं।

पिछले बजट में, प्रधान मंत्री ने एक औद्योगिक अवसंरचनात्मक विकास निगम का गठन किया था जिसका कार्य नए उद्योगों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करना था। इस अवसर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि विशाखापट्नम आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला औद्योगिक नगर है जहां जल्दी ही लगभग 25,000 करोड़ रुपए की लागत के उद्योग लगाए जाने हैं परन्तु इसमें जल की उचित सुविधा की कमी है।

पानी के बिना इस देश की पूरी औद्योगिक प्रगति बेकार हो जाएगी। यह समस्या बहुत ही गंभीर होती जा रही है। पानी उद्योगों के लिए बहुत आवश्यक है। चार वर्ष पहले भागीरथ नामक एक परियोजना शुरू हुई थी। धन की कमी के कारण परियोजना शुरू नहीं हो सकी और वहां जल की समस्या जारी है। मैं माननीय वित्त मंत्री से विशाखापटनम् की भागीरथ जब आपूर्ति स्कीम के लिए विशेष तौर पर अवसंरचनात्मक विकास निगम के माध्यम से 250 करोड़ रुपए प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। अगर यह हो जाता है तो उस स्थान के कई उद्योगों का विकास हो सकेगा। यह राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी।

मैं हाल ही में आंध्र प्रदेश में आए अभूतपूर्व चक्रवातों की बात करना चाहता हूं। चक्रवातों से हुए नुकसान को राज्य के तटीय क्षेत्रों में अभी भी महसूस किया जा रहा है। मैं सरकार और वित्त मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वे पीड़ित लोगों की तरफ विशेष ध्यान दें और उन गांवों जिन्होंने काफी नुकसान उठाया है, को सड़कों की मरम्मत कराने तथा अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने हेतु चक्रवात से राहत के लिए विशेष सहायता दी जाए।

मुझे उन लोगों को देखकर काफी दुख होता है जिन्होंने सभी चीजों का राजनैतिकरण कर दिया है। हमें अपने-अपने राजनैतिक सम्बन्धों के बावजूद एक महान राष्ट्र का गठन करना चाहिए। अगर आप गरीबी दूर करना चाहते हैं, अगर आप युवाओं के दिमाग से तनाव दूर करना चाहते हैं, अगर आप देश से बेरोजगारी हटाना चाहते हैं तो इसका एक ही समाधान है कि आप लोगों का वेतन बढ़ाने की कोशिश कीजिए, आप उद्योग लगाइए। और आप उद्योगों के विकास और समृद्धि सुनिश्चित करें। उसके लिए बहुत आवश्यक बात आंतरिक और बाह्य रूप से अच्छा वातावरण बनाना है। लोग हमारे ऊपर इस बात पर न हंसें कि यहां

क्या हो रहा है। हम इस देश में लाल फीताशाही, घोटालों, आपसी अपमान और लोगों में अविश्वास का सामना कर रहे हैं।

हमें एक साथ काम करना होगा। हमें नई विचारधारा वाला राष्ट्र बनाना होगा। हमें हर रोज किसी न किसी घोटाले की बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमें उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए परन्तु इसे आम बात नहीं मानना चाहिए और यह नहीं कहना चाहिए कि देश में सब लोग खराब हैं। 'फेरा' के अंतर्गत देश में यही हो रहा है। कोई यह नहीं जानता कि 'फेरा' का मामला क्या है और 'फेरा' नियम क्या है। परन्तु हम देखते हैं कि पिछले एक साल तक लोगों को इसके नाम से तंग किया जाता रहा है। हम यह देखते हैं कि लोग 'फेरा' मामलों के लिए होड़ कर रहे हैं। मुझे यह समझ नहीं आता कि ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ। 'फेरा' नियम क्या है? यह राष्ट्र निर्माण के रास्ते में क्यों उठाना चाहिए? लोग यह सोच सकते हैं कि हम इस फेरा का समर्थन कर रहे हैं। मैं एक सुलझा हुआ नियम चाहता हूं और यह एक ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें देश में उद्योग लगाए जा सकें।

मैंने यह सुना है कि 'फेरा' में संशोधन किया जाएगा। यह बहुत ही आवश्यक है और यह जरूर होना चाहिए। मैं समझता हूं कि फेरा के स्थान पर 'फेमा' (एफ॰ ई॰ एम॰ ए॰) का गठन किया जा रहा है। इसको यथाशीघ्र किया जाना चाहिए। अब हमें लोगों के मन से शंका, उलझन और तनाव दूर करना चाहिए। हम राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार करें।

जहां तक राजस्व जुटाने का संबंध है, यह सरकार उत्पाद शुल्क और आयकर विभागों से काफी धन जुटा सकती है। न्यायालयों में लम्बित मामलों में करों की काफी बकाया राशि है। ये विभाग इन बकायों को वसूल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा विवादों के कारण है। कुछ लोग न्यायाधिकरणों में अपील के लिए जाते हैं और जब वे न्यायालय में जाते हैं तो अंतिम निर्णय होने में काफी समय लग जाता है। सरकार को एक विशेष मशीनरी का गठन करना चाहिए जिसके माध्यम से वे विवादों का निपटारा करें और बकायों की वसूली करें तथा कोष के लिए अधिक धन प्राप्त करें।

एक अन्य बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह लघु उद्योगों के बारे में है। आबिद हुसैन समिति ने काफी सिफारिशें की हैं। मुझे खुशी है कि उस समिति की सिफारिशों के आधार पर 14 उद्योगों को अनारक्षित किया गया है परन्तु अन्य सिफारिशों पर विचार नहीं किया गया है। इस देश में लघु उद्योग, उद्योगों की जान है। मेरा सुझाव है कि आबिद हुसैन समिति की सिफारिशों की एक बार पुनः समीक्षा की जाए जिससे लघु उद्योगों को अधिकतम संभव सहायता और प्रोत्साहन दिया जा सके।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि पिछले बजट में विद्युत क्षेत्र के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था, मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि इस बजट में विद्युत के लिए 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान पर्याप्त नहीं है। अगर आप राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो विद्युत एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर्वस्तु है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे विद्युत के लिए दी जाने वाली वर्तमान आबंटन की राशि को 900 करोड़ रुपए से बढ़ा दें।

मुझे खुशी है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति, उद्योग, कर्मचारी, मध्यवर्ग और निम्न-मध्य वर्ग के लोग तथा शिक्षित लोग इस बजट और वित्त विधेयक की प्रशंसा कर रहे हैं। हमें इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह एक प्रजातांत्रिक देश है और हम कुछ भी कह सकते हैं। यहां तक कि जब कोई अच्छा काम करता है, तो हमें यह नहीं कहना चाहिए,

[हिन्दी]

"वह अच्छा नहीं है, वह खराब है, हम उसका विरोध करते हैं।"

अपराह्न 8.00 बजे

अगर कोई देश का भला कर रहा है तो उसे ऐसा करने दो। अगर कोई दल कुछ सुधार लाना चाहता है तो उसे सुधार लाने दो। उनका विरोध करना आवश्यक नहीं है।

मेरे महान कांग्रेस दल की तरफ से, मैं इस वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं तथा साथ ही श्री चिदम्बरम को कर भार कम करने की जिम्मेवारी उठाने के लिए बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि यह लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा होगी और वे कर अदा करने के लिए निश्चय ही आगे आएंगे।

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया) : सभापति महोदया, अपने दल की तरफ से, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अगर हम बजट का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें कुछ अच्छाइयां हैं। ये हैं 6-8 प्रतिशत की दर से निरन्तर उच्च आर्थिक विकास, कृषि और संबंद्ध क्षेत्रों से अच्छी वसूली, अनाज उत्पादन में 191 मिलियन टन की वृद्धि, विनिर्माण क्षेत्र में 11 प्रतिशत की वृद्धि, और विदेशी मुद्रा कोष में पर्याप्त वृद्धि।

इस बजट में कुछ कमियां भी हैं। वे हैं, घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन में काफी कमी, विद्युत क्षेत्र का धीमा कार्य-निष्पादन और निर्यात में गिरावट।

महोदया, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ जनजातीय क्षेत्रों में लाख नकदी फसल है। इससे कुछ विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। इस लाख उद्योग के कुछ प्रतिनिधि वित्त मंत्री से भी मिले थे। इस वर्ष से सरकार ने उत्पाद शुल्क लगा दिया है। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे लाख उद्योग से उत्पाद शुल्क हटा दें।

देश के कुछ हिस्सों में कुछ उद्योग-विहीन जिले हैं। बजट प्रस्ताव में हम पाते हैं कि सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में खनिज तेलों के उत्पादन पर कर-छूट का निर्णय लिया है। मैंने वित्त मंत्री जी को यह भी सुझाव दिया है कि पश्चिम बंगाल और बिहार के पिछड़े और उद्योग-रहित जिलों में कुछ उद्योग लगाए जाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में कुछ कर-छूट दी जानी चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी) : सभापति महोदय, मैं उदारीकरण की नीति के खिलाफ नहीं हूं। देश के लोगों का विकास

[श्री भक्त चरण दास]

बहुत जरूरी है लेकिन इस पहलू पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना में इन्सान के विकास पर ध्यान दिया गया। इन्सान का विकास हुआ या नहीं हुआ, यह सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि इन्सान के मूल्यों का पतन हुआ है।

महोदय, हर तबके के लोगों को मजबूत बनाना आवश्यक है। बच्चों और नौजवानों में इंसानियत का होना आवश्यक है लेकिन देश के बच्चों और नौजवानों के लिए कोई नीति नहीं है। अगर कुछ है तो उसका पालन नहीं किया जा रहा है। इसके लिए बजट में अनुदान भी नहीं दिया गया।

यूथ अफेअर्स मिनिस्ट्री में 125 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। क्या इससे देश के 35 करोड़ नौजवानों की समस्या का हल हो सकता है? प्राईमरी स्कूलों में 75 परसेंट बच्चों का ड्राप-आउट है। क्या यह जानने की कोशिश की गई है कि प्राइमरी स्कूलों में बच्चे क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? यहां पर एग्रीकल्चर लैंडलैस लेबर की बात की जाती है। दलित, हरिजन, आदिवासी, पिछड़े लोगों, हैंडीकैप्ड लोगों, महिलाओं की बात करते हैं। इनके लिए कई कार्यक्रम बने हैं लेकिन क्या इन लोगों की समस्या का हल निकला है? हमारे वित्त मंत्री ने बजट एप्रोच पेपर में सभी पहलुओं पर ध्यान देने की कोशिश की है। जहां तक हो सका है, अच्छा बजट रखने की कोशिश की है। आज भी छत्तीसगढ़, संथाल परगना, छेटा नागपुर इलाकों में रीजनल इम्बैलेंस है। पश्चिमी उड़ीसा के कालाहांडी, फूलबनी, सोनपुर, नवापाड़ा आदि इलाकों में अकाल है। यह किस कारण से हो रहा है। वहां पर हज़ारों लोग भूख से तड़प कर मर रहे हैं। माताएं अपने बच्चों को क्यों बेच रही हैं? वहां पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, सिंचाई की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है? उन घाटियों से न जाने कितनी नदियां और नाले समुद्र में जाकर मिलते हैं लेकिन वहां की नदियों को बांधकर लोगों को पानी देने की व्यवस्था क्यों नहीं होती है। मानवाधिकार आयोग लिख रहा है। लोग सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को निर्देश दे रहे हैं फिर भी समस्या का हल नहीं हो रहा है। इन्दिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक, वी० पी० सिंह से चन्द्र शेखर तक सारे प्रधानमंत्री वहां जा चुके हैं और अब गुजराल साहब भी जाने वाले हैं। क्या प्रधानमंत्री के जाने से भी वहां के लिए कोई प्रोग्राम नहीं बन पा रहे हैं? वहां पर 1965-66 में अकाल पड़ा था जिसमें हजारों लोग मर गए थे। 1985 से लेकर 1990 तक पांच हजार लोग मर चुके हैं और आज भी वहां पर अकाल पड़ा हुआ है। वे लोग कीड़े-मकोड़े की तरह मर रहे हैं और गांव छोड़कर भाग रहे हैं। इन सवालों की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह सवाल हमारे देश में कब तक रहेगा। हम दुनिया के देशों की दौड़ में जाने के लिए उदारीकरण अपनाएंगे लेकिन बुनियादी आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं देंगे। हम यहां पर टेली-कम्युनिकेशन और टी० वी० की बात करते हैं। यहां संसद में क्या हो रहा है, गांव वालों को क्या पता? गहां पर अच्छाई-बुराई चल रही है लेकिन गांव में किन लोगों के पास टी० वी० है। वह तो शहरों तक ही सीमित है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जो बजट पेपर रखा है, वह पर्याप्त नहीं है। इसलिए दूसरे देश के साथ आगे बढ़ने से पहले अपने देश को मजबूत करना होगा। इस ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाने के लिए निवेदन करूंगा।

सभापति महोदय, जैसा कि मैंने बच्चों के बारे में कहा और अब नौजवानों के बारे में कहूंगा कि विदेश में बेकार नौजवान को 20-25 हजार रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलता है। हमारे देश में कम से कम एक हज़ार रुपया तो मिलना ही चाहिए। क्या वित्त मंत्री जी यह काम करेंगे? क्या हमारे नौजवान अन-प्रोडक्टिव रह जाएंगे? क्या हम उत्पादन नहीं करना चाहते हैं? मैं जब युवा मामलों का मंत्री था तो उस समय के वित्त मंत्री के सामने यह प्रोपोज़ल रखा था कि इस कार्यक्रम के नियोजन के लिए 1200 करोड़ रुपया चाहिए। वह पैसा उपलब्ध नहीं किया गया है। कभी 80 करोड़ रुपया दिया जाता है, कभी 100 करोड़ रुपया और कभी 125 करोड़ रुपया दिया जाता है। इस देश में हर पार्टी नौजवानों को इस्तेमाल करती है और हर समय नारा दिया जाता है कि नौजवानों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, देश बनाना पड़ेगा।

आज नौजवान निराश हैं जिनके सामने कोई भविष्य नहीं है। वह अपना देश कैसे बनाएंगे? इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि इस देश के हर बेरोज़गार नौजवान को 1000 रुपए का भत्ता देने का काम करें, तब जाकर उदारीकरण का और विदेशी लोगों को बुलाने का अर्थ होगा। भारत के नौजवानों की तरफ से मैं निवेदन करता हूं, खास तौर से वित्त मंत्री जी से, कि नौजवानों को बेकारी भत्ता दें। उड़ीसा का जो पिछड़ा इलाका है, उस पर बहुत पोस्टमार्टम हो चुका है, उसके सवाल को हल करने के लिए कोई स्वतन्त्र योजना बनाकर काम करें। नरसिम्हाराव जी के समय में केवीके योजना बनी थी, वह भी बंद हो गई। कोई ऐसी योजना नहीं बन पा रही है और उसका हल नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका कहीं न कहीं तो अंत हो। कई लोग हमें कहते हैं कि आप गरीबी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, भुखमरी की बात नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि जब मैं करता था तब लोग मुझे कहते थे कि भारत की गरीबी को भक्त चरण दास बेच रहा है। जो लोग मेरे खिलाफ थे, जितनी पार्टियों के नेता लोग मेरे खिलाफ थे, आज वही गरीबी को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समस्या का हल ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम यहां जीतकर आते हैं लोगों की उम्मीदों को जगाने के लिए और अगर नहीं जगा पाते हैं तो हम लोगों के संसद में या विधान सभा में आने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए मैं आपकी तरफ से विनम्र निवेदन करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे।

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : माननीय सभापति महोदया, मैं वित्त विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यद्यपि इस सदन के दो तिहाई सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं, परंतु कुछ सदस्यों के सामने मजबूरी है कि वह अपने भाषण का पहला वाक्य और अंतिम वाक्य तो इसके समर्थन में कह रहे हैं पर भाषण के बीच में इसकी

आलोचना कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं और इस सरकार का विरोध कर रहे हैं। उनकी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ चूड़ियां पहने हुए हैं जिसके कारण उनको पहले और आखिरी वाक्य में समर्थन करना पड़ता है।

सभापति महोदया, बजट और वित्त विधेयक किसी देश का आर्थिक और सामाजिक दर्शन होता है। इस बजट और वित्त विधेयक के द्वारा पूरा विश्व देख रहा है कि आज भारत आर्थिक रूप में किस स्थान पर खड़ा है। वह किससे कर वसूल कर रहा है, वह कैसे वसूल कर रहा है, उसका प्रोसीजर क्या है और उसके बाद वह खर्च कहां कर रहा है। इन सारी परिस्थितियों में अगर हम वित्त विधेयक को देखें तो सिर शर्म से झुक जाता है। माननीय वित्त मंत्री जी का 28 तारीख का भाषण मैंने सुना। कल वित्त विधेयक पर भाषण सुना। इन दोनों भाषणों में उन्होंने पहले 22 जुलाई, 1996 को जो वक्तव्य दिया था उसमें उन्होंने यह कहा था कि हम सरकार बनाने में सक्षम हैं, जिसमें उन्होंने अपने हाथ से अपनी पीठ ठोंकने का काम किया था। मैं कहता हूं कि 28 फरवरी का भाषण देने के बाद वह इस पद से हट गए और हटने के बाद वह रूठे हुए तीतर की भांति मान-मनौवल कराने के बाद और मान-मनौवल के बाद भी नखरे के बाद इस पद पर फिर आए। इस पद आने के बाद उन्होंने एक बात अपने भाषण में 28 फरवरी को कही थी कि मैंने सारे वायदे पूरे कर दिए हैं सिर्फ एक वायदा पूरा नहीं कर पाया, मेरा मानना है कि उन्होंने कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। वायदे भाषणों से पूरे नहीं होते हैं। वायदे बातों से पूरे नहीं होते हैं, वायदे कागज के ऊपर लिखने से पूरे नहीं होते, कागज़ पर निर्देश कर देने से पूरे नहीं होते।

वादे पूरे करने के लिए हमको आम जनता तक जाना पड़ेगा। आज वास्तव में जो योजनाएं हैं, जो विधेयक है, जो बजट है वह जनता तक कितना पहुंच रहा है और शायद वह जनता तक आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कॉमन मिनीमम प्रोग्राम में इन्होने तीन वादे बड़े जोरदार ढंग से किए थे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। मूल्यों में स्थिरता का वादा किया था, लेकिन मूल्यों में स्थिरता नहीं है। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का वादा किया था, वह भी पूरा नहीं हुआ और इस वित्त विधेयक में उन्होंने वादा किया था लेकिन बिल्कुल उसके उल्टी कार्रवाई की है। इस तरह से उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया और वादों के विषय में मैं क्या कहूं। वादों के विषय में मैं इतना ही कह सकता हूं कि वह वादा ही क्या जो वफा बन जाए। अब इनके कोई भी वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। हम तो यह कहेंगे कि संयुक्त मोर्चा सरकार ने जो इस समय एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया है और कस्टम ड्यूटी को कम किया है वह सब बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दवाब में किया है। विश्व व्यापार संगठन, गैट, डंकल, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इनके दवाब में इन्होंने यह वित्त विधेयक और बजट बनाया है और इसलिए यह भारत के विपरीत जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस समय हमारे वित्त राज्य मंत्री जी बैठे हैं, वह भी कुछ उंघाये हुए मालूम पड़ रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री जी कहीं चले गये हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने सर्विस टैक्स लगाया है वह टैक्स आपने सड़क परिवहन पर लगाया है। रेल परिवहन पर क्यों नहीं लगाया है। 40 से 45 परसेंट माल रेलों से ढोया जा रहा है। आज एक ही व्यापार करने वालों, प्रतिस्पर्धा करने वालों पर आप सर्विस टैक्स लगा रहे हैं। आपने एक बात कही थी कि हम भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ प्रशासन देंगे। क्या यही स्वच्छ प्रशासन का रूप है। पूरे देश में 30 लाख ट्रक चल रहे हैं, जिनमें 93 परसेंट ट्रक्स सिंगल ऑपरेटिड हैं। उनके पास कार्यालय नहीं है, वे घरों में बैठे हुए हैं। 20 परसेंट ट्रक ओनर स्वयं ड्राइवर हैं और आप उन पर सर्विस चार्ज लगा रहे हैं। वे कहां से देंगे, किस तरह से इसको देंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा। एक्साइज का डिपार्टमेंट तो वसूलयाबी का गट्ठा है। अब वह एक्साइड डिपार्टमेंट 30 लाख ऑपरेटरों के घरों पर जाएगा। क्या ऐसे ही इस देश से इंस्पेक्टर राज खत्म होगा? यही नहीं आपने पंडाल और शामियानों पर टैक्स लगा दिया है। आजकल सम्पन्न परिवारों के लोग अपनी लड़की की शादी फाइव स्टार होटलों से कर रहे हैं। 80 परसेंट किसाना गांवों में रहते हैं और गांवों में झोपड़ियां हैं। उनके यहां ब्याह, शादियों में शामियाने और पंडाल लगते हैं और उनके ऊपर आप पांच परसेंट सर्विस चार्ज लगा रहे हैं। दस परसेंट तो आप यहां शहरों में देखते होंगे, जहां बड़े-बड़े पंडाल बनते है। जरा गांवों में जाकर देखिए, जो झोंपड़ी में रहते हैं उनकी ब्याह, शादियों में पंडाल होता है। जब यह नश्वर शरीर छूट जाता है, तब उठावनी, तेरहवीं पंडाल के नीचे होती है और आप उस पर सर्विस चार्ज लगा रहे हैं। अभी आपने बहुत बड़ा धोखा दिया है। सारे ऑपरेटरों ने हड़ताल कर दी थी, आपने उनको भी धोखा दे दिया। आपने उनके साथ कम्प्रोमाइज किया कि हम आपसे वसूल नहीं करेंगे। तो फिर क्या आप व्यापारियों से वसूल करेंगे, क्या फिर आप किसानों से वसूल करेंगे। जो अपना उत्पादन बाजारों में ट्रकों के द्वारा ला रहे हैं, आखिर आप किससे वसूल करेंगे। अभी आपने यह तो कह दिया कि हम इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि जो सर्विस चार्ज आपने सड़क परिवहन, पंडाल, शामियाने आदि पर लगाया है इसको आप समाप्त करें। इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपने यह कहा कि नियमावली पर विचार करेंगे। इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है, आप इसे विदड्रा कर लें।

आपने आयकर में छोटे व्यापारियों को लिया है। आपने कहा कि जिनकी सेल 40 लाख तक है वे पांच परसेंट दे दें। पांच परसेंट मुनाफा जोड़कर हम उस पर कर लें। इसके मायने यह हुए कि पांच परसेंट आप नैट प्रॉफिट जोड़ रहे हैं। क्या आप उन्हें पांच परसेंट प्रॉफिट दे रहे हैं। पी॰ डी॰ एस॰ का माल आप बांट रहे हैं, वह किस रेट में आप बांट रहे हैं। दुकानदार, रिटेलर को आप गेहूं 447.50 का दे रहे हैं और 450 रुपए का बेच रहे हैं। यानी ढाई रुपया क्विंटल बना। आप चावल 595.50 का दे रहे हैं और 600 रुपए में बेच रहे हैं। आप चीनी 1048 रुपए दे रहे हैं और 1050 रुपए में बेच रहे हैं। मिट्टी का तेल आप 2.76 रुपए प्रति लीटर दे रहे हैं और 2.80 रुपए बिकवा रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि 40 लाख की सेल हो जाएगी तो पांच परसेंट का मुनाफा मान लेंगे।

5 परसेंट मुनाफे को आप नैट प्रौफिट मान रहे हैं, जबकि इसमें व्यापारी का भाड़ा लगेगा, दुकान का किराया लगेगा, यदि वह मजदूर

[श्री श्याम बिहारी मिश्र]

रखेगा तो उसे मिनिमम वेजेज एक्ट के अंतर्गत वेतन देगा, पूंजी पर ब्याज देगा, दौड़-धूप सहन करेगा लेकिन आप 5 परसेंट मुनाफे को नैट प्रौफिट मान रहे हैं। मैं इसे व्यापारियों पर अत्याचार मानता हूं क्योंकि जो लोग आज गांवों में बैठे हैं, छोटी दुकान हैं, उनकी स्थिति पर आपने कोई ध्यान नहीं दिया। आप बताइए कि इंडियन ऑयल कितना मुनाफा दे रहा है—सिर्फ 8 पैसे लीटर लेकिन दूसरी तरफ गांवों में जहां पैट्रोल पम्प नहीं हैं, वहां आपने आउटलैट बनाए हैं, छोटी दुकानें खोली हैं, उन्हें सवा आठ रुपए पर 25 पैसे लीटर मुनाफा मिल रहा है।

क्या आपने कभी यह देखने की कोशिश की कि इस व्यवस्था से भ्रष्टाचार कितना बढ़ेगा? यदि किसी की आमदनी 5 लाख है, 10 लाख है या 15 लाख रुपए है, इसका निर्धारण कौन करेगा। इसका निर्धारण करने के लिए आपका आयकर अधिकारी व्यापारी के घर आएगा, जिससे भ्रष्टाचार पनपेगा। क्या आपने कभी यह देखने की कोशिश की कि आपका आयकर अधिकारी क्या कर रहा है। यदि आपके आयकर अधिकारी के पास एक व्यापारी जाता है तो वह समझता है कि कोई डाकू आ गया-आज यह स्थिति है। तभी उसके सामने कोई नहीं जाता। आपके इन्फोर्समैंट विभाग की तरफ से जितने छापे पड़ते हैं, क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि उनमें मारपीट की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं। इन सभी बिन्दुओं पर सोचने की आवश्यकता है और भ्रष्टाचार को खत्म करना भी जरूरी है।

आप वस्तुओं के रिटेल मूल्य पर भी एक्साइज लगा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि रिटेल मूल्य पर एक्साइज कैसे लग सकती है, क्योंकि एक तरफ उसे भाड़ा सहन करना पड़ेगा, दौड़-धूप करनी पड़ेगी, दूसरे खर्चे होंगे लेकिन आप एक्साइज का स्ट्रक्चर बदले दे रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि उत्पादन मूल्य पर आप एक्साइज लगाएं लेकिन रिटेल प्राइस पर न लगाएं। अनेक चीजों पर आपने एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। मेरे क्षेत्र में आलू बहुतायत में पैदा होता है लेकिन आलू खेतों में सड़ रहा है। बाजार में आलू तीन रुपए किलो बिक रहा है। उसकी कीमत दिलाने के लिए आपने कुछ शियाधारी उद्योगों की योजना बनाई थी लेकिन दूसरी तरफ एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस बिन्दु पर आप फिर से विचार करें।

स्वेच्छा से काले धन को सफेद करने की योजना आपने बनाई है। मेरा अनुरोध है कि इसके अंतर्गत आपको जो धन मिले, उसे आप गांवों में पीने का पानी उपलब्ध कराने में खर्च करें। वैसे तो हम आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं लेकिन हमारे अनेकों गांवों में आज भी लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। मेरे इलाके में पिछले वर्ष तीन व्यक्तियों की मृत्यु इस कारण हो गई क्योंकि उन्होंने गंदा पानी पी लिया था, उनके गांव में पीने का स्वच्छ पानी नहीं था। आज भी अनेक ब्लाकों में दूर-दूर तक पीने का पानी नहीं है। पिछली मर्तबा आपने धर्मयुग और साप्ताहिक हिन्दुस्तान में कुछ बहनों को एक घड़ा सिर पर, एक घड़ा इस बगल में और एक घड़ा लटका कर ले जाते देखा होगा-यह सीन मेरे क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि काले धन को सफेद करने की योजना के अंतर्गत आपको जो धन मिले, उसे आप पीने का पानी उपलब्ध कराने की स्कीमों पर खर्च करें, गांवों में शिक्षा के प्रसार पर खर्च करें, गांवों में स्वास्थ्य सुधार के लिए खर्च करें, सड़कें बनाने पर खर्च करें।

सुनिश्चित रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना तथा निर्बल वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत आप आवास लोगों को दे रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया था कि योजनाएं सिर्फ कागजों के आधार पर नहीं चलती, सिर्फ निर्देश देने से इम्पलीमेंट नहीं होतीं, उन पर सही तरीके से अमल करने की आवश्यकता है क्योंकि आज लगभग सभी स्कीमों के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। हमें इस दुरुपयोग को रोकना होगा। शायद आपको पता नहीं है कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत किसी से दो हजार रुपए, किसी से तीन हजार रुपए, किसी से पांच हजार रुपए लेकर आवास आबंटित किए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरफ आप ध्यान दें।

वैसे तो मेरे पास अनेक बिन्दु थे जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता था परन्तु समय की कमी को देखते हुए, फिर से अनुरोध करूंगा कि सभी योजनाओं पर सही तरीके से अमल किया जाए ताकि लोगों की गरीबी दूर हो सके, बेरोजगारी दूर हो सके। आप गरीबों के हित में योजनाएं बनाइए, बेरोजगारी दूर करने के लिए योजनाएं बनाइए। आज गरीब पिस रहा है। वैसे तो आप गरीबों की बात करते हैं, शोषित समाज की बात करते हैं परन्तु इस वित्त विधेयक में उनके लिए क्या योजना है, कौन सी योजना आपने शामिल की है-उनके लिए कुछ नहीं है। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध कर रहा हूं और आपसे अपेक्षा करूंगा कि सर्विस टैक्स को आप वापस लीजिए, आयकर पर पुनर्विचार करेंगे और इस देश को स्वच्छ प्रशासन, भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन देंगे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ (कोल्हापुर) : सभापति महोदया, मैं वित्त विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं जिसे माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है। संसद में उनके द्वारा वित्त विधेयक को प्रस्तुत किए जाने के बाद कई राजनीतिक परिवर्तन आ चुके हैं। हम कई अनिश्चितताओं का सामना कर चुके हैं। एक समय हम लोग डरे हुए थे कि संसद भंग हो जाएगा और हमें हमारे निर्वाचन क्षेत्रों को वापस चले जाना होगा। परन्तु सौभाग्यवश मतभेदों को दूर किया गया और दो महीनों के अंतराल के पश्चात् अब माननीय श्री चिदम्बरम्, केन्द्रीय वित्त मंत्री जिन्होंने इस बजट को प्रस्तुत किया था, अपनी जिम्मेदारी फिर से सम्भाल ली है।

यह एक अद्वितीय बजट है और पहली बार उन्हें प्रत्येक वर्ग—उद्योगपति, व्यवसायी, विद्वत्जन, परामर्शकों और गृहिणियों से भी—बधाइयां मिल रही हैं। सभी वर्गों से इस प्रकार की सर्वसम्मत प्रशंसा पाना असाधारण बात है।

हमारे कई साथी बजट और वित्त विधेयक के बारे में बोल चुके हैं। परन्तु मैं मात्र एक पक्ष पर बोलना चाहूंगा जो कि बजट में उपेक्षित प्रतीत होता है, जो लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा उठाई जा रही विभिन्न कठिनाइयां और समस्याएं हैं।

श्री आबिद हुसैन की अध्यक्षता में पूर्व सरकार द्वारा लघु उद्यमों पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। सरकार को उनकी रिपोर्ट जनवरी, 1997 माह में सौंपी गई है। हम सभी, जो हमारे देश में लघु उद्योगों की वृद्धि के बारे में चिन्तित है, उक्त समिति की सिफारिशों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर एक व्यापक वक्तव्य की अपेक्षा कर रहे थे। हम लोग यह भी अपेक्षा कर रहे थे कि समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा और उक्त समिति की सिफारिशों पर देश में एक आम चर्चा होगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एक दिन समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने लघु उद्योग इकाइयों में निवेश की सीमा को 60 लाख रुपए से 3 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया था। सरकार नें गैर लघु उद्योग इकाइयों/संगठित क्षेत्र द्वारा आरक्षित वस्तुओं के उत्पादन के लिए निर्यात बाध्यता 75 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत करने का भी निर्णय लिया था। इस निर्णय के लिए सरकार के इस तर्क का मुख्य जोर इस बात पर था कि लघु उद्योग क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय उन्नतिकरण केवल निवेश सीमा को बढ़ाने से ही सम्भव हो पाएगा। तथापि सरकार ने अन्य तथ्यों की ओर बड़ी सहजता से आंख मूंद ली है।

सबसे पहले निवेश की सीमा में वृद्धि से मध्यम दर्जे की इकाइयां लघु इकाइयां बन गई हैं। मध्यम दर्जे की इकाइयां अब लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं का निर्माण करने लगेंगी। दूसरी बात लघु इकाइयां बनने के बाद अब मध्यम दर्जे की इकाइयां प्राथमिकता क्षेत्र उधार के लिए पात्र हो जाएगी। आजकल लगभग 95 प्रतिशत लघु इकाइयां संयंत्र और मशीनरी में 5 लाख रुपए और उससे कम, जिन्हें लघुतम इकाइयां कहते हैं, का निवेश किया हुआ है। उपरोक्त उपायों के परिणामस्वरूप जो होगा वह यह कि बड़ी इकाइयों को आरक्षित वस्तुएं बनाने के द्वारा लाभ होगा और ऐसी इकाइयां प्राथमिकता क्षेत्र उधार के बड़े भाग पर अपना अधिकार जमा लेंगी और लघु और लघुतम इकाइयां निधियों की कमी के कारण रुग्ण हो जाएंगी।

पहले ही लघु उद्योग और लघुतम इकाइयों को मिलने वाला उधार नायक समिति की आवश्यक शर्त के विपरीत अत्यधिक कम है जिसकी रिपोर्ट को भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकार किया गया था। समिति ने सिफारिश की थी कि 20 प्रतिशत किए गए व्यापार के आधार पर लघु और लघुतम क्षेत्र को उधार दिया जाना चाहिए। जबकि आजकल लघुतम क्षेत्र को मात्र 2.7 प्रतिशत उधार और लघु उद्योग क्षेत्र को मात्र 8.1 प्रतिशत उधार दिया जाता है।

मैं जोर देकर यह बात कहता हूं कि प्राथमिकता क्षेत्र को उधार दिया जाना पूरी तरह से लघुतम क्षेत्र की दिशा में होना चाहिए और सहयोगी प्रत्याभूति पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए जिसकी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा हमेशा मांग की जाती है। सरकार द्वारा लोक सभा में जुलाई 1991 में इस सम्बन्ध में दिए गए वचन के बावजूद भी लघुतम क्षेत्र नीति लम्बित रही है। यह घोषणा बिना किसी देरी से की जानी चाहिए।

शुरुआत में, गैर लघु उद्योग इकाइयों को 90 प्रतिशत निर्यात के लिए अलग रखना पड़ता था जिसे बाद में 75 प्रतिशत किया गया था और अब इसे 50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। यह निर्णय मध्यम और भारी-भरकम इकाइयों को लघु उद्योग क्षेत्र में पीछे से प्रवेश करने की राह को खोलने की सुविधा प्रदान करता है। अब गैर लघु उद्योग इकाइयां शेष 50 प्रतिशत उत्पाद को घरेलू बाजार में बेच सकती है जिसके कारण लघु और लघुतम इकाइयों की प्रतियोगी क्षमताओं को क्षीण करेगी क्योंकि यह इकाइयां मामूली संसाधनों के साथ कार्य-संचालन कर रही है जिसके परिणामस्वरूप वे परिदृश्य से बाहर हो रहे हैं।

मैं कह सकता हूं आरक्षण नीति केवल आरक्षण के उपाय के रूप में नहीं बनाई गई थी परन्तु अन्य बातों के लिए भी जैसे रोजगार अवसरों को उपलब्ध करना, पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों का विकास स्थानीय कच्ची सामग्री के उपयोग को मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए बनाई गई थी। लघु और लघुतम इकाइयां इस समय 8000 वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। जबकि आरक्षण सूची में हैं 836 वस्तुएं हैं, अर्थात् आरक्षण नीति लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादित होने वाली 10 प्रतिशत वस्तुओं को ही कार्य क्षेत्र में लाती है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि सरकार की औद्योगिक नीतियों के एक घटक के रूप में आरक्षण नीति होनी चाहिए और आरक्षण को हटाया नहीं जाना चाहिए।

इस समय सरकार द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र में निवेश की सीमा को बढ़ाकर और गैर लघु उद्योग इकाइयों के लिए निर्यात बाध्यता को कम करके सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण को हटाया गया है। छठी लोक सभा की 20ए रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि सरकार को इस समय लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्रों को खोले जाने के लिए डाले जाने वाले दबाव का विरोध करना चाहिए। इसमें यह भी उल्लिखित है कि ऐसी इकाइयों को पूरी तरह बाहर करना जो लघु उद्योग क्षेत्र में अनियमित उपायों के माध्यम से प्रवेश किया था सहित दाण्डिक उपायों को सीधे तौर पर प्रवर्तित करना चाहिए।

आरक्षण को हटाए जाने के बारे में सरकार ने अत्यधिक जल्दबाजी में 14 उद्योगों की सूची की घोषणा की थी जिन्हें लघु क्षेत्र उद्योगों के आरक्षण में से हटाया जा चुका है। इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री द्वारा घोषणा की गई थी और 1 अप्रैल को अधिसूचना जारी की गई थी, दूसरे दिन कांग्रेस (आई) ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। मैं नहीं जानता कि संसद द्वारा प्रस्ताव को पारित किए जाने के पूर्व ही इस सुझाव को क्रियान्वित करने की इतनी जल्दी क्यों थी। अभी भी संसद ने इस आरक्षण हटाने की योजना को अपनी स्वीकृति नहीं दी है।

लघु उद्योग क्षेत्र के निवेश को बढ़ाने के दिए गए तर्कों में एक यह था कि रुपए की मूल्य लागत में मुद्रास्फीति और अवमूल्यन द्वारा बढ़ोतरी होना। इसी प्रकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को लगाए जाने की छूट की सीमा को भी बढ़ाया पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए था।

पिछले कुछ वर्षों से मुद्रास्फीति और कई गुणा लागत वृद्धि के बावजूद केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाए जाने से आरम्भिक छूट 30 लाख रुपए ही है। सरकार आबिद हुसैन समिति की सिफारिशों को स्वीकारने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि इसे बड़े पैमाने की इकाइयों के दबाव के चलते बनाया गया और लघु उद्योग इकाइयों की निवेश सीमा तीन करोड़ रुपयों तक बढ़ाई गई। इसी प्रकार

[श्री उदयसिंह राव गायकवाड़]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की छूट 50 लाख रुपए तक नहीं बढ़ाई गई है।

आबिद हुसैन समिति ने कुल व्यापार सीमा 3 करोड़ रुपए की भी सिफारिश की थी। नामांकित वस्तुओं के लिए आबकारी शुल्क न लगाने को पुन: आरम्भ करने की भी सिफारिश की थी। दुर्भाग्यवश, इन सिफारिशों में से किसी को भी संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। इसके विपरीत एक तथाकथित सरल लघु उद्योग योजना की घोषणा की गई थी और सरकार के गिरने के बाद अत्यधिक जल्दबाजी में एक अधिसूचना 1 अप्रैल को जारी की गई थी। समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया था। लघु उद्योगों की शीर्षस्थ संस्था एफ॰ ए॰ एस॰ आई॰ आई॰ से संपर्क नहीं किया गया जब लघु उद्योग इकाइयों के लिए यह सारी प्रक्रिया की जा रही थी। मैं अभी भी महसूस करता हूं कि मुक्तभोगी ही रोगी की पीड़ा को समझ सकता है। इस शीर्षस्थ निकाय से इन मामलों पर परामर्श लिया जाना चाहिए था।

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए वित्त के संबंध में बैंकों द्वारा स्थिर ब्याज दरों की वर्तमान भारतीय रिजर्व बैंक की नीति के कारण दरें बहुत ऊंची हो गई हैं। बैंक वित्त या उस मामले के लिए एस॰ आई॰ डी॰ बी॰ आई वित्त 20 प्रतिशत से ज्यादा ब्याज दर पर उपलब्ध है। लघु उद्योग निधियों की इतनी ज्यादा लागत को उठा नहीं सकते। ब्याज की रियायती दर को प्रदान करने के लिए 2 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर कम से कम 10 लाख रुपए कर दी जानी चाहिए और बैंकों द्वारा ब्याज दर पर एक उच्चतम सीमा होनी चाहिए।

महोदया, यह बातें लघु उद्योग के बारे में भी और मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे द्वारा दिए गए परामर्शों पर विचार करेगी।

महोदया, मैं एक और तथ्य को उठाना चाहूंगा जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र और कोल्हापुर के छह जिलों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैं एक या दो मिनट में अपनी बात पूरी कर लूंगा। वहां छ: जिले हैं जो कि सांगली, संतारा, शोलापुर, कोल्हापुर, रत्नगिरि और सिन्धु दुर्गा यह सभी जिले कोल्हापुर में बम्बई उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना के लिए आन्दोलन चला रहे हैं। मैं सभा में कई बार इस प्रश्न को उठा चुका हूं। एक आश्वासन भी दिया गया था कि महाराष्ट्र सरकार हमें प्रस्ताव भेजती है तो केन्द्र सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी। वास्तव में कोल्हापुर एक ऐतिहासिक स्थान है। स्पष्टत: जब यह राज्य था तो हमारे पास एक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय भी था। इन न्यायालयों में लोकमान्य तिलक और गोखले जी जैसे व्यक्ति उपस्थित हुआ करते थे। सहज है कि लाखों मामले लम्बित होंगे। हमारे विधि मंत्री ने उस दिन यही परामर्श दिया था। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में भी कई मामले लंम्बित हैं। इसलिए हम कोल्हापुर में उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ की मांग कर रहे हैं। एक प्रतिनिधि मंडल पहले मंत्री से मिल चुका है जो गोवा के हैं।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत "बचदा" (अल्मोड़ा) : माननीय सभापति महोदया, मैं वित्त विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे मुख्य वक्ता तथा हमारे नेता डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी जी ने कल यहां पर अपने विचार व्यक्त किए थे और आज हमारे जिन वक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं, उनसे अपने आपको सम्बद्ध करते हुए विशेष रूप से कुछेक बिन्दुओं की ओर वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

हमारा जो उत्तरांचल क्षेत्र है, उसमें उद्योगों की बहुत ज्यादा कमी है। वहां पर मौजूदा समय में मैग्नेसाइट उद्योग था, पेपर का उद्योग था और औषिधि का उद्योग था, उन सब पर ऐक्साइज़ ड्यूटी में कमी के कारण और कस्टम ड्यूटी में वृद्धि के कारण विपरीत प्रभाव पड़ा है। वह कहीं पर भी मुकाबले में खड़े होने के लिए सक्षम नहीं हैं। आज वित्त विधेयक लेकर में इनकम टैक्स, ऐक्साइज़ और सर्विस टैक्स के नए आईटम जोड़े हैं। जहां एक ओर अपेक्षा की जा रही है कि गवर्नमेंट की ट्रैज़री में हमारा इतना राजस्व बढ़ने वाला है।

तो वहां जिस समय तक राजस्व घाटे पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा और सरकारी खर्च में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इस पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो इस सारे बजट की एक्सरसाइज का, सारे अभ्यास का कोई लाभ देश की जनता को मिलने वाला नहीं है। मेरा वित्त मंत्री जी से इस मामले में विनम्र अनुरोध होगा कि जो मैग्नेसाइट की इण्डस्ट्रीज आज पियौरागढ़ जिले में, मेरे संसदीय क्षेत्र में अल्मोड़ा मेग्नेसाइट बिल्कुल बन्दी के कगार पर है, क्योंकि विदेश से आने वाला मेग्नेसाइट सस्ता पड़ रहा है और इस बात का उल्लेख पहले भी कई बार इस माननीय सदन में करने के बावजूद इस दिशा में उम्मीद थी कि कोई प्रयास किया जाएगा, कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया है और नतीजा यह होने वाला है कि जो हमारा स्वदेशी उद्योग है, यहां पर जो लोगों को रोजगार मिला हुआ है, यह सारा कुछ ठप्प हो जाना है।

दूसरा विषय में लेना चाहता हूं। उत्तराखंड राज्य पर बहुत सारी बातें कह दी गईं और उत्तराखंड राज्य के लिए कल और परसों यहां पर फिर माननीय गृह मंत्री जी की ओर से आया कि इस सत्र में उसको लेकर के आने वाले नहीं हैं। लेकिन अभी उस पर जो प्रारम्भिक कार्यवाई है, मैं सदन को भी और सदन के माध्यम पूरे देश को यह अवगत कराना चाहता हूं, उसपर कोई कार्यवाई जो महामहिम राष्ट्रपति जी की सहमति ली जानी थी, वहां पर भी नहीं हुई है और हम लोग यह अच्छी तरह से जानते हैं कि मौजूदा सरकार उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य बनाने के प्रति कतई गम्भीर नहीं है और केवल वहां की जनता की भावनाओं के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। लेकिन यह सवाल यहीं पर समाप्त नहीं होता आपको एक राज्य बनाना है, राज्य कब बनाएंगे, लेकिन जब तक वह राज्य नहीं बनता, उस क्षेत्र की जनता की भी आर्थिक उन्नति का उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार के ऊपर रहता है। विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि पूर्व प्रधान मंत्री और वर्तमान प्रधान मंत्री जी ने बड़ी अच्छी घोषणाएं कीं, उनका हम स्वागत करते आए हैं, वे जम्मू-कश्मीर के लिए अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि वह अशान्त क्षेत्र रहा है। उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट के तमाम हमारे जो हिस्से हैं, जो प्रदेश हैं, जो राज्य हैं, उनके लिए स्पेशल पैकेजेज़ हुए हैं। क्या आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उत्तरांचल और उत्तराखंड क्षेत्र

में भी लोग उग्रवाद की ओर बढ़ें, अशान्त हों, क्योंकि आज तो क्राइटीरिया क्या बन गया है कि हम इस समय जो क्षेत्र आगे बढ़ गए हैं, जिनकी अपनी बड़ी अच्छी पर कैपिटा इन्कम जिन स्टेट्स की आ गई है, उनको अधिक सहायता दी जा रही है या जिनका थोड़ा सा उग्रवाद का और उसका सहारा लें तो वहां उनको पेसीफाई करने के लिए और उनको सांत्वना देने के लिए स्पेशल पैकेजेज़ दिए जाए या तीसरा तरीका है कि जिनका संसद के भीतर और सरकार के भीतर पोलिटिकल डोमिनेशन हो, उस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएं। क्या कारण है कि उत्तराखंड क्षेत्र के लिए, बल्कि इस सरकार के द्वारा यूनाइटिड फ्रंट गवर्नमेंट के द्वारा किसी प्रकार का कोई पैकेज कहीं पर घोषित नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में बहुत कुछ कहा गया, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सरकार चल रही है?

फिर बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ के बारे में उल्लेख में पढ़ रहा था कि उसको पुनर्गठित किया जाएगा, सी का एक्ट जो है, इसको संशोधित किया जाएगा और जितने क्षेत्र के जितने सारे उद्योग-धन्धे देश के भीतर रुग्ण घोषित किए जा रहे हैं, उनको बन्द किया जा रहा है तो उनके लिए एक सुधारात्मक उपाय होगा और उनको पुनर्जीवित करने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी। इस दिशा में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। केवल यह कि मल्टीनेशनल्स आएं, जितने हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है, उस पर बहुत अधिक जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे यहां पर सरस्वती वूलन मिल्स प्रा॰ लि॰ में एक एण्टरप्रिन्योर थे, मेरे अपने क्षेत्र में मेरे गृहनगर रानीखेत क्षेत्र में यह सोढ़ी वूलन मिल लगी और उसके जितने लूम्स थे, वह बड़े अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहे थे और केवल इतना हुआ कि बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ की नजर उसको लग गई और उसके दुष्चक्र में वह ऐसी फंसी कि आज वह फैक्टरी बन्द पड़ी है और उस पर्वतीय क्षेत्र की एकमात्र 50 लाख की पूंजी से लगने वाला पहला उद्योग था, जो पांच हजार फीट की ऊंचाई पर लगा था, लेकिन अफसोस है कि आज भी वित्त मंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करने के बावजूद कोई ध्यान देने के लिए यहां तक कि उन्होंने मिलने तक का समय, आज आठ महीने हो गए, कई पत्र लिख दिए, मिलने तक का कोई एपाइंटमेंट नहीं मिला है। यह किसी प्रकार का अन्य तरीके से लोकसभा में उठेगा, लेकिन इस प्रकार की प्रवृत्ति से कि केवल हम रेवेन्यू वसूल करके कुछ वर्गों को फैसिलिटीज़ देकर क्या हमारे कर्तव्य की इतिश्री हो जाएगी।

बड़ा अच्छा विषय आया था कि आज जो खाद्यान्न की परेशानी आ रही है, आपने कहा है कि हमने सामाजिक न्याय की बात हमने कही, क्या यह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही काम कर रहा है, इसमें हमारी अपनी आत्मा को टटोलने की आवश्यकता है। अगर आठ हजार करोड़ रुपए का, यह कहा गया कि हम इतन भार उठा रहे हैं, इतनी सब्सिडी हम उठा रहे हैं तो मिल कहां रही है। आज उत्तराखंड क्षेत्र में, अल्मोड़ा जिले में, पियौरागढ़ जिले में भी जो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र हैं, बोर्डर के जिले हैं, वहां पर 2-2, 1-1 किलो गेहूं, चावल कतई नहीं मिल रहा है।

यह मेरा सीधा आरोप है कि इस प्रकार की सब्सिडी की बात की गई है या इसमें यह कह दिया गया कि सुनिश्चित रोजगार योजना, एम्पलॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, इसमें हम गेहूं देंगे, चावल देंगे। मिड-डे मील्स में हम गेहूं, चावल राशन देंगे। क्यों नहीं इस बारे में विचार होता कि लोगों की परचेजिंग पॉवर बढ़ाई जाए? लोगों के लिए रोजगार जनरेशन क्यों नहीं किया जाता? गेहूं, चावल सब्सिडाइज्ड रेट पर जो उपलब्ध कराना है, वह गरीब को मिले। एक रेट होने चाहिए। आज चार-चार किस्म के रेट हैं। कालाबाजारी के अलावा अफसरशाही भी एक कारण है जिसके कारण हमारे क्षेत्र का विकास रुका हुआ है। जहां हम कहते हैं कि इसको हम तो राज्य का दर्जा दे रहे हैं या इसको हम राज्य बना देंगे। इतने से काम चलने वाला नहीं है।

आई॰ डी॰ पी॰ एल॰ का जो मसला यहां पर उठा था, जीवनदायिनी दवाएं बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। गुड़गांव, हैदराबाद तथा अन्य स्थानों की सारी पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स जिस हालत में हैं, आज मौजूदा सरकार उनकी ओर से आंखें फेरे हुई है। हमारे पर्वतीय क्षेत्र में भी उत्तराखंड क्षेत्र में चार हजार यूनिट्स इस पर काम कर रही थी और अक्टूबर से वे बंद पड़ी हैं। बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ ने उनको लागू करने के लिए अपनी सिफारिशें दी थीं कि इसके जरिए कोई लाभ मिले, परंतु इस बारे में सरकार की ओर से अभी तक कहीं कोई कार्यवाही नहीं की गई है। एक विषय महत्वपूर्ण है जिसको देखकर लगता था कि वनों के सरंक्षण के लिए कस्टम शुल्क से छूट दी जा रही है और लकड़ी की लुगदी जो बाहर से आएगी, उस पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। मैं पूछना चाहता हूं क्या जलाऊ लकड़ी पर्वतीय क्षेत्र में जलाने के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि आज सुप्रीमकोर्ट के फैसले के मुताबिक वन संरक्षण अधिनियम लागू होने के कारण विदेशों से आयात होकर जलाने की लकड़ी या इमारती लकड़ी क्या वास्तव में व्यावहारिक है? यह व्यावहारिक नहीं है। न तो व्यावहारिक लकड़ी आनी है, न जलाऊ लकड़ी आनी है। उसके लिए विशेष प्रयत्न करने होंगे।

शिक्षा के क्षेत्र में मेरा निवेदन है कि पूरे पर्वतीय क्षेत्र में साक्षरता की दर सौ प्रतिशत हो। उन लोगों की अपेक्षाएं भी ज्यादा हैं। लेकिन उनकी पर कैपिटा इन्कम पूरे भारतवर्ष में पर्वतीय क्षेत्र की जो पर कैपिटा इन्कम है, प्रति व्यक्ति आय है, यह बहुत ही न्यून है। उस समय पर ड्राइव चली थी कि हम आपको गेहूं, चावल उपलब्ध कराएंगे। जितना वहां पर खाद्यान्न का अभाव हो रहा है, उसको पूरा करने के लिए स्पेशल पैकेज के रूप में वहां खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। वहां पर भुखमरी की स्थिति यदि होगी तो उसके लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार होगी। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा पैकेज कश्मीर तथा नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के लिए दिया गया है, उनका स्वागत होना चाहिए। पूरे देश ने स्वागत किया था। लेकिन उत्तरांचल क्षेत्र के लिए एक नया पैसा नहीं दिया गया है। केवल 225 करोड़ रुपए पंचवर्षीय योजना का है, केन्द्रीय सहायता के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया है। यहां पर वित्त मंत्री जी को प्रावधान करना चाहिए। वहां पेयजल, सड़क तथा बिजली की समुचित व्यवस्था की जाए और उसे देश की मुख्यधारा से जोड़ा जाए ताकि राष्ट्र की एकता और अखंडता पर आंच न आए। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि उत्तराखंड क्षेत्र के लोग स्वाभिमानी भी हैं और संविधान के प्रति पूरी आस्था रखते हैं। आने वाले भविष्य में भी पूरे धैर्य के साथ इंतजार करेंगे। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार

[श्री बची सिंह रावत 'बाचदा']

इस पर रैस्पोंड करें, इसमें अपनी ओर से कोई पहल करे। जो छलावा उत्तराखंड राज्य का सरकार ने किया है, वह बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। इसी के साथ ही मैं वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्त विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन (मवेलीकारा) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठा रहा हूं जो केरल के उन सीमांत रबड़ उत्पादकों के लिए बहुत महत्व का है, जो लेटेक्स नामक ऐसा उत्पाद तैयार करते हैं जो लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित रबड़ फोम बनाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। लेकिन दुर्भाग्य से इस समय अनेक लघु उद्योगों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है और वे लगभग समाप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं क्योंकि पिछले पांच वर्षों में पोलियोनिथेन नामक पदार्थ, पर आयात शुल्क को 85 प्रतिशत से कम करके 30 प्रतिशत कर दिया गया है।

इस वर्ष भी दस प्रतिशत शुल्क कम कर दिया गया है। चूंकि इसमें कच्चे माल पर आयात शुल्क को कम कर दिया गया है इसलिए कृत्रिम फोम सस्ती दरों पर मिल जाती है। अतः प्राकृतिक रबड़ से निर्मित रबड़ फोम उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। इस कारण ऐसी बहुत सी लघु इकाइयां बंद हो गई हैं।

महोदया, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं। इसलिए आज लघु उत्पादकों द्वारा उत्पादित रबड़ के दूध के खरीददार ही नहीं हैं। इसे गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। अतः मैं भारत सरकार से केवल यह कह रहा हूं कि यदि वे कच्चे माल पर, जिसका उल्लेख मैंने अभी किया है, आयात शुल्क में वृद्धि नहीं कर सकते तो कम से कम उन उत्पादों पर उत्पाद-शुल्क कम कर दें जो कि प्राकृतिक रबड़ से बनाए जाते हैं ताकि छोटे उत्पादकों और लघु उद्योगों को बचाया जा सके। मैं वित्त राज्य मंत्री से अनुरोध कर रहा हूं क्योंकि माननीय वित्त मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं। आज सुबह भी मैंने यह मुद्दा शून्यकाल के दौरान उठाया था। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस बात को वित्त मंत्री तक पहुंचा दें। मैं केवल इन उत्पादकों तथा लघु उद्योगों के हित के लिए कह रहा हूं। मैं दूसरों के लिए प्रचार नहीं कर रहा हूं। कल वित्त मंत्री ने इस प्रकार की टिप्पणी करते हुए कहा था कि मैं दूसरों के लिए प्रचार कर रहा हूं। वास्तव में सरकार द्वारा लिया गया निर्णय बड़े-बड़े उद्योगों की मदद कर रहा है। जो कुछ मैं कह रहा हूं, यदि उसे कार्यान्वित किया जाता है तो उससे लघु उद्योगों की और उत्पादकों को सहायता मिलेगी। मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि मैं शेष बातें व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण देते हुए कहूंगा। मुझे कल व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण देना है। मैं बाकी बातों का उल्लेख उस समय करूंगा।

तत्पश्चात् मैं केवल दो वाक्य और बोलना चाहूंगा। इसके बाद, मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। एक तो यह है कि बजट में ईमानदार कर दाताओं और बेईमान व्यक्तियों को एक स्तर पर रखने की विचारधारा सही नहीं है। बेईमान व्यक्तियों पर जिनके पास काला धन है धन रखने के एवज में जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

मेरी दूसरी बात यह है कि जैसा कि मेरे मित्र ने पहले ही कहा है कि लघु उद्योग हमारे देश की रीढ़ है। देश में कुल उत्पादन का चालीस प्रतिशत लघु उद्योगों द्वारा किया जाता है। कृपया आरक्षण समाप्त करने की नीति को जारी मत रखिए। लघु उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं। मुझे बोलने का मौका देने के लिए आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार खण्डेलवाल (बेतुल) : माननीय सभापति महोदया, मैं इस विधेयक के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह जो विधेयक है यह सस्ती वाहवाही लूटने वाला बजट है। जिस दिन बजट घोषित किया गया उस दिन कुछ लोगों ने जरूर शाम को अपनी गणना की, टैक्स की कुछ छूट मिल गई। उन्होंने वाहवाही की। कुछ लोगों को लगा कि टी॰ वी॰, रेफ्रीजरेटर के दाम कम हो गए हैं, इसलिए भी वाहवाही की। उद्योग और व्यापारिक क्षेत्र ने जो चाहा वह भी उनको मिल गया और जो नहीं मिला वह भी स्वीकार कर लिया गया। मैं उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सबसे ठोस उदाहरण है कि संपूर्ण पूंजी खाते की संपूर्ण प्रर्वतना के लिए कनवर्टीबिल्टी जो बनी इसके लिए गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी कि आने वाले समय में हम इसके ऊपर भी विचार कर लेंगे। ऐसे कुछ लोगों को सुविधा दी गई। परन्तु वास्तव में इस बजट की जिनको भनक पड़नी चाहिए उनको क्या मिला। आज खाने-पीने की चीजें नहीं मिलती हैं। गांवों में पीने का पानी नहीं है, दवाइयां नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, लोगों को रोजगार नहीं है, ये सारी चीजें नहीं हैं। ऐसे लोगों के लिए इस बजट की सार्थकता तब होती जब उन्हें इसका कोई लाभ मिलता और ऐसे लोग इस देश में रहने वाले 80 प्रतिशत हैं। यह बजट अगर किसी के लिए घोषित किया गया है तो ये चंद लोग उद्योग और व्यापारिक क्षेत्र के लोग हैं जिनको सुविधाएं देने के लिए कोशिश की गई है, ऐसे मुश्किल से 15-20 करोड़ लोगों के लिए ही यह बजट है।

पर 80 करोड़ लोगों के लिए जिनको सुविधाओं की जरूरत है उनके लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हालत इतनी खराब है कि इस देश के अंदर 16 प्रतिशत आबादी तीन रुपया प्रतिदिन कमाती है, 18 प्रतिशत आबादी 5 रुपया प्रतिदिन कमाती है और 39 प्रतिशत आबादी 2444 रुपया प्रतिवर्ष यानि सात रुपया प्रतिदिन कमाती है। 73 प्रतिशत आबादी इस देश की जो सात रुपया से नीचे कमाती है, मैं यह बात कहूं तो आप गलत मानिए, कोई विदेशी तंत्र कहे तो मत मानिए, लेकिन ये नेशनल काऊंसिल ऑफ एलाइड रिसर्च द्वारा कराए गए सर्वेक्षण का एक नमूना है। अब कोई दूसरी एजेंसी कहे तो मत मानिए लेकिन यह बात सच है। आज रुपए का जो भाग गांव में जाता है वह दलालों और दूसरे लोगों के माध्यम से जाता है और उसमें से बड़ा भाग उस गांव के गरीब तक नहीं पहुंच पाता है। आप राजस्व कर को देखें इस बजट में, तो पूंजीगत

कर से चार गुना ज्यादा का प्रस्ताव आया है। इस बजट के कुछ प्रावधानों की तरफ अगर आपका ध्यान आकर्षित करूं तो आपको लगेगा कि बजट के जो सारे प्रावधान हैं वे झूठी घोषणाएं हैं। एक घोषणा में बताना चाहता हूं। गांव के लिए एक प्रावधान किया गया है कि दो लाख तक का मकान बनाने के लिए हम गरीब आदमी की मदद करेंगे। जो व्यक्ति गांव में दो लाख रुपए का मकान बनाने की बात करता है उसकी खुद की जमीन रहेगी और उसको मकान की गांव में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मकान बनेगा कुछ साहूकारों का, कुछ पूंजीपतियों का, कुछ ठेकेदारों का। उस गांव वाले को जो मकान चाहिए वह मकान उसे नहीं मिलेगा।

इस देश के 32-33 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। दो लाख मकानों की बात करके हमारे वित्त मंत्री जी बताना चाहते हैं कि हम उनको सुविधा प्रदान करना चाहते हैं। बजट में यह प्रावधान किया गया है कि हम लोगों को सस्ते मूल्य पर गल्ला देंगे और उसके लिए सब्सिडी देंगे। वह दस किलो गल्ला गरीबी रेखाा से नीचे रहने वाले लोगों को प्राप्त हो सकेगा। यह घोषणा की झूठी प्रतीत होती है। वास्तव में जिन लोगों को गल्ला चाहिए उनको गल्ला नहीं मिलता है। उन लोगों की परचेजिंग पॉवर नहीं है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र का इस बारे में उदाहरण देना चाहता हूं। जो सरकारी आंकड़े बताते हैं उसके हिसाब से डेढ़ लाख लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। एक गांव है चांदू और पलसिया, जहां लोग भमोड़ी और चिरोटे की सब्जी खाकर जीवन-यापन करते हैं। उनका कहना है कि गल्ला जो दुकानों पर आता है उसको खरीदने की उनकी कैपेसिटी नहीं है। हमारे पास काम नहीं है, पैसा नहीं है इसलिए हमें सस्ता गल्ला दिलाने के बजाए हमें आप काम दिलाइए। वहां पर जो पानी व प्रदूषण की समस्या है उससे पिछले साल डेढ़ सौ आदमी मरे है तथा उससे पहले साल भी आदमी मरे हैं। जब गल्ला खरीदने के लिए क्रय शक्ति नहीं होगी तो गल्ला पहुंचाने पर हालत क्या होगी। जब वहां पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करते हैं तो हम तो कहते हैं कि वहां पर शक्कर मत दीजिए, हमें तो काम दीजिए जिससे हम बाजार से गल्ला खरीद सकें। दुकानें हमें बंद मिलती हैं, पैसा हमारे पास है नहीं और दुकानों का सारा माल बालाबाजार में चला जाता है तो ये जो दस किलो गल्ला मिलेगा यह वहां पहुंचेगा नहीं। आज की तारीख में बात करें कि बाजार के रेट के अंदर सरकार ने घोषणा की कि 10 रुपए के आधे रेट पर हम गल्ला देंगे। गल्ले के दाम उस समय अगर मिलते जिस समय घोषणा की गई थी तो उस समय 6 रुपए गल्ला था तो 3 रुपए के भाव मिलते। अभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो गल्ला पहुंचने वाला है वह 760 रुपए का गेहूं पहुंचने वाला है।

अपराह्न 9.00 बजे

इसमें खर्चे लगा कर 800 रुपए के ऊपर हो जाएंगे। अगर 400 के भाव गल्ला देंगे तो हम कहते हैं कि हमें गल्ला न देते, काम दे देते, 40 रुपए मजदूरी मिल जाए तो हम बाजार से ज्वार और मक्का खरीद लेंगे। क्या इसलिए यह योजना है? यह धोखेधड़ी की योजना है। इसके द्वारा जिस को जरूरत है, उसको चीज नहीं मिलेगी और सारा माल कालाबाजारी में जाएगा। इसलिए रोज़गार ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। मजबूरी में कही गई ये विकास की बातें हैं। विकासमूलक और आधारभूत संरचनाओं में भारी कटौती की गई है जिससे विकास योजनाएं सीधे प्रभावित होती हैं। जिन क्षेत्रों में कटौती की गई है, मैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। पशुपालन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, ग्रामीण विकास, उर्वरक, नागर विमानन, औद्योगिक विकास, भारी उद्योग, पैट्रोलियम, वस्त्र उद्योग और परमाणु ऊर्जा जैसे विभाग हैं। यही नहीं राज्य सरकार को दी जाने वाली सहायता में भी 1397 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। पशुपालन विभाग में 1996-97 के बजट से इस साल 60 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। जल संसाधन मंत्रालय में 925 करोड़ की गई है। आज लोग कहते हैं कि हमें खेती के लिए पानी मिल जाए। पांच एकड़ जमीन वाला कहता है कि हम पानी ले लेंगे। लोगों को सुविधाओं की जरूरत नहीं है। हम सबसिडी की भी बात नहीं करते। हमारे प्रदेश में बिजली पर सबसिडी दी जाती है। सरकार द्वारा बिजली फ्री देने का नारा लगाया जाता है। जब हम लोगों से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि बिजली फ्री देने से क्या मतलब जब बिजली मिलती नहीं है तो हम पैदा क्या करेंगे? हम से 500 से 700 रुपए ले लीजिए पर हमें बिजली तो दीजिए। जल संसाधन मंत्रालय में 925 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। वस्त्र उद्योग में पिछले साल के आबंटन से 16 करोड़ रुपए की कमी की गई है। उर्वरक में 942 करोड़ रुपए की कटौती, नागर विमानन की परियोजना में 1668 करोड़ रुपए की कटौती, परमाणु ऊर्जा में 54 करोड़ रुपए की कमी, उद्योग और खनिज में 626 करोड़ रुपए की कटौती, भारी उद्योग की परियोजना में 70 करोड़ रुपए की कटौती, पैट्रोलियम सामान में 240 करोड़ रुपए की कटौती की गई। ग्रामीण विकास की मद में एक पैसा नहीं बढ़ाया गया। सरकार ग्रामीण विकास की बहुत बात करती है और कहती है कि हम गरीबों की गरीबी दूर करना चाहते हैं। जरा पैसा तो देखें कि इसमें क्या एलाटमैंट किया है? 1996-97 में 2195 करोड़ रुपया ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अनेक सदस्यों द्वारा यही बात दोहराई गई है। इसलिए इसके विस्तार में न जाइए।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार खण्डेलवाल : इन्दिरा विकास योजना में पिछले वर्ष 1154 करोड़ रुपए का प्रावधान था। उस दौरान 11 लाख घर बनने थे। इस साल केवल सात लाख घर बनने हैं। एक-एक ब्लाक में जाएं तो दो मकान बने हुए दिखाई नहीं देते। इसको लेकर गांव में झगड़े होते हैं। ऐसी योजना किस काम की है? सुनिश्चित रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन योजना जिस पर सरकार ने यह गारंटी ली कि सौ दिन काम के लिए देंगे। उन दोनों योजनाओं के अंदर पिछले वर्ष जो पैसा रख गया था, इस साल भी उतना ही रखा गया है। रोजगार आश्वासन योजना में पिछले वर्ष 1970 करोड़ रुपए रखे गए थे और इस साल भी 1970 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मैं उदाहरण के तौर पर कहूं कि मेरे जिले में डेढ़ लाख आदमियों को काम की आवश्यकता है और

[श्री विजय कुमार खण्डेलवाल]

उसके लिए 15 लाख मानव दिवस चाहिए। 40 रुपए की मजदूरी दी जाए तो 60 करोड़ रुपए इस काम के लिए चाहिए। मुश्किल से पांच से छः करोड़ रुपए इसमें आते हैं। थोथे आंकड़े देने का क्या मतलब है?

जो व्यक्तिगत कर है उसकी बाबत मैं कुछ बात जरूर रखना चाहता हूं। पार्टनरशिप फर्म पर जो टैक्स है, वह 35 परसैंट रखा गया है। पहले बजट में 40 परसैंट कर था। जो व्यक्तिगत टैक्स है, वही पार्टनरशिप फर्म पर टैक्स होना चाहिए। 30 प्रतिशत टैक्स रखना चाहिए। कैपिटल गेन्स टैक्स जो पिछले बजट में था, वह 20 परसैंट रखा था और कहा था कि लोअर टैक्स जो रहेगा, उसी रेट से कैपिटल गेन्स टैक्स लेंगे। इस साल कैपिटल गेन्स टैक्स को 20 प्रतिशत लगाया है जबकि जो नीचे की दर है, वह 10 प्रतिशत आ गई है।

सबसे बड़ी चीज़ जो सरकार ने की है वह है 44 ए (एफ) जिस के द्वारा वह पांच प्रतिशत की दर से टैक्स लगाना चाहती है।

शायद सरकार को यह मालूम नहीं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत राज्य शासन में व्यापारी 2-4 परसेंट से ज्यादा प्रॉफिट नहीं बतला सकता है और ले नहीं सकता। यदि लेता है तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रोसीक्यूशन किया जाएगा। कल वित्त मंत्री ने जब घोषणा की कि हम सैलेरी इट्रैस्ट में छूट देंगे। यदि छूट देंगे तो कागज लेकर इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने खड़े होना पड़ेगा कि हमें सैलेरी इट्रैस्ट में छूट दे। इसका मतलब यह है कि इसको सस्ता और अच्छा बनाने के लिए 5 परसेंट से घटाकर 2 परसेंट कर लगाना चाहिए।

सभापति महोदया, एक और बात कहूंगा कि सैक्शन 64 में क्लॉबिंग प्रोवीजन है जिसमें माइनर की इनकम को फादर-मदर के साथ क्लब किया जाता है। इसको क्लॉबिंग टैक्स के प्रोवीज़न में डिलीट करना चाहिए। लगता है सरकार की नीयत सैविंग्ज बढ़ाने की है। इनकम टैक्स में एल॰ आई॰ सी॰ में एक लाख की प्रीमियम दे सकता है, एन॰ एस॰ सी॰ में एक लाख लगा सकता है लेकिन प्रोविडेंट फंड में 60 हज़ार से ज्यादा जमा नहीं कर सकता, क्यों? हमें 12 हजार तक छूट दी जाए लेकिन रुपया जमा करने की रैस्ट्रिक्शन क्यों की गई? टैक्स एक्सपर्ट जब रिपोर्ट के अनुसार सारे प्रोपोजल एक लाख रुपए तक के हैं, वह इनकम में से कम होनी चाहिए न कि संरचना टैक्स के रूप में होनी चाहिए। उसका रिवीज़न होता है। जिसके दो बच्चे और बीवी है वह तीन एकाऊंट खोल सकता है और जिसके बच्चे नहीं, वह तीन एकाऊंट नहीं खोल सकता है। वह 60 हजार जमा कर सकता है, छूट 12 हजार पर मिल रही है तो प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत 60 हजार पर रैस्ट्रिक्शन क्यों लगाई गई है? सरकार चाहती है कि एक तरफ तो काफी सेविंग्ज़ हो, पैसा मिले तो दूसरी तरफ एन॰ एस॰ सी॰ और एल॰ आई॰ सी॰ में रैस्ट्रिक्शन नहीं है। एक बात और है कि इस एक्ट में खराबी है यह आपकी इनकम से बाहर होना चाहिए। आप असैस करते हैं तो कहते हैं कि अगर हमें वर्ष के शुरू में जमा कर दिया तो रिजैक्ट कर देते हैं। क्या हम 31 मार्च तक वेट करें? यह बात डिलीट होनी चाहिए। इस में अमेंडमेंट करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए वित्त विधेयक का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी॰ नामग्याल (लद्दाख) : मैडम चेयर परसन, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे टाइम दिया। मैं कुछ पाइंट्स पर बोलूंगा। यह जो बजट पेश किया गया है, पहले तो कुछ अच्छा सा लगा लेकिन जब घर जाकर पढ़ने बैठा तो यह मालूम हुआ कि बहुत कुछ खाली पालिटिकल सब्जैक्ट से जुड़ा हुआ है और इस कदर इम्प्रेस नहीं हुआ खसूसी तौर एक-दो सैक्टर में जैसे रूरल डेवलेपमेंट है या पावर सैक्टर है, पिछड़े इलाकों और खासकर पहाड़ी इलाकों में और ट्राईबल ऐरियाज़ में रहने वाले लोगों को आगे ले जाने के लिए कोई ऐसी बात नहीं है।

लेकिन कल जब वित्त मंत्री जी ने फाइनेन्स बिल मूव किया तो उसके साथ उन्होंने इसमें चंद इंप्रूवमेंट भी किए। 111 करोड़ रुपए की ऐक्साइज़ और कस्टम्स ड्यूटी कम कर दी है इसी तरह पावर सेक्टर में 900 करोड़ रुपए का बजटरी सपोर्ट दिया है। यह अच्छी बात है जिसको हम वैलकम करते हैं और जो कमी किसी हद तक पॉवर सेक्टर में थी, इससे थोड़ी बहुत जरूर होगी, लेकिन जिस कदर होनी चाहिए। उतनी नहीं होगी।

चेयरमैन साहिबा, मैं एक दो बातें इस सिलसिले में कहना चाहता हूं। जहां तक मैंने पहले अर्ज़ किया रूरल डेवलपमेंट सेक्टर के बारे में, मंत्री जी को ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं स्टेटिस्टिक्स में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। मैं समझता हूं कि कल जब वित्त मंत्री जी जवाब देंगे तो ऑनरेबल मेम्बर्स के जो ख्यालात हैं रूरल सेक्टर्स के लिए इजहार किए उनको एहतराम करते हुए इस सेक्टर में भी वह कुछ रिलीफ ज़रूर देंगे।

जहां तक पॉवर के बारे में मंत्री जी ने 900 करोड़ रुपए का दिया है, उसमें से 200 करोड़ रुपए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्ज़ के इंप्रूवमेंट के लिए रखे हैं। मैं समझता हूं कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्ज़ का 200 करोड़ रुपए से कुछ होने वाला नहीं है। जितने भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्ज़ हैं, वह सारे घाटे में चल रहे हैं। खासकर जिस स्टेट से मैं आ रहा हूं, यानि जम्मू-कश्मीर में पॉवर लीकेजेज़ का वर्ल्ड रेकॉर्ड है। 48 परसेंट से कुछ ऊपर है। इसमें से कुछ हिस्सा तो जाएगा ही। वह सारा डेन में चला जाएगा, लेकिन जब तक सही ढंग से सैण्टर इसमें इंटरवीन नहीं करेगा तो जितने भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्ज़ हैं वह घाटे में चलते रहेंगे। इस तरफ फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को देखने की ज़रूरत है। और साथ-साथ जो पहाड़ी और ट्राइबल एरियाज़ के लिए जरूरी है, नॉन-कनवेन्शनल ऐनर्जी सोर्सेज़ जिसमें हाइडल भी आता है बहुत ज़रूरी और अहमियत रखता है। इसमें कोई शक नहीं है कि आपने 700 करोड़ रुपए हाइडल के लिए दिए हैं पर वह बड़े-बड़े हाइडल प्रोजेक्ट्स के लिए हैं। पहाड़ी सेक्टर में ट्रांसमिशन की सुविधा भी नहीं है कि हम नेशनल ग्रिड से पॉवर ले लें। हमें लोकल रेसोर्सेज़ पर डेपेण्ड करना पड़ता है। या तो आप यहां से डीज़ल ले जाएं और उससे बिजली वहां प्रोड्यूस करें, मगर वह बहुत महंगा पड़ेगा और ऑयल के बारे

में मंत्री जी ने कहा है कि प्राइसेज़ बढ़ाने जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि हमें डीज़ल पर तरजीह देनी चाहिए। हमारे पास और रेसोर्सेज़ हैं। माइक्रो हाइडल स्कीम्स बन सकती हैं। मुझे नहीं मालूम कि 900 करोड़ रुपए में से आप नॉन-कन्वेन्शनल ऐनर्जी सेक्टर में कितना शेयर देने जा रहे हैं। उधर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है अगर आपको सही मायनों में ट्राइबल और पहाड़ी एरिया में रहने वालों के बारे में सोचना है।

दूसरी बात सोलर ऐनर्जी के बारे में है मगर उस पर हमें इनीशियली काफी खर्च करना पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक बार उसको सेट-अप कर दिया तो वह चलता रहता है। हमारे देश में पहला सोलर ऐनर्जी का गांव मेरी कांस्टीट्यूएंसी लेह में एस॰ ओ॰ एस॰ चिल्ड्रन्स विलेज में सेट अप किया था। वह आठवें दशक के शुरू में था। उसके बाद वह बिना ट्रबल के आज तक चल रहा है।

हमारे लद्दाख सैक्टर में लगभग तीन सौ सनी डेज मिलते हैं और मेरे ख्याल से राजस्थान में भी वैसी ही स्थिति है। तो ऐसे एरियाज पर आपको पूरा ध्यान देने की जरूरत है। हमारे दोस्त श्री चमन लाल गुप्त जी अभी यहां पर नहीं हैं, उन्होंने बताया कि मेरी कांस्टीटुएंसी का एरिया लगभग एक लाख स्कावायर किलोमीटर है, जो कि लगभग दो हिमाचल प्रदेश स्टेट के बराबर है। हमारी कांस्टीटुएंसी की पापुलेशन कम तथा स्कैटर्ड है इसलिए वहां पर हर जगह ट्रांसमीशन के थ्रू पावर नहीं ले जाई जा सकती है क्योंकि ट्रांसमीशन पर खर्चा बहुत ज्यादा आता है। इसलिए छोटे-छोटे सोलर यूनिट देकर काम चल सकता है। इसकी अभी हमारे यहां स्कीम तो है, लेकिन हमें पैसा नहीं मिल रहा है। नॉन कंवेंशनल इनर्जी सोर्सेज से हमें साल में 400 से 500 यूनिट के लगभग प्राप्त होता है। लेकिन उससे हमारे एरिया का मसला हल होने वाला नहीं है।

मैं अपनी कांस्टीटुएंसी की तरफ आपकी ज्यादा तवज्जह इसलिए भी दिलाना चाहता हूं, जिसकी तरफ सारे देश के इंजीनियरों और साइंटिस्टों को ध्यान देने की जरूरत है। ज्यो-थर्मल इनर्जी की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारी कांस्टीटुएंसी में इतने हॉट स्प्रिंग हैं जहां पर एक स्थान से लगभग 30 मेगावाट तक बिजली पैदा की जा सकती है। हमारे पड़ौसी देश तिब्बत में अरली 80 से ज्यो-थर्मल पावर जनरेट कर रहे हैं और हमारे इलाके में 1973 से जी॰ एस॰ आई॰ और एक दूसरा डिपार्टमेंट सी॰ ई॰ एल॰ है, उसमें इन महकमों ने लगभग तीन करोड़ रुपया खर्च किया गया है और आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। अभी कल ही मैंने एक सवाल पूछा था तो कहते हैं कि हम वहां पोल्ट्री फार्मिंग शुरू कर रहे हैं, ग्रीन हाउस बना रहे हैं। मैंने कहा कि यह तो मज़ाक है, हमें पोल्ट्री फार्मिंग की जरूरत नहीं है, हमें ग्रीन हाउस की जरूरत नहीं है। हमें पावर की जरूरत है। क्योंकि वहां पर हाइडल सर्दियों में कामयाबी के साथ नहीं चल सकती है, क्योंकि वहां विंटर में तापमान बहुत नीचे चला जाता है। इसलिए ज्यो-थर्मल सर्दियों में भी चल सकता है और वहां काफी पावर जनरेट हो सकती है। इसलिए मैं मंत्री जी से इस ओर ध्यान देने की गुजारिश करूंगा।

दूसरी ज़रूरी बात मैं कहना चाहता हूं कि लद्दाख की खसूसी प्रोडक्शन लोकल पश्मीना बिल्कुल बेकार है जो बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है, क्योंकि उसको कोई खरीदने वाला नहीं है। क्योंकि नेपाल, यू॰ पी॰ और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर के थ्रू बहुत ज्यादा पश्मीना स्मगल होकर आता है लद्दाख का पश्मीना पहले कश्मीर के शॉल इंडस्ट्रीज के लिए जाता था। लेकिन आज वहां से एक किलो भी नहीं खरीदा जा रहा है और यह सारा स्मगल किया हुआ पश्मीना कश्मीर इंडस्ट्रीज को फीड करता है। कस्टम डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। मैं नहीं जानता कि कस्टम वाले क्या कर रहे हैं। पश्मीने की बात छोड़िए। शाहतूस जो कि इंटरनेशनली बैंड प्रोडक्ट है, वह एंटेलोप एनीमल का फाइन वूल होता है और जब तक उस जानवर को मारा नहीं जाता है वह हाथ नहीं आता है।

आज वह 25-30 हजार रुपए किलोग्राम के रेट पर बिक रहा है और कश्मीर में बाहर से स्मगल होकर धड़ा-धड़ आ रहा है, कोई उसे रोकने वाला नहीं है। इसे मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं और इसे रोकने की जरूरत है।

फाइनैंस बिल पर ज्यादा न बोलते हुए, आखिर में इन्कम टैक्स की बात जरूर कहना चाहूंगा। वैसे इन्कम टैक्स अमैंडमैंट बिल के वक्त लद्दाख के लोगों को इन्कम टैक्स से छूट देने के सवाल पर मैंने काफी बोला था। वित्त मंत्री जी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं और उन्हें हमारी हिन्दी शायद समझ में नहीं आती लेकिन हम भी उनकी तरह अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते । अब इसे चाहे कम्युनिकेशन गैप कहिए या कुछ और कहिए लेकिन हम उन्हें कन्विंस करने में फेल हुए और वे हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। इस ईस्यू पर मैं उनसे एक बार फिर रिक्वैस्ट करना चाहता हूं। लद्दाख की कुल पौपुलेशन का 90 परसेंट हिस्सा ट्राइबल है। जिस तरह आपने एन्टायर नौर्थ ईस्ट में रहने वाले ट्राइबल्स को इन्कम टैक्स देने से माफ कर रखा है, मुझे पता नहीं जब एक स्टेट में रहने वाले ट्राइबल्स को आपने इन्कम टैक्स में माफी दी है तो दूसरी स्टेट में रहने वाले ट्राइबल को इन्कम टैक्स माफ करने में क्या दिक्कत है। वैसे लद्दाख में बहुत से बाहर के लोग ट्रेडर्स के रूप में रहते हैं, मैं उनके केस को प्लीड नहीं कर रहा हूं, उनसे आप इंकम टैक्स वसूल कीजिए लेकिन लद्दाख के लोकल लोगों को वही कंसेशन दीजिए जो दूसरे ट्राइब्स को दे रहे हैं। हमारे यहां कुल पौपुलेशन लगभग दो लाख ही है।

पिछले साल मुझे एक सवाल का जवाब नहीं मिला क्योंकि उस वक्त मिनिस्ट्री के पास रिकॉर्ड नहीं था लेकिन अब जवाब मिला है। उससे पहले साल यानि 1996-97 में लद्दाख रीजन से आपने 38,000 रुपए इन्कम टैक्स कलैक्ट किया है उससे पिछले वर्ष यानि 1995-96 में 50,000 रुपए और उससे पिछले वर्ष 1994-95 में 50,000 रुपए इन्कम टैक्स कलैक्ट किया था-यही तीन सालों की फीगर्स मुझे मिली। इससे आप अंदाजा लगाइए कि जहां हाई इन्कम ग्रुप के लिए गवर्नमेंट ने कई कन्सेशन दिए हैं, लाखों-करोड़ों रुपए के कन्सेशन दिए हैं, दूसरी तरफ जहां से आपको सिर्फ 30-40 या 50 हजार रुपए की इन्कम

[श्री पी॰ नामग्याल]

आती है, अगर उसे आप न लें तो आपको क्या फर्क पड़ेगा। हम काफी देर से इसकी मांग कर रहे हैं।

हमारी बदकिस्मती यह हुई कि लद्दाख को 1989 में, पता नहीं कितनी डिकेड्स की एजीटेशन के बाद, ट्राइबल का स्टेटस मिला। उस समय सैन्टर में कांग्रेस की सरकार थी लेकिन उसके बाद हम इलैक्शन हार गए। जब यहां जनता दल की सरकार बनी तो उसने इन्कम टैक्स का तोहफा लद्दाखियों को दे दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि एक तरफ आप ट्राइबल्स को फैसिलिटीज देने की बात करते हैं और हमारी गरीबी को देखते हुए, पसमंदगी को देखते हुए, हमें ट्राइबल स्टेटस मिला, लेकिन दूसरे हाथ में आपने हम पर इन्कम टैक्स लगा दिया-यह सरासर नाइंसाफी है। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वैस्ट करता हूं कि आप वित्त मंत्री जी को समझाइए, आपको लद्दाख से कुछ मिलने वाला नहीं है, जिन पर टैक्स लगाने की जरूरत है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, हमारे यहां जो नॉन-लद्दाखी ट्रेडर्स हैं, बड़े बिजिनैसमैन हैं, अच्छी खासी इन्कम पैदा करते हैं, उनसे आप इन्कम टैक्स लीजिए, हम उसके खिलाफ नहीं हैं लेकिन लद्दाख के लोकल लोग बिजिनैसमैन नहीं है। अभी दो-चार साल से टूरिस्ट वहां आने लगे हैं जिससे थोड़े गरीबों को दो वक्त की रोटी मिलनी शुरू हो गई है लेकिन आपने उन पर भी इन्कम टैक्स लगा दिया। मैं समझता हूं कि यह जो हैरासमैंट का सिलसिला चलता आ रहा है उसे अब रोकना चाहिए।

इन चन्द शब्दों के साथ, चिदम्बरम जी ने जो फाइनेन्स बिल रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं लेकिन मेरी गुजारिश है कि लद्दाख के मूल निवासियों पर इन्कम टैक्स के मामले को आप फिर से देखिए। कल आपने जो एनाउंसमैंट की थी, उसकी मैं वैल्कम करता हूं। उसमें आपने कई कंसेशन्स दिए हैं जैसे नॉन-कंवैंशनल एनर्जी के लिए, खास तौर से सिलिकॉन पर आपने एक्साइज ड्यूटी को 13 परसेंट से घटाकर 8 परसेंट कर दिया है।

सभापति महोदया, यह बहुत अच्छा कदम है। मैं इसका स्वागत करता हूं। सोलर पैनल बनाने में सिलिकॉन चिप्स का प्रयोग होता है। उसके ऊपर ड्यूटी कम कर देने से अब अपारंपरिक उर्जा को बढ़ावा मिलेगा जिससे देश को बहुत फायदा होगा।

इसी प्रकार से आपने जूस नानअलकोहोलिक बिवरेजेज के ऊपर से टैक्स 18 से घटाकर 8 परसेंट कर दिया है। यह भी स्वागतयोग्य कदम है। जम्मू-कश्मीर हमारी ऐसी स्टेट है जिसमें काफी मात्रा में फ्रूट्स पैदा होते हैं। इससे हमारे लोगों को फायदा मिल सकता है। आपने बादाम पर ड्यूटी बढ़ा दी है। मैं समझता हूं कि यह भी एक अच्छा स्टैप है। इससे क्या होगा कि जो लोकल प्रोड्यूस हैं उसको बूस्ट मिलेगा और जो बाहर से आने के कारण यहां बाहर का बादाम सस्ता मिलता है और हमारे कश्मीर का लोकल प्रोड्यूस महंगा होने के कारण कोई खरीदना पसंद नहीं करता है। अब आपके इस स्टैप से वह नहीं हो सकेगा।

सभापति महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

شری پی نامگیال (لداخ):۔ میڈم چیئرپرسن میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ میں کچھ پوائنٹس پر بولوں گا یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے پہلے وہ کچھ اچھا سا لگا لیکن جب گھر جا کر پڑھنے بیٹھا تو یہ معلوم ہوا کہ بہت کچھ خالی پولیٹیکل گمیکٹ سے جڑا ہوا ہے اور اس قدر امپریس نہیں ہوا خصوصی طور پر ایک دو سیکٹر میں جیسے رورل ڈیولپمینٹ ہے یا پاور سیکٹر ہے، پچھڑے علاقوں اور، خاص کر پہاڑی علاقوں میں اور ٹرائبل ایریاز میں رہنے والے لوگوں کو آگے لے جانے کے لئے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔

لیکن کل جب منتری جی نے فائننس بل مو کیا تو اس کے ساتھ انہوں نے اس میں چند امپرومینٹ بھی کیے ہیں 111 کروڑ روپے کے ایکسائز اور کسٹمس ڈیوٹی کم کردی ہے۔ اسی طرح پاور سیکٹر میں 900 کروڑ روپے کا بجٹری سپورٹ دیا جائے گا۔ یہ اچھی بات ہے جس کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور جو بھی کسی حد تک پاور سیکٹر میں بھی اس سے تھوڑی بہت دور ضرور ہوگی لیکن جس قدر ہونی چاہئے اتنی نہیں ہوگی۔

چیئرمین صاحبہ میں ایک دو باتیں اس سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک میں نے پہلے عرض کیا رورل ڈیولپمنٹ سیکٹر کے بارے میں منتری جی کو دھیان دینے کی ضرورت ہے میں اسٹیٹسٹکس میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیوں کہ ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل جب فائننس منسٹر جی جواب دیں گے تو آنریبل ممبرس کے جو خیالات رورل سیکٹر کے لئے ظاہر کیے ان کا احترام کرتے ہوئے اس سیکٹر میں بھی وہ کچھ ریلیف ضرور دیں گے۔

جہاں تک پاور کے بارے میں منتری جی نے 900 کروڑ روپیہ دیا ہے اس میں سے 200 کروڑ روپے اسٹیٹ الیکٹریسٹی بورڈس کے امپروومینٹ کے لئے رکھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ الیکٹریسٹی بورڈ کا 200 کروڑ روپے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جتنے بھی اسٹیٹ الیکٹریسٹی بورڈس ہیں وہ سارے گھاٹے میں چل رہے ہیں۔ خاص کر جس اسٹیٹ سے میں آرہا ہوں یعنی جموں کشمیر میں پاور لیکیج کا ورلڈ ریکارڈ ہے۔ 48 فیصد سے کچھ اوپر ہے اس میں سے کچھ حصہ تو جائے گا ہی وہ سارا ڈین میں چلا جائے گا لیکن جب تک صحیح ڈھنگ سے سینٹر اس میں انٹروین نہیں کرے گا تو جتنے بھی اسٹیٹ الیکٹریسٹی بورڈ ہیں وہ گھاٹے میں چلتے رہیں گے اس طرف فائننس منسٹر صاحب کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ جو پہاڑی اور ٹرائبل ایریاز کے لئے ضروری ہے، نون کنوینشن ایزجی سورسز جس میں ہائیڈل بھی آتا ہے وہ بہت ضروری اور اہمیت رکھتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے 700 کروڑ روپے ہائیڈل کے لئے دیئے پر وہ بڑے بڑے ہائیڈل پروجیکٹ کے لئے ہیں پہاڑی سیکٹر میں ٹرانسمیشن کی سہولیات بھی نہیں ہیں کہ نیشنل گریڈ سے پاور لے لیں ہمیں لوکل رسورسز پر ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے۔ یا تو آپ یہاں سے ڈیزل لے جائیں اور اور اس سے بجلی وہاں پیدا کریں مگر وہ بہت مہنگا پڑے گا اور آئل کے بارے میں منتری جی نے کہا ہے پرائز بڑھائے

جارہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ڈیزل کے اوپر ترجیح دینی چاہئیے ہمارے پاس اور بھی ذرائع ہیں مائکرو ہائی ڈل اسکیم بن سکتی ہے مجھے نہیں معلوم کہ 900 کروڑ روپے میں سے آپ نان کونیشل ایزجی سیکٹر میں کتنا شیئر دینے جارہے ہیں۔ ادھر آپ کو زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے اگر آپ کو صحیح معنوں میں ٹرائبل اور پہاڑی ایریا میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے۔

دوسری بات سولر ایزجی کے بارے میں مگر اس پر ہمیں اینیشیلی کافی خرچ کرنا پڑتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایک بار اس کو سیٹ اپ کر دیا تو وہ چلتا رہتا ہے ہمارے دیش میں پہلا سولو ایزجی کا گاؤں میری کانسٹیٹیونسی لہہ میں ایس۔ او۔ ایس۔ چلڈرنس ولیج میں سیٹ اپ کیا تھا۔ وہ آٹھویں دھائی کے شروع میں تھا۔ اس کے بعد وہ بنا ٹروبل کے آج تک چل رہا ہے۔

ہمارے لداخ سینٹر میں لگ بھگ 300 سنی ڈیز ملتے ہیں اور میرے خیال سے راجستھان میں بھی ایسی ہی حالت ہے۔ تو ایسے ایریاز پر آپ کو پورا دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دوست شری چمن لال گپتا جی ابھی یہاں پر نہیں ہیں انہوں نے بتایا کہ میری کانسٹیٹیونسی کا ایریا لگ بھگ ایک لاکھ اسکوائر کلو میٹر ہے جو کہ لگ بھگ دو ہماچل پردیش اسٹیٹ کے برابر ہے۔ ہماری کانسٹیٹیونسی کی پاپولیشن کم اور اسکیٹرز ہے اس لئے وہاں پر ہر جگہ ٹرانسمیشن کے ذریعے پاور نہیں لے جائی جاسکتی ہے کیونکہ ٹرانسمیشن پر خرچہ بہت زیادہ آتا ہے اس لئے چھوٹے چھوٹے سولر یونٹ دے کر کام چل سکتا ہے۔ اس کی ابھی ہمارے یہاں اسکیم تو ہے لیکن ہمیں پیسہ نہیں مل رہا ہے۔ نان کونیشنز انرجی سورسس سے ہمیں سال میں 500 یونٹ کے لگ بھگ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اس سے ہمارے ایریاز کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔

میں اپنی کانسٹیٹیونسی کی طرف آپ کی زیادہ توجہ اس لئے دلانا چاہتا ہوں جس کی طرف سارے دیش کے انجینئروں اور سائنسدانوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ جیو تھرمل انرجی کی طرف میں آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہوں۔ ہماری کانسٹیٹیونسی میں اتنے ہاٹ اسپرنگ ہیں جہاں پر ایک جگہ سے لگ بھگ 30 میگاواٹ تک بجلی پیدا کی جاسکتی ہے۔ ہمارے پڑوسی دیش تبت میں ارلی 80 سے جیو تھرمل پاور جنریٹ کر رہے ہیں اور ہمارے علاقے میں 1973 سے جی۔ ایس۔ آئی اور ایک دوسرا ڈیپارٹمنٹ CEL(Control Electric Ltd) ہے اس میں ان محکموں نے لگ بھگ 3 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے اور آج تک اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا ہے۔ ابھی کل ہی میں نے ایک سوال پوچھا تھا تو کہتے ہیں کہ ہم وہاں پالٹری فارمنگ شروع کر رہے ہیں گرین ہاؤس بنا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ تو مذاق ہے ہمیں پالٹری فارمنگ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں گرین ہاؤس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں پاور کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں پر ہائیڈل سردیوں میں کامیابی کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے کیونکہ وہاں سردی میں تاپ مان بہت نیچے چلا جاتا ہے۔ اس لئے جیو تھرمل سردیوں میں بھی چل سکتی ہے اور وہاں کافی پاور جنریٹ ہو سکتی ہے۔ اس لئے میں منتری جی سے اس طرف دھیان دینے کی گذارش کروں گا۔

دوسری ضروری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ لداخ کی خصوصی پروڈکشن لوکل پشمینہ ہے جو کہ بالکل بے کار پڑا ہوا ہے کیونکہ اس کو کوئی خریدنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ نیپال۔ یو۔ پی۔ اور ہماچل پردیش کے بارڈر کے ذریعہ بہت زیادہ پشمینہ اسمگل ہو کر آتا ہے لداخ کا پشمینہ پہلے کشمیر کے شال انڈسٹریز کے لئے جاتا تھا۔ لیکن آج وہاں سے ایک کلو بھی نہیں خریدا جارہا ہے اور یہ سارا اسمگل کیا ہوا پشمینہ کشمیر انڈسٹریز کو فیڈ کرتا ہے۔ کسٹم ڈپارٹمینٹ منسٹری آف فائننس کے انڈر آتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ کسٹم والے کیا کر رہے ہیں۔ پشمینہ کی بات چھوڑیئے شہتوس جو کہ انٹرنیشنل بینڈ پراڈکٹ ہے وہ اینڈنس لوپ اینیمل کا فائن وول ہوتا ہے اور جب تک اس جانور کو مارا نہیں جاتا وہ ہاتھ نہیں آتا ہے۔ آج وہ 25- 30 ہزار روپیہ کلوگرام کے ریٹ پر بک رہا ہے۔ اور کشمیر میں باہر سے سمگل ہو کر دھڑا دھڑ آرہا ہے کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے اسے میں آپ کے دھیان میں لانا چاہتا ہوں اور اسے روکنے کی ضرورت ہے۔

فائننس بل پر زیادہ نہ بولتے ہوئے آخر میں انکم ٹیکس کی بات ضرور کہنا چاہوں گا۔ اسے انکم ٹیکس امینڈ مینٹس بل کے وقت لداخ کے لوگوں کو انکم ٹیکس سے چھوٹ دینے کے سوال پر میں نے کافی بولا تھا۔ فائننس منسٹر جی اچھی انگریزی بولتے ہیں اور انہیں شاید ہماری ہندی سمجھ میں نہیں آتی لیکن ہم بھی ان کی طرح اچھی انگریزی نہیں بول سکتے۔ اب اسے چاہے کیمونیکیشن گیپ کہیے یا کچھ اور کہیے لیکن ہم انہیں کونوینس کرنے میں فیل ہوئے اور وہ ہماری بات سننے کے لئے تیار نہیں ہوئے اس ایشو پر میں ان سے ایک بار پھر درخواست کرنا چاہتا ہوں لداخ کی کل آبادی کا 90 فیصد حصہ ٹرائبل ہے۔ جس طرح آپ نے انٹائر نورتھ ایسٹ میں رہنے والے ٹرائبلس کو انکم ٹیکس دینے سے معاف کر دیا ہے مجھے پتہ نہیں جب وہ ایک ٹرائبلس اسٹیٹ میں رہنے والے ٹرائبل کو آپ نے انکم ٹیکس دینے میں معافی دی ہے تو دوسری اسٹیٹ میں رہنے والے ٹرائبل کو انکم ٹیکس معاف کرنے میں کیا دقت ہے۔ ویسے لداخ میں بہت سے باہر کے لوگ ٹریڈرس کے طور پر رہتے ہیں ان کے کیس کو بلیڈ نہیں کر رہا ہوں ان سے آپ انکم ٹیکس وصول کیجئے لیکن لداخ کے لوگوں کو وہی کنسیشن دیجئے جو دوسرے ٹرائبل کو دے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کل آبادی لگ بھگ دو لاکھ ہی ہے۔

پچھلے سال مجھے ایک سوال کا جواب نہیں ملا کیونکہ اس وقت منسٹری کے پاس ریکارڈ نہیں تھا لیکن اب جواب ملا ہے اُس سے پہلے سال یعنی 97-1996 میں لداخ ریجن سے آپ نے 38,000 روپے انکم ٹیکس کلیکٹ کیا ہے اس سے پہلے سال یعنی 96-1995 میں 50,000 روپے اور اس سے پہلے سال 95-1994 میں 50,000 انکم ٹیکس کلیکٹ کیا تھا۔ یہی تین سالوں کی فیگرس مجھے ملی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں ہائی انکم گروپ کے لئے گورنمنٹ نے کئی کنسیشن دیئے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کے کنسیشن دیئے ہیں دوسری طرف جہاں سے آپ کو صرف 40-30 یا 50 ہزار روپے کی انکم آتی ہے اگر اُسے

آپ نہ لیں تو آپ کو کیا فرق پڑے گا۔ ہم کافی دیر سے اس کی مانگ کر رہے ہیں۔

ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ لداخ کو 1989 میں پتہ نہیں کتنی ڈیکیڈس کی ایجیٹیشن کے بعد ٹرائبل کا اسٹیٹس ملا۔ اس وقت سینٹر میں کانگریس کی سرکار تھی لیکن اس کے بعد ہم الیکشن ہار گئے۔ جب یہاں جنتا دل کی سرکار بنی تو اس نے انکم ٹیکس کا تحفہ لداخیوں کو دے دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف آپ ٹرائبلس کو سہولیات دینے کی بات کرتے ہیں اور ہماری غریبی کو دیکھتے ہوئے پسماندگی کو دیکھتے ہوئے ہمیں ٹرائبل اسٹیٹس ملا لیکن دوسرے ہاتھ میں آپ نے ہم پر انکم ٹیکس لگا دیا۔ یہ سراسر ناانصافی ہے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ فائننس منتری جی کو سمجھائیے آپ کو لداخ سے کچھ ملنے والا نہیں ہے جن پر ٹیکس لگانیکی ضرورت ہے میں اس کے خلاف نہیں ہوں ہمارے یہاں جو نان لداخی ٹریڈرس ہیں، بڑے بزنس مین ہیں اچھی خاصی انکم پیدا کرتے ہیں ان سے آپ انکم ٹیکس لیجیے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں لیکن لداخ کے لوگ لوکل بزنس میں نہیں ہیں۔ ابھی دو چار سال سے ٹورسٹ وہاں آنے لگے ہیں جس سے تھوڑے غریب لوگوں کو دو وقت کی روٹی ملنی شروع ہو گئی ہے لیکن آپ نے ان پر بھی ٹیکس لگا دیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہر اسٹیٹ کا سلسلہ چلا آرہا ہے اسے اب روکنا چاہیئے۔

ان چند لفظوں کے ساتھ چدمبرجی نے جو بجٹ یہاں رکھا ہے میں اس کی حمایت کے لئے کھڑا ہوا ہوں لیکن میری گزارش ہے کہ لداخ کے مول نواسیوں پر انکم ٹیکس کے معاملے کو آپ پھر سے دیکھیئے۔ کل آپ نے اناؤنسمینٹ کی تھی اس کا میں سواگت کرتا ہوں۔ اس میں آپ کئی کنسیشن دیئے ہیں جیسے نان کنوینشنل انرجی کے لئے خاص طور سے سلی کان پر آپ نے ایکسائز ڈیوٹی کو 13 پرسنٹ سے گھٹا کر 8 پرسنٹ کر دیا ہے۔

چیئرمین صاحب یہ بہت اچھا کام ہے۔ میں اس کا استقبال کرتا ہوں۔ سولر پینل بنانے میں سلکون چپس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے اوپر ڈیوٹی کم کر دینے سے اب غیر روایتی توانائی کو بڑھاوا ملے گا جس سے دیش کو بہت فائدہ ہو گا۔

اسی طرح سے آپ نے جوس، نان الکوہلک بیوریجز کے اوپر سے ٹیکس 18 سے گھٹا کر 8 پرسنٹ کر دیا ہے یہ بھی استقبالیہ قدم ہے جموں کشمیر ہماری ایسی اسٹیٹ ہے جس میں کافی ماترا میں فروٹ پیدا ہوتا ہے اس سے ہمارے لوگوں کو فائدہ مل سکتا ہے آپ نے بادام پر ڈیوٹی بڑھا دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اچھا قدم ہے اس سے کیا ہو گا کہ جو لوکل پروڈیوس ہیں اس کو بوسٹ ملے گا اور جو باہر سے آنے کی وجہ سے باہر کا بادام سستا ملتا ہے اور ہمارے کشمیر کا لوکل پروڈیوس مہنگا ہونے کی وجہ سے کوئی خریدنا پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ کے اس قدم سے وہ نہیں ہو سکے گا۔

چیئرمین صاحب انہیں لفظوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : माननीय सभापति महोदया, मैं इस वित्त विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कारण स्पष्ट है कि यह केवल बजट स्टंट है। आंकड़ों का भ्रमजाल है। सभापति महोदया, आपको मालूम है कि इस बार जितने अधिक संशोधन वित्त विधेयक पर आए हैं, उतने लोक सभा के इतिहास में इससे पहले कभी भी नहीं आए। लोगों ने पहले इस बजट को समझा नहीं। इसलिए खुशी जाहिर की। अनेक नेताओं ने इस बात की प्रशंसा की। यहां तक कि मार्क्सवादी पार्टी के नेता श्री सोमनाथ चटर्जी ने भी प्रशंसा की है, लेकिन उनको भी जब यह बजट समझ में आया, तो दबी भाषा में उन्होंने भी इस पर विरोध प्रकट किया और कल श्री निर्मल कान्ति चटर्जी ने भी अपने भाषण में इस बात का विरोध किया।

सभापति महोदया, चूंकि यहां वित्त मंत्री नहीं हैं, उनके सहयोगी यहां उपस्थित हैं, मैं प्रश्न के रूप में उनसे इस बजट के बारे में कुछ जानकारी चाहूंगा। क्या यह सही नहीं है कि यह बजट थोड़े से लोगों को खुश करने के लिए, कुछ मुट्ठीभर लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए है और अधिक लोगों के लिए समस्या पैदा करेगा? क्या यह सही नहीं है कि यह बजट वास्तविकता से परे है और काल्पनिक आंकड़ों का, गलत उम्मीदों पर टिका हुआ यह बजट है? क्या इस बजट से ढांचागत विकास की रफ्तार धीमी नहीं हो जाएगी और मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी? क्या यह सही नहीं है कि ढांचागत विकास के लिए देश को निजी क्षेत्र के रहमोकरम पर छोड़ दिया गया है और नतीजतन यह विकास महंगा पड़ेगा? क्या इस बजट से सही व दीर्घकालीन व्यवस्था को दिशा दी जा सकेगी? जिन उद्योगों में मंदी है क्या उनसे निपटा जा सकेगा? क्या बजट घाटे को कम किया जा सकेगा? क्या कृषि के लिए वास्तव में कोई धनराशि पर्याप्त मात्रा में इस बजट के लिए मुहैया कराई गई है? क्या इस बजट के द्वारा पूंजी बाजार को उतार-चढ़ाव से बचाया जा सकेगा? औद्योगिक मंदी का मुख्य कारण सरकार का बढ़ता हुआ खर्च, यानी कि राजस्व घाटा है। राजस्व खर्च बढ़ने से उद्योगों में मंदी आती है। क्या आपने इस पर गंभीरता से विचार किया है? प्रत्यक्षकरों में जो कटौती की गई है उसके कारण अगले वर्ष बजट घाटा और बढ़ेगा और इस प्रकार से हर वर्ष बजट घाटा बढ़ता चला जाएगा तथा आपने इस बात की कहीं भी रत्तीभर चिन्ता नहीं की है कि इस बढ़ते हुए बजट घाटे को कैसे कम किया जाएगा। बजट घाटा नियमित रूप से प्रति वर्ष बढ़ता चला जा रहा है।

सभापति महोदया, कल भी वित्त मंत्री महोदय ने करों में जो छूट की घोषणा की थी, उन आंकड़ों को यदि देखें, तो इतनी बड़ी धनराशि आप कहां से मुहैया कराएंगे? इससे ऐसा लगता है कि आप बजट घाटे को बढ़ाते चले जाएंगे। क्या इससे देश दिवालियापन की स्थिति में नहीं आ जाएगा? मेरा निवेदन है कि इस बजट में आपने कहीं भी स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि नहीं रखी है। मेरा निवेदन है कि देश के अंदर 50 वर्ष के बाद फिर मलेरिया वापस आ गया। 50 वर्ष

के बाद पुन: टी॰ बी॰ वापस आ गई है। 50 वर्ष के बाद पुन: हाइप्पाटाइटिस-बी वापस आ गई है। एड्स आ रहा है और भयंकरतम व्याधियां पैदा हो रही हैं। आपको इनकी रोकथाम के लिए पर्याप्त धनराशि मुहैया करवानी चाहिए, लेकिन उसकी तरफ आपने कोई ध्यान नहीं दिया है। मेरा निवेदन है कि आयुर्वेद चिकित्सा के माध्याम से निश्चित रूप से आपको स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था लानी चाहिए, लेकिन आपने मात्र 25 करोड़ रुपए पांच पैथियों के लिए बजट में रखे हैं।

जिसके कारण महाव्याधियां पैदा होती जा रही हैं। जनपदोध्वंस लेने वाली व्याधियां पैदा होती जा रही हैं। क्या उसकी रोकथाम के लिए बजट में कोई व्यवस्था की गई है?

मेरा निवेदन यह है कि आपको बाजारों के भावों को कहीं कंट्रोल तो करना चाहिए। खासकर आप मुझे इस बात का जवाब दें कि महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च करके नमक पर कर का विरोध क्यों किया था? आज वही नमक क्या भाव बिक रहा है? मंत्री जी जानते नहीं होंगे क्योंकि उन्हें बाजार में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जहां यह नमक बनता है वहां मुश्किल से 25 पैसा प्रति किलो के हिसाब से नमक उठाया जाता है। 25 पैसे प्रति किलो का नमक बाद में 2.50 रुपए किलो मिलता है। इसी प्रकार आज आयोडीन युक्त नमक के नाम पर वह साढ़े चार रुपए में बिक रहा है। आप नमक जैसी आवश्यक चीज को इस भाव पर बेच रहे हैं। आप इसे कहीं तो कंट्रोल कीजिए। आपके जितने उत्पाद होते हैं उन पर कहीं यह बात तय करिए कि इस उत्पादन पर इतनी लागत आए और बाजार में उसके प्रॉफिट के आधार पर वह चीज बिके। आप इसकी रती भर भी चिंता नहीं करते।

मेरा निवेदन यह है कि दोपहर के भोजन की व्यवस्था की योजना जो कई सालों से चल रही है, उसके लिए इस बजट में समुचित व्यवस्था नहीं की गई। स्कूलों के अंदर जो दोपहर के भोजन की व्यवस्था होती थी उसे आपने विदड्रा कर लिया है। ऐसी स्थिति में आप जो दूसरी बात करने जा रहे हैं कि हम सस्ता गल्ला देंगे। मैं सदन में माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि कहीं कंट्रोल की दुकान में किसी भी गांव में शक्कर का एक दाना भी किसी गरीब को मिलता है। कहां घासलेट तेल सस्ते भाव पर मिलता है? अभी हमारे गुप्ता जी बता रहे थे कि घासलेट तेल ढाई रुपए बोतल के हिसाब से मिलता है लेकिन बाजार में वह 15 से 20 रुपए प्रति बोतल बिक रहा है। जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली टोटली फेल हो चुकी है तो आप किस प्रकार से सस्ती दर पर गरीबों को गेहूं और चावल मुहैया करा सकेंगे, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। माननीय मंत्री जी जब जवाब दें तो इस बात को स्पष्ट करें कि गरीबों को जो सस्ता गल्ला दिया जाएगा वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा दिया जाएगा या इसके लिए कोई नई एजेंसी बनाएंगे जिसमें भ्रष्टाचार न हो।

आपने राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम को विदड्रा कर लिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उसको क्यों वापिस ले लिया गया? आपने इंदिरा आवास योजना जिसके अंदर आपको 10 लाख मकान बनाने थे लेकिन आपने केवल 7 लाख मकान बनाने की ही अब तक व्यवस्था की है। इसमें आपने जो धनराशि मुहैया कराई थी वह धनराशि भी वापिस ले ली है। इस्पात, सीमेंट, सड़क निर्माण, दूर संचार और सिंचाई पर आपने संतोषजनक धन मुहैया नहीं कराया। इसके लिए आप समुचित व्यवस्था करने की कृपा करें।

अंत में मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान में बीकानेर भुजिया, पापड़, केन का आचार आदि बिकता था। यह उन लोगों का मुख्य धंधा है। गरीब, अशिक्षित लोग बीकानेर भुजिया हाथ से बनाकर बेचते थे। वे मशीन से नहीं बनाते। उस पर आपने जबरदस्ती 8 परसेंट केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के आधार पर कर ठोक दिया है। बेपढ़े-लिखे आदमी श्रम के आधार पर अपनी नमकीन बनाते हैं। उस नमकीन पर 8 परसेंट केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाया गया है। यह अन्याय है। गरीब गृहणियां जो पापड़ बनाती थीं, वह किस प्रकार से 8 परसेंट उत्पादन शुल्क दे पाएंगी, मुझे समझ में नहीं आता।

आज मूंगफली पर 8 परसेंट उत्पादन शुल्क की बात की है। प्रत्येक सनातनी हिन्दू परिवार में उपवास होता है। एकादशी और पूर्णमासी का व्रत होता है। उस दिन वे सेंधा नमक और काली मिर्च मिलाकर मूंगफली के दानों के आधार पर सहगार करती थीं। आपने उन लोगों के सहगार को छीन लिया। उस पर आपने 8 परसेंट कर लगा दिया। आज 50-60 रुपए किलो में बिकने वाली बीकानेर भुजिया बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा पेप्सी फूड की पैकिंग में हिन्दुस्तान की मार्केट में 300 रुपए में बेची जा रही है।

आपने कहीं भी उसे रोकने की चिन्ता नहीं की। लेकिन हिन्दुस्तान का गरीब व्यक्ति मेहनत करके, अपना पसीना बहाकर जो नमकीन बनाता है, उसपर आपने 8 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है। यह किसी भी मूल्य पर योग्य नहीं है। आपने लाउड स्पीकर चलाने वालों पर, बिजली का धंधा करने वालों पर, टैंट वालों पर टैक्स लगा दिया है। आपको थोड़ी तो दया आनी चाहिए थी। यह बहुत अन्यायपूर्ण है। हिन्दुस्तान में ट्रकों की हड़ताल हुई जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ लेकिन आपको विचार ही नहीं आया।

सरदार साहब बैठे हैं। हिन्दुस्तान में ट्रकों का धंधा सिख जाति के लोग और जाट ज्यादा करते हैं। जो अनपढ़ हैं, उनपर आप टैक्स लगाने जा रहे हैं। 8 दिन उनकी हड़ताल चली। 8 दिन के बाद आपने उनको बेवकूफ बनाया। कल भी मंत्री महोदय स्पष्ट शब्दों में नहीं बोल पाए। आप कृपा करके उन पर रहम कीजिए।

अंत में मेरा निवेदन है कि आपने रुग्ण उद्योगों के लिए धनराशि रखी है। कोटा में राजस्थान भर में केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया एकमात्र उद्योग इंसट्रूमैंटेशन लिमिटेड था। 4,000 आदमी, 20,000 परिवार उसके माध्यम से अपना जीवन-यापन करते थे। आज वह आपकी गलत नीतियों के कारण रुग्ण हो गया है। अधिकारियों की गलत नीतियों के कारण, उनके द्वारा अनाप-शनाप पैसा खर्च करने के कारण, बार-बार विदेश यात्रा के कारण वह महत्वपूर्ण उद्योग रुग्ण हो गया है। जब भी आप रुग्ण उद्योगों के लिए कोई व्यवस्था करें तो कृपा करके कोटा के इंसट्रूमैंटेशन लिमिटेड पर अवश्य ध्यान दें। जो फूल वाले सजावट का काम करते हैं उनसे आप टैक्स वसूल करना चाहते हैं। मुझे समझ

[वैद्य दाऊ दयाल जोशी]

में नहीं आता, इस साल आप तीन लाख नए व्यक्तियों को इनकम टैक्स के लिए रजिस्टर करेंगे। तीन लाख व्यक्ति कहां से आएंगे। ऐसे मेहनतकश लोगों पर आप जो टैक्स लगा रहे हैं, ऐसे वित्त विधेयक का मैं किसी भी मूल्य पर समर्थन नहीं कर सकता। मेरा निवेदन है कि आप कृपा करके इस पर फिर से विचार करें। यह बात सही है कि पहली बार आम लोगों की समझ में नहीं आया था। बार-बार नेताओं को बिठाकर उनकी इच्छानुसार आपने इतने संशोधन किए लेकिन अभी भी और संशोधन की बहुत आवश्यकता है। कृपा करके उचित संशोधन करके लोगों को राहत दें और कम से कम बीकानेरी पापड़, भुजिया जैसी चीजों पर से कर प्रस्ताव वापिस लें। टैंट वाले, शामियाने वाले, ट्रक वाले और जो गरीब हैं, उन पर किसी भी तरह का कोई कर नहीं लगाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सत्य पाल जैन (चण्डीगढ़) : सभापति महोदया, मैं इस बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हूं। मेरे से पहले लगभग सारे माननीय सदस्यों ने बजट के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। जब यह बजट पेश किया गया था तो वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में और उसके बाद प्रचार माध्यमों के माध्यम से भी हिन्दुस्तान में एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की कि शायद यह बजट जो युनाइटेड फ्रंट की सरकार ने पेश किया है, आम आदमी के लिए बहुत राहत वाला बजट है, आम आदमी के लिए बहुत अच्छी चीजें लाने वाला बजट है। लेकिन आम जनता की आंखें दो महीने में ही खुल गई हैं।

जब हमारे वित्त मंत्री जी कुछ दिनों के लिए राजनैतिक कारणों से वित्त मंत्रालय से बाहर थे, तब एक आंख मिचौनी का खेल चल रहा था, वे आ रहे हैं, वे आने वाले हैं, वे आ गए हैं, वे अभी आने के आसपास पहुंच गए हैं। आने के बाद यदि सबसे ज्यादा खुश कोई व्यक्ति हुआ है तो वह हिन्दुस्तान का बड़ा उद्योगपति हुआ है, चैम्बर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हुआ है। बड़े उद्योगपति और औद्योगिक घराने उनके आने से खुश हुए हैं। क्यों खुश हुए हैं? इसलिए नहीं कि उनको व्यक्तिगत रूप से उनसे कोई प्यार है या उनको वे अच्छा समझते हैं। हिन्दुस्तान का बड़ा उद्योगपति यह महसूस करता है कि श्री मनमोहन सिंह के बाद यदि उनके हितों की सबसे ज्यादा रक्षा किसी ने की है तो वह हिन्दुस्तान के वर्तमान वित्त मंत्री श्री पी० चिदंबरम ने की है। मैं पूछता हूं कि इस बजट के आने के बाद आम आदमी को क्या मिला? गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सड़क की समस्या, मकान की समस्या के समाधान के लिए कोई उचित प्रावधान इस बजट में नहीं किया गया है।

आज आप जाकर देखिए, सुबह जार्ज फर्नाण्डीज जी बोल रहे थे, मैं उनसे सहमत हूं, आम व्यक्ति, जिसका परिवार पहले से महंगाई से पिस रहा था, जिसको अपने परिवार का पेट पालने के लिए आज के हालात में राशन लेना मुश्किल हो रहा था, क्या इस बजट आने के बाद उसको कोई सहूलियत मिली है, क्या गरीब आदमी की दिहाड़ी में कोई वृद्धि हुई है, क्या उसका राशन सस्ता हुआ है, क्या उसको रोजगार का कोई माध्यम मिला है, आम आदमी को इस बजट में कुछ नहीं मिला। जो थोड़े कंसेशंस दिए गए हैं, कहीं कस्टम ड्यूटीज में, कहीं एक्साइज ड्यूटी में अगर उससे किसी को लाभ जा रहा है तो हिन्दुस्तान के बड़े उद्योगपतियों को जा रहा है, बड़े घरानों को जो रहा है। आम क्लर्क को, आम कांस्टेबल को, आम चपरासी को, छोटे दुकानदार को, रेहड़ी वाले को, रिक्शा वाले को, स्कूटर वाले को, माली को, चौकीदार को, बेलदार को, छोटे व्यक्ति को इस बजट से कोई किसी किस्म का लाभ नहीं हो पाया है और हमारे वित्त मंत्री जी ने कौन सी चीज छोड़ी है और जितने व्यक्तियों पर हो सका, उन्होंने टैक्स लगाने की कोशिश की है।

हमारे यहां कोई दुख-सुख का कार्यक्रम हो, विवाह शादी हो, कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, हम टैण्ट वालों से निवेदन करके अपने यहां शामियाना लगवाते हैं, श्री बलवन्त सिंह, रामूवालिया जी बैठे हैं, पंजाब में तो हर महीने 2-2, 3-3, 4-4 धार्मिक कार्यक्रम होते हैं और ये टैण्ट वाले खुद मुफ्त टेण्ट लगाते हैं। आपको कोई गुरुद्वारे का कार्यक्रम करना है, मंदिर का कार्यक्रम है, कोई मस्जिद का प्रोग्राम करना है, कोई चर्च का प्रोग्राम करना है, स्वयं इकट्ठे हो-होकर मुफ्त लगाते हैं। अभी इन्द्र कुमार गुजराल जी पंजाब जाकर आए हैं, मुझे बताया गया कि वहां पर जो कार्यक्रम हुए, वहां की टैण्ट एसोसिएशन ने कहा कि हम कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री हमारे पंजाबी प्रधानमंत्री हैं, हमारे यहां आए हैं, हम मुफ्त टैण्ट लगाएंगे, लेकिन वित्त मंत्री जी ने इस पर भी टैक्स लगा दिया। आज इनके पीछे भी इन्सपैक्टर घूमने शुरू हो गए हैं। यह सारे सर्विस टैक्स के नाम पर टैक्स लगाया गया है। इससे आम आदमी की दिक्कतें, परेशानियां और बढ़ रही हैं। मैं समझता हूं अगर आपको टैक्स लगाना है, उन लोगों पर लगाया होता, जिनके पास कालाधन है, जो पैसा दे सकते हैं। आप द्वारा आम व्यक्ति तथा छोटे दुकानदार पर टैक्स लगाकर यह हिन्दुस्तान की सरकार चलने वाली नहीं है। रिटेल दुकानदार, छोटा दुकानदार, अपने-अपने घर बैठे ही इस बात को प्रीज्यूम कर लिया, स्वीकार कर लिया, अगर आपकी सेल्स 40 लाख से ज्यादा है, आठ लाख का मुनाफा होगा और उस मुनाफे पर टैक्स हम आपसे लेंगे और पांच परसेंट के हिसाब से हम टैक्स ले लेंगे। आप आडिट करवाइए छोटे-छोटे दुकानदार, आप गांवों में जाइए, शहर में जाइए, कस्बों में जाइए, मजदूर बस्तियों में जाइए, 2-2, 4-4 छोटे-छोटी दुकानें हैं, वहां का आदमी जाता है, कभी उससे उधार ले लेता है और कभी उसको पेमेण्ट कर देता है और यह जो टैक्स अब आया है, इससे इंस्पैक्टर उनके आगे पीछे घूमने शुरू होंगे, छोटे दुकानदारों के पीछे और इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा और आम आदमी की परेशानी इससे ज्यादा बढ़ने वाली है। अपने आपको गरीबों का हमदर्द कहने वाली सरकार ने उसकी बीड़ी तक को नहीं छोड़ा। बीड़ी हिन्दुस्तान में बड़ा आदमी नहीं पीता, बड़ा आदमी सिगार पीता है, अच्छी सिगरेट पीता है और बहुत सारी चीजें पीता है, जिनका मैं जिक्र यहां नहीं करना चाहता। बीड़ी तो आम गरीब आदमी पीता है, रिक्शा वाला पीता है, मजदूर पीता है और इस सरकार ने उस बीड़ी को भी नहीं बख्शा।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

श्री सत्य पाल जैन : स्वास्थ्य के लिए बीड़ी हानिकारक है और जो कुछ और पीने की बात है क्या वह अच्छी बात है। वह उसके लिए भरते थे आप क्या कहना चाहते हैं। सरकार की तरफ से ऐसे आर्गूमेंट्स आ रहे हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, आपने जो कहा कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो आइए मैदान में, कहिए, उसको बन्द करिए। हमारी सरकार ने हरियाणा में कहा, शराब सेहत के लिए हानिकारक है, समाज के लिए हानिकारक है, यह बी० जे० पी० और हरियाणा विकास पार्टी की सरकार ने जिसने दम ठोककर नशाबन्दी की है। अगर आपकी मान्यता है कि हानिकारक है तो बन्द करिए, लेकिन यह मत करिए, सिगरेट पीने वाला सिगरेट पिए, आप कुछ नहीं कहेंगे, सिगार वाले को कुछ नहीं करेंगे, बीड़ी वाले की जेब में जो पांच नए पैसे का सिक्का पड़ा है, आपके वित्त मंत्री ने वह भी उसके जेब से निकालने की कोशिश की है।

आज स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है। मैं कुछ दिन पहले एक डैलीगेशन लेकर वित्त मंत्री जी से मिलने गया था। आज हर घर में साइकिल स्पोर्ट्स की आवश्यकता है आपकी सेहत खराब है, डाक्टर आपको कहते हैं कि आप सैर करने जाइए, आप सैर करने नहीं जा सकते, आपके घर में साइक्लिंग के लिए एक्सराइज अब आ गई हैं। आपके यहां ऐसे और इक्विपमेंट्स आ रहे हैं जिससे आप अपना वजन कम कर सकते हैं, सेहत को ठीक कर सकते हैं। हम तो वित्त मंत्री जी से मिलने गए थे कि इसका स्पष्टीकरण दीजिए, इस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं है और वित्त मंत्री महोदय ने यह जो बजट आया है, इसमें भी 13 परसेंट एक्साइज ड्यूटी लगा दी है और कस्टम ड्यूटी नहीं है। कस्टम के लिए स्पोर्ट्स के गुड्स एग्जम्पटिड हैं। एक्साइज ड्यूटी 13 परसेंट आपने लगा दी है। पंजाब में एक हजार के करीब यूनिट हैं छोटे-छोटे यूनिट्स, जो सारे के सारे आज तबाही के कगार पर आ गए हैं।

हमें बड़ी खुशी हुई थी। एक पंजाबी होने के नाते, उस क्षेत्र के होने के नाते हमारे पंजाबी प्रधानमंत्री कम से कम पंजाब की इंडस्ट्री पर तरस खाएंगे। मेरे पास उनका पत्र है। यह पत्र श्री इन्द्र कुमार गुजराल ने जब वह भारत के विदेश मंत्री थे, उन्होंने उस समय स्वयं श्री चिदम्बरम जी को लिखा था और उसमें लिखा था कि "मैं पंजाब गया था। वहां के इंडस्ट्री के लोग मुझे मिले थे और मैं उनका रिप्रेजेंटेशन भेज रहा हूं ताकि आप इस पर विचार कर सकें।" मुझे दुख है कि वही व्यक्ति विदेश मंत्री के नाते अपने वित्त मंत्री को एक पत्र लिखता है और जब वह प्रधान मंत्री बन जाता है तो उसकी ओर स्वयं कुछ ध्यान नहीं देना चाहता। आज पंजाब की सारी इंडस्ट्रीज तबाही के कगार पर हैं। अभी भी जब प्रधानमंत्री जी पंजाब गए थे, बहुत सारे डेलीगेशंस उनको मिले हैं और मैं उनसे विनती करना चाहता हूं कि इस क्लॉज को वापस लें। इतना ही नहीं है सिर्फ एक्सरसाइजर नहीं, स्पोर्टस गुड्स की कैटेगरी से जो चीजें निकाली गई हैं, वे कौन-कौन सी हैं :—

[अनुवाद]

स्पष्टीकरण : सामान्य शारीरिक व्यायाम के लिए जो उपकरण तथा सामान इस्तेमाल किए जाते हैं वह इस प्रयोजनार्थ खेल के सामान में शामिल नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

कोई भी ऐसे आर्टिकल्स जो आप जनरल फिजिकल एक्सरसाइज के लिए यूज करते हैं, वे सारे के सारे निकाल दिए हैं और मेरा निवेदन है कि सरकार इस संबंध में विचार करे तथा इस एक्साइज ड्यूटी को वापस ले। कस्टम नहीं है जिसका कारण यह है कि इम्पोर्टेड चीज सस्ती बिकेगी और हम अपने देश में जो चीज पैदा करेंगे, वह महंगी बिकेगी। यह हम मल्टी नेशनल्स कंपनियों को बढ़ावा ही तो दे रहे हैं। उनको बढ़ावा देने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है।

मैं यूनियन टैरीटरीज की भी बात करना चाहता हूं। हमारे साथ यह सरकार घोर अन्याय करती जा रही है। चंड़ीगढ़ यूनियन टैरीटरी है। केन्द्र सरकार के अधीन है। हर डिपार्टमेंट का बजट पिछले बजट से दस-बारह प्रतिशत बढ़ा है। हर साल उसकी नैचुरल वे में दस-बारह प्रतिशत की ग्रोथ होती है। लेकिन चंडीगढ़ के लिए जहां पिछले साल 471 करोड़ रुपए का बजट था, वहीं इस साल कम करके 463 करोड़ रुपए रह गया है। होम मिनिस्टर की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी जो इस सदन में आ चुकी है और उसमें केन्द्र सरकार से कहा है कि इसका कोई प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन नहीं है, हमारा बजट बढ़ाया जाना चाहिए। यह हमारे साथ घोर अन्याय है। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी हमारी इस मांग को स्वीकार करें और होम मिनिस्टर की जो स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशें हैं, उनको स्वीकार करें।

यह सी० जी० एच० एस० की फैसेलिटी चंडीगढ़ में उपलब्ध नहीं है। चंडीगढ़ दो प्रदेशों की राजधानी है। सरकार की यह नीति है कि जितनी भी स्टेट कैपिटल्स हैं, वहां सी० जी० एच० एस० की सुविधाएं मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं है बल्कि सैन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राईब्यूनल की जो चंडीगढ़ की बैंच है, उसने केन्द्र सरकार को हिदायत दी है कि ये सुविधाएं यहां दी जाएं। सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं, पिछले पांच-सात साल से केन्द्र सरकार के वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री एक ही बात लगातार बोलते चले जा रहे हैं कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस मामले में जल्दी निर्णय किया जाना चाहिए। सेल्स टैक्स के संबंध में कोई नीति चंडीगढ़ के बारे में नहीं है। पंजाब का अलग है, हरियाणा का अलग है जिसके कारण यूनियन टैरीटरीज को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी वहां के नुमाइंदों को बुलाएं और व्यापारियों को बुलाकर इस संबंध में निर्णय लें।

सभापति महोदया, आप भी वामपंथी विचारधारा की हैं। आज डेढ़ लाख के करीब जितने झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दिया है कि इन सबको बिजली और पानी के कनैक्शन दिए जाएं। लेकिन अगर केन्द्र सरकार पैसा नहीं देगी तो हाई कोर्ट के दिशा-निर्देशों को लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकार इसके बारे में अधिक पैसे की व्यवस्था करे। सड़कों की मरम्मत का सवाल है, पीने के पानी की समस्या है, इन सबके बारे में विचार करे।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : कोई इन सब बातों को नोट भी कर रहा है या हम यों ही बोल रहे हैं? ...*(व्यवधान)* यह क्या बात है कि वह हिन्दी जानते नहीं है? क्या यह केवल दिल बहलाने की बात हो रही है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री महोदय मुख्य बातें नोट कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : अरे, सुनिए, आपने कहां सुना है? ...*(व्यवधान)* अगर हमें जवाब नहीं मिलेगा तो हम सदन को नहीं चलने देंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री महोदय मुख्य बातें नोट कर रहे हैं।

(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): यदि हिन्दी नहीं भी जानते हैं तो अंग्रेजी अनुवाद यहां उपलब्ध होता है। सभापति महोदया, मैं यहां हैड-फोन लगा रहा था। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन (चण्डीगढ़) : सभापति महोदया, मैं दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी प्रधानमंत्री जी पंजाब यात्रा के दौरान एक अच्छी घोषणा करके आए हैं। उन्होंने कहा कि लुधियाना-चंडीगढ़ रेल लिंक का निर्माण जल्दी हो जाएगा। यह घोषणा लगातार 20 वर्षों से होती आ रही है। हर प्रधानमंत्री जब पंजाब में जाता है तो इसकी घोषणा करके आता है। मैं चाहता हूं कि इसे जल्दी पूरा किया जाए। लेकिन यह पूरा तब होगा अगर केन्द्र सरकार इसके लिए पैसा देगी। यह चंडीगढ़ से खरड़, मोहाली, मोरंडा होते हुए सिर्फ 25 किलोमीटर की लाईन बननी है। मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है उस पर वह कायम रहें। हाउसिंग प्रोबलम के लिए व्यवस्था हो और वहां जो मकान गिराए जा रहे हैं उनको बंद किया जाना चाहिए।

महोदया, मैं अंतिम बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा, जो वालंट्री डिसक्लोजर स्कीम आई है, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि यह स्कीम उन लोगों पर लागू नहीं होनी चाहिए जो हिन्दुस्तान में सत्ता में रहे हैं, चाहे एम. पी., एम. एल. ए., आई. ए. एस. या आई. पी. एस. हो। चाहे कार्पोरेशंस के चेयर परसन्स हों या बोर्डों के चेयरमैन हों। जो पब्लिक पद पर रहे हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लग सकते हैं या लगे हैं उन लोगों को इसका लाभ लेने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसके माध्यम से लोग ब्लैक में आया हुआ पैसा, भ्रष्टाचार से आया हुआ पैसा व्हाइट करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बारे में वित्त मंत्री जी कदम उठाएं। मैं चाहूंगा वह इसका उत्तर दें, अन्यथा जिन लोगों के घरों से तीन-तीन करोड़ रुपए निकल रहे हैं और जिनके घरों से अभी नहीं निकले हैं वे इसकी आड़ में अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यह पैसा किसी अच्छी स्कीम पर लगना चाहिए। आप पानी की समस्या के बारे में कहें, कोटेज इंडस्ट्री के बारे में कहें, हाउसिंग प्रोबलम के बारे में कहें, यह पैसा प्रोडक्टिव एक्टीविटीस में लगे ताकि इससे देश को लाभ हो। झुग्गी-झोंपड़ी में लगे, बिजली पैदा करने के लिए लगे, झुग्गियों के विकास के लिए लगे और अगर वहां यह पैसा लगेगा तो इसका लाभ होगा।

महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए मेरा इतना ही कहना है कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवादी हूं और बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। यहां जो सदस्य भाषण सुनने के लिए बैठे हैं उन सब का भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

अपराह्न 9.52 बजे

(श्री पी. एम. सईद *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

श्री के. परसुरामन (चेंगलपट्टू) : महोदय, मैं, डी. एम. के. पार्टी की ओर से बोलने तथा माननीय वित्त मंत्री, श्री थीरू पी. चिदम्बरम् द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

वित्त विधेयक केन्द्रीय बजट को कार्यान्वित करने का एक साधन है। इसमें सुझाव दिए जाते हैं कि बजट में व्यय के लिए धन कहां से जुटाया जाए। समूचे देश में कल्याण तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वर्ष 1997-98 के दौरान इन पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए राजस्व वसूली हेतु बजट में विभिन्न उपायों का प्रस्ताव किया गया है। माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत यह बजट पूर्णतः संतुलित, विकासोन्मुख तथा सुधारवादी है।

महोदय, विरोधी पक्ष के हमारे मित्र सरकार पर यह आरोप लगाते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से भारी मात्रा में ऋण लिए गए हैं और उन ऋणों पर हम अत्यधिक ब्याज का भुगतान कर रहे हैं। लेकिन मैं सभा को यह याद दिलाना चाहूंगा कि उन एजेंसियों से लिए गए ऋण का पुलों, बांधों, रेलवे, राजमार्गों, बंदरगाहों, विद्युत संयंत्रों, मेट्रो रेल आदि के निर्माण हेतु पूरी तरह उपयोग किया जाता है जिससे देश में आम लोगों को लाभ पहुंचता है।

वर्ष 1997-98 के बजट की सभी वर्ग के लोगों द्वारा सराहना की गई है। इस वित्त विधेयक द्वारा सभा में कुछ महत्वपूर्ण तथा उपयोगी प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा तथा उन्हें पारित किया जाएगा जैसे कि भारतीय रिज़र्व बैंक को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना, काला धन माफ करना, उदारीकरण तथा कृषि पर नियंत्रण हटाना, अनेक लघु उद्योग के उत्पादकों पर से प्रतिबंध हटाना, पूर्ण परिवर्तनीयता को आरम्भ करना, राज्यों को लाभ पहुंचाने वाले फार्मूले का सूत्रपात करना जैसे भविष्य निधि में योगदान तथा दूर-संचार प्रोत्साहन इत्यादि।

वित्त मंत्री ने यह दावा किया है कि वे 5 प्रतिशत से कम वित्तीय घाटे के लक्ष्य पर अटल रहेंगे जब कि सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत है। इस बात की आशंका है कि वित्त मंत्री बढ़ते हुए रक्षा

व्यय, खाद्य पदार्थों, पेट्रोलियम, उर्वरकों इत्यादि पर भारी राज सहायता और सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी के विनिवेश द्वारा संसाधनों को जुटाने में असफलता के विरुद्ध 4.5 प्रतिशत वित्तीय घाटे को कैसे प्राप्त कर सकेंगे।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने कर तथा सीमा शुल्क कम करके तथा आय-कर की सीमा को बढ़ाकर छूट तथा रियायत प्रदान करने वाला दृष्टिकोण अपनाया है। वे अनुकरणीय प्रशंसा के पात्र हैं।

महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद है कि उनके भाषण में आधारभूत क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए कोई महत्वपूर्ण नए उपाए किए जाने का उल्लेख नहीं किया गया है। हमारे जैसे बड़े देश के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रमों के लिए निर्धारित 500 करोड़ रुपए की धनराशि बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। देश में सड़कों के लिए पूंजी निवेश की आवश्यकता को वित्त पोषित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कोष के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। रेल निर्माण की तुलना में सड़कों को चौड़ा करने, नई सड़कों के निर्माण और उन्हें राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि इन पर कम खर्च और कम समय लगता है और इन्हें आरम्भ करना भी आसान है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री के॰ परसुरामन : दूसरा क्षेत्र विद्युत क्षेत्र है। लघु विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने के लिए राज्यों को पूरी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

महोदय, मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं कि मुद्रास्फीति दर को जितना सम्भव हो सके, कम करना चाहिए। अब यह दर 6.64 प्रतिशत है। मुद्रास्फीति की दर को 6 प्रतिशत अथवा 5.5 प्रतिशत नीचे लाने से आर्थिक विकास में कोई योगदान नहीं होगा। यदि अपव्यय और बहुत थोड़ा उत्पादन होता है तो मुद्रास्फीति की बात करने का कोई लाभ नहीं है। घरेलू सामान तथा आवश्यक मदों की कीमतों को कम करने से अर्थव्यवस्था में मदद नहीं मिलेगी, यदि आम आदमी की खरीद शक्ति ही कम है।

एक सप्ताह पहले, माननीय वित्त मंत्री ने जमा तथा ऋण की ब्याज दर को कम कर दिया था। कुछ समय पहले, नकद रिजर्व अनुपात तथा सांविधिक नकदी अनुपात को भी नीचे लाया गया था। निगमों तथा उत्पादन एककों को प्रोत्साहित करने के लिए यह उपाए किए गए थे ताकि अर्थव्यवस्था ऊपर उठ सके। पिछले दो अथवा तीन वर्षों से, आपने ध्यान दिया होगा कि कपड़ा, बिजली तथा चमड़े के सामान, टी॰ वी॰, स्कूटर, कार, रिहायशी स्थानों, यात्रा इत्यादि की मांग कम हो गई है। यह लोगों में क्रय शक्ति की कमी के कारण है।

यदि क्रय शक्ति कम है और औद्योगिक मन्दी है तो कम मुद्रास्फीति की दर पर अर्थव्यवस्था में सात प्रतिशत की वृद्धि दर नहीं हो सकती है।

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : सभापति महोदय, मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। भारत किसानों का देश है और यहां की 70 से 80 प्रतिशत आबादी गांव में रहती हैं। लेकिन किसानों के ऊपर सरकार का जिस तरह से ध्यान जाना चाहिए, सही मायनों में ध्यान नहीं जा रहा है।

अपराह्न 10.00 बजे

हम को स्मरण है कि जब वी॰ पी॰ सिंह जी की सरकार थी तो 1989 में खाद की कीमत 105 रुपए 50 पैसे प्रति बैग था। डी॰ ए॰ पी॰ खाद 188 रुपए 50 पैसे थी और पोटाश की खाद की कीमत 60 रुपए बैग थी लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस किसी की भी केन्द्र में सरकार बनी, उसने किसानों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की लेकिन जिस रूप में किसानों को सहयोग मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया। अगर सही मायने में किसान अपना उत्पादन बंद कर दे तो देश में हाहाकार मच जाएगा। हर किसी सरकार को निश्चित रूप से किसानों, मजदूरों और गरीबों का आदर करना चाहिए। उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, नहीं मिल पातीं। माननीय मंत्री महोदय बैठे हुए हैं। उनसे मेरी विनती है कि वे किसानों के बारे में विशेष रूप से सोचें। किसानों के हित का मतलब भारत का हित है। अगर किसान प्रोडक्शन बंद कर देगा तो दुर्भाग्य से देश में क्या से क्या हो जाएगा? संयोग से हमारे लोकप्रिय प्रधान मंत्री जी भी पहुंच गए हैं। हमें किसानों के प्रति निश्चित रूप से सहानुभूति रखनी चाहिए।

महोदय, जिस किसी इलाके में बैंक हैं, वहां गरीब व्यक्ति, बेरोजगार युवक और छोटे-छोटे व्यापारी लोन लेने जाते हैं तो बैंक अधिकारी जैसे कि उनके ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। ऐसा ग्रामीण इलाके में कोई बैंक नहीं है जो कि रिश्वत न लेता हो। आई॰ आर॰ डी॰ पी॰ योजना के अन्तर्गत ब्लॉक से जो आवेदन बैंक में जाता है, उसमें महीनों लग जाते हैं। बैंक वाले उनसे कभी कहते हैं कि फोटो लाओ और कभी कहते हैं कि 15 दिन के बाद आना। उन्हें इस ढंग से परेशान किया जाता है। बाध्य होकर उन्हें कहना पड़ता है कि हमें बताओ कि क्या करना है? वे अपना काम छोड़ कर बैंक में आते हैं। उन्हें इस तरह परेशान किया जाता है। केन्द्र सरकार बैंकों को जो सबसिडी देती है, वे उसे रिश्वत के रूप में ले लेते हैं। हमारे मंत्री महोदय और लोकप्रिय प्रधान मंत्री महोदय गांवों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। बैंक के अधिकारियों द्वारा ग्रामीण बेरोजगार युवकों का शोषण किया जाता है। शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक लाख बेरोजगार युवकों को ऋण देने का वायदा किया था। सही मायने में वह मिल भी रहा है लेकिन उसका जो कोटा है, निर्धारण है, लक्ष्य है, वह बहुत कम है। मैं प्रधान मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आप एक ब्लॉक में 10-15 बेरोजगार युवकों को जो लोन देते हैं, उनकी संख्या को बढ़ाएं क्योंकि लाखों की संख्या में एक-एक ब्लॉक में बेरोजगार युवक हैं। आप उन्हें जो एक लाख की राशि देते हैं, उसे कम से कम दो लाख करें और जहां 15 से 20 बेरोजगार युवकों को ऋण देते हैं, मैं आपसे एक ब्लॉक में 100 बेरोज़गार लोगों को रोजगार दिए जाने हेतु एक लाख रुपए के ऋण दिए जाने की व्यवस्था

[श्री सुकदेव पासवान]

के लिए अनुरोध करता हूं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े लोगों को इन्दिरा आवास योजना और अम्बेडकर योजना के तहत 20 हजार रुपए का ऋण मिलता है लेकिन यह शौचालय बनाने के लिए भी काफी नहीं। श्री देवेगौड़ा की सरकार ने 15 हजार रुपए से बढ़ाकर इसे 20 हजार रुपया किया था, उसके लिए तो मैं युनाइटिड फ्रंट सरकार को बधाई देता हूं लेकिन यह राशि अल्प मात्रा में है। वह भी हमारी तरह एक इन्सान है। मेरा अनुरोध है कि इसे 20 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपए कर दिया जाए।

सभापति महोदया, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास जिस तरह से होना चाहिए था, वह नहीं हो रहा है। आज भी आजादी के 50 साल बाद गांवों में पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। गांवों में बिजली नहीं है और प्रायमरी स्कूल तो नाममात्र के हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विशेष अनुरोध करूंगा कि गांवों की ओर देखें कि गांवों में शिक्षा ही एकमात्र विद्या का साधन है, वहां बिल्डिंग के नाम पर फूस भी नहीं है, कक्षाएं पेड़ों के नीचे लगती हैं। मेरा अनुरोध है कि एक ऐसी स्कीम निकालें जिसमें सभी ब्लॉक को ले लिया जाए और शिक्षित बच्चे निकल सकें।

सभापति महोदय : आपका टाइम को गया है, केवल पाइंट ही मेंशन करें।

श्री सुकदेव पासवान : बस दो-तीन पाइंट रखकर अपनी बात समाप्त करूंगा। देश के बड़े-बड़े शहरों—मुम्बई-कलकत्ता, दिल्ली में फ्लवारे और ओवर ब्रिज बिजली के लिए खर्चा होता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर कमी आनी चाहिए और उस पैसे को गांवों के लिए खर्च करना चाहिए। गांव में जहां सड़क नहीं, पेयजल नहीं और न स्कूल हैं, वहां पैसा मुहैया करके कार्यक्रम बनाना चाहिए।

सभापति महोदया, गांव में 15-20 एकड़ जमीन के लिए सीलिंग है और शहरों में अरबों-खरबों रुपए की सम्पत्ति के लिए कोई सीलिंग नहीं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जिस तरह गांवों के लिए सीलिंग लगा रखी है कि सिंचित क्षेत्र में 16 एकड़ और असिंचित क्षेत्र के लिए 20 एकड़ तक सीलिंग है, उसी प्रकार शहरों के लिए भी सीलिंग होनी चाहिए। एक सीमा का निर्धारण होना चाहिए कि इससे ज्यादा वह सम्पत्ति अपने पास न रख सके अन्यथा सरकार उसे अपने पास ले लेगी।

सभापति महोदय : अब तो आप कृपा कीजिए क्योंकि दूसरों के लिए 5 मिनट थे और आपने 10 मिनट बोल लिया। ग्रेस पीरियड आपके लिए है।

श्री सुकदेव पासवान : माननीय सभापति महोदय, बैंकों में एस॰ सी॰ एस॰ टीज़ का काफी बैकलौग है। वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी बैंकों में बैकलॉग है उसको पूरा किया जाए। एस॰ सी॰ एस॰ टी॰ के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनको जिस समय-सीमा में पदोन्नति देनी चाहिए, वह नहीं हो रही है। उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। इतना ही कहकर मैं बैठ जाना चाहता हूं और आग्रह करना चाहता हूं कि समय-सीमा के अंदर एस॰ सी॰ एस॰ टी॰ की निश्चित रूप से पदोन्नति हो।

इसके साथ ही मैं फाइनेन्स बिल का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

सभापति महोदय : इसके साथ ही फाइनेन्स बिल का जनरल डिसकशन खत्म होता है।

[अनुवाद]

कल प्रश्न काल के तत्काल बाद ही माननीय मंत्री महोदय उत्तर देंगे। अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 10.10 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा, शुक्रवार, 9 मई 1997/18 वैशाख, 1919 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 1997 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत
प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, नई दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।